राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या: 17

सोमवार,

28 मार्च 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)
(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: सबको होली का नमस्कार, सबको होली का नमस्कार और धुलंडी की गुलाल।

प्रश्न काल। श्रीमती द्रोपती।

हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय का 300 बैड में क्रमोन्नयन

350. **श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हनुमानगढ़ जिले में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय में वर्तमान में कितने बैड हैं? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय को 300 (तीन सौ) बैड में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत हांसलिया के उप स्वास्थ्य केन्द्र की चारदीवारी बनी हुई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र की चारदीवारी बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जिला हनुमानगढ़ में 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की तहसीलवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ में 150 शय्याएं स्वीकृत हैं। आगामी वित्तीय वर्षों में चिकित्सालयों की शय्याओं में वृद्धि करने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ की शय्याओं में वृद्धि किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(3) जी नहीं। आगामी वित्तीय वर्षों में चारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र हांसलिया के भवन की चारदीवारी का निर्माण करवाए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सभी सदस्यों को होली की राम-राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-1 में मंत्री महोदय ने जिला हनुमानगढ़ के 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित होने की बात कही है। राजस्थान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के कोई मापदण्ड हैं तो क्या इन मापदण्डों के अनुसार पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं, कृपया यह अवगत कराएं। रावतसर के ट्रोमा सेंटर में स्टाफ नहीं होने के कारण क्या हैं व रावतसर ट्रोमा सेंटर का संचालन कब तक कर दिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह भी पूछना चाहती हूं कि राजस्थान में कुल कितनी चिकित्सा संस्थाएं बिना भवन के संचालित हैं?

श्री अध्यक्ष: ये राजस्थान के बारे में मत पूछो, आप अपने हनुमानगढ़ के बारे में पूछो।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी संस्थाएं बिना भवन व चारदीवारी के संचालित हैं व इनके भवन कब तक बना दिए जाएंगे और पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के डबलीराठान के स्वास्थ्य केन्द्र का भवन नाकारा हो चुका है। विभाग ने भवन निर्माण हेतु स्वीकृति भी जारी कर दी है। आज तक भवन नहीं बनने के क्या कारण हैं? डबलीराठान के स्वास्थ्य केन्द्र की प्रथम व द्वितीय मंजिल का निर्माण कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उप केन्द्र, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के मापदण्ड के बारे में सवाल किया है। अध्यक्ष महोदय, एक बार अलमाटा में सम्मेलन हुआ था विश्व के कई देशों ने अलग-अलग संस्थाओं के मापदण्डों के लिए सहमति व्यक्त की थी, हैल्थ फोर आल का एक आब्जेक्ट लिया था, भारत सरकार ने भी उसको स्वीकार किया। उसके अनुसार राजस्थान सरकार ने भी मापदण्ड तय किए। सामान्य आबादी हो उसमें पांच हजार की जनसंख्या पर एक उप केन्द्र खोला जाता है। ट्राइबल और डेजर्ट क्षेत्र के अन्दर तीन हजार की जनसंख्या के ऊपर एक उप केन्द्र खोलने का प्रावधान है। प्राथमिक चिकित्सा के अन्दर पीएचसी सामान्य क्षेत्र हो उसमें तीस हजार पर, डेजर्ट और ट्राइबल क्षेत्र में बीस हजार की जनसंख्या पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने का प्रावधान है। सामुदायिक चिकित्सा के अन्दर एक लाख से अधिक ग्रामीण जनसंख्या हो उसके अनुसार खोलने का प्रावधान किया गया है। पीलीबंगा के अन्दर ग्रामीण जनसंख्या है चार लाख इकतालीस हजार और उसके अनुसार इनके आवश्यकता है चार सीएचसी की, और खुले हुए हैं पांच, एक अधिक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीलीबंगा के अन्दर जनसंख्या के अनुसार बाइस खोले जाने चाहिए थे और वर्तमान में खुले हुए हैं 11 और 11 की इसमें कमी है। उप स्वास्थ्य केन्द्र जनसंख्या के अनुसार 147 खोले जाने थे, 98 खुले हुए हैं और 49 इसमें शेष है।

माननीय सदस्य ने डबलीराठान के अन्दर जो रैफरल चिकित्सालय बना हुआ है उसके भवन के बारे में पूछा है। अध्यक्ष महोदय, डबलीराठान का चिकित्सालय 2013 के अन्दर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र से रैफरल चिकित्सा केन्द्र में क्रमोन्नत हुआ था। पुराना भवन है, 110 x 125 वर्ग फुट में बना हुआ है। मैं यह स्वीकार करता हूं, मैं जब गया था तब मैंने भी यह कहा था कि इसके भवन का निर्माण कराएंगे परंतु भूमि उपलब्ध नहीं हुई। अगर माननीय सदस्या, भूमि उपलब्ध हो जाएगी, हमने कोशिश की, हमने जिला कलक्टर को भी इसके बारे में पत्र लिखा है। अगर भूमि उपलब्ध हो जाएगी तो निश्चित तौर पर इसके भवन निर्माण के बारे में सोचा जाएगा क्योंकि राजस्थान में इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की और जो बजटीय प्रावधान राजस्थान के चिकित्सा संस्थानों के लिए हमें मिला है, उसके अनुसार 38 हम नए सीएचसी का निर्माण करेंगे, 185 प्राथमिक चिकित्सा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

केन्द्रों के भवनों का निर्माण करेंगे और उप केन्द्र के 1361 के भवनों का निर्माण करेंगे। कुल 803 करोड़ इसी वितीय वर्ष में राजस्थान में चिकित्सा संस्थानों के भवन के निर्माण में खर्च होंगे।

आपने ट्रोमा हास्पिटल के बारे में पूछा है। रावतसर का ट्रोमा हास्पिटल 2010 में स्वीकृत हुआ था। उसमें एक जेएस सर्जरी की पोस्ट है, एक एमओ आर्थोपेडिक की पोस्ट है, एक एमओ एनेस्थिसिया की पोस्ट है। ये तीनों पद रिक्त हैं और नर्सिंग के पांच पद हैं, पांचों अभी हमने भरे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी हमने इन पदों को भरने के लिए, क्योंकि हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है। हमने एक पहली बार नवाचार किया। हमने वन ईयर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया। यह कोर्स पहले एक साल का था परंतु एक साल से आगे बढ़ाकर इसको हमने अभी 18 महीने का किया है। हमें इसी दिसम्बर के अन्दर इसमें लगभग 383 विशेषज्ञ चिकित्सक मिलेंगे। उसमें आर्थोपेडिक्स के 65, एनेस्थिसिया के 39 मिलेंगे और इसके साथ ही कालेज आफ फिजिशयन एण्ड सर्जन, मुम्बई के साथ भी हमने एक एमओयू किया है। हमारे इन-सर्विस चिकित्सक जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में काम कर रहे हैं, तीस जिला चिकित्सालयों में 266 जो इन-सर्विस चिकित्सक हैं सर्विस करते हुए ही इनको, विशेषज्ञ में एक नवाचार है, उससे हम ये बनाएंगे। उससे इनकी वही सेवा रहते हुए भी ये अपने अध्ययन भी करेंगे और पीजी की डिग्री इनको मिलेगी उससे विशेषज्ञों के जो पद रिक्त हैं वो पूरे होंगे।

श्री अध्यक्ष: बिराजिए। पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि आपके विभाग ने जो जवाब भेजा है वह रटा-रटाया है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 300 बैड की आवश्यकता है और वहां पर 150 बैड हैं। इतना बड़ा जिला है और सात तहसील लगती है वहां पर, इतनी ज्यादा जनता का वहां आवागमन रहता है इसलिए इस चिकित्सालय की बैडों की संख्या बढ़ाई जाए।

दूसरा, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि इस कार्य हेतु वितीय संसाधन कब तक उपलब्ध हो जाएंगे। जिला हनुमानगढ़ में कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं तथा जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ में कितने पद रिक्त हैं, ये कब तक भर दिए जाएंगे?

(श्रीमती द्रोपती)

अध्यक्ष महोदय, खण्ड-3 में निर्वाचन के ग्राम हांसलिया के उप स्वास्थ्य केन्द्र की चारदीवारी नहीं बनी है। वहां पर आवारा पशु, कुत्ते, गंदगी फैली रहती है जिससे बीमारियां फैलती हैं। वहां पर चारदीवारी की बहुत आवश्यकता है और वहां भवन बनाने की भी जरूरत है, तो आप इसका भवन एवं चारदीवारी का निर्माण कब तक करवा देंगे? यह भी आप बताने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ में कुल चिकित्सकों के स्वीकृत पद हैं 43, कार्यरत पदों की संख्या है 36 और रिक्त 7 हैं। अभी अध्यक्ष महोदय, चार अप्रैल को राजस्थान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से हमने 1300 पदों पर भर्ती करने के लिए परीक्षा आयोजित की है। इसी चार अप्रैल को है और मैं समझता हूं कि 15 अप्रैल तक हमें सारा परिणाम मिल जाएगा। हम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जो नई नियुक्तियां करेंगे उसमें प्राथमिकता के आधार से इन पदों को भरने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में जो बैड ऑक्युपेंसी हैं, अभी 150 बैडेड हॉस्पिटल है, पर बैड ऑक्युपेंसी 2015 की 142 फीसदी रही। अब वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इसका क्रमोन्नयन करने पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बस-बस हो गया है आपका, जवाब आ गया है। श्री रामलाल शर्मा, पूरक प्रश्न। हनुमानगढ़ से सम्बन्धित है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जाने का रास्ता चौमूं होते हुए जाता है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वो नहीं, यह इस तरह नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि प्रदेश की जिन सीएचसीज, जिनमें हनुमानगढ़ भी शामिल है...

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है। नो-नो। नहीं, बैठिये। नहीं-नहीं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ की पूछ रहा हूं। हनुमानगढ़ की ऐसी सीएचसी जिसमें एक हजार से अधिक का

(श्री रामलाल शर्मा)

आउटडोर है, क्या उन सीएचसीज को प्राथमिकता के साथ आप क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं? या उन पर बैड वृद्धि करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हनुमानगढ़ के बारे में हो, तो जवाब दे दीजिये, नहीं, तो नहीं।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नो। यूं नहीं। मेरे पास आ गया न। इनके बाद श्री संजीव कुमार पूछेंगे। आप जवाब दे रहे हैं उनका? अगर हनुमानगढ़ से सम्बन्धित नहीं है तो जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ में किन-किन रैफरल चिकित्सालयों में एक हजार से ज्यादा आउटडोर है इसकी पूरी सूचना का संकलन मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं माननीय सदस्य को सूचना संकलित करके बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री संजीव कुमार। पूरक प्रश्न। हनुमानगढ़ के हैं आप तो पूछ सकते हैं।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महोदय ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची पेश की है, हमारे हनुमानगढ़ जिले में अनेक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जहां चिकित्सकों के अनेक पद रिक्त हैं, जिसकी वजह से जनता को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती और भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पद आप कब तक भर देंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि जितने भी रिक्त पद हैं हम एक तरफ से डीएसीपी करके पदोन्नति के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने 2271 चिकित्सकों की पदोन्नति की है और 1300 नये चिकित्सक भर्ती कर रहे हैं। हम प्राथमिकता के आधार पर जहां अधिक आउटडोर है उन जगहों पर पहले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पदस्थापित करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर चिकित्सकों के रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरें।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री ललित कुमार, ये हनुमानगढ़ से सम्बन्धित है।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन से बताना चाहूंगा कि कल एक बजे करीब मेरे विधान सभा क्षेत्र के ऊनी गांव की डेढ़ सौ बीघा जमीन में आग लग गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह प्रश्न काल में नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। अगला प्रश्न। श्री रमेश।

प्रदेश में बागवानी की संचालित योजनाएं

351. **श्री रमेश** (सपोटरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में हॉर्टिकल्चर, फ्लोरीकल्चर, पिगीज, मधुमक्खी पालन सहित अन्य किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी योजनाएं संचालित हैं तथा सरकार द्वारा गत दो वर्षों में किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी योजनाओं को किस कारण समाप्त कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में किस-किस योजना में अनुदान या अन्य आर्थिक सहायता कितनी कम या समाप्त की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में कौन-कौनसी नवीन योजनाएं संचालित की गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) प्रदेश में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं/उप-योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

गत दो वर्षों में भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाओं का नवीन योजनाओं में समायोजन हुआ है। जिसका विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (कार्य योजना) को समाप्त किया गया है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

(2) सरकार द्वारा कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं में गत दो वर्षों में अनुदान या अन्य आर्थिक सहायता कम या समाप्त किए जाने का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग द्वारा गत दो वर्षों में संचालित की गयी नवीन योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नं.1 माननीय रमेशजी।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो जवाब दिया है, मैंने इनसे सवाल दो वर्षों का पूछा था, लेकिन इन्होंने जवाब दिया है दो वित्तीय वर्षों का। तो, 2015-16 का जो जवाब देना था इन्होंने नहीं दिया, फिर भी मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने वर्ष 2015-16 में कितना-कितना अनुदान किस-किस योजना में कम किया और गौशालाओं का अनुदान पूर्णतः समाप्त कर दिया, क्यों कर दिया? मंत्री जी, बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि दो वर्षों में कौन-कौन सी योजनाओं में अनुदान कम किया और क्यों किया? वैसे इसका विस्तृत जवाब खण्ड संख्या-2 में संलग्न परिशिष्ट में पूरा उल्लेख किया गया है, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि कुछ ऐसी योजनाएं थी जो भारत सरकार की गाइड लाइंस के आधार पर संचालित की जा रही थीं और उन योजनाओं के अन्तर्गत फार्म पोंड्स के 2013-14 में 60 हजार रुपये जो मिलते थे उसको कम करके 2014-15 में और 2015-16 में 52,500 रुपये कर दिये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि चूंकि इसमें दो प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। एक योजना के अन्तर्गत यदि वो प्लास्टिक लाइनिंग का फार्म पोंड तैयार करता है 1200 घन मीटर का तो ऐसे काश्तकार को पचास प्रतिशत या 75 हजार रुपये तक अनुदान देने के प्रावधान किये गये हैं, जबकि पहले यह नहीं था और इसी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

प्रकार इसकी टॉप अप सब्सिडी थी उसको कम करने की वजह से 60 हजार रुपये से 52,500 रुपये हुए हैं, भारत सरकार की गाइड लाइन थी, लेकिन हम लोगों ने इसी प्रकार डिग्गी में भी...

श्री रमेश (सपोटरा): मैं 2015-16 का पूछ रहा हूं, उसका जवाब दें। 2014-15 का मत दो, 2015-16 का जवाब पूछ रहा हूं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं 2015-16 का ही बता रहा हूं आप समझ नहीं रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 2015-16 का ही बताया है। अधिकतम पचास प्रतिशत अनुदान या 52,500 रुपये देने के प्रावधान है। यदि किसान 1200 स्क्वायर घनमीटर का प्लास्टिक लाइनिंग से निर्माण करता है तो ऐसे किसानों को 75 हजार रुपये अनुदान देने के प्रावधान हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नं.2

श्री रमेश (सपोटरा): मैंने पूछा था गौशालाओं का अनुदान साथ में, उसका जवाब नहीं दिया है उन्होंने। वो जवाब तो दो मंत्रीजी, फिर दूसरा पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपका तो हमेशा ही अधूरा जवाब आता है।

श्री रमेश (सपोटरा): अभी पूछा है न आपके सामने गौशालाओं के अनुदान के बारे में।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यही तो जानना चाहा है न कि अनुदान क्यों कम हुआ, कितना हुआ। यह 2015-16 का मैंने बताया न, यही तो जानना चाहा था इन्होंने और इसके परिशिष्ट-2 में पूरा विवरण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको पढ़ने में तो एक घंटा लग जाएगा। मैं आपके माध्यम से ...

श्री रमेश (सपोटरा): गौशाला का अनुदान समाप्त क्यों कर दिया वह पूछा है, प्रथम प्रश्न में। यह तो बताएं आप।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि भारत सरकार की गाइड लाइंस के अनुसार टॉप-अप सब्सिडी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से मिलती थी उसको कम किया गया है और कम करने के कारण से किसानों को 52,500 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। प्लास्टिक लाइनिंग से जो भी फार्म पोंड का निर्माण करेगा उस किसान को 75 हजार रुपये अनुदान देय है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, पूछिये।

श्री रमेश (सपोटरा): गौशाला के अनुदान का जवाब मंत्रीजी ने नहीं दिया। जल हौज योजना में कितनी सब्सिडी कम की, उसका आपने जवाब नहीं दिया। ग्रीन हाउस योजना में अनुदान था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। बूंद-बूंद सिंचाई योजना में कितना अनुदान कम किया, उसका जवाब नहीं दिया। तो, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने जो अनुदान कम किया है उसके बदले अन्य प्रकार से क्या सहायता दी जा रही है? और नहीं, तो आप किस प्रकार एग्रीकल्चर जीडीपी को बढ़ाने की बात करते हो, किसान हित की बात करते हो? तो, आप पहले तो ये तीन जो योजनाएं पूछी हैं इनमें कितना अनुदान कम किया है। दूसरा, जीडीपी आप कैसे बढ़ाएंगे? मंत्री मुझे बताएं।

श्री अध्यक्ष: बिराजिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया है कि कुछ ऐसी योजनाएं जिनमें ड्रिप इर्रिगेशन, पाइप लाइन, डिग्गी, फार्म पोंड्स हैं, इन योजनाओं के अन्तर्गत राशि कम की गयी है और मैं इसकी पूरी डिटेल आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 2015-16 में 52,500 रुपये, प्लास्टिक लाइनिंग पर 75,000 रुपये, डिग्गी में पचास प्रतिशत या सौ रुपये प्रति घनमीटर अधिकतम दो लाख रुपये और ग्रीन हाउस का जहां तक सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, पचास प्रतिशत अधिकतम 467.50 रुपये वर्ग मीटर, पचास प्रतिशत, इसकी साइज अलग-अलग है, 1008 से 2080 तक का जो ग्रीन हाउस बनेगा उस पर पचास प्रतिशत या अधिकतम 445 रुपये प्रति वर्गमीटर और यदि वह 2080 से 4000 वर्ग गज बनेगा तो पचास प्रतिशत अधिकतम 422 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से अनुदान देय है। सैट नेट के हाउस के लिए पचास प्रतिशत अधिकतम 355 रुपये प्रति वर्ग मीटर का अनुदान देय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा आपसे निवेदन किया इसमें सब्सिडी जो कम हुई है उसमें जहां तक ड्रिप इर्रिगेशन का सवाल है नॉन डीपीएपी, नॉन डीडीपी क्षेत्र के कृषकों को 35 प्रतिशत, लघु और सीमान्त कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान देने के प्रावधान थे, डीपीएपी और डीडीपी क्षेत्र

(श्री प्रभू लाल सैनी)

के सामान्य कृषकों को 45 प्रतिशत व लघु सीमान्त कृषकों को साठ प्रतिशत अनुदान देने के इस ड्रिप योजना के अन्तर्गत, माइक्रो इर्रिगेशन स्कीम के अन्तर्गत उनको लाभान्वित किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में निवेदन इसलिए करना चाह रहा हूं चूंकि माननीय सदस्य शायद इसलिए पूछ रहे हैं कि सब्सिडी कम क्यों हुई, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। सब्सिडी, टॉप अप सब्सिडी फंडिंग पैटर्न पूरे देश का बदला। पूरे देश में बदलने के कारण से सब्सिडी कम हुई, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्रीजी को जिन्होंने 15 जनवरी, 2015 को जिन-जिन योजनाओं में अनुदान कम हुआ था, जिसमें फार्म पोंड है, डिग्गी है, ड्रिप लाइन बिछाने का काम है, तलाई है, सामुदायिक फार्म पोंड्स हैं, इन सारे कामों को नरेगा योजना में जोड़ दिया गया था। नरेगा योजना में जोड़ने के कारण से तीन लाख रुपये निर्धारित नोर्म्स से अधिक भी यदि ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जो प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप दे नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। अंकित नहीं हो। आप बैठिये।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब इनके पास है वो ही आएगा।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मैं माननीय सदस्यों को यह बात कहना चाहता हूं। यह अंकित नहीं हो। जवाब देने की जरूरत नहीं है और अंकित नहीं होगा।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, मंत्री जी ने अभी अपना जवाब पूरा नहीं किया, धैर्य रखो, सुनना सीखो, आप लोगों में धैर्य नहीं है।

(माननीय सदस्य श्री रमेश द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष: मुझे एक बात का अफसोस है सदस्य जो सवाल करते हैं वह जैसा चाहते हैं वैसा ही जवाब आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मंत्री जो

(श्री अध्यक्ष)

जवाब देगा वही होगा, आपको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनते हो तो कोई और तरीका अपनाइए, लेकिन जो मंत्री जवाब देंगे वही सुनना पड़ेगा। बार बार आप डिस्टर्ब मत कीजिए अब। अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री बनवारीलाल सिंघल। अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: काम व्यवस्था से चलेगा, व्यवस्था को तोड़ने वाले को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा, सुन लीजिए, बैठ जाइए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): साहब, पूरक प्रश्न या अगला प्रश्न?

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री गोरधन। हां पूरक प्रश्न।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के समय में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक बात सुनिए इनके सवाल का जवाब आप मत दीजिए, वह पूरक प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ...(व्यवधान) नो, नो आप बैठ जाइए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): नहीं, मैं पहले माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। वह सुनने को ही तैयार नहीं है बैठ जाइए आप। देना हो तो दूसरे का दीजिए। अगला प्रश्न, श्री बनवारीलाल सिंघल।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको संतुष्ट तो करने दीजिए, यह क्या बात हो गयी।

श्री अध्यक्ष: यह बात हो गयी, आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नो गार्जिन। काम व्यवस्था से चलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) सब गंभीर है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं दिलवाना चाहता। मेरी व्यवस्था को नहीं मानने वाले को जवाब नहीं दिलवाऊंगा, आज कह दिया स्पष्ट सुन लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) नहीं देंगे।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं अब आप बैठिए, मंत्रीजी आप बैठिए, मैं कह रहा हूं आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज। ज्यादा एक्सपोजर मत दीजिए और ज्यादा होशियारी मत कीजिए। मेरे यहां से मैं कहूं उसका जवाब दीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: 352, श्री बनवारीलाल सिंघल।

प्रदेश में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत प्राप्त आवेदन

352. **श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? यदि हां, तो कब से व किस आदेश के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश में कितने आवेदन किस-किस जिले में प्राप्त हुए? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत अलवर जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने आवेदकों को लाभान्वित किया गया? प्राप्त व लाभान्वित आवेदकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) राज्य सरकार की वर्ष 2013 की बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान वित्त निगम द्वारा युवा उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये न्यूनतम ब्याज दर व सुलभ शर्तों पर ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु 'युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना' का विधिवत शुभारंभ 19.04.2013 को किया गया के आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

प्रारंभ में योजना के अन्तर्गत 31.3.2015 तक ऋण आवेदन आमंत्रित

(श्री गजेन्द्र सिंह)

किये गये थे, तत्पश्चात योजना में कुछ संशोधन कर योजना को सरलीकृत किया गया जिसके तहत 31.7.2015 से ऋण आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। (आदेशों की प्रति परिशिष्ट ब, स, द, य, पर संलग्न है।

(2) योजनान्तर्गत कुल 199 ऋण आवेदन निगम को प्राप्त हुए जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'र' पर संलग्न है।

(3) योजनान्तर्गत अलवर जिले में उद्योग लगाने हेतु 15 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 6 आवेदकों को लाभान्वित किया गया। प्राप्त व लाभान्वित आवेदकों की सूची परिशिष्ट 'ल' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है। सब आ जाओ। मैं बार-बार एक बात कहना चाहता हूं इस हाउस को किसी को अपने साथ लेने की जरूरत नहीं, व्यवस्था से चलेगा। बार-बार उठ कर एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और आप चाहो जैसा जवाब नहीं आएगा। मंत्रीजी को भी मैंने कह दिया कि अब जवाब देने की जरूरत नहीं। जो रेलेवेंट हो, वही जवाब दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं देने दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं ही कर रहा हूं, हितों का संरक्षण कर रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं पूरा संरक्षण कर रहा हूं, मैं डिस्टर्बिंग एलीमेंट को कोई प्रोत्साहन नहीं दूंगा, बैठ जाइए आप भी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बार-बार खड़े हो जाय, मजाक समझ रखी है विधान सभा को। ...(व्यवधान) बैठ जाइए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं सुनूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं ...(व्यवधान) जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बताया है कि योजनान्तर्गत कुल 199 ऋण आवेदन निगम को प्राप्त हुए जिनका विवरण भी आपने परिशिष्ट 'र' पर लगाया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं पूछना चाहता हूं कि पहले तो यह बता दें कि क्या इन युवा उद्यमियों को उद्यम लगाने के लिये कोई कोलेटरल सिक्योरिटी जमा कराना या कोलेटरल सिक्योरिटी लगाना अनिवार्य है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं आपके पास कुल 199 आवेदन प्राप्त हुए इनमें से आपने कितने आवेदकों को ऋण दे दिया और जिनको आपने ऋण नहीं दिया उन आवेदकों को भी क्या आप शत प्रतिशत ऋण देने की योजना रखते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। हाउस की कार्यवाही को डिस्टर्ब करके मेरा संरक्षण नहीं मिलेगा। अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): ...(व्यवधान) बचे हुए 146 एप्लीकेशन हैं ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मंत्रीजी, थोड़ा माइक के पास होकर बोलिए सुनाई नहीं पड़ रहा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, पुनः दोहराएं। आवाज सुनाई नहीं दी शोरगुल में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में लाओ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा पूरक प्रश्न का उत्तर।

श्री अध्यक्ष: मैं आर्डर में लाने की कोशिश कर रहा हूं। इनको आराम से जाने दें। इन्होंने तो यह समझ रखा है कि हाउस इन्हीं का है। यह चाहे जैसा जवाब आए ...(व्यवधान) बाहर जाइए उनके साथ।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय, पिछले प्रश्न के उत्तर में आपने मुझे पूरक प्रश्न का अवसर नहीं दिया, गायों का अनुदान तो बंद ही कांग्रेस ने किया था पिछली बार। मेरे पास दस्तावेज हैं इस बात के, अनुदान ही इन्होंने बंद किया था, यह गायों के अनुदान की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) उत्तर देकर माथे मत चढ़ाओ, आपको जितना जवाब देना है उतना ही, उसके बाद यूं, यूं, यूं, वह सुनना चाहते नहीं, बार-बार ऊंचे नीचे होकर, इनके प्रश्न में मैं हमेशा देखता हूं कि यह गलती ही निकालते हैं। यह नहीं आया, वह नहीं आया, यह चाहे जैसा जवाब नहीं हो सकता। सरकार जो जवाब देगी वह सुनना पड़ेगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, मैं पुनः पूरक प्रश्न कर लूं जो अभी मैंने किया था।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहूंगा क्योंकि इतनी आवाज, हा हुल्ला था एक बार दोबारा आप बोल दें, मैं उनका जवाब दे दूंगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): जैसा आपने बिन्दु संख्या 2 में बताया है कि योजनान्तर्गत कुल 199 ऋण आवेदन निगम को प्राप्त हुए जिनका विवरण भी आपने परिशिष्ट 'र' पर लगाया है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि जो विभाग को 199 आवेदन प्राप्त हुए उनमें से कितने युवाओं को विभाग द्वारा ऋण दे दिया गया और जिनको नहीं दिया गया उनके क्या एलीजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई कमी थी या उनके पास कोलैटरेल सिक्योरिटी नहीं थी। क्या राज्य सरकार इस युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में भी कोलैटरेल सिक्योरिटी रखती है? और रखती है तो क्यों रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में आज की तारीख तक 199 एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। इनमें 53 एप्लीकेशन पुरानी स्कीम, जिसको हमने अमेंड किया, पुरानी स्कीम के तहत, इस स्कीम का ज्यादा अच्छा रेस्पांस नहीं था उससे हमने कई चीजें चेंज की जैसे युवाओं की उम्र हमने 40 से 45 साल कर दी। जो क्वालिफिकेशन थी उसमें भी हमने थोड़ी ढील दी। उससे हमारी इस स्कीम में युवाओं को इंडस्ट्रीज लगाने के लिये बहुत अच्छे बेनिफिट मिल गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरानी स्कीम के तहत 53 एप्लीकेन आयी थीं उसमें 38 सैंक्शन हो गये और 15 रिजेक्ट हो गये। इसके अलावा जो 146 नई स्कीम के तहत आए, उसमें 126 तो स्क्रीनिंग कमेटी के पास चले गये हैं और आशा है कि शीघ्र उनका भी निपटारा किया जाएगा, 20 प्रोसेसिंग में है। जो 126 स्क्रीनिंग के लिये आये हैं, उसमें मुझे जो अभी आंकड़े प्राप्त हुए हैं,... 88 तो क्लीयर हैं और इनका सैंक्शन हो जाना चाहिए, 20 की स्क्रूटनी हो रही है और 18 रिजेक्ट हो गए हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अलवर के अन्दर कुल पंद्रह...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): रिजक्शन का कारण बता दो माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): रिजेक्शन के कई कारण होते हैं। इसके अन्दर जो भूमि का पट्टा है वो सही नहीं हो, लोन्स के अन्दर कोई कमी हो जैसे एप्लीकेशन के अन्दर उसकी क्वालीफिकेशंस जो हैं, आप बोलो तो मैं इसकी प्री-क्वालीफिकेशंस की जो रिक्वायरमेंट है वो बता देता हूं, जिसके आधार पर रिजैक्ट होते हैं या पास होते हैं। इसके अन्दर 45 साल तक की उम्र होनी चाहिए, इनकी क्वालीफिकेशन आई.टी.आई. होनी चाहिए, डिप्लोमा या ग्रेजुएट। लोन अमाउंट 5 करोड़ रूपए तक का है। फर्म अरेंजमेंट ऑफ लैण्ड होना चाहिए या इसमें एश्यारेंस होना चाहिए जैसे फादर की जमीन है या मदर की है, उसके अन्दर आपको एक डाकूमेंट मिल जाए। जब तक आपका प्रोसेस होगा आपको यह जमीन मिल जाएगी। यह नया यूनिट होना चाहिए। एग्जिस्टिंग यूनिट के अन्दर एक्सपांशन के लिए ये अलाउ नहीं करते हैं। पुरानी स्कीम में केवल डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर था, अब इसको आगे बढ़ावा देकर यू.आई.टी. एरिया, जे.डी.ए. एरिया, नेशनल हाइवेज और इम्पोर्टेंट टाउंस के अन्दर भी हमने अलाउ कर दिया है जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, होटल्स हैं, हास्पिटल्स हैं, आई.टीज हैं। अगर कोई यूनिट रैंटेड एरिया में चल रही थी किराये पर, उसमें यदि आप नई

(श्री गजेन्द्रसिंह)

यूनिट लगाना चाहें तो वो भी एक्सैप्ट कर लेते हैं। इसके अन्दर हमने एक और नॉर्म रिलेक्स किया है कि जो 50 परसेंट स्टाक होल्डर हैं उसको आई.टी.आई. डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना चाहिए, शेष लोगों के होने की इसमें जरूरत नहीं है। इन चेंजेज के साथ हमारे पास अच्छी तादाद में एप्लीकेशंस आई। जमीन इनके पास नहीं है या डिप्लोमा नहीं है और अन्य जो कारण मैंने प्री-रिक्विजिट्स बताए हैं, इस वजह से एप्लीकेशंस रिजैक्ट हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नं. 2 ।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, एक तो पहला पूरक प्रश्न अधूरा रह गया है इसको भी अगर...

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया जो आ गया, आप पूरक प्रश्न कीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से कि कोलैटरल सिक्योरिटी को भी इसमें जरूर शामिल करके बताएं। क्योंकि कोई भी बड़े उद्योगपति का बेटा आपसे इतने छोटे लोन के लिए उद्योग लगाने के लिए नहीं आएगा। किसी गरीब बेरोजगार युवक को ही ऐसे लोन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा लोन जिसमें राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मेक-इन-इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इन दोनों योजनाओं के माध्यम से देश के युवा को जाग्रत करना चाहते हैं, उसको खड़ा करना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं। कोलैटरल अगर किसी के पास नहीं होगा तो आप उसको लोन देंगे या नहीं देंगे? यह बेसिस है। आज अगर कोलैटरल किसी के पास नहीं है और आप लोन नहीं देंगे तो कैसे खड़ा करेंगे? यह मेरे पहले पूरक प्रश्न का ही जवाब आप शामिल करें।

दूसरा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आपने बताया कि अलवर में कुल 15 आवेदन आपको प्राप्त हुए, जिनमें से 6 को आपने लोन दिया, यानी आप 40 परसेंट पर हैं। शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में या जितने आवेदक आपके पास आएं, उनका आवेदन के समय पर ही चैक करके रिजेक्शन कर दें कि आप इस कारण से आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। व्यक्ति आपके पास आए, आपको आवेदन दे, लंबे समय तक उसको जांच-प्रक्रिया में रखें, वह इतने दिनों तक सपने संजोकर रखे और आप उसको साल-दो साल बाद बताएं

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

कि आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। इतने दिनों में उसकी बेरोजगारी और खराब हालत में पहुंच जाएगी। तो, मैं यह चाहता हूं एक ऐसा सिंगल विण्डो सिस्टम, जिस तरह का देश के प्रधानमंत्री और हमारी मुख्यमंत्री चाहती हैं किया जाए। आपके डिपार्टमेंट का आदमी बैठे। जो उनके फार्म को चैक करके एलीजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताए आपका फार्म कम्पलीट है या इनकम्पलीट है। अगर इनकम्पलीट है तो उसको पूरा करे। नहीं है, तो रिजैक्ट करे अगर उसकी एलीजिबिलिटी नहीं है तो। इसके बाद कोलैटरल सिक्योरिटी उसकी नहीं हो।

तीसरा, मैं पूछना चाहता हूं इसी दूसरे में, 15 आवेदन आपको मिले, कुछ 6 को आपने लोन दिया। 60 परसेंट को लोन नहीं दिया तो, इन 60 परसेंट लोगों को क्या आप राजस्थान और अलवर जिले के युवा शत प्रतिशत आवेदकों को लोन देकर उनके उद्योग को लगवाने की इच्छा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: बिराजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो बिना कोलैटरल के लोन दे। उसमें चाहे जमीन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे प्लांट मशीनरी हो, फाइनेंशियल वर्ड के अन्दर कहीं भी नहीं है कि आपको..

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्री जी, मैं एक्स्ट्रा कोलैटरल की बात कर रहा हूं। उद्योग से अतिरिक्त कोलैटरल की बात कर रहा हूं। आप घर, दुकान, मकान नहीं लगवाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय, बैठिए। जवाब आ रहा है, उसको सुन लीजिए और कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इनसे अलग से मिल लीजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां आपकी जमीन, लैण्ड, बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी रिस्क कवर नहीं करती है तो उसमें कोलैटरल की जरूरत पड़ती है। यह फाइनेंशियल वर्ड बैंकिंग सिस्टम का नियम है, उससे अलग जाकर हम नहीं कर सकते। हम इतनी भारी इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी को इतना आसान बना रहे हैं। मैं सोचता हूं, यही एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं हमारे युवा उद्यमी को।

माननीय सदस्य ने अलवर जिले के बारे में बात की थी। मैं उनको

(श्री गजेन्द्रसिंह)

आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं पंद्रह एप्लीकेशन हमारे आर.एफ.सी. को प्राप्त हुए, छह सैंक्शन हो गए। इसके अन्दर 3.62 करोड़ का अमाउंट सैंक्शन हुआ, तीन अभी पैंडिंग हैं और छह रिजैक्ट हुए। यह जो छह रिजैक्ट हुए इसमें के.जी. एंटरप्राइजेज खुशखेड़ा – इसका टाइटल डाकूमेंट नहीं था और ए-वन फूड इंडस्ट्रीज, नीमराना। इन दोनों के टाइटल डाकूमेंट नहीं थे। यह अलवर जिले की ही बात चल रही है। एलाइसन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड - इसका भी टाइटल डाकूमेंट और जमीन के कागजात नहीं थे। इसके अलावा प्रभा मिनरल्स जो एम.आई.ए. अलवर के अन्दर है, इन्होंने कोलैटरल सिक्योरिटी जमा नहीं की थी। लाड़ीदेवी प्लास्टिक, थानागाजी ये रेस्ट्रिक्टिव लिस्ट में थे। जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, पेस्टीसाइड्स का है, शराब से रिलेटेड है जो कि बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव यूनिट्स हैं। वो रेस्ट्रिक्टिव लिस्ट में आने के कारण रिजेक्ट हो गए और अंत में छठा गैलेक्सी गेस्ट हाउस, क्योंकि यह रेजीडेंशियल है, होटल नहीं था, यह रिजैक्ट हुआ। इन छह के मैंने कारण बता दिए कि किस कारण रिजैक्ट हुए? माननीय सदस्य को मैं यह अवगत कराना चाहूंगा कि अलवर के अन्दर रीको में प्रिफेंशियल अलाटमेंट है। हमने युवाओं को जो कि उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए एम.आइ.ए. के अन्दर 22 प्लाट्स रिजर्व्ड हैं। एग्रो फूड पार्क के अन्दर भी 16 प्लाट्स स्पेशियली रिजर्व्ड फॉर युवा इण्डस्ट्रियलिस्ट।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सिर्फ एक शब्द पूछना चाहता हूं साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, ये नहीं चल सकता। श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो पंद्रह एप्लीकेशन थीं उनमें से छह को आपने इस योजना का फायदा देने के लिए चयनित किया है। उनमें अलवर जिले की कितनी हैं? क्या किसान जिसकी भूमि जाती है उसके बेटों को भी रोजगार देने की इसमें कोई योजना है, उद्योग लगाने की? उसके लिए सरकार क्या प्लानिंग बना रही है? उसके बारे में अवगत कराएं।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, छह जो अप्रूव हुए हैं

(श्री गजेन्द्रसिंह)

उनमें एनरजाइज सोल्यूशन खुशखेड़ा, स्वास्तिक ट्यूब इंडस्ट्रीज चौपानकी, इनोवेटिव ब्रेंस इंडस्ट्रीज चौपानकी, रतन ऑटो इंडस्ट्रीज खुशखेड़ा, नवजीवन रैमेडीज भिवाड़ी, नीमराना इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड नीमराना, एन.डी.एम. इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड कोरानी, नितिन एंटरप्राइजेज एम.ई.ए. अलवर, अग्रवाल फूड्स एम.ई.ए., अलवर। इन छह को लोन की स्वीकृति मिली है। माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि कोई भी किसान है या कोई भी नागरिक है। हमारी कई पालिसीज हैं, हमारी रिप्स की पालिसीज हैं जिसके अन्दर कई सब्सिडीज मिलती हैं और रिप्स की 2014 की पुस्तिका मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। किसान कोई भी लगाना चाहेगा, इंडस्ट्रीज के अलग-अलग सैक्टर्स हैं। उसके अन्दर बहुत-बहुत लाभ मिलता है।

श्री अध्यक्ष: सबको दे दीजिए। दूसरा पूरक प्रश्न। श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मात्र इतना जानना चाहता हूं कि यह योजना इसी सरकार ने शुरू की है या पूववर्ती सरकार से शुरू थी? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं आपने कहा कि हम इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस योजना के तहत जो इंटरेस्ट सब्सिडी आप दे रहे हैं, वो कितनी है? यानी पांच करोड़ के लोन पर आप कितना ब्याज लेंगे?

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो छह प्रतिशत है।

श्री अध्यक्ष: श्री चंद्रभान सिंह। तीसरा।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश के युवा उद्यमियों को पनपाना चाह रहे हैं। हमारे चित्तौड़गढ़ में भी नए उद्योग काफी हैं। उन इंडस्ट्रीज की जमीन नहीं है। उन नए उद्योगों को जमीन के लिए और नए उद्योग खोलने के लिए आप कोई सब्सिडी या ऐसा कोई प्रोत्साहन करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से पहले ही बोला था कि हमारे जितने भी बेनिफिट्स हैं, इसके अन्दर इन्टरेस्ट सब्सिड़ी बता दी, आपके भामाशाह रोजगार सजृन योजना है, इसके

(श्री गजेन्द्रसिंह)

तहत आपको भी, इन्टरेस्ट सब्सिड़ी 4 परसेंट की मिलती है। पीएमईजीपी गवर्नमेंट आफ इण्डिया की स्कीम है इसमें मार्जिन मनी का रिफण्ड मिल जाता है, शहरों में 15 प्रतिशत, गांवों के अन्दर उसमें 25 परसेंट मिल जाता है। इसके तहत रीको के इण्डस्ट्रियल एरिया हर जिले में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कोई भी उद्योगपति इन्टरेस्ट बताए और वहां पर आस पास इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तो हम जरूर उद्योग लगाने में मदद करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हनुमान बेनीवाल।

जयपुर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दर्ज भ्रष्टाचार के प्रकरण

353. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रकरण जांच हेतु लम्बित हैं? यदि हां तो कब से व कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में जांच की क्या प्रगति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित 9 प्रकरण जांच हेतु लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट क में अंकित है।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में जे.डी.ए. से सम्बन्धित लम्बित 9 प्रकरणों की प्रगति संलग्न परिशिष्ट क के कालम नम्बर 3 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक, हनुमानजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक साथ ही पूछ लूं या अलग-अलग?

श्री अध्यक्ष: एक पहले पूछ लो, उसका जवाब आ जाए फिर दूसरा पूछ लो। यह व्यवस्था है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मुझे जो विवरण दिया है क्रम संख्या 1 से 4 व 6 से 9, इसके अन्दर नाम, उपमान और क्या मामले हैं, एक तो इसका विवरण नहीं है। दूसरा, 74/70, तारांकित प्रश्न

(श्री हनुमान बेनीवाल)

1901 , जिसके अन्दर आपने कहा कि 2014 के अन्दर जे.डी.ए. का कोई मामला लम्बित नहीं है। इसी में आप यह बता रहे हो कि 2014 में जे.डी.ए. में दो मामले लंबित है। घुमा फिराकर विभाग जो जवाब देता है, चौथे सत्र में 2014 के अन्दर तो दे रहा है कि कोई प्रकरण दर्ज नहीं है और अब यह दे रहा है कि 2014 के अन्दर दो प्रकरण दर्ज है। मैंने पूछा क्रम संख्या 1 से 4 और 6 से 9, इनके नाम अनुमान और क्या मामले हैं इसके अन्दर मंत्री जी कृपया बताएं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जे.डी.ए. में कुल, सारा ही मैं पहले भी एक प्रश्न के जवाब में दे चुका है। वर्ष 2003 से अब तक कुल 49 प्रकरण दर्ज हुए हैं। उनमें से 25 में चालान हो गया, 5 में एफ. आर. लग गयी और जो 9 मैं अभी आपको कह रहा हूं यह पैंडिंग है। पैंडिंग इन्वेस्टीगेशन में उसके बारे में डिटेल चर्चा करना यहां उचित नहीं है। पैंडिंग है और वह सूची मैंने आपको दी है। अगर आपके मन में यह हो कि किन के बारे में है, तो भले ही वह मैं बता सकता हूं। पहला प्रकरण पैंडिंग है श्री महेश कुमार वरिष्ठ उद्यान विज्ञान, जयपुर विकास प्राधिकरण। 2. राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन उपायुक्त जोन प्रथम, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। 3. नरेन्द्र मोहन, तत्कालीन उपायुक्त जोन पांच, जयपुर विकास प्राधिकरण। 4. निरंजन कुमार, तत्कालीन उपायुक्त, जोन लालकोठी, जयपुर विकास प्राधिकरण। 5. गुरूदयाल सिंह संधु, तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर, आल सेवानिवृत्त। 6. गिर्राज अग्रवाल, तत्कालीन उपायुक्त जोन प्रथम, जयपुर विकास प्राधिकरण। 7. श्रीमती मंजू जैन, पत्नी श्री राजकुमार जैन, तत्कालीन सम्पादक, दैनिक करंट ज्वाला। 8. श्रीमती मंजू जैन, पत्नी श्री राजकुमार जैन, तत्कालीन सम्पादक, दैनिक करंट ज्वाला। 9. राहुल पारीक, तहसीलदार जोन 18, जयपुर विकास प्राधिकरण। इनके केस अभी पैंडिंग है। बाकी जो 49 प्रकरण हैं उसमें से 25 में चालान किया है, यह कोई सामान्य बात नहीं है, 49 प्रकरण में से 25 में चालान होना, 5 में एफ.आर. लगना, और कब से, 2003 से अब तक दर्ज हुए हैं उनमें से। बाकी यह 9 प्रकरण आज भी पैंडिंग हैं। इनका भी इन्वेस्टीगेशन जारी है और उसके कारण से यह पैंडिंग है। जैसे-जैसे अन्वेषण पूरा होगा उससे होगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक बहुत गम्भीर प्रकरण है, क्रम संख्या 5 पर, जिसकी गूंज पूरे देश के अन्दर रही थी। गिरफ्तारियां भी हो गयीं आरोपी शेलेन्द्र गर्ग, एकल पट्टे का प्रकरण था, निष्काम दिवाकर, इन लोगों के खिलाफ न्यायाल में चालान पेश किया गया। इसके अन्दर तत्कालीन यू.डी.एच. के प्रिंसिपल सैक्रेटरी संधु थे, वह बेल लेने गए, बीच में सुना कि विदेश भाग गए। पूर्व मंत्री शांती धारीवाल का भी नाम आया। वह पूरी रैली लेकर ए.सी.बी. कार्यालय पहुंचे। तो कहीं रैली के डर से आपने उनको निकाल दिया, उनकी और संधु की जांच जारी है, वह आरोपी है या नहीं है यह पूरा राजस्थान जानना चाहता है। संधु और धारीवाल को क्या सरकार ने माफ कर दिया या सिंधु और धारीवाल के खिलाफ सरकार कार्यवाही करना चाहती है। यदि चाहती है तो कब तक, 2018 से पहले या 2018 के चुनाव के दौरान। मंत्रीजी क्या है आपका, यह पूरा राजस्थान जानना चाहता है। इतना हाई लेवल का घोटाला और मंत्री का, इसमें तो मुख्यमंत्री तक के नाम आए थे, दिल्ली तक के नाम आए थे। ब्यूरोक्रेसी का इतना बड़ा, जिसमें संधु का नाम आया। एक मामले में आप निश्चित रूप से इनको गिरफ्तार करके अगर चालान करने की मंशा रखते हैं तो निश्चित रूप से बड़े अधिकारी और बड़े नेता दुबारा भ्रष्टाचार करने से पहले हजार बार सोचेंगे कि वही हाल होगा जो धारीवाल और संधु का हुआ। आप इसमें हमें क्लियर बता दें, आपने उनको माफ करने की ठान ली, तो वह बता दें। आप उनका चालान करोगे, उन दोनों को आरोपित मान रहे हो, वह हाई कोर्ट में गए, विदेश भाग गए, ए.सी.बी. में रैली लेकर गए, बड़ा प्रदर्शन किया कि हिम्मत हो तो....

श्री अध्यक्ष: यह कह चुके आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। पूछने वाले कौन हैं, मैं ही तो हूं, यहां इधर।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, पूछिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से, सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि शांति धारीवाल और संधु के खिलाफ, उनको आप आरोपित मानकर चालान करोगे, उनको गिरफ्तार करोगे या उनको क्लीन चिट दोगे यह बताइये मुझे।

श्री अध्यक्ष: बिराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन को, सभी माननीय सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए ए.सी.बी. को, इतना संगीन केस ढूंढा, बनाया और उसकी तफ्तीश करके दो लोगों को गिरफ्तार किया। उसके आगे की प्रक्रिया में, जिनकी गिरफ्तारी की थी वह उससे बचते रहे, बाद में उन्होंने हाई कोर्ट से अपनी फिलहाल बेल ले ली। टेम्परेरी बेल उनको कुछ दिन के लिए मिली। उसमें उनको यहां बुलाया, उनका पूरा इन्वेस्टीगेशन हुआ। इन्वेस्टीगेशन के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। शांती धारीवालजी को भी स्वयं को बुलाया। उनके बारे में जो ए.सी.बी. को जानकारी लेनी थी वह जानकारी ली लेकिन जब तक केस पूरा एक दूसरे से को-रिलेट नहीं होगा तब तक किसी पर कार्यवाही करना सम्भव नहीं होगा। आपने देखा होगा कि शेलेन्द्र गर्ग के साथ-साथ दिवाकर को, जो इतने लंबे समय तक अन्दर रहा, उसके हाथ से वह फाइल चली जहां-जहां, इस बात का धन्यवाद देना तो कहीं गया, उसको आप और कटघरे में खड़ा कर रहे हो, जिस आदमी ने इतनी हिम्मत की कि इतना बड़ा केस, जो केस बिलकुल सही है, जो सिंगल पट्टा है वह बन ही नहीं सकता। कानूनी अधिकार ही नहीं है किसी भी कोपरेटिव सोसाइटी के द्वारा बांटे हुए पट्टों को, उसमें जिस प्रकार की हेराफेरी की, इसी कारण तो बना है। अगर वह भागते फिरे तो कोई आनंद थोड़े लिया उन्होंने। उनको भी कुछ तकलीफ तो हुई होगी ना। लगातार पुलिस उनके पीछे भागे जा रही है, तो इसका मतलब कुछ करने की मंशा है इसीलिए किया। आश्वस्त करता हूं कि केस में चाहे मैं हूं, चाहे शांती धारीवाल हो, चाहे कोई भी हो, इसमें जो नियमों के तहत, जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही सौ परसेंट करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री जोगाराम पटेल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आ गया जवाब।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं पूरक नहीं पूछ रहा हूं। मैं इतना सा मंत्रीजी, उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं। जिन्होंने जांच की, उनको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अब जवाब आ गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने छोटे आर. ए. एस. को पकड़ लिया, यू. डी. सी. को पकड़ लिया, शेलेन्द्र गर्ग को पकड़ लिया।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर बेनीवाल, आप बैठिए, जवाब आ गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब आप, पूर्व मंत्री है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, यह पूछ रहा था। यह थोड़े ही कहा मैंने कि जांच गलत हुई है।

श्री अध्यक्ष: कार्यवाही चल रही है, आप बैठिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इतना आश्वासन चाहते हैं हम आपसे।

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। आश्वासन दे दिया। कार्यवाही होगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अनुसंधान की डिटेल यहां बताना केस के लिए उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सम्भव नहीं है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं अपनी सीमाओं में रहकर आपको बता रहा हूं और अभी तक जिस प्रकार का इन्वेस्टीगेशन करना है, वह निरन्तर उसमें लगे हुए हैं। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही किसी पर हाथ डालना, ना डालना, यह अनुसंधान के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन इतनी कोशिश की है, इतना संगीन केस बनाकर पकड़ा है, मैं सोचता हूं ए.सी.बी. को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम उन्होंने इतनी हिम्मत तो की है, इस प्रकार का केस बनाने का।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2011-2013 व उसके बाद के केसेज पैंडिंग है। इन पुराने पैंडिंग केसेज का डिस्पोजल, अनुसंधान पूर्ण होकर, अनुसंधान में चाहे जो भी दोषी पाया जाए, इनका कब तक निस्तारण होने की सम्भावना है। क्योंकि काफी लम्बे समय से इनकी पैंडेंसी है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एकदम इतना कहना तो मुश्किल है कि केवल ये 9 केस पैंडिंग हैं। मैंने कहा कि 39 केसेज में से केवल 9 केस पैंडिंग हैं और 2003 से ले करके आज तक के हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने हैं, जो निस्तारण हो सकते थे, अगर आप इसकी डिटेल भी चाहें तो हमने प्रयत्न किया है, जो 2009 से ले करके 2013 तक के पैंडिंग केस थे, पंजीकृत हुए 15,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसमें से पिछली सरकार ने केवल 7 का निस्तारण किया। हम लोगों ने आने के बाद, हमें 10 केस मिले, 10 में से 9 केसेज का निस्तारण किया। हमने पुरानी पैंडेंसी को भी निकाला और आज की तारीख में हम पैंडेंसी को 9 पर लाये हैं। वह भी 2011 से लेकर के अब तक के कुछ केस पैंडिंग हैं। मैं आश्वस्त करता हूं, इसमें से 3-4 केस तो ऐसे हैं जो शायद महीने-दो महीने में ही जिनका चालान पेश हो जायेगा। हर एक केस के बारे में नहीं कह सकता हूं कि इसका कल चालान होगा या नहीं होगा। लेकिन जो जांच हुई है और जिन केसेज की मैंने डिटेल देखी है, आप चाहें तो मैं प्रत्येक केस की भी डिटेल लेकर आया हूं, 9 केस, जो पैंडिंग हैं, अब तक इसमें क्या जांच हुई है, मैं आधी-अधूरी जानकारी लेकर नहीं आता हूं। पूरी जानकारी ले करके आया हूं। इसमें कुछ केस ऐसे हैं जिनके एक महीने में, कुछ केस ऐसे हैं जिनके दो महीने में चालान हो जाएंगे। निश्चित रूप से हर केस को निपटायेंगे और आपके माध्यम से प्रदेश को आश्वस्त करता हूं कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई कितना भी बड़ा हो, उसके विरुद्ध कार्यवाही पूरी ताकत के साथ जरूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो, श्री फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, मैं भी यही जानना चाहता था कि इस प्रकार के जो...

श्री अध्यक्ष: बस, तो विराजिये। आ गया, जवाब आ गया आपका।

श्रीमती अलका सिंह, तीसरा।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मैं भी यही जानना चाह रही थी, लेकिन इसमें कुछ मैक्सिमम टाइम तो फिक्स करें, मंत्रीजी, क्योंकि लोग रिटायर हो जाते हैं और जांचें चलती रहती हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया, चलो, वह आप अलग से पूछ लेना।

अगला प्रश्न, श्री हीरालाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री हीरालाल (निवाई): प्रश्न संख्या 354.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ मंत्रीजी से एक सैकिण्ड ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो। अंकित नहीं हो और जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, गुलाबजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, नो। श्री हीरालाल। ...(व्यवधान)

निवाई बाई-पास पर सदर थाने की स्थापना

354. **श्री हीरालाल** (निवाई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार निवाई विधान सभा क्षेत्र के निवाई शहर व राजमार्ग पर बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर निवाई शहर से बाहर बाई-पास पर सदर थाना सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): अध्यक्ष महोदय, निवाई विधान सभा क्षेत्र के निवाई शहर में पहले से ही थाना संचालित है। निवाई बाई-पास पर सदर थाना खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डा. परमेश चन्द्र, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित राज्य उच्च स्तरीय समिति की पुलिस थाना/चौकियों के पुनर्गठन/सृजन के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अनुशंसा प्राप्त हुई है। क्षेत्र की आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा क्षेत्र निवाई में नवीन थाना खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। आ गया जवाब, इसके आगे क्या पूरक प्रश्न होगा।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में वैसे परमेश्वर चन्द्रजी की कमेटी ने भी माना है कि नगरपालिका क्षेत्र में एक थाना होना चाहिये। उन्होंने भी सिफारिश मानी है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि मेरे पास आंकड़े हैं, 2013 के, डकैती, लूट, हत्या, अपहरण, व्यपरण, नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी, बलात्कार, बलवा, अन्य भारतीय दण्ड संहिता, स्थानीय एवं विशेष, टोटल 1200 केस 2013 के हैं, 2014 के 1429 हैं, 2015 के 1227 हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया। लेकिन वे संसाधनों की बात करते हैं तो इसका मतलब ये अपराध होते रहें, थाना नहीं खुले। जब परमेश्वर चन्द्रजी ने मान लिया कि नगर पालिका निवाई

(श्री हीरालाल)

में एक थाना होना चाहिये, दूसरा खुलना चाहिये। तो मेरा यह निवेदन है कि थाना खुलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी, जब परमेश्वर ने मान लिया तो आप मना करने वाले कौन हो?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): परमेश्वर ने मान लिया तो अपन तो मानेंगे ही।

श्री हीरालाल (निवाई): नहीं, कमेटी के लिये कहा, साहब।

श्री अध्यक्ष: परमेश्वर के पुजारीजी हैं, इसलिये आपसे सिफारिश कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब जितना परमेश्वर को वे समझते हैं, उतना मैंने नहीं समझा अभी तक।

इसमें जो मुख्य-मुख्य रिकमण्डेशंस की हैं, वे सारे सदन के लिये भी एक तरह से मापदण्ड बनेगा, जिसके आधार पर आगे के गठन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। एक, किसी भी पुलिस थाने का क्षेत्र सम्बन्धित तहसील के अन्तर्गत ही होगा, न कि एक से अधिक तहसीलों में, यह रिकमण्डेशंस हैं उनकी, जिनके आधार पर थानों का पुनर्गठन कर रहे हैं। दो, किसी भी तहसील में एक से अधिक थाने हो सकते हैं और उस स्थिति में उन सभी थानों का क्षेत्र उस तहसील के अन्दर ही रहेगा। तीसरा, तहसील और उप तहसील मुख्यालयों पर थाना होना चाहिये। यह उनकी रिकमण्डेशन है। तहसील और उप तहसील स्तर पर थाना होना चाहिये, ऐसी उनकी रिकमण्डेशन है। अगला, ग्रामीण क्षेत्र के थानों में कोई शहरी क्षेत्र नहीं होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र का है वह ग्रामीण और जो शहर में है, शहर। प्रत्येक थाने के क्षेत्र में पड़ने वाली पंचायतों का पूरा क्षेत्र उसी थाने में रहेगा। एक पंचायत तीन थानों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, उसके गांव नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एक पंचायत का क्षेत्र एक से अधिक थानों में हो। शहरी क्षेत्र के थानों में, यथा सम्भव ग्रामीण क्षेत्र नहीं होगा। यदि विशेष कारण से और छोटी नगरपालिका क्षेत्र में ऐसा करना उचित नहीं हो तो उस थाने में पूरा शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की पूरी ग्राम पंचायतें, अगर एरिया पूरा नहीं आ रहा है तो पूरी की पूरी पंचायतें उस थाने के अन्तर्गत होंगी। अगला, नवीन थानों का सृजन, आवश्यकतानुसार वर्तमान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चौकी को क्रमोन्नत किया जाना उचित रहेगा। जो पहले से ही चौकी है, अगर आवश्यक होगा तो उसको प्राथमिकता देते हुए थाना बनाया जाएं। किसी भी थाने की पुलिस चौकी के लिये भी यह ध्यान रखा जाए कि उस चौकी के क्षेत्राधिकार में पूर्ण ग्राम पंचायतें आएं। स्थाई पुलिस चौकी परम आवश्यक कारणों से ही स्थापित की जाए। अस्थाई पुलिस चौकी का उनका रहा है, जब भी हो स्थाई चौकी, किन्हीं विशेष कारणों से हो।

तो, इन रिकमण्डेशंस को ध्यान में रख करके ही हमने किया है। वैसे आप अपने तर्क के आधार पर जो कहना चाह रहे हैं, है, हमारे पास सारी रिपोर्ट है लेकिन प्रति थाना जो औसत राजस्थान में जनसंख्या आती है वह 81926 की एवरेज है। पूरे टोंक जिले का एवरेज आ रहा है, 64605 की आबादी आ रही है। स्टेट की आबादी 81 हजार है, आपकी 64 हजार की है। राज्य में प्रति थाना अपराध 304 आ रहा है, आपके टोंक जिले का 254 है। उसमें आपका, निवाई का थाना जरूर 306 है, जो हमारी स्टेट एवरेज 304 है, उससे 2 अधिक है। आपकी बात समझ में आ रही है। इस कारण से, एक बार उनकी रिकमण्डेशन के आधार पर हमें कहां-कहां खोलने की आवश्यकता महसूस हो रही है, उसको देखने के बाद, फिर सरकार से हमें जितनी सहायता राशि मिलेगी, जितना पैसा मिलेगा, जितना बजट मिलेगा, उतना ही हम खोल पाएंगे।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त जवाब आ गया।

श्री हीरालाल (निवाई): एक मिनट लूंगा, साहब।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट लीजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): अभी मंत्री महोदय ने अपने नार्म्स की बात कही। मैं, जहां लोग मर रहे हैं, अब दुर्घटनाओं के आंकड़े दे रहा हूं, 2013 में 144, जिनमें 61 मर गये और 196 घायल हो गये, 2014 में 193 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 98 मर गये और 293 घायल हो गये। इसी तरह 2015 में 150 प्रकरण दर्ज हुए, उनमें 57 की मौत हो गयी और 223 घायल हुए। इस तरह से फरवरी तक 18 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 8 की मौत हो गयी और 31 घायल हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि

(श्री हीरालाल)

आपने बताया, ठीक है, मैं इनसे सहमत हूं, गृह मंत्रीजी ने बताया, लेकिन मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि यह जयपुर जिले के नजदीक है, सवाई माधोपुर जिले के नजदीक है, घटना कारित करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदर थाना मेरे निवाई में होना चाहिये। जब माननीय परमेश्वर चन्द्र की कमेटी ने इसको एक तरह से सैद्धान्तिक माना है, दूसरा, मेरे यहां तीन बीघा जमीन भी आबंटित हो गई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करुंगा, करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे निवाई विधान सभा क्षेत्र में सदर थाना खोलने की कृपा करें। संसाधन नहीं हैं तो अगले बजट में खोलें। कुछ तो आश्वासन दें, माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सवाल करबद्ध प्रार्थना का नहीं है। यह मेरी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में जहां-जहां इसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए। उसके लिये मुझे जो बजट लेना है, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन पूर्ति तभी कर पाऊंगा, जब मुझे बजट मिलेगा। आपका थाना भी, जो लम्बी सूची अब तक बनी है, उसमें है। क्योंकि आपके शहर की 50600 की आबादी है और पिछले साल 744 अपराध थे। इस बार ये घटे जरूर हैं, 556 अपराध हैं। लेकिन फिर भी सारी बात कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, जितने संसाधन हमें उपलब्ध होंगे उतनी हम पूर्ति करने का प्रयास करेंगे।

श्री हीरालाल (निवाई): कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गया ना।

श्री हीरालाल (निवाई): कमेटी की रिपोर्ट, माननीय अध्यक्ष महोदय, कब तक आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 355

श्री धीरज गुर्जर

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

श्री तरूण राय कागा

चौहटन में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का क्रमोन्नयन

356. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कब तक?

(2) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यकाल पूर्ण होने पर उन्हें पेंशन के रूप में अंशदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विभाग में महिला कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: जवाब सुन लें आप।

(12.00 बजे)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। उनको भेज देना आप प्रश्न का उत्तर।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): पूरा पढ़ देती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं। हो गया। व्यवस्था।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सूचना देना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर आप आज्ञा दें?

श्री अध्यक्ष: हां, सूचना दीजिए। हां।

सूचना

विधान सभा सदस्य क्लब की खेलकूद गतिविधियां

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सर्कुलर दिनांक 18.03 के मार्फत 21 मैम्बर्स की आपने, सदस्यों की सदस्य क्लब की कमेटी घोषित की और इसके जो मुख्य संरक्षक महामहिम गवर्नर साहब, संरक्षक- आप और माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं और, 22.03 को दोपहर साढ़े तीन

(श्री गजेन्द्रसिंह)

बजे माननीय उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में इस कमेटी की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अन्दर हमने यह निर्णय लिया कि हर विधान सभा का जो हमारा बजट सैशन आता है, उसके अन्दर थोड़ी-सी खेल-कूद की प्रतियोगिता हो, क्रिकेट मेन गेम हम खेलते थे और यह हर साल एक रिवाज रहा है विधान सभा का।

पिछले साल जब क्रिकेट के मैचेज हुए तो मैंने यह पाया कि कई लोग नहीं खेल पाये क्योंकि एक टीम के अन्दर 11 ही लोग होते हैं तो उस मीटिंग में मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय से यह प्रपोज किया कि हम तीन स्पोर्ट्स को ले लें। हम क्रिकेट को ले लें, बैडमिन्टन को ले लें और टेबल टेनिस को ले लें और हम थोड़ा इसको broad-base करें। इस टूर्नामेंट को हम चार दिन तक करें और इसके अन्दर विधान सभा का आपका जो स्टाफ है, एम.एल.एज. हैं, इसके अन्दर जो पत्रकार हैं, आई.ए.एस. आफिसर्स हैं, डाक्टर्स हैं, इनकी टीम्स बनें।

श्री हीरालाल (निवाई): आ गये क्या? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हीरालालजी, बैठिए। हीरालालजी, बैठिए। हां।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): और इन टीम्स के अन्दर कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर विधान सभा की चार-पांच भी टीम्स बनती हैं तो पूरा परपज है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह कैसे बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय? ...(व्यवधान) क्या यह आपकी अनुमति से बोल रहे हैं क्या? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक भी शब्द अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नियमों में प्रस्ताव लेकर आओ। नियमों में प्रस्ताव लेकर आओ। ...(व्यवधान) खड़े होकर बोलना चालू कर दिया इन्होंने। यह नियमों में प्रस्ताव लेकर आएं। यह स्थगन लगायें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री, यह रिकार्ड पर नहीं आ रहा है। यह इनके ...(व्यवधान) यह प्रक्रिया के खिलाफ है। ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही को ...(व्यवधान) इनका एक भी शब्द अंकित नहीं हो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: बिलकुल अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी का आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। एक शब्द भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: इस तरह से सदन नहीं चल सकता। आप दादागीरी से इस सदन को अपना नहीं मान सकते। बिलकुल अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। बिलकुल जवाब देने की जरूरत नहीं है। अंकित नहीं हो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। नो। इनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं कोई कोग्निजेंस नहीं ले रहा हूं और न ही सदन में कोई कोग्निजेंस लिया जा रहा है। ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

(सदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: इनका यह करने का तय है। यह हाय-हाय कर रहे हैं, यह किसकी कर रहे हैं, इन से पूछ लो? क्या हाय-हाय कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं?

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: कुछ माननीय सदस्यों के अधिकार में नहीं जाने दूंगा सदन को। निश्चित रूप से ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं। इनको पहले चुप कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, मैं नहीं बोलने दूंगा अभी आपको। मैं नहीं बोलने दूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, मेरी प्रक्रिया चल रही है। मैं नहीं बोलने दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं बोलने दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था से चलाने के लिए। व्यवस्था से चलाने के लिए।

(सदन कूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

सदन व्यवस्था से चलाने के लिए है। इधर का एक शब्द अंकित नहीं हो। व्यवस्था से चलाने के लिए। एक भी शब्द अंकित नहीं हो। शोकाभिव्यक्ति।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): शोकाभिव्यक्ति है, शोकाभिव्यक्ति। शोकाभिव्यक्ति पर तो देखो, शोकाभिव्यक्ति। शर्म करो, शोकाभिव्यक्ति है। शोकाभिव्यक्ति पर तो शर्म करो। ...(व्यवधान)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

हरिसिंह, श्री, पूर्व सदस्य

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हरिसिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

(श्री अध्यक्ष)

पूर्व सदस्य श्री हरिसिंह का जन्म 03 जुलाई, 1941 को महुवा तहसील के खेड़ला बुजुर्ग ग्राम में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. एवं विशारद की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री हरिसिंह सातवीं, नौवीं दसवीं एवं ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में महुवा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, पुस्तकालय समिति, गृह समिति, प्राक्कलन समिति 'क' तथा कार्य सलाहकार समिति के सदस्य रहे। आप ग्यारहवीं विधान सभा में मार्च, 1999 से दिसम्बर, 2003 तक सरकारी मुख्य सचेतक रहे।

श्री हरिसिंह अपने सार्वजिनक जीवन में वर्ष 1978 से 1980 तक ग्राम पंचायत खेड़ला बुजुर्ग के सरपंच तथा वर्ष 1988 से 1990 तक महुवा पंचायत समिति के प्रधान रहे। आप राजस्थान भूमि विकास बैंक, सवाईमाधोपुर के अध्यक्ष तथा तेंदुपत्ता सलाहकार समिति, राजस्थान डाक-तार समिति एवं राजस्थान दूरसंचार समिति के सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले श्री हरिसिंह दहेज, मृत्यु-भोज तथा बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रयासरत रहे। पत्रकारिता में रुचि रखने वाले श्री हरिसिंह ने साप्ताहिक 'वज्रपात' का सम्पादन भी किया।

श्री हरिसिंह का दिनांक 23 मार्च, 2016 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री हरिसिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तद्नन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

माननीय खेल मंत्रीजी, आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं? आप सुनिए। ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: सुनिए। मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: बहुत गम्भीर मामला है, व्यवस्था के हिसाब से चलेगा, इस तरह हंगामा करने से नहीं। अंकित नहीं होगा। ये हंगामा करने की आदत में हैं। ...(व्यवधान) नहीं, कोई महत्त्वपूर्ण नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री ललित कुमार (किशनगंज): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप तो यह सारा आपका जो मैटर है, यह आप सचिवालय में दे दीजिए, बुलेटिन में चला जाएगा, सबको इन्फार्मेशन यह दे देंगे, आप इनको दे दीजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): ठीक है।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। बैठ जाओ। बैठ जाओ। ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारेबाजी)

एक भी शब्द इधर का अंकित नहीं हो। ...(भारी शोरगुल एवं व्यवधान) +++

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल एवं नारेबाजी)

+++

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. महाराज रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा उत्तराधिकारियों को हथियार के लिए दिये जाने वाले लाइसेंस नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में अनुसूचित जाति व जनजाति की बालिकाओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सी एच सी व पी एच सी पर महिला चिकित्सक पदस्थापित करने एवं फोगिंग मशीन उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल एवं नारेबाजी)

इधर का एक भी शब्द अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

4. श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से राज्य में लॉ एण्ड आर्डर की विषम स्थिति पर चर्चा के सम्बन्ध में।
5. श्री रमेश, सदस्य की ओर से जे.डी.ए. द्वारा द्रव्यवती नदी के विकास हेतु दो हजार करोड़ से अधिक का प्रोजैक्ट टेण्डर की शर्तों की पालना किये बिना एक कम्पनी को जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

अंकित नहीं हो इधर का एक भी शब्द।

6. श्रीमती गीता वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिकराय में चिकित्सालयों में रिक्त पदों व सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
7. श्री अशोक, सदस्य की ओर से प्रदेश में सहकारी समितियों के अधिकारों में की जा रही कटौती से किसानों को होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में।
8. श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में डोडा-पोस्त बंद करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के सीनियर सैकण्डरी स्कूल माउण्डा की नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

अंकित नहीं हो एक भी शब्द। (व्यवधान)

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती गीता वर्मा, श्री अशोक, श्री भंवरसिंह एवं श्री पूरणमल सैनी को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

+++

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

+++(व्यवधान)....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

+++

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य: +++

श्री अध्यक्ष: +++ (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती शंकुतला रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित निजी कम्पनियों/फैक्ट्रियों में श्रम कानूनों की पालना करवाकर कार्यरत श्रमिकों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री अमृतलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत आने वाली झीलों, बांधों व तालाबों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

+++

(श्री अध्यक्ष)

3. श्रीमती सुशील कंवर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मसूदा में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत तथा नई सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की उप तहसील गुढा गौड़जी के नायब तहसीलदार को तहसीलदार के कर्त्तव्य व शक्तियां पुन: दिये जाने के सम्बन्ध में।

5. श्री हीरालाल दरांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल-फलासिया में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री नानालाल अहारी, सदस्य की ओर विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने व विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

+++

7. श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के तहसील मुख्यालय अराई पर अजमेर विद्युत वितरण निगम का सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में। ...(व्यवधान).

8. श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में अतुल कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये टिश्यू कल्चर खजूर के पौधों की जांच कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती अनिता कटारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पेयजल की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती द्रोपती, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम पंचायत खोड़ा के चक 2 सी एल डी से ग्राम जेसाभट्टी तक 7 किलोमीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

11. श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से कोटा की कृषि उपज मण्डी समिति 'अ' श्रेणी (अनाज) में भी किसानों को लहसुन बेचने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री कृष्णा कड़वा, सदस्य की ओर से मीरा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, संगरिया का पुन: सरकारीकरण करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

+++

आज दिनांक 28 मार्च, 2016 को शून्यकाल में बोलने हेतु 42 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयी जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, सिरोही, जालौर व पाली के जनजाति समाज के विकास एवं शिक्षा पर चर्चा के सम्बन्ध में।
2. श्री सुरेन्द्र पारीक, गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बसायी गयी कालोनियों के कैम्प लगाकर पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री फूलसिंह मीणा, उदयपुर जिले के मादड़ी डेम के डूब क्षेत्र में आयी भूमि के बदले किसानों को भूमि दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
4. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, एन.एच. 12 चाकसू बाई-पास पर अंडरपास बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

केवल जिसको मैं पुकारूं उसका नोट हो! +++

श्रीमती गीता वर्मा, आप बोलिये अपने स्थगन प्रस्ताव पर।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सिकराय के चिकित्सालयों में रिक्त पद व सुविधाओं का अभाव

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बोलिये आप, आवाज आ रही है सब को।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों में डाक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, यह सही है क्योंकि डाक्टर ही है जो समय पर चिकित्सा सेवाएं देकर मरीजों की जान बचा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर भी अपनी सेवाएं बेहतर देना चाहता है परन्तु सुविधाओं के अभाव में व स्टाफ की कमी के कारण ग्रामीण जन को चिकित्सा सेवाएं समय पर मिलना सम्भव नहीं हो पातीं।

(श्रीमती गीता वर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिकराय ब्लाक में तीन सी.एच.सी. हैं, सिकराय, गीजगढ़ और सिकन्दरा लेकिन तीनों सी.एच.सी. में ज्यादातर पद रिक्त हैं। जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन, सहायक रेडियोग्राफर, नर्स ग्रेड प्रथम, द्वितीय, वार्ड बाय, सूचना सहायक आदि पद रिक्त हैं।

श्री अध्यक्ष: केवल वक्ता का अंकित करो, बाकी एक भी शब्द नहीं आना चाहिए।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादातर घूंघट में रहती हैं ऐसे में महिला चिकित्सक नहीं होने के कारण ग्रामीण महिलाओं के मन में संकोच रहता है जिसके कारण महिलाएं समय पर चिकित्सा सेवाएं नहीं ले पातीं। अतः मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि गीजगढ़ सी.एच.सी. में एक महिला चिकित्सक लगायी जाए ताकि महिलाओं को किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना न करना पड़े। यदि इन पदों को भर दिया जाए तो ग्रामीण जनों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.एच.सी. गीजगढ़ में स्टाफ के लिए आवासीय क्वार्टर्स एवं आउटडोर ब्लाक बनाये जाएं ताकि लोगों को चिकित्सा सेवाएं सुचारु रूप से मिल सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर और आगरा रोड़ एन.एच.11 के मध्य स्थित सिकन्दरा ग्राम में ट्रोमा सेन्टर भवन तो बना दिया परन्तु वहां पर सुविधाएं नहीं होने के कारण एक्सीडेंटल केसों में रोगियों का प्राथमिक उपचार ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि वहां पर आर्थोपेडिक डाक्टर व स्टाफ के अभाव में बहुत से मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मौसमी बीमारियों के दौरान अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, उस समय उन्हें वहीं से सभी प्रकार की दवाओं की समुचित व्यवस्था करायी जाए जिससे मरीजों को अन्यत्र नहीं भटकना पड़े। अतः मैं माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे शीघ्र ही रिक्त पदों को भरें ताकि ग्रामीण जनों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और उन्हें अन्यत्र नहीं भटकना पड़े।

(श्रीमती गीता वर्मा)

अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिकराय से आने वाली माननीय सदस्या ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो बात उठाई है उसके बारे में मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, सिकराय के अन्दर विभिन्न श्रेणियों के कुल 47 चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित हैं, इनमें से 6 पद रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, इन 6 पदों को अप्रैल महीने में जो हम नये चिकित्सकों की भर्ती कर रहे हैं, प्राथमिकता के आधार पर उसमें भरने की कोशिश करेंगे और जो विशेष तौर पर कनिष्ठ विशेषज्ञ के पांच पद रिक्त हैं, हम डी.ए.सी.पी. करवा कर और अभी विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर भरेंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

माननीय सदस्या ने यह कहा कि पैरामेडिकल के, विशेष तौर पर नर्स ग्रेड सैकण्ड के 43 पद और ए.एन.एम. के 22 पद, अध्यक्ष महोदय, अभी हमने इसी महीने में दौसा जिले के अन्दर नर्स ग्रेड सैकण्ड के 119 पद और ए.एन.एम. के 96 पद और प्रयोगशाला सहायक के 6 पदों पर नियुक्ति की है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर वहां की व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम पैरामेडिकल के जितने पद खाली हैं उनमें से अधिकांश पद इसी महीने के अन्दर भर देंगे और चिकित्सकों के ज्यों-ज्यों उपलब्ध होंगे, तब भरेंगे।

और भी जो कमी-खामी बता रही हैं, मैं यहां से एक निरीक्षण दल भेजूंगा जो जाकर वहां की सारी व्यवस्थाओं को देखेगा और जो भी कमी-खामी होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक। वो धन्यवाद दे रही हैं आपको।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): मंत्री महोदयजी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक। एब्सेंट। श्री भंवरसिंह। एब्सेंट। श्री पूरणमल। पूरणमलजी, अपने स्थगन प्रस्ताव पर।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

नीमकाथाना के सीनियर सैकण्डरी स्कूल माउण्डा की नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं, इसी बात के माध्यम से इनको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा चुप रह कर सुनें, बड़ा संवेदनशील मामला है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगता नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के थाना सदर के थाना क्षेत्र में और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माउण्डाखुर्द का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 फरवरी को थाना सदर, नीमकाथाना को सूचना दे दी गयी, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी। कक्षा बारह की एक छात्रा के साथ, अपनी गाड़ी में लेकर गये और दूर-सुदूर क्षेत्र में ले जाकर उस कक्षा बारह की छात्रा के साथ गैंग के रूप में बलात्कार किया। उन बलात्कारियों के लिए धरना पिछले एक महीने से चल रहा है 28 फरवरी को यह मुकदमा दर्ज नहीं था लेकिन आज दिनांक तक एक आदमी को दर्ज नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है तो गृह मंत्रीजी बार-बार अपना सीना तान कर कहते हैं कि मेरी पुलिस के द्वारा ऐसा। मैं इनका सम्मान करता हूं लेकिन उसी थाने की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले ही महीने में एक एक्सीडेंट हुआ और उस दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर मृत्यु हुई। जब मृतक के पुत्रों ने पुलिस से कहा कि गाड़ी को अविलम्ब पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए तो वहां के थानेदार ने मृतक के बेटों के खिलाफ राज कार्य में बाधा का मुकदमा किया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पुलिस विभाग का एक स्लोगन है और हर पुलिस थाने पर लिखा होता है, 'आम आदमी में विश्वास तथा अपराधियों में भय', लेकिन, इसके बिलकुल विपरीत आज राजस्थान के पुलिस के विभिन्न थानों में किया जा रहा है।

सदर थाने की अगर मैं बात करूं, मैंने निवेदन कर दिया कि पिछले ही महीने फरवरी में एक्सीडेंट से मृतक के पुत्र के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज

(श्री पूरणमल सैनी)

किया जबकि यह बलात्कार जैसे कार्य करने वाले और बलात्कारियों के खिलाफ आज तक पुलिस ने किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस बलात्कारी को, मुख्य बलात्कारी को कब तक गिरफ्तार करवा लेंगे? साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस स्कूल क्षेत्र अकेले में नहीं, विभिन्न कक्षाओं में जो भी वयस्क लड़कियां हैं, नाबालिग लड़कियों के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरीके की करतूत शिक्षाविद करेंगे और स्कूलों के व्याख्याता करेंगे तो इस राजस्थान प्रदेश की छात्राएं कहां पढ़ने के लिए जायेंगी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा संगीन है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मृतक के पुत्रों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया और जो वास्तव में बलात्कारी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, उस थानेदार से, उस सी.ओ. से पूछा जाए और उन बलात्कारियों को अविलम्ब गिरफ्तार फरमाया जाए।

आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मंत्री महोदयजी बताएं कि इनको कब तक गिरफ्तार करवा देंगे?

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इसकी रिपोर्ट लिखाई थी 28.02 के दिन। फरवरी की लास्ट तारीख 28.02 को रिपोर्ट दर्ज हुई और मुकदमा दर्ज हुआ 58/16, इस मुकदमे की कार्यवाही करते हुए 09.03 को हमने कृष्ण देशवाल को गिरफ्तार कर लिया और 10 तारीख को, उस अध्यापक को गिरफ्तार करने के लिए 10.03 को वारंट ले लिया है, कोर्ट से हमने गिरफ्तारी वारंट जारी कराया है दूसरे दिन ही। इसको हमने 09 तारीख को पकड़ा, 10 तारीख को कोर्ट से इसका वारंट ले आए। पुलिस बराबर पीछा कर रही है, इसे पकड़ेगी और उसको शिक्षा विभाग से सस्पैंड कर दिया है। इसलिए दोनों काम हमने किये हैं। एग्जैक्ट तारीख तो मैं नहीं बता सकता हूं लेकिन वारंट मैंने 10.03 को ही ले लिया है और तब से लेकर मेरी पुलिस इसको ढूंढ रही है, जल्दी से जल्दी इसे गिरफ्तार करने का काम करूंगा।

श्री अध्यक्ष: 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। ...(व्यवधान)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बताया कि उसके सहयोगी को इन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया।

श्री अध्यक्ष: आप बात कर लेना। ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय मंत्री महोदय, गिरफ्तार कर लिया लेकिन मेरा आग्रह है कि उस थाने में जो मृतक के बेटे गुहार करते हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार और उनके साथ इस तरह। मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक को गिरफ्तार भी कर लिया और वारंट भी जारी कर दिया। लेकिन, महोदय, मारवाड़ी में एक कहावत है कि, 'भूखो खायां पसीजे'।

अगर उस मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा तो हम राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): दूसरा, पुलिस विभाग का जो स्लोगन है, उसको किस तरीके से चरितार्थ कर पा रहे हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्रीमती शकुन्तला रावत। (अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल।

सलूम्बर के जल स्रोतों की मरम्मत

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में (1) जयसमंद झील, इससे निकलने वाली दोनों मुख्य नहरें, इनकी सहायक नहरें, माइनर नहरें, छोटी नहरें सभी धोरे करीब 350-400 किलोमीटर लंबी हैं। करीब 50-60 वर्षों पुरानी नहरों का निर्माण हुआ है। इसमें से 70-80 प्रतिशत पानी सीपेज हो रहा है। नहरों से पानी के सीपेज के कारण सारी जमीन बेकार हो गयी है। खेती वाली जमीन खराब हो रही है। पैदावार पूरी तरह से घट रही है। जमीन से पतू लग

(श्री अमृतलाल)

रहा है। खेती योग्य जमीन नहीं रही है। जयसमंद झील की नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए 135 करोड़ रुपये के प्रपोजल माननीय सिंचाई मंत्रीजी के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं। इन्हें इसी वितीय वर्ष में 135 करोड़ की राशि स्वीकृत कराकर क्षेत्र की जनता एवं किसानों को राहत पहुंचाएं।

(2) डाया बांध- मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। यह बांध बहुत बड़ा है। सिघटवाड़ा ग्राम पंचायत में दो नदी पर एक एनिकट बनाकर, पानी को रोककर सुरंग द्वारा डाया बांध में डाला जाए तथा इस बांध से निकलने वाली नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाए। धावड़िया गांव, महुआडा गांव, कतिला, बोवस गांव, खर्सिया पाल, डीगरी मोडलागांव, बटुका, कालापायरा इन सभी गांवों में नहरें निकाली जाए।

(3) थूर घाटी तालाब की दो मीटर की हाइट बढ़ाई जाए। उससे निकलने वाली नहरें पक्की की जाएं तथा चावण्ड, बड़ौली, लालपुरिया, डायली, थाना, केवड़ी, केजड़ जोयरा तक नहरों का निर्माण किया जाए।

(4) केजड़ तालाब की मुख्य नहरें दाईं-बाईं व नहर नम्बर 4 को आगे बढ़ाते हुए कोलर गांव, काली घाटी गांव, सुरखण्ड का खेड़ा तक निकाली जाए।

(5) हरचण तालाब का सुदृढ़ीकरण व पाल के ऊपर विलायती बबूल को साफ किया जाए तथा उससे निकलने वाली नहरों को पक्का किया जाए।

(6) लोनदा का पानी से भारी तालाब में डाला जाए व सेभारी तालाब की नहरें पक्की की जाएं।

(7) सगतपुर एनिकट का निर्माण किया जाए।

(8) बूझ नाका का एनिकट सुदृढ़ीकरण करके उसकी ऊंचाई 5 मीटर तक बढ़ाई जाए तथा उसे पिलाई हेतु किसानों को पानी दिया जाए तथा बजट में प्रावधान किया जाए।

(9) पाल सराड़ा का एनिकट सुदृढिकरण किया जाए तथा नहरें निकाली जाएं।

(10) आलदरा एनिकट का निर्माण किया जाए।

(11) लालपुरिया (सेभारी) एनिकट का निर्माण किया जाये तथा उसे दोनों और नहरों का निर्माण किया जाए।

(12) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में झामरी नदी व गोमती नदी, टिढी नदी पर जीरो लेवल के एनिकटों का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया जाए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सुशील कंवर, बोलिये आप। आप सीटों पर जाएं ...(व्यवधान) मैं आपको इस सदन का हिस्सा मान ही नहीं रहा हूं। अपने आप करते रहो, एक शब्द अंकित नहीं होगा। आपके विधायक हमें धमकी देकर आए हैं। माफी मंगवाओ उनसे। आपके विधायक मुझे धमकी देकर आए हैं ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा एक भी शब्द इनका।

श्रीमती सुशील कंवर।

मसूदा में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र मसूदा पूर्ण रूप से पहाड़ी एवं पथरीला होने के कारण मगरा विकास योजना में शामिल किया गया है। चारों ओर पहाड़ियां होने के कारण आने-जाने के लिए सीमित मांग एवं ग्रामीण सड़के हैं। पूर्व में बनी सड़कें विभिन्न विभागों की होने के कारण लम्बे समय से इनकी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। इस कारण से लगता है कि सड़कों में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क है। टूटी सड़कों पर ग्रामीणों के आने-जाने पर उनके वाहन खराब हो जाते हैं और समय भी अधिक लगता है। इस कारण ग्रामीणों के मन में स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं राज्य सरकार की छवि खराब हो रही है। ग्रामवासियों के आने-जाने को सुगम बनाने के लिए सड़कों का निर्माण/पुर्ननिर्माण का कार्य कराया जाना आवश्यक है।

मुझे सदन में बताते हुए बहुत ही खेद का अनुभव हो रहा है कि क्षेत्र की प्रमुख सड़क बांदनवाड़ा से मसूदा, नागोला से भिनाय का निर्माण कार्य कराया गया। इन सड़कों का निर्माण कार्य हल्की क्वालिटी का होने के कारण सड़कें बनने के साथ ही जगह-जगह से टूट गयी है तथा सड़क की पूर्व की चौड़ाई को भी कम कर दिया गया है। आज के समय में सड़क की चौड़ाई को कम करना निश्चय ही अजीब है। नयी बनी सड़कों का गारंटी अवधि में टूटने के कारण सड़क बनाने वाले ठेकेदार एवं तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही प्रतीत होती है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि टूटी सड़कों की मरम्मत का कार्य कराने के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान कराएं तथा नयी बनी सड़कों के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार, तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

उदयपुरवाटी की उप तहसील गुढा गौड़जी के नायब तहसीलदार को तहसीलदार की शक्तियां

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) सपठित धारा 26 उप धारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा उप तहसील के समस्त नायब तहसीलदारों पर अधिरोपित समस्त कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार के भीतर करने हेतु अधिकृत किया गया था। सरकार द्वारा छह माह बाद इसे हटा दिया गया, जो ग्रामीण जनता के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। जिससे ग्रामीणों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा उक्त पावरों को यथावत रखा जाए ताकि ग्रामीण जनता के तहसील स्तर के कार्यों को उप तहसील में ही निपटाया जा सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में नयी उप तहसील गुढागौड़जी बनाई गयी है, इसके आस-पास 4-5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्राम पंचायतें धमोरा, सिंगनोर व पोषणा को भी उप तहसील गुढागौड़जी में शामिल किया जाए ताकि यहां के लोगों को तहसील से सम्बन्धित छोटे-छोटे कार्यों हेतु 20 किलोमीटर दूर स्थित तहसील उदयपुरवाटी में नहीं जाना पड़े व समय एवं धन की बचत हो सके तथा जनता के कार्यों को उप तहसील गुढागौड़जी में ही निपटाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर कहना चाहूंगा कि इस दुविधा से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़े रोष को देखते हुए उक्त उप तहसील के नायब तहसीलदार को तहसीलदार के अधिरोपित समस्त कर्तव्य और शक्तियां पुन: प्रदान की जाएं तथा उप तहसील गुढागौड़जी में उक्त ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल दरांगी। (अनुपस्थित)

श्री नानालाल अहारी।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

खैरवाड़ा के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति व भवनों की मरम्मत

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र जो दुर्गम जनजाति क्षेत्र है, वहां सुदूर के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, इस कमी को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी शिक्षकों के इन रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए।

विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय भी बनवाएं जाने आवश्यक हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई विद्यालयों के भवन जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं इसलिए वहां के स्कूल भवनों की जांच करवाई जानी चाहिए कि वे बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित हैं या नहीं। जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित कर उन्हें डिस्मेंटल कर नवीन भवनों का निर्माण अत्यावश्यक है।

ऋषभदेव, खैरवाड़ा, सेमारी पंचायत समिति में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को सर्वप्रथम वहां शिक्षकों की कमी को पूरा करना चाहिए। वहां पर कम्प्यूटर व अन्य नवीन तकनीक के उपकरण तो सरकार ने पहुंचा दिए हैं, पर उन्हें चलाने व इनकी जानकारी रखने वाला कर्मचारी नहीं होने के कारण वे उपकरण धूल चाट रहे हैं। इस कारण जनजाति क्षेत्र के बालक आधुनिक व नई तकनीक की शिक्षा से वंचित हैं, जो नहीं होने चाहिए। विषयाध्यापक की पूर्ति तो कम से कम जनजाति क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए।

क्षेत्र के स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं व प्रशासनिक ढिलाई के कारण वहां संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद इनका उपयोग विद्यार्थी नहीं कर पा रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में भी कई जगह स्कूल जाने के लिए सड़क मार्ग तक नहीं हैं जो अत्यंत आवश्यक हैं ताकि बच्चे जल्दी व सुगमता से स्कूल पहुंचें और जनजाति क्षेत्र में भी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

टीएसपी क्षेत्र में आईआईटी, पीएमटी, पीईटी व अन्य क्षेत्रों में अध्ययन के लिए जिला मुख्यालय पर कोचिंग सेंटरों की सरकार द्वारा व्यवस्था

(श्री नाना लाल अहारी)

की जानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र के विद्यार्थी भी उच्च स्तर के रोजगार प्राप्त कर सकें और उनके व्यक्तित्व का विकास हो।

सरकार द्वारा संचालित मिड डे मील योजना किस प्रकार संचालित हो रही है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है इसका पारदर्शी तरीके से संचालन एवं मानिटरिंग होनी चाहिए। यदि इस बारे में सम्बन्धित अधिकारी या कर्मचारी अपना कर्तव्य पालन ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए।

मिड डे मील पकाने के लिए जो कर्मी रखे हुए हैं उनको भुगतान पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, अत: इनका मानदेय भुगतान भी बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

किशनगढ़ के तहसील मुख्यालय अरांई पर विद्युत वितरण निगम का सहायक अभियन्ता कार्यालय

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि किशनगढ़ (अजमेर) विधान सभा क्षेत्र के तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय अरांई पर वर्तमान में लगभग सभी प्रमुख विभागों के कार्यालय संचालित हैं। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का औद्योगिक एवं कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण कस्बा है। इस पंचायत समिति अरांई की 21 ग्राम पंचायतों में सुचारू विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत समस्या निवारणार्थ किशनगढ़ उप खण्ड मुख्यालय पर स्थिति सहायक अभियंता (ग्रामीण) के माध्यम से कनिष्ठ अभियंता अरांई द्वारा की जाती है। वर्तमान में सहायक अभियंता (ग्रामीण) किशनगढ़ के पास लगभग 34195 उपभोक्ता हैं जिनमें घरेलू, अघरेलू, कृषि, औद्योगिक, पेयजल एवं मिश्रित श्रेणी आदि के सभी उपभोक्ता शामिल हैं जो कि विभागीय मानदंडों से अधिक हैं। उक्त कार्यालय में सहायक अभियंता (ग्रामीण) के साथ-साथ कनिष्ठ अभियंता के 4 पद स्वीकृत हैं और 33/11 के.वी. के 14 सब स्टेशनों का कार्य क्षेत्र भी इसके अधीन है और उक्त उप खंड कार्यालय के कार्यक्षेत्र में तीन पंचायत समितियां क्रमश: किशनगढ़, अरांई एवं श्रीनगर की कुल 35 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं और पंचायत समिति एवं तहसील अरांई का क्षेत्र लगभग उप खंड

(श्री भागीरथ चौधरी)

मुख्यालय किशनगढ़ से 30 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला हुआ है जिसके कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं को सहायक अभियंता कार्यालय (ग्रामीण) किशनगढ़ में अपनी समस्या निवारणार्थ आने में आवागमन साधनों के सुचारू व्यवस्था के अभाव में दिन भर व्यतीत हो जाता है और उसकी समस्या जस की तस रह जाती है एवं अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है। ज्ञात रहे कि अरांई परिक्षेत्र में उक्त कार्यालय से सम्बन्धित लगभग 1200 उपभोक्ता सभी श्रेणी के जुड़े हुए हैं और साथ ही संपूर्ण अरांई परिक्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बीसलपुर बांध के पानी की सुचारू आपूर्ति व्यवस्था हेतु अरांई आंकोड़िया आदि पम्प हाउस में इस क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। गत वर्षों में विभाग द्वारा अजमेर जिले में खोले गए नवीन सहायक अभियंता कार्यालयों में क्रमशः रीको, ब्यावर एवं ओ एण्ड एम के सावर, मेयो अजमेर एवं शास्त्री नगर, अजमेर स्थापित किए गए हैं, जिनके अधीन नियमित उपभोक्ताओं की संख्या भी लगभग 11500 के समकक्ष ही है।

अतः मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का एक नया सब डिविजन बनाकर सहायक अभियंता का नवीन कार्यालय पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई (अजमेर) में खोलने की सक्षम विभागीय स्वीकृति आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 की कार्य योजना में सम्मिलित कर जारी कराएं जिससे इस परिक्षेत्र के संपूर्ण उपभोक्ताओं को सुचारू विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत समस्याओं के त्वरित निवारण का समुचित लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्षः श्रीमती सोना देवी।

रायसिंहनगर में अतुल कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये टिश्यू कल्चर खजूर के पौधों की जांच रिपोर्ट

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहती हूं कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर टिश्यू कल्चर खजूर के पौधों का रोपण किया गया। अतुल कम्पनी द्वारा किसानों को ये पौधे उपलब्ध कराए गए लेकिन इन आयातित पौधों में शुरू से ही अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रकोप था जिसके बाबत पीड़ित किसानों द्वारा बार-बार उद्यान विभाग एवं अतुल कम्पनी को अवगत

(श्रीमती सोनादेवी)

कराया गया, लेकिन उनके द्वारा केवल खेतों का भ्रमण करके ही इतिश्री कर ली गयी है, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं किया गया है। इन पौधों में रोग बढ़ने के कारण कई किसानों ने तो 90 प्रतिशत तक पौधे उखाड़ भी दिए हैं।

इस बीमारी की जांच स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की चार सदस्यीय टीम ने की थी। उन कृषि वैज्ञानिकों ने खजूर में खराबे की वजह जेनेटिक बताई है। किसानों द्वारा बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद भी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला यह है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य सरकार ने बिना परीक्षण करवाए जिले में खजूर के टिश्यू कल्चर के लिए किसानों को पौधे संयुक्त अरब अमीरात से आयात करके उपलब्ध करवा दिए। टिश्यू कल्चर के लिए खेती अनपयुक्त होने के बावजूद कम्पनी के माध्यम से 350 हैक्टेयर में खजूर के पौधे अनुदान पर उपलब्ध करवाए गये। राज्य सरकार ने किसानों से प्रति हैक्टेयर करीब 25 हजार रुपए वसूले थे। पौधों की शुद्धता की गारंटी के बावजूद खजूर के पौधे खराब हो गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खजूर की टिश्यू कल्चर से खेती के लिए कृषि विभाग, प्रशासन एवं उद्यान विभाग ने खूब प्रचार किया। यहां तक कि खजूर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग ने खजूर के पौधे 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए व पौधों की पर्याप्त देखरेख का आश्वासन भी दिया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के खजूर अनुसंधान केंद्र के प्रभारी का कहना है कि टिश्यू कल्चर से खजूर की खेती के लिए यह इलाका उपयुक्त नहीं था। खजूर के पौधे खराब हुए हैं तो इनका कोई उपचार नहीं है, पुन: पौधरोपण ही एकमात्र उपाय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि अतुल कम्पनी द्वारा खराब पौधों की जांच की गई रिपोर्ट आज तक नहीं मिली है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा जांच रिपोर्ट बताने के बाद भी आज तक किसानों को रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गयी। उद्यान विभाग द्वारा कई बार अतुल कम्पनी को पत्र लिखे गये, पर कम्पनी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अत: मेरा निवेदन है कि इसकी संतोषजनक जांच करवाएं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा।

सागवाड़ा की पेयजल समस्या का समाधान

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत आज आपने मुझे सदन में मेरे क्षेत्र की जनता की भावनाओं को रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जल है तो कल है, यह बात सौ प्रतिशत सही है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में आने वाले कल को लेकर क्षेत्र की जनता को डर महसूस हो रहा है। सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के सागवाड़ा शहर सहित उपखण्ड क्षेत्र के करीब डेढ़ दर्जन से अधिक गांवों की जलापूर्ति का मुख्य स्रोत लोडेश्वर बांध का आंचल ग्रीष्म ऋतु की दस्तक के साथ ही तेजी से सूख रहा है। आने वाले दिनों में पेयजल संकट और अधिक गहरा सकता है। ऐसे में हजारों पेयजल उपभोक्ताओं के लिए संकट खड़ा हो सकता है।

(12.49 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, बांध में लगे गेट से पानी सीपेज हो रहा है। गर्मी के साथ ही क्षतिग्रस्त गेट से पानी के व्यर्थ बहने से भण्डारण क्षमता प्रभावित हो रही है। वहीं कई कृषक मोटर लगाकर सीधे ही पानी का दोहन कर रहे हैं। इससे भविष्य में पेयजल संकट और बढ़ सकता है। क्षेत्र की सेलोता से सागवाड़ा को जोड़ने वाली पेयजल लाइन की भी हालत काफी खराब है।

सदन के माध्यम से माननीया मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए लम्बी पाइप लाइन, पम्प हाउस तथा समूचे तंत्र के रख-रखाव के लिए जलदाय विभाग के पास मानव श्रम की भी बहुत ज्यादा कमी है। जलदाय विभाग के कार्यालय में स्वीकृत 147 पदों के मुकाबले महज 28 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। कई स्थानों पर पम्प हाउस सहित पेयजल आपूर्ति के लिए ठेके पर श्रमिक कार्य कर रहे हैं जिससे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व जनता के माथे पर परेशानियों की लकीरें नजर आ रही हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सागवाड़ा क्षेत्र में कम वर्षा से खाली पड़े तालाबों तथा मौसम का चक्र बदलने से मार्च के आखिर में ही क्षेत्र में जल स्तर तेजी से गिरने की सम्भावना दिख रही है। कराड़ा, रामपुर, झांखरी, मागड़ी

(श्रीमती अनिता कटारा)

देवकी, अखेपुर, फलातेड, रानीबिल्ली, भीलूड़ी, वगेरी, जोगपुर, थातुआ फला, सियालदरी, भगोराफला, गणेशपुरी, मडकोला, ओबरी में हडपालिया, हैंगड़ा तलाई, घाटा का गांव में जादेला फला, पाड़लिया व फावटा, नगरीय क्षेत्र में पुनर्वास कालोनी के डी ब्लॉक, भागाडूंगरा, पालियाफला व भवानी माता में करीब 50 फीसदी जल स्तर गिरने की सम्भावना है। तालाबों के खाली होने से कृषि के साथ पशुओं के पेयजल की भी परेशानी बढ़ेगी।

लोडेश्वर बांध से 14 लाख लीटर तथा सात ट्यूबवेल एवं तीन कुओं से 14 लाख लीटर जल का दोहन कर प्रतिदिन 28 लाख लीटर पानी की आपूर्ति हो रही है। लोडेश्वर में पेयजल के लिए वर्तमान में 100 एमसीएफटी पानी उपलब्ध है। वहीं डैड स्टोरेज के लिए 50 एमसीएफटी पानी सुरक्षित है। फिलहाल बांध से सागवाड़ा नगर सहित नंदौड़, गामड़ा, ठाकरड़ा, गोवाडी, गडा वेजणिया, रंगथौर, हडमाला, माविता, कोपड़ा, वरसिंगपुर, नयागांव, शिवराजपुर, सामलिया, खडलई, छत्रपुरा, गडाझुमजी व खेरड़ी गांव में जलापूर्ति हो रही है। पेयजल लाइन से शहर के करीब 5600 तथा 18 गांवों के करीब 7200 उपभोक्ता जुडे हुए हैं।

सागवाड़ा जलदाय विभाग ने ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट को देखते हुए टैंकर से आपूर्ति के प्रस्ताव विभाग को भिजवाए हैं। अप्रैल में 600 टैंकर, मई में 930, जून में 1200 तथा जुलाई में 930 टैंकर पानी की आपूर्ति के प्रस्ताव भेजे हैं। पुनर्वास कॉलोनी के डी ब्लाक व भागाडूंगरा में पानी के स्टोरेज के लिए टंकी बनाने की योजना बनायी है।

सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि आप भी इस क्षेत्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कम वर्षा की वजह से अधिकांश जल स्रोत खाली पड़े हैं। जल आपूर्ति के स्रोत की हालत देखते हुए सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या से जनता को सामना करना पड़ेगा और इस क्षेत्र में पेयजल की इस समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा कोई खास इंतजाम किये जाएं ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस तरीके से इस सदन के अन्दर हमारे सरकार

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

के गृहमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था आनन्दपाल सिंह के बारे में, वह बिलकुल असत्य है। आज प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था के हालात इतने खराब हैं। हम यह मांग करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने अनुमति दी है, उपाध्यक्ष महोदय? उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से बोल रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट प्रतिपक्ष के नेता, आप विराज जायं। यदि कोई व्यवस्था का आपका प्रश्न है, आप उस व्यवस्था के सम्बन्ध में जो विषय है वहां तक अंकित आप करा दें। आसन अपनी तरफ से जो कोई भी प्रतिक्रिया देगा वह उसको सुरक्षित भी रख सकता है और वर्तमान में दे भी सकता है। जो आपका उद्देश्य था वह आपने अध्यक्षजी के समक्ष भी रख दिया था, पर क्योंकि अध्यक्षजी ने एक व्यवस्था दे दी है। (व्यवधान) मैं उस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन जो आपने मुझे, आसन को जानकारी अभी वर्तमान में दी है, वह बात हो गयी। उस पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, आसन उस चीज को सुरक्षित रखता है और जब प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा तो आपको अवगत करा देगा। श्रीमती द्रोपती।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष: No. I won't allow. ऐसा है मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं अगर इस सम्बन्ध में और कोई भी बात है, आसन ने जो अभिव्यक्ति कर दी और जो आप लोगों के सामने अपनी बात वक्तव्य के माध्यम से और अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से रख दी उसमें मैं अब यह चाहूंगा कि कृपा कर आप इस सदन की...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आसन जब तक कहे उसके उपरांत ही अंकित होगा। आप फरमाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, जब इस सदन की लास्ट दिन कार्यवाही चली थी उसके बाद छुट्टियां हो गयीं, आज वापस सदन चल रहा है। उस दिन गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया था कि राजू ठेहट गैंग नागौर में थी। यह आनन्दपाल गैंग (व्यवधान) हम यह चाहते हैं कि गलत बयानबाजी सदन के अन्दर क्यों कर रहे हैं आप लोग?

श्री उपाध्यक्ष: जो प्रतिपक्ष के नेता ने आसन को भावना व्यक्त की, आप उसी भावना का अनुसरण कर रहे हैं ना? श्रीमती द्रोपती।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। इतनी बड़ी बात है गृह मंत्रीजी ने जो बयान दिया था वह बयान अलग है, आज परिस्थितियां अलग हैं तो गृह मंत्रीजी नया बयान नहीं देंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष: मैं प्रतिपक्ष के सचेतक से इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि जितने आप संवेदनशील हैं उतने ही संवेदनशील इस सरकार के गृह मंत्री हैं और उतना ही संवेदनशील आसन भी है। मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं We will see to it. क्या फैक्ट्स हैं, क्या चीज है, give us sometime. We will get back to you.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब तो दिलाओ।

श्री उपाध्यक्ष: I said, give us some time. We will get back to you. We are not adjourning today. We will be there for next couple of days at least.

सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत खोड़ा के चक 2 सीएलडी से जेसाभट्टी तक सड़क निर्माण

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खोड़ा के चक 2 सीएलडी से सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांव जेसाभट्टी तक 7 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब यह अंकित नहीं हो सकता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब इतना तो आप भी कम से कम करें, माननीय सदस्या बोल रही हैं, क्या आप उनके अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जब आसन किसी को बोलने की अनुमति देता है तो आसन भी उस अनुमति से बाध्य है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह आसन पर निर्भर करता है, ये कब वक्तव्य दें या नहीं दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता की बात आसन ने अपने स्तर पर रिजर्व रखी हुई है। समय होगा और समय के साथ-साथ इसका आपको हम अपनी तरफ से जवाब देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय द्रोपती के अलावा और किसी का अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): इस वजह से आमजन को बहुत परेशानी होती है। खोड़ा की जनता को सूरतगढ़ जाने के लिए रावतसर पीलीबंगा होकर 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस सड़क के बन जाने से आमजन को थर्मल सूरतगढ़ जाने के लिए दूरी भी कम तय करनी पड़ेगी। यह रास्ता रावतसर से सूरतगढ़ तक का सीधा रास्ता है। इस रास्ते पर ग्राम पंचायत खोड़ा, चक 1 सीएलडी, चक 2 सीएलडी, 1 से 4 जे.बी.डी. के चक, हरदासवाली, जेसाभट्टी कालूसर, सोमासर, थर्मल और सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कई गांव इस रास्ते से जुड़े हुए हैं। इस सड़क के बन जाने से आमजन का समय और पैसा बचेगा और जनता को परेशानी भी नहीं होगी। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करती हूं कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खोड़ा के चक 2 सीएलडी से सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांव जेसाभट्टी तक 7 किलोमीटर सड़क बनाने का श्रम करें।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो एक मिनट निवेदन कर दूं?

श्री उपाध्यक्ष: हां, कर दो।

अनुरोध एवं मांग

आनंदपाल मामले की बदली हुई परस्थितियों में सरकार से पुनः वक्तव्य की मांग

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, बड़ा साधारण सा सवाल है, अभी गतिरोध खतम हो सकता है। खाली मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्व में उन्होंने बयान दिया था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वो आ गयी बात उपाध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट सुन तो लीजिएगा। आप मेरी बात बिना सुने ही क्यों रिएक्ट कर रहे हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय? आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह गतिरोध समाप्त करने की चेष्टा कर रहा हूं और आगे आप चाहते हैं कि गतिरोध कायम रहे तो आपकी जैसी इच्छा।

उपाध्यक्ष महोदय, सवाल सिर्फ इतना सा है कि पूर्व में जो माननीय गृह मंत्री महोदय ने बयान इस सदन में दिया था और आज जो कुछ अखबारों में आया है, विरोधाभास के रूप में आया है। खाली उसके ऊपर अगर माननीय गृह मंत्रीजी अपनी, सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दें तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लेगा। यह मामला प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने नहीं उठाया था, न ही इसके ऊपर कोई रूलिंग रिजर्व थी। तो, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके ऊपर कौनसी बात सत्य है, अगर अखबारों में असत्य बात निकली है तो गृह मंत्री महोदय यहां बता दें, जो पहले उन्होंने वक्तव्य दिया था उसमें तथ्य दूसरे थे, अब दूसरे तथ्य सामने आये हैं तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यह मामला न प्रतिपक्ष के नेता ने उठाया। न सचेतक महोदय ने उठाया, तो मेरा आपसे अनुरोध है गृह मंत्री महोदय यहां बता दें कि कब वक्तव्य देंगे। वक्तव्य आ जाएगा तो सारी स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। यही मेरा आपसे अनुरोध है श्रीमान्।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि यह विधान सभा नियम और प्रक्रियाओं से चलती है। नियम 50 के अन्दर ये प्रस्ताव ले आते, इनके कई माननीय सदस्यों ने आज प्रस्ताव दिये, लगभग 7 माननीय सदस्यों ने आज स्थगन प्रस्ताव दिये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस पर आसन ने व्यवस्था दी और सरकार की तरफ से प्रत्युत्तर मिला। अगर ये गम्भीर होते तो किसी न किसी नियम में मोशन मूव करते। सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है, गृह मंत्रीजी वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं और वैसे भी अगर आसन निर्देश दे तो गृह मंत्रीजी तो तैयार हैं पर कम से कम यह सदन नियमों से तो चले न। आप अगर इतने ही गम्भीर हो तो ले आओ न नियमों में प्रस्ताव।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कानून व्यवस्था बिलकुल चौपट हो गयी और आप नियमों की बात कर रहे हैं तो कहां नियम हैं? आज पूरे राजस्थान में आग लगी हुई है, उसमें गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप यह पढ़ो। यह किताब दी है, यह बाइबिल दी है उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें। इस बाइबिल से हम भी बंधे हुए हैं तो वो भी बंधे हुए हैं। ये लेकर आएं प्रस्ताव और सरकार जवाब देने के लिए तैयार है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत सारे मामले सदन में उठाये जाते हैं जिनमें स्थगन प्रस्ताव नहीं आता उसके उपरांत भी सुओमोटो मंत्री अपने आप जवाब देते हैं और कभी-कभी आसन की तरफ से भी होता है कि यह मामला आया है, आप इसके ऊपर वक्तव्य दें। मेरा तो आपसे निवेदन है कि यह किताब हमने भी पढ़ी है इसलिए आप यह किताब कृपया न दिखाएं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, यह मेरा आपसे अनुरोध है। अगर आप मुनासिब समझते हैं, यह गतिरोध समाप्त हो जाएगा अगर आसन उनको निर्देश दे। वो आज दें, कल दें, कभी वक्तव्य दें, यह कोई जरूरी नहीं है कि आज ही वक्तव्य दे दें, कल वक्तव्य दे दें, गृह मंत्री महोदय, तो सारी स्थिति ही साफ हो जाएगी। इसमें सदन का गतिरोध समाप्त होगा। इसमें हर्ज क्या है? सदन की कार्यवाही अब तक सुचारू रूप से चल रही है और अब भी सुचारू रूप से चलेगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करता हूं कि किसी भी बात का, सवाल का जवाब ही उसका उत्तर हो सकता है। लेकिन किसी सवाल को उठाने के लिए दो लाइनें लिखने का भी अभ्यास होना चाहिए। कभी इस सदन में आने के पहले अपनी तैयारी करके आएं और यूं ही बम पटकने से यह विधान सभा नहीं चलती है। विधान

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सभा तरीके से चलती है और आप तरीके से आओ, मैं आपको एक-एक अक्षर का जवाब दूंगा। क्या बात कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: मैं सम्पूर्ण प्रतिपक्ष के सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी के इस वक्तव्य के बाद में इस प्रकार की कोई शंका आपके मन में नहीं रहनी चाहिए कि सरकार इसका स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं है। आसन भी आपसे निवेदन करता है, क्योंकि विधान सभा यह ही नहीं है कि कोई आज ही स्थगित हो जाएगी, अभी और कुछ दिनों के लिए चलेगी तो आप नियम से आइये। आसन भी नियमों से बंधा हुआ है, आसन कहीं भी नियम की अवहेलना नहीं करना चाहता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्यता इस सदन के सामने प्रकट हो जाए, इससे बेहतर परिस्थिति हो नहीं सकती। इसलिए इसी विनम्र निवेदन के साथ में कि आप नियमों के माध्यम से आसन को जो भी आप पूछना चाहते हैं उसमें नियमों के माध्यम से आप आ जाइये और आसन की इसके ऊपर जो भी अभिव्यक्ति होगी, प्रक्रिया के हिसाब से जो कुछ भी आसन कर सकेगा आप लोगों के लिए, वह करेगा।

श्री हीरालालजी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कोटा कृषि उपज मण्डी समिति 'अ' श्रेणी (अनाज) में लहसुन बेचने की अनुमति

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से लोक महत्त्व के इस विषय पर निवेदन करना चाहता हूं कि लहसुन एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खपत होने वाली जिन्स है जिसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कोटा सम्भाग में होता है। लेकिन इस बहुमूल्य कृषि जिन्स के विपणन हेतु कोटा सम्भाग मुख्यालय स्तर पर सक्षम लेवाल एवं बिकवाल के अभाव में उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सम्भाग का 50 प्रतिशत लहसुन मध्यप्रदेश की मण्डियों में जाकर बिक रहा है जिससे सरकार को राजस्व की हानि होने के साथ-साथ किसानों को भी उचित मूल्य नहीं मिलने से आर्थिक हानि एवं समय की बर्बादी होती है तथा कई दिनों तक नीमच लहसुन मण्डी में नम्बर नहीं आने से इन्तजार करते रहने से भी किसानों में असंतोष व्याप्त है।

(श्री हीरालाल नागर)

प्रदेश में धनिया, सरसों, चना, मेथी, अदरक जैसी सब्जियां जिन्स उत्पादन के पश्चात् कृषि मण्डी में बिकने आती है लेकिन कोटा में लहसुन को बिक्री से अलग रखा गया है। विगत तीन वर्षों से कोटा सम्भाग में 2013-14 में 29015 हैक्टर, 2014-15 में 46185 हैक्टर में 299488 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है और इसी तरह 2015-16 में 64285 हैक्टर में 704895 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है। वर्तमान में हाड़ौती सम्भाग में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग दुगुने से भी अधिक लहसुन की बुवाई की गई है। लहसुन बुवाई के रकबे को देखते हुए किसानों को लहसुन बेचान हेतु उचित विपणन की आवश्यकता है। साथ ही लहसुन के दामों के भी गिरने की बड़ी सम्भावना है। इस हेतु किसान को उचित दाम में उसका लहसुन बिके, इसलिए फल सब्जी मण्डी के साथ-साथ कोटा भामाशाह मण्डी में भी व्यवस्था कर उचित मूल्य किसान को मिले, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की आवश्यकता है। वर्ष 2016-17 में लहसुन की बम्पर पैदावार होने के कारण कोटा फल-सब्जी मण्डी में शुरूआती दो दिवसों में ही 55 से 60 हजार लहसुन के कट्टों की आवक होने से लहसुन मण्डी पूर्णरूप से जाम हो गई, मुख्य मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध होने लग गया। लहसुन की नीलामी व्यवस्था पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देने के कारण व्यापारियों ने मण्डी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों को तेज धूप में अपनी बारी का इंतजार करने के लिए घंटों खड़ा रहना पड़ा। किसानों की पीड़ा को समझते हुए लहसुन बेचने के लिए भामाशाह कृषि उपज मण्डी में लहसुन खरीद की वैकल्पिक व्यवस्था करने की अति आवश्यकता है।

अत: लोक महत्व के इस विषय पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर आग्रह करता हूं कि कोटा सम्भाग में लहसुन के बढ़ते रकबे व किसानों की परेशानी को देखते हुए किसानों को लहसुन के उचित मूल्य मिलने एवं बेचने के लिए हस्तक्षेप कर उचित प्लेटफार्म पर लहसुन बेचने हेतु फल-सब्जी मण्डी के साथ-साथ भामाशाह मण्डी कोटा में भी लहसुन बेचने की स्वीकृति दिलवाकर अनुगृहीत करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कृष्णा कड़वा।

संगरिया मीरा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय का सरकारीकरण

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

(श्री कृष्णा कड़वा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया में 1980 में मीरा शिक्षा समिति द्वारा भामाशाहों की मदद से मीरा कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1994 में राज्य सरकार ने महाविद्यालय को 70 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया। 1997 से सत्र 2011 तक महाविद्यालय में तीन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर तक का अध्ययन करवाया जा रहा था। सत्र 2011 में राज्य सरकार द्वारा आरवीआरईएस के तहत अनुदानित कर्मचारियों का समायोजन राजकीय सेवाओं में कर, संस्था का अनुदान बंद कर दिया।

प्रबन्धन समिति के प्रस्तावानुसार महाविद्यालय का 31.8.2013 को राज्यादेश जारी कर राज्याधिग्रहण किया गया एवं सितम्बर, 2013 में राज्य सरकार द्वारा राजकीय प्राचार्य की नियुक्ति की गई। 13 माह तक राजकीय महाविद्यालय के रूप में इस महाविद्यालय को संचालित किया गया एवं दिनांक 26.9.1994 को डी-नोटिफाइड (अपास्त) कर अकादमिक सत्र 2014-15 का व्यय एवं प्राप्ति का गैप-फंडिंग का अनुदान राज्य सरकार द्वारा करने के आदेश जारी किये गये।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट पिटीशन संख्या 9409/2014 के अंतरिम आदेश दिनांक 9.3.2015 द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ को याची संख्या 2014-15 का वेतन 15 दिन में भुगतान करने के आदेश जारी किये।

श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा आयुक्तालय, कालेज शिक्षा राजस्थान को क्रमश: दिनांक 20.3.2015, 28.4.2015, 2.6.2015, 15.7.2015 एवं 3.8.2015 को भेजे गये पत्रों में संस्था हेतु बजट राशि की मांग की गई। परन्तु आयुक्तालय, कालेज शिक्षा राजस्थान द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.10.2015 को शैक्षणिक सत्र 2014-15 हेतु संस्था को कोई राशि देय नहीं होने का आदेश जारी किया गया।

महोदय, वर्तमान में महाविद्यालय में करीब 250 छात्राएं अध्ययनरत हैं व 20 स्थाई व अस्थाई स्टाफ नियुक्त हैं। कार्मिकों का सितम्बर, 2013 से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। महाविद्यालय में नियुक्त राजकीय प्राचार्य बिना किसी को चार्ज दिए दिनांक 15.10.2014 को कार्यमुक्त होकर चले गये हैं। संस्था की प्रबन्ध समिति ने चार्ज नहीं सम्भाला है। वर्तमान में संस्था का

(श्री कृष्णा कड़वा)

कोई वारिस नहीं है। वर्तमान में महाविद्यालय की कुल भूमि 8,434 वर्गमीटर है जिसमें महाविद्यालय, छात्रावास व प्राचार्य आवास बना हुआ है। महाविद्यालय के चिपता खेल मैदान 9,944 वर्गमीटर है जिसमें भव्य आडिटोरियम, रैस्ट हाउस व आठ क्वार्टर बने हुए हैं एवं महाविद्यालय के पास आठ बीघा दो बिस्वा कृषि भूमि है। इसके छात्रावास में कुल 105 कमरे, एक कामन रूम, मैस, 32 स्नानघर व 37 शौचालय उपलब्ध हैं।

महोदय, निवेदन है कि इस महाविद्यालय का पुन: सरकारीकरण किया जाए ताकि नारी शिक्षा का यह केन्द्र बंद होने से बच सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से। श्री शंकरसिंहजी राजपुरोहित।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलने की इजाजत चाहती हूं। मेरा भी 295 का था।

श्री उपाध्यक्ष: Let the 'Parchi' get over then I probably get back to you.

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 60 वर्षों से जिन सरकारों ने राज किया, गरीब और पिछड़े वर्ग को...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट माननीय सदस्य, आप बिराज जायें। आप 295 पढ़ना चाह रही थीं, जो आप नहीं पढ़ पाईं। You want to do it. वैसे तो मैंने आपके 295 के प्रस्ताव को पढ़ा हुआ मान लिया है। वह रिकार्ड पर तो ले लूंगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ठीक है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत की नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पाली, जालौर व सिरोही के जनजाति समाज में शिक्षा का प्रसार

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकरसिंह जी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति समाज पाली, जालौर, सिरोही में उपेक्षित है मीणा और भील बंधु, जिनका आज दिन तक 60 वर्षों तक पूर्ववर्ती सरकारों ने शोषण किया और उनकी शिक्षा-दीक्षा का ध्यान नहीं दिया। एसटी का रिजर्वेशन होता है। पूरे प्रदेश में जहां-जहां भी एसटी रहे हैं, उन सबको बराबर का हिस्सा मिले और जो दबा हुआ तबका है, वह ऊपर कैसे आए, क्योंकि रिजर्वेशन की एक मैन भावना यही थी कि किसी भी दबे हुए तबके को बराबर के लेवल पर लाना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि जनजाति क्षेत्र में निश्चित रूप से मीणा और भीलों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए लेकिन मेरे पाली, जालौर और सिरोही तीन जिलों के भील और मीणा बंधु हैं, वे नाम के लिए ही हैं। प्रथम श्रेणी के अध्यापक से लगाकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तक पूरे तीनों जिलों में 450 कर्मचारियों से एक भी कर्मचारी ज्यादा नहीं है। सीधे सरकारी अधिकारी की नौकरी में आया हुआ कोई अधिकारी नहीं बना। इतना उपेक्षित यह वर्ग रहा है। अब एक तरफ आप देखें, सवाई माधोपुर, दौसा वगैरह, जहां एक ही परिवार में पांच-पांच आईपीएस, आईएएस बन जाते हैं और ये जो मीणा बंधु हैं, इनको कोई देखेगा? इसलिए सरकार का नजरिया होना चाहिए कि शिक्षा के कारण से, लिट्रेसी कम है, इसके कारण से ये उस दर्जे में बराबर का लाभ नहीं ले सके, सारे बराबर के भाइयों के प्रति जिन बड़े भाइयों ने लाभ लिया है, उनमें ये छोटे भाई हैं जो लाभ नहीं ले सके, इनका तबका कैसे आगे बढ़े, इस बात की चिंता सरकार को करनी चाहिए थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पाली में कुल जनसंख्या 18,20,251 है और उसमें मीणा और भील जनजाति 1,60,000 है, यानी छह प्रतिशत है। सिरोही में 8,51,107 कुल आबादी है जिसमें जनजाति 2.10 लाख है, जो 25 प्रतिशत है। जालौर में 14,48,940 कुल आबादी है, इसमें एसटी पापूलेशन 1,27,770 है, मतलब यह

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

9.77 प्रतिशत है। मेरे आहौर विधान सभा क्षेत्र में 2,22,723 की कुल जनसंख्या के मुकाबले 30,900 की एसटी पापूलेशन है, जो 14.25 परसेंट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही एक निवेदन करना चाह रहा हूं। इसके साथ-साथ मेरे आहौर विधान सभा क्षेत्र में आज जनजाति वर्ग इतना उपेक्षित है, उसकी चिंता हम कैसे करें? उसकी लिट्रेसी कैसे बढ़ाएं? इस बात की चिंता करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही में इतना बड़ा समाज है, चौकीदारी का धंधा करने वाले ये मीणा बंधु आज दिन तक कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ पाए। अमूमन इन लोगों के पक्के घर भी नहीं बन पाए। सिरोही जिले के अन्दर मीणा समाज के ही एक महाराज है झुंआजी महाराज, जो गायें चराते थे। वहां पर जंगल में गायें चराते, कुछ तपस्या भी करते। वहां पर गौतम ऋषि प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने कहा कि भाई, ये जंगल है। यहां पर जंगली जानवर बहुत है तो आप यहां से चले जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो यहां से नहीं जाऊंगा, यहीं तपस्या करूंगा। कुछ मुझे आप चमत्कार बताइये। वह बोले, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि यह जो मीणा और भील समाज है, ये मीणा समाज अपने पूर्वजों के क्रियाकर्म को अंतिम संस्कार के बाद, उनको गंगाजी तक नहीं ले जा पाते तो यहां पर कोई गंगा प्रज्जवलित करो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौतम ऋषि के उस चमत्कार के बाद वहां पर हर वर्ष एक दिन आता है जहां पर बाकायदा लाख-लाख लोग वहां पर देखते हैं, गंगाजी प्रज्जवलित होती है, गंगाजी आती है। इतना चमत्कारिक स्थान है। इतना ही नहीं, दो-दो, तीन-तीन लाख लोग वहां पर उस मेले में इकट्ठे होते हैं। एक भी पुलिस का कर्मचारी वहां सुरक्षा के लिए नहीं होता है, वहां की सुरक्षा खुद समाज करता है। इतना मजबूत समाज है। लेकिन शिक्षा के कारण से, लिट्रेसी की कमी के कारण से वह समाज आगे नहीं बढ़ पाया। इस बात की चिंता हमें करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आहौर में भी लगभग 18 से 19 गांव ऐसे हैं जहां पर एसटी पापूलेशन मूल जनसंख्या से बिल्कुल 50 परसेंट है, एवं उससे भी अधिक है। उसके बाद वे गांव कम से कम माडा कलस्टर में लिये जाएं जिससे उन गांवों में कोई न कोई विकास का कार्य खड़ा हो जाए...

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस उपेक्षित समाज को ऊपर लाने के लिए शिक्षा के माध्यम से जनजाति विकास बोर्ड द्वारा पाली, जालौर, सिरोही तीन जिलों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। जैसा कि मेवाड़ की तरफ हास्टल बना है वहां बालिकाएं शिक्षा ले रही हैं उसी तरह से हमारे यहां भी बालिकाएं खूब हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र आहौर के हायर सैकण्डरी विद्यालय के अन्दर 50 परसेंट एसटी की बालिकाएं पढ़ रही हैं। यहां पर शिक्षा के विकास के लिए हमें जोर करना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन करूंगा कि ये 18-19 मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो गांव हैं इनको माडा कलस्टर में शामिल करके विकास कार्य करवाएं। इसके साथ ही एकलव्य माडल स्कूल जो केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है या फिर कोई आवासीय एसटी छात्रावास यह मुझे दिया जाए। पाली, जालौर, सिरोही इन तीन जिलों का और मेरे आहौर का, दयालपुरा, मादडी की जहां की जमीन भी आरक्षित कर दी है। मतलब दयालपुरा मादडी से 13 किलोमीटर दूर सिरोही जिला है और 17 किलोमीटर पर पाली जिला है। वो ऐसा केन्द्र बिन्दु है वहां पर मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि इस पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक हास्टल या आवासीय विद्यालय हमें दें। जिससे उपेक्षित मीणा समाज जो पाली, जालौर, सिरोही का है, जिनको आज दिन तक सरकारों ने इनका शोषण किया है। हम इनको पूरी तरह से संरक्षण दे और इनको बढ़ाने का काम करें। इस समाज के लोग भी सरकारी नौकरियों में आ सकें, पढ़े लिखें और यह समाज भी सभी समाजों के साथ बराबरी के लेवल पर आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: Are you reacting to this?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के विकास हेतु गंभीर है और राजस्थान में जो क्षेत्र शैक्षिक व सामाजिक दष्टि से कमजोर है उन्हें पृथक से टीएसपी का भी दर्जा दिया गया है। मैं केवल माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि प्रारंभिक शिक्षा में सिरोही, जालौर और पाली, सिरोही में 427 यूपीएस और 236 प्राइमरी यूपीएस हैं, कुल 663 स्कूल चल रहे हैं और इनमें 44433 अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी तरह से जालौर में भी कुल 1603 स्कूल हैं और इनमें 24968 बच्चे जनजाति के हैं। इसी तरह से

(श्री वासुदेव देवनानी)

पाली में भी 22426 बच्चे 1285 स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसी तरह से सैकण्डरी सैटअप में भी बच्चों की पर्याप्त संख्या पिछले दिनों से हम लोग बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं और उसके अन्दर इस माध्यमिक शिक्षा में भी जालौर के अन्दर 11081 बच्चे, पाली के अन्दर 7073 बच्चे और सिरोही के अन्दर 20325 जनजाति बच्चे उसके अन्दर पढ़ रहे हैं।

जहां तक आपने छात्रावासों की बात की है। हमने केजी बालिका विद्यालय जो है वह आपके जालौर के अन्दर 7, पाली के अन्दर 10 और सिरोही के अन्दर 5 छात्रावास चल रहे हैं शारदे छात्रावास भी इन्हीं तीनों जिलों के अन्दर चल रहे हैं। जालौर में 7, पाली में 10 और सिरोही में 5 ये शारदे बालिका छात्रावास स्थापित किये जाने थे। जिसके अन्दर जालौर में 4, पाली में 4 और सिरोही में 3 स्थापित किये जा चुके हैं। सिरोही के अन्दर 2 छात्रावास, बहुत जल्दी उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा, उनको हम प्रारंभ कर देंगे। शेष रहे जालौर में 3 और पाली में 6 छात्रावासों के निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है और मुझे लगता है कि आगामी शैक्षणिक सत्र में पूरा हो जाएंगे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): जालौर जिले का सबसे ज्यादा परसेंटेज, आहौर विधान सभा क्षेत्र में एक छात्रावास एसटी के लिए नहीं है। इसीलिए मैं यह मांग कर रहा हूं कि एक आवासीय विद्यालय यहां हमें आप दें। जिससे वहां पर हास्टल-कम-स्कूल होगी और ये समाज आगे बढ़ेगा। आज सरकारी कर्मचारी कितने हैं वहां पर? चार से साढ़े चार सौ तक इन तीनों जिलों में हैं। आज हमारी सरकार इनको शिक्षा दे रही है लेकिन अच्छा वातावरण देने के लिए हमें एक आवासीय विद्यालय दीजिए, एक हास्टल दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनमें जितनी संख्या है वह पूरी हो जाने पर आपके जो सुझाव आएंगे, सरकार बिलकुल गंभीर है और शिक्षा में पिछले दिनों एक वर्ष के अन्दर नामांकन बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा है। बढ़ते हुए नामांकन के लिए अध्यापकों की भी पूर्ति करने का वहां हमने प्रयत्न किया है। शिक्षा का स्तर सुधरता जा रहा है और ये बच्चे आगे आते जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी सत्र में इनमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस तरह से एक गौतम ऋषि बहुत बड़ा स्थान है आपने जो क्वेश्चन उठाया है और पूरे पाली, जालौर, सिरोही में मीणा समाज का बहुत बड़ा धार्मिक

(श्री ओटाराम)

स्थल है। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2006-07 में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने करीब 5 करोड़ रुपये पहली बार उसके डवलपमेंट के लिए दिए थे। फिर सरकार चेंज हो गयी थी में करीब 82 लाख रुपये वहां खर्च हुए। एक हास्टल टाइप वहां बनाया। अपनी इच्छा थी कि आने वाले समय में, पाली, जालौर, सिरोही में जितने भी मीणा समाज के लोग हैं। अभी 12,13 और 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा मेला वहां भरता है कम से कम पांच लाख लोग वहां इकट्ठे होते हैं। वहां जिस तरह से करीब 82 लाख रुपये में एक हास्टल टाइप बना है उसके पास में ही अगर शिक्षा विभाग की तरफ से एक हास्टल की व्यवस्था हो जाए तो पाली, जालौर, सिरोही तीनों जिलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह मेरी भावना है और इसीलिए मैंने निवेदन किया है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): विचार करेंगे इस पर।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र पारीक।

गृह निर्माण सहकारी समिति की कालोनियों के पटटे

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों में जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा हजारों कालोनियों का निर्माण करवाया गया। उनकी कन्वर्जन की राशि भी जयपुर विकास प्राधिकरण की जो भी एजेंसी थी उनमें जमा हो गयी थी। लेकिन इसके बाद भी आज करीब 1500-2000 के लगभग ऐसी कालोनियां जयपुर शहर में हैं जिनके नियमन के लिए कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो रही है। जितने भी कैंप लग रहे हैं वो सारे कैंप निजी काश्तकारों की उन भूमियों पर जो डवलपर्स द्वारा बसाई जा रही हैं, निगम द्वारा वहां लग रहे हैं। जो कालोनियां आज वर्षों से हैं, जहां काफी आबादी में लोग रह रहे हैं और पूर्ण रूप से विकसित भी हो चुकी हैं लेकिन लोग पट्टों के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। उनके नियमन के लिए न तो कोई कैंप लग रहा है और न ही उनके पट्टे जारी होने की कोई कार्यवाही हो रही है। इसके अलावा कुछ कालोनियां ऐसी भी हैं जिनका सोसाइटियों द्वारा रिकार्ड पेश नहीं किया गया है, ऐसी भी सैकड़ों कालोनियां हैं। सोसाइटी वालों ने तो काट दी, अब वहां उन्होंने विकास समितियां बना रखी हैं। तो, उनका रिकार्ड लेकर उनके नियमन और उनके पट्टों की कार्यवाही हो और उन्हें भी पट्टे वहां मिल सके। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसी कई सारी कालोनियां हैं जिनके नियमन की कार्यवाही नहीं हो रही है जिनकी वजह से

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

लोग पट्टों के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जैसे ब्रह्मपुरी में गुरूनानक कालोनी, राजहंस कालोनी, जोशी कालोनी, लक्ष्मीनारायणपुरी, ब्रह्मपुरी सी और डी, गोविन्द नगर वाली कालोनी, मीणा कालोनी, शिवाजी नगर में विधान सभा के कर्मचारियों के लिए भी एक कालोनी कटी थी, उसमें भी आज तक नियमन की कार्यवाही नहीं हो रही है। इसी प्रकार से और भी कई सारी कालोनियां हैं। तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए इन कालोनियों के नियमन की कार्यवाही करें ताकि उन्हें पट्टे मिल सके।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जयपुर शहर में सहकारी समितियों की ऐसी सैकड़ों कालोनियां हैं जिनका अभी तक कैंप लगाकर के नियमितीकरण नहीं किया जा सका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 17.6.1999 की जो कट आफ डैट सरकार ने रखी थी सोसाइटियों के द्वारा अपनी कालोनियों के नियमन के लिए रिकार्ड प्रस्तुत करने की, उसके माध्यम से 1722 योजनाओं के दस्तावेज जेडीए में जमा किये गये। सन् 2002 में फिर कहा गया तो 634 योजनाओं के दस्तावेज जमा हुए और प्रशासन शहरों के संग में 620 दस्तावेज जमा हुए। इस प्रकार 2976 योजनाओं के दस्तावेज जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्दर सहकारी समितियों के माध्यम से जमा हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन 2976 योजनाओं में से 1479 योजनाओं का अनुमोदन करके उनके कैंप लगा दिए गये। बाकी जो योजनाएं बची हैं वो बड़ी संख्या में बची हैं और यह बात भी सही है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो सहकारी समिति के द्वारा पट्टे काट दिए गए हैं लेकिन दस्तावेज उसके जेडीए में जमा नहीं कराए गये हैं। उनकी संख्या कितनी है, इनकी जानकारी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा मुश्किल है और मैं समझता हूं कि 500-700 से कम संख्या में ऐसी सोसाइटियां नहीं हैं जिनकी योजनाओं के दस्तावेज जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा नहीं हैं।

यह बात भी सही है कि गत दो साल में जितने कैंप लगे हैं उनमें निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं के कैंप ज्यादा लगे हैं और सहकारी समितियों के कैंप कम लगे हैं। इसका कारण तो यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि निजी खातेदार के डवलपर्स जो हैं पूरे के पूरे कागजात पेश करके

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जेडीए के अन्दर योजना सब्मिट करते हैं, जबकि सहकारी समितियों के दस्तावेज या तो अधूरे हैं या पूरे नहीं हैं... या दस्तावेजों में कई प्रकार की कमियां हैं। कई कारण ऐसे हैं जैसे जयपुर का एक पूरा का पूरा जोन इकलाजिकल जोन है, पर इकलाजिकल जोन में भी सोसाइटीज ने प्लाट काट दिये हैं, योजनाएं काट दी हैं। इकालाजिकल जोन में होने के कारण उनका नियमितीकरण नहीं किया गया और इसी कारण से उनके कैम्प भी नहीं लगाये गये।

इस प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमितीकरण के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। फैसिलिटी के लिए जमीन कितनी होनी चाहिए, सड़क के लिए जमीन कितनी हो, नाली के लिए इलाका कितना हो, प्ले ग्राउंड्स के लिए कितनी जगह हो या पार्क के लिए कितनी जगह हो, मोटे तौर पर आइडियली 60:40 का रेश्यो होना चाहिए। 60 परसेंट इलाके में आवासीय प्लाट्स कट जाएं और 40 परसेंट फैसिलिटी का इलाका हो सड़क के लिए, नाली के लिए, बिजली के लिए, पार्क के लिए। ज्यादातर कालोनियों में 60:40 का रेश्यो मेन्टेन नहीं है। सरकार ने रिलेक्सेशन दिया और कहा कि 70:30 के रेश्यो में नियमितीकरण कर दिया जाए, लेकिन 70:30 में नियमितीकरण करने के बावजूद भी बहुत-बड़ी संख्या में ऐसी योजनाएं हैं जो 70:30 के रेश्यो को भी पूरा नहीं करतीं। इसलिए वहां पर कैम्प नहीं लग पाया।

कई योजनाएं ऐसी हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो वन क्षेत्र में हैं। कई योजनाएं अवाप्तशुदा जमीन पर है, कइयों के इलाके की जमीन अवाप्ताधीन है, कइयों के मामले विभिन्न न्यायालयों में है, स्टे आर्डर है। इस कारण बड़ी संख्या में नियमितीकरण के कैम्प सहकारी समिति के जो लगने चाहिए, नहीं लग रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी कालोनीज जिनके रिकार्ड जेडीए के पास जमा हैं उन सारी कालोनियों में किस-किस का कैम्प क्यों नहीं लग रहा है, इसके स्पेसिफिक रीजन को हम कम्पाइल कर रहे हैं और कम्पाइल करने के बाद कानून सम्मत ढंग से इन सबका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है इसकी हम कोशिश करेंगे और जो नियमितीकरण होने योग्य कालोनियां कानून में थोड़े-बहुत इंटरप्रिटेशन के साथ में हो सकती हैं उनका जल्दी से जल्दी हम समाधान करके कैम्प लगाने की गति में तेजी लाने की कोशिश करेंगे।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आपने कुछ कालोनियों की चर्चा की है। ब्रह्मपुरी के इलाके में, गोविन्द नगर के इलाके में, बदनपुरा के इलाके में, ये सारा इलाका जेडीए का इलाका नहीं है, जयपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन का इलाका है और जयपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन में अभी स्थिति यह है कि कई जगह पर कआपरेटिव इंस्पैक्टर होने चाहिए, उन कओपरेटिव इंस्पैक्टर्स के लिए हमने लिख कर भेजा हुआ है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से इंस्पैक्टर के आते ही इन कालोनियों में हम कैम्प लगाने की व्यवस्था कर सकते हैं।

आपने विधान सभा नगर, धौलाई की बात भी की है। विधान सभा नगर, धौलाई का मामला सबजुडिस है और 17.4.2016 को अगली तारीख तय है। जिस दिन इस केस का निदान हो जाएगा, निदान होने के साथ ही हम कैम्प लगा देंगे।

मैं आपके माध्यम से इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में सोसाइटीज जिनके कैम्प नहीं लगे हैं और 70:30 का रेश्यो भी मेन्टेन नहीं कर रही हैं उनके अन्दर किस प्रकार से कानून में तब्दीली की जा सकती है, कानून सम्मत ढंग से उनमें तब्दीली करके इन योजनाओं के नियमितीकरण का जो प्रयास किया जा सकता है, उसकी कोशिश सरकार करेगी।

श्री उपाध्यक्षः श्री फूल सिंह मीणा।

मादड़ी डैम (उदयपुर) के डूब क्षेत्र की भूमि के बदले भूमि का मुआवजा

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में गिर्वा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बछार में देवास योजना फर्स्ट व सेकिंड फेज का पानी उदयपुर में लाने के लिए मादड़ी में डेम बनाया गया था। सन् 2006 में जब उस डेम में सुराणा गांव के 96 किसानों की जमीन डूब क्षेत्र में आ गयी थी तो किसानों को जमीन के बदले जमीन देने की योजना थी जिसमें 55 किसानों को जमीन दे दी गयी थी मगर 41 किसानोंको आज तक जमीन नहीं मिली। पूर्व में 2008 से 2013 के बीच में जब सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री वसुन्धरा जी ने जमीन दी थी मगर किसानों की किस्मत खराब थी जो सरकार बदल गयी। फिर सरकार आई,

(श्री फूलसिंह मीणा)

सरकार ने सुराणा के किसानों को बछार पंचायत में जमीन हेतु उन 41 किसानों को डोडावली पंचायत में आबंटन करने की पैरवी की मगर आज दिन तक कब्जा नहीं मिला, क्योंकि वह जमीन दूसरी पंचायत की थी। उस वजह से किसानों ने यह कहा कि इनकी खुद की पंचायत में जमीन है तो इनको वहां पर दी जाए हमारी पंचायत में क्यों? और पूर्व सरकार की मंशा व नीति अच्छी नहीं थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार की नीति यह रही कि चोरों को तो कहा कि तुम चोरी करो और साहूकार को कहा कि तुम जागते रहो ऐसी नीति थी कि सुराणा वालों को बोला कि आपको हम जमीन डोडावली पंचायत में दे रहे हैं और डोडावली वालों को कहा कि तुम्हारी पंचायत में उनको आने मत देना। इस तरह पांच वर्ष निकल गये। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन गरीब किसानों को 2006 से आज तक जमीन नहीं मिली और ये 41 किसान दस वर्षों से आये दिन उदयपुर व जयपुर के चक्कर काट रहे हैं मगर न तो उनको जमीन में खेती करने दे रहे हैं और देवें भी क्या उसमें पानी भरा हुआ है, और न ही उनको दूसरी जगह जमीन मिली है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन गरीब किसानों को बछार पंचायत में ही जमीन दिलाने की कृपा करें और ये किसान इतने घबरा गये हैं कि थक हार कर यह कहने लग गये हैं अब तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने गत वर्ष इसी विधान सभा में पर्ची के माध्यम से यह मुद्दा उठाया था। इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। यह मुद्दा जिला परिषद में भी आया। जिला कलेक्टर साहब को भी कहा। एसडीएम साहब को भी बताया मगर यह काम अभी तक नहीं हुआ और किसानों को उनका हक नहीं मिला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज किसानों की किस्मत से दुबारा पर्ची खुली और दुबारा बोलने का मौका मिला। मैं यहां खड़ा होकर आपसे अनुरोध करता हूं, मुझे विश्वास है मंत्री जी पर हमारी सरकार हमेशा की तरह किसानों की चिन्ता करते हुए, हर दुख दर्द में सहायता करते हुए इसी वर्ष इन किसानों का हक दिलाएगी। पूर्व सरकार के जैसे पांच साल निकल गये थे मगर उन्होंने

(श्री फूलसिंह मीणा)

किसानों के हित में कुछ नहीं किया मगर मेरा अनुरोध है कि वर्तमान सरकार इन किसानों का दुख दर्द समझते हुए इन किसानों को इनका हक दिलवाएगी यह मुझे विश्वास है। आदरणीय मंत्री जी से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन किसानों को उनकी जमीन के बदले जमीन दे तो गरीब किसान उस दूसरी जगह चाहे कैसी भी जमीन हो, मैं यह नहीं चाहता हूं कि वास्तव में जो उनकी उपजाऊ जमीन डूबी है, वो पहाड़ी क्षेत्र में भी दे देंगे तो वो किसान कह रहे हैं कि हम मजदूरी करके जमीन को उपजाऊ कर लेंगे मगर हमारे को इसी बछार पंचायत में जमीन दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आप रिएक्ट करेंगे?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है 41 काश्तकारों के बारे में। यह सरकार हमेशा किसानों की हितैषी रही है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मंगा करके भूमि की उपलब्धता के अनुसार जो 55 काश्तकारों को भूमि दे दी गयी और ये दूसरे जो हैं जिस गांव में यह जमीन आबंटित होनी थी वहां के काश्तकारों ने वहां के ग्रामवासियों ने विरोध किया और इसीलिए उन 41 काश्तकारों को भूमि उपलब्ध नहीं हुई। लेकिन यह सरकार जिस पर आपका पूरा भरोसा है, पूरी कोशिश करेगी कि आपके सहयोग से और प्रशासन से तुरंत रिपोर्ट मंगा कर के जो वंचित रहे गये हैं काश्तकार, भूमि की उपलब्धता के अनुसार उनको भूमि उपलब्ध करायेंगे। धन्यवाद।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चाकसू बाईपास पर अंडरपास निर्माण

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाकसू उपखंड मुख्यालय में जब जयपुर से कोटा फोरलेन रोड बना नेशनल हाइवे तो इसमें से बाईपास बना चाकसू से। चाकसू से जो बाईपास बना उसमें चाकसू तहसील उपखंड मुख्यालय है। यहां पर एसडीएम का, ज्युडिशियरी का तहसीलदार का, बीडीओ का, कालेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

के स्टूडेंट्स हैं, व्यापारी वर्ग है, कृषि उपज मण्डी के किसान हैं, हास्पिटल होने की वजह से सारे लोग, मेरी 15-20 पंचायतें चाकसू से निम्बोडिया चौराहे से और गढ्ढवासी चौराहे से कोटखावदा रोड से जाती है। बाई पास बना हैं, इसका अंडरपास नहीं बना। यहां आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो निम्बोडिया का चौराहा है जो चैनेज नंबर 41/200 है और एक है चैनेज नंबर 45/900 जो कि गढ्ढवासी चौराहा है। यहां पर अब तक 40-50 दुर्घटनाएं हो चुकीं, इनमें 16 मौतें हो चुकी हैं। यह अंडरपास बन जाए तो यहां पर दुर्घटनाएं होना भी बंद हो जाए और जो अचानक मौतें होती हैं वह भी कम हो जाए। आपने कोटखावदा रोड पर तो अंडरपास बना दिया जब फोर लाइन बनी तब। आज इन दोनों चौराहों पर अधिक से अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर आवाजाही पूरी रहती है, उपखण्ड मुख्यालय होने की वजह से सभी वर्ग के लोग आते जाते हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर अगर अंडरपास बना दिया जाए तो हमारे यह दुर्घटनाएं होना भी कम हो जाएंगी और मृत्यु होना भी कम हो जाएंगी।

इसी प्रकार से नेशनल हाई वे 12 से जब मुख्य चाकसू सड़क पर जाते हैं वहां पर भी एक मोड ऐसा है जो ब्लाइंड मोड है। वहां पर जब भी अचानक कोई वाहन घूमता है, वहां भी दो चार आदमियों की मृत्यु हो चुकी।

अगर आप यह तीन अंडर बाईपास बनाने की मेहरबानी करें तो बडी कृपा होगी। यह जनहित में रहेगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कब तक आप प्रयास करेंगे, कब तक आप इसको बनाने की कृपा करेंगे, माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 12 पर चाकसू से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन अंडरपास की बात की उसमें यह बात सही है कि एनएसडीपी फेज थर्ड में जब यह सड़क का निर्माण हुआ डिजाइन ब्यूल्ड फाइनेंस आपरेट एंड ट्रासपोर्ट, उस समय भी वहां स्थानीय लोगों ने यह मांग रखी थी। लेकिन इन तीनों स्थान पर उस समय प्रोजेक्ट में जंक्शन निर्माण कार्य ही प्रस्तावित किया हुआ था इसलिए उन्होंने जंक्शन निर्माण का ही कार्य किया। अब विशेष रूप से चैनेज संख्या 33/130 चाकसू मोड, चैनेज संख्या 41/244 निम्बोडिया

(श्री युनुस खान)

चौराहा, चैनेज 45/934 गढ्ढवासी चौराहा, इन तीनों जगह पर विशेष रूप से आपने अंडरपास की मांग की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और कंसेशनर ने जब इसकी डिजाइन की थी उस समय प्रोविजन नहीं रखा। अब नये सिरे से इसकी सारी परिस्थितियां और माननीय विधायक महोदय की मांग और परिस्थितियों को देखते हुए हम नये सिरे से तकनीकी परीक्षण करवा कर इस पर निर्णय करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि एक विषय और है कि जब यह लगभग 19.30 किलो मीटर का बाईपास बना तो इनका पीछे जो लैफ्ट आउट है 14.40 रह गया जिसमें आपने यह भी जिक्र किया चाकसू का जो मोड है, उसमें जरूर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अभी बजट घोषणा की थी कि लैफ्ट आउट है उस हम निर्माण करेंगे। मैं यह कह सकता हूं कि चाकसू में जो आपका 14.40 किलो मीटर का लैफ्ट आउट है, उसमें राज्य सरकार 20 करोड रुपये देगी उसको डवलप करने के लिये। उस समय सारा तकनीकी परीक्षण करके और क्या संभव हो सकता है, वह सरकार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन, ललित कुमार।

सूचना

ऊनी ग्राम (शाहबाद तहसील) में अग्निकांड में जली फसल से नुकसान

श्री ललित कुमार (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि कल 27 तारीख को साढ़े 12 बजे करीब शाहबाद तहसील के ऊनी गांव में गेहूं की फसल में अचानक आग लग गयी। इतनी भीषण 115 बीघा रकबे में आग लगी और इससे पूरी गेहूं की फसल जल कर राख हो गयी। केलवाडा कस्बा पास में पड़ता है, ऊनी कस्बा, सभी 8-10 गांव के लोगों ने भाग कर पेड़ों की झवरिया काट कर आग बुझाई, स्प्रे करके आग बुझाई, दमकल पहुंच नहीं पाई, आग पर काबू भी पा लिया। मैं पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 115 बीघा जमीन बहुत अधिक जमीन होती है और 6 किसान इससे प्रभावित हैं। एक किसान की 60 बीघा जमीन है। पूरा गेहूं

(श्री ललित कुमार)

तबाह हो गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री महोदय और सरकार इसमें कुछ राहत देने का प्रयास करे, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती कामिनी जिन्दल।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदाकर्मियों का नियमितीकरण

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदा कर्मियों के नियिमतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में अनुबंध पर कार्यरत कार्मिकों को, संविदा कर्मियों को 'नाको' भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के तहत नियमित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं रखा है। राज्य सरकार द्वारा किसी भी परियोजना कार्यक्रम में कार्यरत संविदा कर्मियों को सीधे ही नियमित किये जाने का सेवा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा नियमित पदों पर भर्ती में अनुबंध पर कार्यरत कर्मिकों, संविदा कर्मियों को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमों 1965 के नियम 19 की अनुपालना में समान कार्य के आधार पर एक वर्ष की सेवा पर 5 बोनस अंक, दो वर्ष की सेवा पर 10 बोनस अंक और तीन वर्ष की सेवा पर 15 बोनस अंक देकर सेवा पर भर्ती करने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी संविदा कर्मी चयनित होता है तो उसे नियमानुसार नियमित नियुक्ति दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछें।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, इनफैक्ट उनके ध्यान में लाना चाहूंगी मंत्री जी, आपने यह बताया कि यह प्रोग्राम सेंटर स्पोंसर्ड है और इसमें ऐसा

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

कोई प्रावधान नहीं है कि इनको नियमित किया जाए, परंतु मेरे पास जो डेटा है 2014 में बाकी सरकारों ने, मेरे पास हिमाचल प्रदेश का है, इन्होंने सेंटर से इसमें मार्ग दर्शन मांगा था तो सेंटर की तरफ से यह आया कि अगर राज्य सरकार की इच्छा शक्ति हो तो राज्य सरकार अपने स्तर पर इनके लिये नियमितीकरण का कार्य कर सकती है। यह 18 वर्ष के आस पास से यहां पर कार्य कर रहे हैं और साढ़े आठ सौ से अधिक संविदा कर्मी इसमें हैं। आज उनकी जो मुश्किलें हैं उनको समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है और लगातार उनकी यह मांग रही है कि उनके लिये भी किया जाए। इसी तरह की योजना जो एनआरएचएम है उसमें अभी इनको नियमितीकरण करने की प्रक्रिया हमने की है। तो हम इनके लिये क्यों नहीं कर रहे ? इनके साथ हम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। हम क्यों सेंटर से इसके लिये गाइडेंस नहीं ले रहे हैं ? मंत्री जी बताएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है यह नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन के अन्तर्गत चलता है और इसी के अधीन राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जिसका रजिस्ट्रेशन 1998 में हुआ था, वह काम कर रही है। इसमें शत प्रतिशत फंडिंग भारत सरकार की तरफ से है। यह प्रोग्राम अब अपने चौथे चरण में है जो 2012 से 2017 तक है और निश्चित तौर पर एड्स की रोकथाम के लिए है। इसमें अब तक राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर 10 और संविदा पर 585 कर्मी काम कर रहे हैं।

हमने 4.8.2014 को भारत सरकार को लिखा था, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी भारत सरकार को हमने लिखा था कि इनके नियमितीकरण के लिये क्या भारत सरकार अपनी सहमति प्रदान करती है। भारत सरकार ने कहा कि हम इसमें सहमति प्रदान नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय, हमने फिर भी राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1965 के नियम 19 में जो बोनस अंक देने का काम किया और जिसके तहत एक वर्ष में 5 अंक, दो वर्ष के लिए 10 अंक और तीन वर्ष के लिए 15 अंक, उसमें हमने एनआरएचएम के कर्मियों को नियमित किया, उसमें एड्स में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनको भी नियमित किया है और टीबी कंट्रोल वालों को नियमित किया है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक राजस्थान में 13823 ऐसे कर्मी जो संविदा पर काम कर रहे थे उनका आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुआ और उनमें से 10906 चयनित होकर उनका नियमितीकरण हो गया। एड्स कंट्रोल सोसाइटी में इस वक्त कुल 434 कर्मी काम कर रहे हैं, उसमें 139 का चयन होकर स्थाईकरण हो गया, 295 वंचित है। यह जितने भी वंचित है इनको हम नौकरी से नहीं हटा रहे। हमारी जब भी और वैकेंसी निकलेगी उन वैकेंसी में इनका जो बोनस अंक है उसके आधार पर इनको भर्ती करने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब हमें जो कुल 13823 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उसमें से 10906 को हमने चयनित कर लिया और मात्र 2917 ऐसे हैं जो एनआरएचएम में भी हैं, एड्स में भी हैं, एड्स कंट्रोल सोसाइटी में भी हैं, टीबी कंट्रोल आर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं। इन 2917 जो कि आज तदर्थ पर काम कर रहे हैं? मैं निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि इनमें से किसी को नहीं हटाएंगे। हमें नए पदों की अनुमति ज्योंहि वित्त विभाग से मिलेगी, हम इनका नियमितीकरण करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हमीरसिंह भायल।

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2015 में निरस्त प्रश्नों के बोनस अंक

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 131 के तहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा, 2015 रीट के सम्बन्ध में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ...।

श्री उपाध्यक्ष: एक बार आप बिराज जाएं। Let him . पहले वो अपना व्यक्तव्य दे दें। फिर आपको जो पूछना है, पूछ लें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार सरकार ने तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती के लिए दो परीक्षाओं की जगह एक परीक्षा 'रीट' का आयोजन किया। यह आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाया गया और 7 फरवरी को यह परीक्षा हुई। प्रथम स्तर के परीक्षार्थी कुल 1 लाख 47 हजार 801 और द्वितीय स्तर पर 6 लाख 67 हजार 176 इसमें अभ्यार्थी बैठे। इनकी उत्तर की कुंजी बोर्ड ने 5 मार्च, 2016 को जारी

(श्री वासुदेव देवनानी)

की। इस पर हमने आपत्तियां प्राप्त करने के लिए तारीख तय की। 14 मार्च अंतिम तिथि थी। उस तारीख तक हमें 5799 अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। रीट परीक्षा, 2015 प्रथम और द्वितीय स्तर पर दो भिन्न प्रश्न पत्रों पर आयोजित हुई। प्रथम स्तर में कुल 17 विषय व प्रश्नों की संख्या 510 थी। इसी प्रकार द्वितीय स्तर में कुल 17 विषयों के 570 प्रश्नों की संख्या थी। अर्थात कुल 1080 प्रश्न थे। कई बार कहते हैं कि डेढ़ सौ प्रश्नों में 32 प्रश्न निरस्त हुए। ऐसा नहीं है। कुल 1080 प्रश्न थे, जिनमें से छात्रों को विकल्प के आधार पर स्वयं द्वारा चयनित विषयों के कुल डेढ़ सौ प्रश्न हल करने थे। इसमें सबसे पहले एक्सपर्ट के द्वारा उनके हल मंगवाए गये। जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया था, उन्होंने इसका हल सुझाया। दोनों का मिलाकर उस समय ऐसे 32 प्रश्नों में आया कि इनमें कहीं-न-कहीं कमी पाई गयी। उसमें एस.टी. – 1 के 13 प्रश्न थे और एस. टू – 2 के 19 प्रश्न थे। अब एक आपत्ति निवारण समिति बनाई है। जो इन 32 प्रश्न और 5799 विद्यार्थियों ने जो आपत्तियां दर्ज करवाई हैं, इस पर विचार किया जा रहा है और विचार में पहले यह सुझाव जरूर था कि जितने प्रश्न अंतिम रूप से निरस्त होंगे, उनके अंकों को मानकर बाकी में हल किया जाएगा। लेकिन हमने अध्ययन किया कि 2011-12 में आरटैट जिन लोगों ने दिया था उसमें उन नियमों के अन्तर्गत उस समय बोनस अंक दिए गये थे। तो सेम 2011-12 के नियमों की तरह इस परीक्षा में भी उन नियमों का पालन किया जाएगा और जो अंतिम रूप से प्रश्न निरस्त किए जाएंगे उनको बोनस अंक दिए जाने का निर्णय 19 मार्च, 2016 को विषय-विशेषज्ञ और आपत्ति निवारण समिति ने लिया है।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा, 2015 लेवल – प्रथम एवं लेवल – दो, में निरस्त किए गये प्रश्नों के अंक भार न बढ़ाकर बोनस अंक दिए जाने की मांग पर यह कि एक सवाल अलग-अलग जवाब, जो रीट की व्यवस्था को प्रश्न चिह्न लगा है। जिससे लाखों अभ्यर्थियों के सामने परेशानी खड़ी हो गयी। विशेषज्ञ द्वारा पेपर तैयार करने भी कई सवालों को निरस्त किया गया। निर्धारित मापदंड में कुल प्रश्न-150, अंक भार-150, प्रति प्रश्न एक अंक, नियमित उत्तीर्ण अंक 60 प्रतिशत यानी 90 अंक होने चाहिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 06.03.2016 को

(श्री हमीरसिंह भायल)

घोषित प्रस्तावित उत्तर तालिका के अनुसार प्रश्नों की स्थिति - प्रथम लेवल - बाल विकास 30-30, रद्द प्रश्न – 0, शेष – 30, हिंदी भाषा – 30-30, रद्द प्रश्न – 5 और 25, अंग्रेजी भाषा द्वितीय 30-30, रद्द प्रश्न – 3 व , गणित ...। मतलब यह स्थिति प्रथम लेवल की है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किए गये रीट, 2015 के परिणाम में जिस विषय के जो प्रश्न निरस्त किए गये हैं, उनके अंकों को शेष रहे प्रश्नों में बराबर विभाजित करके ओ.एम.आर. शीट की जांच की जाएगी। जिससे परीक्षार्थियों को कोई नुकसान नहीं होगा। अध्यक्ष, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी बयान के अनुसार रीट, 2015 परीक्षार्थियों को बहुत ही घातक सिद्ध होगा। अगर ऐसा किया गया तो रीट, 2015 के परीक्षार्थी पिछले पिछले वर्षों में आयोजित आर.टी.ई.टी. 2011 व 2012 के परीक्षार्थियों से अंक गणना व परिणाम में पीछे रहेंगे। बोर्ड द्वारा अध्यापक भर्ती के लिए आर.टी.ई.टी. 2011 व 2012 तथा रीट, 2015 के परिणाम व मैरिट को समान माना गया है और इसके अनुसार ही बोर्ड द्वारा अध्यापक भर्ती होगी। आर.टी.ई.टी. 2011 व 2012 में निरस्त प्रश्नों के प्रति प्रश्न एक बोनस अंक देकर ओ.एम.आर. शीट की जांच करवाकर परिणाम घोषित किया गया था। अब रीट, 2015 में अगर बोर्ड द्वारा निरस्त प्रश्नों के बोनस अंक न देकर शेष प्रश्नों में अंक विभाजित कर एम.आर. शीट की जांच कराई जाती है तो नीचे दिए गये उदाहरण से समान स्थिति में आर.टी.ई.टी. 2011 व 2012...।

तो मेरा निवेदन था कि इसमें 2011 और 2012 और रीट, 2015 में जो भिन्नता आ रही है इसको समान दृष्टि से करें। यह जो आपके रूल्स हैं, जबकि रीट, 2015 में नियम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चार में अंकित है कि रीट एवं टैट परीक्षा का स्तर समान है। कोई अभ्यर्थी टैट या रीट दोनों परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उत्तीर्ण परीक्षाओं में सर्वोत्तम परिणाम की गणना करने पर लाभ दिया जाएगा। इसमें समान दृष्टि से सब बच्चों का सलेक्शन कैसे हो? किसी के साथ में अन्याय नहीं हो। यही मेरा निवेदन रहेगा।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि 2011 व 2012 में जो नियम लागू थे। अर्थात जो प्रश्न अंतिम रूप से निरस्त होंगे, उनके पहले की तरह बोनस अंक दिए

(श्री वासुदेव देवनानी)

जाएंगे। किसी प्रकार का किसी विद्यार्थी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सबके साथ समान रूप से ही व्यवहार होगा। उनका समान योग्यता के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि पुराना एक नियम है कि आरटैट में जो परिणाम आया था वो सात साल कंटीन्यू रहेगा। उनकी मैरिट में किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं हो। इसलिए पहले की तरह इन विद्यार्थियों को भी जो अंतिम रूप से निरस्त होंगे उनको बोनस अंक ही दिया जाएगा। यह मैं घोषणा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि प्रतिवेदन – श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2014-15)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) (वर्ष 2014-15)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री बनवारी लाल सिंघल।

समिति प्रतिवेदन

प्रश्न एवं संदर्भ (क्रम सं. 19 व 20)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 के 19वें एवं 20वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

याचिका

जयपुर के विधान सभा नगर, धौलाई, मानसरोवर, स्थित विधानेश्वर महादेव सार्वजनिक पार्क के चारों तरफ रोशनी की व्यवस्था

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा नगर, धौलाई, मानसरोवर, जयपुर स्थित विधानेश्वर महादेव सार्वजनिक पार्क के चारों तरफ रोशनी हेतु लाइट लगाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

उदयपुरवाटी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र, उदयपुरवाटी में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा।

सागवाड़ा में विद्युत समस्या के समाधान हेतु 132 केवी जीएसएस की स्वीकृति

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में विद्युत समस्या के समाधान हेतु 132 केवीजीएसएस की स्वीकृत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं। धन्यवाद।

(14.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: आय व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17, अनुदान की मांगों पर विचार।

श्री प्रभू लाल सैनी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37-कृषि की प्रस्तुति

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37- कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,71,85,87,000/- (तीस अरब इकहत्तर करोड़ पिच्यासी लाख सत्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 37 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट- 2 देखें)

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,97,39,92,000/- (पांच अरब सत्यानवे करोड़ उनतालीस लाख बानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 39 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आ गये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजय सिंह जी।

मांग संख्या 36-सहकारिता की प्रस्तुति

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,15,56,48,000/- (पांच अरब पन्द्रह करोड़ छप्पन लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या – 36 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट - 4 देखें)

मांग संख्या 37, 39 व 36 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज बोलना शुरू करूं उसके पहले आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। मेरे सामने समस्या है कि मैं प्रभू को संबोधित करके बोलूं या गोविन्द देव जी की नगरी में है उनका भी आज इस डिमांड पर चर्चा में है उसके सम्बन्ध में बोलूं या अजय सिंह के सम्बन्ध में बोलूं। अजय नाम भगवान राम जी का है। जीतने से कई अजय रघु राई, उसके बाद अजय शब्द लगाने लग गये। प्रभू तो हैं ही।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): आप तो घनश्याम हो, बरसो आज तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं बरसने की भूमिका बांध रहा हूं फिर बाबा जी है, गायों के लिए लट्ठ लेकर यह घूम रहे हैं। अब इनमें से कौनसी चीज पर मैं शुरू करूं। आपका मार्गदर्शन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं गोविन्द से ही शुरू करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने स्तर पर इतने सक्षम है कि इन सबको समाहित कर लेंगे अपने बल पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण है आप। आपके ही नेतृत्व में शेखावाटी तो साथ रहती ही है, जयपुर में आप कहें तो आपकी कृपा से इस काम को पूरा कर लेते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोविन्द नाम भगवान का इसलिए पड़ा कि जब इन्द्र ने ब्रज पर कोप दृष्टि की और पानी में सारी गायें बहने लगीं तो भगवान ने गायों ने रक्षा की। गायों ने भगवान का अभिषेक किया। गऊओं के अभिषेक से गोविन्द हो गये। उनके बड़े भाई बल दाऊजी थे उनको हलधर, हल लेकर वह चले तो एक ग्वाला और एक किसान, यहां से हमारी संस्कृति प्रारम्भ हुई और उसको आज पांच हजार से ज्यादा साल हो चुके हैं। हलधर में इतनी ताकत थी कि भगवान कृष्ण भी हलधर से घबराते थे बल दाऊ से। उनको बहला फुसलाकर काम कराते थे, बाकी उनसे नहीं करते थे। इस समय हमारा किसान हलधर है, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति इस समय तकलीफ में है तो वह भारत का किसान है। किसान हल जब तक अपने कंधे पर रखता है तब तक तो ठीक है, किसान जिस दिन हल लेकर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सड़क पर आ जाए उस समय कोई भी बचा नहीं सकता। आज हमारे किसान की वह स्थिति है। इसका कारण कोई एक सरकार नहीं है। इसका कारण 70 साल का निरन्तर हमारा काम है, उसका परिणाम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूं, पहले हम यह कहते थे उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और निम्न चाकरी। कृषि को उत्तम माना जाता था, वाणिज्य मध्यम था, चाकरी तीसरे नम्बर पर आती थी। आज चाकरी पहले नम्बर पर आती है। चाकर भी पहले नम्बर पर है और चाकरी भी पहले नम्बर पर है। दोनों पहले नम्बर पर है। राजेन्द्र जी, मैंने आपको संबोधन किया, आप कम से कम सुनो, आपका सदस्य हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको सुनने ही बैठा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चाकरी आज पहले नम्बर पर आ गयी, व्यापार दूसरे नम्बर पर है और खेती तीसरे नम्बर पर है। खेती का अवमूल्यन हुआ है उसके ऐतिहासिक कारण हैं। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा। मैं दो आदमियों का यदि जिक्र नहीं करूंगा तो खेती के बारे में ठीक से नहीं बोल पाऊंगा। पहले श्री चौधरी चरण सिंह जी। कांग्रेस पार्टी ने समाजवाद के नारे और साम्यवाद के नारे से प्रभावित होकर भारत में कोआपरेटिव फार्मिंग लागू करने की कोशिश की। पंडित जवाहर लाल जी नेहरू के नेतृत्व में वह एक प्रस्ताव लेकर आए और प्रस्ताव करीब-करीब कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर दिया था। उस समय एक मात्र चौधरी चरण सिंह जी थे 1957 में, और 1959 में दो अधिवेशन हुए थे नागपुर और आवड़ी में। उन्होंने इस खेती का, कोआपरेटिव मूवमेंट का जबरदस्त विरोध किया। बहुत जबरदस्त विरोध किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आज उनको याद करते है इसलिए, कि अगर चौधरी चरण सिंह जी उस समय कोआपरेटिव फार्मिंग का विरोध नहीं करते, सहकारी खेती लागू होती, किसान का जमीन का अधिकार समाप्त हो जाता और कम्यून सिस्टम जैसा रूस और चीन में डवलप हुआ, कि किसान जाकर काम करेगा और रोटी ले लेगा तो भारत की खेती की व्यवस्था और भारत भूख के कगार पर पहुंच जाता। रूस चांद पर पहुंच गया लेकिन पेट भरने के लिए अनाज नहीं था इसलिए सोवियत रूस टूटकर छोटे-छोटे राष्ट्रों के रूप में बंटा, वह भारत की हालत होती। मैं चौधरी चरण सिंह जी को धन्यवाद

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देना चाहूंगा कि उन्होंने उस समय अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ताक पर रखकर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का विरोध मोल लिया और विरोध मोल लेने के कारण आज कोआपरेटिव फार्मिंग कांग्रेस पार्टी लागू नहीं कर सकी, इसलिए हमको चौधरी चरण सिंह जी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए।

दूसरी कृतज्ञता मैं ज्ञापित करना चाहूंगा स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत, राजस्थान की विधान सभा के उन माननीय सदस्यों के प्रति जिन्होंने हिन्दुस्तान में, सॉरी, 1957 के बजाय, जनवरी 1959 के कांग्रेस के अधिवेशन में यह बात हुई थी जहां चौधरी चरण सिंह जी ने कोआपरेटिव फार्मिंग का विरोध करके रुकवाया था।

मैं स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत को धन्यवाद देना चाहूंगा, राजस्थान की विधानसभा के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सबसे पहले हिन्दुस्तान में जागीरदारी उन्मूलन का काम समाप्त करके किसान को जमीन का हक दिया। राजस्थान की विधान सभा धन्यवाद की पात्र है। हिन्दुस्तान में भूमि सुधारों का श्री गणेश राजस्थान की विधान सभा के माध्यम से हुआ। उस समय स्वर्गीय श्री भैरोंसिंह जी पर इतना बड़ा जन संघ का दबाव था, जनसंघ पार्टी जागीरदारी उन्मूलन के पक्ष में थी कि जागीरदारी समाप्त होनी चाहिए और किसान जमीन का मालिक बनना चाहिए। जनसंघ के अधिकांश मैम्बर थे उस समय वह जागीरदार परिवारों से आए थे। उन्होंने विरोध किया लेकिन शेखावत साहब ने उन सबके विरोध के बावजूद जनसंघ की नीति का पालन करके जागीरदारी उन्मूलन का समर्थन किया और सबसे पहले जनसंघ के नौ एमएलएज को बाहर निकाला गया। लेकिन भैरोंसिंह जी और जगत सिंह जी झाला यह दोनों उस समय बने रहे और उन्होंने जागीरदारी उन्मूलन का समर्थन करके राजस्थान में किसान को जमीन का मालिक बनाने का काम चालू करके सारे देश में फिर भूमि सुधार कानून लागू हुए, इसके कारण से किसान जमीन का मालिक बन पाया। अगर यह दो काम नहीं होते तो किसान जमीन का मालिक नहीं बनता। उस समय 40 करोड़ की जनसंख्या थी जिस समय पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने 1957 में बजट पेश किया था, 1959 में प्रस्ताव पेश किया था और हम 40 करोड़ लोगों के लिए गेंहू की भीख मांगने के लिए अमेरिका के सामने खड़े रहते थे। फिर कृषि क्रान्ति हुई और कृषि क्रान्ति के बाद आज 125 करोड़ लोगों का पेट भरने के बाद भी भारत का किसान अनाज को आयात करने जितना उत्पन्न करता है इसके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिये हम सबको भारत के किसान के प्रति बहुत-बहुत श्रद्धावनत होकर उसका स्मरण करना चाहिये कि राष्ट्र को उन्होंने इस आधार पर खड़ा कर दिया। लेकिन आज उसकी क्या स्थिति है। आज की स्थिति जब तक हम उसकी नहीं देखेंगे, तब तक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम किसान के साथ और कृषि के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। इसके लिये मैं एक स्टेटमेंट प्रधान मंत्रीजी का पढ़ना चाहूंगा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस स्टेटमेंट को आपके सामने पढ़ दूं। भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री, वह अंग्रेजी में है, आपकी इजाजत हो तो मैं चार लाइन पढ़ दूं, अभी भाषण दिया उन्होंने।

"When a benefit is given to farmers or to the poor, Experts and Government Officers normally call it a subsidy. However, I find that if a benefit is given to industry or commerce, it is usually called an 'incentive'. यह भाषण दिया है उन्होंने, जनवरी, 2016 में, अभी बिजनस समिट में, माननीय श्री नरेन्द्र मोदीजी ने। आगे उन्होंने अपने भाषण में कहा है,

"Let me give you an example. The total revenue loss from incentives to corporate tax payers was over Rs. 62,000/- crore. Dividends and long term capital gains on shares traded in stock exchanges are totally exempted from income tax even though it is not the poor who earn them. Since it is exempted, it is not even counted in the Rs. 62,000/- crore. Double taxation avoidance treaties have in some cases resulted in double non-taxation." उन्होंने कहा है कि

"I am not arguing that all subsidies are good. My point is that there can not be any ideological position on such matters. We have to be pragmatic. We have to eliminate bad subsidies, whether or not they are called subsidies. But some subsidies may be necessary to protect the poor and the needy and give them a fair chance to succeed. Hence my aim is not to eliminate subsidies but to rationalize and target them." बहुत साफ है कि हम जब किसी बड़े कोरपोरेट सैक्टर को करते हैं तो कहते हैं कि इंसेंटिव दे रहे हैं और किसान को जब कहते हैं कि इसको खाद दे रहे हैं तो उस पर सिब्सडी दे रहे हैं। उनको बिजली दे रहे हैं तो उस पर सब्सिडी दे रहे हैं। यह व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी, तब तक किसान का भला नहीं होगा। इस बार के बजट में भारत सरकार ने 2021 तक किसान की आय को दुगुना करने का लक्ष्य तय किया है और एक लाख 70 हजार करोड़ का उसमें प्रावधान किया है। इसलिये किसान की आय जब तक दुगुनी नहीं होगी, तब तक हमारा यह काम पूरा नहीं होगा। यह प्रधान मंत्रीजी का सीधा-सीधा वर्जन है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हम जयप्रकाशजी नारायण को और विनोबा भावे जी को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने भूदान आन्दोलन शुरू किया और उसमें एक बात बहुत बड़ी रखी थी, जो बाद में हमारे कानूनों में आई, वह आई कि एस.सी. और एस.टी. की खेती की जमीनों का बेचान नहीं होना चाहिये। अगर वह कानूनों में नहीं आती तो एस.सी. और एस.टी. भूमिविहीन होते लेकिन उस कानून की कुछ कमियां-बेशियां हैं, अब उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसान की, अनुसूचित जाति की और जनजाति की जमीनों को जिस प्रकार प्रोटेक्ट करने का काम तो हमने किया, लेकिन हम उसकी आय को प्रोटेक्ट करने का काम नहीं कर सके।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जागीरदारी एक्ट तो कांग्रेस ने बनाया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं कांग्रेस की ही कर रहा हूं।

श्री हीरालाल (निवाई): कांग्रेस की बात कही।

एक माननीय सदस्य: बैठ जाओ-बैठ जाओ।

श्री हीरालाल (निवाई): ...(व्यवधान) आपको तो खुश होना चाहिये कांग्रेस की बात कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, बोलने दें। मैं कांग्रेस की ही बड़ाई कर रहा हूं, हुजूर। उस समय कांग्रेस का ही राज था।

श्री हीरालाल (निवाई): समझ में नहीं आया आपके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आ जाएगा, आ जाएगा। मैं यील्ड कर रहा हूं। मुझे जो भी माननीय सदस्य टोकेंगे, उससे मुझे आनन्द आएगा और मैं इससे नाराज नहीं हूं।

कांग्रेस ने किया, मैंने कांग्रेस का ही उदाहरण दिया कि 1959 में कांग्रेस ही लाई थी। अब मैं आपको कांग्रेस का एक और उदाहरण दे देता हूं। पंडित जवाहर लालजी नेहरू ने 1957 में स्वयं बजट पेश किया था और बजट पेश करके कहा था कि हम और किसी सैक्टर को अवोइड कर सकते हैं लेकिन एग्रीकल्चर के सैक्टर को अवोइड नहीं कर सकते। उस पर काम नहीं कर पाये, यह दूसरी बात है।

जनसंघ का जो सिद्धान्त था शुरू से ही, जनसंघ की जब स्थापना हुई थी, उनका सिद्धान्त था कि किसान जमीन का मालिक हो। उस समय यह बात चलती थी कि कर्ज में ही किसान जन्मता है और कर्ज में ही किसान मरता है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिये साहूकारी से उसको मुक्त करना चाहिये। फिर ये कई प्रकार के भूमि विकास बैंक और को-आपरेटिव बैंक, सबका जन्म हो गया। यह जन्म तो हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि किसान आज जितना कर्ज में है उतना कर्ज में किसान पहले कभी नहीं था। सबसे दुखदायक बात यह है कि जब हम चर्चा करने निकलते हैं और चर्चा करते हैं तो हमने एग्रीकल्चर के सैक्टर पर ठीक से ध्यान ही नहीं दिया।

मैंने जो पहला प्रश्न पूछा था वह इसीलिये पूछा था कि मैंने सारी पुस्तकों को देखा। राजस्थान सरकार, प्रशासनिक प्रतिवेदन, गौपालन निदेशालय, इसमें बड़ी जोर की बात कही है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में पृथक से गौ-सेवा निदेशालय की स्थापना, दिनांक इतने को कर दी गयी। उसके बाद 19/12 को उसको बदल कर निदेशालय गौपालन कर दिया गया। यह तो कर दिया गया, करने के बाद क्या किया। इसमें 16 कर्मचारी लगा दिये और बाबाजी को इसका मंत्री बना दिया। अब बाबाजी के हाथ में ठुल्लू। गौपालन के लिये कुछ नहीं किया, कुछ नहीं लिखा इस प्रतिवेदन में।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): शेम-शेम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, शेम की जरूरत नहीं है। नहीं है, बताऊंगा आपको।

गौपालन का इसमें हमने कुछ नहीं किया। यह मंत्रालय हमने बना दिया। फिर मैंने देखा प्रशासनिक प्रतिवेदन, राज बीज प्रमाणीकरण का, इसमें भी कुछ नहीं है। राज सीड्स का भी देख लिया। पशुपालन का देखा, मैंने पूरा पढ़ा, कुंजीलालजी मीणा का लिखा हुआ, 11 प्रतिशत योगदान है। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। करेंगे, किया कुछ नहीं इसलिये इसमें किया। उत्पादन, 28, 28, 28, हमारा बढ़ा नहीं। यह बहुत सुन्दर फोटो माननीय मुख्य मंत्रीजी की और प्रभूलालजी की मुस्कराते हुए है इसमें। इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा। इसमें शूकर की और कई फोटुएं भी हैं साथ-साथ, इनमें कुत्ता पालन की और पशुपालन की, सब है। टीका है, कुत्तों को भी लगाया है। वह भी देखा। यह कृषि विभाग का प्रतिवेदन भी मैंने देख लिया। इसमें किस सैक्टर में काम किया, कितना किया, सारा पढ़ने के बाद में मेरे ध्यान में आया कि इस समय यथा स्थिति बनी हुई है। इस यथा स्थिति के कारण से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि राज्य सरकार के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

संसाधन तो सीमित हैं। राज्य सरकार नई-नई योजनाएं भी लेकर आई है। उसमें पैसा नहीं है इसलिये उस पैसे का, जब तक किसान के लिये आपके पास पैसा नहीं है, आपने इतना बड़ा रिसर्जेण्ट राजस्थान किया, एक बार एग्रीकल्चर के लिये भी कुछ करते। एग्रीकल्चर के लिये क्या किया। तो तीन बड़ी समस्याएं किसानों के सामने हैं। पहली किसानों के सामने समस्या है पानी की। भूजल स्तर तो नीचे जा ही रहा है। बरसात तो जिस प्रकार से है, वह है ही। लेकिन पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस पानी के लिये अटल बिहारी वाजपेयीजी ने योजना बनाई थी, नदियों को जोड़ने की। आज दस साल पूरे हो गये। वह योजना लागू होती तो भारत के किसान को पानी मिलता और जैसे हम अन्नपूर्णा भारत माता को कहते हैं, भारत माता विश्व की अन्नपूर्णा बन जाती लेकिन वह कांग्रेस पार्टी ने रोका। मनमोहनसिंहजी की सरकार आई और उसने आगे नहीं करने दिया इसलिये कह रहा था शेम-शेम मत बोलो, कि इसमें गलती हमारी भी है और गलती आपकी भी है। अब पानी की कमी है।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जोर-जोर से बात करते हैं हम कि किसान को लाभ का मूल्य नहीं मिल रहा है। उसको मिल भी नहीं रहा है। यह मिलेगा तब, जब दृढ़ निश्चय होकर तीन काम करने चाहिये, प्रधान मंत्रीजी की घोषणा के हिसाब से हम डबल कर पायेंगे। वह कैसे कर पायेंगे। किसान को बिजली फ्री देनी पड़ेगी। आपने इनका अभी 80 हजार करोड़ रुपया चुकाया है। यह 80 हजार करोड़ रुपया फिर हो जाएगा। 9 हजार करोड़ रुपया आप बता रहे हो, साल का, घाटे का, बिजली का। यह 15 हजार करोड़ रुपया होगा। किसान को कैसे देंगे, यह प्रश्न आता है। 80 हजार करोड़ रुपया, जितना चुकाया, एक लाख करोड़ रुपया तो अभी-अभी ये बाहर भागे हैं, सेठ-साहूकार, बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट, अगर एक लाख करोड़ नहीं, 50 हजार करोड़ रुपये में 15 लाख किसानों के राजस्थान में ट्यूबवेल हैं, कुए पर कनेक्शन हैं, इनके सोलर एनर्जी लगा दी जाए, टोटल 100 प्रतिशत सब्सिडी देकर तो आपका बिजली का खर्चा भी आइन्दा के लिये बन्द हो जाएगा और किसान को एक कम्पोनेंट मिल जाएगा। इस बात पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय, एक तो मैं यह कहना चाहूंगा।

किसान की सबसे बड़ी समस्या होती है मजदूरी। मजदूरी बहुत महंगी है, मिलती भी नहीं है। वो मनरेगा को सीधा-सीधा किसान की अगर मजदूरी से नहीं जोड़ेंगे तब तक लाभ नहीं होगा। मनरेगा और बिजली, दो कम्पोनेंट उनको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मिलेंगे, फिर खाद-बीज पर जो इंसेंटिव अपन देते हैं, वह देंगे तो किसान निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ाएगा और भारत की खेती बलराम की तरह से हाथ में हलधर लेकर सड़क पर नहीं आएंगे और भारत माता को ऊपर ले जाने का प्रयत्न करेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। यह सबसे बड़ा पाइंट है, जिसको अपन को सोचना चाहिए।

कैसे फायदा होगा? दूसरा फायदा होगा कि आप उसको लाभ नहीं देते हैं, समर्थन मूल्य देते हैं। समर्थन मूल्य से किसान का काम नहीं चलेगा, उसको लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा। एक काम त आप करें कि किसान के लिए कोई काम एक जगह पर नहीं है। अब किससे बात करें? किसान कुए में अगर मान लीजिए ट्यूबवैल लगाता है तो सबसे पहले बिजली बोर्ड में जाओ, फिर उसके लिए लोन लेना है तो भूमि विकास बैंक में जाओ। पहले तो हमारे बिजली मंत्रीजी से बात करो, फिर किलकजी से बात करो, फिर और किसी से बात, दस लोगों से बात करते हैं तो एक एग्रीकल्चर कैबिनेट बनें। बिहार में बनी, उसके बाद मध्यप्रदेश में बनी और गुजरात में बनी। उसके बनने के बाद में वहां किसानों को लाभ हुआ, 14 परसेंट तक चला गया गुजरात का। यहां एग्रीकल्चर कैबिनेट नहीं है। यहां पर तो एकल खिड़की है। हमारे यहां दूसरा तो कोई कुंदा खोलने वाला ही नहीं है। एक कैबिनेट बनाओ, जैसे मुख्य मंत्रीजी की कैबिनेट है, वैसे ही प्रभूलालजी की भी एक कैबिनेट होनी चाहिए। उस कैबिनेट में अजय सिंहजी भी आएं, बाबाजी ओटारामजी भी आएं, उसमें सब आएं, कैबिनेट हो और फिर आपका साफ़ा थोड़ा और बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो, एक कैबिनेट नहीं है। बिहार में बनी है और आप कैबिनेट मत बनाओ, कोई ऐसी चीज तो बनाओ जो किसान के बारे में एक साथ सोचे। एक साथ सोचने की कोई चीज नहीं है। चलो, किसान कमिश्नरेट ही बना दो अलग से। इसमें हर चीज, पशुपालन की अलग है, गौ-पालन की अलग है, भूमि-विकास बैंक की अलग है, सहकारी बैंक की अलग है। वहां ट्रैक्टर लेने जाओ तो भूमि-विकास बैंक के पास जाओ, फिर को-आपरेटिव के पास जाओ, फिर यह लेओ। अब यह मेरे पास सुबह मिलने के लिए आए थे। यह लेम्प्स और पैक्स जो आपके हैं, मैंने अजय सिंहजी को फोन भी किया था, 31 मार्च को उनकी तारीख समाप्त हो रही है। अब उनका नहीं बढ़ाया आपने तो वह कह रहे हैं कि भारत सरकार से पैसा, भाई, भारत सरकार, पिछली बार भी आपने जून, जुलाई तक बढ़ाया था, उनका बढ़ाइये जून-जुलाई तक तो वह ग्राम सेवा सहकारी समिति अलग है, उसके पास जाओ, फिर भूमि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विकास बैंक के पास जाओ, फिर पशुपालन के पास जाओ, फिर गौ-पालन निदेशालय बना दिया, उसके पास जाओ और फिर इसके पास जाओ तो इस कारण से काम नहीं होगा। इसलिए मेरी मांग है कि हम अगर किसान की तरक्की कराना चाहते हैं तो किसान कैबिनेट बनाएं या किसान कैबिनेट नहीं तो किसान कमिश्नरेट बनाएं और किसान की इन सब बातों का एक साथ डिस्कशन होकर काम करें। इस बात पर काम करें कि हम किसान को सोलर एनर्जी ठीक प्रकार से उपलब्ध करा सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इसमें लिखा है कि हमारी तो रीढ़ की हड्डी पशुपालन है और पशुपालन से कृषि में हम मदद कर पा रहे हैं। बड़ा अच्छा-अच्छा लिख देते हैं हम लोग। मैंने पढ़ने का प्रयत्न किया लेकिन हमने पशुपालन के लिए क्या किया? हमने हमारे चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने साल में तीन महीने का अनुदान देने का तय किया और हम साल में नौ महीने का अनुदान देंगे। इस बात को मैं कई बार बोल चुका। इस बात को मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं इस बात को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने यह लिखा है, दो प्रकार के अनुदान है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी वि-भ्रमित करने की कोशिश करते हैं हमारे कृषि मंत्रीजी। मैंने एक बार प्रश्न पूछा था कि कितना अनुदान दिया? गौ-शाला एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत गौ-शालाओं को जहां-जहां फेमिन का इतना-इतना हुआ, हमने इस प्रकार अनुदान दिया और इतना हमने कांग्रेस से ज्यादा दे दिया, वह तो आपको धन्यवाद है लेकिन मैंने मांग की थी कि सुराज संकल्प में, मैं भी उसका मैम्बर था, उसमें बैठकर हमने जो लिखा था, साधु-संतों को भी बुलाया था, उनको सबको बुलाकर पूछा था कि हम गायों के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबने सर्व-सम्मति से लिखा कि तीन महीने के बजाय नौ महीने तक 32 रुपये और 18 रुपये जो कांग्रेस ने तीन महीने की कही थी, हम नौ महीने उसको देंगे और तब काम प्रारंभ होगा।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह गौ-कशी, गायों का पलायन, गायों का यह तब तक नहीं रुकेगा, जब तक उसको सरकार का संरक्षण नहीं मिलेगा इसलिए मैं मांग करता हूं कि नौ महीने का न सही, तीन महीने का, जितना पिछली सरकार ने दिया था, उतना तो निश्चित रूप से, आज मंत्रीजी तो कहने से रहे, यह तो मुझे पता है, एप्रोप्रिएशन बिल पर माननीय मुख्य मंत्रीजी जब कहें तो गायों के बारे में निश्चित रूप से कहना चाहिए। अगर नहीं कहा तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमारा वचन भंग होगा, वचन भंग तो होगा। आज गायों की हालत बहुत ही खराब है और इसके लिए हमने दूसरा काम भी चालू नहीं किया। गौ-संवर्धन, नस्ल सुधार, इसमें बहुत लिखा हुआ है। कोई प्रयत्न नहीं किया हमने नस्ल सुधार का। हमारी गाय की नस्ल, हमारे यहां से अंग्रेजों के समय ब्राजील में कटने के लिए एक गाय चली गयी थी, वह गाय गर्भवती थी तो उन्होंने काटा नहीं, गिर (Gir) नस्ल की गाय थी, उनका दूध बहुत अच्छा हुआ तो उन्होंने उसको बचा लिया। आज अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता हुई तो गिर नस्ल की तीनों गायें, फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड दुनिया में दूध में वह ही आई, Holstein और Jersey नहीं आई और आज हम उसको वहां से वापस खरीद रहे हैं असली गिर-ब्रीड को। हमने ब्रीड सुधार के लिए क्या किया?

हमने पशुपालन की यूनिवर्सिटी बना दी। क्या यूनिवर्सिटी ने ऐसा निकाला कि Holstein और Jersey गाय के लिए एक टीका आ गया शुक्राणु का, जिसमें 90 प्रतिशत बछड़ियां ही पैदा होती हैं। हमने देशी गाय के लिए यह नहीं निकाला। अगर इस टीके के ऊपर अपन जोर देते तो आज जो यह आवारा सांडों की समस्या हो रही है, इधर-धर घूम रहे हैं खूब तो राजेन्द्रजी, उस समस्या का समाधान हो जाता। वह 10 परसेंट में ही काम चल जाता सांड़ों का।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): शेखावाटी में है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, है। शेखावाटी होकर निकल जाते हैं। तो, यह बहुत बड़ी समस्या है। अब उस समस्या का समाधान करने के लिए हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा कि गौ-अभयारण्य बनाएंगें। गौ-अभयारण्य बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की। हमको गौ-अभयारण्य बनाने चाहिए तो यह गायें जो इधर-उधर घूमती हैं, जिनको रात को ट्रक में डालकर ले जाते हैं, पुलिस से फायरिंग होती है, गौ-तस्करों से लड़ाई होती है, फिर केस बनते हैं तो उनको समाप्त करने का सबसे बढिया तरीका यह है कि जो गायें हैं उनको गौ-अभयारण्य में पहुंचा दो। गौ-अभयारण्य जब तक नहीं बनाते हैं, तब तक गौ-शाला इनको लेने के लिए तैयार हो जाएगी। यदि सरकार 32 और 18 रुपये के हिसाब से देगी तो गौ-हत्या पर प्रतिबंध भी होगा और काम भी होगा क्योंकि, बैल अब काम नहीं आ रहा है, बैल का काम बहुत कम हो गया है इसलिए यह समस्या हमारे सामने है। इस समस्या का समाधान उसी प्रकार से

(श्री घनश्याम तिवाडी)

हो सकता है। आप पशुपालन मंत्रीजी भी हैं, आप कोशिश करेंगे तो इस प्रकार का टीका निकल जाएगा। मैंने अनुरोध भी किया था वहां के वाइस चांसलर को भी तो उन्होंने कहा कि इसमें हमको मदद नहीं मिल रही है। अगर सरकार मदद देगी तो इस प्रकार का टीका निकलेगा और गौ-वंश की रक्षा के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा काम है।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो दूध का व्यापार है, अब किसान की समस्या ही समस्या है, फिर डेयरी में जाओ। वहां दूसरा डिपार्टमेंट आ गया तो वहां पर भी उसको लाभ नहीं मिल रहा है। मंत्रीजी, आप देखिए, जयपुर जिले का ही उदाहरण देता हूं। जिनको आप देते हैं, अब मेरे पास यह जयपुर के, सारी राजस्थान भर की गौ-शालाओं के ज्ञापन आए हुए हैं। आपने इस बार आदेश दिया था 16.04.2015 को, इतनी तारीख तक हमारे पास जो गौ-शालाएं एप्लाई कर देंगी, हम उनको पैसा दे देंगे। जो एप्लाई नहीं करेंगी उनको पैसा नहीं देंगे। एप्लाई कर दिया और यहां से निर्देशित किया गया कि इस तारीख तक इन गौ-शालाओं को अनुदान देने का काम है, उसको पास मत करना, यह सारे डाकूमेंट्स मेरे पास हैं। अधिकारियों के पास चले गये लेकिन अधिकारियों ने उनको पारित नहीं किया, उन पर कोग्निजेंस नहीं लिया और बाद में लिख दिया क्योंकि आपका इस तारीख तक पारित नहीं हुआ है इसलिए आपको अनुदान नहीं मिल सकता।

मैं मांग करता हूं कि उन गौ-शालाओं को अनुदान दिया जाए और जिन अधिकारियों ने रोक कर रखा है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और जयपुर में तो की ही जानी चाहिए। जयपुर में जान-बूझकर 36 गौशालाओं का रोक दिया उन्होंने। क्या तरीका है यह? यह गायों का काम था इसलिए ...

चारा पास करने वालों को नहीं मिल सकता था, जिन्होंने पास नहीं किया। पर मंत्रीजी, उनको तो चारा नहीं मिल रहा था, आप तो बेचारे नहीं हो।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): आपदा राहत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपदा राहत है या सापदा राहत है, सामूहिक जिम्मेदारी है मंत्रियों की। यह रोक दिया गया, आप सबको पता है। आप यदि चाहें तो मैं सारे कागज सदन के पटल पर रख सकता हूं। किस प्रकार का धोखा किया गया? इसलिए इन गौ-शालाओं को आप अनुदान दिलाएं। मेरे पास सी.एम. से लेकर जयपुर कलक्टर तक दिये गये सारे पत्र हैं और

(श्री घनश्याम तिवाडी)

सबके जवाब हैं। इस प्रकार का षड्यन्त्र करके इनको रोका गया है, तो इसको आप रोकने का प्रयत्न करें। मैं आपको एक बात यह कहना चाहता हूं। दूसरा, जिन गौ-शालाओं को आप ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह गौ-शालाओं को मुद्दा उठा लिया, इसलिए इस सरकार ने रोक दिया। अगर आप नहीं उठाते न तो हो सकता है यह दे देते, क्योंकि यह श्रेय आपको मिल जाता। यह इसीलिए दिक्कत आ गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गोविन्दजी, मैंने पहले ही आपका नाम लिया है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह उस समय थे नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, थे नहीं। आप भी चारे-पानी में लगे हुए थे। दूसरा, श्रेय-निश्रेय, इन दोनों शब्दों का बहुत मुश्किल अर्थ है। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप मेरे प्रिय आदमी हो, इसलिए मुझे श्रेय की कोई आवश्यकता नहीं है। हानि-लाभ, जीवन-मरण, जस-अपजस विधि हाथ। जैसा लिखा है, वैसा होगा। आज हमारा जो कर्त्तव्य है, उस कर्तव्य का हम पालन करें। चौधरी चरण सिंहजी यदि उस कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध नहीं करते तो आपके गांव की खेती आपके पास नहीं रहती। उनको नुकसान हुआ, वह मुख्य मंत्री नहीं बन पाए, पर उन्होंने हिन्दुस्तान के सारे किसानों को बचा लिया तो, उनसे प्रेरणा लो आप। ...(व्यवधान) लाइन पर तो ठीक हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बीमा है ...(व्यवधान).

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनमें सांड कौनसा दिख रहा है, एक-दो ही बचे हैं, सब गायें ही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भ्रूण परीक्षण पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है। यहां पर भ्रूण परीक्षण नहीं हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा वह महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय बजट में जो गांवों की ओर जाने की बात की है, उसमें भाजपा का 2014 का घोषणा पत्र तो है ही, लेकिन 1969 का जनसंघ का एक घोषणा पत्र का आपको बता रहा हूं। 'हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर-घर में दीपक, जनसंघ की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

निशानी' हम उस परम्परा से हैं कि 1969 से भी हम हमारे घोषणा पत्र में किसान को महत्वपूर्ण स्थान देकर, जमीन को महत्वपूर्ण स्थान देकर 'हर हाथ को काम, हर खेत को पानी' यह जनसंघ की निशानी है। यह हमारा इस बार का जो बजट है केन्द्रीय सरकार का, जिसमें 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपया दिया गया है, राज्यों को भी हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कहा है कि हमारा यह बजट न तो पूंजीवादी है और न समाजवादी है। हमारा इस बार का बजट जेटली जी ने रखा और प्रधान मंत्रीजी ने कहा, वह भारतवादी बजट है। और भारतवादी इसलिए कि भारत के गांवों को समर्पित बजट है। गांव का मतलब किसान को समर्पित बजट है। इस किसान समर्पित बजट को आज कृषि की मांग पर मैं कहना चाहूंगा जब तक पूरा नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। साफ-साफ प्रधान मंत्रीजी ने कहा है कि फसल बीमा योजना के लिए साढ़े 5 हजार करोड़ रुपये के धन की व्यवस्था इसमें की है। 98 प्रतिशत प्रीमियम अब किसान को नहीं देना पड़ेगा, 2 प्रतिशत ही देना पड़ेगा और भारत माता, ग्राम माता कहकर प्रधान मंत्रीजी ने सम्बोधित किया। आज तक जो हमारा बीमा था, 1200 करोड़ रुपया इन कम्पनियों ने कमा लिया और 1.38 करोड़ किसान को एक पैसा भी हाथ नहीं लगा। अब तक की जो बीमा पालिसी थी, वह सारी की सारी कम्पनियों के पक्ष में थी, उसको बदलकर अब किसान के पक्ष में की जाने की बात है इसलिए मैं चाहूंगा कि नई बीमा योजना के अनुसार सरकार काम करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौ-शालाओं के साथ-साथ गौ-वंश के संरक्षण के साथ-साथ हम जैविक कृषि है, इस पर भी ध्यान दें। अन्नपूर्णा भारत माता कहा है, उर्वरा है, शस्य श्यामला भारत माता कहा है। हम इसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। हम केवल नारा-नारा ही लगाते हैं। हमने जैविक कृषि के लिए कोई विशेष प्रकार का प्रयत्न नहीं किया। जैविक खेती के लिए हमने मार्केट भी डवलप नहीं किया है। जैविक खेती के विपणन की व्यवस्था भी नहीं की जैविक खेती कैसी होगी, इसकी व्यवस्था भी नहीं की। इसलिए हमें किसान और खेत की उर्वरा शक्ति को बचाना है तो जैविक कृषि की ओर ध्यान देना पड़ेगा माननीय मंत्री महोदय, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

इसी प्रकार सबसे बड़ा काम है बीज का। बीज के बारे में अभी बहुत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विवाद चल रहा है। जी.एम.बीज पर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। राज्य सरकार भी अभी कुछ बातों में हां करती हैं, कुछ बातों में ना करती हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए जहां 40 किलो यूरिया लगता है, आज 80 किलो यूरिया लगाया जा रहा है। जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है इसलिए जैविक खेती को आप अपनाएं और यह जी.एम. बीज, 3300 किस्म थीं हमारे यहां चावल की देसी, आज 330 बची हैं। गेहूं की जो हमारी किस्म थी, वह समाप्त हो रही है। खेती का हमारा जो तरीका था, वह भी हम बदल रहे है इसलिए जैविक खेती के लिए विशेष प्रयत्न करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जैविक खेती का आपने लिखा है, लेकिन उसमें बजट का प्रावधान नहीं है। इतने किसानों को आप जैविक खेती का लाभ कैसे दे पाएंगे, यह मुझे बताने की कोशिश करें और जैविक खेती का काम अपन नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ नई-नई योजनाएं भी माननीय मंत्रीजी ने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बताई हैं, मैंने उन डिपार्टमेंटों की योजनाओं को पढ़ा भी है कि यह काम करेंगे, यह काम आधुनिक तरीके से करेंगे, लेकिन इसके लिए बजट प्रावधान जितना आवश्यक था, उतना नहीं हुआ इसलिए अगर बजट प्रावधान नहीं करेंगे तो हमारी योजनाएं लागू नहीं हो पाएंगी। जब तक हम जैविक खेती पर और बीमा पर ध्यान नहीं देंगे, माननीय मंत्री महोदय, तब तक हमारा इसमें काम नहीं चलेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कृषि विश्वविद्यालय के लिए, हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी समस्याओं का आप समाधान करें। कर्मचारियों की समस्या है, बीकानेर यूनिवर्सिटी की पेंशन की समस्या है। मैंने कटमोशंस भी दिये हैं, मंत्रीजी का जवाब आ जाएगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालयों ने ड्राई फार्मिंग के लिए कौनसा नया बीज निकाला राजस्थान में, यह आप बताइये। हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दी, यूनिवर्सिटी का मूल काम तो अनुसंधान करने का है। उन्होंने किसानों को ऐसा कौनसा काम करके दिया है कि कम पानी से आपकी यह फसल पैदा हो जाएगी, इस पर उन्होंने अनुसंधान नहीं किया है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई अगर पढ़कर केवल नौकरी लेने के लिए है तो अनुसंधान के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कोई काम की नहीं है। अगर एग्रीकल्चर पढ़कर किसान का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लड़का या कोई भी आदमी खेत में जाकर काम करेगा तब तो उसका लाभ है और वह केवल पढ़कर उसकी डिग्री लेकर कृषि में स्नातक है, इतने पद निकालो, हम जाकर नौकरी में हो जाएंगे तो यह काम परिपूर्ण नहीं होगा इसलिए आप कृषि की शिक्षा पर, यूनिवर्सिटीज पर, उनके अनुसंधान पर ध्यान दीजिए और जी.एम. बीज के बजाय हमारे देसी बीजों पर ठीक प्रकार से वह काम कर सकें, इसके लिए आप ध्यान दीजिये।

मैं निवेदन करके आपको कहना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में एक तो आपको फौरन अन्तर करना पड़ेगा सब्सिडी और इंसेन्टिव। किसान को आपको आदर देना पड़ेगा, भिखमंगा नहीं कहना पड़ेगा। बड़ा कारपोरेट सैक्टर, 62 हजार करोड़ रुपया साल का टैक्स छूट के अलावा ग्रहण करता है तो यह उसका इंसेन्टिव है और खाद के लिए किसान को आप कुछ पैसा देते हो, वह आपका अनुदान है। बंद करिए इस सोच को। इसको इंसेन्टिव कहिए। खेती के लिए इंसेन्टिव, तो यह सोच को बदलना पड़ेगा। दूसरा, खेती के जितने मामले हैं, उसमें किसान को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तीन बात मैंने बताई इसमें पहला जल की उपलब्धता, दूसरा, मनरेगा को कृषि से जोड़ने का और तीसरा, सोलर पर काम करके किसान को बिजली फ्री देने का। अगर यह तीन काम उसको फ्री मिलेंगे तो वह किसान वास्तव में भारत माता को अन्नपूर्णा माता बना देगा। शस्य श्यामला भारत माता होगी और इसकी शुरूआत नरेन्द्र मोदीजी ने की है, अरूण जेटली जी ने इस बजट से की है। किसान और गांव को यह बजट समर्पित किया है। हम भी उनसे प्रेरणा लेकर हमारे आने वाले साल में किसान की, गांव की समस्या का समाधान करेंगे। आज पाकिस्तान वैसा का वैसा जमींदारीपूर्ण हैं।

पांच–पांच सौ, हजार-हजार एकड़ उनके पास है। आज हमने इसमें किया और हमने कर के किसान को जमीन का मालिक तो बनाया लेकिन यह जो नया एक्ट आया है उसके बाद में अब और प्रयत्न, जिसमें केवल किसान को ही यह माना जाए कि इसकी जो जमीन है उसको चाहे जो हड़प ले, वो काम अब नहीं चलेगा।

मैंने एक बार विरोध किया था सेज का, वो सेज फेल हो गया। सेज फेल हुई तो उसको अधिकार दे दिया कि टुकड़े काट दे। उसके अलावा एक काम हो रहा है, रीको में जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज फेल हो गयीं, पिछली बार कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि उनको पांच-पांच सौ गज के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

टुकड़े काट कर बेचने का अधिकार दे दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं, यद्यपि पिछली सरकार के कामों में नहीं जाना चाहता, मैंने यहां उस समय भी विरोध किया था, आखिर वो जमीन किस से ली गयी थी? दस हजार, बीस हजार, पचास हजार गज में इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्री फेल हो गयी और प्लाट काट कर बेचने की अनुमति किसको दी, उद्योगपति को। यह किसी का क्या अधिकार था? आज सारे सेज हिन्दुस्तान भर में फेल हो गये। जमीन किसान को वापस नहीं जा सकती। अब नये कानून में आया है कि पांच साल तक आप जिस परपज के लिए जमीन की अवाप्ति करते हो, वो पूरा नहीं होता है तो वो जमीन किसान को ही दी जानी चाहिए। इस प्रकार का जो बिल, भारत सरकार ने सबने पास किया है, लागू है, हमने भी, एक जनवरी, 2014 से राजस्थान में लागू हो गया। इस जमीन का जो उसका मालिकाना हक है, इस मालिकाना हक पर भी किसी प्रकार नियंत्रण नहीं करें और हम सब लोग मिल कर काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में यह बात कहना चाहूंगा, अटल जी ने परमाणु बम का परीक्षण किया था और पाकिस्तान पर सैक्शन लगी थी। भारत पर भी सैक्शन लगी थी, भारत अपनी सामाजिक व्यवस्था, किसानों के कारण से हम उस सैक्शन से ऊपर आ गये और अमेरिका को झुकना पड़ा। अगर हमने किसान को इतना मजबूत किया जैसा हम चाहते हैं कि भारत माता विश्व गुरू बने, वो तभी बनेगी जब हम कृषि को, गांव को, गरीब को मजबूत करेंगे, तभी भारत माता मजबूत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र। अनुपस्थित। श्री बंशीधर जी।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 36 पर बोलने के लिए आपने मुझे टाइम दिया, धन्यवाद।

सहकारिता के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सहकारिता मूवमेंट, आन्दोलन हमारा राजस्थान का नहीं, हमारा देश का नहीं अपितु पूरे विश्व का है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ होती है वो देश यदि सहकारिता आन्दोलन के हिसाब से, सहकारिता को बढ़ावा देगा तो उस देश की आर्थिक स्थिति बिलकुल सुदृढ़ हो सकती है, आज तक होती आयी है।

हमारे देश में 1901 के अन्दर सहकारिता का मूवमेंट चालू हुआ था और आजादी के बाद में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू

(श्री बंशीधर)

जी की बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी उन्होंने यह सहकारिता मूवमेंट चालू किया और इस सहकारिता मूवमेंट के कारण हर आदमी को काम मिला, किसान को सहायता मिली। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आज हम यह कह सकते हैं कि सहकारिता आन्दोलन किसान के लिए, गरीब के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में सहकारिता मूवमेंट पिछड़ा हुआ है और इस मूवमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के अन्दर कोई ऐसा अभियान नहीं है, मूवमेंट कोई भी हो, कोई मल्टी नेशनल कम्पनी ऐसी नहीं है जो लाखों का रोजगार दे सके, केवल सहकारिता मूवमेंट ही एक ऐसी संस्था है जो लाखों को, दो लाख नहीं, चार लाख नहीं, दस-दस लाख बेरोजगारों को रोजगार दे सकता है और खुद का धन्धा करने में वो सक्षम हो सकता है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। सहकारिता के माध्यम से अपन छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, सहकारिता के माध्यम से हस्तकला को बढ़ावा दे सकते हैं। सहकारिता के माध्यम से आज राजस्थान में होकर दूसरे प्रदेशों में ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत अच्छा चल रहा है। ट्यूरिज्म के लिए, टैक्सी के लिए सहकारिता एक बहुत बड़ा सार्थक रोजगार साबित हुआ है। ट्यूरिज्म वाले हमारे जो हस्तकला के कुटीर उद्योग चलाते हैं, अपने ग्राहक को टैक्सी ड्राइवर लेकर जाते हैं, उनको भी आमदनी होती है और टैक्सी ड्राइवर के कारण जो विदेशी हमारे यहां आते हैं उनको उससे बहुत ज्यादा सुविधा रहती है। हमारे गांव का एक आदमी बाहर बैठा है, कहीं विदेश जाता है या दूसरे प्रांत में नौकरी करने के लिए जाता है, तीन-चार हजार रुपये मिलते हैं और तीन-चार या पांच हजार के अन्दर वो वहां मकान ले, खाये-पीये क्या करे, क्या घर भेजे? सहकारिता के माध्यम से जो सही ढंग से चल रहा है वो काश्तकार, वो नौजवान आज अपने घर बैठे ही अच्छी कमाई कर रहा है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, एक काश्तकार का बेटा यदि अपने घर पर पांच भैंस भी पालता है, एक भैंस यदि 15 हजार या 10 हजार रुपये की भी बचत करती है तो वो घर बैठे अपना खुद का धंधा कर के सहकारिता के माध्यम से दूध की डेयरी बना कर बाहर जाने की अपेक्षा आराम से अच्छा घर चला सकता है।

(श्री बंशीधर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता से पहले काश्तकार एक लुटा हुआ महसूस करता था। सहकारिता मूवमेंट चालू होने के बाद में काश्तकार या गरीब लोग जो सेठ-साहूकार से ऊंची रेट पर ब्याज लेते थे, वो दरवाजा बंद हो गया है क्योंकि काश्तकार ने जाना बंद कर दिया। सहकारिता के माध्यम से उसको आसानी से कम ब्याज पर लोन मिल जाता है और उसकी भूमि गिरवी भी नहीं रखी जाती है। तो यह काश्तकार के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, छोटे-छोटे धंधों के लिए ब्याज पर जो पैसा मिलता था, काश्तकार जो पीढ़ियों से साहूकार के, बनिये के चंगुल में रहता था वो उस चंगुल से निकल चुका, यह देन सहकारिता की ही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के अन्दर 9890 ग्राम पंचायतें हैं, आज 6445 ग्राम पंचायतों में जी.एस.एस. बनी हुई हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति, करीबन 3445 में बाकी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी यह कहा था कि हम ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर एक सहकारी समिति खोलेंगे, खोल रहे हैं और बाकी शायद इस साल में या अगली साल तक खुल जाएंगी, जिससे काश्तकार को घर बैठे अपना सामान मिल जायेगा, लोन वहां मिल जायेगा, यह सारी चीजें देंगे।

आज के युग के हिसाब से सहकारी समितियों के अन्दर कम्प्यूटराइजेशन होना बहुत जरूरी है। आपका बैंक 50 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है और सहकारी समिति अपने गांव में है, यदि वह कम्प्यूटराइज्ड हो जाएंगी तो वहां बैंक के अन्दर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सहकारी समिति का व्यवस्थापक पुराने ढर्रे से चला हुआ है, उसके पास शिक्षा या ट्रेनिंग का कोई साधन नहीं है। सरकार को चाहिए, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को कहूंगा कि हर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक को ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे वह आनलाइन काम कर सके। हमारे जहां-जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति हैं उनमें अभी 25 परसेंट के अन्दर व्यवस्थापक नहीं हैं, केवल सहायक व्यवस्थापक के हिसाब से ही काम चल रहा है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके अन्दर व्यवस्थापकों की व्यवस्था करें।

इसके साथ ही सहकारी समितियों के पास में भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, भंडारण के लिए काश्तकार अपनी फसल की उपज सस्ते दर में नहीं बेच कर यदि सहकारिता भंडार में गिरवी रख देता है, उस पर 80

(श्री बंशीधर)

प्रतिशत लोन मिल जाता है, तो बाद में जब भी भाव आये तब वो अपने उत्पाद को बेच सकता है और उससे हमारे काश्तकार को या छोटे काश्तकार को, उनको सबको फायदा मिलेगा। मैं यह सोच रहा हूं, हमारी सरकार भी ऐसे काम चला रही है, हर ग्राम पंचायत पर, हर जी.एस.एस. पर एक-एक गोदाम बना है और गोदाम में पैसे भी बहुत लगते हैं। मेरा एक सुझाव है, मंत्री जी आपके द्वारा सरकार को बता दूं कि जैसे हमारे अटल सेवा केन्द्र नरेगा से बने थे उसी हिसाब से थोड़ा बड़ा गोदाम हर ग्राम सेवा सहकारी समिति पर बनाएं जिससे कि काश्तकार अपनी उपज वहां रख सके और टाइम पर जब भाव आये तब काश्तकार अपनी उपज बेचे तो उससे उसको फायदा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रयासों से हर समिति में यह काम हो रहा है तो यह बहुत ही अच्छी बात है। गोदामों के लिए सौ-सौ मैट्रिक टन के गोदाम बनने चाहिए और इसके अन्दर मैंने पहले भी बताया कि, यदि नरेगा से 40-60 का रेशो मेन्टेन नहीं होता है तो सरकार को उस 40-60 को रेशो को मेन्टेन करने के लिए पैसा देना चाहिए और कम पैसों में अच्छा गोदाम बन जाएगा। ऐसा मेरा सुझाव है।

आज को-आपरेटिव बैंकों की स्थिति खराब है। इसी खराबी के कारण सहकारिता का भी हमारा ढर्रा नीचे आता जा रहा है, सहकारिता बढ़ नहीं रही है। पहले हमारी सहकारी शाखाओं के अन्दर 75 प्रतिशत काम होता था। आज गांवों में छोटे-छोटे बैंक जाने लग गये। प्राइवेट बैंकों ने अच्छी सुविधाएं दे दी हैं। आज हमारे पास सहकारिता में 25 परसैंट काम बच गया है। यदि यह सरकारें इसी हिसाब से रहीं, ध्यान नहीं दिया तो यह सारे गांवों का काम छोटे-छोटे प्राइवेट बैंक हैं, वह कैप्चर कर लेंगे। उनके हाथ में चला जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता पर पूरा ध्यान देना चाहिए। नेशनल बैंक गांवों में घुसे, उससे पहले हमें ध्यान देना चाहिये। हमें प्रो. वैद्यनाथन की रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए और उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वह पूरी करनी चाहिए। मैं ऐसी आशा करता हूं।

हमारी कई सहकारी समितियां आज रुग्ण हो चुकी हैं। बिलकुल घाटे में आ चुकी हैं। सरकार उनकी आर्थिक सहायता करके दुबारा जीवित करे ताकि उस गांव के आदमी को उसकी सहायता मिल सके। बैंकों के आधार पर ऋण लेते हैं।

आजकल ऐसा भी है कि काश्तकार किसान कार्ड ले लिया और जमीन

(श्री बंशीधर)

गिरवी रख दी। पहले को-आपरेटिव जीएसएस पर ध्यान नहीं देती थी और बिना जमीन गिरवी रखे ही ऋण दे दिया करती थी। लेकिन आजकल यह कह रहे हैं कि पहले वहां से एनओसी लेकर के आओ। एनओसी लाने की प्रक्रिया रहेगी तो यह काश्तकार के लिए घाटे का काम रहेगा। काश्तकार एक ही जगह से लोन ले सकता है। यहां पर जो फसल के लिए ऋण मिलता था, वह ऋण नहीं मिल पायेगा। इसमें थोड़ा सुधार करें और काश्तकार को एनओसी लाने के लिए पाबंद नहीं करें क्योंकि जो उसकी जमीन होती है वह होती है 10 लाख की और वह लाता है 1 लाख। जमीन तो वैसे भी उसके पास बहुत सारी है, कीमत के हिसाब से देखा जाए तो। सहकारिता के द्वारा उसको पाबंद नहीं किया जाए कि वह एनओसी लाये। जिससे काश्तकारों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकारों को ऋण जमा कराने में भी दिक्कत आ रही है। अब नई नीति के अनुसार काश्तकार अपना पैसा बैंक में जाकर के जमा करायेगा, न कि ग्राम सेवा सहकारी समिति में करायेगा। पहले काश्तकार अपना पैसा ग्राम सेवा सहकारी समिति में जमा कराता था और वहीं से उसको दूसरे दिन लोन वापिस मिल जाता था। ब्याज होता था तो ब्याज दे देते थे। अब हालत यह हो रही है कि आप पहले पैसा बैंक में जमा कराओ और 5 दिन बाद में लोन वापिस मिलेगा। काश्तकार के पास इतना पैसा नहीं है। किसी से हाथ उधारा लेता है। किसी से 5 दिन का ब्याज देकर लाता है। इस व्यवस्था में थोड़ा सुधार किया जाए कि काश्तकार का लोन ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा ही बंटे और उसके द्वारा ही वापिस दिया जाए, जिससे कि काश्तकारों को सुविधा रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सांगानेर से आने वाले सदस्य ने बताया था कि डेयरी काश्तकार के लिए एक कैश बैंक है। रोजमर्रा की सुविधा के लिए, खेती में ज्यादा कमाई नहीं होती है काश्तकार को, काश्तकार पशु धन से ही थोड़ा-बहुत ऊपर उठता है। यदि डेयरी पर हम ध्यान नहीं देंगे, माननीय मंत्री महोदय, मैं डेयरी के बारे में आपको यही कहना चाहूंगा कि डेयरी पर आज जो फैट निकालने की मशीन है, उसको कम्प्यूटराइज्ड कर दें। उसमें भी लोग-बाग़ बेईमानी करते हैं। आज उस मशीन में गड़बड़ी नहीं हो। आपका जहां दूध संकलन होता है वहां पर भी गड़बड़ होती है। इसको आप चैंकिंग करके बार-बार देखें, जिससे कि काश्तकार को पूरा फायदा मिल सके। अन्यथा काश्तकार रुक नहीं पायेगा।

(श्री बंशीधर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर कम से कम इतने आपके को-आपरेटिव सैक्टर हैं डेयरी वाले, उनमें से बहुत सारे घाटे में भी चल रहे हैं। उन पर भी आप अंकुश लगाएं जिससे कि काश्तकार को उसका फायदा मिल सके। अगर वह घाटे में होगा तो आप रेट नहीं बढ़ाओगे और काश्तकार को नुकसान रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि एक काश्तकार का बेटा काम करने के लिए बेघर होकर जाता रहता है। लेकिन वह बहुत दिनों तक बाहर जाकर कमा नहीं सकता है। को-आपरेटिव से जुड़ने के बाद में वह आराम से अपनी पेट-पूजा कर सकता है।

मैं एक दफा गुजरात में गया था। गुजरात में जो दूध का मैंने सिस्टम देखा, वहां हम चाहें तो अपना पैसा दूसरे दिन भी ले सकते हैं, सेम डे भी ले सकते हैं। मैं 10 किलो दूध लेकर के गया, 10 किलो का फैट निकाला और पैसे हैंड टू हैंड दे देते हैं। ऐसी व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए कि किसी काश्तकार को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, 7 दिन से, 15 दिन से जो भी व्यवस्था कर रखी है, उस व्यवस्था से काश्तकार को थोड़ी सी तकलीफ रहती है कई दफा। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि काश्तकार को, पशुपालक को उसका पूरा पैसा मिल सके।

हमारे राजस्थान में सहकारिता के माध्यम से उपभोक्ता भंडार चलते हैं। आज हमारे उपभोक्ता भंडारों में जो नहीं चलने वाली, आउट डेटेड स्कीम हो जाती हैं किसी वस्तु की, वह यहां परचेज कर लेते हैं। यह परचेंजिंग सिस्टम उस उपभोक्ता भंडार को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। जो डम्प माल होता है वह उपभोक्ता भंडार ले लेते हैं। इस पर भी हमें अंकुश लगाना चाहिए। मंत्री महोदय, उपभोक्ता भंडार के अन्दर जो भी सामान आये वह लेटेस्ट आये।

उपभोक्ता भंडार आप हमारे सीकर जिले में जाकर के देखें। पलसाना एक छोटा सा गांव है, ग्राम पंचायत है, वहां का उपभोक्ता भंडार ग्राम सेवा सहकारी समिति चलाती है। उन्होंने वहां कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम कर रखा है। आज राजस्थान में सबसे बढ़िया ग्राम सेवा सहकारी समिति है। वहां 'ए' से लेकर के 'जैड' तक सारी चीजें पलसाना डेयरी में मिलती हैं। मैं उस डेयरी के संचालकों को, डेयरी के व्यवस्थापकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। शायद उसको मंत्री जी देखकर के भी आये हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसे भंडार अकेले पलसाना में ही नहीं, हर जगह होना चाहिए।

(श्री बंशीधर)

को-आपरेटिव में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। को-आपरेटिव में भ्रष्टाचार नहीं है। को-आपरेटिव में भ्रष्टाचार है लेकिन और जगह देखते हैं तो उससे कई गुणा नगण्य है। कोआपरेटिव में भ्रष्टाचार वाली बात नहीं है।

राजफैड स्पिनिंग मिल पहले चलती थी। वह अब घाटे में है। यह कोई जरूरी नहीं है कि घाटे में चीजें चलाएं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो प्रोफिट में हैं, वही काम करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटकों के बढ़ावे के लिए बात बता चुका हूं। इसके अन्दर टैक्सी वाले हैं, वह काम करें।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी महिला हैं। महिलाओं की समितियां भी हमारे यहां बहुत कम हैं। महिलाएं अपने एक-एक पैसे को जोड़ती हैं। उस पैसे को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के जीएसएस ज्यादा से ज्यादा होनें चाहिए। जिससे वह अपना कोई उद्योग करें, पापड़, मंगोड़ी वगैरह जो छोटी-मोटी चीजें हैं इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें बजट भी बहुत कम है, इसमें बजट ज्यादा देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि के बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम देखें तो किसानों को मुआवजा मिलता है। ओलावृष्टि के अन्दर हमारी सरकार ने पिछले साल 8322 गांवों के अन्दर 29 लाख 22 हजार प्रभावित काश्तकारों को 2421 करोड़ रुपये दिये। यह पूरे देश में पहला उदाहरण है कि हमारी सरकार ने ओलावृष्टि होते ही मुआवजे के लिए सारे काश्तकारों की गणना कराई और सारे पैसे अपने पास से दिये। ऐसा अगर काश्तकार के साथ होता रहे तो अच्छी बात है ताकि उसे कुछ न कुछ मिलता रहे। हालांकि मुआवजा लेने के लिए काश्तकार ज्यादा आतुर नहीं रहता है। मुआवजा तब लेता है, जब कि हमें कुछ नहीं मिला, बुवाई का पैसा तो मिल जाए, थोड़ा बहुत खर्चा मिल जाए तो वह भी ठीक रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कृषि का उपज मूल्य दिलाने के लिए भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होनी चाहिए कृषि उपज मंडियों में। ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होने से 10 व्यापारी यहां मिल गये, उन्होंने भाव तय कर लिया और कृषि उपज मंडी में काश्तकार लुट जाता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए सिस्टम होना चाहिए। जिससे कि काश्तकार को अपनी उपज के लिए पूरे राजस्थान में एक सा भाव हो जाये।

(श्री बंशीधर)

मैं पशुपालन के अन्दर आपको बता चुका हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारे उप केन्द्रों के भवन निर्माण पर 80 करोड़ तथा इनके संचालन पर लगभग 20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का व्यय होगा। यह बहुत अच्छी बात है। जो आपने तय कर रखा है 2016-17 के अन्दर सभी दुधारू पशुओं के बीमा के लिए, वह एक बहुत अच्छी बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आप घड़ी देख रहे हैं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्षः श्री शुभकरण जी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 36, 37 और 39 कृषि, किसान का पशु और उसकी आजीविका के साधन सहकारिता पर बोलने का अवसर मुझे मिला है।

माननीय कृषि मंत्री महोदय को और सरकार को, हमारी मुख्यमंत्री महोदया को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने एक प्रशासनिक प्रतिवेदन पूरे राजस्थान विधान सभा सदस्यों के हाथों में दिया है। पूरा राजस्थान जानता है, थोड़ा बहुत आमूलचूल परिवर्तन जो किसान के लिए हम लोगों ने किया है, आप धन्यवाद के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से आंकड़े मेरे सामने हैं। जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सरकार ने कुछ कोशिश की है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जो किसान पूरे देश का पेट पालता है, वह किसान आज एक बात कहता है और यह किसान की आवाज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वह कहता है कि, 'भरे घर में है यह रोना हमारा, नहीं है यहां कोई कोना हमारा। नहीं है यह मसला कोई दो-चार दिन का, यह अपने आपको ढोना हमारा, हमें तो यह भी नहीं मालूम कि हम हैं, अजब है इस राजस्थान में होना या ना होना हमारा'।

(15.00 बजे)

60 साल देश के आजाद होने के बाद भी अगर अन्नदाता खुद भूखा रहे, एक भी योजना उस अन्नदाता को ऊपर उठाने की नहीं बने और हम सब इस बात का बहाना बनाएं कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है, यह काम हो नहीं सकता, वह हो सकता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में अन्न पैदा करना और सीमाओं की सुरक्षा करना क्या अकेले उस किसान के बेटे का ही

(श्री शुभकरण चौधरी)

जिम्मा है? उन लोगों का जिम्मा नहीं, टाटा, बिड़ला, डालमिया, पोद्दार, खेतान, बजाज, माल्या, कल के अख़बार में पढ़ा कि हजारों करोड़ रुपया लूट कर देश छोड़कर चले गये उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए और किसान को छोटी सी सब्सिडी देने के लिए बजट की समस्या सामने आ जाती है। बिजली की चोरी हो जाती है, छीजत हो जाती है, फैक्ट्रियां चाहे अरबों रुपयों की चोरियां करें, फिर सरकार चिंतित होती है, यह सदन चिंतित होता है कि इकाइयां बंद नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्रियां चलनी चाहिए।

मैं यह जानना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब वक्त ज्यादा दूर है नहीं, बीस आदमी चाहे जहां इकट्ठा होकर आंदोलन करते हैं और सरकार से अपनी मांग मनवा लेते हैं, किसान ने भी अगर इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो इस देश का क्या होगा? यह छोटी-छोटी राहत तो हम पहुंचाने जा रहे हैं, हमने तय किया था 9580 ग्राम पंचायतों में हम खरीद केन्द्र खोलेंगे। ग्राम पंचायतें नहीं कर सकती, सहकारी समितियों के माध्यम से खोलेंगे, 7 हजार के करीब सहकारी समितियां हैं राजस्थान में, हमने कुछ केन्द्र बनाएं हैं, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसान के गेहूं को खरीदने के लिए मात्र 400 सरकारी केन्द्र हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 ग्राम पंचायतें हैं, झुन्झुनूं जिले में 320 के आस-पास ग्राम पंचायतें हैं, पूरे जिले में मात्र 2 गेहूं के खरीद केन्द्र हैं यानी झुन्झुनूं जिले के किसान को गेहूं बेचने के लिए 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 525 रुपये में। समर्थन मूल्य 525 रुपये तय हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने तय किया, ठीक है, पर वह 1525 रुपए भी कम से कम तय हुआ था कि हम इस खरीद को बारहों महीने करने के लिए एक ऐसा तंत्र स्थापित करेंगे जो हर बार किसान की फसल को चाहे जब खरीद सकता है वह खरीद हमारी 3 महीने होती है। किसान को आनन फानन में 1525 रुपये में गेहूं बेचना पड़ता है इसलिए वह सोचता है थोड़े दिन बाद अगर कीमत कम हो गयी, बाद में सरकार ने ना खरीदा तो? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विडम्बना देखिए इस लोकतंत्र की कि 1525 रुपये में वह किसान बेचकर जिस दिन लौटता है, 3 महीने पूरे होते हैं उस दिन वह जमाखोर, वह स्टॉकिस्ट और वह धन्ना सेठ उस गेहूं की कीमत 1800 रुपये क्विंटल तक वृद्धि कर देते हैं और किसान को भी वह 1800 रुपये में खरीदना पड़ता है। यानी किसान जिस पौध को बच्चे की तरह 6 महीने पालता है, पूरा

(श्री शुभकरण चौधरी)

का पूरा परिवार सिंचाई करता है, गुडाई करता है, दवाई डालता है, कई बार तो काल ग्रसित भी हो जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार तो दवा छिड़कते समय हाथ में दवा लग गई, भूल गया, पानी पी लिया तो भगवान को प्यारा। कभी बिजली का करंट आ गया तो भगवान को प्यारा। एक धन्ना सेठ, फैक्ट्री का मालिक अगर इस प्रकार काल ग्रसित हो जाए तो करोड़ों, अरबों रुपया मिलता है। किसान की अगर उसकी मृत्यु खेती के काम में हो जाए तो उसको लाख रुपया मिलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वर्तमान सरकार को कि यह पैसा भी इस सरकार ने इतना बढ़ाया कि पिछली सरकार से दुगुना किया। इसमें कोई दो राय नहीं, मंत्री महोदय लगातार इस बात के लिए चिंतित हैं, हमारी सरकार चिंतित है, आपने पशु धन का बीमा बढ़ाया है, शुरू किया है, कृषि फसल बीमा योजना शुरू की है, आपने समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। दवाओं के माध्यम से भी आपसे कहूं कि डीएपी, यूरिया आपने कांग्रेस की सरकार से दुगुना स्टॉक दिया है, पर्याप्त मात्रा में बिजली, छह-सात घंटे मिली है, मैं इस बात का उलाहना देने खड़ा नहीं हुआ, मैं सरकार, माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं और निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जो प्रयास हम कर रहे हैं वह क्या काफी हैं? यह प्रयास नाकाफी हैं। यह प्रयास नाकाफी इसलिए हैं कि कोई यह कहे हम दो साल में ऐसा नहीं कर सकते, अभी मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य ने एक कांग्रेसी सदस्य को जवाब दिया कि अगर हमने हमारी चिंता की होती, चौधरी चरण सिंह भी अगर मुख्य मंत्री बनने के लिए पैदा हुआ होता तो यह जो निजामत बैठी है, जमाबंदी का जो अधिकार हमको मिला है, भूमियों का अधिकार जो हमको मिला है वह अधिकार नहीं मिला होता। मैं यह कहना चाहता हूं कि सर छोटूराम और चौधरी चरणसिंह जैसे लोग जिन्होंने किसानों की चिंता की, जिन्होंने इस देश के किसान का मान सम्मान बढ़ाया, भूमि का हक दिलाया, उन लोगों के नक्शे कदम पर चलकर हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो वक्त की जरूरत है। आज किसान चाहता है, उसका समर्थन मूल्य और मैं आपको बताना चाहता हूं, आंकड़ों के द्वारा सिद्ध करूं, किसान का बेटा खेत में जाकर खड़ा होता है, हल चलाता है, गुडाई करता है, पिलाई करता है, पानी देता है, खाद देता है, बिजली का बिल देता है, गेहूं की केवल एक क्विंटल की राशि का खर्चा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होता है 2800 रुपये प्रति क्विंटल।

(श्री शुभकरण चौधरी)

तय हुआ था सरकार उसको समर्थन मूल्य के साथ-साथ फायदा भी देगी, फायदा तो जाने दो, उसका खर्चा 2800 रुपये प्रति क्विंटल आता है और 2800 रुपये प्रति क्विंटल के गेहूं के खेत में अभी जो चर्चा हो रही थी बछड़े और राठा की, वह सांड अगर घुस जाए तो सूपड़ा साफ कर देता है। किसान को आत्म-हत्या करनी पड़ती है, सरकार के पास इस प्रकार की चीजों का कोई प्रावधान नहीं है। आगजनी पर बीमा है, ओले पड़े जाएं तो बीमा है, कोई और नुकसान हो जाए तो बीमा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सेठ साहूकार की फैक्ट्री में चोरी हो जाए तो बीमा, आग लग जाए तो बीमा, किसी मजदूर की गलती से कोई नुकसान हो जाए तो बीमा, फिर हमारे किसान के खेत में गलती से कोई गाय, भैंस, राठा, सांड चले गये और उसके बाद उसके पूरे खेत को साफ कर दिया, उसका बीमा क्यों नहीं? उसको नुकसान क्यों नहीं मिलना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने तय किया था कि डेयरीज के माध्यम से किसानों को आगे लाएंगे, आजीविका का साधन बनाएंगे। मैं शेखावाटी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं और जितने लोग यहां शेखावाटी से बैठे हैं वह जानते हैं इस बात को, आज के एक महीने पहले दूध का मूल्य था हमारे गांव में बेचने वाले किसान के पास 15 रुपये प्रति किलो। जयपुर में दूध की कीमत थी 32 रुपये किलो। 17 रुपए का फर्क है, मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि क्या इस लोकतंत्र में 60 साल के बाद किसान ही मरता रहेगा? उसने 4 गाय क्या पाल ली, 10 भैंस क्या पाल ली, थोड़ा सा दूध का उत्पादन ज्यादा क्या कर लिया, सभी के पेट में दर्द होने लगा? यहां 32 रुपये किलो वाला दूध गांव में किसान के पास 15 रुपये किलो खरीदेंगें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों के बारे में नियम बनने चाहिए, तय होना चाहिए, इस बात का भी समर्थन मूल्य होना चाहिए कि अगर सरस डेयरी, जयपुर में 32 रुपये किलो मिलेगा तो किसान का दूध 25-26-27 रुपये किलो से कम नहीं बिकेगा। किसान चाहे कितना ही साफ, स्वच्छ दूध रखे, उसका फैट भी बराबर आता हो, पर पता नहीं कौनसा मीटर उनके पास लगा हुआ है, कहते हैं आपके दूध में तो फैट नहीं, गाय के थन से जितना दूध निकला, भैंस की गादी में से जितना दूध आया उतना का उतना आपकी टोकरी में भरा उसके बाद यह फैट क्या होती है हमें पता नहीं, 15 रुपये किलो के मिलेंगे।

(श्री शुभकरण चौधरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी स्पष्ट बात करना चाहता हूं कि यह स्थिति कब तब चलेगी? यह अन्नदाता जिंदा रहेगा कैसे? जब वह खुद भूखा रहेगा तो अन्नदाता की उपाधि, उपाधि ही रहेगी। इस प्रकार से फसलों को पैदा करना, खेती को पैदा करना कोई आसान काम नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकारें रकबों को पढ़ती है, कागजों को पढ़ती है, यहां सामने बैठने वाले लोग ही किताबें छापते हैं, आंकड़े लिखते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि खेती का रकबा बढ़ा है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसान कोई फायदे का काम कर रहा है। झुन्झुनूं जिले में हमारे कृषि मंत्री महोदय पधारे थे, कह रहे थे कि पिस्ता की खेती झुन्झुनूं में करनी चाहिए। इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए आप लोग रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से लोगों को बुला रहे हैं, आप पूंजीपतियों को बुला रहे हैं, पिस्ता की खेती करने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं, किस-किसको सिखा रहे हैं, उसका भी तो कुछ इन्तजाम कीजिए। उसके पशु कैसे जिंदा रहे, उसकी भी कोई व्यवस्था कीजिए, उसका दूध 25-30 रुपये प्रति किलो में कैसे बिके, इस बात की व्यवस्था भी कीजिए। पिस्ता तो छोड़िए माननीय मंत्रीजी, गेहूं 2800 रुपये प्रति क्विंटल खर्चे से पैदा होने वाले का समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए। यह मात्र आज कोई सरकार, मेरी सरकार की बात नहीं करना चाहता, यह पूरे सदन से कहना चाहता हूं, समय आ गया है, सब मिलकर किसान की चर्चा नहीं करोगे तो यह राजस्थान का भला होने वाला नहीं है, हमारा किसी का भला होने वाला नहीं है। इसलिए तय करना यह है कि जिस प्रकार लोग शामिल होकर, आज सबकी यूनियनें हैं, कर्मचारी एक साथ यूनियन में चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एक साथ लड़ते हैं, चाहे अधिकारियों की यूनियन हो चाहे जुडिशियरी की यूनियन हो, हरेक व्यक्ति की यूनियन है।

यह किसान जिस दिन यूनियन बनाने लग जाएगा उस दिन अन्न को पैदा करना मुश्किल हो जाएगा, पेट भरने के लाले पड़ेंगे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मेरी तो एक इच्छा है फैसला अब जो भी हो, सारे सदन से कहना चाहता हूं, ''फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो कि इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी पत्थर तोड़ते, अब किसान के हाथों में कोहिनूर होना चाहिए।'' यह कोहिनूर जब तक किसान के हाथ में नहीं होगा, अन्नदाता की पदवी के साथ-साथ यह मान-सम्मान जब तक हम लोग देंगे नहीं तब तक न इस राजस्थान का भला होने वाला है, न इस राष्ट्र का भला होने वाला है।

(15.10 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

लोग जो कहते थे इस देश की समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं कि उन रास्तों पर पैदा होने वाली फसलों को इतना समृद्ध करो, उस किसान की खेती को इतना उन्नत करो, उस किसान को इतना समृद्ध करो कि लोगों ने जो सपने देखे थे, सारा जीवन किसानों के लिए लगाया उनके सपने साकार हो जाए। वर्ना तो आप जानते हैं खेती आज कितने फायदे का सौदा है और क्या-क्या करना चाहिए। अभी आप तो सारी बात कहकर वहां चले गये, पर मेरी बात को मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापतिः मैं सुन रहा था आपको, रिपीट मत करना आप।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है सभापति महोदय।

श्री सभापतिः मैं सुन रहा था आपको।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): रिपीट करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि एक-एक व्यक्ति इस पीड़ा को जानता है, एक-एक व्यक्ति के दिल में यह दर्द है, पर यहां खड़ा होकर मैं बोलता हूं तो मेरे लोगों को यह लगता है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं। कोई सामने वाला बोलता है तो ऐसा लगता है, पर हकीकत यह है किसान की चिन्ता करनी पड़ेगी, खेती को उन्नत करना पड़ेगा, किसान को उसकी फसल का मुआवजा देना पड़ेगा।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे सदन की मुखिया ने, राजस्थान की संवेदनशील मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनी को 40 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। क्या मात्र अकेला किसान उसकी चोरी कर रहा था? किसान की बिजली की वजह से कंपनियां घाटे में हैं? क्या इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं हैं, फैक्ट्रियां जिम्मेदार नहीं हैं? कितने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करें जिनमें लिखा हुआ है कि लाखों-लाखों रुपये की बिजली चोरी फैक्ट्रियों में होती है। क्या वे जिम्मेदार नहीं हैं? जब उनको इतनी सब्सिडी दी जा सकती है तो क्या हमारे किसान को 1525 रुपये की जगह 2000-2500 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य दिया नहीं जा सकता? यह देना चाहिए।

गाय की चिन्ता करने की चर्चा हुई, अभी गौशालाओं पर अनुदान की बात हुई। मैं साफ मन से कह सकता हूं कि इसमें हम लोग वाकई पिछड़ रहे

(श्री शुभकरण चौधरी)

हैं, यह हमें करना पड़ेगा, गौशालाओं को अनुदान देना पड़ेगा। किसान के गाय, पशु आवारा घूमकर उसकी खेती का नुकसान करते हैं उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग आंकड़ों की चर्चा करते हैं, आंकड़े किताबों में लिखे हैं, मैं ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि सब लोग पढ़ सकते हैं। मैं वे संवेदनशील मुद्दे उठाना चाहता हूं, एक बात आयी थी, अब उपाध्यक्ष महोदय चले गये। पिछली बार आर्थिक प्रस्ताव पर जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी, 80 अरब रुपये का नुकसान हुआ है किसान को समर्थन मूल्य पर खरीद न करने की वजह से। उस बात से तो हमने कुछ समझा। समर्थन मूल्य पर खरीद करने का विचार हमने किया है, पर जितने केन्द्र हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। खरीद केन्द्र बढ़ने चाहिए, समर्थित मूल्य बढ़ना चाहिए। केन्द्र सरकार की कोई पाबंदी है तो राजस्थान सरकार को कोशिश करनी चाहिए, पर समर्थन मूल्य जब तक किसान के गेहूं के 2000 व 2500 के बीच नहीं होगा, क्योंकि 2800 रुपये तो खर्चा आया है, पूरे आंकड़े मेरे सामने है। वह करना ही चाहिए।

एक चर्चा जो मैंने पहले भी की थी, दुबारा कहना चाहता हूं कि तीन महीने से काम चलेगा नहीं। किसान की फसल का खरीद समर्थन मूल्य 12 महीने लगातार होना चाहिए ताकि वह जब चाहे अपनी फसल को बेच सके। उसके तलवार लटकी रहती है तीन महीने में 1525 रुपये में नहीं बेचूंगा तो बाद में पता नहीं क्या होगा? तीन महीने में वह अपने घर को खाली कर देता है और बाद में गेहूं का मूल्य होता है 1800 रुपये। हमने सुराज संकल्प यात्रा में घोषणा भी की थी कि हम ऐसा करेंगे और हमें यह करना चाहिए।

मैं मानता हूं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा किसान है, पर इस आत्मा को जिन्दा रखने के लिए उस किसान को जिन्दा रखना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए जरूर धन्यवाद देना चाहता हूं कि अबकी बार हमने खाद, बीज वगैरह किसानों को टाइम पर दिये हैं। इस बात से किसान की फसल में थोड़ा फायदा भी हुआ है। मात्र इस फसल के फायदे से जो परम्परागत खेती हम कर रहे हैं इस खेती से काम चलने वाला नहीं है, पर करेगा कहां से? जहां-जहां भी आपने चेंज किया है, आपने कहा ग्रीन हाउस लगाओ, फार्म पौण्ड लगाओ, आप कोई और काम करो, पर मंत्री महोदय को

(श्री शुभकरण चौधरी)

बताना चाहता हूं आपने फव्वारा की सब्सिडी घटा दी, ग्रीन हाउस की सब्सिडी घट गयी, फार्म पौण्ड की सब्सिडी घट गयी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सब्सिडी किसान से सम्बन्धित हैं वे ही क्यों घट रही हैं? इन सब्सिडी को घटाने की बजाय बढ़ाना चाहिए। ये बढ़ाएंगे नहीं तो उसका काम चलेगा कैसे?

एक निवेदन और करना चाहता हूं। बड़ी स्पष्ट बात है। पिछले दिनों हम लोगों ने किसानों के पशुओं के इलाज के लिए पशु आरोग्य चल इकाई का गठन किया था। आज तक भी वह आरोग्य चल इकाई सही-सलामत काम नहीं करने लगी है, बल्कि यह कहूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो मैं उसका उद्‌घाटन करके आया था, लेकिन आज की तारीख में वह बंद है। ये चर्चाएं बहुत परेशान करती हैं। क्षेत्र में जाना मुश्किल होता है, किसानों को जवाब देना पड़ता है। किसान को जवाब देना पड़े या न पड़े, एक किसान का मैं बेटा हूं, रोजाना इन समस्याओं से रूबरू होता हूं, जो वादा हम जनता से करते हैं, जो चर्चाएं हम लोग जनता से करते हैं, जिस चीज की शुरुआत करते हैं उसको अंत तक पहुंचाना, उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है, यह पूरा होना चाहिए।

सब्सिडी की एक चर्चा आयी। किसान के फसली ऋण के ऊपर हम लोगों ने ब्याज माफी की बात सबसे पहले की थी, पर उस वक्त तय था कि उसकी सीमा तीन लाख रुपये तक होगी, क्योंकि तीनों मांग सम्मिलित हैं इसलिए तीनों को साथ-साथ ही ले रहा हूं। सहकारिता मंत्री महोदय से भी साथ-साथ निवेदन करना चाहूंगा। हमने तय किया था कि तीन लाख रुपये की ऋण सीमा है फसली ऋण की जिस पर ब्याज माफ किया जाएगा। आंकड़े बताते हैं और जहां से मैं सम्बन्धित हूं, बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि डेढ़ लाख रुपये मैक्सिमम सीमा है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसान का बेटा पढ़ना चाहता है, किसान भी आखिर समाज के साथ मिलकर चलना चाहता है, वह भी पशु खरीदना चाहता है, डेयरी लगाना चाहता है, दुग्धपालन का काम करना चाहता है। कृषि मंत्री महोदय, वह पिस्ता की खेती करना चाहता है, पर 50 हजार, डेढ़ लाख रुपये से किसान का भला होने वाला नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि सीमा ही 3 लाख से 5 लाख हो जाए। हम इस सीमा को कम करने जा रहे हैं यह किसान के साथ अन्याय है। फसली ऋण की सीमा को बढ़ाना चाहिए। तीन लाख तो हमने तय किया था, तीन लाख भी इस महंगाई के जमाने में कम है। पांच लाख रुपये तक उसकी सीमा होना चाहिए और ब्याज माफी का तो हमने तय कर रखा है।

(श्री शुभकरण चौधरी)

डेढ़ महीने से लगातार आपके व्यवस्थापक हड़ताल पर बैठे हैं। सहकारिता मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं किसान से रिकवरी करने की लास्ट डेट 31 मार्च है। व्यवस्थापक हड़ताल पर बैठे हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूं इस तारीख को एक महीना कम से कम और बढ़ाएं। या तो उनकी हड़ताल तुड़वाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कम से कम 30 जून होनी चाहिए डेट।

श्री सभापति: बैठिए-बैठिए। आप अपना समय आए तब अपनी मांग करना।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): इनका समय आ गया तीन साल पहले, तभी तो इतने ही हैं।

श्री सभापति: समय बदलता रहता है मित्र।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): "वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शह गुलाम है।" या तो इन व्यवस्थापकों की हड़ताल तुड़वाएं। यदि हड़ताल नहीं टूटती है तो मंत्री महोदय, इस समय को बढ़ाएं। मैं आपसे इतना जरूर चाहता हूं, जून की बात तो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अब किसान की फसल का टाइम आ गया। अप्रैल में वह फसल निकालेगा, मई तक का समय तो इसलिए करना चाहिए कि बिना फसल बेचे वहां कोई फैक्ट्री तो है नहीं जो वहां से पैदा करके ले आएगा। हमारे पास गेहूं, मूंगफली, चने के सिवाय कुछ नहीं है। उसको बेचकर पैसा जमा कराएंगे, उसी के लिए आपसे उधार लिया था। कहना यह चाहता हूं कि को-ऑपरेटिव सैक्टर का गठन क्यों हुआ? यह बात आयी कहां से? यह उपज इस बात से आयी कि अंग्रेजों के जमाने में और उसके बाद जो समय आया, धन्ना सेठों, सेठ-साहूकारों ने किसानों की महिलाओं के गहने गिरवी रखने शुरू कर दिये, जमीनें गिरवी रखी जाने लगीं, बेटे-बेटियों की शादी करने के लिए उस सेठ-साहूकार के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। तब दिमाग में एक विचार आया कि इस प्रकार सहकारिता की स्थापना करके किसानों को लोन दिया जाए, किसानों की मदद की जाए, ब्याज कम लिया जाए ताकि उसका मान-सम्मान बचेगा और आज हम उसी रास्ते पर चलने लगे।

तीन लाख की सीमा को डेढ़ लाख कर दिया, बहुत बड़ा घाटा हो

(श्री शुभकरण चौधरी)

जाएगा। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कई हजार करोड़ रुपये खाकर विदेश भाग गये, जिन पर मुकदमा दर्ज नहीं करा पाये। कल अख़बार भरा पड़ा था। अगर दो-चार, दस-पांच, बीस-तीस करोड़ रुपये किसान के पक्ष में डूब भी गये तो क्या अन्याय हो जाएगा? वह हिन्दुस्तान छोड़कर जाने वाला नहीं है। वह यहीं धरती का सीना चीरकर आपका पेट पालेगा। इस देश को अन्न पैदा करके देगा, इसलिए उसको जिंदा रखना जरूरी है। लोन की सीमा बढ़ाई जाए। व्यवस्थापकों की हड़ताल तुड़वाई जाये और ये पैसा जमा करने की तारीख बढ़ाई जाए।

एक विडम्बना और है सभापति महोदय। जितने भी नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट बैंक हैं, रात-दिन वे बैंक मुनाफे में चल रहे हैं। ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। ये को-आपरेटिव बैंक ही घाटे में क्यों जा रही हैं? इसका क्या कारण है? आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि किसान को हमने लोन दे दिया, सारा डूब गया। आंकड़ों की किताब मेरे सामने हैं। एक भी आंकड़ा नहीं कहता, जितने करोड़ रुपये कल के अख़बार में लोगों ने लूटे हैं, खाये हैं, डुबोये हैं, उससे दसवें हिस्से का भी किसान ने पैसा नहीं खाया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये सहकारिता, बताओ-बताओ की बात तो, एक बार आज रुक जाओ। मैं दो साल का हिसाब नहीं मांग रहा माननीय सदस्य, मैं 60 साल का हिसाब मांग रहा हूं। बताना है तो पिछले पांच साल का हिसाब आप भी बताओ और पिछले 55 साल का हिसाब भी बताओ। मैंने आपसे पहले भी नम्र निवेदन किया था कि इसको राजनीति में मत उलझाओ। यह किसान का मुद्दा है। यह पूरे राजस्थान का मुद्दा है। हरेक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा है क्योंकि किसान के विकास का मामला है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, आप जब कहेंगे, मैं तो समाप्त कर दूंगा मेरी चर्चा। पीड़ा थोड़ी दिल की थी, इसलिए रख रहा था। आपको बताना चाहता हूं, बहुत से प्रयास हमारी सरकार ने इन दो साल में किये हैं। इस बात के लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं, पर ये प्रयास नाकाफी हैं, प्रयास और भी करने पड़ेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मैं तो एक ही अंतिम बात कहकर आपको बताना चाहता हूं,

(श्री शुभकरण चौधरी)

''मेरी तलाश में शहर तक आ गया दरिया,
अगर मैं डूब जाता तो उतर गया होता,
मैं अपने आपसे हारा हुआ सिपाही हूं,
अगर मैं जहर न पीता तो मर गया होता''

यह मेरे विचार नहीं है, राजस्थान के किसान के विचार हैं। वह कह रहा है कि जहर के घूट पी-पीकर जी रहा हूं और जिंदा मात्र इसलिए हूं कि जहर पीता हूं। उस जहर की तरह मैं सरकार से, राजस्थान की सारी राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करूंगा कि किसान को कभी तो अमृत पीने दो। अब तो 60 साल बाद कम से कम ऐसा सोचो, जहर पी-पीकर मारो मत। किसान की चिंता करो, खेती की चिंता करो, उसके पशुओं की चिंता करो।

मैंने निवेदन आपसे किया है। आपकी आरोग्य चल इकाइयां सही चलें, आपके को-आपरेटिव सैक्टर के लोन की समय सीमा बढ़े, व्यवस्थापकों की हड़ताल टूटे, ना टूटे हड़ताल तो कोई ऐसा सैक्टर स्थापित करो जो प्राइवेट सैक्टर की बजाय आपके बैंकों के सीधे नुमांइदे बन जाएं...

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरे राजनैतिक दलों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर विचार-विमर्श करके, किसान की चिंता करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, राम राम साहब।

श्री सभापति: आपने समय लिया, इसके लिए धन्यवाद। समय दिया नहीं, आपने लिया, उसके लिए धन्यवाद। श्री रमेशजी।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 36, 37 और 39 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज किसान, कृषि, सहकारिता, पशुपालन पर चर्चा हो रही है। अभी दूसरे माननीय सदस्यों ने और उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य ने किसान के प्रति अपनी वेदना रखी और वेदना रखनी भी चाहिए। यह एक गम्भीर विषय है। सभापति महोदय, कृषि मंत्रीजी हमारे सैनी साहब किसान वर्ग से आते हैं, ये पहले भी कृषि मंत्री रहे हैं और दूसरी बार अब कृषि मंत्री बने हैं।

(श्री रमेश)

इनको किसान वर्ग से आने से बड़ा ज्ञान भी है, बड़ा अनुभव भी है। किसान के प्रति इनकी सोच भी है लेकिन जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी-बड़ी बातें इन्होंने की हैं। बड़े-बड़े सुझाव भी दिये हैं तो मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आज किसान की क्या स्थिति है? सरकारें आती हैं, सरकार चली जाती हैं। एक जाती है, दूसरी आ जाती है। लेकिन किसान जिस मोड़ पर खड़ा है सदियों से, आज वहीं खड़ा है। किसान के प्रति यहां भाषण होगा, मांग पास हो जाएगी, उसके बाद किसान के प्रति जो सोच है, वह यहीं इस सदन में रह जाएगी। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि सरकार की यदि मंशा ठीक है, सरकार किसान के प्रति अच्छी सोच रखती है कि हमें किसान को कैसे आगे बढ़ाना होगा। इस अन्नदाता को हमें कैसे लाभ पहुंचाना होगा? लेकिन किसान के प्रति जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व लगता नहीं है कि सरकार कुछ करेगी। क्योंकि जब-जब बात आती है कि किसान कर्ज में जीता है, किसान कर्ज में मरता है, किसान गर्मी की लू के थपेड़े सहता है, सर्दी सहता है। बारिश आ जाती है तो अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है। सबकी मार सहने के बाद उसकी फसल मार्केट में आती है तो उसका दाम क्या होता है, उसे क्या मिलता है?...

श्री सभापतिः माननीय सदस्या, पीछे से आवाज यहां तक पहुंच रही हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से जो हमारे कृषि मंत्रीजी की पीड़ा थी, जब विपक्ष में बैठते थे तो बात करते थे कि कभी वर्षा की मार झेलता है तो कभी अनावृष्टि की, कभी अतिवृष्टि की। उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के ठोस प्रयास होने चाहिए। कृषि में बहुत सारे विषय हैं। इनको बहुत बड़ा ज्ञान है। Agriculture में Horticulture, Horticulture में floriculture, इसके अलावा Aquaculture, Plastic-culture, Tissue -culture, Harvey-culture, Animal culture, Husbandry, Poultry, piggery, duckary, Bee-keeping ये सबका ध्यान रखते थे कि सरकार का क्या विजन होना चाहिए? कृषि की आय में वृद्धि कैसे होनी चाहिए? पानी का कैसा प्रबन्धन होना चाहिए? विपणन की श्रृंखला, मार्केटिंग की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? इन्होंने उदाहरण भी दिया था कि कृषि आयोग के अध्यक्ष डा. एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में आयोग का गठन हुआ, उसके अनुसार होना चाहिए। किसान आयोग के गठन की भी बात की कि किसान का कर्जा,

(श्री रमेश)

ऋण व्यवस्था, मूल्य समर्थन, मंडी व्यवस्था, कृषि आधारित उद्योग सहित विषयों पर अपनी राय आयोग सरकार को देगा। मौसम आधारित फसल बीमा के बारे में माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि योजना में भारी गड़बड़ी है और इसमें किसानों के साथ ठगी हो रही है तो इस ठगी को रोका जाना चाहिए ये बेईमानी करते हैं। इनके यंत्र, डिग्री, सैल्सियस, एक की जगह दो रखते हैं, दो की जगह एक रखते हैं। इस व्यवस्था में को-आपरेटिव से जो लोन लेता है, उसमें इस बीमा को लादना नहीं चाहिए। ये सारी बातें हमारे मंत्रीजी कहा करते थे। 25 परसेंट बीज सीड कारपोरेशन के माध्यम से उपलब्ध करवाता है। शेष 75 परसेंट आपकी बीज संस्था और एजेंसीज की मार्फत उपलब्ध होता है। किसान को अच्छी गुणवत्ता वाला बीज नहीं मिलता है। इस तरह की बातें हमारे माननीय मंत्रीजी करते थे। जेनेरिक प्योरिटी को चैक करना चाहिए, फिजिकल प्योरिटी को चैक करना चाहिए जर्मिनेशन प्योरिटी को देखना चाहिए। कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन जब से हमारे माननीय मंत्रीजी बने हैं तो उसके बाद इस प्रदेश की कृषि व्यवस्था में क्या सुधार हुआ है, ये मंत्रीजी जब अपना उत्तर देंगे, तब बताएंगे। लेकिन मैं मंत्रीजी को बताना चाहता हूं राज्य की स्थिति के बारे में आप भी बताते थे कि पानी की स्थिति क्या है? वन परसेंट है। खेती की पोजिशन क्या है? राज्य की 12.47 परसेंट भूमि कृषि योग्य है, 16.69 परसेंट जोत रहकर केवल 53.31 परसेंट भूमि शुद्ध रूप से बोने योग्य है। इससे ही राज्य का किसान पूरे राज्य की जनता का पेट भरता है लेकिन खुद आधे समय भूखा सोता है। ये भी आप कहा करते थे। आपने कहा कि हम कृषि क्षेत्र में नवाचार लायेंगे...

श्री सभापतिः आपने पूरा अध्ययन किया है इनका रमेशजी। नहीं, नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि आपने इनका पूरा अध्ययन किया है।

श्री रमेश (सपोटरा): अब नये प्रयोग करेंगे। बजट में जो प्रावधान रखे हैं, उसके बारे में मैं अब आगे बता रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? ये इसलिए बताया है माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापतिः इतना अध्ययन करने पर तो डाक्टरेट मिल जाती है।

श्री रमेश (सपोटरा): इनके मन में वेदना बहुत है। किसान वर्ग से आते हैं। सारी चीजें हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाये...

मेरी तो सबसे बड़ी वेदना यह है कि किसान के प्रति सोच अच्छी है

(श्री रमेश)

पर सोच अच्छी रहने से काम नहीं चलेगा, किसान के लिए यह सरकार और सरकार के मंत्री कुछ करें। मैंने सुन लिया, मैं वो ही चीज आपको बता रहा हूं। राज्य सरकार के बजट में जो कृषि का हिस्सा है और हमारे मंत्री जी पहले कहा करते थे कि कृषि का बजट ही अलग से होना चाहिए। उस बजट का क्या हुआ मंत्री जी? आप उत्तर में बताएं कि कृषि का बजट अलग होगा वो आज तक हो नहीं पाया और आप बजट की बहुत बातें करते थे।

आपका जो कृषि का हिस्सा है वह 2014-15 में 4234.69 करोड़ के साथ कृषि का बजट था जो 6.07 परसेंट था। 2015-16 में यह बजट घटकर 3975.84 करोड़ यानि 5.57 परसेंट हो गया। फिर 2016-17 में बजट भी वही 5.62 परसेंट रहा तो यह घटा है, बढ़ा तो है नहीं और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम कृषि की जीडीपी बढ़ाएंगे। कैसे जीडीपी बढ़ाएंगे? आप जब बजट तो दे नहीं रहे हो और जीडीपी बढ़ाने की बात कर रहे हो। आपने कहा कि कुछ लक्ष्य प्राप्त करने की बात है तो उन लक्ष्यों को भी आपको बता दूं। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत 192.71 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2015 तक केवल 15.11 करोड़ रुपये ही खर्च किये हैं। आप देखो कि 192 में से 15 करोड़ रुपये ही खर्च कर रहे हो। राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन के अन्तर्गत 61.24 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरुद्ध दिसम्बर, 2015 तक आपने केवल 5.30 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं पादप उप मिशन अन्तर्गत 49.39 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2015 तक आप 14.08 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन अन्तर्गत 18.89 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध आप दिसम्बर, 2015 तक .76 मतलब 76 हजार रुपये की खर्च कर पाये 19 करोड़ में से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरुद्ध आप केवल 100.54 करोड़ रुपये ही व्यय कर पाये जबकि आपकी हिस्सेदारी इस योजना में 64:40 का रेश्यो था फिर भी आप केन्द्र के अंश का भी सदुपयोग नहीं कर पाये। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत 66.48 करोड़ के प्रस्तावित व्यय के विरुद्ध दिसम्बर, 2015 तक 32.28 करोड़ रुपये व्यय किये। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना राज्य के सभी श्रेणियों के किसानों के लिए होती है और उसका लक्ष्य 2015-16 के लिए 182.62 करोड़ रुपये रखा जिसके विरुद्ध आप 8.4 करोड़ रुपये ही व्यय कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह आपकी योजना पाइप लाइन की

(श्री रमेश)

बात करें तो इनका लक्ष्य 12112 था जिसमें से मात्र 3126 का ही प्रयोग कर पाये हैं। डिग्गी की बात करें तो 7500 डिग्गियां थीं जिनमें से मात्र 645 डिग्गियां ही बना पाये जो 8.16 परसेंट आपका प्रोग्रेस है। फार्म पौण्ड की आप बात कर रहे थे और जब आप जवाब दे रहे थे तब बात चल रही थी तो 9 हजार फार्म पौण्ड की संख्या थी जिनमें से आपने 2713 फार्म पौण्ड बनाये जो 30.14 परसेंट है। जल हौज की संख्या आपकी 800 थी, उनमें से आप 291 ही बना पाये। कृषि यंत्रों की संख्या 66 हजार 970 थी जिसमें से 11872, 16.96 परसेंट लक्ष्य प्राप्त कर सके। जिप्सम वितरण में 1 लाख 75 हजार मैट्रिक टन में से आपने 98 हजार 189 मैट्रिक टन का वितरण किया है। जैतून की खेती की आपने बहुत बड़ी बातें कीं और आज उसके रकबे में 460 हैक्टेयर का लक्ष्य था और किया 258 हैक्टेयर। कृषि भ्रमण प्रशिक्षण, किसानों को घुमाने की आप बात करते हो तो उसमें 86 का लक्ष्य था जिसमें से 13, मात्र 15.11 परसेंट प्राप्त किया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की संख्या 3 लाख 50 हजार का लक्ष्य है जिसमें आपने थोड़ा सा काम किया है और 2 लाख 78 हजार का लक्ष्य प्राप्त किया है। इससे आपको स्पष्ट लग रहा है कि आपकी किसानों के प्रति कितनी अच्छी सोच है और सरकार क्या करना चाहती है, सरकार की मन्शा क्या है।

इसी प्रकार उद्यानिकी के क्षेत्र में 2015-16 में 444.08 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था जिसकी तुलना में दिसम्बर, 2015 तक 107.31 करोड़ रुपये व्यय किये गये। आप जो उत्पादकता की बात करते हो जिसमें आपके फल हैं, सब्जी है, फूल हैं, औषधि है, इनके उत्पादन को बढ़ाना था लेकिन आप इसको भी नहीं बढ़ा पाये। आपने कहा कि हम विभिन्न तरह के नवाचार लायेंगे, केन्द्र सरकार के फण्डिंग पैटर्न का बहाना बनाकर आपने जो अनुदान समाप्त कर दिये जिसका मैंने प्रश्न भी पूछा था और आप सवाल का जवाब नहीं दे पाये। जल हौज योजना में 60 हजार की सब्सिडी थी उसको घटाकर आप 10 हजार पर ले पाये। जो किसान हौज में पानी भरता है, पानी भरने के बाद में पीने के उपयोग में लेता है, उससे सिंचाई का भी काम करता है तो वह किसान कैसे आगे बढ़ेगा जब आपने 60 हजार की जगह 10 हजार रुपये कर दिये। आपने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली सौलर पम्प योजना किसानों को मिलने वाली है और उसकी सब्सिडी 86 परसेंट थी जिसको घटाकर आप 60 परसेंट पर ले आये। ग्रीन हाउस में जो आपकी सब्सिडी 75 से 90 परसेंट

(श्री रमेश)

अलग-अलग योजनाओं में थी उस अनुदान को घटाकर आपने 50 परसेंट पर पहुंचा दिया। बूंद-बूंद सिंचाई योजना का अनुदान जो 70 से 90 परसेंट था उसको घटाकर 35 परसेंट पर ले आये। मैं आपको यह बता रहा हूं....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, खड़े होकर बोलें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि ये आंकड़े बोलने के अलावा कोई काम करते नहीं हैं। आपने यही कहा है कि ये लक्ष्य था और यह कर दिया तो आपने क्या किया? यह तो बताओ मुझे।

श्री रमेश (सपोटरा): वो भी बता देंगे न।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप तो उस व्यक्ति को नेता मानते हो जो लाल मिर्ची और हरी मिर्ची में फर्क नहीं जानता।

श्री रमेश (सपोटरा): आप तो नगरपालिका बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): वो डोटासरा जी नाराज हो रहे हैं, आप इतना जो बोल रहे हो। डोटासरा जी के लिए कुछ छोड़ो।

श्री रमेश (सपोटरा): आप बिराजो नगरपालिका, बिराजो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, किसानों को बांटा जाने वाला 4 लाख मुफ्त बीज मिनी किट्स वितरण का भी पता नहीं है कि कितनों को बंटा और कितनों को नहीं बंटा। राज्य सरकार ने अनुदान के नाम पर केवल फार्मेलिटी की है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इन अनुदानों में भी नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार हुआ है। अगर सरकार की मन्शा है तो थर्ड पार्टी से इसकी जांच कराएं आपको पता लग जाएगा कि नीचे किसान तक इसमे कुछ नहीं पहुंचा है, मैग्जिमम ऊपर के ऊपर ही यह पैसा उठ गया है।

आप नकली खाद-बीज और कीटनाशक की बात करते हो लेकिन आपके इन सवा दो सालों में केस भी पकड़ में आये हैं, अखबारों में भी खबर छपी है, एफआईआर भी दर्ज हुई हैं और कोटा से, लाड़पुरा से माननीय सदस्य का प्रश्न भी था उसमें किस तरह अमानक बीज पाये गये उसकी भी चर्चा हुई। लेकिन मंत्री जी, इन दर्ज केसों में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मंत्री जी जब विपक्ष में थे तब अगर अमानक बीज या कीटनाशक दवा पाई जाती या कोई बात होती तो देशद्रोह की बात करते थे। मंत्री जी, अब आप सरकार में

(श्री रमेश)

बैठे हो तो यह जो देशद्रोह हो गया और इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी खाद-बीज की कम्पनियां हैं उनमें से कितनों को तो आपने ब्लेकलिस्टेड किया, कितनों को इन दो साल में सज़ा दिलवायी यह मंत्री जी, बताएं। प्रदेश में पेस्टिसाइड सीड और खाद सप्लाई करने वाली कम्पनियां साल भर में करीब 300 करोड़ का व्यवसाय कर रही हैं और ये भारी अनियमिताएं कर रही हैं। इनके पास जो कैमिस्ट, एनेलिस्ट होना चाहिए वो एक ही होता है और विभिन्न कम्पनियों के पास उसी नाम का व्यक्ति उनके सैम्पल की रिपोर्ट दे रहा है तो इस बारे में भी सरकार चिंतन करे कि किस प्रकार अव्यवस्था हो रही है क्योंकि यह तो सर्वे में पता चला है कि इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

आपने जैतून की खेती के बारे में बहुत चर्चा की कि जैतून की खेती को हम बढ़ायेंगे तो इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप इसको आगे नहीं बढ़ा सके और 258 हैक्टेयर क्षेत्र में ही जैतून की खेती हो रही है। खजूर के मामले में आप पूर्णतया विफल रहे हैं। इसमें करोड़ों रुपये खर्च किये उसके बावजूद भी आप इसमें सफल नहीं हो पाये। इसलिए नहीं हो पाये क्योंकि जो आपकी नीतियां हैं वो किसान विरोधी हैं। सरकार नहीं चाहती है कि किसान का भला हो, किसान आगे बढ़े इसलिए जो सिस्टम है और आप नवाचार को आगे बढ़ाना चाहते हो वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार आपने जैविक खेती की बात की, आज का समय भी है, आज की आवश्यकता भी है कि जैविक खेती को बढ़ावा मिले, उर्वरकता पैदा हो और रासायनिक खाद का कम उपयोग हो।

तो उसके लिए सरकार ने 2 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर अनुदान देने की घोषणा भी की है। लेकिन इस रकबे में भी कमी आई है। क्यों कमी आई है? आपकी जो नीतियां हैं, आपका जो प्रोसीजर है, जो जटिलताएं हैं उसके कारण उसको पैसा मिलता नहीं है। इसलिए किसान का मोह भंग हो रहा है और आपकी खेती घट रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2012-13 में जैविक खेती का रकबा 4300 हैक्टेयर था और वर्ष 2015-16 में केवल 1630 हैक्टेयर रह गया है।

अभी बात कर रहे थे सब्जी और फलों की। तो आज भी वही स्थिति है पचास साल पहले की। हमारे फल और सब्जी खेत में पैदा होते हैं और

(श्री रमेश)

उसके बाद उसको मंडी तक लाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि नवाचार में आपने कहा कि ये मंडी व्यवस्था हो गयी, विपणन तंत्र बढ़ गया हमारा। लेकिन किसान वहां औने-पौने दामों में अपनी सब्जी को, फलों को खेत पर ही बेच रहा है। उसके बाद आपके दलाल कहे या जो स्टाकर हैं वह भर लेते हैं और फसल को रखने के बाद दो, चार, छह महीने बाद जब किसान के पास से फसल व्यापारी के पास आ जाती है तो उसकी पांच गुनी, दस गुनी रेट बढ़ जाती है लेकिन किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। किसान के लिए सरकार ने कोई ऐसा तंत्र मजबूत नहीं किया है या ऐसा उसको प्रोत्साहित या लाभान्वित नहीं किया है कि किसान अपने आप उठे।

किसान के साथ सरकार एक काम जरूर कर रही है कि जो भी किसानों की भूमि है उसको एक्वायर कर रही है। कोई निवेश में आये, उद्योग लगाये या नहीं लगाये लेकिन जमीन उसको जरूर दे दो। सड़क निकालनी है, प्रोजेक्ट निकालना है या किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो, किसी भी तरह का डवलपमेंट का वर्क हो किसान की भूमि निश्चित रूप से जाएगी। सरकार यदि मंशा साफ है जिस प्रकार से आप उद्योगों में टैक्सेज में छूट देते हो, बिजली पानी में छूट देते हो आप, उसको लोन दिलाने में आप छूट देते हो। आप किसी भी क्षेत्र में चाहते हो कि निवेश आये लेकिन किसान को बढ़ाने के लिए सरकार की मंशा बिलकुल साफ नहीं है। क्योंकि उस पर तो कटौती की जा रही है, उस पर विभिन्न तरह के टैक्सों को लगाया जा रहा है, विभिन्न तरह की वसूली की जा रही है और किसान रो रहा है। आज स्थिति यह है किसान की कि खेती करना उसके लिए लाभ का सौदा नहीं है। क्यों सौदा नहीं है? क्योंकि वह सोचता है पैसे ब्याज पर लाऊंगा, बीज पर उधार लाऊंगा और उसके बाद करूंगा और उसके बाद में ऊपर से मेहरबानी भगवान की नहीं हुई तो अकाल पड़ जाएगा। कभी बारिश हो जाएगी, कभी अतिवृष्टि हो जाएगी और लास्ट में वह सोचता है कि इससे तो कहीं मजदूरी कर लूं या ठेला चला लूं लेकिन वह किसान नहीं बनना चाहता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि किसान को प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशल पैकेज और ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर जगह मंडी की व्यवस्था हो। ई-सिस्टम जिसके डवलपमेंट की बात कर रहे हो आप, उस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मैं पहला व्यक्ति हूं।

श्री सभापति: हां-हां, आप पहले वक्ता हो, नहीं आप पहले ही हो।

श्री रमेश (सपोटरा): टोके नहीं, बस मैं जल्दी आगे चल रहा हूं। इसके बाद राजस्थान में जो स्थिति इन सवा दो सालों में बनी है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य में 42 से अधिक किसानों ने फसल खराबा होने के कारण आत्महत्या कर ली और माननीय मंत्रीजी का जवाब था कि निजी समस्या के कारण आत्महत्या कर लेता है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चर्चा नहीं करें आपस में।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वो हालात तो इसलिए हुए कि इन्होंने कहा मैं पहला व्यक्ति हूं। पहला व्यक्ति किसमें हैं? सदन में कई तरह के व्यक्तित्व है।

श्री सभापति: पहला व्यक्ति तो अभी आपको यील्ड नहीं कर रहा है।

श्री रमेश (सपोटरा): क्या कह रहे हो पटेल साहब?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पहला व्यक्ति किस व्यक्तित्व में हैं आप?

श्री रमेश (सपोटरा): कृषि की डिमाण्ड पर किसान की बात कर रहा हूं आदरणीय माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बात करने वाले तो सभी व्यक्ति हैं, किसान की बात करने वाले तो सभी व्यक्ति हैं। आपका व्यक्तित्व कौनसा है जो पहला है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यहां कोई व्यक्ति नहीं है, सभी माननीय सदस्य हैं। यहां कोई व्यक्ति थोड़े ही है सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्य हैं यहां तो।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सदस्य कह देंगे, कोई बात नहीं है राठौड़ साहब, आप क्यों चिंतित हो रहे हो? बोलने दो, दो चार मिनट और लूंगा, आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप कहे तो बैठ जाऊं संसदीय मंत्रीजी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप लंबा बोलो लेकिन आपको पता है कि आपके बोलते ही आप तो जाएंगे ही जाएंगे लेकिन आपकी पार्टी के भी सब लोग चले जाएंगे। कोई सुनेंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं, आप बोलो लेकिन फिर आप अन्त तक बैठे रहेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं बैठा रहूंगा चिंता नहीं करें आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सबसे पहले थैला उठाकर आप ही जाते हो।

श्री रमेश (सपोटरा): आप सो मत जाना, आप एक बात का ध्यान रखना कि आप सो जाए कहीं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं तो सुखी हूं इसलिए सो रहा हूं और आप दुःखी हैं इसलिए मेरे सोने से आपको इतना दुख पैदा हो रहा है शायद वह आपके मन से निकल ही नहीं रहा है।

श्री सभापतिः आप सुख दुख की समान करके चर्चा करें।

श्री रमेश (सपोटरा): यह बात तो माननीय सभापति महोदय से पूछो।

श्री सभापतिः मैं कह रहा हूं कि आप लोग सुख दुख को समान करके चर्चा करें। न कोई दुःखी हो, न कोई सुखी हो, बोलिए।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण में कहा कि 2471 करोड़ रुपये 29.24 लाख किसानों को बांट दिए। लेकिन सरकार ने यह नहीं देखा कि वास्तव में हकदार इसका कौन था, किसको पैसा मिलना चाहिए, किसकी फसल ज्यादा खराब हुई, किसकी कम हुई? वास्तव में जिसकी ज्यादा फसल खराब हुई उसे तो फूटी कौड़ी नहीं मिली और जिसकी कम फसल खराब हुई उसने अधिक मुआवजा पा लिया सरकार से। इसलिए मेरा निवेदन है सभापति महोदय, कि इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो जाती हैं, हमारी गिरदावरी घर बैठे-बैठे कमरों में हो जाती है, अनुमान के आधार पर सर्वे कर लिया जाता है। जो लोग पटवारी और गिरदावर के नजदीक होते हैं वो लोग ज्यादा फायदा उठा लेते हैं और वास्तविक व्यक्ति को उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है। राज्य के किसानों को 9 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ लेकिन सरकार उनको 25 परसेंट तक की राहत भी नहीं दे पाई।

इसके बाद सूखे की भी बात आएगी और 10 हजार करोड़ के करीब दुबारा नुकसान हो गया था किसानों का। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र में भी आपकी सरकार है उसके बावजूद भी आप आपदा राहत की पूरी राशि प्राप्त नहीं कर सके। केन्द्र सरकार से 3 हजार करोड़ का मुआवजा अभी तक बाकी है। जिसका हक है वह दिला नहीं सकी सरकार। बीमा कंपनियों ने अभी तक 1234 करोड़ रुपये कमा लिए और 1.30 लाख किसानों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। आपने पिछले बजट में घोषणा की थी

(श्री रमेश)

कि राज्य के 29 लाख किसानों को बिना ब्याज के 17 हजार 500 करोड़ का अल्पकालीन फ़सली ऋण बांटा जाएगा। लेकिन जनवरी आते-आते राज्य सरकार ने एक आदेश निकाल दिया और इसमें 3500 करोड़ की भारी कमी कर दी। ऐसा करना भी जरूरी था, आपका ब्याज का जो अनुदान था उसमें आपने कटौती की और कटौती करके आपने 370 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। क्योंकि राज्य सरकार डेढ़ लाख रुपए अल्पकालीन फसली ऋण 7 परसेंट ब्याज पर सुलभ कराती है इसमें 3 परसेंट केन्द्र का है और 4 परसेंट आपके स्टेट का है। उस 4 परसेंट के पेटे के अनुसार 370 करोड़ रुपये रखे गये जो काफी कम थे। इसलिए आपको इस लक्ष्य को कम करना पड़ा है और राज्य सरकार 14 हजार करोड़ का भी वितरण नहीं कर पाई। इस वर्ष ब्याज का जो अनुदान है उसको आपने और भी कम कर दिया और 326 करोड़ रुपये ही रखा है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों के लिए हम यह करेंगे और दूसरी ओर आप उसमें कटौती कर रहे है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): राज्य में अकाल के कारण 19 जिलों में 15820 गांवों के 56 लाख किसानों को फसल सूखने का 10 हजार करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। वर्तमान में राज्य के 14427 गांव अकालग्रस्त हैं जिनकी 60 परसेंट फसल सूख चुकी है। राज्य के करीब दो करोड़ लोगों का डेढ़ करोड़ का पशुधन भी प्रभावित हुआ है। अभी भी राज्य सरकार ने केन्द्र से 13000 करोड़ रुपये मांगे हैं उसका आपको 12 परसेंट 1193 करोड़ रुपये ही मिला है। तो ऐसे में हम क्या उम्मीद करें कि सरकार केन्द्र सरकार से आप 13 हजार करोड़ रुपये ला पाएंगे? मैंने बीच में आपको बता दिया था, मौसम आधारित बीमा की मैं बात कर रहा था। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसको स्वैच्छिक किया जाए। किसानों को जो कोआपरेटिव पर लोन लेते हैं यह योजना लागू नहीं हो, इसमें भी सुधार किया जाना चाहिए। आपने अभी-अभी रिसर्जेंट में ग्लोबल राजस्थान एग्रीमीट का जो आयोजन करना था उसके लिए मात्र आपको 10 करोड़ रुपये मिले।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रमेश (सपोटरा): इसमें अच्छा होता कि आप रिसर्जेंट राजस्थान में इसको रखते, सब्मिट करते और बड़े-बड़े देश विदेश से जो उद्योगपति आए थे

(श्री रमेश)

तो कृषि पर चर्चा होती। लेकिन आपने उसको शार्ट में कर दिया 295 एमओयू में से मात्र कृषि के आपने 10 एमओयू किए तो यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है।

श्री सभापतिः समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रमेश (सपोटरा): थोड़ा सा पशुपालन पर बोल दूं।

श्री सभापतिः नहीं, नहीं, अब आप समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): बस दो मिनट।

श्री सभापतिः और दूसरे बोल लेंगे माननीय सदस्य। आप बहुत अच्छा बोल लिए।

श्री रमेश (सपोटरा): खाद की कमी, इस पर भी आपका बजट 55 करोड़ से 39 करोड़ पर आ गया और आपकी क्वांटिटी भी कम हो रही है। पशुपालन पर बोलना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, इस में जो बजट दिया है निशुल्क दवा योजना का उसमें 2014-15 में 80 करोड़ का प्रावधान था वह 2015-16 में 75 करोड़ रुपये आ गया और 2016-17 में अब उसको 60 करोड़ रुपये पहुंचा दिया है। एक तरफ तो महंगाई हो रही है और दूसरी तरफ पशुओं को, किसानों को बड़ी प्रोब्लम है...।

श्री सभापतिः काफी समय हो गया, माननीय सदस्य। समाप्त करें अब।

श्री रमेश (सपोटरा): तो सौ करोड़ रुपये करना चाहिए था बजट, लेकिन आपने साठ करोड़ कर दिया और आपने इनकी बीमा राशि को भी घटा कर 1.90 करोड़ कर दिया, 16 परसेंट की आपने कमी कर दी। रोग नियंत्रण कार्यक्रम की राशि में भी 18 परसेंट की आपने कटौती की है और गौरक्षा का वादा करके आप सरकार में आये थे। गौवंश की सहायता के लिए आपने 66 परसेंट की कमी की है बजट में और इस बार जो आपने बजट दिया है 5.58 करोड़ के बदले ...।

श्री सभापतिः समाप्त हुआ, माननीय सदस्य। बिराज जाएं। बिराजें। श्री केसाराम चौधरी।

श्री रमेश (सपोटरा): केवल 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आपने गौपालन निदेशालय की बात की उसमें भी आपने इस बजट को घटाया है। सहकारिता की नहीं करें बात?

श्री सभापति: बिराजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): ठीक है, आदरणीय। थैंक यू।

श्री सभापति: बहुत माननीय सदस्यों को बोलना है और इसलिए सब माननीय सदस्य अपना पूरा रखें, लेकिन संक्षेप में रखें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या-37 कृषि, मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा और मांग संख्या-36 सहकारिता पर चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने-आपको सम्मिलित करते हुए कहना चाहता हूं कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है कृषि की और देश का प्रमुख अगर कोई व्यवसाय है तो वह कृषि ही है। कृषि के लिए राजस्थान को भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो 3 करोड़ 42 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल है। राज्य का मुख्य व्यवसाय कृषि है और कृषि पूरी वर्षा पर निर्भर करती है। जिस वर्ष वर्षा कम या ज्यादा होती है तो भले ही आंकड़े कुछ भी दे दिये जाएं मगर वो सारे आंकड़े उस वर्षा पर निर्भर करते हैं। वर्षा अगर ज्यादा हो गयी तो पैदावार अच्छी हो जाती है और अगर वर्षा समयबद्ध नहीं हुई तो भी जो आंकड़े प्रगति प्रतिवेदन में दिये जाते हैं वो सारे के सारे धरे रह जाते हैं। वर्षवार देखा जाए तो इसमें कभी तो ऊपर चढ़ जाता है उत्पादन और कभी घट जाता है। भगवान भरोसे है किसान और किसान या तो आस करता है ईश्वर की कि प्रभु मुझे देगा और ...।

श्री सभापति: प्रभू सुनो।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं वो ही सुन रहा हूं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हां, प्रभू ने दिया भी है। इस बार तो पहली बार, मतलब या तो राज ही करता है या भगवान ही करता है। किसान दो चीज की आशा करता है कि हे प्रभु, मैं जब...।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, जब प्रभु देता है तो फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है। जब प्रभु ही दे देता है तो फिर दूसरे से तो मांगने की जरूरत ही नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): वो आस उसी की करता है किसान। प्रभु से ही आस करता है कि प्रभु तू देगा तभी तो मेरा, वो जब खेत में बोने के लिए जाता है तो उस समय पहले बोलता है कि हे प्रभु...।

श्री सभापति: प्रभु की कृपा से ही प्रभू आये हैं यहां पर।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जब खेत में बीज की पहली

(श्री केसाराम चौधरी)

मुट्ठी डालता है तो उस समय वह बोलता है कि हे भगवान, 'चिड़ी, कमेड़ी, चोर चकारी, सकल का पेट भरके प्रभु मुझे भी देना' मतलब वो ऐसी कल्पना करके अपनी धरती माता को नमस्कार करके धरती पर बीज डालता है। वह आशा करता है कि हे प्रभु पूरी दुनिया का सकल का चिड़िया, कमेड़ी किसी का भी सबका पेट भर के मुझे भी देना। किसी के आगे हाथ फैलाने वाला किसान नहीं है। किसान की जो व्यवस्था है उसमें खेती का मूलाधार खाद, गुणवत्तापूर्ण बीज और पानी इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है और इन तीनों में खाद की गुणवत्ता अच्छी हो इसके लिए जो सरकार ने प्रयास किये हैं उसके लिए मैं सराहना करता हूं कि आपने जो खाद की गुणवत्ता के लिए यूरिया को प्रोटेक्ट किया, जो उद्योगों में काम आ जाता था मगर उसको प्रोटेक्ट करके आपने किसानों के लिए खेती के लिए दिया इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है जिसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बीज की गुणवत्ता के लिए भी आपने जांच की व्यवस्था की है, मैं अभी बताऊंगा कि अच्छा बीज नहीं होगा तो पैदावार कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती इसलिए बीजों की गुणवत्ता बनाये रखना किसान के लिए आवश्यक है और पानी कुदरत का दिया हुआ है। पूरे भारत का एक प्रतिशत पानी राजस्थान में है और उसके आधार पर भी खेती करके इस राजस्थान का किसान जो उत्पादन करता है वो बधाई का पात्र है कि कम पानी में उसको खेती करने का ज्ञान है उसके कारण से वह अच्छी खेती करता है। इसलिए मैं आपसे बीजों की शुद्धता में, जर्मीनेशन में या उसमें कितने प्रतिशत अन्य बीजों की मिलावट की जाती है उसकी जांच की जाती है। उसमें किस्म की जांच नहीं की जाती, वह कौनसी किस्म का है। उसके लिए आपको जांच में किस्म को सम्मिलित करना चाहिए, ताकि उस बीज की किस्म क्या है वह बराबर सही है या नहीं उसके लिए किस्म की जांच करना भी इसमें सम्मिलित किया जाए। जांच में अमानक पाये जाने वाले सीड उत्पादक कम्पनी को ब्लेकलिस्टेड करना चाहिए जिसका बीज ही गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो खेती आगे कैसे होगी। इसलिए उस बीज की अगर क्वालिटी की आप जांच करवाते हैं, मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि उर्वरकों की शुद्धता की जांच के लिए राज्य में 6 प्रयोगशालाएं हैं दुर्गापुरा, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और वर्ष 2012-13 में आपने उर्वरकों की जांच की 15546 सैम्पल लिये

(श्री केसाराम चौधरी)

उसमें 127 अमानक पाये गये। ये इनकी देन है और इसके बाद हमारी सरकार आयी, 2013-14 में 14093 सैम्पल लिये और 78 सैम्पल अमानक पाये गये। आपने उसमें थोड़ी कमी की इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं, 2014-15 में 13271 सैम्पल लिये उनमें से 92 सैम्पल अमानक पाये गये और 2015-16 में 11124 सैम्पल लिये और 118 अमानक पाये गये। अगर इन नमूनों की जांच में अमानक पाये जाते हैं तो ऐसे व्यापारी और उद्योगपति जिनके उर्वरकों के नमूने अमानक पाये गये, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। जहां नकली खाद मिले और अमानक पाये जाएं उनको ऐसी सज़ा दी जाए क्योंकि जो किसान ऐसा खाद ले जाएगा उसकी तो फसल चौपट हो जाएगी इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि जो अमानक पाये जाएं उनको किसी सूरत में नहीं बख्शा जाए। उनके लिए ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए कि जो गुणवत्ता में गड़बड़ी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो।

माननीय सभापति महोदय, पौध संरक्षण एवं रसायनों की जांच के लिए राज्य में 6 प्रयोगशालाएं हैं दुर्गापुरा, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर। इनमें 2014 में 2556 सैम्पल लिये आपने उनमें से 53 अमानक पाये गये और 2264 नमूने जांच किये गये उनमें 71 नमूने अमानक पाये गये तो जो भी अमानक पाये जाएं उनके खिलाफ आपको सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। जैविक खेती आज के समय को देखते हुए जिस तरह से पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है उसके लिए जैविक रसायनों के स्थान पर बायो एजेंट्स ट्राइको डोरमा, ट्राइको कोकाडस का उत्पादन राज्य में स्थापित एक राज्य स्तरीय जैव नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर में है एवं आठ क्षेत्रीय आईपीएम प्रयोगशालाओं द्वारा किया जा रहा है जिसमें राज्य में रसायनों से होने वाले दूषित पर्यावरण से रक्षा की जा सकेगी और जो जैविक नियंत्रण से खेती होगी उससे किसानों को और पर्यावरण में जो अशुद्धियां हो रही है उसमें कमी आएगी ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा जो भी कृषि सम्बन्धी किताबें तथा पैम्पलेट छपाये जाते हैं उनमें उत्पादन लागत का विवरण नहीं दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि किसान को किस फसल से कितना लाभ होगा उसके अनुसार किसान अपनी फसल का चयन नहीं कर पाता है कि मेरे लिए कौनसी फसल लाभप्रद है...

(16.00 बजे)

(श्री केसाराम चौधरी)

मैं चाहता हूं कि खेती को व्यावसायिक दृष्टि से उपयुक्त बनाने के लिये उद्यमिता विकास केन्द्र मध्य प्रदेश, भोपाल के द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है उसी तरह से अपने यहां राजस्थान में भी जो भी पाठ्यक्रम छपवाते हैं, उस फसल के व्यवसाय से कितना लाभ होगा वह किसान को पता लगे कि मैं कौनसी खेती बोऊं और मुझे कितना लाभ होगा, वह चीज भी आपको इस क्षेत्र में करनी चाहिये।

केन्द्र सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया है, मनुष्य के लिये जिस तरह से स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है उसी तरह से जमीन में कौन कौन से तत्व हैं और उस जमीन में किस तत्व की आवश्यकता है उस तत्व की मृदा परीक्षण स्वास्थ्य कार्ड जल परीक्षण की सुविधा भी विकसित की गयी है, इसलिए मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। परीक्षण के लिये राज्य में 58 प्रयोगशालाएं हैं जिसमें 32 विभागीय, 26 पीपीपी मोड पर और 12 भ्रमणशील इकाइयां हैं। यह इकाइयां उन ....

श्री सभापति: संक्षिप्त करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अभी तो शुरू ही किया है।

श्री सभापति: अभी नहीं, 10 मिनट से ज्यादा हो गये आपको।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सर, थोड़ा मेरे को जरूरी है।

श्री सभापति: हां जरूरी बोलिए, पर संक्षेप में बोलिए, आप तो निपुण आदमी हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2011 से रबी 2015 तक बीमित कृषकों की संख्या थी 308.16 लाख और लाभान्वित कृषकों की संख्या थी 212.52 लाख। प्रीमियम वसूला गया 3213.7 करोड़ और किसानों को दी गयी बीमा की क्लेम 2706.9 करोड़ रुपये। इस तरह किसानों से वसूले तो 3213.7 करोड़ रुपये और बीमा कम्पनियों के द्वारा दिये गये 2706.9 करोड रुपये। बीमा कम्पनियों ने किसानों से 507.49 ज्यादा कमाये। इस तरह से जो बीमा की प्रीमियम राशि है उसको भी कम करें ताकि बीमा कंपनियां जो किसान से कमा रही हैं, उसमें भी थोड़ी कमी की जाए। बीमा योजना रबी 2011-12 में तीन जिलों टोंक, जालौर, राजसमंद में प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वयन किया गया जिसकी क्रियान्विति मुख्य फसलों के लिये पटवार सर्किल व अन्य फसलों के लिये तहसील को

(श्री केसाराम चौधरी)

इकाई मान कर की गयी है। आपने जो किया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इकाई को पटवार सर्किल और तहसील स्तर को माना है। इससे जो बीमा होता है उससे किसानों को ज्यादा लाभ होगा। 2012-13 में राज्य में टोंक, सीकर, झुन्झुनूं व राजसमंद में सम्बन्धित राष्ट्रीय कृषि बीमा का क्रियान्वयन किया गया। मुख्य फसलों के लिये पटवार सर्किल व अन्य तहसीलों को, 29 जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और 14 जिलों में तहसील के लिये बीमा करने की जो योजना आई है, तहसील और पटवार सर्किल को इकाई मानेंगे जिससे किसानों को बीमा में भी लाभ होगा। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में शेष 20 जिलों में मौसम आधारित बीमा योजना चल रही है और उसमें 13 जिले और जोड़े हैं, इसके लिये भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने किसानों के हित के लिये काम किया है।

उत्पादन के विषय में, मेंहंदी उद्योग मात्र सोजत और पाली जिले के अलावा कहीं नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, मेंहंदी उद्योग में कैमिकल और दूसरी क्वालिटी के पत्ते मिलाये जाते हैं उसके लिये भी कोई न कोई रोक लगाई जाए। कैमिकल को मेंहंदी का रूप देकर बेचा जाता है, उस पर रोक लगानी है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस मेहंदी उद्योग की तरफ, भारत की सबसे बडी मंडी मेहंदी की अगर कोई है तो वह सोजत में है। सोजत की मेंहंदी में कैमिकल डालकर उसे मेहंदी के नाम से बेचा जाता है जिससे स्वास्थ्य के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और उससे किसानों को भी वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता। इस मेहंदी की फसल में मिलावट करते हैं उसके ऊपर रोक लगाने की मांग करता हूं। मंडी में प्रत्येक दलाल कृषि मंडी में छपी हुई तोल पट्टी जारी की जाए। उस मंडी में जो मेंहंदी लेते हैं वह चार किलो काटा काटते हैं। किसान को एक बोरे पर चार किलो काटकर, दो किलो बोरे का चला जाता है, दो किलो मेंहंदी का भी काट देते हैं, उस पर रोक लगाई जाए, यह मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त हुआ माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हां साहब।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जल होद पर फव्वारा व ड्रिप की अनिवार्यता खतम करें। जल होदों पर ड्रिप अनिवार्य किया गया है, इसमें

(श्री केसाराम चौधरी)

मैं चाहता हूं कि जो पोंड, फार्म बनाये जाते हैं उससे वास्तव में किसान उपयोग ले नहीं पाता है। अगर वास्तव में इसका उपयोग करना है तो पानी कैसे ज्यादा संग्रहित किया जाए, उसके लिये गिने चुने किसानों को देकर भी आप दिखाने के लिये एक जिले में एक काम तो ऐसा करें जिसे देखकर लोग यह सोचें कि ऐसा पोंड बनाने पर या तालाब बनाने पर खेती हो सकती है। मेरे क्षेत्र में तो एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जहां ड्रिप लगा कर या फव्वारा लगा कर खेती की जाती है।

कीटनाशक वितरण करने वालों के लिये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग अधिसूचना नई दिल्ली 5 नवम्बर, 2015 को जारी हुई। उसमें एक व्यक्ति विक्रय स्टार्ट या विक्रय के लिये प्रदर्शन या कीटनाशक के वितरण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये आवेदन करता है। वह या उसके अधीन इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर्मचारी कृषि विज्ञान, जैव रसायन, जैव प्रायोगिकी, जैव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में स्नातक डिग्री के रूप में न्यूनतम अर्हता धारण करता हो। ऐसी एक अधिसूचना जारी हुई है। हमारे पूरे राजस्थान में कृषि सम्बन्धी दवाइयों व उर्वरक का जो भी धंधा करते हैं, वह इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं। इसमें उन्होंने दो वर्ष का समय दिया है किन्तु दो वर्ष में कोई डिग्री कर नहीं सकता और जो पुराने 20-20 साल से, 25-25 साल से व्यापार कर रहे हैं उन व्यापारियों के लिये कोई न कोई ऐसा प्रोग्राम दिया जाए कि उनको एक ट्रेनिंग करा कर व्यापार करने की छूट मिले ताकि किसानों को ..

श्री सभापति: बिराजें, बिराजें, धन्यवाद। श्रीमती अमृता मेघवाल।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, एक कविता कहना चाहता हूं:

'निज कर से करते कृषि कार्य वो 'कृषक' तभी कहलाते हैं।
अपने अतीत को दे बिसार वो नित नव कोंपलें सजाते हैं।
हर घडी हर पहर में लू व शीतल लहर में,
रुकता नहीं वो कर्मवीर किसी प्रकृति के भी कहर में।
डाल भाग्य का दाना भू पर, कुछ उससे आस संजोता है।
फिर रखता है उम्मीद उसी से जो हंसी-खुशी से बोता है।
फिर भी उस गरीब किसान को अब लगती किसी की हाय है।

(श्री केसाराम चौधरी)

हो जाती बरसात बेमौसम न होता कोई सहाय है।
सूबे की सरकार तुरंत फिर सबको राहत देती है।
सौ दो सौ की नकदी देकर उसकी चाहत लेती है।
उस पर भी बैंकर्स के बंधे कमीशन अपार हैं।
मिलते हैं छः सौ रुपये आये गर हजार हैं।
क्या करे किसान वह, बन्द न्याय के दरबार हैं।
फैला है चहुंदिश अँधेरा लटकती नग्न ये तलवार है।'

किसान के ऊपर जो भी व्यवस्था सरकार करती है, मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने किसान के खाते में सीधे पैसे जमा करने का जो काम किया है उसमें बैंकों की जो भ्रष्टाचारी थी वह भी बंद हुई है, आप बधाई के पात्र हैं। सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: मैं पूछ रहा हूं कविता किसकी है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): कविता कवि की है।

श्री सभापति: श्रीमती अमृता मेघवाल।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 36- कृषि, 37- पशुपालन एवं चिकित्सा और 39- सहकारिता पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजेजी ने अब की बार बजट खर्च किसानों के लिए 5606 करोड़ का रखा है। वह अपने आपमें एक बहुत ही सराहनीय काम है। पिछली सरकार ने किसानों का बजट रखा है तो हमारी सरकार ने 40 प्रतिशत अधिक वृद्धि करके किसानों के लिए यह बजट रखा है। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का, जो किसान हित में इतना सोचती हैं।

महोदय, जब पिछले वर्ष ओलावृष्टि हुई थी तब हमारे प्रदेश के किसान की पीड़ा को समझते हुए हमारी सरकार ने 8322 गाँवों के किसानों के लिए 2471 करोड़ की राशि कृषकों को अनुदान के लिए दी, जो तारीफ करने वाला काम है। और मैं तो विपक्ष के भाइयों को भी कहूंगी कि आप भी तारीफ करो। कुछ देखोगे कि वास्तव में सरकार किसानों के लिए कितने अच्छे-अच्छे काम कर रही है।

महोदय, इसी प्रकार हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने कृषि के

(श्री अमृता मेघवाल)

साथ-साथ पशुपालन के हित में भी अच्छा काम किया है। सरकार ने छह सौ ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोले हैं। इस वर्ष एक हजार पशु चिकित्सालय खोलने का मन रखती है और खोलेंगे। बहुत बड़ी योजना भामाशाह पशु बीमा योजना का भी शुभारंभ किया गया। यह भी अपने प्रदेश में लागू की गयी।

माननीय, जिस क्षेत्र से मैं आती हूं, मेरा जालौर जिला पूरा कृषि आधारित क्षेत्र है। अस्सी प्रतिशत भाग पूरा कृषि आधारित क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के सायला उप खंड में वैसे तो पानी की बहुत समस्याएं हैं, बहुत परेशानी पानी को लेकर है। क्योंकि पानी का स्तर जमीन से चार सौ फुट से नीचे जा चुका है। फिर भी ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हमारे यहां अच्छी मात्रा में किसानों ने अब की बार अनार की खेती की, जिससे बहुत जगह उनकी अच्छी इन्कम आई है और अनार बहुत एक्सपोर्ट हुआ है। इसी तरह पपीता, खजूर, नींबू और भी कई तरह की अच्छी खेती होती है। मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, उनको मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि किसानों की जो सब्सिडी है वो इस खेती के लिए बढ़ाई जाए ताकि किसानों को ऐसी खेती के लिए बढ़ावा मिले।

पशु चिकित्सालय तो बहुत बने हुए हैं। मेरे क्षेत्र में भी बना हुआ है। लेकिन अगर डाक्टर्स नहीं होंगे तो पशुओं का इलाज कौन करेगा? बिल्डिंग किसलिए है? ताकि वहां पर कोई डाक्टर बैठे, कम्पाउंडर बैठे। जो पशु बीमार पड़ जाते हैं, वहां पर जाकर इलाज कराएं। तो इनको सर्वप्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगह जहां पशु ज्यादा हैं, जालौर जिले में अधिकतर लोग पशु रखते हैं। भेड़-बकरियां ये भी बहुत तादाद में हैं और जो गौशालाएँ हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला जालौर जिले में है। पथमेड़ा नाम से प्रचलित है। जिले के लगभग-लगभग गांवों में गौशालाएँ बनी हुई हैं, कहीं पर प्राइवेट बनी हुई हैं, कहीं सरकारी बनी हुई हैं। हमारे यहां गायों की बहुत मान्यता है और अभी कुछ ही महीनों पहले हमारे जिले को सम्मानित किया गया। कांग्रेस के भाई शायद थोड़े से ही बैठे हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि जालौर जिला सम्मानित हुआ क्योंकि वहां पर सबसे अधिक पशु चिकित्सा और हैल्थ को लेकर कैम्प लगाए गये। उसके लिए हमारे कलेक्टर साहब को स्टेट लेवल पर सम्मानित किया गया जो कि हमारे लिए बहुत सम्मानित बात है।

(श्री अमृता मेघवाल)

मैं निवेदन करूंगी, कहते हैं इंसान जैसा खायेगा, वैसा ही आगे जाकर बहुत उम्र हो जाएगी तो वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, जितना अच्छा वो भोजन करेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहूंगी कि हम स्वस्थता की बात करते हैं तो पूरे राजस्थान के हर हैडक्वार्टर जिले पर ऐसा ये प्रस्ताव रखें कि किसान औषधीय फलदार-फूलदार पौधे, जड़ी-बूटियां होती हैं, इनकी खेती करें। इनकी खेती करेंगे तो आयुर्वेद जो होता है, आजकल एलोपैथिक चल रहा है। लोग इतना जानते नहीं हैं कि पहले आयुर्वेदिक में जाना चाहिए। वो एलोपैथिक में जाते हैं, कई प्रकार की ऐसी हैवी डोज दे देते हैं, उन दवाइयों में ड्रग्स ज्यादा मात्रा में होता है। शरीर को जल्दी ठीक तो कर देता है, लेकिन भविष्य में जाकर वो दवाइयां बहुत दुखदायी होती हैं। मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि हर जिले में औषधीय खेती की भी शुरूआत करें, ऐसी योजना बनाएं। तो यह राजस्थान के लिए बहुत सराहनीय काम होगा, जिससे केरल जैसी स्थिति, इतनी अच्छी स्थिति है वहां पर आज आयुर्वेद को लेकर हर हैडक्वार्टर पर खेती हो रही है। फलदार-फूलदार और जड़ी-बूटियों की खेती हमारे यहां पर भी क्यों नहीं हो सकती? हमारे राजस्थान की बहुत अच्छी मिट्टी है और भगवान की कृपा रही तो मुझे पूरा विश्वास है, मंत्रीजी ऐसा करने में सक्षम हैं और वो जरूर आगे जाकर ऐसा काम करेंगे। आज ही मेरे को लगता है कि शाम तक शायद कोई अच्छी घोषणा भी कर दें। माननीय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में..।

श्री सभापति: ऐसी कोई बूटी का नाम बताओ, इनको दे दें और ये घोषणा कर दें।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय सभापति महोदय, सभी जड़ी-बूटियां, मुझे आयुर्वेदिक का शायद इतना ज्ञान नहीं है। आप बहुत विद्वान हैं। आसन पर विराजमान हैं, आपको पता है कि कौन-कौनसी औषधियां होती हैं। तो आप ही अगर..।

श्री सभापति: अमृता बहुत अच्छी होती है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, कृषि मंत्रीजी के स्तर की बूटी तो आप ही दे सकते हैं और आप ही बता सकते हो, वो अमृताजी के बस की बात नहीं है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): फिर आप तो घनश्याम हो, साहब। सावन की तरह बरसो आप, सर्दी की तरह कड़को मत। आप चलने दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अभी बरसना बाकी रह गया क्या मेरा? चलिए, अमृता, बहुत अच्छा, बोलो।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय सभापति महोदय...।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गिलोय को कहते हैं अमृता।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): जी। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक केशवणा गांव है, वहां पर एक कृषि अनुसंधान केंद्र है और मंत्री जी उस कृषि अनुसंधान केंद्र से पूरे के पूरे वाकिफ हैं कि कितनी उसके पास जमीन है। क्योंकि मैंने इनको पहले भी अवगत कराया हुआ है कि कृषि अनुसंधान केंद्र जो मेरे जालौर के केशवणा गांव में स्थित है वहां पर 1200 बीघा जमीन है। कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए जितनी पर्याप्त जमीन चाहिए, उससे भी अधिक मात्रा में हमारे पास जमीन है और जैसी बिल्डिंग चाहिए वैसी बिल्डिंग बनी हुई है। प्रोफेसर चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए वो हमारे यहां उपलब्ध हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगी कि जो कृषि अनुसंधान केंद्र चल रहा है और उससे वहां के लोगों को इतनी योजनाओं के बारे में पता नहीं लग पाता है। मैं इनको निवेदन करूंगी, अगर उसको कृषि महाविद्यालय में तब्दील कर दें तो मेरे क्षेत्र के लोग उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करेंगे। जालौर जिला, बाड़मेर जिला, सिरोही जिला और भी आसपास के जिले हैं। उनको भी बहुत हद तक फायदा मिलेगा क्योंकि पश्चिमी राजस्थान है। वहां पर किसानों को अगर ये ऐसा तोहफा दें, एग्रीकल्चर कालेज का तो यह अपने आपमें एक बहुत अच्छा काम होगा। मैं इनसे इतना ही निवेदन करूंगी। सरकार के बजट में जो भी आप कर सकते हैं ऐसी मैंने मांगें रखी हैं। जिसमें आपका इतना खर्चा भी नहीं होगा। सभापतिजी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जालौर जिले में, अगर यहां से कोई भी घोषणा होती है तो हम सर्वप्रथम कोशिश करते हैं कि भामाशाह द्वारा कराया जाए।

क्योंकि जालौर जिला ऐसा जिला है जहां भामाशाहों की पूरी, कहते हैं कि वहां भामाशाह 50-50 परसेंट काम कर रहे हैं, जितना सरकार काम कर रही है। तीन-तीन करोड़ की लागत से हर प्रकार का स्कूल बनाकर दे रहे हैं। मैं इनको कहूंगी कि अगर यह एग्रीकल्चर कालेज हमें दे देते हैं तो उसमें जितना भी खर्चा आएगा वह हम भामाशाह द्वारा करवाएंगे। बस आप तो घोषणा कर दीजिए, बाकी काम हम सम्भाल लेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आपसे निवेदन करूंगी कि मैंने अपनी जितनी भी मांगें रखी

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

हैं, आप उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जालौर जिले के लिए आज कोई न कोई घोषणा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गौ-माता, वन्दे मातरम।

श्री सभापति: बहुत अच्छा। माननीय मंत्रीजी, अमृता का अर्थ होता है गिलोय। तो यह अमृता तो बोलीं बहुत मीठी, अगर आपने काम नहीं किया तो फिर गिलोय की-सी घूंट पीनी पड़ेगी। श्री दलीचंदजी डांगी

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं मांग संख्या 37, 39 और 36 में कुछ निवेदन आपके सम्मुख करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजेजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बजट में किसानों के लिए सहकारिता, कृषि, पशुपालन क्षेत्र में काफी सराहनीय कदम उठाया। आदरणीय प्रधानमंत्रीजी ने फसल बीमा योजना लागू की जिससे किसानों के वास्तविक नुकसान की समय पर भरपाई हो सके। किसान के लिए इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्रीजी ने फसल बीमा और ओलावृष्टि का उठाया। किसानों को आज डेढ़ गुना ओलावृष्टि में पैसे मिले तो किसानों में जागरूकता आई। हमारे मावली विधान सभा क्षेत्र में पहली बार ओलों के पैसे मिले। किसान कहने लगे कि वाकई में प्रधानमंत्रीजी किसानों के हितैषी हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। किसानों के लिए आज तक इतिहास में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। छोटी-छोटी ज़मीनें हैं, पानी और बिजली, किसान के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। फसल जब होती है और किसान के पास रखने की जगह नहीं होती है उसके कारण किसान खेत से ही बेच देता है, उसको सही दाम नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत में किसान की तरफ से, मण्डी की तरफ से गोदाम होना चाहिए और मण्डी क्षेत्र में कम से कम उप मण्डी मिलाकर, 4-5 विधान सभा क्षेत्र में एक उप मण्डी खुलनी चाहिए। किसानों के लिए मण्डी में 50 परसेंट दुकानें होनी चाहिए ताकि वहां किसान फसल भी बेच सकता है और व्यापार भी कर सकता है।

मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चेयरमैन रहा तब किसानों को पहले 25 हजार रुपये मिलते थे, आज दो लाख रुपये मिलते हैं। उनको धन्यवाद देता हूं। जो किसान खेती करता है अगर उसकी डैथ हो जाती

(श्री दलीचन्द डांगी)

है तो अच्छा पैसा मिलता है, मैं मांग रखता हूं कि इसको पांच लाख रुपये किया जाए। मंत्रीजी को ध्यान है, किसानों की बहुत पीड़ा है। किसान के खेत में एक बीघा में 5-6 बोरी होती है। वह अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकता है। उसके एक हजार रुपये महीने की तनख्वाह ही नहीं पड़ती है। मैं आप सबके माध्यम से किसान होने के नाते यह मांग रखना चाहता हूं कि किसानों पर ध्यान दिया जाए।

मेरे एरिया में अग्रिम भण्डार सिंचाई यंत्रों पर किसानों की मांग का ध्यान रखते हुए अनुदान बढ़ाया जाए। किसानों को जैविक खेती करने के लिए मेरे क्षेत्र में विशेष योजना भामाशाह लाई जाए। किसानों के कल्याण योजना, ब्याज अनुदान, किसानों के प्रति समर्पित बजट, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसान जनजाति और गैर जनजाति को खाद और बीज के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। खाद, बीज टाइम से नहीं मिलता है। बुवाई के समय खाद, बीज नहीं मिलता है तो किसान को बहुत परेशानी रहती है। बुवाई के 15 दिन पहले वितरण किया जाए और उसमें पूरी जानकारी दी जाए तो कई किसानों को बहुत फायदा मिल सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए जो मांग की गयी है, उन पर विशेष गौर करें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान गांवों की प्रमुख समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। भूमि की कमी प्रमुख समस्या है। चारागाह भूमि में निरन्तर अतिक्रमण के कारण कमी होती जा रही है, उसके लिए राज्य लेवल पर कोई ऐसी कार्य योजना बने जिससे चारागाह भूमि का संरक्षण हो, चारागाह विकसित हो सकें। नये चारागाह विकसित किए जा सकें। जिन चारागाह पर अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाया जा सके। मंत्री महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए लाभकारी योजना की घोषणा की जाए। उनको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता है। उन तक पूरी सूचना नहीं पहुंचाई जाती है। किसानों के कब कैम्प लगते हैं, किसान तक सूचना नहीं होती है। कृषि पर्यवेक्षक ग्राम सभा में कम आते हैं। कैम्प लगाकर ग्राम सभा होती है उसमें यदि सारी जानकारी दी जाए तो किसानों को फायदा मिल सकता है। कृषि पर्यवेक्षक वापिस गांवों में नहीं आते हैं। केन्द्र पर उप केन्द्र बने हुए हैं उनको खोला जाए। महीने-महीने भर में मीटिंग रखी जाए ताकि किसानों को सुविधा मिल सके। सभापति महोदय, मेरे

(श्री दलीचन्द डांगी)
विधान सभा क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में मूलभूत सुविधा की समस्या है उसके बारे में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पढ़कर नहीं बोलते हैं।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): गांवों में नील गायों की समस्या बहुत है।

श्री सभापति: बीच-बीच में गर्दन थोड़ी ऊपर कर लिया करो ताकि लगे कि पढ़ नहीं रहे हैं।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): नील गायों व आवारा गायों की बहुत समस्या है। प्रत्येक पंचायत में, पहले पंचायतों में गौ-शाला बनाई जाती थी, पकड़ कर शामिल किए जाते थे, वह बंद कर दिया , आज कल कोई ध्यान नहीं रखते हैं। नील गाय फसल का रात में नुकसान कर देती है, मंत्री महोदय उसके लिए उपाय किया जाए। प्रत्येक पंचायत में इसके लिए व्यवस्था की जाए तो किसानों को फायदा मिल सकता है।

सभापति महोदय, कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के खेतों की अगर तारबंदी की व्यवस्था की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रोजगार गारंटी में आपने जोड़ दिया, लघु सीमांत किसान को वहां कोई फायदा नहीं मिल रहा। बीपीएल एपीएल करते हैं तो उसमें कोई काम तो होता ही नहीं है। किसानों के 10 बीघा, 15 बीघा है उसके तारबंदी पर, उसकी मजदूरी पर, किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए।

आदरणीय मंत्री महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी दूर करने के लिए नरेगा के माध्यम से, किसानों के खेत में जो रात में गायों की रखवाली करते हैं, उसको मजदूरी में जोड़ा जाए। विधान सभा क्षेत्र मावली कृषि मण्डी फतेहनगर, सनवार सड़कों के छोटे-छोटे किसानों के लिए माल लाना पड़ता है, मण्डी क्षेत्र से रोड बनाई जाए। प्रत्येक पंचायत में गोदाम बनाया जाए। कृषि सेवा केन्द्र भवन निर्माण से वंचित पंचायतों में कार्य करवाया जाए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में खोले गए पशु चिकित्सालय में, पशुधन सहायकों के स्वीकृत पद लंबे समय से रिक्त हैं। पशु चिकित्सालय होते हुए भी पशुओं को इधर उधर भटकना पड़ता है। मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि पशुओं

(श्री दलीचन्द डांगी)

को समय पर उचित इलाज उपलब्ध हो सके, उसके लिए पदों को जल्द ही भरकर कष्ट दूर किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन गांवों, पंचायतों में पशु चिकित्सालय नहीं हैं, वहां पशु चिकित्सालय खोले जाएं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि दुग्ध उत्पादन को ध्यान रखते हुए अनुदान बढ़ाया जाए, जिससे किसानों का काफी हित होगा। प्रत्येक पंचायत में दूध के लिए डेयरी सेंटर खोला जाए ताकि किसानों को फायदा मिल सके। जब तक प्रत्येक पंचायत में सेंटर नहीं खुलेगा किसान को फायदा नहीं मिल सकेगा। चचेडी जीन बुखार से हजारों बछड़े काल के ग्रास बन जाते हैं। कार्य योजना बनाकर मादा बछ़डियों में उक्त रोग हेतु टीकाकरण करवाया जाए। मेरे क्षेत्र में अधिकांश भवन उपलब्ध हैं, भवन निर्माण हेतु, पशु उप केन्द्र देवारी के भवन में पानी टपकता है, भवनों की मरमम्त करवाई जाए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 15-20 साल से व्यवस्थापक बैठे हुए हैं, कोई नीति नहीं है, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था चल रही है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का लेखा प्रभावी ढंग से अंकेक्षित नहीं होता है। समितियों की हिस्सा-राशि, प्राप्त लाभकारी आय, बैठक न करवाने, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): आपने बोलने दिया, आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत धन्यवाद। बिराजिये। श्री संजीव कुमार। ...(व्यवधान) माननीय श्रीचन्दजी क्या फरमा रहे हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं दलीचन्दजी को कह रहा था, मंत्रीजी उस समय थे नहीं, ये रोजड़ों की समस्या के बारे में बोल रहे थे ना, साहब। ...(व्यवधान) इसलिये रोजड़ों की बहुत खतरनाक समस्या है हमारे यहां।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): इसमें नोट कर लिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): रोज-रोज तो एक्सीडेंट हो रहे हैं और पूरे खेत के खेत चर गये।

श्री सभापति: बिराजिये। रोजड़ों की लम्बाई बहुत बढ़ रही है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): तब मैं इनसे कह रहा था कि मंत्रीजी आये हैं, एक बार आप और कह दो। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: रोजड़ों की तो मेवाड़ में बहुत भयंकर समस्या है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): नहीं, मारने का नहीं। अपने घोषणा पत्र में भी है, तारबंदी के लिये अनुदान देने का।

श्री सभापति: कभी भी अगर विधान सभा में प्रतियोगिता होगी कि बीच में बोलने वाले माननीय सदस्य को पुरस्कृत किया जाये तो आपका नाम आयेगा। ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं भी यही चाहता हूं, साहब।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अबकी बार 26 जनवरी को करवा दो।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 37, कृषि ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जसवंतजी, गलत तरीका है यह, ...(व्यवधान) जो कहा, बताओ आप खड़े होकर।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं तो बोला ही नहीं।

श्री सभापति: आसन, बैठे-बैठे जो बात करते हैं उसको नहीं सुनता है।

श्री संजीव कुमार (भादरा): मांग संख्या 39, पशुपालन एवं चिकित्सा, मांग संख्या 36 सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा चल रही है।

आज इस सदन के अन्दर पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों तरफ से किसानों से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर काफी विस्तार से चर्चा की गयी।

माननीय सभापति महोदय, एक किसान का बेटा होने के नाते मैं भी किसानों की कुछ समस्याओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज किसान इस देश और प्रदेश में अन्न उत्पादन करके पूरे देश का पेट भरता है। पूरे देश का पेट भरने वाला यह किसान, पूरे देश का अन्नदाता आज इस समय संकट में है। इस समय संकट में होने का सबसे बड़ा कारण है कि किसान कड़ी मेहनत करके जो अन्न का उत्पादन करता है, जो फसल का उत्पादन करता है उसका पूरा भाव किसान को नहीं मिलता। पूरा भाव किसान को नहीं मिलने की वजह से आज किसान संकट में है। एक तरफ पैदावार घट रही है, दूसरी तरफ भाव भी घट रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस देश के अन्नदाता का भविष्य उज्ज्वल करने के लिये, किसान को मजबूत

(श्री संजीव कुमार)

करने के लिये जो अनाजों के भाव हैं, किसान की पैदावार का भाव है, उसके लिये कोई ठोस नीति बनाई जानी चाहिये ताकि किसान को उस पैदावार का पूरा भाव मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आज किसान बाजार के अन्दर जब जाता है, चाहे बीज खरीदना हो, चाहे पेस्टीसाइड खरीदना हो, चाहे खाद खरीदना हो तो समय पर किसान को सही उन्नत किस्म का बीज नहीं मिलता, किसान को सही कीटनाशक, सही फर्टिलाइजर और खाद उपलब्ध नहीं होती। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के अन्दर किसानों को उन्नत बीज मिले, इसके लिये राजस्थान स्टेड सीड कारपोरेशन ने जो कई तरह के कार्यक्रम चला रखे हैं, किसान को जहां तक बीज का सवाल है, किसान खुद अच्छे बीज का उत्पादन कर सकता है। आज प्रदेश के अन्दर ब्रीडर बीज, फाउण्डेशन बीज, सर्टिफाइड बीज, यह जो बीज किसान को दिये जाते हैं, यदि निश्चित तौर से किसान को फाउण्डेशन बीज दिया जाएगा, ब्रीडर बीज दिया जाएगा तो खुद किसान, क्योंकि ब्रीडर बीज के बाद अगली कैटेगरी फाउण्डेशन बीज की आती है, उसके बाद सर्टिफाइड बीज की आती है, तो यदि आज पूरे प्रदेश में पंचायत मुख्यालयों पर कार्यक्रम चला करके किसान को ब्रीडर बीज और फाउण्डेशन बीज यदि उपलब्ध करवाएंगे तो किसान खुद एक उन्नत किस्म का सर्टिफाइड बीज उससे तैयार कर सकता है। तो किसान को बीज के लिये भटकना नहीं पड़ेगा और समय पर खुद का पैदा किया हुआ अच्छा सर्टिफाइड बीज किसान को उपलब्ध हो पायेगा। आज किसान को मजबूरी में पूरी मात्रा में बीज सही समय पर नहीं मिलता। मजबूरी में प्राइवेट कम्पनी का बीज खरीदना पड़ता है जिससे कि किसान को अच्छी किस्म का बीज नहीं मिलता और प्राइवेट कम्पनियों में जो घटिया किस्म का बीज बेचा जाता है, मजबूरन किसान को वह बीज लेना पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय कृषि मंत्री महोदय से कि एक ऐसा कार्यक्रम चलाएं तो यह फाउण्डेशन बीज और ब्रीडर बीज किसान को दिया जाए। खुद किसान उसका अच्छा सर्टिफाइड बीज पैदा करके कृषि के लिये इस्तेमाल कर सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ, मेरे से पूर्व अभी माननीय सदस्य डिग्गी का जिक्र कर रहे थे। किसान का उत्पादन बढ़ाने के लिये, किसान के लिये सबसे महत्वपूर्ण बीज के अलावा सिंचाई की सुविधा, पानी की सुविधा की आवश्यकता होती है। चाहे फव्वारा पद्धति से सिंचाई हो,

(श्री संजीव कुमार)

चाहे बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली से सिंचाई हो, चाहे फ्लड इर्रिगेशन से सिंचाई हो, उसमें डिग्गी एक महत्वपूर्ण चीज है। हमारे कृषि प्रधान जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में इस डिग्गी के प्रति किसान का रुझान बढ़ रहा था। भारी संख्या में किसानों ने डिग्गी का निर्माण करवाया जिससे कि सिंचाई की अच्छी सुविधा किसानों को उपलब्ध हुई। लेकिन मुझे यह कहते हुए पीड़ा है कि तीन लाख रुपये किसान को अनुदान के रूप में डिग्गी निर्माण के लिये मिलते थे। उसको विभाग द्वारा घटा करके डेढ़ लाख रुपये कर दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि डिग्गी निर्माण के लिये किसानों को दिया जाने वाला अनुदान बढ़ाने का आप प्रयास करें। तीन लाख से भी ज्यादा पांच लाख रुपये तक किसान को डिग्गी का अनुदान दिया जाना चाहिये जिससे कि किसान एक बढ़िया डिग्गी बना सके और सिंचाई की सुविधा किसान को उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा आज अभी चर्चा चल रही थी, जैसे कि किसान अपनी फसल को बचाने के लिये दिन-रात उसकी रखवाली करता है। रात के समय रखवाली करनी पड़ती है। आज आवारा पशुओं की संख्या प्रदेश के अन्दर कोने-कोने में बढ़ रही है। चाहे वह नीलगाय हो, जिसका अभी माननीय सदस्य रोजड़े के रूप में जिक्र कर रहे थे। चाहे वह हिरण हो, चाहे कोई दूसरे जंगली जानवर हों। इसके अलावा, आजकल एक विशेष समस्या, जो होल्स्टीन और जर्सी किस्में हैं, इनके सांड, जिनको अमेरिकन सांड बोलते हैं, इनकी भी संख्या निरन्तर बढ़ रही है। यह सारे के सारे जंगली जानवर और आवारा पशु किसान को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान अपने खेत की बाड़ाबंदी कर सके, कांटेदार तार से उसकी बाड़ाबंदी की व्यवस्था हो सके, इसके लिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि किसान को उस बाड़ाबंदी के लिये, तारबंदी के लिये, कांटेदार तारों के लिये अनुदान की आप व्यवस्था करें, ताकि किसान उसमें मजबूती के साथ तारबंदी कर सके और खेतों की रखवाली अच्छी तरह से कर सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ किसान से जुड़ी हुई आज मैं बात कर रहा हूं, जो किसान पशुपालन करता है, पशुओं के चारे के लिये, उसकी कुतर काटने के लिये जो कुट्टी मशीन है, वह बाजार से खरीदनी पड़ती है। उसका अधिक दाम उसको वहन करना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से

(श्री संजीव कुमार)

निवेदन करूंगा कि चारे की व्यवस्था के लिये किसान की कुट्टी मशीन पर भी अनुदान देने की आप व्यवस्था करें।

मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र में कई ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं, 56 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, उनमें केवल 35 कृषि पर्यवेक्षक के कार्यालय हैं, कृषि पर्यवेक्षक के मुख्यालय हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कृषि पर्यवेक्षकों का बहुत बड़ा काम किसानों की खेती-बाड़ी के अन्दर होता है।

मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक का कार्यालय आप खुलवाएं ताकि किसान को समय पर उनका लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता का जहां तक हम जिक्र करें, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि आज ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संजीव कुमार (भादरा): ग्राम सेवा सहकारी समिति, उसको चलाने के लिए हमारे व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापकों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे किसानों को ऋण देने का सवाल हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: संक्षिप्त करें।

श्री संजीव कुमार (भादरा): संक्षेप में ही बोल रहा हूं, साहब, वैसे भी कम ही बोलता हूं मैं तो।

श्री सभापति: नहीं, अच्छा बोलते हैं।

श्री संजीव कुमार (भादरा): किसानों को चाहे ऋण देने का सवाल हो, चाहे किसानों से ऋण वसूली करने का सवाल हो, आज हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अन्दर व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक जी-तोड़ मेहनत करते हैं। दूसरे कर्मचारी जितनी मेहनत करते हैं, उतनी ही मेहनत इस विभाग को चलाने में ये सहायक व्यवस्थापक और व्यवस्थापक करते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो व्यवस्थापक हैं, इनको ग्राम सेवा सहकारी समिति पर निर्भर रहना पड़ता है तो, अन्य कर्मचारियों की भांति इनको भी राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए या कम से कम बैंक कर्मचारी घोषित किया जाए ताकि इनके स्थाई सेवा नियम बन सकें और इन व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों का ग्राम सेवा सहकारी समिति पर नियमितीकरण किया जा सके ताकि यह अच्छी तरह से यह ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों की सेवा कर सकें, इलाके की सेवा कर सकें।

(श्री संजीव कुमार)

थोड़ा-सा मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्राम सेवा सहकारी समिति जो कि किसानों से जुड़ा हुआ संगठन है, इसके चुनाव की जो प्रणाली है, इसके चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसमें भी सुधार की थोड़ी आवश्यकता है। आज चुनाव हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति के होते हैं तो उसमें एक ऋणी सदस्य को 9 या 10 वोट डालने का अधिकार होता है और एक अऋणी सदस्य को केवल मात्र 1 वोट डालने का अधिकार होता है और इसके साथ-साथ अऋणी सदस्य जो जीत कर आता है, उसको अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का अधिकार उसमें नहीं दिया गया है तो, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अऋणी और ऋणी सदस्य का जो चुनाव केन्द्र, जो इसके अन्दर एक अंतर पैदा किया गया है, उसको दूर करते हुए, आप अऋणी सदस्यों को निश्चित तौर से चुनाव में बराबर वोट का अधिकार दें और इनको अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया जाए ताकि चुनाव की इस प्रणाली को सुधारा जा सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं थोडा-सा निवेदन और करना चाहूंगा कि मेरे भादरा निर्वाचन क्षेत्र में अभी हमारे मंत्रीजी, मेरे एक तारांकित प्रश्न के जवाब में भी आपने, लिखित जवाब में भी बताया कि सरकार की ऐसी मंशा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति हम खोलेंगे तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र में 56 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं लेकिन अभी तक केवल 44 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं। ऐसी कुछ ग्राम पंचायतें हैं जैसे- ग्राम पंचायत ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माइला, ग्राम पंचायत-कनाऊं, ग्राम पंचायत जनाना, जाटान ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप लिस्ट दे देना।

श्री संजीव कुमार (भादरा): जियान, भनाई, मोठसरां, राजपुरा, रामगढ़िया, सरदारगढ़िया, तिपलाना और ढीर की जटान, यह ऐसे जो 12 वंचित पंचायत मुख्यालय हैं, इनके अन्दर मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का आप गठन करवाएं ताकि किसान को उसका पूरा लाभ मिल सके।

इसके अलावा मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र में कुछ ग्राम सेवा सहकारी

(श्री संजीव कुमार)

समितियां जो गठित हैं, वह ऐसी हैं जहां कार्यालय के लिए भवन बने हुए नहीं है, गोदाम बने हुए नहीं हैं तो ऐसी भवन से वंचित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन की आप व्यवस्था कराएं और उनके लिए गोदामों की भी व्यवस्था कराएं ताकि किसान को उसका पूरा लाभ मिल सके।

श्री सभापतिः समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री संजीव कुमार (भादरा): इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। इसके साथ-साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय गांधी-बड़ी पर वर्तमान में मिनी बैंक संचालित है, ग्राम सेवा सहकारी समिति संचालित है, वहां पर आप सहकारी बैंक खोलने की कृपा करें ताकि किसान को उस इलाके में लाभ मिल सके।

श्री सभापतिः समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, थोड़ा-सा मैं पशुपालन का निवेदन करना चाहता हूं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, यह बाद में कर देंगे।

श्री सभापतिः यह टाइम बढ़ा रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-37,39 व 36 पर विचार

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, पशुपालन की चर्चा चल रही थी। हमारे प्रदेश के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, संजीव कुमारजी।

श्री संजीव कुमार (भादरा): कर रहा हूं, साहब, अनेक गौ-शालाएं संचालित हैं और ऐसी रजिस्टर्ड गौ-शालाएं जिनके अन्दर अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है तो अनुदान समय पर मिले और उस अनुदान को बढ़ाये जाने की भी अति आवश्यकता है क्योंकि पिछले दिनों मेरे हनुमानगढ़ जिले के अन्दर गौ-शालाओं के व्यवस्थापकों को और गौ-सेवकों को अनुदान के लिए आंदोलन करना पड़ा। उनको अनुदान काफी लेट दिया गया, तो भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो और गौ-शालाओं को समय पर अनुदान मिले ताकि गौ-शालाओं का संचालन सही तरीके से हो सकें।

श्री सभापति: समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, बिराजें। समाप्त हुआ। श्री धीरज।

श्री संजीव कुमार (भादरा): ठीक है, साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा कि जिस बखूबी से उन्होंने किसान का दर्द इस सदन के सामने रखा ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): तारीफ करना तो अच्छी बात है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्योंकि निश्चित रूप से किसान का दर्द किसी एक पार्टी का दर्द नहीं हो सकता।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): पास में कौन बैठा है, देखो तो सही।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): भाई मदनजी, कड़वे को भी ग्रहण करो। 'निंदक नियरे राखिए', हम वह निंदक हैं जो आपको ऐसी दवाई देंगे कि आप जीवन में गलती नहीं करोगे तो ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप स्वास्थ्य की दवाई दो न।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): स्वास्थ्य की भी दे देंगे आपको। हम आपको मंत्री बनने की दवाई देंगे यू.आई.टी. चेयरमैन से। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: ज्यादा लोगों को मत दे देना अभी। चलो, धीरज, आप शुरू करो।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): देशी दवाई ब्राह्मण दे देंगे।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इसमें चाहे पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, किसान के दर्द को अगर हम महसूस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इस सदन में हमारा आकर बैठना व्यर्थ इसलिए है क्योंकि जिस तरह से देवों के देव महादेव हैं, उसी तरह से मनुष्यों के अन्दर अगर धरती पर कोई देव है तो यह किसान निश्चित रूप से देवता का रूप है। क्योंकि, जिस तरह से भगवान महादेव, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसके अन्दर खुले बदन रहते हैं, उसी तरह धरती का यह देव तपती दोपहरी के अन्दर, बरसती बरसात के अन्दर और कड़कती ठंड के अन्दर अपने खून-पसीने से धरती मां का सीना सींचता है और खुद अन्न उगाता है, खुद भूखे पेट रहता है लेकिन हमारा पेट भरने का काम करता है इसलिए निश्चित रूप से इस धरती के देवता किसान का हमको सम्मान करना पड़ेगा। इसके लिए जब हम बात कर रहे हैं तब हम यह सोचेंगे कि यह कांग्रेस या बी.जे.पी. की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए यह दु:खदायी हो जाएगी इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस किसान के बारे में जब हम बात करें तो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर हमें बात करनी चाहिए।

आजादी के 60 साल बाद भी, यह हिंदुस्तान आजाद हो गया लेकिन किसान को आजादी नहीं मिल पाई। आज किसान के बेटे के हाथ में रोजगार नहीं है। आज किसान के बेटे के हाथ में शिक्षा नहीं है, आज किसान के पास चिकित्सा नहीं है और तो और इस किसान के पास, जिसके खाते से हम पैसा काट लेते हैं, प्रीमियम के नाम पर लेकिन उसके पास बीमा कम्पनी चुनने का अधिकार नहीं है, वह भी हम चुनते हैं, अपनी मर्जी से किसान का पैसा काट लेते हैं और उसके बदले में उस किसान के हाथ में कुछ नहीं आता है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमको किसान बनकर सोचना होगा और इसलिए सोचना होगा कि आज हम भले ही यहां पर बैठे हैं लेकिन हमारे दादा-परदादा निश्चित रूप से किसान रहे हैं। उन्होंने जुल्म भी सहे हैं और अपने खून पसीने से इस धरती मां का सीना भी सींचा है इसलिए हमें इस किसान के बारे में सोचना होगा।

कैसा दुर्भाग्य है इस देश का कि वह किसान अपने पशु से दूध पैदा करता है, उसका बेटा उस किसान की तरफ देखता है कि मेरा बाप मुझे दूध पिलाएगा लेकिन अपना घर चलाने के लिए उस किसान को चंद पैसे के अन्दर वह दूध बेचना पड़ता है। किसान का बेटा भूखा रह जाता है और सेठ-साहूकार का बेटा बोतलों में भरा हुआ दूध खरीद कर अपना पेट भर लेता है। किसान

(श्री धीरज गुर्जर)

अन्न पैदा करता है लेकिन उस किसान को उसके अन्न का पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। जो लिनन के कपड़े, जो खादी के कपड़े हम बाजार से हजारों रुपये मीटर की रेट के अन्दर खरीदते हैं, वह कपास उस किसान की किस रेट के अन्दर जाती है? उस किसान के हाथ में धेला भी नहीं आता और महंगाई बढ़ती है। हम कहते हैं कि दालें बढ़ गयीं, फलां चीज की रेट बढ़ गयी, उस सब्जी की रेट बढ़ गयी, आलू 60 रुपये किलो हो गये, बैंगन 100 रुपये किलो हो गये, फलां सब्जी इतनी महंगी हो गयी लेकिन उस किसान के हाथ में तो वही दो रुपये, पांच रुपये, सात रुपये आते हैं और उसको कभी सड़ा हुआ आलू सड़कों पर फेंकना पड़ता है, कभी उसको सड़ी हुई प्याज सड़कों के ऊपर फेंकनी पड़ती है। किसी सरकार ने यह नहीं सोचा कि हर फसल जो किसान पैदा करता है, उसका एक न्यूनतम मूल्य तय होना चाहिए कि व्यापारी अगर लाभ कमाएगा तो जो किसान उस फसल को पैदा करता है, अपना पसीना बहाता है, उसको भी अधिकार होना चाहिए कि अपनी फसल का ऐसा मूल्य तो वह कमाए कि लागत से थोड़ा हटकर उसके हाथ में लाभ आए। लाभ नहीं आता, दुर्भाग्य है कि आज हिंदुस्तान के अन्दर, मैं राजस्थान की ही बात करूंगा कि 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है।

उसके बाद भी आधे परिवारों के ऊपर, जो कृषि पर आधारित है, कम से कम 47 हजार रुपये का प्रति किसान परिवार के ऊपर कर्जा है। इस कर्जे को दूर करने की जिम्मेदारी उस किसान ने हमको दी, लेकिन उसके ऊपर हम खरे नहीं उतरे हैं।

आज हिन्दुस्तान का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि अकेले वर्ष 2014 के अन्दर 5,650 किसानों ने भुखमरी, कर्जे और गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आपका राज आने के बाद पिछले दिनों में 60 किसानों ने राजस्थान के अन्दर मौत को अपने गले लगाया है। हमारे पर धिक्कार है, क्यों खाता है किसान फांसी? अगर किसान की स्थिति हम नहीं बदल पाते हैं तो फांसी खाकर हमको मरना चाहिए। वह किसान क्यों मरे, जिसने हमें इस सदन के अन्दर पहुंचाया है, उसकी जगह हमें मरना चाहिए। जब-जब कोई किसान फांसी खाता है, तब-तब धरती मां का एक लाल इस धरती से उठ जाता है और इसके लिये मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसान आपसे एक ही बात कह रहा है –

(श्री धीरज गुर्जर)

'मेरी तो देह जलेगी, आपकी आत्मा जल जाएगी,
लगी जो हाय मेरी, तो तेरी हस्ती मिट जाएगी,
मत कर जुल्मी, जुल्म सत्ता के गलियारे से,
जो गिरा मेरी आँख से आंसू, तो कयामत आ जाएगी।'

इसलिए किसान को मजबूर मत करो। आज वह गरीब का बेटा नक्सली बन रहा है। वह गरीब का बेटा, जिसके हाथ में हल होता था, आप लोग उसका ध्यान नहीं रख रहे, इसलिए उसको हथियार उठाना पड़ रहा है। वह गरीब का बेटा, जो अपने खेत के अन्दर अन्न डालता था, आज उसको गोलियों से खेलना पड़ रहा है और यही स्थिति रही तो राजस्थान के अन्दर भी नक्सलवाद फैलेगा, क्योंकि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। एक दुर्भाग्य और भी है कि हम सब ....(व्यवधान).. हां, बोलो क्या बोल रहे हो?

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): वह कह रहे हैं कि आप हल जोतने लग जाओ तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपके और मेरे शरीर का मुकाबला कर लें, आओ कुश्ती कर लेते हैं अपन। आप कमाल कर रहे हो।

श्री सभापति: मैं अनुमति नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। मुझे उनकी सुरक्षा करनी है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आज हम 'जय जवान और जय किसान' की बात करते हैं। हमने जवान की झोली भी खाली रखी और किसान का हाथ भी खाली रखा। हमें किस मुंह से बात करने का अधिकार है। हम न किसान को रोटी दे सके, हम न किसान को कपड़ा दे सके, हम न किसान को मकान दे सके। हाईजीन और शिक्षा, चिकित्सा की बात तो किसान के लिए एक ऐसा सपना है, जो आजादी के 65 साल के बाद भी किसान के हाथ में पूरा नहीं हो पाया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप से, आज किसान को गले लगाने की जगह उसके पसीने से हमको बदबू आती है। आजादी के 65 साल बाद भी हम अधिकारी को किसान के घर के अन्दर नहीं भेज पाए, उसके फटे हुए गूदड़े पर नहीं बैठा पाए, उस किसान के उस अधिकारी को गले नहीं लगवा पाए। आज भी किसान किसी एस डी एम या तहसीलदार के आफिस के अंदर घुसता है तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती

(श्री धीरज गुर्जर)

कि वह छाती उठाकर, गर्दन उठाकर उसके सामने बात कर ले। इस स्थिति को बदलने की जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी। उसके बाद में हमें बात करनी पड़ेगी।

हम बात करते हैं हरदम किसान की, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि सिर्फ किसान भूमि का मालिक है, वही किसान नहीं है बल्कि वह जो उस किसान के खेत के ऊपर बटाई करता है, उसके खेत पर सिजारे का काम करता है, वह किसान हिन्दुस्तान के अन्दर ज्यादा संख्या में है, जो कृषि पर मजदूरी करके उस मजदूरी से अपना पेट पालता है। वह दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, क्योंकि किसान को तो हमारी योजना का फिर भी फायदा मिल जाता है। हम अगर कोई लोन देते हैं तो उस लोन का फायदा भू-स्वामी किसान को मिल जाता है। हम अकाल राहत के अन्दर कोई पैसा देते हैं तो उस भू-स्वामी को मिल जाता है, लेकिन हमने आज तक इस नीति का निर्धारण नहीं नहीं किया कि जिसने उस खेत में मजदूरी की है, जिसने उस खेत में बटाई का काम किया है, जो उस खेत के अन्दर सिजारी रहा है, उसकी झोली तो आज भी खाली है।

अभी पिछले दिनों में आप सबके क्षेत्र के अन्दर जो ओलावृष्टि हुई, उसका मुआवजा मिला होगा, लेकिन क्या एक भी उस आदमी को मुआवजा मिला जिसने उस खेत के ऊपर काम किया था। खेत के स्वामी के हाथ में तो पैसा आ गया, लेकिन वह मजदूर खाली झोली है और यह जो किसान आत्महत्या करते हैं, इनके अन्दर मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है।

नेशनल सैम्पल सर्वे ने एक सर्वे करवाया कि इस देश के अन्दर एक तिहाई किसानों के पास 0.4 हैक्टेयर जमीन है। आज छोटी-छोटी जमीनों के ऊपर न तो बैंक लोन देती है, न उसको पूरा पैसा मिल पाता है। इसीलिए आज हालात यह हो गये हैं कि लगभग-लगभग राजस्थान क्या, हिन्दुस्तान के अन्दर आधे किसानों के ऊपर 47 हजार का प्रति किसान, प्रति परिवार का कर्जा हो गया है, उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, यह हमें सोचना है।

आज अनुदान की बात उठी, निश्चित रूप से आप लोगों ने कुछ अनुदान बढ़ाया है, लेकिन आप बार-बार कहते हो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। हमने फव्वारे के ऊपर किसान को 78 प्रतिशत अनुदान दिया था, आपने उसको घटाकर 35 और 45 प्रतिशत कर दिया। हमने सोलर के अन्दर 86 प्रतिशत अनुदान दिया था, आपने उसको घटाकर 50 प्रतिशत कर

(श्री धीरज गुर्जर)

दिया। हमने पॉली हाउस के अन्दर 90 प्रतिशत अनुदान दिया था, उस अनुदान को घटाकर आपने 50 प्रतिशत कर दिया। हमने ड्रिप के अन्दर 90 प्रतिशत अनुदान दिया था, उसको भी आपने घटाकर 35 से 45 प्रतिशत कर दिया। अभी मंत्रीजी कह रहे थे कि यह लड़-झगड़कर, क्योंकि यह किसान का बेटा है, यह दिल्ली गया, लड़ा और झगड़ा, इन्होंने उसको 50 और 70 प्रतिशत करवाया है। हमने पाइप लाइन के अन्दर 35 रुपये प्रति मीटर किसान को मुआवजा दिया था। आपने उसको घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया। अब आप छाती ठोकते हैं कि हमने साथ दिया, हमने सहयोग किया। इस पूरे अनुदान में राज्य सरकार का एक प्रतिशत भी हिस्सा नहीं है, जो भी पैसा मिल रहा है, केन्द्र अपनी तरफ से अनुदान दे रहा है, वह मंत्रीजी आप स्वीकार करेंगे। राज्य सरकार आपके होते हुए भी अगर अनुदान नहीं देती है ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आप धीरे से बोलो, आराम से बोलो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): तो इसके अलावा हमारी और कोई बात नहीं हो सकती। केन्द्र का अनुदान ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बोलने दें। ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आज हमने सुबह खूब नारे लगाये और पानी आपको 2018 में पिला देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको पानी पिला देंगे अगर इनको गुस्सा आ गया तो।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): यह थोड़ा धीरे बोलें। इनके स्वास्थ्य की चिंता हमको है। इनके स्वास्थ्य की चिंता है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बैठ जाएं, बोलने दें। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः डाक्टर साहब दवाई ले लेंगे आपसे।

श्री सभापतिः यह अपने पड़ौसी के लिए कह रहे हैं। आपसे ज्यादा नजदीक हैं उनके पड़ौसी, प्रभुजी। दूसरा, पानी का काम कल होगा, आज नहीं है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): तभी तो कल हम कह देंगे किरणजी को भी, कि पानी पिलाओ तो सबको पिलाओ, एक अकेले को मत पिलाओ।

श्री भैराराम चौधरी (संसदीय सचिव): पानी से काम नहीं चलेगा, आपके बेटा हुआ है तो उसकी पार्टी भी चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): लड्डू तो खिलाये हैं मैंने। लड्डू मैंने पूरे सदन में खिलाये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्रियों का भी कोई काम होता है क्या, वह भी थोड़ा-सा तय करा दें। हमने तो नहीं देखा कि संसदीय कार्य मंत्री का क्या काम होता है? केवल बीच में खड़ा होना ही होता है क्या?

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): आपको पता नहीं है, आपको क्या पता चलेगा क्या काम होता है? आप बनोगे तब पता चलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह न तो माननीय सदस्य रहे, न मंत्री रहे, यह बीच वाली स्थिति हो गयी। +++

श्री सभापति: यह हटा देना।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक महत्वपूर्ण बात, मंत्रीजी, आप खुद किसान के बेटे हैं, आपने खुद ने भी खेती की है, आपने खुद ने भी अपना पसीना बहाया है। सुराज संकल्प यात्रा में आप लोगों ने वादा किया था राजस्थान के दुग्ध उत्पादकों से कि हम आपको जो चार रुपये का अनुदान मिल रहा है, उसको बढ़ाएंगे। हमको सत्ता दे दो उस चार रुपये के अनुदान को हम छह रुपये कर देंगे। आपने छह तो नहीं किया, बल्कि उस चार को भी दो रुपये कर दिया और राजस्थान के किसान की हालत क्या हो गयी कि चौबेजी छब्बेजी बनने गये थे, दुबेजी बनकर लौट आए। राजस्थान के किसान के साथ आपने यह किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह आपको करना पड़ेगा। अकेले हमारे भीलवाड़ा जिले की बात करूं मैं। भीलवाड़ा पूरे जिले में बी जे पी के एम एल ए हैं, अकेला धीरज गुर्जर कांग्रेस का एम एल ए है, इसलिए जहाजपुर के किसान का वह 80 हजार काश्तकार, उसका मुआवजा भी आप लोगों ने छीन लिया। किसान का कैसा दुर्भाग्य है कि पटवारी की गिरदावरी की वह न कलेक्टर के यहां अपील कर सकता है, न एस डी एम के यहां अपील कर सकता है, न राज्य सरकार के यहां अपील कर सकता है। जो पटवारी ने लिख दिया कि ऊपर तो करतार और नीचे पटवार। पटवारी ने खेत में लिख दिया। आप देखो कि शाहपुरा जो विधान सभा अध्यक्षजी का क्षेत्र है, वहां पर एक ही मेड पर 90 प्रतिशत खराबा और उसकी दूसरी मेड पर जहाजपुर, कोटड़ी के अन्दर जीरो परसेंट खराबा, राजस्थान के किसान आपको माफ नहीं करेंगे। इसलिए भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको केन्द्र में सत्ता दी, आपको प्रदेश में

(श्री धीरज गुर्जर)

सत्ता दी, आपने खुद ने डिक्लेयर किया कि राजस्थान के अन्दर 10 हजार करोड़ रुपया कम से कम मुआवजा किसान को मिलना चाहिये और केन्द्र ने आपको 1100 करोड़ का वादा किया और वह 1100 करोड़ भी आपको आज तक नहीं मिले। किसान अपने घर के बाहर खड़ा है कि वह पैसा आ जाए तो मेरे बेटे की पढ़ाई में काम आ जाए, मेरे घर का रोजगार चल जाए, मेरे घर का खाना बन जाए।

श्री सभापतिः वह पैसा आ जाए तो मैं पार्टी दे दूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): पार्टी तो पहले ही दे देंगे। ...(व्यवधान) आपने बिना हिम्मत ही पैदा कर लिया क्या?

श्री सभापतिः आगे चलिये, माननीय सदस्य।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं मंत्रीजी से यह भी कहना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर जो ड्रिप सिंचाई योजना है, यह अधिकारी, दलाल, ठेकेदार और दुकानदार, इन्होंने एक ऐसा वातावरण बना रखा है कि जो गरीब आदमी है, वर्ष 2010 से 2016 तक की आप जांच कराओगे तो इन लाइन और ऑनलाइन ड्रिप योजना के अन्दर किसान के खेतों में ऐसे ही पाइप डाल दिये और करोड़ों रुपये का घोटाला कर लिया। पवन विश्नोई ने आवाज उठायी तो उसका अनुदान रोक लिया, वह रोज चक्कर काट रहा है, लेकिन उस आदमी को अनुदान का पैसा नहीं मिल रहा है और जी.एम. सीड्स की जो बात अभी उठाई थी अभी माननीय सदस्य ने, कि जी.एम. सीड से ज्यादा जहरीला कोई बीज नहीं हो सकता। इससे न केवल पौधा जहरीला होगा, बल्कि हमारी मिट्टी भी खतम हो जाएगी। इसलिए मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर तो जी.एम. सीड नहीं आ पाए, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी।

(17.00 बजे)

इसलिए, मंत्रीजी, आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर तो जी.एम. सीड नहीं आ पाये, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। आज हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है कि 80 प्रतिशत से ज्यादा जो बीज का मार्केट है उसके ऊपर विदेशी कम्पनियों का कब्जा है। आप छाती ठोक-ठोक कर बात करते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, तो क्यों नहीं आप ऐसी तकनीक हिन्दुस्तान में लाते हैं कि जो बीज है, मोनटेसरा जैसी कम्पनियां 80 परसेंट बाजार पर कब्जा कर बैठी है वो स्वदेशी बीज अगर देश

(श्री धीरज गुर्जर)

में पैदा होगा तो देश का किसान भी खुशहाल होगा, देश का पैसा देश के अन्दर रहेगा और आप लोगों की बात भी खाली नहीं जाएगी।

आपसे मैं कहना चाहता हूं आपने खुद ने स्वीकार किया था कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का 17 अरब का जो बजट था उस बजट का अक्टूबर, 2015 तक मात्र 13 फीसदी ही खर्च कर पाये। आपकी मंशा तो थी लेकिन अधिकारी आपके कब्जे में नहीं आते हैं, मंत्रीजी, आपको तो कम से कम हिम्मत करनी पड़ेगी, सहकारिता मंत्री जरूर रजिस्ट्रार से दब सकते हैं लेकिन मेरा विश्वास है कि कि आप अपने अधिकारियों से दबने वाले नहीं हैं। आज आपने खुद ने बयान दिया, 02.02.2016 को अख़बार में छपा है कि केन्द्र और राज्य सरकार का जो बजट प्रावधान था, पूरे वर्ष कृषि, पशुपालन और उद्यान के अन्दर मात्र 35 प्रतिशत पैसा ही खर्च हो पाया है। किसान के हित से जुड़े हुए मामले में पूरे वर्ष के अन्दर मात्र 35 प्रतिशत बजट ही आपने खर्च किया है, इससे ज्यादा किसान का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है।

और हमारा दुर्भाग्य है हम रिसर्जेंट राजस्थान करा रहे हैं, हम उद्योगपतियों को, टाटा, बिड़ला को राजस्थान में ...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आज किसान का दर्द थोड़ा कम है। हमेशा जोरदार आता है, आज थोड़ा सा कम है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): देखो, उदयपुरवाटी वालों ने जो बातें बोल दीं उनको दोहराने से कोई मतलब नहीं है। आज सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अच्छा ठीक है। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बेटे के बाप भी बन गये ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): तो हम उद्योगपति को छूट देते हैं, उद्योगपति को प्रोत्साहन देते हैं, हम उनके लिए एकल खिड़की खोलते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं लेकिन जब किसान की बात आती है तो न तो उसको पानी देते हैं, न उसको पैसा देते हैं और न उसको बिजली देते हैं। बिजली के लिए राजस्थान के किसान का 2009 की फाइलों तक का आज तक कनेक्शन नहीं हुआ और यह लाइनमैन उन किसानों को लूट रहे हैं। आप उद्योगों को पनपाना चाहते हो, क्या आपकी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है? किसान को कृषि

(श्री धीरज गुर्जर)

कनेक्शन के लिए मांगते ही आप बैठा दो। आप दो रुपये यूनिट ले लो, आप तीन रुपये यूनिट ले लो लेकिन किसान को जब पानी की जरूरत हो तब कम से कम उस किसान को बिजली मिल जाए, यह हमें निर्धारित करना पड़ेगा। हमें मध्य प्रदेश से सीखना होगा जहां पर चार महीने के लिए किसान एडवांस पैसा जमा कराता है, उसको स्ववित पोषित योजना के अन्दर ट्रांसफार्मर मिल जाता है, तार मिल जाता है और किसान खेती कर के पैसा कमा लेता है।

इससे ज्यादा बात, किसान से बिना पूछे प्रीमियम काटने का जो रिवाज एक चला है...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सिर्फ पांच मिनट लूंगा।

श्री सभापतिः थोड़ा जल्दी करो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): किसान से बिना पूछे हम उसके खाते से प्रीमियम काट लेते हैं। आज उद्योगपति को तो यह अधिकार है कि बीमा कम्पनी कौनसी होगी, चयन कर सकता है, किससे मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा, चयन कर सकता है लेकिन आज किसान के पास इस बात का अधिकार नहीं है, जो आपने फाइनल कर दिया उसी बीमा कम्पनी का पैसा आप लोग उसके खाते से बिना बोले काट दोगे।

मैं आपके सामने सिर्फ एक उदाहरण पेश कर रहा हूं कि वर्ष 2013-14 में खरीफ की फसल के अन्दर किसान, केन्द्र और राज्य सरकार ने जो अपना प्रीमियम जमा कराया वो राशि भी 560 करोड़ रुपये और उस 560 करोड़ के अगेंस्ट जो बीमा कम्पनियों ने क्लेम का भुगतान किया वो राशि भी 191 करोड़ रुपये, पूरे एक वर्ष में 369 करोड़ रुपये बीमा कम्पनियों ने सिर्फ प्रीमियम से बचा लिये। यही हाल 2014-15 के अन्दर भी हुआ। 2014-15 में किसान, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार ने अपनी हिस्सा राशि का प्रीमियम 569 करोड़ रुपये जमा करवाये, उसके बदले में किसान को मुआवजा मिला सिर्फ 144 करोड़ रुपये। बीमा कम्पनियों ने एक साल में 425 करोड़ किसान के दबा लिये और हम कहते हैं बीमा आग्रह की वस्तु है। उद्योगपति के लिए तो बीमा आग्रह की वस्तु है लेकिन किसान ने जब के.सी.सी. से लोन लिया तब उसकी राशि से पैसा कटना ही कटना है। यह किसान के साथ कैसा अन्याय? आज आप 250 रुपये प्रति हैक्टेयर किसान का काटते हो, चाहे वो फसल पैदा नहीं

(श्री धीरज गुर्जर)

करे। जी.एस.एस. का व्यवस्थापक चाहे तो पांच बीघा खेत के अन्दर दो बीघा पर ही फसल पैदा करेगा तो भी पांच बीघा का प्रीमियम काट लेगा। लेकिन राजस्थान के व्यवस्थापकों को धन्यवाद देना चाहूंगा यह जानते हैं कि इसको प्रीमियम की राशि पूरी नहीं मिलेगी इसलिए किसान की हिस्सा राशि का पैसा कम काटते हैं।

मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपकी नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सहकारिता मंत्रीजी, मैं आपसे कह रहा हूं कि गंगानगर की सी.सी.बी. बैंक के अन्दर वीडियोकॉन, लिबर्टी कम्पनी को बिना टैन्डर किये सिर्फ बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर आप लोगों ने पांच करोड़ का भुगतान कर दिया और प्रत्येक किसान के खाते से 500-500 रुपये काट लिये, इसकी जांच कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इसी गंगानगर के अन्दर डिजिटाइजेशन के नाम पर आप लोगों ने बिना टैन्डर किये चहेतों को ठेका दे दिया, इसकी जांच करवाने की जिम्मेदारी, मंत्रीजी, आप की है।

सहकारिता किसान को साहूकारों और ब्याजखोरों के चंगुल से बचाने का एक मात्र माध्यम था। सहकारिता जिसके माध्यम से किसान को पैसा मिलता, उस व्यवस्था का तहस-नहस करने की आप और रजिस्ट्रार, दोनों ने मिल कर ठान ली है। राजस्थान के अन्दर शुरू से थ्री टायर सिस्टम रहा जिसके माध्यम से किसान को पैसा मिलता था लेकिन उस थ्री टायर सिस्टम के ऊपर आप लोग वार कर रहे हैं। जो हमारी मुख्य शाखा है, जो जी.एस.एस. का व्यवस्थापक है, बिना तनख्वाह के आपके पास काम करता है, आज वो व्यवस्थापक आपकी नीतियों के कारण से हड़ताल में हैं। आप क्यों नहीं उसको बैंक कर्मचारी मानते हैं? आप क्यों नहीं उसको स्थाई करना चाहते हैं? उसका शोषण कर रहे हैं, अपने जीवन के 25 साल, 30 साल उस व्यवस्थापक ने आपको दे दिये लेकिन उसके बाद भी आप उसको बैंक कर्मचारी नहीं मानते हैं। अगर आप बैंक कर्मचारी नहीं मानते हैं तो चार दिन पहले चित्तौड़ के अन्दर 78 आदमियों को आपने किस अधिकार से हटा दिया? जब आप कहते हैं कि वो सी.सी.बी. का कर्मचारी नहीं है, व्यवस्थापक को जी.एस.एस. का अध्यक्ष है वो हटायेगा, तो किस अधिकार से आपने 78 आदमियों को हटा दिया? उनकी हड़ताल तुड़वाने के लिए ...

श्री सभापतिः समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं आपसे मामूली बात कहना चाहता हूं कि बैंक कर्मचारियों को स्थाई करें। 31 मार्च किसानों की आखिरी तारीख थी उस तारीख को बढ़ा कर आप 30 जून करिये ताकि किसान का भला हो।

सबसे बड़ी बात, मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा की थी 2015-16 के अन्दर पेज नम्बर 28 पर कि हम लोग 17 हजार 500 करोड़ रुपये ऋण के बांटेंगे, उसको आप लोगों ने छुपा कर 3 हजार 500 करोड़ रुपये कम कर के 14 हजार करोड़ पर ही रख दिया। आज जिन सी.सी.बी. ने पैसा बांट दिया उन सी.सी.बी. के सामने वित्तीय संकट पैदा हो गया है और इस बार तो आपने कमाल कर दिया, इस बार तो टार्गेट ही गायब कर दिया।

अनुदान की बहस के ऊपर मंत्री प्रति उत्तर देते हैं उसके बारे में आप कितने सीरियस हैं, आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि आपने इसी स्थान पर खड़े होकर कहा था कि हम 1200 जी.एस.एस. का कम्प्यूटरीकरण करेंगे, आपने शायद पूरे एक वर्ष में बारह का भी कम्प्यूटरीकरण नहीं किया होगा। आपने वादा किया था इसी सदन में खड़े होकर कि प्रत्येक सी.सी.बी. पर ए.टी.एम. लगवा दूंगा, मंत्रीजी, आपने एक भी सी.सी.बी. पर ए.टी.एम. नहीं लगवाया। आपने यहीं पर वादा किया था। ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): लगे हैं ए.टी.एम.।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): कब लगा? ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): करीब छह महीने हो गये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक लगा। और दो-चार मंत्रीजी गिना देंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): चार एक साथ लगे थे। ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इन्होंने पूरे राजस्थान की घोषणा की थी। आपने यहीं खड़े होकर वादा किया था कि गृह सहकारी समितियों के माध्यम से दोहरे पट्टे देकर लोगों का हित मारा जा रहा है उसकी दो महीने में जांच करवा लूंगा लेकिन आपने जांच नहीं करायी और आपने, मुख्य मंत्रीजी ने इस बार जो बजट घोषणा की ...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मात्र दो मिनट लूंगा, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मात्र दो मिनट।

श्री सभापति: हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपने खुद ने वादा किया था, इस बार आपने बजट घोषणा में सी.आर.ए.आर. के लिए तीन बैंकों का सी.सी.बी. का चयन किया है चूरू, कोटा और टोंक का, जो रिजर्व बैंक की नौ प्रतिशत की बाध्यता है उसको राजस्थान का कोई भी सी.सी.बी. बैंक पूरी नहीं कर रहा है, न आपका अपेक्स बैंक पूरी कर रहा है। तो फिर इनके लिए फंड की व्यवस्था कौन करेगा? आपने तीन बैंकों का चयन कर लिया, बाकी का चयन कौन करेगा?

आपसे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो गंगानगर में हुआ ...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): वो अभी पाली और जालौर के अन्दर भी हुआ है और बीमा कम्पनियों ने चुपचाप वीडियोकान, लिबर्टी को करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया है सी.सी.बी. बैंकों के माध्यम से, मंत्री जी, इस घोटाले की अगर आप जांच नहीं करवाते हैं तो मैं तो यह कहूंगा अधिकारी नहीं फिर इसमें आप भी शामिल हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सहकारिता का ढांचा आज पूरा तबाह हो चुका है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री यहां बैठे हैं, किसान आपके लिए एक उपभोग की वस्तु नहीं होना चाहिए बल्कि किसान आपके दिल से जुड़ा होना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): किसानों के हक में काम करो वर्ना जर्रे-जर्रे से इंकलाब की आवाज आएगी और आपकी हस्ती मिट जाएगी, 2019 में कोई पूछने वाला नहीं रहेगा।

श्री सभापति: बिराजिये, बिराजिये। श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 और 39, कृषि, पशुपालन और चिकित्सा पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

(श्रीमती संजना आगरी)

माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र सोजत से आती हूं वहां पर विश्व स्तरीय मेंहदी का उत्पादन होता है। मेंहदी नारी के सोलह श्रृंगार के साथ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक शगुन के रूप में काम में ली जाती है और सोजत तहसील में 23 हजार हैक्टेयर में किसान मेंहदी के उत्पादन का कार्य करता है। इसके साथ ही रायपुर, मारवाड़ जंक्शन और जैतारण विधान सभा क्षेत्र में भी किसान मेंहदी का उत्पादन करता है जिसका कारण है जमीन और वहां की जलवायु का मेल होना।

माननीय सभापति महोदय, मेंहदी एक ऐसी फसल है जिसको बार-बार उगाने की, बोने की जरूरत नहीं है। एक बार पौधा लगाने के बाद बार-बार उससे फसल ले सकते हैं। मेंहदी के कृषि कार्यों के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। जिसके कारण मेंहदी का प्राकृतिक रूप से उत्पादन होता है। वर्षा के पानी से पूरी फसल का उत्पादन हो जाता है। मेंहदी की फसल में खाद, बीज, फर्टिलाइजर या बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। आज तक मेंहदी की खेती परंपरागत तरीकों एवं संसाधनों से ही होती आई है।

(17.10 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मेंहदी एक हर्बल उत्पादन है। सोजत विधान सभा क्षेत्र में 23 हजार हैक्टेयर भूमि में मेंहदी के उत्पादन से कृषि मंडी सोजत को सालाना रेवेन्यू 2 करोड़ रुपये के लगभग प्राप्त होती है। इसके बावजूद भी मेंहदी के पौधे को पक्की जिंस में नहीं लेकर कंटीली झाड़ियां और सौन्दर्य प्रसाधनों में माना गया है। जो कि लग्जरी वस्तु की श्रेणी में आता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदयजी को अवगत कराना चाहूंगी कि मेंहदी की खेती व उद्योगों पर हजारों, लाखों परिवार जीविकोपार्जन के लिए आश्रित हैं। यही नहीं, मेंहदी का पाउडर बनाकर विश्व के कई देशों में और राज्यों में निर्यात किया जाता है।

आधुनिकता के इस युग में मेंहदी के कृषि कार्य में आज भी किसी तरह की कृषि मशीनों का आविष्कार नहीं किया गया है। मेंहदी की बुआई से लेकर उसकी कटाई तक सारा कार्य मजदूर अपने हाथों से करते हैं। मजदूरों की संख्या क्षेत्रफल की तुलना में आज भी कम है। जिसकी वजह से किसानों को चार गुणा मजदूरी लगभग 1500 से 2 हजार प्रति दिन मजदूरी देनी पड़ती है।

(श्रीमती संजना आगरी)

जिससे लाखों किसानों को अच्छी फसल होने के बावजूद भी अपनी फसल के लागत मूल्य की आधी कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है और लागत मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि जिंस में मेंहदी को नहीं लेने के कारण किसानों को फसल बीमा और ऋण जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। मेंहदी की फसल अति संवेदनशील होने की वजह से मेंहदी काटते समय अगर हल्की बारिश भी हो जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। दुर्भाग्यवश अगर पुरवाई हवा चल जाती है तो मेंहदी के पत्ते पीले पड़कर वहीं खेतों के अन्दर गिर जाते हैं।

आज तक कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा मेंहदी की अच्छी व उन्नत फसल के लिए किसी भी तरह का शोध एवं अनुसंधान नहीं हुआ है। ऐसी प्राकृतिक आपदा में किसी तरह की सरकारी मदद या मुआवजा हमारे किसान जो मेंहदी उत्पादन करते हैं उनको नहीं मिलता है। मेंहदी के डवलपमेंट के लिए मैकेनिकल प्रोसेस तैयार करने की आवश्यकता है।

मेरा माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन है कि विश्व स्तरीय मेंहदी की साख को बचाने के लिए, किसानों के हितों को देखते हुए मेंहदी को कृषि पक्की जिंस में लेकर मेंहदी उत्पादन करने वाले किसानों को अन्य फसलों की तरह से बीमा मिले, ऋण की सुविधा दी जाए ताकि सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेंहदी की जो साख है वह कायम रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदयजी को अवगत कराना चाहूंगी कि करोड़ों टन मेंहदी का उत्पादन सोजत में होता है। जिसका पाउडर बनाया जाता है। जिसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधि बनाने में, हाथों में, बालों में लगाने के लिए लिया जाता है। मेंहदी का पाउडर उत्पादक शुल्क मुक्त है। लेकिन इसी मेंहदी के पाउडर में लौंग, तारपीन व नीलगिरी का आयल मिक्स कर हाथों में रचाने वाली मेंहदी के पेस्ट और कोन तैयार किये जाते हैं, जो आयल एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में माना जाता है, उस पेस्ट में किसी भी तरह का कैमिकल मिक्स नहीं होता है external chemical and dye नहीं मिलाई जाती है। मेंहदी के कोन और पेस्ट लंबे समय तक सूखे नहीं, उसकी गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए आयल मिक्स किया जाता है। ऐसे में कोई कैमिकल काम में नहीं लिया जाता है। उसके बावजूद भी मेंहदी के कोन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

(श्रीमती संजना आगरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि इकानोमिकल दृष्टि से पूरे विधान सभा क्षेत्र के साथ ही मारवाड़ और जैतारण विधान सभा क्षेत्र भी मेंहदी पर निर्भर है। चाहे वहां का किसान हो, व्यापार हो, व्यवसायी हो, मेंहदी की पैंकिंग, थैलियां और मेंहदी के कोन बनाने से लेकर मेंहदी भरने तक का कार्य हाथों से किया जाता है। आज लघु उद्योग के रूप में हजारों परिवारों का पालन-पोषण मेंहदी के कोन बनाने व भरने पर निर्भर है। आज पेस्ट युक्त कोण पर उत्पादक शुल्क, टैक्स वसूल करने के कारण लाखों परिवारों के सामने रोजगार का एक संकट खड़ा होने जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि उत्पाद शुल्क विभाग के जिस चैप्टर में मेंहदी शुल्क मुक्त है, उसी चैप्टर में शब्दों की जटिलता के कारण असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि Heena powder and paste not mix with other ingredients, जबकि हीना पाउडर और पेस्ट बनाने के लिए असेंशियल आयल होता है, जैसे नीलगिरी का आयल हो गया या लौंग का तेल पाउडर को पेस्ट बनाने के लिए उसके अन्दर मिक्स किया जाता है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पाउडर का अगर पेस्ट बनाना है तो उसके अन्दर चाहे हम पानी का उपयोग लें, चाहे किसी वनस्पति आयल का उपयोग लेते हैं तो असेंशियल आयल जितने भी उसके अन्दर मिक्स किये जाते हैं, उनको इस नोट के अन्दर not mix with other ingredients, इसमें संशोधन करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आज सोजत विधान सभा क्षेत्र के लाखों परिवार ऐसे हैं जो लघु उद्योग, सीमांत उद्योग, हथकरघा उद्योग के रूप में हर परिवार में मेंहदी का कोन हाथ से बनाते हैं। मेंहदी का पेस्ट हाथ से बनता है। कोन के अन्दर पेस्ट भी हाथ से भरा जाता है। हमारे सामने रोजगार का यह बहुत ही बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है।

मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इसके अन्दर निश्चित रूप से संशोधन की आवश्यकता है। जिस तरह से मेंहदी के पाउडर को उत्पाद शुल्क मुक्त रखा गया है, इसी प्रकार मेंहदी के पेस्ट से बने कोन को भी उत्पाद शुल्क से मुक्त कराया जाए ताकि हमारे सामने रोजगार का संकट नहीं हो और मेंहदी की जो हमारी साख है विश्वस्तरीय मेहँदी की बनी रहे।

(श्रीमती संजना आगरी)

इसके साथ ही मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि सोजत कृषि मंडी है, मेंहदी से सालाना राजस्व आय 2 से ढाई करोड़ रुपये प्राप्त होती है। सोजत मोड़ भट्टा चौराहा से लेकर दिल्ली दरवाजे तक जो मुख्य मंडी स्थापित है, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन और सोजत के जितने भी तहसील से आने वाले गांव के काश्तकार हैं, वह उस मंडी में अपना माल लेकर आते हैं। पिछले कई वर्षों से वहां की सड़क बहुत ही क्षतिग्रस्त हालत में है। हम लोगों ने कृषि मंडी से उसका एस्टीमेट बनाकर के आपके पास भेज दिया है। आप उस एस्टीमेट को अनुमोदित कर, स्वीकृति दिलाकर पुन: वहां पर भेजेंगे तो हम लोग हमारी कृषि मंडी की जो रेवेन्यू है, उससे उसकी मरम्मत और नये सिरे से बनायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपको पशु चिकित्सालय के बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि सोजत का पशु चिकित्सालय जो नगरपालिका के साथ ही नेशनल हाई वे 162 के ऊपर स्थित है, वहां पर डाक्टर्स की भी कमी है। उसके साथ ही वह पूरी नगरपालिका का एक मात्र पशु चिकित्सालय है। नेशनल हाई वे पर स्थित होने के कारण वहां पर आये दिन कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वाहनों की चपेट में आने से पशु दुर्घटना ग्रस्त होते हैं। उनको पशु चिकित्सालय में ले जाने के लिए हमारे पास में वाहन उपलब्ध नहीं हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि सोजत राजकीय पशु चिकित्सालय में हम लोगों को एक पशु वाहन अगर आप उपलब्ध करा देंगे तो निश्चित रूप से हम गौ माता और अन्य पशुओं की जान की रक्षा कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि सोजत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर एक ग्राम पंचायत में 8-8 रेवेन्यू विलेज लगते हैं, लेकिन आज भी उन गांवों के अन्दर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। जैसे खारिया सोडा, मंडला, हाजीवास, राजूलाकला, दुरासनी, गुढा रामसिंह और इसके अलावा और कई ग्राम पंचायतें हैं। रेवेन्यु विलेज या ग्राम पंचायत स्तर पर एक-एक उप पशु चिकित्सालय का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। हमारा किसान खेती और पशुपालन से जुड़ा हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में खारियानीव,

(श्रीमती संजना आगरी)

बीजागुढा, हरियामाली, सुरायता ऐसी बड़ी-बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर वर्षों से उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं। उन उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। ताकि हमारे आसपास का एरिया और क्षेत्र के किसान हैं उनको अपने पशुओं को लेकर के कहीं बाहर नहीं जाना पड़े।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करूंगी कि यह विषय मैंने मेहंदी के बारे में आपके आगे एक बार नहीं कई बार विषय रखा है। मेहंदी में कैमिकल नहीं, हम लोग आयल काम में लेते हैं और आयल के अलावा कैमिकल यूज लिए जाते हैं तो उसके भी सरकार के नियम और कुछ कानून बनाए गये हैं उस दायरे में आने वाले अगर कोई व्यापारी और व्यवसायी हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कार्यवाही हो लेकिन हमारा यह कहना है कि यह नीलगिरी का आयल है, यह ऐसे ऑयल मिक्स करके अगर पेस्ट बनाते हैं और फिर वह कोन का अगर डिस्ट्रिब्यूशन करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मेहंदी के पाउडर को उत्पाद शुल्क मुक्त किया गया है उसी तरह से कोन के ऊपर भी उत्पाद शुल्क मुक्त करने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर फूलचंद भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है जिसमें पशुपालन और दूध का विशेष महत्व है। वैसे तो भारतीय अर्थव्यवस्था और मानव जीवन में किसान का कृत्य महत्वपूर्ण है इसलिए उसको अन्नदाता कहा गया है।

आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी और सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें एक-एक विधा के बारे में काफी वर्णन दिया गया है, जैसे पाराशर ग्रंथ हमारा 400 ईसा पूर्व का है, उसमें 'वन विनोद' के नाम से पाठ है जिसमें किस प्रकार से वनों से धरती आच्छादित होगी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 'सीतादक्ष' के नाम से पाठ है जिसमें सारा का सारा किसानी के बारे में विवरण दिया गया है। वाराहमिहिर के जो 500 ईस्वी में 'उद्यान विभाग' ऐसा विवरण आया है। ऐसे अनेकों ग्रंथों में व्यवस्थाएं हैं। सहकारिता के बारे में भी ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद, यजुर्वेद,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

याज्ञवलक्य, सबमें विवरण है, उसके आधार पर आज कृषि विकास में और सहकारिता के अन्दर जो व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर किया जा सकता है लेकिन किसान का, गांव का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद से लगातार पहली योजना को छोड़ दें तो उसके बाद निरन्तर बजट में गिरावट आई है और आज भी राजस्थान का 60 प्रतिशत से ज्यादा व्यक्ति खेती पर निर्भर है लेकिन बजट में 5.62 प्रतिशत व्यवस्था की गयी है। 5.62 में उद्यान भी है, सहकारिता भी है, इस कारण से निरंतर गरीब हो रहा है।

किसान के लिए मनरेगा की एक स्कीम आई, खाद्य सुरक्षा दूसरी स्कीम आई, यह गरीबों के लिए है लेकिन उसका दुष्परिणाम सबसे ज्यादा किसान पर पड़ा है। किसान का श्रम महंगा हो गया, खाद्य सुरक्षा के कारण से गेहूं का भाव डाउन हो गया और उसमें भी गेहूं जिस मात्रा में दिया जा रहा है उसकी ब्लैक मार्केटिंग से साल भर ही, किसान का गेहूं का भाव ऊपर नहीं आता। पिछले वर्ष से पहले हमने बोनस दिया, इस वर्ष बोनस भी कम कर दिया गया। इस कारण से किसान की एक तरफ उसकी लागतें बढ़ी हैं, बीज, खाद की लागतें बढ़ी हैं, सिंचाई की लागतें बढ़ी हैं, लेबर बढ़ा है लेकिन गेहूं का भाव वहीं का वहीं पड़ा है। उसकी अन्य जिंसें हैं, कभी 2 रुपए किलो में प्याज सड़क पर पड़ा रहता है और 6 महीने बाद अगर वह 80 रुपए किलो हो जाता है तो उसका लाभ किसान को नहीं मिलता है। टमाटर सड़क पर फेंका जाता है ज्यादा होने के कारण से। वह जब 80 रुपए होता है तो उसका लाभ किसान को नहीं मिलता है। मार्केटिंग की कमजोरी के कारण से भी राजस्थान के किसान को लाभ नहीं मिलता। 3 वर्ष पहले लहसुन इतना ज्यादा हुआ कि सरकार को जबरन खरीदना पड़ा और उसके बाद में केवल एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर बेचने में 6 रुपए किलो का नुकसान सरकार ने उठाया लेकिन किसान को 6 रुपए नहीं मिले। इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं।

इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो भी किसान के ऊपर प्रहार है, जैसे एक बीटी बीज का एक संकट आ रहा है। इसी प्रकार से जो रासायनिक खेती है उसका संकट आ रहा है, लागतें बढ़ रही है, जीवन खतरे में है क्योंकि वह छिड़काव भी करता है तो यह तो नहीं कि उसके पास कोई इस प्रकार का यंत्र हो जो मुंह पर बांध कर करे, ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बांध लेता

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

है फिर उसको कितनी बार धोए? जिस दवा के डिब्बे पर यह लिखा रहता है कि यह जो लोहा है वह काम लेने योग्य नहीं है, इसको गाड़ा जाए जमीन में और उस छिड़काव को किसान अपने कपड़ों पर डालता है तो उसका जीवन लगातार खतरे में है। जबकि इतिहास में हम जब देखते हैं तो कई बार ऐसी स्थिति आई है जैसे अथर्ववेद के पहले श्लोक में ही यह आता है, ब्रह्माजी ने इंद्र को कहा कि सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती, पानी देने वाली जो नदी अंडर ग्राउंड है, वहां जौ की खेती की जाए और धीरे-धीरे अमृतमय बनाया जाए। गोबर की खाद है, हरी खाद है लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं और जो अनुसंधान हो रहा है एग्रीकल्चर में वह बीज, रसायन और कीटनाशक के ऊपर हो रहा है, 40 परसेंट ज्यादा खर्चा उस पर किया जा रहा है लेकिन जो गांव के जीवन स्तर को, गांव के जीवन को संकट से बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए, आज तो ऐसी स्थिति हो गयी कि कैंसर ट्रेन, जहां ज्यादा पेस्टीसाइड्स का यूज हो रहा है वहां से कैंसर ट्रेन चलती है, इस प्रकार के सूचक भी मिल रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जैविक खेती को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बजट को भी 5.62 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाए, जबकि कोई समय था जब गांव और खेती के लिए 42 प्रतिशत बजट हुआ करता था और यही कारण था पहले प्लान में जब 42 प्रतिशत बजट दिया गया था तो एक मण एक रुपये का मिलता था, चार रुपये किलो का घी मिलता था। जब दूसरी योजना में कांग्रेस ने उस प्राथमिकता को बदला, इण्डस्ट्री को लाए तो उसके बाद 1965 तक आते-आते तो हम भुखमरी की स्थिति में आ गये और उसके बाद 1977 आया तब जाकर गांवों पर बजट का पुनर्निर्धारण हुआ। लेकिन वह लगातार घट रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में पशुपालन भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, सबको हम सस्ता दूध दे रहे हैं, दिल्ली तक को दे रहे हैं, इस कारण से पशुपालन, दूध और खेती, जो सब्जी है उसमें जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और नए-नए अनुसंधान जैविक खेती में हो, रसायन खेती में प्रयोग नहीं हो।

इसी प्रकार से पशुपालन का जहां तक सवाल है अभी माननीय सदस्या ने भी कहा कि उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं। मैं तो यह कहता हूं कि गुजरात की स्टडी कराकर राजस्थान में पिछली बार घोषणा की गयी थी चल

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पशु चिकित्सालयों की, लेकिन वह क्रियान्वित नहीं हुए, 47 हजार के करीब गांव हैं तो सब गांवों में 7 दिन में कम से कम एक बार जिसमें एक डाक्टर हो, एक कम्पाउण्डर हो, इस प्रकार की स्थाई व्यवस्था की जाए जिसके कारण से ज्यादा लाभ मिल सके। पशु अब किसान के लिए उपयोगी रह गया है। नीचे पानी है नहीं, 1 परसेंट पानी था वह भी सूखता जा रहा है और पानी के लिए भी हमें नए प्रयास करने चाहिए। राजस्थान में सिंचाई को महत्त्वपूर्ण बनाने के लिए जो 12-13 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, झुन्झुनूं, सीकर, यमुना का जो फ्लड का पानी है उसको लाकर हम इनको सिंचित कर सकते हैं और उससे हमारी खेती और अधिक उन्नत हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सहकारिता में कई चीजें ऐसी आती हैं जो किसान से जुड़ी हुई है। खाद, बीज की सप्लाई है, उसका लोन है उसमें भी कई परिवर्तन नौकरशाहों के आधार पर किए जाते हैं। अभी भी आंदोलन हुआ पूरे राजस्थान में उसमें यह कहा जा रहा है कि जो हिस्सा राशि है वह बढ़ाई जाएगी। किसान तो वैसे ही गरीब है, हिस्सा राशि की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम इंश्योरेंस के लिए कम कर रहे हैं और एक तरफ हिस्सा राशि बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक की चिंता ज्यादा है और जीएसएस जो प्रत्येक गांव में स्थापित है, पंचायत स्तर पर उसकी चिंता कम है प्रशासन को। इस कारण से जो जीएसएस है पिछले दस वर्ष से मैं देख रहा हूं जीएसएस की गतिविधियां मिट रही हैं, लोन की उगाही ज्यादा हो रही है, बैंक तो डूब रहे हैं लेकिन हमारी जीएसएस उगाही ज्यादा कर रही है उसमें एक कारण यह भी है कि माननीय वसुन्धराजी ने ब्याज मुक्त किया उनको। इस प्रकार के चेंज हैं जिनके कारण से सहकारी क्षेत्र में किसान जो अनपढ़ है, सामान्य है, उसको आने-जाने के साधन नहीं हैं उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि वे अधिक से अधिक लाभ सहकारिता के माध्यम से खाद-बीज का उठा सकें।

इसी प्रकार से एक अनिवार्यता की जा रही है। पहले 25 परसेंट अनिवार्य था जिसको पिछली बार वर्तमान सरकार ने किया था कि वह 25 परसेंट नकद ले ले, चाहे खाद बीज ले ले, उसी प्रकार की ऐच्छिक व्यवस्था की जाए जिससे किसान रिलीफ महसूस करें क्योंकि फिर तो उसे रासायनिक खाद

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

ही खरीदना पड़ेगा, गोबर की खाद खरीदने के लिए तो उसे पैसा ही चाहिए। जैसा मंत्रीजी कई बार कह चुके कि हम किसान के खाते में डालेंगे, अगर ये ऐसी व्यवस्था करते हैं तो सहकारिता भी सफल होगी और किसान को भी जो दिक्कतें हैं वे दूर होंगी।

इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समितियां हैं, ब्लॉक हैं और दोनों में क्रय-विक्रय सहकारी संघ नहीं है जबकि 30 के लगभग जीएसएस हैं, दोनों में 15-15 हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि दोनों में क्रय-विक्रय संघ स्थापित किये जाएं। सभी पंचायतों में जीएसएस की जाए। अब खाद्य सुरक्षा के बाद सहकारिता में जीएसएस का महत्व बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि खाद्य सुरक्षा का काम जीएसएस को दिया जाए। अगर सभी पंचायतों में जीएसएस होंगी तो जो अनियमितताएं दिखायी देती हैं, खूब प्रयास के बावजूद भी प्रत्येक आदमी को समय पर खाद्य सुरक्षा का अन्न नहीं मिलता उसमें भी लाभ होगा।

इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में चिमनपुरा 35 वर्ष पुराना कालेज है जिसमें कृषि संकाय है। राजस्थान में 5 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, लेकिन एक भी कालेज एग्रीकल्चर का नहीं है। अब दो खुले हैं। सवाईमाधोपुर, उनियारा और चिमनपुरा में 35 साल पुराने कृषि संकाय हैं। पूरा स्टाफ है, केवल वरिष्ठ आदमी को प्रिंसिपल बनाकर उन कालेजों को पूरा दर्जा दिया जाए तो आईसीएआर से जो अनुसंधान का पैसा मिलता है, आज नया पैसा भी नहीं मिलता और पीजी कक्षाएं भी नहीं हैं। यह मैं कृषि शिक्षा का दुर्भाग्य मानूंगा कि एक भी सरकारी क्षेत्र में पीजी कालेज नहीं है, डिग्री में केवल संकाय है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पिछले सत्र में भी आश्वस्त किया था कि हम अगली बार विचार करेंगे तो इस बार यह खोला जाए।

इसी प्रकार से जो सोलर पम्प सैट हैं उन पर अनुदान बढ़ाया जाए। यह एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है किसान की गरीबी के हिसाब से भी, व्यवस्था के हिसाब से भी। बिजली की लागत लगातार बढ़ रही है, कर्जा हो रहा है, लेकिन सौर ऊर्जा को महत्व देकर किसानों को सोलर पम्प सैट ज्यादा अनुदान से उपलब्ध कराये जाएंगे तो किसान प्रोत्साहित भी होगा और उसे लाभ भी मिलेगा।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसी प्रकार से कृषि ऋणों में तीन साल पहले इसी सदन में घोषणा हुई थी कि 3 लाख तक के ऋण दिये जाएंगे, लेकिन वह वृद्धि हुई नहीं है। उलटा इस वर्ष यह अघोषित सर्कुलर गया है कि 20 परसेंट किसानों को लोन कम दिया जाए। आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि महंगाई के अनुरूप किसान के ऋण की मात्रा बढ़ायी जाए न कि घटायी जाए। इसी प्रकार से कृषि क्षेत्र का जो अनुदान है उसमें पिछले तीन वर्षों से गिरावट आयी है, उसको भी वापस बढ़ाने की आवश्यकता है।

कृषि शिक्षा में अनुदान। हमारे यहां 5 विश्वविद्यालय अच्छी बात है, लेकिन आज अख़बार में स्टेटमेंट है कि 100 करोड़ से कम कोई भी विश्वविद्यालय भारत का नहीं है जिसको सरकारी एड नहीं मिलती हो। हमारे यहां 15-20 करोड़ से ज्यादा किसी विश्वविद्यालय को नहीं मिलता है। कृषि विश्वविद्यालय केवल शिक्षण का कार्य नहीं करते वे उससे महत्त्वपूर्ण कार्य अनुसंधान का करते हैं। राजस्थान के विश्वविद्यालय, जो कैम्पस थे, विश्वविद्यालय तो अब बने हैं उनके भी जो परिणाम हैं, दुर्गापुरा है, जोबनेर है, बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कृषि अनुसंधान को महत्व देने के लिए आप वृद्धि करें।

अंत में मैं दो पंक्तियां पढ़कर मेरी बात समाप्त करूंगा।

आओ मिलकर दशा सुधारें खेती और किसान की,
यह पीढ़ी है भारत मां के वैभव के निर्माण की,
भारत माता के उत्थान की।
अन्न, दूध, फल देने वाले खुद ही यों असहाय हो,
तो भारत की उन्नति का बोलो, कौन उपाय हो।
हमें पूर्ण रचना करनी है अपने हिन्दुस्तान की,
भारत के उत्थान की।

जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग 37-कृषि, मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा, मांग संख्या 36-सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

(श्री भागीरथ चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश में सबसे कोई दुःखी वर्ग है तो वह है किसान। अभी जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, मैंने देखा है यहां पक्ष और विपक्ष में बंट जाते हैं। कृषि प्रधान देश है और किसान के वोट के बल पर जीतकर यहां सदन में आते हैं चाहे विधान सभा हो, चाहे लोकसभा, परन्तु सच्चे मन से किसान के हित की कोई बात नहीं करता।

अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्यजी बता रहे थे और आज अनुदान की मांग संख्या 37 के विषय में चर्चा कर रहे हैं जिसे उत्तम वृत्ति कहा गया है। अभी उन्होंने बताया था, परन्तु कहावत है, धन खेती, धन चाकरी, धन-धन है व्यापार। आज खेती बड़े घाटे का सौदा हो गया है। आज मजदूर सुखी है जो अपनी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में खेती करना बंद हो जाएगा। आज यह स्थिति है कि खेती का लागत मूल्य बढ़ गया है और किसान को उसकी जिंस के भाव नहीं मिल पा रहे हैं। यहां कई अर्थशास्त्री भी होंगे, उपाध्यक्ष महोदय, एक किसान होने के नाते मुझे पूरी जानकारी है और मैं छोटा-मोटा व्यापार भी करता हूं। मुझे स्मरण आ रहा है, सन् 1975 की बात कर रहा हूं, 1975 में डीजल 95 पैसे लीटर था और बाजरे का भाव दो रुपये किलो था। आज डीजल की क्या रेट है और बाजरे की क्या रेट है? कैसे किसान खेती करेगा? बात किसान के अनुदान की आती है। बाहर इंसेंटिव और सब्सिडी की बात चल रही थी। आज किसान की माली हालात क्या है? किसान के घर में कुछ भी नहीं है। उसके घर में टूटी हुई खाट है और फटा हुआ बिस्तर है। जो कोई उसकी सम्पत्ति है तो उसके बाड़े में है। यदि वहां कोई नुकसान हो जाता है तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी खुशी की बात है, विपक्ष वाले अभी कह रहे थे कि किसान की क्या हालत है? उसके जिम्मेदार कौन हैं? अपने सीने पर हाथ रखकर देखो। सच्चाई है, हम पक्ष और विपक्ष में बंटे हुए हैं, किसान की कोई परवाह नहीं कर रहा है। जीतकर आ जाते हैं किसान की कोई बात नहीं करना चाहते। करता है तो वह ऊपर मन से करता है। आज यह हालत है कि किसान जब खेती करता है, फसल कटने की नौबत आती है और यदि कोई ओलावृष्टि हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, पिछले सालों की बात मैं कर रहा हूं, किसान को कुछ भी नहीं मिलता है।

(श्री भागीरथ चौधरी)

आपने क्या किया? आदरणीय अटलबिहारीजी वाजपेयी ने फसल बीमा योजना लागू की। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने पहली दफा 33 परसेंट खराबे पर डेढ़ गुना मुआवजा दिया। इसका उदाहरण है आज दो वर्षों के अन्दर 1335 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला है। मैं मेरे ही विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं 32 हजार किसानों को 22 करोड़ रुपये मेरे विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष जब ओलावृष्टि हुई थी मुआवजा मिला है। आप भी करते। किसानों की बात करते हो, किसानों को बर्बाद ही आपने किया है। इस देश में कितने वर्षों तक आपने राज किया है केन्द्र और प्रदेश में और बात करते हो किसान हित की। सच पूछो तो किसानों को बर्बाद इस कांग्रेस ने किया है और क्यों किया क्योंकि इनका ध्येय एक ही है कि निर्धन निर्धन रहे, अशिक्षित अशिक्षित रहे ताकि आपके चंगुल में वो फंसा रहे। यह सत्य है न? मैं सत्य कह रहा हूं.....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, अब तो कर दो निहाल, सवा दो साल हो गये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): कर रहे हैं, कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहां कर रहे हो? सहकारिता के बजट में डेढ़ लाइन में समाप्त कर दिया। सहकारिता के ऊपर बजट में डेढ़ लाइन लिखी है आपकी मुख्य मंत्रीजी ने।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): गड्ढा बड़ा गहरा है इसलिए थोड़ा भरने में समय लगेगा।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि हम पक्ष और विपक्ष में बंटे हुए हैं पर किसान की हकीकत क्या है यह आप भी समझते हो और हम भी समझते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): गड्ढा बड़ा गहरा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मैं और बताता हूं। मनरेगा, मैं यह नहीं कह रहा हूं, हरेक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। क्या है मनरेगा? क्या किया इस मनरेगा ने? खेती को बर्बाद कर दिया, उद्योग को बर्बाद कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र सदन में कह रहा हूं कि मनरेगा एक बहुत बड़ी साजिश है इस देश को बर्बाद करने के लिए। इसके बहुत

(श्री भागीरथ चौधरी)

दुष्परिणाम आएंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मनरेगा, सबको काम की गारंटी होनी चाहिए। जोड़ो न आप उसको कृषि और उद्योग से। आज हर आदमी कामचोर हो गया है। आप किसान की बात कर रहे हो न, तो सबसे ज्यादा किसान इससे बर्बाद हो रहा है। खेती में मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है कि खेती में क्या करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसान की बात करूं तो – जो सबकी भूख मिटाये, ऐसा है यह इन्सान। किसान की कोई जाति नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख की बात है कि आज किसान को जाति और बिरादरी में बांट दिया गया और यह भी एक बहुत बड़ी साजिश है। गांव में रहने वाला हर व्यक्ति किसान है चाहे वो किसी भी जाति और बिरादरी का हो। 'जो सबकी भूख मिटाये, ऐसा है यह इन्सान, अनाज का दाता है ये किसान। धूप की चक्की में पिसकर अपने पसीने के गीले वस्त्र को निचोड़कर, कड़ी मेहनत कर यह डालता है भूखों में प्राण, इसलिए सदा बचाना इनकी आन, यह है किसान की पहचान, यह है राजस्थान और भारत की शान।' आज हमें इसी किसान उत्थान हेतु बेहतर करने पर विचार करना चाहिए और यह नहीं हो कि हमें पक्ष और विपक्ष में बंटना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी जरूरत है किसान को पानी की। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने जो नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी, दुर्भाग्य से, जो इनका काम ही यही है कि किसान समृद्ध नहीं हो इसलिए उस योजना को इन्होंने ठण्डे बस्ते में डाल दिया। उपाध्यक्ष महोदय, किसान को कुछ नहीं चाहिए और मैं कहता हूं कि इस राजस्थान को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नदियों को जोड़ दें। यदि नदियां जुड़ जाएंगी और हर खेत को यदि पानी मिल जाएगा तो हर हाथ को काम मिल जाएगा, बेरोजगारी खतम हो जाएगी, नौजवान को रोजगार मिल जाएगा और गांव का विकास हो जाएगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कृषि पर आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से और मुख्य मंत्रीजी से यही कहना चाहूंगा कि कैसे करके नदियों को यदि जोड़ दें तो राजस्थान को सबसे बड़ा फायदा होगा। फिर किसान को कोई और जरूरत नहीं है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अभी जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य कृषि कनेक्शन की बात कह रहे थे। 2009 से 2013 में किसी एक किसान को कृषि कनेक्शन दिया क्या आपने? एक को भी नहीं दिया। 2009 से 2013 तक एक भी किसान को कृषि कनेक्शन इन्होंने नहीं

(श्री भागीरथ चौधरी)

दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है किसान का भला इसी में है कि उसको निःशुल्क सौर ऊर्जा मिले। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे और जो कृषि अनुदान में कटौती की गयी उसमें उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कृषि मंत्रीजी, जो कृषि अनुदान में कटौती हुई है उस पर वास्तव में चिंता करनी चाहिए। किसान को जितनी सहूलियत मिल सके वो हमें देनी चाहिए। आज यदि सौर ऊर्जा दे दी जाए तो बिजली की जो बहुत बड़ी समस्या है और एक लाख करोड़ रुपये का कर्जा इस प्रदेश पर हो गया है उससे मुक्ति मिल जाएगी और किसान को एक दफे सौर ऊर्जा से बिजली मिल जाएगी तो प्रकृति के माध्यम से सारी समस्या का निदान हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि यह प्रदेश इस देश में सबसे समृद्ध प्रदेश बन जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी को कहकर सौर ऊर्जा पर जो आपने अनुदान घटाया है इस पर विचार करें। वो तो कह ही रहे हैं और वो खुश भी हो रहे है, वो यह देख रहे हैं कि किसान का अनुदान ये घटायेंगे तो किसान नाराज हों और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इसलिए कृषि मंत्रीजी, इस अनुदान में जो कटौती की है उसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और किसान को जितना फायदा दें उतना कम है, इस पर विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि आज तीन साल के बछड़ों को बेचने पर प्रतिबन्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे एक बहुत बड़ी विकट समस्या हो गई है कि आज हर गांव में 300-400 के झुण्ड में वो बछड़े गांवों में फिर रहे हैं और किसान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। उससे गांव में बहुत बड़ा असंतोष फैला हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर निर्णय करना चाहिए और उसको 2 साल करना चाहिए। 24 महीने का बछड़ा है, उसके होने के बाद वो गाय भी दूध नहीं देती है तो इसको 3 साल की जगह 2 साल करना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आज हर गांव में 300-400 के झुण्ड में फसल को बर्बाद कर रहे हैं। किसान रात को वहां पर पहरा देता है और फिर भी वो उस फसल को बचा नहीं पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि नील गाय के ऊपर सदन में चर्चा भी चली थी और यह ऐसा खतरनाक जानवर है कि यदि कोई किसान खेत पर सोया हुआ है तो यह जानवर इतना चतुर, चालाक है

(श्री भागीरथ चौधरी)

उसको पता लग जाता है कि यह किसान नींद में है या जगा हुआ है। यह इतना चालाक है और पूरी फसल को यह चौपट कर देता है। इसलिए इस नील गाय के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। रोजड़ा, नील गाय कुछ भी कह दो, एक ही बात है, परन्तु इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि किसानों की जो कई तरह की योजनाएं हैं इन योजनाओं का पूरा प्रचार-प्रसार नहीं होता है जिससे किसान उन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए कृषि मंत्रीजी, हर ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसानों के लिए जो लाभकारी योजनाएं हैं उनका हर किसान को पता लग जाए ताकि वो उनका लाभ ले सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आज फसल बीमा योजना है उसमें प्रतिपक्ष वालों ने तो पहले तहसील को ही एक इकाई मान रखी थी, पर मैं यह मानता हूं कि मेरी जेब में अगर 100 रुपये है और यदि उनमें से 10 रुपये गिर गये तो क्या वो 10 रुपये का मुझे नुकसान नहीं हुआ? इसलिए किसान को जो नुकसान होता है उसकी भी भरपाई होनी चाहिए। मेरा मानना है कि इसमें राजस्व गांव इकाई मानकर जो नुकसान होता है उसके आधार पर किसान को फसल बीमा का फायदा देना चाहिए। राजस्व ग्राम है और उसमें यदि 50 प्रतिशत से ज्यादा उस गांव में नुकसान हो गया तो फसल बीमा योजना में उस किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, यह भी कृषि मंत्रीजी, मेरा आप सब से निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया का और कृषि मंत्री महोदय का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा... इन्होंने दो वर्षों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना में 108 लाख कृषकों को 1,335 करोड़ रुपये दिये हैं और आपने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत 22,36,000 किसानों को 574 करोड़ रुपये दिये। आपने गत अप्रैल, 2015 में 29 लाख किसानों को 2,500 करोड़ रुपये दिये। आपने तो कभी नहीं दिये।

मैंने कहा ना उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पटवारी हमेशा पटवारखाने में रहते हैं और अक्सर दो-चार आदमी अपने विश्वसनीय होते हैं, उनको पटवारखाने में बैठाये रखते हैं और गिरदावरी उनसे पूछकर कर देते हैं। आपदा राहत मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि अब की बार उन पटवारियों

(श्री भागीरथ चौधरी)

की पोल खुल गयी थी। उनको पता नहीं था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे आपदा राहत मंत्री हैं, वह तर्क-वितर्क करते रहते हैं परन्तु पूरे मन से ये चाहते हैं कि किसान का फायदा हो और जब किसी किसान ने खेती की है और वह गिरदावरी में नहीं चढ़ा पाये और कइयों पर मेहरबानी हो गयी जो खेती नहीं करते, उसके चढ़ा दिये, उसकी तो कोई बात नहीं परन्तु किसान ने खेती की है, उसके गिरदावरी में चढ़ाया नहीं और इसलिए वह मुआवजे से वंचित रह गये थे। फिर उन पटवारियों की पोल खुल गयी थी। उनको पता है कि कांग्रेस के टाइम में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। मुआवजा मिलता ही नहीं है। मैं आपदा राहत मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने पहली दफा सारे किसानों को, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गत अप्रैल में जो मुआवजा मिला, एक भी किसान नहीं बचा जिसको मुआवजा नहीं मिला। 22 करोड़ रुपये मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिले हैं। उसके लिए मैं आपदा राहत मंत्रीजी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैसे ही ज्यादा बोलता नहीं हूं। कभी-कभी मौका मिलता है। आज मैं अमेरिका की बात करूं। किसान को कृषि मंत्रीजी, वहां 200 परसेंट मुआवजा देते हैं। वहां गारंटी है, यदि कोई किसान 100 क्विंटल अनाज पैदा कर रहा है तो उसको 200 क्विंटल अनाज के, जिंस के दाम देते हैं मुआवजे के रूप में, यह गारंटी है। अंग्रेज के बारे में आपको पता है, बाकी उनके मन में क्या है। वह एकटक लगाकर, उनकी नीयत यह है कि हिन्दुस्तान बहुत बड़ा बाजार है। वहां किसान यूनियन तो नहीं है परन्तु एक किसानों की एक कमेटी बनी हुई है, वह भाव तय करती है और उसके आधार पर गवर्नमेंट किसान की जिंस खरीदती है। यदि भाव नहीं रहते हैं तो वह उस जिंस को समुद्र में फेंक देते हैं। वह क्यों फेंक रहे हैं कि उन किसानों का मनोबल टूटने नहीं देना चाह रहे हैं। वह चाहते हैं कि एक दिन हिन्दुस्तान का किसान खेती करना बंद कर देगा और उस बाजार को हम हथिया लेंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि किसान की चिंता करने की जरूरत है। आप किसान के बेटे हो। इसलिए किसान को हम जितनी इमदाद दें, अनुदान में आप कटौती मत करो, चाहे आप और टैक्स लगा दें। किसान की माली हालत ठीक रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप किसान के ऊपर पूरा ध्यान देने की जरूरत है।

(श्री भागीरथ चौधरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन की बात है, पंचायत हैडक्वार्टर पर आज यह हालत है कि गांवों में पशु चिकित्सालय ही नहीं हैं। हैं तो वहां पशु चिकित्सक नहीं हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने कोई नियुक्ति की नहीं है। आज गांवों के अन्दर किसान का आर्थिक जरिया दो ही है, खेती और पशुधन। आज पशुधन की वजह से किसान थोड़ा-बहुत टिका हुआ है और वहां गांवों में पशु चिकित्सालय होना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कई जगह जो पंचायत हैडक्वार्टर हैं, वहां पशु चिकित्सालय की बार-बार किसान डिमांड करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पशु चिकित्सालय नये खोलें और पशु चिकित्सकों की नियुक्ति करें ताकि किसान, जो पशुओं से अपना गुजर-बसर कर रहे हैं, उनको लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई पंचायत मुख्यालय हैं खातौली, पाटन, नलू, काढा, गोठियाना, सान्दोलिया, देवपुरी डबरेला, सलेमाबाद, छोटा लाम्बा, अकोड़िया, जहां पशु चिकित्सालय नहीं हैं, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कृषि मंत्रीजी से कि वहां पशु चिकित्सालय जरूर खोलें ताकि उन किसानों को राहत मिल सके।

किशनगढ़ उपखण्ड में गांधी नगर क्षेत्र में बजरंग कालोनी में नवीन पशु उपकेन्द्र चिकित्सालय स्वीकृत कराने के लिए भी मेरा निवेदन रहेगा। यह आप जरूर करें।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में प्रचलित गौवंशीय अधिनियमों में राज्य के बाहर ले जाने वाले बछड़ों एवं साण्डों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आज गाय की सबसे बड़ी दुर्दशा है। इस देश में ही नहीं, दुनिया में जब से गाय की उपेक्षा हुई है, हर इंसान दु:खी हो गया है। मैं आपदा राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, कृषि मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि सुराज संकल्प यात्रा में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने गौशाला में अनुदान के लिए जो कहा है, गौशाला में अनुदान पूरा मिलना चाहिए। गायों का अभयारण्य बनना चाहिए ताकि ये आवारा बछड़े हैं उनको भी वहां रख सके और गायों की रक्षा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता...

श्री उपाध्यक्ष: अभी एक पूरा विषय बाकी रह गया क्या आपका? चलिये, चलिये, आप आइये सहकारिता पर।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, क्या करें?

(श्री भागीरथ चौधरी)

सहकारिता के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हर पंचायत मुख्यालय पर जीएसएस खुलना चाहिए। किसान के लिए यह बहुत बड़ी जरूरत है और सहकारिता मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना भी चाहूंगा कि अजमेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, अजमेर के कर्मचारियों को 14वें वेतनमान का लाभ नहीं मिलने के कारण समस्या खड़ी थी और निवेदन किया था। इन्होंने हाथों-हाथ अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ देकर कर्मचारियों के कल्याण की महती घोषणा को मूर्तरूप दिया।

सहकारिता विभाग में मेरा यह निवेदन है कि सहकारिता में जो ऋणी और अऋणी हैं, समान रूप से होकर उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। यह भी मेरा आपकी मार्फत सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन है।

मेरे भी विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समिति मुख्यालय हैं, वहां भी कार्यालय खुलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

नवीन मृदा एवं जल परीक्षण केन्द्र के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, यह बहुत जरूरी है और किसान के हित के लिए है। इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए और इसका कार्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र में खुलना चाहिए।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राम लाल गुर्जर।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, आपकी अनुमति से मांग संख्या 37, 39 और 36 कृषि, पशुपालन चिकित्सा एवं सहकारिता पर बोलने का अवसर दिया, सबसे पहले आपका हार्दिक आभार।

भारत कृषि प्रधान देश है और राजस्थान भी उस कैटेगरी में एक है कि राजस्थान कृषि प्रदेश है। 75 प्रतिशत गांवों की जनसंख्या है और इसमें से 62 परसेंट तो कामगार हैं, वे रेगुलर इसी पर निर्भर है, खेती और खेती से सम्बन्धित व्यवसाय पर और सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार अभी भौगालिक सर्वे के अनुसार 3,42,000 हैक्टेयर, जिसमें से 53.21 परसेंट कृषि और बुवाई वगैरह का कार्य होता है और 68.88 लाख जोत है क्योंकि पहले बड़े परिवार थे, जोइंट परिवार थे लेकिन अब धीरे-धीरे विघटन हो रहा है, छोटे परिवार हैं,

(श्री रामलाल गुर्जर)

उससे जमीन के भी टुकड़े-टुकड़े हो रहे है। तो आमदनी जितनी होनी चाहिए काश्तकार की, उतनी नहीं हो पाती और फिर कृषि जिंस की जो रेटें, भाव वगैरह हैं, वह भी उस अनुपात में नहीं मिलती है।

(18.00 बजे)

क्योंकि खाद महंगा, बीज महंगा, पिलाई महंगी, दवाई महंगी लेकिन गेहूं का मूल्य अभी उतना महंगा नहीं होने की वजह से काश्तकारों के सामने संकट ही है। कृषि गणना 2010 में कुल क्रियाशील भूमि जोत 68.88 लाख थी। राजस्थान में मानसून अनिश्चितकालीन है। मानसून समय पर नहीं आने और पूरे समय तक बरसात नहीं होने की वजह से रैगुलर यह संकट देखना पड़ता है जिससे फसलें वगैरह चौपट हो जाती हैं। इसके कारण जल स्तर भी ऊपर ऊंचा नहीं आ पाता है। जैसा कि पिछली बार हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ओलावृष्टि हुई थी उस समय बहुत बड़ी राहत दी थी और हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी नरेन्द्र मोदीजी ने एक हाथ आगे बढ़कर जो मुआवजा 25 परसेंट पर मिलना चाहिए उसको 33 परसेंट पर किया। इससे लगभग 8322 गांवों को फायदा मिला और 29 लाख 24 हजार लोगों को सहायता दी। बड़ी खुशी की बात है कि 2 हजार 471 करोड़ की अनुदान की जो राशि मिली है उससे काश्तकारों को काफी फायदा हुआ है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय वसुंधरा राजेजी और हमारे आपदा प्रबंधन मंत्रीजी ने सर्वे कराया है। बरसात की फसल जो कम बरसात की वजह से खराब हो गयी, उसके लिए अकाल घोषित करना और मुआवजे के लिए आगे केन्द्र से मदद मांगी है यह बहुत ही बढ़िया बात है। माननीय प्रधान मंत्रीजी ने फसल बीमा योजना लागू की है पहले ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता था, काश्तकार वैसे ही दुखी रहता है और दुख में और ज्यादा दुःखी होता था, लेकिन अब उनका कम प्रीमियम पर बीमा किया है इसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। 2016-17 में 1 हजार 170 किसान सेवा केन्द्रों में फर्नीचर के लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपए सरकार देगी, इसके लिए भी हार्दिक आभार। इसमें आगे मेरा आग्रह है कि जो किसान सेवा केन्द्र इससे वंचित हैं, जो नए बनने हैं उनको भी बनाया जाए और उन पर भी राशि खर्च की जाए।

प्रधान मंत्रीजी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की है इससे ज्यादातर काश्तकारों को फायदा मिला है और मिल रहा है। इस ओर भी लोगों को अधिक प्रेरित करना चाहिए, 6 लाख 28 हजार कार्ड जारी हो चुके हैं और

(श्री रामलाल गुर्जर)

अमूमन सर्वे वगैरह या जांच करने पर पाया कि जिंक, आयरन, मैग्निशियम आदि सूक्ष्म तत्वों की कमी पाई गयी है इसलिए जैविक खेती की तरफ भी अपने को आगे बढ़ना चाहिए ताकि जैविक खेती में काश्तकार आगे बढ़ सके और फसल को भी ज्यादा नुकसान नहीं हो।

उर्वरक की कमी को दूर करने हेतु 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 20 हजार मैट्रिक डीएपी भंडारण हेतु 39 करोड़ रुपये और मार्च, 2016 तक 50 हजार मैट्रिक टन जिप्सम का अग्रिम भण्डारण किया जाएगा। यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जब फसल के टाइम पर खाद की कमी आ जाती है तो थोड़ी बढ़ोतरी रखनी चाहिए। कृषकों के फव्वारा, ड्रिप, सौर ऊर्जा, डिग्गी अनुदान पर थोड़ी बढ़ोतरी करनी चाहिए। मेरा तो यह आग्रह है कि यहां पर सौर ऊर्जा को लगभग 90 परसेंट कर दिया जाए तो 10 परसेंट तो काश्तकार भी वहन कर लेता है इससे काश्तकार का भला हो जाएगा। पूरी सौर ऊर्जा लग जाएगी तो जो बिजली काश्तकारों को दी जाती है उसको चाहे फैक्ट्रियों में दें तो बिजली विभाग को भी ज्यादा इन्कम हो जाएगी। सस्ती दरों पर काश्तकारों को बिजली उपलब्ध कराने हेतु विद्युत वितरण कंपनियों को 7 हजार 205 करोड़ 13 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, यह अच्छी बात है। बिजली की चोरी अमूमन होती है, बिजली की चोरी को रोकने के लिए काफी प्रयत्न होते हैं लेकिन काश्तकारों तक ही सीमित रहते हैं। काश्तकार ही बिजली की चोरी करते हैं जबकि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में ज्यादातर पावर के लिए चोरी होती है, विभाग को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

आज राजस्थान की अधिकतर जनसंख्या कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, कृषि प्रसंस्करण विपणन के क्षेत्र पर निर्भर होने के कारण हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सुराज संकल्प यात्रा के समय वादे को पूरा करने के लिए अभी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का जो आयोजन किया है उसमें 10 करोड़ रुपया मिलेगा। कृषकों को उपज का उचित मूल्य पर दिलाने के लिए आनलाइन मंडी की व्यवस्था की गयी है, यह बहुत ही खुशी की बात है। ताकि किसानों को अपनी उपज आनलाइन बेचने की सुविधा मिल सके। राजस्थान राज्य बीज निगम एवं राष्ट्रीय बीज निगम के बीज उत्पादक कृषकों का आनलाइन पेमेंट उसके बैंक खाते में सीधा किया जाएगा तथा इसे भामाशाह प्लेटफार्म से जोड़ा जाएगा। इससे काश्तकार भाइयों को बहुत आराम मिलेगा। बरसात में अनाज का भंडारण नहीं होने से बरसात में अन्न भीग

(श्री रामलाल गुर्जर)

जाता है उसकी समस्या को दूर करने के लिए इस बार राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा 2 लाख 32 हजार मैट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण 162 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

वर्ष 2015-16 में 1 हजार पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवनों में मरम्मत व पुताई का कार्य करवाने की घोषणा की है और 2 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं, यह भी बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अमूमन देखरेख नहीं हो पाने की वजह से जर्जर अवस्था में हो जाते हैं कई जगह के पशु चिकित्सालय बाकी जगह तो देखरेख कर लेते हैं लेकिन ऐसे स्थानों पर अमूमन कम चौकसी होती है।

वर्तमान में पशु चिकित्सा में पीजी और पीएचडी में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह की छात्रवृति दी जाती है जिसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। इससे 1 करोड़ 65 लाख का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कृषि एवं उद्यानिकी सम्बद्ध सेवाओं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी आदि क्षेत्र के लिए वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में 4 हजार 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है जो वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान से 47.55 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना का 2015-16 में वित्त पोषित पैटर्न में परिवर्तित कर केन्द्रीय अंश एवं राज्य अंश का अनुपात 60:40 कर दिया है। उद्यानिकी विभाग में 1989 में पृथक से उद्यान निदेशालय की स्थापना की गयी थी इसमें 2015-16 में विभाग द्वारा आयोजना मद के 444 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि में से 107 करोड़ 31 लाख ही खर्च हुए हैं। दिसम्बर, 2015 तक तो यह कम हुआ है इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब राशि अपने पास शेष है और उसका काम नहीं हो पाया तो उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। कृषि विपणन सम्बन्धी, राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत जो पूर्व में एक लाख रुपये की सहायता राशि मिलती थी दुर्घटना होने पर उसको हमारी सरकार ने दो लाख रुपये कर दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। किसान कलेवा योजना भी काश्तकारों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें काश्तकारों को भरपेट भोजन मिल जाए तो यह बहुत अच्छा काम है।

(श्री रामलाल गुर्जर)

पशुपालन के लिए राजस्थान पशु संवर्द्धन में वैसे अग्रणी है, 11.27 लाख पशुधन राजस्थान में उपलब्ध है और हिन्दुस्तान का 11 परसेंट पशुधन यहां उपलब्ध है। वर्तमान में लगभग 5 हजार 500 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय की कोई इकाई क्रियाशील नहीं है। इसके लिए गत वर्ष भी पशु चिकित्सा सुविधाओं से वंचित 600 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले थे। इस वर्ष भी 1 हजार नवीन पशु औषधालय खोलना प्रस्तावित है जिस पर 80 करोड़ का व्यय तथा इनके संचालन पर 20 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय होंगे। यह भी बहुत ही खुशी की बात है और इसके लिए भी इनका आभार। प्रदेश में पशुपालकों को पशु बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से सभी जिलों में दूध देने वाले, भार ढोने वाले एवं अन्य चयनित पशुओं के लिए राजकीय अनुदानित भामाशाह पशु बीमा योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति के पशुपालकों को पशु बीमा की प्रीमियम राशि का 70 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य वर्ग के पशुपालकों को 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। इस योजना को भामाशाह योजना के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। 2015-16 में 93 उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया। दिसम्बर, 2015 तक 302 नवीन उप केन्द्र, 26 नवीन मोबाइल यूनिट स्थापित की गयी हैं। गौपालन के सम्बन्ध में भी पूरा काम नहीं हो पाया है जैसा होना चाहिए। 98 नई गौ-शालाओं का जरूर पंजीकरण किया गया है बाकी इस तरफ जो कार्य होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। डेयरी विकास के लिए राजस्थान में डेयरी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और डेयरी के ऊपर निर्भर हो जाए तो काश्तकार को खेती की कम आवश्यकता होती है।

क्योंकि डेयरी से जब दूध उपलब्ध हो जाता है और दूध से घी, दही, मक्खन, छाछ हर चीज उपलब्ध हो जाती है। दूध अमृत है और इसके लिए 13,576 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां, राज्य के तैंतीस जिलों में 21 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ भी हैं जो आरसीडीएफ से सम्बन्धित हैं। डेयरी फैडरेशन द्वारा काश्तकारों के भाव की थोड़ी कमी रहती है तो इस ओर इसमें आगे बढ़ोतरी करके दूध के भावों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि काश्तकारों का फायदा हो सके।

वर्तमान में सहकारिता क्षेत्र में 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक व 21 दुग्ध संघ व 3600 उपभोक्ता थोक भण्डार, 36 सहकारी भूमि विकास बैंक, 6431

(श्री रामलाल गुर्जर)

प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां, 267 फल एवं सब्जी विपणन समितियां एवं 33,064 सहकारी सिमतियां प्रदेश में पंजीकृत हैं। कृषि फसल उत्पादन हेतु अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन ऋण दिया जाता है, लेकिन इसमें जिनको मिलता है उनको मिलता है और जो वंचित रहते हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसमें भी कम से कम इस बार कोई वंचित नहीं रहे। चाहे राशि घटा दी जाए उससे तकलीफ नहीं है। बढ़े तो अच्छी है, मान लो घट भी जाती है, लेकिन सबको मिलनी चाहिए जो डिमाण्ड करते हैं। डिमाण्ड वाले वंचित नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जो काश्तकार हैं उन काश्तकारों को ही ऋण की जरूरत पड़ती है और सहकारी समिति का ऋण अच्छा ऋण है क्योंकि ब्याज में बैनीफिट है।

सहकारी विपणन संस्था, प्रत्येक मण्डी यार्ड पर क्रय-विक्रय सम्बन्धी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। शीर्ष संस्था के रूप में राजस्थान क्रय-विक्रय सहकारी संघ राजफैड कार्यरत है। उनका कार्य किसानों को उचित मूल्य पर उन्नत किस्म का खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाना है। दिसम्बर, 2015 तक 3,75,012 टन रासायनिक उर्वरक व 2886.56 टन बीज वितरित किया गया। सहकारी उपभोक्ता संघ राज्य के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपभोक्ता सामग्री वितरण करता है तो इस तरफ भी ध्यान देकर के सबको सप्लाई सिस्टेमेटिक सही रेट में हो और ज्यादातर जगह हो ताकि आम आदमी को सहूलियत मिले।

महिला सहकारी समितियां, ग्रामीण महिलाओं के लिए सशक्तीकरण, विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेषकर कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 4857 महिला सहकारी समितियां स्थापित की गयीं। महिलाओं द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दुकान, बचत, मसाला, पापड़ आदि व्यवसाय किये जा रहे हैं। कुछ महिलाओं द्वारा सिलाई व हस्तकला का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 84,122 स्वयं सहायता समूह भी हैं। 2015-16 में 1559 ने स्वयं सहायता समूह का प्रशिक्षण किया और पन्द्रह लाख की राशि स्वीकृत की गयी है, यह भी बहुत ही अच्छा काम है। वैसे जो कृषि सम्बन्धी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी भी सरकार की तरफ से पूरी देख रेख होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। मेन चीज एक और मैं कहना चाहता हूं गौ अभयारण्य की, जैसे कि पिछली बार भी मैंने डिमाण्ड की थी सवाईभोज में...।

(श्री रामलाल गुर्जर)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस मात्र दो-तीन मिनट में चैप्टर...। गौ अभयारण्य बनाने के लिए जैसा कि पूर्व में मैंने डिमाण्ड की थी तो गौ अभयारण्य की स्थापना करायी जाए और गौशालाओं को अनुदान पूरा दिया जाए। घास, चारा, बांट पर भी अनुदान अब अप्रैल के बाद दिया जाए, क्योंकि वर्षा खराब होने की वजह से अड़चन है। एक मेरे गुलाबपुरा में जो स्पिन फैड मिल बंद है उसको माननीय सहकारिता मंत्री महोदय जी और सी.एम. साहब से भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस मिल को चालू किया जाए। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक जो नये लगाये हैं उसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद। रोजड़ों की बात आई नीलगाय वगैरह की, तारबंदी जरूर की जाए, ताकि काश्तकार तारबंदी कर दे तो कम से कम बचाव हो सके। मेरे यहां दो चिकित्सा उप केन्द्र बरला और टूकरवाड दोनों जगह अलग-अलग एक-एक उप केन्द्र और दो उप केन्द्र हुरड़ा तहसील में खोलने का भी मेरा आग्रह है। आपने समय दिया बोलने के लिए इसके लिए आपका हार्दिक आभार। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक।

श्री अशोक (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। काफी सारी मेरी बातें हैं जो पूर्व में कई सदस्य बोल चुके हैं उन्हें मैं बार-बार दोहराना नहीं चाहता हूं इसलिए साधारण सी छोटी सी बात आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी के जेहन में डालना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपके विभाग ने निर्देश निकाले कि किसानों को ऋण जो पहले ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से दिये जाते थे अब उनकी वो पावर लेकर किसानों को बाध्य किया जा रहा है कि वो बैंक से ले। तीन-चार पाइंट हैं मंत्रीजी, ...(व्यवधान) जो कुल लोन किसानों को आप दे रहे थे उसमें भी बीस प्रतिशत की कटौती हो गयी। आपने यह भी बाध्य कर दिया कि ऋण किसान लेगा उसमें से पच्चीस प्रतिशत का समितियों से खाद बीज लेना पड़ेगा। उसका इंश्योरेंस भी हमारी मर्जी से हम चाह रहे हैं जिस कंपनी से हो रहा है। खाद, बीज भी वह हमारी मर्जी से ले तो यह ऋण हम किसान को कहां दे रहे हैं यह तो हम उसकी व्यवस्था अपने हिसाब से बैठा रहे हैं। उसके ऋण का आधा पैसा हम अपनी व्यवस्था से खर्च कर रहे हैं और उसके बावजूद पिछले दिनों उसको जितना

(श्री अशोक)

ऋण मिलता था उसमें कटौती करके हम उसको और बाध्य कर रहे हैं। पिछले दिनों सैकड़ों की तादाद में किसानों ने आत्महत्या की और आने वाले वक्त में ये स्थितियां और विकट होने वाली हैं।

माननीय मंत्री महोदय, थ्री टियर सिस्टम से हमारे देश में विकास हुआ। आज हम देखते हैं कि दूध से सम्बन्धित को-आपरेटिव्ज चल रही हैं उससे पूरे प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार है और हर पशुपालक को उससे सुविधा है। ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो हैं उनसे भी बीस-पच्चीस हजार कार्मिक जुड़े हुए हैं और इस काम में लगे हुए हैं। इस प्रकार से जो आपका आदेश आया है, ग्राम सेवा सहकारी समितियां इस आदेश से कमजोर होंगी। अगर वो कमजोर होती हैं तो हमारे प्रदेश का किसान कमजोर होगा और अगर इस प्रदेश का किसान कमजोर हुआ तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य कमजोर हो जाएगा।

माननीय मंत्री महोदय, मैं सीधा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस निर्देश को आप वापस लें। उन सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण बंटवाया जाए, क्योंकि आप जिन को-आपरेटिव बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण लेने के लिए कह रहे हैं, बहुत से किसानों का तो उनमें खाता भी नहीं है और कई काश्तकारों से वो ब्रांचेज बीस-पच्चीस से लेकर 40-50 किलोमीटर दूरी पर है जो कि एक गरीब काश्तकार जो अपनी खेती करने के लिए सरकार से लोन मांग रहा है, लोन में मदद मांग रहा है, ब्याज में छूट मांग रहा है उसकी भागदौड़ बढ़ा देंगे आप इस आदेश से। मैं समझता हूं कि यह उस किसान के हित में नहीं है। उस किसान के लिए बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी कि काश्त करने में आगे आने वाले वक्त में उसके चेलेंजेज और ज्यादा बढ़ जाएंगे।

माननीय मंत्री महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियां लम्पसम साढ़े सात हजार के आस-पास पूरे राजस्थान में हैं और बीस-पच्चीस हजार लोग इसमें काम कर रहे हैं उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं वो हतोत्साहित होते हैं। आपकी सरकार पन्द्रह लाख रोजगार देने की बात करके राज में आयी है, आलरेडी जिनको रोजगार मिल रहा है वो लोग भी हतोत्साहित होकर उस रोजगार को छोड़ देंगे। मंत्री महोदय, सरकार का मानीटरिंग का काम है। मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। कोई भी सिस्टम है, सरकार का मानीटरिंग का काम है। अगर आपको लगता है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति से पैसा डिस्ट्रिब्यूट करवाने से कहीं न

(श्री अशोक)

कहीं कोई कमी रह रही है या किसानों को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है या कहीं न कहीं कोई लूपहोल है तभी आपने ऐसा आदेश निकाला होगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी मानीटरिंग करें और पूरे तरीके से उसी संस्था के माध्यम से उस पैसे को बंटवाए। मंत्री महोदय, आज आपकी सरकार अच्छे दिन कह कर राज में आयी है और किसान, छात्र, हर वर्ग ने आप लोगों को इसमें समर्थन दिया है, आप लोगों को यह राज दिया है।

इन समितियों को कमजोर करने से किसानों के अच्छे दिन नहीं आने वाले, किसानों के बुरे दिन आने वाले हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक डेढ़ साल में मैंने सरकार का जो रवैया देखा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कमजोर किया जा रहा है, स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सरकारी कालेजेज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मेडिकल डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रोडवेज के प्राइवेटाइजेशन की हम लोग बात सुन रहे हैं। इससे ऐसा महसूस होता है कि यह सरकार मानीटरिंग के नाम पर, काम करने के नाम पर अपने हाथ खड़े करना चाह रही है। हर चीज अगर प्राइवेट हाथों में देना है तो फिर सरकार क्या करेगी।

आज हम यहां बजट पर चर्चा कर रहे हैं, हर बार बात आती है कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने यह कर दिया, कांग्रेस ने क्या किया। माननीय सदस्यगण को मैं बताना चाहता हूं आप निकालें कि कौनसी पार्टी ने पिछले 25 सालों में राजस्थान में ज्यादा राज किया है तो आपको पता लग जायेगा। किसान की स्थिति, परिस्थिति इस प्रदेश में क्या है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आप से हमसे छुपी नहीं है। इसके ऊपर सरकार और विपक्ष दोनों एकमत हैं कि इस प्रदेश के किसान की स्थिति हर साल नाजुक होती जा रही है। उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके बच्चे के स्कूल की फीस बढ़ रही है, खाद और बीज की कीमत बढ़ रही है। कइयों के पास कनेक्शन नहीं है, इंजन से जो वह पानी पिलाई करता है उसके ट्रैक्टर के डीजल की कीमत बढ़ रही है। हर चीज की कीमत बढ़ रही है मगर फसलों की कीमत वहीं की वहीं है। चैलेंजेज उसके हर साल बढ़ते जा रहे है लेकिन उसको इनोवेशन के नाम पर कोई एडिशन इस वक्त में किसी भी पालिसी के माध्यम से नहीं हो रहा है।

मेरा सरकार से सीधा सीधा निवेदन है कि पक्ष-विपक्ष की बात को छोड़कर, कांग्रेस, बीजेपी की बात को छोड कर, इस सदन के बाहर कांग्रेस,

(श्री अशोक)

बीजेपी हैं, इस सदन के बाहर दो विचारधाराएं हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं यह दोनों विचारधारा एक हो नहीं सकती, दो सगे भाइयों में भी विचारों का फर्क हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इस सदन में आने के बाद अपनी विचारधारा को इस सदन से बाहर रख कर प्रदेश का न केवल किसान बल्कि छात्र, महिला सुरक्षा ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिन पर पार्टी से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। अगर किसी ने कोई गलती की है तो देश का कानून उसको अपने आप सज़ा दे देगा, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा।

सहकारिता मंत्रीजी, आप किसान के बेटे हैं, आप किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इन चीजों को अगर कोई अंधा पढ़ेगा, देखेगा कि किसान जिसको लाख रुपये कृषि ऋण मिल रहा है उसको अगर 80 हजार रुपये दे दिये जाएं, उसको आप बाध्य कर देंगे कि आपको तो यह बीज, खाद लेने पड़ेंगे, 25 रुपये का माल तो मेरे से ही लेना पड़ेगा, बाकी कुछ भी करो। हो सकता है उसको खाद की जरूरत न हो, हो सकता है वह जैविक खेती करना चाहता हो, हो सकता है उसने गोबर गैस के माध्यम से, केचुएं खाद के माध्यम से कुछ और सिस्टम डवलप कर रखे हों, उन सिस्टमों के लिये उसको ऋण की जरूरत पड़ रही हो और उस खाद को वह अपनी कृषि में इस्तेमाल करे हो सकता है उसने खुद ने बीज की नई वैराइटियां तैयार कर रखी हों, हो सकता है और उसी बीज के डवलपमेंट के सिस्टम में उसको ऋण की जरूरत पड़ रही हो। किसान को सुविधा देने से पहले यह क्यों मान लेते हैं कि यह जो काम करेगा, काम कैसे करेगा इसका निर्धारण हम करेंगे। अगर काम कैसे करेगा इसका निर्धारण हम करेंगे तो इस देश में नये तरीके का कोई इनोवेशन होगा ही नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम उसको पुराने तरीकों में बाध्य कर देंगे इस दुकान से आपको खाद लेना है, इस दुकान से बीज लेना है, इस दुकान से डीजल लेना है, इस दुकान से मजदूरी लेनी है, इस चौराहे से आपको मजदूर मिलेंगे, जब तक नये तरीकों का इनोवेशन नहीं होगा, जब तक नई सोच से, नई सुविधाओं से किसान काम नहीं करेगा, नये तौर तरीकों से काम नहीं करेगा तब यह चैलेंजेज, यह जो स्थितियां उसके सामने बनी हुई हैं वह उसको कैसे फेस करेगा, यह हमें सोचने की जरूरत है।

माननीय, क्योंकि ज्यादातर बातें कवर हो गयी थीं इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता लेकिन सहकारिता मंत्रीजी से इतनी आशा जरूर

(श्री अशोक)

करता हूं कि यह पूरा सदन, करीब करीब हर सदस्य ने आपकी पार्टी के सदस्यों ने भी इसके ऊपर चिंता जताई है, विपक्षी पार्टी के भी हर सदस्य ने इस पर चिंता जताई है। ऐसा नहीं है कि इस सवाल को उठाने में हमको कोई कमीशन मिलने वाला है। मेरे को लगता है कि इसके ऊपर आप कुछ कार्यवाही करेंगे, किसान को मिलने वाले ऋण की जो तादाद है उसको कम नहीं करके जैसी भी व्यवस्था करें, व्यवस्था करना सरकार का काम है। हम किसान को इस भरोसे नहीं छोड़ सकते कि हमको आगे से इतना मिल रहा है, हमारी व्यवस्था इतनी बैठ रही है तो हम यह दे सकते है बाकी राम का नाम ले और मजा कर, किसान को हम यह बहाना नहीं दे सकते, हमको उसको डिलेवर करना पड़ेगा। वह आशाएं, वादे, जिस चीज की वह हमसे एक्सपैक्टेशन करता है, जिस तरीके से वह सरकार को भगवान के रूप में देखता है उसी प्रकार से सरकार को डिलेवर करना पड़ेगा। अगर सरकार डिलेवर नहीं करती है तो आने वाले वक्त में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, अगर जन मानस राजनीतिक लोगों के खिलाफ हो गया, जन मानस सरकारों के खिलाफ हो गया तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में किसान की ही नहीं, आपके और हमारे जैसे नेताओं की भी स्थितियां बहुत दूभर हो सकती हैं।

आखिर में मेरा आपसे इतना सा निवेदन है कि इस पर आप ध्यान दें। किसान के ऋण में कमी न करें। पहले जो 6 प्रतिशत जमा राशि को-आपरेटिव्ज बैंक को देते थी उसको बढ़ा कर 9 प्रतिशत कर दिया। अच्छे दिन जब आते जब उसको 6 से कम करके 3 प्रतिशत करते, उसको 9 प्रतिशत करने से किसान के कहीं भी अच्छे दिन नहीं आने वाले। किसान के ऋण कम करने से कहीं भी अच्छे दिन नहीं आने वाले। उसको 50-50 किलोमीटर दौड़ाने से उसके अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं और उसके सपनों के ऊपर घात करने से कहीं भी अच्छे दिन नहीं आने वाले। मेरा निवेदन आप स्वीकार करें, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 36 सहकारिता, मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा की डिबेट में मुझे हिस्सा दिया इसके लिये आपका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मांग संख्या 36 पर आपके

(श्री पूरणमल सैनी)

माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरे छोटे छोटे सवाल हैं और उनके साथ हमने सहकारिता में पिछले 10 साल से लगातार काम किया है, इसलिए कुछ सुझाव भी हम देना चाहेंगे। मैं मांग संख्या 36 के माध्यम से मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगा कि वैसे तो किसान का जो काम है वह पूरा का पूरा प्रकृति पर आधारित है लेकिन साथ ही सरकार के माध्यम से अगर किसानों की कोई मदद की जा सकती है तो उसमें सहकारिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और उस हिस्से में जैसे मेरे पूर्व वक्ता के रूप में माननीय सदस्य चांदना साहब बता रहे थे कि किसानों को जो ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिलवाया जाता है उसमें माननीय मंत्री महोदय ने विभाग संभालने के बाद बजट में काफी कटौतियां कर दी। माननीय मंत्री महोदय के मन में एक सवाल खड़ा हो सकता है कि बजट बढ़ गया लेकिन उसके बावजूद भी इनमें कोई विशेष उपलब्धि नहीं है क्योंकि हर बार जब ग्रामीण कार्य निर्देशिका में विकास कार्यों की दरें बाजार भावों के अनुसार तय की जाती हैं उसी प्रकार खेती में भी किसान के लिये बजट आपने बढ़ाया। बाजार मूल्य तो बढ़ ही बढ़ गये उसके साथ साथ उन किसानों को खेती में मशीनरी, दूसरे बीज या दूसरी और चीजें विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता किसान को खेती करने के लिये होती है, उनकी दरें भी वहां बढ़ गयीं इसलिए जो बजट का प्रावधान आपने किया है वह काफी कम है और यह इस बात से एहसास हो सकता है कि सहकारिता के माध्यम से नये कृषकों को ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से उनकी संख्या जिस गति से बढ़ रही थी अब वह बढ़ने के बजाय और जब विभिन्न सहकारिता बैंकों के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को जो लोन दिया जा रहा है उसमें बजट के अभाव में और काफी कम किसानों को इसका लाभ मिल पा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि बैंक के माध्यम से और चैक के माध्यम से किसान के ऋण का भुगतान करने का काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष, किसान का वह पैसा व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक जब बैंकों में बैठकर उनकी पर्चियां भरते थे। निश्चित रूप से किसान सारे ही साक्षर नहीं हैं, उनके भुगतान में से जब कैश व्यवस्थापकों के हाथ में कैशियर के माध्यम से आता था तो किसानों को उनकी पासबुक और उनका बचा पैसा खर्चा बताते हुए लौटा दिया जाता था और जब दुबारा वो

(श्री पूरणमल सैनी)

नया—पुराना करने आता था तो अपने पढ़े-लिखे बेटा-बेटी को दिखाकर आता था। उस समय किसान निरक्षर है इसलिए उसको याद रहता था कि पिछली बार व्यवस्थापक ने मुझे तो केवल 5000 रूपये दिए थे और उन्होंने 5700 क्यों लिख दिए? तो उनको पता चला कि 700 रुपये वो ले गये। तो इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि यह आपकी अच्छी उपलब्धि है।

लेकिन अब गड़बड़ यह आ गयी है कि पिछले दिनों श्रीमान रजिस्ट्रार ग्राम सेवा सहकारी समिति, जयपुर के एक आदेश एफ-26 के माध्यम से आपने एक निर्देश दिया राजस्थान की सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को वेतन श्रृंखला नियमित करके। पहले उनको मानदेय के रूप में पांच हजार – छह हजार – सात हजार रुपये वहां के मण्डल या वहां के बोर्ड के अनुसार देय था। राजस्थान सरकार ने 2014 में उनका वेतनमान फिक्स करते हुए उनका फिक्सेशन फर्मा दिया, लेकिन उसमें त्रुटि यह रही कि वेतनमान फिक्स कर देने के बाद भुगतान कहां से लेंगे? यह उसमें किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं फर्माया और साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रार महोदय ने एक आदेश जारी किया ऋणदात्री संस्था का काम ऋण देने का है और जब किसान के द्वारा वापस ऋण जमा किया जाता है। सात प्रतिशत ब्याज पर ऋणदात्री संस्थाएं उन किसानों को ऋण उपलब्ध करवाती हैं। उनमें से चार प्रतिशत राजस्थान की सरकार वहन करती है और तीन प्रतिशत केंद्र की सरकार वहन करती है। जब सहकारी समितियां किसान के माध्यम से इसके लिए काम करती हैं तो उनको बैंक को केवल साढ़े पांच प्रतिशत जमा करना पड़ता है सहकारी समितियों के पास डेढ़ प्रतिशत राशि उस ब्याज में से उनके खाते में बचती है। लेकिन रजिस्ट्रार महोदय के आदेश ने पाबंद फ़र्मा दिया कि विभिन्न स्रोतों से किसानों के लिए ब्याज के रूप में जो अदायगियां की जाती हैं उन अदायगियों में से किसी भी प्रकार की कोई कटौती और वेतन नहीं लिया जाए। अगर व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक के द्वारा उसमें से वेतन ले लिया गया तो सहकारिता एक्ट की धारा 57 में गबन की श्रेणी में माना जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से सवाल करना चाहूंगा कि वे अपने विभाग से यह पूछें जब सहकारी समितियों में जो भी सोर्स आफ इन्कम थे। उन सभी को पाबंद फरमाते हुए आपने यह कह दिया और वेतनमान फिक्स कर दिया तो फिर वे वेतन कहां से लेंगे? यह उस आदेश में नहीं बताया गया है।

(श्री पूरणमल सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा डेढ़ प्रतिशत राशि जो उनके पास बचती है, जो सरकार ने वेतनमान व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक का फिक्स कर दिया उसमें उनका प्रोविजन फर्माया जाए। उसमें से भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान की सरकार नहीं, केंद्र की सरकार और दूसरे प्रदेशों की सरकारों में भी लोक कल्याणार्थ बहुत-से विभागों की योजनाओं को चलाया जा रहा है। सरकारें चलाती हैं लेकिन रिफंड के रूप में वहां से कुछ नहीं मिलता। तो, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब सरकार के द्वारा दूसरी योजनाएं लोक-कल्याणार्थ चलाई जा रही हैं तो किसान कल्याणार्थ आप भी ग्राम सेवा सहकारी समिति को मानते हुए जैसे ग्राम पंचायत कार्यालय में संचालन हेतु ग्राम सेवक लगाए गये हैं, उनका पूरा का पूरा वेतन राजस्थान की सरकार वहन करती है, चाहे वो रोजगार सहायक के रूप में लगे हों, जिनको आज लिपिक के रूप में बना दिया गया है। वहां से भी रिफंड के रूप में पंचायत ही पैसा उनको देती है। चाहे वो एस.एफ.सी के माध्यम से, टी.एफ.सी. के माध्यम से या दूसरी किन्हीं मदों के माध्यम से और उनका भुगतान भी राजस्थान की सरकार करती है। जैसे स्कूली क्षेत्र में अध्यापक के रूप में काम कर रहे अध्यापकों को भी सरकार के द्वारा ही तनख्वाह दी जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब किसान के बेटे-बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार लोक कल्याणार्थ स्कूल के अध्यापकों को भुगतान कर सकती हैं और ग्रामीण विकास कार्यों के लिए ग्राम सेवक लगाकर उनकी तनख्वाह राजस्थान की सरकार वहन कर सकती है तो क्यों नहीं किसानों के लिए चल रही ग्राम सेवा सहकारी समितियों में काम करने वाले व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों को भी भुगतान राजस्थान की सरकार करे।

दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इससे अलग प्रभाव यह हुआ कि जब यह वेतनमान फिक्स किए गये और माननीय रजिस्ट्रार महोदय के आदेश ने व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापकों को वेतन लेने से पाबंद किया उसके बाद राजस्थान की सहकारी समितियों में काम करने वाले व्यवस्थापक हड़ताल पर चले गये। हड़ताल पर चले जाने से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियां जब लोन बांटती हैं तो उसकी रिकवरी की रबी और खरीफ, दोनों फसलों की तारीखें तय की हुई हैं राजस्थान की सरकार के द्वारा। जैसे 31 मार्च से पहले-पहले रबी की फसल की

(श्री पूरणमल सैनी)

रिकवरी किसान से बैंक करेगा या ग्राम सेवा सहकारी समितियां करेंगी। 31 मार्च में और दो दिन कम हैं परसों-तरसों आने वाला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को इस बात का ध्यान है, उनके पास आंकड़े उपलब्ध हैं। आज तक ज्यादा से ज्यादा दस से पंद्रह प्रतिशत राजस्थान की सहकारी समितियों में ऋण बंट पाया है। पहले तो पैसे का अभाव था, अब ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक वेतनमान फिक्स कर देने के बाद हड़ताल पर चले गये। किसान एक तरफ जब प्रकृति पर आधारित है तो बरसात के अभाव में और जहां फसलें पैदा हो गयी थीं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी बार-बार आपदा राहत में सदन में जवाब देते रहते हैं कि जहां भी ओलावृष्टि हुई है और किसानों का नुकसान हुआ है उनको तुरंत हम अनुदान का भुगतान करवाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान के भुगतान मात्र से मान लिया, विभिन्न सरकारों ने जब तैंतीस परसेंट से बढ़ाकर पचास प्रतिशत खराबा तय कर दिया, लेकिन पचास प्रतिशत खराबा बता देने के बाद भी जो अनुदान राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार के द्वारा देय है, उससे किसान की पूर्ति होने वाली नहीं है। केवल हम सरकार से वो ही अनुदान उन किसानों को करवा रहे हैं जो किसान ने खेती पर हल चलाकर या उसमें बीज बोकर या उनकी सिंचाई करके खर्चा कर लिया, उस खर्चे का ही अनुदान के रूप कुछ हिस्सा उनको सांत्वना स्वरूप में देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इस बात की चिंता आज तक अकेले राजस्थान की सरकार और केन्द्र की सरकार का दोष नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है, पिछले सात दशकों में ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब प्रकृति ने उन किसानों का साथ नहीं दिया, कहीं सूखा पड़ा है तो उनके पास पैदा नहीं हुआ और पैदा नहीं हुआ तो वे रिफंड करने की स्थिति में नहीं हैं। पहले व्यवस्था यह थी कि किसान बैंक में व्यवस्थापक के साथ जाए और अपना वाउचर भरकर दे दे, फिर तुरंत अंतर का पैसा ले जाए और अपना काम चला ले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल माननीय मंत्री जी के विभाग ने यह तय कर दिया है कि किसान अपना पूरा पैसा सात दिन पहले बैंक में जमा करे और सात दिन के बाद अपनी उस राशि को दुबारा आहरित करे। जब किसान के यहां पैदा ही नहीं हुआ तो वो सात दिन पहले राशि को बैंक में कहां से जमा करेगा?

31 मार्च रबी के लिए तारीख तय की हुई है, वो आ चुकी है और

(श्री पूरणमल सैनी)

किसान की किसी प्रकार की कोई पैदा नहीं हुई। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसानों को, ऋणदात्री संस्थाओं को पुनः एक आदेश जारी करें। पूर्व में भी आप की ही सरकार ने पिछले वर्ष भी ऐसा किया था जब किसान समय पर ऋण अदायगी नहीं कर पाया था तो आपने समय बढ़ाया था। मैं पुरज़ोर और कोई चीज नहीं मांग कर पूरे राजस्थान के उन गरीब किसान जो सहकारी समितियों और ऋणदात्री संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तारीख में वृद्धि की जाए और कम-से-कम जून तक इसको वापिस जमा किया जाए। जब भी सहकारिता मंत्री महोदय जवाब दें तो एक तो, सदन को यह अवगत कराएं कि व्यवस्थापक सुचारू रूप से काम करने के लिए अपनी तनख्वाह कहां से लेंगे और दूसरा, यह बताएं कि इसकी तारीख राजस्थान के किसान के हित में कब तक बढ़ा रहे हैं?

माननीय उपाध्यक्ष बार-बार इशारा कर रहे हैं। दूसरे मंत्री जी के लिए एक बात कहना चाहूंगा, काफी कुछ जो हो सकता है वह सारे ही मंत्री प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी योजनाएं, जब सदन में सवाल होते हैं तो आप तो अंग्रेजी में भी उनका जवाब दे देते हैं लेकिन राजस्थान का वह किसान निरक्षर है, उनके बेटे-बेटी भी, पानी का सूखा है इसलिए उनका ध्यान नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास विभिन्न संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं में चाहे वह पशु के क्षेत्र में ले लीजिए, इन्होंने संस्थाएं खोल दीं, बहुत बड़े उपकार किए। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस कड़ी में मेरे यहां भी इन्होंने पशु केन्द्र खोले हैं, लेकिन वह खाली पड़े हैं। उस विभाग में भी प्रोवीजन करें। बजट में नहीं हो पाया तो दुबारा उसमें सुधार करें। इस बार कार्मिकों को और किसानों को समझाने के लिए बजट प्रावधान करते हुए, बेरोजगारी भी इससे खतम होगी। किसानों तक भी सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति की पहचान होगी, आपके नुमाइंदे वहां जानकारी देंगे तो उन किसानों को भी फायदा मिल पाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही सब कुछ कहते हुए आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

श्री उपाध्यक्षः श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 36,37 व 39 पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत

(श्री कैलाश चौधरी)

बहुत धन्यवाद। आज किसान की बात हो रही है। यहां हम सभी सदस्य बैठे हैं, सभी यही कहते हैं कि हिन्दुस्तान की आत्मा गांवों में बसती है। हम सब किसान वर्ग से आते हैं, 80-90 प्रतिशत माननीय सदस्य किसान है। ऐसी महत्वपूर्ण मांग पर सुबह से बहस हो रही है। जब हम चुनाव के अन्दर जीतकर आते हैं तो उस समय किसान की सब बात करते हैं। जीतकर आने के बाद सदन के अन्दर बैठते हैं तो उस समय किसान को भूल जाते हैं। कोई किसान की बात नहीं करता। यहां छोटी-मोटी बातों पर बहस की जाती है। दूसरे विषयों पर हम कैसे यहां व्यवधान डाले, इस बात की जरूर चिंता होती है लेकिन किसान की बात पर कोई ध्यान नहीं देता।

मैं यह कहना चाहूंगा कि किसान आज से दुःखी नहीं है, किसान कई सदियों से दुःखी है। किसान की हर समय समस्या होती है, उसके समाधान की कोई चिंता नहीं करता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी वस्तु बनाते हैं तो उसकी कीमत तय होती है। अपन बाजार में कोई भी वस्तु लेने जाएंगे, साबुन लेने जाएंगे तो उसके ऊपर कीमत लिखी होती है। टीवी, ए सी लेने जाएंगे तो उसके ऊपर भी कीमत लिखी होती है। एक छोटी सी माचिस होती है उसके ऊपर भी कीमत लिखी होती है, व्यापारी तय करता है कि उसमें कितनी मजदूरी लगी, कितनी कास्ट आई, कितना ट्रान्सपोर्टेशन खर्चा आया, वह सब जोड़ने के बाद, 10,20,50 परसेंट नफा जोड़ने के बाद देता है लेकिन धरती पुत्र अन्नदाता जो पूरी मेहनत करता है, पूरी तपस्या करने के बाद जब मण्डी में बेचने के लिए जाता है तो उस समय उस फसल की कीमत वह किसान तय नहीं करता है, कोई व्यापारी उसकी कीमत तय करता है, आज किसान की यह दशा क्यों है। किसान की दशा का कोई कारण है तो सबसे ज्यादा जिस सरकार ने शासन किया, वह है। सामने खड़े होकर कई बार प्रतिपक्षी भाई बोलते हैं, सुबह से बोल रहे हैं। वास्तव में कोई अगर उसका गुनाहगार है तो वह सरकार है जिन्होंने सबसे ज्यादा शासन किया। उन लोगों ने अगर किसान की चिंता की होती तो आज किसान को आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होना पड़ता। जब-जब किसान की कोई चिंता की गयी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय की गयी। बाजार के अन्दर आज कोई भी चीज देख लें, मोटर साइकिल होती है तो उसका इंश्योरेंस होता है, व्यक्ति का इंश्योरेंस होता था। किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी, पर किसान का कोई इंश्योरेंस नहीं होता था।

(श्री कैलाश चौधरी)

पहली बार हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी ने किसानों के लिए नई फसल बीमा नीति लागू की। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद दस साल दुर्भाग्य से इनका शासन रहा, उसमें कोई सुधार करने का कभी प्रयास नहीं किया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी जब बने, बनते ही उन्होंने नई फसल बीमा नीति लागू की। पहले तहसील को इकाई मान रखा था, अब तहसील की जगह रेवेन्यू विलेज को इकाई माना है। किसी खेत में अगर बरसात में, नाले से बहकर पानी आ जाता है और एक खेत बर्बाद हो जाता है तो उसको भी इंश्योरेंस कवर में माना गया। पहले कई फसलों पर 10 परसेंट, कई पर 15-20 परसेंट प्रीमियम देना पड़ता था लेकिन अब उसमें कटौती कर दी गयी। अब रबी की फसल पर दो परसेंट और खरीफ की फसल पर डेढ़ परसेंट प्रीमियम देना पड़ेगा। फसल बीमा नीति लागू की गयी उसके बाद अगर किसान के कोई बरसात नहीं हुई, खेत बोने की भी स्थिति नहीं आई तो उसको भी इंश्योरेंस मिलेगा, इतनी बड़ी योजना प्रारम्भ की। किसान की भूमि के अन्दर क्या उत्पादन होना चाहिए, किस फसल को बोना चाहिए इसकी भी आपने कभी चिंता नहीं की। मृदा हैल्थ, उसकी जांच के लिए सोइल हैल्थ कार्ड बनाने का एक रिकार्ड बनाया।

पहले 50 प्रतिशत का खराबा होता था उस समय किसान को मुआवजा मिलता था। उसकी जगह 33 प्रतिशत खराबा होने पर मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं हमारी मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजेजी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पिछली बार जब आपदा आई तो विधान सभा को दो दिन के लिए स्थगित करके सभी विधायकों को भेजा और फसल का जायजा लिया। उसके बाद मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया।

नदियों से नदियों को जोड़ने की बात आई तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने नदियों से नदियों को जोड़ने की बात की। उसकी योजना भी बनाई। दुर्भाग्य से दस साल आपका शासन रहा, नदियों से नदियों को जोड़ने की कोई चिंता नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में किसानों की चिंता इनको थी ही नहीं। अगर इन्होंने किसानों की चिंता की होती, इनके प्रमुख, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने तो एक बार कह दिया कि लाल मिर्च महंगी है और हरी मिर्च सस्ती है तो लाल मिर्च ही बो दो, सीधी लाल मिर्च ही बो दो, अब उनको क्या पता। नदियों से नदियों को जोड़ने की बात आई, मैं इनके नाम लूंगा तो इनको एतराज हो जाएगा लेकिन पप्पू कहते हैं सभी, कोई उनको

(श्री कैलाश चौधरी)

मुन्ना कहते हैं। उन्होंने एक दिन क्या कह दिया कि नदियों से नदियों जोड़ दी गयीं तो पर्यावरण खराब हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। हर किसान चाहता है कि नदियों से नदियों जुड़ेंगी तो किसान खुशहाल होगा। किसान के लिए बहुत बड़ी सौगात है नदियां से नदियों जोड़ना। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ की वजह से लोग मर जाते हैं। राजस्थान में कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी की कमी से लोग मर जाते हैं। अगर वहां से यहां पानी आ जाएगा तो कैसे पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा लेकिन जिसको पता ही नहीं कि किसान क्या होता है, कौनसी रबी की फसल होती है, कौनसी खरीफ की फसल होती है, ऐसे अगर इनके मुखिया होंगे तो निश्चित रूप से इनको तो हां में हां मिलानी है। उनको कैसे खुश करें इसकी चिंता है इनको। सुबह भी किसी बात पर इन्होंने हंगामा खड़ा किया।

मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि किसान की हम सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए। मंत्री महोदयजी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब-जब विकास हुआ है, चाहे सड़कों का विकास हुआ हो, हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम हुआ हो, विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की बात हुई हो, या पंचायतों का पुनर्गठन करना हो, हमारी सरकार के अन्दर हुआ है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा मंत्री महोदयजी...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांग संख्या 36,37,39 में माननीय मंत्रीगण का जवाब आकर पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय मांग संख्या 36,37 और 39 के पारण तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37, 39 व 36 पर विचार

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): मंत्री महोदय, जब भी विकास हुआ है तो अपने शासन के अन्दर हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनसे तो कोई

(श्री कैलाश चौधरी)

उम्मीद नहीं है, लेकिन अपन आने वाले समय के अन्दर किसानों के लिये ऐसा कुछ करें कि जो किसान की समस्या है उसका समाधान हो सके। किसानों के लिये आज कई ऐसे काम हैं, जिनको अपन को करना चाहिये। विद्युत के बारे में भी मैं कहूं, विद्युत मंत्रीजी यहां नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसानों के लिये हम ऐसा कुछ करें कि आज विद्युत है, उसके अन्दर किसान को छह महीने के अन्दर, जैसा हमारे दो महीने के अन्दर बिल आता है, उस बिल को अगर हम छह महीने में, जब उसकी फसल कट जाए उस समय पूरा बिल अगर साथ में दे दें तो किसान को एक लाभ देने का काम होगा। इसी के साथ में कई ऐसे कनेक्शन भी हैं, जिनको अस्थाई कनेक्शन अगर अपन देते हैं, अगर अस्थाई कनेक्शन दे देंगे तो किसान पहले से ही वह पैसा देने के लिये तैयार है। छह महीने की या चार महीने की एक किश्त तय कर लें कि इतना आपका बिल आयेगा। अगर उसको एक अस्थाई कनेक्शन मिल जायेगा तो किसान को चोरी करने की नौबत नहीं आयेगी। आपको रेवेन्यू भी मिलेगा। इसलिये किसान के लिये, विद्युत का हालांकि विषय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा, अगर इसको अपन करते हैं तो यह किसान को एक लाभ देने का काम होगा।

दूसरा, जिस तरह से जैविक खेती के बारे में 12 जिलों को लिया गया है। जैविक खेती की आज हम सबको, क्योंकि देश के अन्दर जिस तरह से पेस्टीसाइड बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हमें जैविक खेती के ऊपर भी पूरी तरह से ध्यान देना चाहिये। अगर हम जैविक खेती को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का भी लाभ होगा। दूसरा, मैं यह भी कहूंगा कि किसान को ऋण तो लेना है पांच लाख का लेकिन उसकी जमीन, अगर बीस लाख की या पचास लाख की है, जितनी है, वह पूरी गिरवी कर ली जाती है। उसकी पूरी जमीन को गिरवी रख लिया जाता है, उसके भाई अगर वे अलग भी हो जाते हैं तो भी वे खेत को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर ऋण है। इसलिये अगर ट्रैक्टर है या कोई भी ऋण है, अगर वह दो लाख की चीज है तो उसमें चार लाख तक की जमीन लें, पांच लाख है तो उसमें दस लाख तक की जमीन ले लें लेकिन पूरा का पूरा खेत अगर अपन उस ऋण के अन्दर ले लेंगे तो किसान को उसकी पीड़ा रहती है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसान का जितना खेत है, जितना ऋण लेता है उतना ही उसकी जमीन को गिरवी रखा जाए तो किसान के लिये लाभ का काम होगा।

(श्री कैलाश चौधरी)

गायों की जो दशा है उसके ऊपर भी मैं बात कहूंगा कि आज गौ माता है, उसकी दशा के ऊपर हम सबको चिन्ता करनी चाहिये। गायों के लिये हम किस तरह से अनुदान को बढ़ा सकते हैं। गाय के लिये हम क्या कर सकते हैं, गौ माता की आज कितनी महत्ता है, गाय को हमने माता माना है। उस गौ माता के लिये हमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कितनी उसके अन्दर विशेषता है, गाय के दूध के अन्दर कितने गुण हैं, गाय के गौमूत्र के अन्दर कितने गुण हैं। गाय किसान के लिये बोझ नहीं है लेकिन उसको अपने को बताने की आवश्यकता है। आज बैल हैं, उन बैलों की भी जो समस्या है, उसका भी हमें किसी तरह समाधान करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि बैलों के लिये ऐसी एक योजना बनाएं कि जो किसान बैलों से खेती करेगा उसको सरकार कुछ न कुछ मुआवजा, सहायता देगी तो उस बैल की तरफ किसान दौड़ेगा। वह जब तक ट्रैक्टर चलाएगा, अगर उसको ऐसा कुछ हो, जिसके 20 या 25 बीघा की जमीन हो, ऐसे किसानों को उसमें ले सकते हैं। जिसमें अगर कोई एक या दो बैल रखता है, और वह बैल से खेती करेगा तो उसको सरकार सहायता देगी। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से किसान गाय की ओर जाएगा और बैल को भी रखने का प्रयास करेगा। इसलिये बैल को कैसे हम संरक्षित कर सकें, गौ माता के लिये हमें ज्यादा से ज्यादा आज गौशालाओं के अन्दर भी अपने को अनुदान देने की आवश्यकता है। इस बात का भी मैं आपसे निवेदन करुंगा।

हमारे मंत्रीजी तो बहुत अच्छे हैं, किसान हैं, किसान की चिंता करते हैं। लेकिन मैं आपसे यह भी कहूंगा कि बीज वितरण के समय में मानिटरिंग की बहुत आवश्यकता है। जब बीज का वितरण होता है किसान को जिस समय मिलना चाहिये, उस समय यह मिलता नहीं है और उसके बाद में मिलता है, जो उस किसान के काम नहीं आता। उसके बाद में कई ऐसे खराब बीज भी होते हैं, आने वाले समय में उसकी नस्ल को भी खराब करने वाले बीज होते हैं। ऐसे बीज जो कम्पनी वितरण करती है या ऐसे जो अधिकारी उनको बेचते हैं, उनमें सहयोग करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये ताकि ऐसे बीज बाजार के अन्दर, उस खेत में किसान के पास नहीं जाएं। इस बात की भी हम सबको चिंता करनी चाहिये। किसान हैं और किसान के बेटे होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है। क्योंकि हम जहां से जीत कर आते हैं, वहां सब हम किसान से वादा करके आते हैं। तो निश्चित रूप से किसान से वादा

(श्री कैलाश चौधरी)

करने के साथ हम सब किसान के बेटे हैं, किसान हैं, इसलिये किसान की हम सबको चिंता करनी चाहिये। निश्चित रूप से मैं आज यहां पर मंत्रीजी से यही कहूंगा कि आपकी मांग, जो आज हमने यहां पर सुझाव दिये, उनको आप निश्चित रूप से लेंगे। ऐसी बात कह कर मैं अपनी वाणी को समाप्त करुंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 36, 37 और 39 पर बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्सान की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। इसी मूलभूत आवश्यकता में रोटी कृषि पर आधारित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान और विशेषकर हमारे उदयपुर सम्भाग ट्राइबल क्षेत्र के किसान के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारा राजस्थान का किसान वास्तव में इतना कमजोर नहीं है, वह हालातों का सामना करते हुए खेती न करे लेकिन परिस्थितियां आजादी के बाद से ले करके अब तक की जो रही हैं, वह बड़ी विपरीत रही हैं। किसानों को जिस तरह से सहयोग की अपेक्षा सरकारों से रही है, इतना लम्बा समय गुजरने के बाद भी किसानों को सहयोग नहीं मिला। हालात यह हुए कि आज गांवों का किसान, जो अनाज पैदा करता है, वह कण्ट्रोल की दुकान पर अनाज लेने के लिये लाइन में खड़ा रहता है। आज हम कुपोषण के आंकड़े देखते हैं तो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के जो काश्त पर आधारित लोग हैं, वे कुपोषण के शिकार होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की स्थिति इतनी नाजुक है कि हमारा किसान जो खेती करता था, खेती के प्रति लगाव था, पशुपालन के प्रति लगाव था, वह सारा उसका लगाव खतम हो गया है और वह मजदूर बनने की ओर बढ़ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेष करके मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय को कि खेती के लिये आवश्यक, जो मूलभूत सहयोग की आवश्यकता होती है, सुविधा की आवश्यकता होती है, वह है पानी। पानी जब तक खेती के लिये नहीं मिलेगा, काश्तकार खेती करने के लिये तैयार नहीं होगा। न ही सक्षम हो पायेगा। अब तक जितने भी सिंचाई के

(श्री देवेन्द्र कटारा)

संसाधनों को विकसित करने की जो आवश्यकता रही है, वह पिछला इतिहास हम उठा कर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई के संसाधनों को विकसित करने के लिये जिस तरह से हमको सहयोग करने की जरूरत थी, वह आज तक नहीं हो पाई। आज बरसात का पानी बह करके बांधों के अभाव में, तालाबों के अभाव में समुद्र की ओर जा रहा है। जबकि इसको रोक करके सिंचाई के लिये, खेती के लिये पानी उपलब्ध कराने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक खेतों को पानी नहीं मिलेगा, किसान कितनी भी खेत में मजदूरी कर ले, उत्पादन नहीं होने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेष करके, जिस तरह से खेती के प्रति वातावरण पैदा होना चाहिये, खेती के प्रति लगाव पैदा होना चाहिये, वातावरण पैदा करने के जो आवश्यक संसाधन हैं उस पर कभी हमने ध्यान नहीं दिया।

(19.00)

आज कृषि शिक्षा की ओर हम ध्यान देते हैं तो हमारे डूंगरपुर जिले में 8 कृषि विद्यालय हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से एक भी कृषि से सम्बन्धित व्याख्याता, प्राध्यापक या द्वितीय वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती नहीं हुई है। डूंगरपुर जिले में मात्र एक कृषि से सम्बन्धित अध्यापक है और सात स्कूल चल रहे हैं। स्थिति यह बनी हुई है कि आज करीबन प्रतिवर्ष 400 से 500 विद्यार्थी कृषि संकाय से निकलते हैं और उनको आगे अध्ययन के लिए भी सुविधा नहीं है। हम लोग कृषि के क्षेत्र में किसानों के उत्पादन से सम्बन्धित जब हम बात करते हैं, जैसा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने कहा कि किसान का जो उत्पादन होता है, कृषि उत्पाद के प्रति वास्तव में किसान को कोई अधिकार नहीं दिया है, न ही उसको भाव तय करने का अधिकार है। हर क्षेत्र में अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारण करने का उत्पादन-कर्ता को अधिकार है लेकिन खेती एक ऐसा विषय है, जहां आज तक किसान को अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं मिला और न ही वह कर पाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान को सशक्त बनाना है, इस कृषि प्रधान देश को मजबूत बनाने के लिए किसान को कुछ मूल-भूत सुविधाएं और अधिकार देने की जरूरत है। हमारे देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर आश्रित है, एक तरफ हम रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, उद्योगों के लिए उद्योगपतियों के पास जा रहे हैं, उनको बुलावा दे रहे हैं लेकिन अपार रोजगार

(श्री देवेन्द्र कटारा)

के अवसर खेती के क्षेत्र में हैं, पशुपालन के क्षेत्र में हैं। हमारा ध्यान कभी भी खेती और पशुपालन से सम्बन्धित जितने भी रोजगार के अवसर हम पैदा कर सकते हैं, इस पर नहीं गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेषकर हमारे उदयपुर सम्भाग के किसानों के बारे में कहना चाहूंगा कि उदयपुर सम्भाग का किसान, पहाड़ी इलाके का किसान है। वहां पर बूंद-बूंद सिंचाई के अलावा, जैविक खेती पर विशेषकर ध्यान दिया जाता है। पशुपालन उदयपुर संभाग के छोटे-छोटे काश्तकारों का मूल पेशा है। ऐसी स्थिति में विशेषकर अभी पशुपालन के मामले में हमारे किसानों को जिस तरह से पशुओं का बीमा होता है, वह करीब-करीब अभी कहीं भी नहीं किया जा रहा है। पशु जब बीमार होता है, जिसके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान पशु पालने से कतरा रहा है। जब तक इसके बीमा की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक उसके पशु के इलाज की व्यवस्था नहीं होगी तो पशुपालक पशु पालेगा नहीं और पशु खेती का एक पूरक साधन है पशुओं से ही जैविक खाद मिलता है और खेती इसी से अच्छी पैदा होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय पशुओं के बीमा, इलाज की व्यवस्था कराएं। खेती के लिए जितने भी आवश्यक संसाधन हैं, उनको सहयोग दें और उनको समृद्ध बनाने की पूरी कोशिश करें तो निश्चित रूप से हमारा किसान समृद्ध होगा। इस देश का 75 परसेंट युवा, 75 परसेंट जनसंख्या जो कृषि पर आधारित है, निश्चित रूप से हमारे देश पर और हमारे पर बोझ बनकर नहीं रहेगी, अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेषकर हमारे डूंगरपुर जिले में सहकारिता के क्षेत्र में निवेदन करना चाहूंगा। सहकारिता ऐसी संस्था है, जो हमारे क्षेत्रीय लोगों की आवश्यकता है, लोगों को साख ऋण वगैरह वितरित करती है। उसमें विशेषकर उनका जो काम है, वह काश्तकार और अनपढ़ लोगों के बीच में है और होता यह है कि जब आवेदन करवा दिये जाते हैं, आवेदन करवाने के बाद में जब उनको वापस वसूली के नोटिस आते हैं तब पता चलता है कि उनके नाम से भी कोई लोन बोल रहा है, कोई ऋण बोल रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत आंसियावाव व मालमाथा दो पंचायतें हैं। जब 2010 में उन काश्तकारों ने भैंसों के ऋण के लिए आवेदन किया, भैंस न तो

(श्री देवेन्द्र कटारा)

वहां से मिली, न उनको ऋण मिला और आज की तारीख में ऋण की वसूली के लिए नोटिस जारी हो रहे हैं। इसके लिए हमने शिकायत भी की तो उसमें बैंक मैनेजर भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देता है। संस्था के जो मैम्बर्स हैं, वह भी बदल गये। कोई संतोषप्रद जवाब नहीं और पूरी तरह से किसान आज लुटा हुआ सा, ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है।

सहकारिता के क्षेत्र में जिस तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए, सहकारिता के क्षेत्र में जिस तरह से अन्य बैंकिंग प्रणाली हैं, उसमें जिस तरह से कार्यवाही का प्रावधान है, यहां पर भी किया जाना चाहिए। विशेषकर सहकारिता के क्षेत्र में हमने देखा कि हमारा जन-प्रतिनिधि यदि उसमें डिफाल्टर भी है, तो भी उसमें चयन हो जाता है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। सरपंच है, सरपंच का बेटा लैम्प्स का व्यवस्थापक है तो उसका कोई वसूली करने वाला मतलब, पूरी तरह से सहकारिता की बाडी आज की तारीख में एक ही परिवार के, जो जन-प्रतिनिधि हैं, वह के वह ही उसके भी हैं तो कहीं न कहीं इस तरह से होना चाहिए कि अगर लैम्प्स, इस व्यवस्था में अगर, कोई इलेक्टेड पर्सन है तो वह पंचायती राज या किसी और प्रकार का इलेक्शन न लड़े, ऐसा भी इसमें कोई प्रावधान होना चाहिए। ताकि इसमें पारदर्शिता रहे, इसमें जो घपलेबाजी होती है, उस पर भी अंकुश लगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर, एक पूरा जिला है, पहले दूध-डेयरी का संचालन होता था लेकिन स्थिति यह बनी कि आज डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर दूध-डेयरी के अभाव में किसानों को, पशुपालकों को दूध बेचने के लिए गुजरात जाना पड़ता है और यहां स्थानीय कोई सुविधा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वहां का जो पशुपालक है, वह बड़ा परेशान हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर दूध-डेयरी को पुनः प्रारम्भ करवाई जाए और वहां के किसानों को लाभ दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में कोई उद्योग नहीं है और न ही कोई और व्यवस्था है। वहां किसानों के लिए और कृषि का वातावरण पैदा करने के लिए कृषि महाविद्यालय भी खोला जाना आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा डूंगरपुर जिला मुख्यालय ऐसा है, जहां पर पशुओं का अस्पताल शहर के बीच में है। पशुओं के इलाज के लिए

(श्री देवेन्द्र कटारा)

जो गांव से पशु लेकर आते हैं, उनके लिए शहर के बीच में पशु को लेकर जाना, उसको चलाकर जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिला पशु औषधालय को शहर के बाहर स्थापित किया जाए और इसके लिए लैंड भी उपलब्ध हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पशु चिकित्सालय शहर के बाहर स्थापित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर कृषि उपज के चुनाव भी होते हैं, सब कुछ होता है लेकिन डूंगरपुर जिले में कृषि उपज मंडी है ही नहीं, संचालित ही नहीं हो रही है। कृषि उपज मंडी के नाम से जो लैंड है, वहां पर दुकानें वर्षों पहले बोली के माध्यम से उनको आबंटित कर रखी थी, एक भी दुकान वहां पर संचालित नहीं है। किसान अपनी उपज सीधा मार्केट में आता है और जो थोक विक्रेता है, उनको बेचकर चला जाता है। कृषि उपज मंडी का कहीं भी कोई संचालन नहीं हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में जिस तरह से वर्षों से आपने दुकानें आबंटित कर रखी हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, न काश्तकारों को लाभ हो रहा है और न ही वहां की जनता को लाभ हो रहा है। उसको दिखवाकर नए सिरे से उसका जो भी जिस प्रकार का, जो भी इसमें दोषी है, आप इसकी जांच करवाकर कार्यवाही करें और पुनः संचालन कराएं, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में हमारे किसानों का खेती के लिए पर्याप्त पानी है और उस पानी को रोकने की जरूरत है। यदि बड़े-बड़े बांध, बड़े-बड़े तालाबों का निर्माण किया जाता है तो वाटर लेवल जो जमीन में है, वह ऊंचा आएगा। किसान अपने कुओं से, नलकूपों से अपनी सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां डूंगरपुर जिले में किसी भी प्रकार का कोई उद्योग नहीं है, केवल खेती ही हमारी आजीविका का एक साधन है और उसको मजबूती देने के लिए, उसको सुविधा देने के लिए, कृषि के क्षेत्र में विशेष प्रावधान किये जाएं। संवैधानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उदयपुर सम्भाग एक ट्राइबल क्षेत्र है, संवैधानिक प्रावधानों के लिए एक स्पेशल जोन है। सारे राजस्थान से भी अलग हटकर वहां की कृषि भूमि, पहाड़ी इलाका, कल्चर, रीति रिवाज, सारे अपने आप में अलग हैं तो विशेष क्षेत्र मानते हुए उसमें विशेष सुविधाएं देने का पूरा प्रयास करें।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

इसी उम्मीद के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री उपाध्यक्षः श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी, कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आज कृषि विभाग और सहकारिता विभाग पर चर्चा हो रही है। तकरीबन सभी सदस्यों ने, चाहे ट्रेजरी बैंचेज के हों चाहे विपक्ष के हों, किसानों की दुर्दशा के बारे में यहां चर्चा की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अचम्भा यह है आज किसान का खेत सूखा है, उसका पेट भूखा है, उसका बच्चा बेरोजगार है, उसका परिवार अर्द्ध नग्न हो चुका है, उसकी जमीन रहन हो चुकी है और उसका सिर कर्ज तले दबा हुआ है। भयावह स्थिति है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान की असली दशा यह है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था अन्नदाता किसान ने, जब देश आजाद हुआ उसके बाद में जो पूरे भारतवर्ष की जी.डी.पी. थी, उस अर्थव्यवस्था में कृषि का 42 प्रतिशत का योगदान था। जरा अचम्भा करिएगा पूरी कंट्री की इकोनोमी किसान से, कृषि से 42 प्रतिशत थी और आज हालात यह पैदा हो गये कि भारतवर्ष में वह 42 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत आ गया। यह घोर विडम्बना है। यह कल्पना ही नहीं की थी। जब देश आजाद हुआ तो किसान बहुत सुखी था लेकिन क्या कारण बने, हर व्यक्ति किसान की बात करता है, हर सरकार वोट लेने के लिए किसान की बात करती है, उसे अन्नदाता कहती है, लेकिन अन्नदाता की बदहाली, यह हमारे सारे विकास और समृद्धि के जितने भी आंकड़े हैं, वह सारे बेमानी हो जाते हैं क्योंकि बहुत चर्चा हो गयी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ जरा गौर फर्माएं कि हमारे प्रदेश के क्या हालात हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले साल हमारी जो स्टेट जी.डी.पी. थी उसमें 19.5 प्रतिशत योगदान कृषि का था और प्रचलित दरों से देखते हैं तो वह तकरीबन-तकरीबन 25 प्रतिशत बैठता है और हमारा प्लान आउट ले इस वक्त है एग्रीकल्चर एण्ड अलाइड 5.62 परसेंट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हम पूरे भारतवर्ष के परिदृश्य में नहीं देखते कि हमारा प्रदेश कहां है, तब तक हमें आकलन नहीं होता। हमें लगता है बहुत बढ़िया काम हो रहा है और कृषि के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। एक कम्पेरिजन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 11th plan outlay on agriculture

(श्री नवीन पिलानिया)

and allied sector उसका कम्पेरिजन करता है। इससे माननीय कृषि मंत्री महोदय, आपको थोड़ी-सी झलक पता लगेगी कि हम कहां हैं। इसमें जो आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इलेवंथ प्लान आउट-ले में उनका था 33,408 करोड़, जो बढ़कर, गौर फर्माएं, 17,076 करोड़ हो गया, जिसमें बढ़ोतरी आयी 181.92 परसेंट This is I am talking about, माननीय कृषि मंत्री महोदय, एग्रीकल्चर सैक्टर में प्लान आउट ले 2011-12 में जो वृद्धि हुई है, यह मध्य प्रदेश का आंकड़ा बताया है। अब आप देखिएगा गुजरात में था 9 हजार 92 करोड़, जो बढ़कर हो गया 19 हजार 712 करोड़, जो वृद्धि थी परसेंटेज इन्क्रीज 121.99 परसेंट, आप बिहार जैसा राज्य देखिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बिहार एक राज्य है जिसमें एम.एस.पी. लागू नहीं है, मतलब अचम्भा करेंगे। बिहार में था 3 हजार 672 करोड़, वह बढ़कर 15,613 करोड़ हो गया, This was the highest increase in percentage 224 percent.

श्री सुरेश सिंह रावत (संसदीय सचिव): हिन्दी में बोलो, अंग्रेजी में नहीं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): परसेंटेज बोल रहा हूं 224 परसेंट, प्रतिशत माननीय सदस्य, राजस्थान का जरा गौर फर्माएं। यह बाकी आंकड़े अड़ौस-पड़ौस के ही हैं। राजस्थान का था 2,919 करोड़, जो बढ़कर कितना हुआ, वह हुआ केवल 7,255 करोड़, 21 प्रतिशत बढ़ा। हमें गौर करना पड़ेगा साहब। हम सभी सदस्यों ने किसान की बात कही है, लेकिन यह तो एक कम्पेरेटिव है, क्योंकि किसान की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है, इस कारण से बाकी राज्यों ने एग्रीकल्चर सैक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है। इस साल का जो मैं बता रहा था प्लान आउट-ले 5.62 प्रतिशत था, बाकियों के मैं बताता हूं मध्य प्रदेश 8.5 प्रतिशत, हरियाणा 7.8 प्रतिशत, तमिलनाडु 10 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 8.5 प्रतिशत, इंडिया का जो टोटल एवरेज है, वह 7.1 है और हम 5.6 प्रतिशत पर है। इसे बढ़ाना जरूरी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ना किसान तो इस वक्त मरणासन्न है।

केन्द्र का बजट आया, माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने बड़ी आशा जगाते हुए किसानों के लिये कहा पांच साल में आमदनी दोगुनी हो जाएगी। गांव-ढाणी में मैं जाता हूं, आजकल गांव-ढाणी के आदमियों को विश्वास नहीं होता ऐसी बातों पर, क्योंकि उसका कारण है, वह तो मर रहा है, रात-दिन वह

(श्री नवीन पिलानिया)

तो देख रहा है उसके साथ हो क्या रहा है। मैं जरा थोड़ा-सा बताना चाहता हूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि और किसी ने कुछ नहीं किया, केवल आपकी सरकार ने किया। मैं यह पूछना चाहता हूं जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, आपके माननीय प्रधान मंत्री, आपके मौजूदा गृह मंत्री ने विभिन्न-विभिन्न मंचों से कहा था किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे, जो एम.एस.पी. पर आधारित है। एम.एस.पी. पर जो लागत आती है किसी भी जिंस की, उसकी डेढ़ गुणा करने की स्वामीनाथन रिपोर्ट में बात थी। वह जिक्र कहीं नहीं आया।

मिनिमम सपोर्ट प्राइस, माननीय मंत्री महोदय, जरा आप भी गौर फर्माएं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको नजर करता हूं बाजरा 2013-14 में 1250 था, 2014-15 में भी 1250 ही पड़ा रहा पर क्विंटल, और उसमें बढ़ोतरी हुई माननीय, 2015-16 में 1250 से बढ़कर 1275 रुपये हो गया। बढ़ोतरी कितनी हुई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 पैसे किलो। तीन साल में 25 पैसे किलो हुई। मूंगफली देख लें, 2013-14 में भी चार हजार, 2014-15 में चार हजार, बढ़ोतरी हुई 2015-16 में, यह आंकड़े देख लें। ..(व्यवधान).... क्या फर्मा रहे हैं हुकुम आप?

श्री उपाध्यक्ष: एक तो यह संसदीय सचिव हैं, दूसरा, अपनी सीट पर भी नहीं हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूंगफली का बता रहा था, पहले मैंने बाजरे का बताया।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप इस प्रकार के आंकड़े बताओगे तो व्यवधान तो सुनिश्चित है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): हुकुम, मैं तो as on 1/3/2016, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है भारत सरकार की, भारत वर्ष में लागू होती है वह बता रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मेरा वश चलता तो यह जो 25 पैसे पर किलो इन्क्रीज हुआ है यह 25 रुपये किलो इन्क्रीज करा देता। लेकिन न जाने वो दिन कब आयेगा।

मूंगफली पर जो बढ़ा है, माननीय कृषि मंत्री महोदय, मूंगफली पर 30 पैसे किलो। 30 पैसे, चार हजार रुपये में 30 पैसे बढ़ाये हैं। गेहूं पर 75 पैसे किलो के बढ़ाये हैं। एक दिन के अन्दर-अन्दर आप तीन रुपये लीटर डीजल

(श्री नवीन पिलानिया)

बढ़ा देते 3 rupees a litre. यहां तीन साल में 25 पैसे किलो बढ़ा। कैसेजी सकता है? उसकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी? वो मर गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शांता कुमार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है पूरे भारत वर्ष में यह जो एम.एस.पी. है न, यह भी केवल आठ प्रतिशत किसान को मिलती है, ओनली ऐट परसेंट। माननीय कृषि मंत्रीजी, आप मुझे बता दें इस साल आप एम.एस.पी. पर राजस्थान में कितने लाख टन अनाज परचेज करने वाले हैं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों से? उसका आंकड़ा आपको अपने आप पता लग जायेगा। आपके पास यह आंकड़ा तो है ही है कि कितने लाख टन गेहूं पैदा होगा, कितना बाजरा होगा, आप चाहें तो यह आंकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, केवल आठ प्रतिशत किसान को एम.एस.पी. मिलती है। इन्हें यह चिंता करनी चाहिए। पहले तो यह बढ़ी ही नहीं, हर क्रय-विक्रय सहकारी समिति पर उसकी खरीद होनी चाहिए, यह सरकार का दायित्व है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं तो यहां रो सकता हूं, आपके सामने गिड़गिड़ा सकता हूं, आपको अवगत करा सकता हूं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी बजट में लिखा हुआ है, यही। इसमें ईयर वाइज प्लान एक्सपेंडिचर, पेज नम्बर 50, एग्रीकल्चर एण्ड अलाइड सैक्टर वर्ष 2014-15 में 3492 करोड़ एक्सपेंडिचर, 2015-16 में एस्टेरिक्स लगा हुआ है और फिगर है 1441, दो हजार करोड़ से ज्यादा का डिफरेंस है। और इसमें बताया है कि यह दिसम्बर, 2015 तक खर्च हुआ है। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो हजार करोड़ पिछले साल से कम एक्सपेंडिचर माननीय मंत्री महोदय, यह संभव है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में, यह इसमें लिखा है। पहले ही जो प्लान आउटले है वो इतना कम है, मैंने आपको बताया, उसके बावजूद भी दो हजार करोड़ रुपये पिछली साल की तुलना में दिसम्बर महीने तक कम खर्च हुआ है। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं?

आज किसान यह कहता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि मैंने पिछले जन्मों में क्या कुकर्म किये थे जो एक किसान के घर पैदा हुआ हूं? यह आजकल उसके हालात हैं और यह कैसे सुधरेंगे यह चिंता करने का विषय है।

मैं लम्बा नहीं जाऊंगा, एक बहुत अच्छी योजना का गुणगान हुआ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि हम नई फसल बीमा लाएंगे। पिछले

(श्री नवीन पिलानिया)

वालों के जो हालात हैं वो मैं पिछले साल भी गुणगान कर चुका हूं और आपसे निवेदन किया था कि उस स्थिति को बदलियेगा।

मैं तो आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं, कृषि मंत्री महोदय, पिछले वर्ष मैंने आपसे निवेदन किया कि वैदर बेस्ड इन्श्योरेंस स्कीम है, जो आपने 21 जिलों में चला रखी है उससे भारी नुकसान है, उससे मुआवजा सही नहीं मिलता है।

माननीय सदस्य, कृपा कर के मेरे प्यारे मंत्री महोदय का ध्यान इस वक्त न बंटाएं, यह आपसे विनती करता हूं।

आपके ही महामहिम के अभिभाषण में जो आंकड़े हैं उसका मैं आपको यह बता रहा हूं कि पिछले साल मैंने आपको अवगत कराया लेकिन आपने उसमें तब्दीली नहीं की। अगर आप मोडिफाइड लगा देते उन 21 जिलों में, आपने जो आंकड़े दिये हैं रबी 2014-15 में, क्लेम दी आपने 564 करोड़ के, 24 लाख बेनिफिशियरी फार्मर्स थे, औसत पड़ा 2350 रुपये। यह था जो वैदर बेस्ड में किया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जो मोडिफाइड में किया था, 190 करोड़ का क्लेम दिया गया, 5.46 लाख बेनिफिशियरी फार्मर थे, औसत आया 3480, जो फर्क आया पर किसान 1130 रुपये का। अगर मोडिफाइड पूरी 21 जिलों में की हुई होती जिनमें वैदर बेस्ड कर रखी थी तो 271 करोड़ रुपये किसानों को फायदा मिलता वन क्रॉप खरीफ 2015, खरीफ 2015 में 569 करोड़ क्लेम दिये गये, 33 लाख किसान बेनिफिशियरी थे, जो औसत आया वो 1724 रुपये आया। यह था वैदर बेस्ड का। जो मोडिफाइड में खरीफ 2015 में किया गया, 297 करोड़ के क्लेम दिये गये, बेनिफिशियरी फार्मर 11 लाख थे, उनका औसत आया 2700 रुपये। जो फर्क आया मोडिफाइड और वैदर बेस्ड में वो आया पर फार्मर 976 रुपये और उसका अगर बीसों जिलों में, जहां वैदर बेस्ड थी वो करते तो 332 करोड़ रुपये का फायदा किसान को मिलता। एक साल के अन्दर कुल मिला कर के केवल इस गलती के कारण कि वैदर बेस्ड 21 जिलों में चालू रखी, पिछले साल मेरे आग्रह करने और सारे आंकड़े बताने के बावजूद। एक साल के अन्दर 593 करोड़ रुपीज का नुकसान हुआ। यह आंकड़े मेरे नहीं हैं, यह आंकड़े इस अभिभाषण में दिये हुए हैं जो आपके दिये हुए हैं। तो आगे के लिए भी सबसे बड़ी परेशानी यह है।

प्रधानमंत्री की नई फसल बीमा योजना आ रही है उसमें इस बात का

(श्री नवीन पिलानिया)

जिक्र आया है कि प्रीमियम दर थोड़ी घटाई जाएगी लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है पिछले साल भी वो ही थी, इस साल भी वो ही है। जो दरें निर्धारित हैं प्रति एकड़, मैं दो या तीन उदाहरण से बता देता हूं, उससे ज्यादा समय भी मेरे पास नहीं होगा, दो विषय और हैं।

बाजरा। बाजरे की जो निर्धारित है, जिले की कमेटी जो निर्धारित करती है, प्रति एकड़ द स्केल आफ फाइनेंस एण्ड बीमित राशि कितनी होनी चाहिए, उसका मैं बताता हूं, एक बाजरे का उदाहरण बता देता हूं। उन्होंने ग्यारह हजार प्रति एकड़ तय की, हैक्टेयर के हिसाब से क्योंकि हैक्टेयर ढ़ाई गुना क्षेत्र होता है, वो बढ़ गयी 27 हजार 500 रुपये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा गौर करें, सबसे बड़ी गड़बड़ी कहां है। कोई सी भी वैदर बेस्ड ले आना, मोडिफाइड ले आना, प्रधानमंत्री की ले आना, और कुछ भी ले आना। 27 हजार 500 रुपये हैक्टेयर बाजरे का बनना चाहिए था, जो बीमित राशि थी, आपने अभी बीमित राशि की है सात हजार रुपये पर हैक्टेयर, वन फोर्थ। कैसे मिलेगा उसको? उसको मिल ही नहीं सकता, कोई गणित लगा लो, आप कोई सी भी स्कीम ले आओ। बीमित राशि जब आप एक चौथाई कर देंगे तो वो मिलेगा कैसे? दूसरा, एक और उदाहरण दे देता हूं, फिर इस टोपिक को छोड़ कर मैं दूसरे टोपिक पर आ जाऊंगा।

यह की यही चीज मैं आपको सरसों का बता देता हूं। सरसों 13 हजार 300 रुपये एकड़ होनी चाहिए थी जो पर हैक्टेयर ढाई गुणा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 33 हजार 250 रुपये एक हैक्टेयर की बीमित राशि होनी चाहिए और अभी की है 9350 रुपये।

इतना डिफरेंस है तो माननीय कृषि मंत्री महोदय, मैंने पिछले साल भी निवेदन किया था और मैंने गुहार लगाई थी, यह चीज तो आप लोग कर रहे हो, आपका विभाग कर रहा है। यह आंकड़े मेरे नहीं हैं। इसमें भी यह तय कर रखा है कि जोखिम लेवल 90 परसेंट होगा कि 80 परसेंट होगा। 90 से ऊपर तो है ही नहीं, तो 10 परसेंट तो उसका वैसे ही खा जाओगे। 10 परसेंट अगर नुकसान हो भी गया तो वह आपने पहले ही कम कर लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि यह समझने की ही तो जरूरत है। इसको कब बदलेंगे? पिछले साल भी नहीं बदला। 2 क्रॉप सीजन निकल गये। अब नई योजना आई है। बहुत बढ़िया, मैं तो चाहता हूं कि

(श्री नवीन पिलानिया)

किसी भी तरीके से किसान को फायदा मिले लेकिन इसको तो बदलना मेरे मेहरबान मंत्री महोदय। और क्या कर सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, मैं फालतू वक्त जाया बिलकुल नहीं करूंगा। माननीय मंत्री महोदय, मेरे पास अभी गंगानगर के किसान आये। अभी गंगानगर के सरदार बहादुर विराजमान थे, मंत्री महोदय तो विराजमान हैं। वह बड़े परेशान थे, गन्ने के किसान थे। आपकी सरकार ने जो नई गन्ना मिल लगी थी, उसके लिए 25 प्रतिशत फालतू क्षेत्र में बुआई करवाई। वह 100 बीघा में करते थे, एक चक में, 125 बीघा गन्ना पैदा करवाया सरकार ने कहकर के कि हमारे को गन्ना चाहिए उस मिल के लिए, जो नई मिल चालू हुई है। आज के हालात यह हैं उन गन्ना किसानों के कि वह मिल आधे से ज्यादा टाइम बंद पड़ी हुई है। इन्होंने इंकार कर दिया और अब यह कहते हैं कि उस गन्ने को पंजाब लेकर जाइयेगा। सरकार ने बुआई करवाई, 25 परसेंट एक्सट्रा करवाया।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): सुनिये, सुनिये, आप थोड़ा सा करैक्ट कर लो। मिल की कैपेसिटी 15-16 हजार से चल रही है और जितना बांडेड गन्ना है, सारा सरकार ने लेने की घोषणा कर दी है। 180 करोड़ रुपया लगाया है और एक साल में लगायी है इसलिए ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आये वो हांक दो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बड़ी ही खुशी की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, because intervene किया है, एक मिनट, बहुत ही खुशी की बात है मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): जहां तक रेट का प्रश्न है पंजाब दे रहा है 245 और हम दे रहे हैं 295, ऐसे ही आपने आंकड़ा उठा लिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बहुत ही बढ़िया। बल्ले बल्ले हो गया। मुझे एक मिनट तो बोल लेने दो। माननीय मंत्री महोदय ने आज सदन में यह कहा है, मुझे पता है कि पंजाब तो 245 दे रहा है। माननीय मंत्री महोदय, एक सैकिण्ड, आपने बात कह दी, मैं कह लूं।

आपने कहा 295 रुपये प्रति क्विंटल आप यहां के किसान को मिल पर दे देंगे? मेरी बात सुनें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): पेमेंट चालू हो गयी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आप कह चुके हो, कमिट कर चुके हो।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): सुनिये, सुनिये। मैं जो बात कह रहा हूं, आज किसानों को 295 रुपये आउट गेट पर और जो गेट के किसान हैं, उनको 272 के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। जो मिल कर रही है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं अर्ज करता हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं, आप तो केवल एक वक्तव्य दे दें, कम से कम 5-6 लाख क्विंटल गन्ना अभी भी पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं और दूसरे वरिष्ठ मंत्री महोदय भी बोल रहे हैं, आज सदन में यह आश्वासन कर दें कि जितना गन्ना पड़ा हुआ है, वह शुगर मिल पर किसान छोड़ देगा और उसको 295 रुपये से भुगतान कर दें। दोनों मंत्रियों से यह बात आ जाए। कृषि मंत्री महोदय, आज यह बात साफ होनी चाहिए। सदन में यह बात आ चुकी है कि जितना किसान का गन्ना पड़ा हुआ है, मिल के ऊपर 295 रुपये में सरकार लेने को तैयार है तो मैं बल्ले, बल्ले करता हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): आप एक मिनट सुन लो। पंजाब के अन्दर जब हमें लगा कि गन्ना पूरा क्रैश नहीं होगा, मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किये। पंजाब के साथ हमारा समझौता हुआ कि हम यहां उसको ले लेंगे। 400 पर्चियां वहां से लाये लेकिन हमारी मिल ठीक चल रही है इसलिए पंजाब की पर्ची 250 ली, उसके बाद किसी ने नहीं ली। आज की डेट में जितना हमें गन्ना गंगानगर में मिल को चाहिए, उससे 5 परसेंट कम किसान ला रहे हैं। मिल की कैपेसिटी 16 हजार पर हो गयी और लेबर कम है, जो परिस्थिति है, मैं उसका बता रहा हूं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बहुत मेहरबानी। पंजाब वह ले जा नहीं सकते, पंजाब का भाड़ा 70 रुपये क्विंटल ले जाने का पड़ता है। लेकर कैसे जाएगा पंजाब, 250 किलोमीटर पड़ती है वह मिल। 75 रुपये क्विंटल का भाड़ा देकर के वह पंजाब नहीं ले जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, आज स्पष्टीकरण भी आ जाएगा और जितना गन्ना काश्तकारों का है, वह मिल पर छोड़ेंगे और सरकार 295 देगी। यह बात खतम हो गयी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक सैकिण्ड, एक सैकिण्ड।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेरे तो वैसे ही समय बहुत कम है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जस्ट ए मिनिट। आप जो फर्मा रहे हैं, मैं उसी में एड कर रहा हूं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): जी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आपने 5 लाख टन गन्ना पंजाब भेजने का कहा या नहीं कहा? इकरार किया कि नहीं किया? आप सुन लें पहले। इकरार किया या नहीं किया? पंजाब की मिल उनको 245 रुपये क्विंटल का भाव दे रही है और वहां तक गन्ना पहुंचाने की कीमत 70 रुपया है, 50 रुपये कम मिले फिर 70 रुपया और खर्च हो, यानी 295 की बजाय उनको 120 कम मिले यह स्थिति आपने की। यदि मिल की कैपेसिटी पूरी थी तो किसलिए पंजाब से 5 लाख टन गन्ने के लिए एग्रीमेंट किया था? आप इसका जवाब चाहें तो दें कि क्यों आपने 5 लाख टन गन्ना लेने के लिए एग्रीमेंट किया?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): सुनिये, सुनिये। इस बार नई मिल एक साल में, माननीय मुख्य मंत्रीजी के सदा हम ऋणी रहेंगे, 180 करोड़ एक साल में दिया। हिन्दुस्तान में कोई ऐसी मिल नहीं जो एक साल में बनकर चालू हो जाए। उन्होंने चालू करायी है। एक बात।

वह लेट चालू हुई, किसानों को डर था कि किसानों का गन्ना रह नहीं जाए। इसलिए हमने कहा कि नई मिल है, ट्रायल में हो सकता है कि कोई कमी रह जाए। किसान जब ज्यादा उद्वेलित हुए तो हम पंजाब गये ताकि उनको यह लगे कि हम सारा गन्ना क्रैश कर लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने हमसे 5 लाख क्विंटल गन्ना लेने का एग्रीमेंट किया। लेकिन अब कोई ले जा ही नहीं रहा क्योंकि हमारी मिल ठीक चल रही है। 400 पर्ची पंजाब ने दी थी, उसमें से 250 पर्ची किसानों ने शुरू-शुरू में ली। जब उनको लगा कि हमारी मिल ठीक चल पड़ी है तो उन्होंने बंद कर दी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जब यहां 295 है तो वहां 245 में ले जाएगा कौन, क्यों 70 रुपये और खर्च करेगा? आपकी इनकैपेसिटी थी या आपकी मिल की क्षमता नहीं थी, आपकी मिल 1/3 प्रोडक्शन कर रही थी, इसलिए आपने पंजाब से 5 लाख क्विंटल का सौदा किया।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम): अब कोई नहीं ले जा रहा है। यह इसलिए किया हमें लगा कि मिल चलने में थोड़ी देरी होगी।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): वैसे पिलानिया साहब आप इस बात को मानेंगे कि उपाध्यक्ष महोदय की सहिष्णुता का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आज आपका वास्तव में कट मोशन नहीं है। कोई कटौती प्रस्ताव आपका नहीं था।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं दुरुपयोग किसी चीज का नहीं करता हूं। जो आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं। मैं दुरुपयोग किसी चीज का नहीं कर रहा हूं। मैं सदन का सदुपयोग कर रहा हूं। किसानों की बात के लिए सदुपयोग कर रहा हूं। बीच में व्यवधान आ गया।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है आज।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): कोई बात नहीं, मुझे आसन ने इजाजत दी है। बहुत बढ़िया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीच में व्यवधान आ गया। एक अलग बिन्दु है, वह बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करुंगा। मेरा पाइंट सिर्फ वहां तक पहुंचाना था। मेरे हाथ में तो है नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारा गन्ना है, गन्ने के किसान और गन्ने की मिल का ज्ञानार्जन बहुत हो चुका है। समय भी अपनी गति से जा रहा है। आज की तारीख में यह मांगें पूरी करवानी हैं, इसका भी ख्याल करें।

श्री उपाध्यक्ष: इस पर भी विचार करेंगे।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेरा आखिरी बिन्दु है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत गम्भीर चीज इस बजट में किसानों के लिए हो गयी। उस चीज ने किसानों को उद्वेलित कर रखा है। मुझे नहीं पता कि सदन के सदस्य जानते हैं या नहीं जानते हैं। इस बजट में एक ऐसी घोषणा हो गयी हर कृषक परिवार इतना भयभीत है कि मैं बयान नहीं कर सकता। वह है हक त्याग। हो सकता है कि बहुत से माननीय सदस्य इसके बारे में जानते नहीं हों। जो शहरों से आएंगे वह तो जानेंगे ही नहीं।

इस बजट में एक प्रावधान हुआ कि जो भी फैमिली की, पारिवारिक कुछ भी सम्पत्ति के बारे में लेन-देन, आदान-प्रदान होगा, उस पर डेढ़ प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लागू होगी। जिसका एक्चुअल इफैक्ट 1.8 परसेंट आ रहा है। मेरा निवेदन है कि जो भी कृषक हैं, जिसके पास कृषि भूमि है, परम्परा है राजस्थान में कि उनकी जो बहू, बेटियां हैं, वह अपने हिस्से की जो पुश्तैनी काश्त की जमीन है, उसका हक त्याग अपनी इच्छा से अपने किसी भी भाई को, अपने पिता को, अपनी माता को, किसी को भी करती हैं और करती आई हैं सदियों से। इसी से परिवार कायम रहते हैं। इसके तहत आने से हर परिवार, हर कृषक परिवार हक त्याग नहीं करा सकता है। उस पर 1.8 परसेंट ड्यूटी लग रही है 8 तारीख से।

(श्री नवीन पिलानिया)

मैं इतना उदाहरण दे रहा हूं, जयपुर जिले में 20 लाख रुपये की डीएलसी रेट है अमूमन सब जगह पर, अगर दो बहनें भी हैं और 5-5 बीघा भी आती हैं उनके तो 10 बीघा का अगर हक त्याग करना है तो उनको 1.8 परसेंट के हिसाब से 3 लाख 60 हजार रुपए स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, अपने खुद के परिवार की चीज का हक त्याग करने के लिए, जो अभी 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर होता है। यह जुल्म मत कीजिएगा, मैं जानता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदया को इस चीज का पता नहीं होगा, यह अधिकारियों को भी नहीं पता होगा लेकिन हर घर, में, मैं जहां जाता हूं वहां यह बात आती है कि यह अन्याय कैसे हो सकता है? यह पूरे राजस्थान का मामला है और पूरे परिवार खंडित हो जाएंगे अगर यह हक त्याग नहीं होगा। जैसे ही पिताजी खतम होते हैं, नामांतरण खुलता है और अगर यह हक त्याग नहीं होगा तो उन बहनों के नाम पर वह जमीन चढ़ेगी। कितनी जबर्दस्त समस्या है, मैं हाथ जोड़कर, विनती करता हूं कि इस पर ध्यान जरूर दें इसमें सिर्फ एक क्लेरीफिकेशन गवर्नमेंट का आना चाहिए कि हक त्याग के मामले जो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर होते हैं वह इसके तहत नहीं आते हैं, बाकी आपने जो 1.5 परसेंट लगा रखा है, बहुत बढ़िया सब कुछ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपकी मेहरबानी चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी बात आपको कोई बुरी लग गयी हो तो माफी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 36, 37 और 39, कृषि, सहकारिता, पशुपालन और चिकित्सा पर चर्चा सब कर रहे हैं, अच्छी चर्चा हो रही है। सारा सदन किसान के प्रति बहुत ही चिंताशील है और वास्तव में किसान का किस प्रकार से उत्थान हो, किसान किस प्रकार आगे बढ़े इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। कई माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 60 साल तक राज किया, किसान को कुछ नहीं दिया। उन 60 में से आपके हिस्से में भी बहुत कुछ आता है। यही माननीय मुख्य मंत्रीजी 2003 से 2008 में भी मुख्य मंत्री रही हैं, तब भी कृषि मंत्री हुआ करते थे, सहकारिता मंत्री भी हुआ करते थे, पहले भी भैरोंसिंहजी का राज हमने देखा है, रहे हैं, अपने-अपने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हिसाब से सभी मंत्री और मुख्य मंत्रियों ने काम किया होगा लेकिन हमारी सरकार ने वह काम किया, गहलोत साहब की सरकार ने वह काम किया जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले किसी ने भी नहीं किया था।...(व्यवधान) आपके हंसने की बात नहीं है, अभी तो किसान के लिए आंसू बहा रहे थे, ड्रामा कर रहे थे और अब हंसने के लिए उतारू हो रहे हो? 2008-09 में जब आपकी सरकार गयी थी तो किसान को 2500 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करते थे और हमने 5 साल के बाद में 2013-14 में 15000 करोड़ का फसली ऋण देने का संकल्प लिया था, बांटा था और 3 साल हो गए, हमने 6 गुणा बढ़ाया था, आपने 3 साल में इस 15000 करोड़ को भी 12000 करोड़, 11000 करोड़ रुपये में लाकर रख दिया, ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। काम करने की जरूरत है।...(व्यवधान) बैठ जाइए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले एक लाख रुपये का दिया किसान को ब्याज मुक्त ऋण, फिर डेढ़ लाख रुपये किया। 2003-08 में आपकी सरकार थी, किया था क्या आपने? जो चीज अच्छी है, आप अच्छा कर रहे हैं, हम उसको अच्छा बताएंगे, हमने अच्छा किया, हमारी अच्छी बात को हम रखेंगे, ऐसा नहीं है कि वन-वे चल रहा है, और वन-वे चलाएंगे तो तालियां, यह मेजे थपथपाते रह जाएंगे, 30 परसेंट से ज्यादा पीछे का इतिहास है, इस सदन में 30 और 33 परसेंट से ज्यादा दोबारा वह लोग चुनकर नहीं आते, एक दफा घर बैठना पड़ता है, कइयों को परमानेंट रिटायरमेंट भी लेना पड़ता है इसलिए हम सब वह बात करें जो किसान के हित की है, जिस किसान के लिए हम यहां बात करने के लिए आते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सौभाग्य है कि आज सरकार में चाहे सहकारिता मंत्री हों, चाहे कृषि मंत्री हों, दोनों किसान के बेटे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा करें, किसान की बहबूदी के लिए करें। हमने जो डेढ़ लाख रुपये का ऋण दिया बिना ब्याज के, उसको भी आपने घटा दिया, 20 परसेंट का तो खाद-बीज खरीदो, जरूरी थोड़े है खरीदें, 20 परसेंट ऋण को कम कर दिया, उसको बढ़ाने की जरूरत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं रास्ते की बहुत बड़ी समस्या थी, हम रास्ते के कानून लेकर आए, आज प्रत्येक किसान के खेत को रास्ता मिले, यह व्यवस्था हमारी सरकार ने की थी।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ड्रिप के ऊपर 90 परसेंट तक अनुदान देते थे, आपने घटा दिया। जरूरत इस बात की है कि हम कैसे बढ़ाएं। मैं मानता हूं कि केन्द्र सरकार ने बजट में कटौती कर दी, किसान के लिए जितनी योजनाएं थीं, 16, 17, 18, 20 और पता नहीं कितनी योजनाएं थीं उन सब में कटौती करने का काम केन्द्र ने कर दिया, आपकी मजबूरी हो गयी। फंडिंग पैटर्न 60 और 40 का कर दिया, पहले वहां से 90 परसेंट आता था, सेंट परसेंट भी आता था, पर अब 40 परसेंट आ गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम 4184 करोड़ 82 लाख 27 हजार रुपए की तीनों मांगों को पारित करके चले जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम कर क्या रहे हैं? हमने किसान आयोग बनाया, आपने ढ़ाई साल में भी किसान आयोग के अध्यक्ष पद पर किसी किसान के बेटे को बैठाने का काम नहीं किया। हमने गौशाला का जो गौ माता के लिए निदेशालय बनाया, आपने बना तो दिया, लेकिन उसके बाद में अनुदान देने की बात पर मुकर गए। आज सवाल लगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने मना दिया है कि हम गौशालाओं को अनुदान नहीं देंगे। किसान के हित की बात कर रहे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कृषि मंत्रीजी आपसे, आप किसान के बेटे हो, किसान की सबसे बड़ी तकलीफ आवारा पशु की है, उसकी पूरी की पूरी फसल आवारा पशु, वह अमेरिकन सांड, वह बछड़े, वह आवारा गायें, जो भी हैं, चौपट करने का काम करते हैं। इस दिशा की ओर हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि किसान के भूमि अधिग्रहण का कानून लाएंगे तो भी किसान के तकलीफ पानी नीचे जा रहा है, डार्क जोन के नियम बनाएंगे तो भी किसान के तकलीफ केन्द्र का फंडिंग पैटर्न बदलेगा तो भी किसान के तकलीफ, सब चीजों में किसान के तकलीफ है।

आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे शेखावाटी में, आप तो हुकुम वहीं से पधारते हैं, शेखावाटी में प्याज बहुत होता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए, आज सीकर कृषि उपज मंडी में माननीय मंत्रीजी, 35 और 40 हजार कट्टे प्याज के आते हैं, 35 और 40 हजार कट्टे, 20 हजार क्विंटल रोजाना का प्याज आता है। प्याज का किसान को क्या मिल रहा है, 2 रुपये से 7 रुपये। जिस किसान के 10 रुपये लागत आती है, उस किसान को 2 रुपये से 7 रुपये का भाव है, अगर हम औसत निकालें तो 5 रुपये पड़ता है। उस किसान को वापस उठने का रास्ता नहीं मालूम है कि मैं कहां जाऊं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपकी एनएससी ने बीज दिया, मैं मानता हूं आपने आश्वासन दिया था लेकिन माननीय मंत्रीजी, आश्वासनों से काम चलने वाला नहीं है, हमारे यहां एनएससी और प्राइवेट फर्मों ने जो बीज दिए, 500-550 रुपए में वह नकली बीज दिए, किसान बर्बाद हो रहा है, रो रहा है, आज दो-तीन दिन से हमारे शेखावाटी के लोकल अखबारों में मीडिया के माध्यम से आ रहा है, किसान अपना दुखड़ा रोए तो किसके आगे रोए, सरकार में जो हैं उन्हीं के आगे रोएगा। मुख्य मंत्रीजी तो मिल नहीं रही हैं, पता नहीं है, हमने भी नहीं देखी हैं, महीने में कोई एक या दो दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ...(व्यवधान) आपको पता होगा, मुझे नहीं दर्शन हुए तो मैं सही कह रहा हूं।

कृषि मंत्रीजी, आपसे हमें उम्मीद है कि आप देखिए, उन किसानों की सुध लीजिए, निश्चित रूप से आज किसान आपकी ओर आस से टकटकी लगाए देख रहा है। 159 का बहुमत है, आपको उस किसान को, जब वोट लिए थे तो कहा था कि हम आपको मालामाल कर देंगे, आपकी बहबूदी के लिए योजनाएं लाएंगे, वह योजनाएं आप नहीं ला पाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज पशु किसान के लिए सबसे बड़ी सम्पदा है। बरसात के ऊपर निर्भर है, बरसात ठीक आ गयी, समय पर आ गयी, ओले नहीं पड़े तो किसान की फसल बच गयी, अगर प्राकृतिक प्रकोप आ गया तो वह किसान बर्बाद हो जाएगा, इसलिए पशु ही उसका एकमात्र साधन है मंत्री महोदय। सीकर जिले में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं जनवरी के महीने में 5 हजार पशु किसानों के मौत के आगोश में समा गये। यह किसान के साथ में अन्याय है। आज एक भैंस के 80 हजार रुपये लगते हैं, 1 लाख रुपये लगते हैं, एक गाय के 50 हजार रुपये लगते हैं, मेरे लक्ष्मणगढ़ में कम से कम 3 हजार दुधारू गाय और भैंसे इस मौत के आगोश में समा गयीं। किसान बर्बाद हो गया, लाख रुपये उधर ऊपर ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, बिजली का, पानी नीचे डार्क जोन में चला गया। किसान को कनेक्शन मिल नहीं रहा है, बिजली बोर्ड ऊपर से वीसीआर भर रहा है, डार्क जोन के नाम पर कुएं खोदने नहीं दे रहे हैं। किसान जाए तो कहां जाए? किसान राम और राज से आशा करता है। जब राम रूठ जाता है तो किसान को लगता है मेरी राज मदद करेगा। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसान की मदद कीजिए। आप देखिए किसके पास जाएं हम? आपके पशु चिकित्सा अधिकारी वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों मिलाकर 1324 पद

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खाली हैं। मैं समझता हूं उसका नाजायज फायदा झोलाछाप डाक्टर उठाते हैं। एक पशु के दो हजार, चार हजार पता नहीं कितने पैसे लेते हैं और इस तरीके की लूटखसोट मचाते हैं जिससे किसान आबाद होने की बजाय बर्बाद होने की ओर चला जाता है।

आज प्रधानमंत्रीजी आए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्‌घाटन करके चले गये। क्या हुआ? माननीय मंत्री महोदय, हमारे यहां 58 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, उसमें से 26 मिट्‌टी-पानी परीक्षण प्रयोगशालाएं पीपीपी मोड पर हैं। पीपीपी मोड क्या है, किसको ठेका दिया, किसको नहीं दिया, पता नहीं। पीपीपी मोड की परीक्षण प्रयोगशालाएं मेरे लक्ष्मणगढ़ में भी है, श्रीमाधोपुर में भी है, आपके और भी ध्यान में है प्रदेश में। उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। जब तक एक अधिकारी कम से कम आप पीपीपी मोड पर दो, कैसे भी दो, आपकी मर्जी, आपकी सरकार है, किसान को उस संस्था का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन एक भी अधिकारी वहां सरकार का नहीं होने की वजह से केवलमात्र टैण्डर होने के बाद में वे पैसा उठाकर चले जाते हैं। एक बच्चा गेट के ऊपर बैठा रहता है। मैं बिलकुल वस्तुस्थिति बयां कर रहा हूं। इसलिए मंत्री महोदय, आपसे उम्मीद है कि आप इसको ठीक करेंगे।

हमारे लक्ष्मणगढ़ में कृषि उपज मण्डी के लिए हमने जमीन आबंटित करायी। हमने पैसे दिये। आगे काम नहीं बढ़ रहा है। रसीदपुरा में मुख्य मंत्रीजी ने प्याज मण्डी की घोषणा की थी। रसीदपुरा की प्याज मण्डी को अब कह रहे हैं कि हम तो सीकर से जुड़वाएंगे। क्यों भाई, फतेहपुर इतना खराब है, लक्ष्मणगढ़ इतना खराब है जो सीकर से जुड़वाएंगे? राज का सदुपयोग करना चाहिए, राज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फतेहपुर कृषि उपज मण्डी के तहत आज रसीदपुरा है तो निश्चित रूप से वहीं रहनी चाहिए।

आज कृषि विश्वविद्यालय हैं, हमने खूब खोले। हम ज्यादा समय सरकार में रहे तो हम ही खोलते, आप कहां से खोलते इसलिए हमने खोले लेकिन हमारे कृषि विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है, रिसर्च सेंटरों की स्थिति क्या है? 10 रिसर्च सेंटर हैं जिनमें 55 परसेंट पद खाली हैं, बजट नाममात्र का नहीं है। जो लोग वहां सरकारी नौकरी कर रहे हैं, केवल उनका वेतन चुकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थिति मैं बयां करूं। हमारे यहां राजस्थान में और हिन्दुस्तान के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों में जो फर्क है उसकी बानगी एक मिनट में आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हिमाचल प्रदेश की डा. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर एण्ड फोरेस्ट्री का 2014-15 का बजट 678 करोड़। फिर सी.सी.एस. आजाद यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलाजी, कानपुर 600 करोड़ रुपये। फिर सी.सी.एस. हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार का 2014-15 का बजट 305 करोड़। यह 2014-15 का बजट बता रहा हूं। आंध्रा की आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी 249 करोड़ रुपये। गुजरात सरदार कृषि नगर दांतिवाडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 124.5 करोड़ रुपये। हमारी क्या स्थिति है? स्वामी केशवानन्द राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बीकानेर, 2014-15 में मात्र 25.07 करोड़ रुपये। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलाजी, उदयपुर 69.1 करोड़ रुपये। राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ वैटेरनरी आफ एनिमल साइंस, बीकानेर, केवल मात्र 2014 में 53.7 करोड़ रुपये। कर्ण नरेन्द्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोबनेर 29 करोड़ रुपये। कोटा की यूनिवर्सिटी 17.9 करोड़ रुपये। जोधपुर में केवल मात्र 6.94 करोड़ रुपये। यह हमारा बजट है। 50 परसेंट पद खाली हैं। बजट हम दे नहीं रहे हैं। रिसर्च, जिसके लिए किसान की आवश्यकता है रिसर्च की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो किसान को क्या तोहफा दोगे, उसकी कैसे आमदनी बढ़े, जमीन में किस प्रकार की फसल उनको बोनी चाहिए, क्या रसायन यूज में लेना चाहिए, कौनसी खाद देनी चाहिए, किस प्रकार से किसान को जमीन में क्या बोने से फायदा हो सकता है, इन सब चीजों की रिसर्च के लिए जरूरी है कि रिसर्च सेंटरों को भी दिया जाए।

इसके बाद मैं निवेदन करूं जो आपका फण्डिंग पैटर्न है, वहां 10 परसेंट आपको देना पड़ता था, अब 40 परसेंट देना पड़ेगा जो मेरे ध्यान में आ रहा है। अब आपने बजट बढ़ाया कहां? एक पैसा नहीं बढ़ाया। किसान का ही तो खतम हुआ ना। जो पैसा 90 परसेंट केन्द्र से मिलता था, 10 परसेंट आपको देना पड़ता था उसमें से अब केन्द्र 60 परसेंट देगा तो वह 40 परसेंट पैसा किसान का था, आप 10 ही दे रहे थे, 30 परसेंट का जो गैप है उस बजट में आपने बढ़ाने का काम नहीं किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं खाद की बहुत बड़ी बात हुई। हमारे प्रदेश में यूरिया के दो ही प्लांट है और दोनों प्राइवेट हैं। उनका कंट्रोल केन्द्र सरकार के पास है। हमने भी प्रयास नहीं किये, आप भी नहीं करो तो किसान को वापस उसमें पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

राजीव गांधी कृषक साथी योजना, किसान की खेती में काम करते हुए खेत में अगर उसकी मृत्यु हो जाए, सर्प काटने से, जांटी से गिरने से, और किसी कारण से तो उसको एक लाख रुपये हमारी सरकार देती थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2014-15 में घोषणा की थी कि हम उस किसान को 5 लाख रुपये देंगे। हमें बहुत खुशी हुई। हमने सबने मेजें थपथपायी थीं। मैंने पिछले सत्र में भी आपसे मांग की थी कि आपने एक लाख का दो लाख कर दिया, लेकिन मुख्य मंत्रीजी की घोषणा 5 लाख की है, मंत्री महोदय, आप बताइये। आपने कहा था हम इसको भी भामाशाह बीमा योजना से जोड़कर 5 लाख कर देंगे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आज की तारीख तक भी 5 लाख रुपया नहीं हुआ। मैं आपसे मांग करता हूं कि उस किसान को जिससे आपने वादा किया है बजट घोषणा के माध्यम से, सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से नहीं, उस वादे को आप पूरा कीजिए और उसको बढ़ाने का काम कीजिए, 5 लाख रुपया किसान को मिलना चाहिए। निश्चित रूप से आज किसान उस चौराहे पर खड़ा है, कहीं जाने के लिए उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, इस रास्ते जाऊं, इस रास्ते जाऊं, पानी नहीं, खाद नकली, मिल नहीं रही, बीज नकली।

आज हमारे शेखावाटी का प्याज किसान के लिए पैदावार का है। उसका निर्यात आप खोलिए। आप उसका सरकारी मूल्य तय कीजिए 15 रुपये, 14 रुपये, 13 रुपये और उसकी खरीद आप कीजिए। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो किसान एक दिन ऐसा आएगा कि वह आत्महत्या को मजबूर होगा या मेरे साथी सुबह कह रहे थे कि क्रान्ति आ जाएगी और उस क्रान्ति में राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए जो स्थिति बन रही है उसमें सम्भलना चाहिए, किसान की बहबूदी के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। जिस प्रकार से अभी कह रहे थे कि ऋणों में आप कटौती कर रहे हैं, हिस्सा राशि भी किसान की आपने बढ़ा दी, डेढ़ लाख रुपया भी पूरा आप नहीं दे रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि किसान जब बैंकों से ऋण लेता है तो अनिवार्य रूप से उसकी बीमा की राशि कट जाती है। यह ऐच्छिक होनी चाहिए। क्योंकि किसान को मिलता तो कुछ नहीं और जब वह लोन लेता है तो बीमा के नाम पर पैसा कट जाता है उस चीज को भी देखने की जरूरत है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर है, वहां के कुछ लोग मेरे पास ज्ञापन लेकर आये थे। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां के लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, वहां के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसी क्या स्थिति आ गयी, इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा।

हमारी यूपीए सरकार चारे के निःशुल्क किट बांटती थी, बाजरा हम बांटते थे, वे सारी योजनाएं इन अधिकारियों ने बंद कर दीं।

(19.59 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

मैं आपसे मांग करता हूं कि अधिकारियों के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। ये अधिकारी लाख रुपये से कम कोई तनख्वाह नहीं लेता है। किसान दिन में, रात में बिजली कब आएगी पता नहीं, उसकी फसल का भगवान क्या करेगा पता नहीं। कब ओले गिर जाए, कब शीतलहर चल जाए, कब किसान बर्बाद हो जाए, कब आवारा पशु आकर उसकी फसल को चौपट कर दे, कब प्राइवेट फर्म वाला नकली बीज दे जाए और निश्चित रूप से उसके लिए करने की आवश्यकता है।

(20.00 बजे)

इसलिए आप कीजिये, अच्छा समय है आपके लिए। मैं अभी बजट पढ़ रहा था तो सहकारिता में आधा पेज। माननीय सभापति महोदय, सहकारिता में आधा पेज, यह नहीं होना चाहिए। आप किसान के बेटे हैं, दोनों किसान के बेटे हैं तो इनको मुख्य मंत्रीजी से मिलकर किसान की बहबूदी के लिए करना चाहिए, समर्थन मूल्य तय करना चाहिए, उसको देना चाहिए। सरकारी खरीद के ऊपर चाहे प्याज हो चाहे दूसरी हो, सरकारी मूल्य तय करके आपको किसान का जो प्याज वगैरह है, उसको खरीदना चाहिए। और जब नहीं खरीदोगे तो किसान को बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसी योजना बनाएं...

श्री सभापति: चौधरी चरण सिंहजी ने कहा था कि...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप जो बात कह रहे हैं, आपका भी 5 साल राज रहा तो आपने कितनी बार प्याज खरीदे? यह भी लोगों को बता दें। जो आपने कृषि

(श्री रामहेत सिंह यादव)

ऋण डेढ़ लाख रुपये किया था उसमें कितने किसानों को फायदा किया? यह भी जरा सदन को बता दें ताकि पता चल जाए।

श्री सभापतिः आपने किसान बेटे शब्द का उल्लेख किया तो चौधरी चरण सिंहजी ने यह कहा था कि मैं तो किसान का बेटा हूं पर अजीत सिंहजी हैं वो बैरिस्टर चौधरी चरण सिंहजी के बेटे हैं तो यह फर्क जरा आप देख लेना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान को डेढ़ लाख का ऋण भी मिला था, किसानों के लिए, सुनिये, बताऊंगा, आप तसल्ली रखिये, वो भी बताऊंगा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): बताइये, आपके सारे डाटा रखे हैं, आप बताइये न कितने लोगों को दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 5689 सौर ऊर्जा पम्प सैटों की स्थापना, 86 परसेंट सब्सिडी, राजस्थान का नाम लिम्का बुक आफ रिकार्ड में दर्ज हुआ था। क्या बात कर रहे हो? आप किसानों के मसीहा बन रहे हो, बनिये। लेकिन काम करके बनिये, केवल थोथी वाहवाही लूटने की जरूरत नहीं है। किसान के लिए सबसे खराब बजट है। केन्द्र आपको पैसा दे नहीं रहा है, फण्डिंग आप बढ़ा नहीं रहे हो।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): इसीलिए 21 आये थे। 21 क्यों आये थे यह बताओ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसा है, हमारी जब सरकार थी उससे 5 गुना प्याज आ रहा है। हमारी सरकार के समय 2 रुपये किलो कभी प्याज नहीं बिका। आज किसान रो रहा है और आपकी सरकार को कोस रहा है कि 2 रुपये किलो के प्याज हो गये।

श्री भैराराम चौधरी (संसदीय सचिव): आप बात को घुमा रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बैठिये। इस प्रकार वाद-विवाद नहीं होता, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसा है, संसदीय कार्य मंत्री जी बीच में बोलें तो ठीक लगता है लेकिन संसदीय सचिव तो कुछ होता ही नहीं है। आपके मुंह पर तो ऐसी पट्टी लगा दी है एक लाल बत्ती की गाड़ी देकर के कि न तो आप प्रश्न लगा सकते, न किसान की बात कर सकते और

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

न मंत्रालय सम्भाल सकते। इसलिए आप तो मेहरबानी करके आराम से बैठे रहो। संसदीय सचिवों की ऐसी दुर्गति होती है, राजस्थान का इतिहास गवाह है कि एक-आधा मेरे भाई रमेशजी आये न वो तो आ जाता है, बाकी दुबारा लौटकर नहीं होता इसलिए ज्यादा राज़ी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री हीरालाल (निवाई): डोटासरा, चार बैठे हैं और चारों ही वापस आएंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चार तो हैं पर जीतकर दुबारा कम आते हैं क्योंकि इनको काम का मौका नहीं मिलता। (व्यवधान)

श्री भैराराम चौधरी (संसदीय सचिव): हमारी चिंता आप मत करो। आप तो अपनी चिंता करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं कृपया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है और किसान के ऊपर चर्चा हो रही है। किसान के लिए सुझाव सबने दिये और मैं भी सुझाव दे रहा हूं।

श्री सभापति: आप दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो फसली ऋण है उसको आप बढ़ाने का काम करें। माननीय मंत्री महोदय, जो डेढ़ लाख रुपये की आपने घोषणा कर रखी है, पूरे डेढ़ लाख रुपये किसान को देने चाहिए। जो जीएसएस की समस्याएं हैं, जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है वो अच्छा काम है, नहीं है वो आप ज्यादा समझते हैं क्योंकि आप मंत्री हैं लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि किसान को असुविधा नहीं होनी चाहिए, किसान के बीच में फटका नहीं लगना चाहिए और उस बात की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। जिस प्रकार से आज किसान को जो पैसा मिलना चाहिए था वो मिले। माननीय रामहेत यादव साहब, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे समय में शीतलहर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर सम्बोधित करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, शीतलहर में किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी तब उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता था...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप आसन की तरफ देखकर बोलो, ऐसे सीधा सदस्य को मत कहो, आसन की तरफ देखो।

श्री सभापति: आप इधर देखें।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय सभापति महोदय, जो आप कह रहे हो कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ हमारी सदन की नेता ने दो दिन राजस्थान की विधान सभा को स्थगित करके सारे जन-प्रतिनिधियों को कहा कि अपने क्षेत्र में जाइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसको मिला क्या?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): मिला, जो तय हुआ वो मिला।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजस्थान का किसान आत्महत्या कर रहा है, एक कौड़ी नहीं मिली। (व्यवधान) दो दिन छुट्टी कर आये, मीडिया में फोटो चमका कर आ गये। उस फोटो से क्या मिला आपको? (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जाइये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक पैसा मिला था पिछली बार।

श्री सभापति: देखिये यह वाद-विवाद का कोई तरीका नहीं है। आप आसन को सम्बोधित करिये, इस प्रकार से वाद-विवाद करना ठीक नहीं है और यह वाद-विवाद का तरीका भी नहीं है। मैं इस प्रकार से अलाउ नहीं करूंगा। कोई इंटेलीजेंट इंटरवेंशन करे तो बात समझ में आ सकती है पर बिना मतलब की बात करना उचित नहीं है। इंटेलीजेंट इंटरवेंशन करिये ताकि सबको आनन्द आ जाए। यह रूढ़िवादी तरीका उचित नहीं है। माननीय गोविन्द सिंहजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी ही तरफ देखता हूं क्योंकि आपका शुरू से मेरे ऊपर आशीर्वाद है। आपका जिसको आशीर्वाद मिल जाता है न वो निहाल हो जाता है और आपकी दृष्टि जिसके प्रति तिरछी हो जाती है उसको अन्ततोगत्वा नुकसान उठाना पड़ता है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, इंटेलीजेंट इंटरवेंशन क्या होता है? क्या होता है, इसकी परिभाषा समझाओ आप हमें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर आप समझते तो सांसद ही रहते, एमएलए नहीं बनते और नगरपालिका में चेयरमैन नहीं बनते।

श्री सभापतिः आपसे पूछा नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): डोटासराजी, इनके आशीर्वाद से विपक्ष वाले ही निहाल होते हैं या सत्ता पक्ष वाले भी होते हैं? यह भी बता दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): देखो, मन में तो, इनके भाषण के बाद में सारे के खिलखिलाहट होती है और बाहर से मैडम को दिखाने के लिए नाराजगी प्रकट करते हैं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं ये बार-बार कहते हैं कि नगरपालिका के चेयरमैन हैं। ये नगरपालिका के चेयरमैन नहीं हैं इनको सरकार ने यूआईटी का अध्यक्ष बनाया है। यह आप करैक्ट कर लें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई ज्यादा फर्क नहीं है और मेरे को ध्यान में नहीं था। मैं ज्यादा फर्क नहीं मानता हूं। अगर यूआईटी का चेयरमैन ज्यादा बड़ा होता है, वो तो नोमिनेट होता है। चेयरमैन तो फिर भी बड़ा होता है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आप करैक्ट कर लें।

श्री सभापतिः आपका समय जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपकी मेहरबानी है। इनको काम करने का तजुर्बा है या नहीं है या मुख्य मंत्रीजी ने इन मंत्रियों को मसोस रखा है, मैं तो यह नहीं कह सकता क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी तक यह बात आई नहीं कि हो क्या रहा है। अब आप देखिये कि जल ग्रहण विकास जिसका नाम प्रधान मंत्रीजी ने केन्द्र में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना किया है। आईडब्ल्यूएमपी जो था उसमें 1609.27 करोड़ रुपये का बजट था और आपने दिसम्बर, 2015 तक खर्चा 139.15 करोड़ रुपये किया है। आप कहां की बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय औषधि मिशन में 49.91 लाख की इनकी योजना थी और एक रुपया इन्होंने खर्च नहीं किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि... कोई बात नहीं, चले गये लेकिन वो सुन रहे हैं, उनके मन में भी है लेकिन पता नहीं या तो मुख्य मंत्रीजी ने कहीं न कहीं कोई स्क्रू टाइट कर रखे हैं या फिर अधिकारी काबू में नहीं आ रहे हैं।

श्री सभापति: स्क्रू लूज ही नहीं है तो टाइट कहां से करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं किसान के लिए हम सबको सोचना पड़ेगा कि किसान की फसल किस प्रकार से उसके घर तक पहुंचे, किस प्रकार किसान की फसल सुरक्षित रहे, किस प्रकार किसान को जो मूल्य उसकी मेहनत का है, उसके अन्न का, उसकी उपज का है वो मूल्य किसान को मिलना चाहिए परन्तु वो मूल्य नहीं मिल रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने पहली बार जो ये भण्डारण हैं चाहे बैंक हैं इनको कम्प्यूटरीकृत करने के लिए पैसा दिया, पहली बार हमने जो जीएसएस थी उन जीएसएस में कोई आमदनी नहीं होती है। उसके गोदाम वगैरह के लिए भी पैसा नहीं था पर हमारी सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए....

श्री सभापति: अब जो प्रमुख बात कहनी हो वो कहिये आप। इस प्रकार की बातें तो पहले बहुत आ चुकीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रमुख तो एक ही मिनट में कर लूंगा और वो आपको पता ही है।

श्री सभापति: हां, करिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वो भण्डारण के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए....

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं, सुनो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): बातें प्रमुख होतीं तो 60 साल तक ये ऐसे नहीं गुजारते। प्रमुख नहीं था इसलिए तो 60 साल गुजारे हैं और उस पाप को अब बोलकर क्या कहना चाह रहे हो?

श्री सभापति: षष्ठीपूर्ति कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी विद्वान हैं और कृषि पर बोलना चाह रहे हैं, अपराध पर नहीं बोलते हैं। सुबह हमने एक बजे तक हल्ला किया कि आपने इस प्रकार सदन को गुमराह करने का काम किया, अपराधियों को बढ़ाने का काम किया, उस वक्त तो जवाब दिया नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने विषय पर आ जाएं। मैं समय समाप्त कर दूंगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठ जाएं। अब आप बैठ जाएं। (व्यवधान) आप भी सुन लें माननीय सदस्य। आप विषय पर बोलें और अब विषय पर नहीं बोलेंगे तो मैं समय समाप्त कर दूंगा। कृपया बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विषय पर ही बोलेंगे, साहब, वह तो। जब मंत्रीजी ने बीच में थोड़ा-सा किया है तो मैं भी, जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं छोटा हूं, मैं मानता हूं कि मैं काफी जूनियर हूं लेकिन फिर भी...

श्री सभापति: आप विराज जाएं। देखिये, संसदीय सचिव का यह मतलब नहीं है कि कभी भी बोल लें आप। आप बोलें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, इस किसान की सुध लेने वाला अगर कोई है तो कांग्रेस सरकार है। भारतीय जनता पार्टी केवल अडानी और अम्बानी की सुध लेने वाली सरकार है। यह एमओयू कर रहे हैं यहां। किसान के लिए क्या किया इन्होंने? एक रुपये का काम किया हो तो बताओ। 300 करोड़ रुपये पानी की तरह बहा दिये। आ रहे हैं, महिन्द्रा सिटी वाले आ रहे हैं। उसको जमीन दे रहे हैं, दूसरे उद्योगपतियों को दे रहे हैं। रिफाइनरी को अटका कर रख रहे हैं। किसान की माली हालत को सुधारने के लिए सवा दो साल में इन्होंने एक कौड़ी नहीं लगाई, मैं निवेदन करना चाहता हूं। किसान की थोथी वाहवाही लूटने की जरूरत नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह किसान जिसने 159 का आंकड़ा आपको दिया। जिस किसान के बेटे को आपने नौकरियों के नाम पर छला। जिस किसान को मालामाल करने के नाम से आपने छला। जिस किसान को ऊंचा उठाने का थोथा सपना लेकर सुराज संकल्प यात्रा में गये थे, आज उसकी आत्मा रो रही है। वह किसान आपको बख्शेगा नहीं। हम तो फिर भी 24 आ गये, आप चार आओगे, चार। देख लेना, आने वाला समय बता देगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, इस सरकार को सवा दो साल हो गये हैं। किसान की बहबूदी के लिए इनको काम करना चाहिए। किसान किस प्रकार खुशहाल रह सकता है। और ज्यादा ऋण जो हमने बढ़ाया था, उसको और ज्यादा आप बढ़ाइये। किसान का चाहे वह मूंगफली हो, चाहे गेहूं हो, चाहे प्याज हो, उसका समर्थन मूल्य घोषित करके, उसको अनुदान देना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त हुआ। विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकारी पैसा तय करके वह प्याज की फसल की हमारे सीकर की लास्ट में बात करके, एंड करूंगा।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सीकर में पहले तो प्याज का बीज खराब आ गया, उससे किसान बर्बाद हो गया। आज उस सीकर के किसान का प्याज दो रुपये किलो में कोई लेने वाला नहीं है जो 10 और 15 रुपये किलो में बिकता था। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इस बात की अगर आप व्यवस्था रिप्लाई में दें या 30 तारीख को मुख्य मंत्रीजी से कुछ कहलवायें तो मैं समझता हूं, किसान के आंसू पोंछने का काम सरकार करेगी, नहीं तो उत्तर बीका मेरी बारी। अबकी बार आप, अगली बार हम।

श्री सभापति: आप विराज जाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये होने वाला है। इस बात को गांठ बांधकर चलिये। आपने मुझे समय दिया, किसान की बात करने का अवसर प्रदान किया, इसलिए निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा...

श्री सभापति: विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी रसीदपुरा की कृषि मण्डी को माननीय कृषि मंत्रीजी, सीकर से एड नहीं करे। वह फतेहपुर में रहनी चाहिए। लक्ष्मणगढ़ की कृषि उपज मण्डी है, उसमें हमने जमीन दे दी, उसके लिए चारदीवारी के लिए पैसा दीजिये, आगे की योजना के लिए पैसा दीजिये...

श्री सभापति: धन्यवाद। विराजिये, विराजिये, विराजिये।

एक माननीय सदस्य: उसका क्षेत्र तो वही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और एक अंत में फतेहपुर में कृषि महाविद्यालय हमारी सरकार के समय किसान आयोग के अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंहजी थे, उनकी अभिशंसा पर खोला था। उस कृषि महाविद्यालय में हमने 50 लाख रुपये का बजट दिया था। आपके आने के बाद में, तीन साल में कमरा एक भी नहीं बना, अभी तक भी प्लिंथ लेवल तक का काम है...

श्री सभापति: समाप्त हुआ। अब आप विराजिये। विराजिये माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उस काम को आगे बढ़ाइये। स्टाफ दीजिये। किसान की बहबूदी के लिए दीजिये वर्ना किसान की आत्मा अगर रो देगी तो आपका, आपकी पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए अगर पार्टी को बचाना है, दुबारा जीतकर आना है तो किसान के लिए काम कीजिये। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये, विराजिये। माननीय श्री तरुण राय कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): धन्यवाद। आज के इसी पवित्र सदन में मांग संख्या 36, 37 और 39 के ऊपर जो आपने मुझे बोलने का जो मौका फराहम किया, जिसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज सुबह से लेकर अभी 8 बजे, 8.15 बजे तक हमारे प्रदेश के किसानों के फलाह-बहबूदी, उनके मसाइल, उनके तकलीफात के वाबस्ता जोरदार बहस और शानदार सुझाव भी आये। हालांकि यह कुदरत का करिश्मा है, प्रकृति का नियम है कि किसान शुरू से लेकर जिस समस्याओं से काफी तकलीफों से लोहा लेता आ रहा है। हमें किसी ने कहा, ''जब बहार आती है तो गुंचे फूल जाते हैं, जब विधान सभा में आते हैं तो किसान को भूल जाते हैं।'' मैं यह कहना चाह रहा था, सुबह से हमारे काफी मैम्बरान ने अपनी तकरीरों में मुखातिब होकर काफी कुछ कहा। हालांकि पीड़ा है, सब लोगों के दर्दमंद है लेकिन किसान हमारा प्रकृति की मार से खौफजदा है, उनके लिए हाल तक हम कुछ नहीं कर पाये हैं, जिसके लिए कौन जवाबदेह है? हालांकि कई माननीय सदस्यों ने तीनों विभागों को एक साथ जोड़कर एक नजरिये से देखने की कोशिश की है। काफी उसके लिए मुतालबे भी किये हैं। मैं इसी सदन के जरिये, सभापति महोदय, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने पहले बताया, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी कहा था कि किस तरह से वह कोसां थी, जिन्होंने दो दिन हमको फील्ड में भेजकर किसानों की सुध के लिए काम किया था। अभी हमारे मुखालफत पार्टी के लोग काफी बड़े जोश-ओ-खरोश से हमें मुखातिब होकर कह रहे हैं। हां, आपने शासन किया, सब कुछ किया लेकिन जो थोथी घोषणाएं कर-करके आपने वाहवाही लूटी, जिसका परिणाम आप भुगत रहे हो।

मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं...

श्री सभापति: हां, यह ठीक है। वही करिये।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन, बाड़मेर जिले और भारत काबिल कोई पश्चिमी सीमावर्ती इलाका है। वह हमारा इलाका पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है। वह हमारे प्रदेश गुजरात से सटा हुआ है। बहुतेरे रेगिस्तानी मरूस्थलीय इलाका है जहां हमारे किसानों के कई अकाल गुजरे हैं। अकालों की मार खाई है। अतिवृष्टि, ओले, शीतलहरें, सबको हमने सहन किया है। लेकिन हमारे किसानों को यहां कई हमारे मैम्बर जलील

(श्री तरुण राय कागा)

करते हैं, हमारे किसान जलील नहीं हैं। वह बहादुर हैं, बुजदिल नहीं हैं। जब इन्द्र भी रूठ गया था, तब भी हमारे किसानों ने हल चलाना शुरू किया। इन्द्र ने आकर पूछा कि अब क्या कर रहे हो? तो हम इन्द्र जैसे नहीं है जो बरसना बंद कर दें। हम तो हल चलायेंगे, क्या पता, हम हल चलाना भूल नहीं जाएं। वह हमारे किसान हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है, हम उनका मनोबल खौफजदा कर देते हैं। यह हमको नहीं करना चाहिए था। खुदकशियों की कभी-कभी बातें आती हैं, आत्महत्याओं की बातें आती हैं। हां, हमारे बायतू से आये हुए माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा। हम लोग आज दिन तक, आजादी के कई वर्षों के बाद भी उनकी फसल की कीमत तय नहीं कर पाये हैं। हमारे लिए बहुत शर्मसार बात हो सकती है। हमें उस मुद्दे पर आना चाहिए। हम किसानों के लिए फलाह-बहबूदी की बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें ही करते हैं, लेकिन उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, जिसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह हमारा पहला बिन्दु है। पहला नुकात है।

अब हमारा जो किसान है, उनका जल, जमीन, जानवर और जंगल से गहरा रिश्ता है। हम इनके साथ-साथ जुड़े हुए हैं। जब तक चारों चीजों का हमारा सामंजस्य है, जो मजमुआत है या इनका संयुक्त रूप से जिस तरह से नहीं कर पायेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं...

किसान हमारा, हमारे यहां तो ऐसी दुःखी हालत में भी हम वहां क्यों मूंछें रखते थे, भूखे होकर के मूंछ पर चावल रख ताव लगाकर के बाहर निकलते थे कि हम लोग चावल खाकर के आए हैं। वो हम किसान हैं, हम कोई ऐसे बुजदिल नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर के किसानों की हिम्मत अफजाई करनी पड़ेगी, हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। उनके लिए अब काफी कुछ जो है, मंसूबा बंदिया करेंगे। सिर्फ कोरी कल्पना और कोरी भाषण-बाजी करके हम किसानों का भला नहीं कर सकते हैं। आज राजस्थान का किसान हमारी इस विधान सभा में आज किसानों की माँगों के ऊपर टक-टकी निगाहें लगाकर के हमारी ओर बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आज हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं कि हमारे किसान, मैं मेरी विधान सभा क्षेत्र के लिए निवेदन करूं कि वहां हमारे जीरा होता है, ईसबग़ोल होता है, अरण्डी होती है। बाकी चौमासे की सारी फ़सलें हमारे वहां होती हैं हालांकि हमारे रेगिस्तानी इलाका जरूर है। मैं कहता हूं हमारे वहां, मैंने पहले पानी पर भी बोला था कि हमारे वहां पानी की किल्लत जरूर है, पानी की

(श्री तरुण राय कागा)

परेशानी जरूर है। लेकिन हम लोगों में पानी जरूर है, हमारी आंखों में पानी है, हमारे जिस्म में पानी है, जो रहिमन वाला दोहा है वह हमारे ऊपर भी लागू होता है बिन पानी सब सून।

श्री सभापतिः संक्षेप करें थोड़ा सा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): साहब, अभी तो मैंने शुरूआत की है। साहब, बार्डर पर भी हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं बिना किसी तनख्वाह के, किसी वजीफे के हम सुरक्षा कर रहे हैं। आप तो मिलिट्री को, वायु सेना, थल सेना, जल सेना, सबको तनख्वाह देते हो लेकिन हम तो आपकी बिना तनख्वाह के वहां की सुरक्षा कर रहे हैं इसलिए हमको थोड़ा बहुत बोलने का मौका तो दो।

श्री सभापतिः हां, बोलिए, आप थोड़ा-सा बोलिए जरूर।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): थोड़ा बोल लेते हैं। अभी तो मेरी थोड़ी -सी बात रह गयी है। किसानों के बारे में आप सब लोगों ने कहा है मैं उन सब बातों का समर्थन करता हूं। हालांकि मेरे आगे वाला सब्जैक्ट ही ले लेता हूं सभापति महोदय, मैं बिलकुल फरमां बरदार आदमी हूं। मैं इतना ज्यादा उल्लंघन भी नहीं करता हूं, वक्त का ख्याल रखता हूं। मेरे वहां चोली और दामन का साथ है पशुपालक, किसान इनका आपसे में सबका तालमेल है। आज का किसान, हमारा जब चारागाह होता था, बहुत बड़ी ज़मीनों में होता था और लोग ज्यादा पशुपालन का धंधा करते थे। आजकल उतना नहीं होकर के किसान एक गाय या दो गाय या कुछ बकरियां या भेड़ वगैरह तक सीमित हो चुके हैं। अब पशुओं को जो बीमारियां होती हैं उनको चिकित्सा सुविधा की दरकार होती है। तो मेरा विधान सभा क्षेत्र भी पहले तो एक पंचायत समिति मुख्यालय था, वो ही उपखण्ड मुख्यालय था, वो ही तहसील था। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वहां नया तहसील, दो उपखण्ड, तीन पंचायत समितियां बनाई हैं जिसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का हृदय से स्वागत करता हूं और हमारे पंचायतीराज मंत्रीजी मिस्टर गुलाब चन्दजी कटारिया साहब ने हमको जो एक बहुत बड़ी सौगात दी है, इसके लिए मैं इनका बहुत दिल से शुक्रियाअदा करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों की दरकार है। जिस तरह से हमारे दूसरे चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में जो एम्बुलेंस वगैरह होती हैं या मोबाइल टीम होती है उसी तरह से पशु चिकित्सा की भी व्यवस्था और

(श्री तरुण राय कागा)

इंतजाम हमारे वहां किए जाएं। और वैक्सीन वगैरह का भी इंतजाम किया जाए। जो भी हमारे पहले से कार्यरत संस्थाएं हैं या अभी जो नई जेर-ए-विचार है, उन केन्द्रों पर भी पूरा स्टाफ लगाना चाहिए।

श्री सभापति: अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): बस एक मिनट में ही समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: हां-हां, एक-दो मिनट बोल लें।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): मैं यही कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और मैं सहकारी विभाग से और सहकारी मंत्री से भी आपके मार्फत मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे अभी जो बीमा वगैरह शुरू हुआ है। मेरे पांच-छह गांवों में बीमा नहीं मिला है वह बीमा अभी तक अधर झूल में है। कलक्टर और एमडी के वहां लोग चक्कर काट रहे हैं, उनको आप थोड़ी गम्भीरता से देखें। मैं एक और बात करना चाहता हूं, हमारे पंचायतीराज मंत्री यहां विराजमान हैं। हमारे वहां नरेगा में व्यक्तिगत समूह में तीन जनों का समूह बनाकर के बेरा खोदने का जो अनुमत किया है, उसके लिए मैंने पहले मंत्री महोदय जब आप बाड़मेर पधारे थे तब भी निवेदन किया था। हमारे किसानों के हित में उनको व्यक्तिगत फायदा देने के लिए जो पहले वसुन्धराजी की सरकार थी, उस समय जो बेरा देने की कही गयी थी। जिस तरह से वो किसान आज की तारीख में खुशहाल है, आबाद है और उस तरह से अभी उनको अनुमत व्यक्तिगत रूप से तीन जनों की जो शरायत है उसको निरस्त करके उस जगह किया जाए। आप किसानों का भला चाहते हो तो इसी मनरेगा की जगह मनकरेगा योजना, मैं क बीच में इसलिए कहूंगा कि किसानों को इसके साथ में जोड़कर के...

श्री सभापति: समाप्त हुआ, माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, सदन के सामने कृषि, पशुपालन और सहकारिता पर आज की बहस में अनेक विद्वान जनों के और अनेक ठेठ किसान के प्रतिनिधियों के भाषण इस सदन में हो चुके हैं। सभापतिजी...

श्री सभापति: आपको कौनसी में रखेंगे हम?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा क्षेत्र तो नगरपालिका रहित है इसलिए आप तय करें कि मैं किस क्षेत्र से आता हूं। मेरा निवेदन यह है कि हमारे बजट का आकार बढ़ रहा है, मुख्य मंत्रीजी, पर मैं जब आपके द्वारा वितरित निष्पादन आय व्ययक को देखता हूं तो राजस्थान जहां 2013-14 में था, उससे न तो खाद्यान्न में आगे गया है, न तिलहन में आगे गया है, गन्ने में जरूर आगे गया है। कपास में पीछे चले गये और ग्वार में 2013-14 से भी कम उत्पादन आप द्वारा वितरित निष्पादन आय व्ययक में दर्शित है। मैं सदन का समय बहुत कम है इसलिए एक-एक आइटम को बताता नहीं हूं क्योंकि आपकी सब बातें माननीय कृषि मंत्रीजी के ध्यान में हैं। सर्वाधिक बात यह कही जा रही है कि राजस्थान में 12-13 जिले तो रेगिस्तान हैं और जैसा राजस्थान का कुल भूगोल है उसमें रेगिस्तान, बारानी ज़मीनें, 70 परसेंट ज़मीनें बारानी हैं और 30 परसेंट से अधिक सिंचित क्षेत्र नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजस्थान में 30 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है तो कृषि मंत्रीजी, राजस्व मंत्रीजी नहीं है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह राजस्थान की सरकार सिंचित क्षेत्र के उत्पादन को और बारानी क्षेत्र के उत्पादन को अलग-अलग करे। अन्यथा पता ही नहीं चल सकता कि हम सिंचित क्षेत्र में आगे जा रहे हैं कि बारानी क्षेत्र के उत्पादन में आगे जा रहे हैं। कुल उत्पादन में देखते हैं तो 2013-14 के मुकाबले उत्पादन कम है और 2013-14 के बाद 2014-15, 2015-16 सिंचाई में हजार करोड़ से ऊपर खर्च हो चुका है। राज्यपाल महोदय अपने भाषण में कह चुके हैं कि हम 40 हजार हैक्टेयर से ज्यादा सिंचित क्षेत्र का निर्माण कर चुके हैं। तो नए 40 हजार हैक्टेयर क्षेत्र का निर्माण हुआ राज्यपाल महोदय के इस साल के भाषण में और पिछले दो साल के भाषण भी उठाकर देख लें तो हर साल सिंचित क्षेत्र कितना बन गया, उसका ब्यौरा है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग सिंचित क्षेत्र और बारानी क्षेत्र के उत्पादन को अलग-अलग रिकार्ड करना शुरू करे ताकि सिंचित क्षेत्र का उत्पादन कितना बढ़ा और बारानी में हमारे प्रयासों से, सरकार के प्रयासों से, कृषि विभाग के प्रयासों से कितना उत्पादन बढ़ रहा है, हम इसको देख सकेंगे।

सबसे बड़ी बात यही है न कि बारिश पर हम निर्भर हैं। बारिश की पर्याप्तता और तीव्रता और उसकी नियमितता इन सब बातों पर ही राजस्थान के कृषि उत्पादन के आंकड़े निर्भर हैं। सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक न एक दिन ये जो प्रकृति पर हमारी निर्भरता है यह निर्भरता कैसे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

खतम हो, इस पर मूलभूत रूप से विचार आपको करना ही होगा। सदन के यह ध्यान में ही है...।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): सभापति जी, ये आपकी तरफ तो देखें कम से कम।

श्री सभापति: वे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं वे दोनों तरफ देखें तो ही ठीक है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): चारों तरफ देखें।

श्री सभापति: चारों तरफ देखें। इनके देखने में कोई गड़बड़ नहीं है। दृष्टिदोष नहीं है, आप चिन्ता न करें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इनके चारों तरफ देखने से किसी को कोई खतरा नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इनमें कोई दृष्टिदोष नहीं है, आपकी दृष्टि में ही दोष है। इनको देखने दो। और देख भी प्रभू लाल जी की तरफ रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जलग्रहण की खूब चर्चा रही। जल स्वावलंबन जो मुख्य मंत्रीजी ने शुरू किया, उसकी भी खूब चर्चा है। जलग्रहण और जल स्वावलंबन, ये जल स्वालंबन तो अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुरू किया है इसी 27 जनवरी से। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जल ग्रहण में आप क्या बना रहे हैं और क्या जल स्वावलंबन में बना रहे हैं? आप तीस हजार लीटर का एक स्ट्रक्चर हर खेत में बना रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं...।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): लीकेज हो रहा है वो भी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अब उसको छोड़िये। लीकेज को आप देखते रहना, मैं तीस हजार को देख रहा हूं। लीकेज को अलग से देखेंगे। लीकेज तो दो-चार कट्टे सीमेंट का ही काम है, उसको अपन मिटायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, एक लाख लीटर का स्ट्रक्चर यदि एक बारानी खेत में बनता है, ईश्वर पर भरोसा करिये, सात-आठ बार बारिश होगी और सात-आठ बार यदि एक लाख लीटर का कुंड भरता है और इस कुंड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं मुझे मालूम है कि हर जमीन में सिंचित बहाव का पानी, नहरों का पानी नहीं पहुंच सकता और जब नहरों का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पानी नहीं पहुंच सकता तो बारानी क्षेत्र के लिए विकल्प ही यह है कि हम एक लाख लीटर का स्ट्रक्चर बनाएं बजाय तीस हजार लीटर के स्ट्रक्चर को बनाने के। तीस हजार लीटर का स्ट्रक्चर, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी बैठे हैं, जल स्वावलंबन इन्हीं के नीचे हैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के नीचे है। मैं निवेदन करता हूं कि आज आप डेढ़ लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया कि यदि यही रुपया आप किसान के हाथ में दें तो पचास हजार लीटर का कुंड उसी डेढ़ लाख में आज भी बनता है। आप कोस्टिंग करायें, दुबारा करायें, मैंने पहले भी निवेदन किया। आपको स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। ये जल ग्रहण समितियां, ये जल स्वालम्बन समितियां पंचायतों की समितियां, पंचायत के हाथ में सारा रुपया और सारे किसानों के खेतों में उन पंचायतों के द्वारा जल स्वावलम्बन बनाया जाना, वो पचास हजार लीटर की जगह तीस हजार बन रहा है। आपकी सरकार, आपके सारे एस्टीमेट करने वाले उसको देख रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि डेढ़ लाख में तीस हजार लीटर का ही बनेगा। मेरा दावा है, माननीय कृषि मंत्रीजी, और पंचायत मंत्रीजी, कि डेढ़ लाख लीटर में किसान के हाथ में रुपया आने से पचास हजार लीटर का कुंड बनेगा। मेरा कहना यह है कि आप यदि साठ हजार करोड़ रुपये बिजली कम्पनियों का अपने माथे ओढ़ सकते हैं और फिस्कल डेफिसिट हमारा 9.9 परसेंट हो सकता है, 3-3.5 की सीमा को लांघ कर, लक्ष्मण रेखा को लांघ कर यदि हम फिस्कल डेफिसिट 9.9 बर्दाश्त कर सकते हैं तो 20-30 हजार करोड़ रुपये राजस्थान के बारानी क्षेत्रों में प्रकृति पर निर्भरता को खतम करने के लिए जो भी जल स्वावलम्बन और जलग्रहण बना रहे हैं, आप उसका स्ट्रक्चर चेंज करिये और एक लाख लीटर की क्षमता का बनाइये।

सभापतिजी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी-किसी का खेत चार बीघा ही है। लाख लीटर की जरूरत नहीं है। दस बीघा का खेत है तो लाख लीटर ही चाहिए। लाख लीटर पानी होगा तो वो उसका परिवार पीयेगा उसके पशु पीयेंगे और लाख लीटर का पानी जब सात बार इकट्ठा होगा तो तीन बीघा जमीन सिंचित होगी। हम सोलर एनर्जी के एज में जी रहे हैं। हम ड्रिप इर्रिगेशन से भी परिचित हैं। यदि आपने लाख लीटर का पम्प दिया तो सोलर एनर्जी प्लस ड्रिप इर्रिगेशन चार बीघा जमीन उसकी सिंचित होती है, उस रेगिस्तान में उसकी काया पलट होगी। उस रेगिस्तान में हमारी निर्भरता जो बारिश पर है यदि हमने कुंड बनाया तो हमारी सारी निर्भरता माननीय कृषि

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मंत्री जी, खेती की दृष्टि से समाप्त हो सकती है। विचार आपको करना है, राज्य सरकार को करना है कि हम इसमें किसान के हक में अपने इस कुंड निर्माण के काम को करें। कोई कहता है कि मैं नहीं बनाता, पंचायत बनाएं, बहुत अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है। पर जो किसान कहता है कि मैं बनाऊंगा आप उससे डेढ़ लाख में पन्द्रह हजार रुपये क्यों लेना चाहते हैं? यदि किसान कहता है कि मैं बनाने को तैयार हूं तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन वो बनाना चाहता है तो उसको लिबर्टी दीजिये कि वो बनाये। लाखों किसान परेशान हैं इस जल स्वावलम्बन में पंचायतों के द्वारा ये कुंड उनके खेतों में बनाये जाने से। उनके घरों में भी जो कुंड बन रहे हैं रूफ टॉप पर, लोग कहते हैं कि घर तो हमारा और बनाएगी पंचायत रूफ टॉप का पानी इकट्ठा करने का स्ट्रक्चर।

मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि यदि प्रकृति पर निर्भरता को खतम करना है, लाखों-लाखों खेतों में एक लाख लीटर का जल कुंड बनाइये। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं सिंचाई मंत्रीजी अभी नहीं हैं एक क्यूसेक्स पानी से लाख लीटर का कुंड एक घंटे में भरता है। मैं कोई इर्रिगेशन का एक्सपर्ट नहीं हूं मैंने यह आंकड़ा अनेकों सिंचाई अभियंताओं से, चीफ इंजीनियर्स से बात करके जानकारी प्राप्त की है। इस जानकारी को मैंने एक बुकलेट में भी डाला है और उसकी मैं कुछ लाइनें आपको पढ़ कर सुनाता हूं, 'एक क्यूसेक्स पानी की क्षमता का पानी यदि एक लाख लीटर के जल कुंड में डाला जाए तो वह जल कुंड साठ मिनट में भर जाता है।' यानी एक घंटे में एक लाख लीटर के जल कुंड को एक क्यूसेक्स के प्रवाह का पानी भर देता है और 24 घंटे में एक क्यूसेक्स पानी की क्षमता 24 जल कुंडों को भरने के लिए काफी है। चूंकि नहर 160 दिन चलती है तो 24X160=3840 कुंड नहर की एक क्यूसेक्स पानी की क्षमता का निर्माण कर देते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 3840 को गुणा करिये सौ क्यूसेक्स से माननीय मंत्री महोदय, और सौ से गुणा यदि आप करते हैं तो ये 3 लाख 84 हजार कुंडों का फीगर आता है और नरेगा में जब माननीय मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजेजी थी तो 2008-09 में नरेगा के तहत 6175 करोड़ का व्यय किया गया। अगले 2009-10 में 9295 करोड़ रुपये का प्रावधान नरेगा में रखा गया। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि नरेगा तो सबसे बड़ा रद्दी प्रोग्राम है और पता नहीं क्या-क्या कह रहे थे जबकि प्रधानमंत्री तो नरेगा के अब गीत गा रहे हैं। भाजपा के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

एक साथी किशनगढ़ से आने वाले नरेगा को कोस रहे थे कि इससे खराब तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। मैं निवेदन करता हूं कि आज तो प्रावधान 6100 करोड़ का नहीं है, जब 6100 करोड़ का प्रावधान था तो 63 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ था और राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कहा है कि इस साल 38 लाख मानव दिवसों का सृजन हुआ है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 43 लाख परिवारों को तो रोजगार दिया है और 23 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 23 करोड़? खैर आप अपना फीगर चैक करें। जो धन खर्च हुआ 2008-09 में वो 6100 करोड़ था।

श्री सभापति: इसमें देख लें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 6175 करोड़ था पर आज मेरा कहना है कि आपका धन चार हजार करोड़ से ऊपर नहीं है नरेगा में और उसकी मजदूरी भी बढ़ गयी है, 173 हो गयी है। जो फीगर मैं दे रहा हूं 63 लाख मानव दिवस 2008-09 में, उसको चैक कर लीजियेगा कि राज्यपालजी ने कितने लाख मानव दिवस बताये हैं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नरेगा के प्रावधानों को बढाइये। नरेगा में केन्द्र सरकार का कानून है, नरेगा किसी की कृपा पर नहीं है और नरेगा में दो तिहाई भी कुंड बनाने का काम करें, नरेगा में 40 परसेंट सामग्री उपलब्ध है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, यदि हमारा प्रावधान 9 हजार करोड पर हो और हम 2/3 भी कुंडों पर खर्च करें तो हमें 6 हजार करोड़ रुपये मिलते हैं। 6 हजार करोड़ रुपये में हम 3 लाख 84 हजार जल कुंड जिसमें 100 लाख लीटर की कैपेसिटी है, वह हम बना सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा सपना ऐसा लीजिए कि हम इंदिरा गांधी नहर को रीक्रियेट कर सकें। 6-7 हजार लीटर क्षमता की जो नहर है, हम उसको अपने जल कुंडों के द्वारा रीक्रियेट कर सकें, बारानी में 6-7 हजार लीटर कैपेसिटी बढ़ा सकें, ऐसा सपना लीजिए।

श्री सभापति: कल सिंचाई और जल पर भी बहस है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): वह ठीक है। मैं कृषि से सम्बन्धित बात माननीय कृषि मंत्रीजी के ध्यान में ला रहा हूं।

श्री सभापति: लाइए, लाइए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हालांकि यह सब्जैक्ट तो पंचायत का है, ग्रामीण विकास का है पर मैं कहता हूं कि एक कम्पोजिट व्यू लीजिए। कृषि मंत्रीजी, पंचायत राज मंत्रीजी, सिंचाई मंत्री जी, तीनों बैठे हैं और बैठ कर यह देखें कि नरेगा में हम क्या चमत्कार कर सकते हैं। नरेगा खाली कोसने की चीज नहीं है। जब शरद पंवार मुख्य मंत्री थे, सन् 1988 की बात है, उन्होंने नरेगा को हार्टिकल्चर से जोड़ दिया...(व्यवधान) आज भी जुड़ा हुआ है। वह चमत्कार नहीं है जो शरद पंवार ने किया महाराष्ट्र में। कोई चमत्कार कर के दिखाइए। खाली यह कहने से नहीं होता कि आज भी जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ होगा। कोई हार्टिकल्चर में चमत्कार हुआ तो माननीय कृषि मंत्रीजी बता दें कि यह चमत्कार हो गया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अब सुरेन्द्रजी गोयल चमत्कार करेंगे, काफी समय हो गया है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप चमत्कार करें, मैं तो चाहता हूं। सन् 1918 में वापस लौट कर आयें। इनके सपने तो ऐसे ही रहेंगे, यह कह रहे थे म्हारी बारी, यह सब चलने वाला नहीं है।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान) दो लाख से तीन लाख की सीमा की। पौधे लगाने के जो 3800 रुपये रखवाली के देते हैं और जो-जो हम इसमें कर सकते हैं वह-वह करने का प्रयत्न किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप जो-जो कर रहे हो उसको मैं बारीकी से देख भी रहा हूं और मैं जब कह रहा हूं कि हार्टिकल्चर से जोड़िये उसका मतलब भी समझिये। शरद पंवार ने जो वहां चमत्कार किया उसको जरा गौर से पढिये और समझने की कोशिश कीजिये। माननीय मंत्री महोदय, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं समालोचना कर रहा हूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है और आप सकारात्मक में कुछ आगे जाएं, गुणात्मक चेंज करें, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं।

सभापतिजी, मुख्य मंत्रीजी चाहे सदन में नहीं हों, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा, जब हमने बड़े-बड़े एमओयू सोलर में किये हैं, मुख्य मंत्रीजी और मंत्री मण्डल के परम आदरणीय सदस्य बैठे हैं, मेरा उनके मार्फत उनको निवेदन है कि सोलर में वर्ल्ड क्लास नोबल लारेट आपको कोई मिले तो उसको राजस्थान

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में, सोलर पावर राजस्थान में कैसे जनरेट हो, सोलर पावर में जो फोटोवोल्टेक सैल है, वह राजस्थान में ही निर्माण हो। वह किस तरह से हो जर्मनी आगे है, स्वीडन आगे है, हम राजस्थान में उसका निर्माण करें, मेरा निवेदन यह है। वह इसलिए कि वहां जो हम 10 रुपये दे रहे हैं राजस्थान में जब उसका निर्माण होगा शायद हमको 3 रुपये में वही चीज मिलेगी जो विदेशों से 10 रुपये में मिल रही है। 100 में वहां मिल रही है वह हमको यहां 30 में मिल सकती है और मैं यह इसलिए कह रहा हूं ताकि उस सोलर पावर से हम हर जगह हर खेत में बिजली नहीं दे सकते, सोलर पावर से जो हमारा जल भंडारण है वह ड्रिप इर्रिगेशन के माध्यम से तीन बीघा में जाए, हजार पांच सौ पौधों को सिंचित करे और किसान की बारानी की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाये। सभापतिजी, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बात कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: वह फलश्रुति होती है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बहुत संक्षेप में कहूंगा।

श्री सभापति: आप संक्षेप में ही कहेंगे, मैं बता दूं, फलश्रुति होती है, इसका अर्थ है कि कोई भी देवी देवता का पाठ करते हैं, फिर जब उसका फल प्रकट कर देते हैं तो समापन की ओर होता है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति जी, मैं इन्हीं की तीन लाइन पढ रहा हूं। राज्य में कुल 129 क्लस्टर क्षेत्रों में समन्वित कृषि पद्धति, यह पशुपालन हैड के नीचे है, क्रियान्वयन हेतु 2382.12 लाख रुपये के आबंटन के विरुद्ध दिसम्बर, 2015 तक मात्र साढे 6 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। निष्पादन आय व्ययक का पेज 16, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी लम्बी चौड़ी ब्यूरोक्रेसी, जब प्रावधान है 2382.12 लाख का, 23 करोड 82 लाख का तो 15 दिसम्बर तक साढ़े 6 करोड़ ही क्यों खर्च हुए हैं। माननीय मंत्रीजी, वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में ..

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं कर रहा हूं, सभापतिजी, मैं आपके आदेश की पालना ही करूंगा। मैं निवेदन करता हूं कि पशु पालन में हमारा जो परफारमेंस है वह बहुत स्टैंडर्ड से नीचे है। कुछ काम इस सरकार ने और आपके निर्देशन में बीकानेर के वेटसिटी विश्वविद्यालय ने पशु पालन के क्षेत्र में बहुत अच्छे किये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें। माननीय वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): इस सैक्टर में 10.27 प्रतिशत सकल घरेलू आय से उत्पादन है पशु पालन में। राजस्थान में 65 लाख परिवार इस पर निर्भर हैं और अधिकतर वर्षों में समग्र कृषि की आय का 50 प्रतिशत आमदनी पशु पालन से हो रही है। सभापतिजी, हमारी यूनिवर्सिटी इंटरनेट के सर्वे में बीकानेर का पशुपालन विश्वविद्यालय नम्बर एक पर आया है और उस विश्वविद्यालय के नीचे प्रदेश के 59 सरकारी और निजी संस्थानों में प्रशिक्षण शिक्षण हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि आज स्वरोजगार में और कौशल निर्माण में उस विश्वविद्यालय ने जो डिप्लोमा दो-दो साल का निर्धारित किया है वह हजारों लड़के लड़कियों को 69 सरकारी और गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा मिल रहा है। 17 जिलों में इन्होंने वेटसिटी विश्वविद्यालय प्रशिक्षण शिक्षण केन्द्र खोले हैं, रिसर्च सेंटर 15 जिलों में खुल गये हैं। माननीय मंत्रीजी, 12 जिलों में जो खुले हैं सभी केन्द्रों में सरकार ने पद स्वीकृत कर दिये हैं। बीकानेर लूणकरणसर में जो 50-60 लाख का बढ़िया भवन बना है, एक रद्दी प्रोपर्टी जो कबाड़ में थी, उन्होंने 60 लाख खर्च किये हैं और उसके संचालन में 11 पदों की आवश्यकता है। 12 में से 11 जगह आपने पद स्वीकृत कर दिये हैं तो लूणकरणसर में पद स्वीकृत नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं है। तीन साइंटिस्ट चाहिये, दो टैक्निकल असिसटेंट चाहिये, दो लिपिक चाहिये, एक वाहन चालक चाहिये, तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहिये। जो पैटर्न आपने इन 11 को दिया है वह का वह पैटर्न आप लूणकरणसर के भी वेटसिटी विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र को दीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री सभापति: अब आप समाप्त कर दें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं समाप्त ही कर रहा हूं। सभापतिजी, इन केन्द्रों के मार्फत पशु पालकों की स्थानीय समस्या पर अनुसंधान और उसका समाधान भी जिले के अन्दर ही सम्भव हो रहा है। सभापतिजी, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा...

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और एम्प्लाइज जो रिटायर हो गये, उनके बारे में जो पीड़ा व्यक्त की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वो कई माननीय सदस्यों ने व्यक्त कर दी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापतिजी, यह मेरे क्षेत्र की बात है। इतनी-सी कृपा करिए। ये 1150 लोग हैं रिटायर, जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, कृषि विश्वविद्यालय में जिन्होंने पढ़ाया या नौकरी की। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय बाद में खंडित हो गया। जोबनेर भी बना, जोधपुर भी बना, उदयपुर भी बना। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि जो रिटायर हो गये, दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाकर रिटायर हो गये, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन कहते हैं कि आप इनको पेंशन समय पर दें। दें कहां से? पेंशन फंड जीरो है। मैं निवेदन करता हूं कि आपने इनकी जो भूमि दुर्गापुरा में ली है जो कि चौदह-साढ़े चौदह हैक्टेयर है और जिसको मैट्रो ने एक्वायर किया है। कहां चले गये मैट्रो वाले जो कि सैकेण्ड फेज बना रहे थे? सरकार के पास मैट्रो का सैकण्ड फेज बनाने का पैसा नहीं है। पंद्रह हजार करोड़ की कास्ट है मैट्रो की। मैं तो मांग कर ही चुका हूं कि मैट्रो के सैकेण्ड फेज को बंद करिए। और बंद करें, न करें, यदि आपने भूमि अवाप्त कर ली है तो उसके पांच सौ करोड़ रूपये कृषि विश्वविद्यालय को देने की कृपा करें ताकि यह बारह सौ लोगों को पेंशन फंड नियमित रूप से मिल सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हमने अपने एक कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स और कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी तो अन्य कृषि विश्वविद्यालय में भी कल यही स्थिति आने वाली है और इसलिए इस स्थिति का आप उपचार करें और इन्हीं शब्दों के साथ समय की कमी को देखते हुए मैं निवेदन करता हूं।

श्री सभापति: मैं दो माननीय सदस्यों को पांच-पांच मिनट का समय दूंगा। श्री नंदकिशोर महरिया। बोलना है?

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, कृषि पशुपालन, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों की मांग पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम, मैं सदन की नेता को कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन, डेयरी आदि में गत वर्ष से लगभग डेढ़ गुना अधिक बजट प्रस्तावित करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरा धन्यवाद कृषि मंत्रालय को जिन्होंने कृषि की सारी योजनाओं को शामिल करते हुए मिशन के रूप में कार्य शुरू किया है। पहला मिशन हमारा खाद्य सुरक्षा मिशन है। दूसरा राष्ट्रीय ऑयल मिशन, तीसरा राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

मिशन और चौथा ऑन इंट्रीग्रेटेड हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट। यानी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं इनको शामिल करके जिस तरह से मिशन के रूप में काम किया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। इसके साथ ही सरकार एग्रीकल्चर के साथ-साथ हॉर्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, प्लास्टिकल्चर, टिश्यूकल्चर, वर्मीकल्चर, सेरीकल्चर, एरोमेटिक कल्चर, एप्टीकल्चर, पेप्सीकल्चर, सब पर कार्य कर रही है या कार्य करने का विचार रखती है। परंतु हम अभी तक एग्रीकल्चर और हॉर्टीकल्चर से आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाए हैं और हमारा किसान इन सभी प्रकार के कल्चरों से अभी अनभिज्ञ ही है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां कई क्रांतियां हुई हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, नीली क्रांति, मत्स्य क्रांति और अभी प्रोटीन क्रांति चल रही है। सदाबहार क्रांति की भी बातें हो रही हैं, लेकिन आज भी हमारे किसान के घर में रोटी-कपड़े के लिए क्रांति हो रही है। यह बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। यह जो स्थिति है, इस स्थिति में हमारा किसान साल-दर-साल नुकसान में जाता जा रहा है। खेती छोड़कर किसान का बेटा आज रोजगार के लिए शहरों में भटक रहा है और यह जो पलायन का कारण है इसी कारण से शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, जिससे शहरों में हमारा खर्च भी बढ़ रहा है। अगर इस पलायन को रोकना है तो खेत के आदमी को खेत में रखना पड़ेगा और उसके लिए खेती को फायदेमंद बनाना पड़ेगा।

हमारी 68.88 लाख कृषि जोत है और 342 लाख हैक्टेयर जो भू-भाग है, उसमें 50 फीसदी से ज्यादा पर खेती हो रही है। खेती के जो आंकड़े हैं, प्रोडक्शन हमारा जरूर बढ़ा है। 1965-66 में रबी-खरीफ को मिलाकर 37.55 लाख मैट्रिक टन हुआ करता था वो 200 टन से ऊपर चला गया है। यील्ड भी बढ़ी है। लेकिन इन सबके बावजूद किसान का लाभ नहीं बढ़ा और वही वजह है कि किसान आज खेती छोड़ने को मजबूर हो रहा है। जब तक लाभ नहीं बढ़ेगा तब तक किसान खेत में नहीं रहेगा और जब तक खेत का व्यक्ति खेत में, जिसमें 70 परसेंट लोग लगे हुए हैं, वहां अगर नहीं टिकेगा तो अपना शहर का, गांव का, सबका समीकरण बिगड़ेगा। कई फसलों पर जैसे पुहाड़ू हमारे मंत्री जी अंग्रेजी में जिसको कैशियाटोर कहते हैं। डेटपाम, पिंड खजूर, जैतून, अलसी पर सरकार बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन वो बहुत ही कम क्षेत्र में हो रहा है। उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए अनुदान को अभी बजट में तर्कसंगत किया गया, बड़ी अच्छी बात

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

है। लेकिन इतने सालों के बाद आज भी हम सौ-दो सौ हैक्टेयर तक भी हमारे जो शैडनेट हैं, जो ग्रीनहाऊस हैं उनका अगर क्षेत्र देखें लाखों हैक्टेयर में तो सौ-दो सौ हैक्टेयर में भी नहीं पहुंच पाए हैं। कृषि के लिए बजट निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने अभी जो बजट दिया था, उसमें मात्र 1.82 प्रतिशत बजट कृषि को दिया था। अपने में जरूर प्रतिशत ज्यादा है, लेकिन इतना नहीं है कि खेती आराम से हो सके। अपने प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा कृषि विश्वविद्यालय हैं, लेकिन सर्वाधिक विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी सरकार द्वारा जो बजट आबंटन का मामला है, उसमें हमारा स्थान बहुत पीछे है। जैसा डाक्टर स्वामीनाथन ने कहा, नालेज-कम-मैनेजमेंट रिवोल्यूशन की बात की और हमारा स्थान यूनिवर्सिटियों के मामले में, रिसर्च के मामले में बजट देने में बहुत पीछे है, वो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने एग्री बिजनस में एम.बी.ए. के लिए जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय को अभी बजट में दो करोड़ रुपये दिए हैं जिसमें स्व वित्तपोषित इंट्रीग्रेटेड प्रोग्राम चालू होगा। इस तरह के प्रोग्राम पहले भी राजस्थान कालेज ऑफ एग्रीकल्चर, उदयपुर, कालेज ऑफ टैक्नोलोजी एण्ड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उदयपुर में शुरू हुए थे, लेकिन समय के साथ-साथ वो बंद भी हो गये और उनमें से निकले हुए एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। मेरा कहने का आशय यह है कि इस प्रोग्राम को शुरू करने के साथ ही बढ़िया फैकल्टी की भी व्यवस्था की जाए, जिससे इस प्रोग्राम से बच्चे निकल सकें और बढ़िया है एग्रीकल्चर मैनजमेंट में निकलेंगे तो निश्चित रूप में कृषि को फायदा होगा।

श्री सभापति: थोड़ा संक्षेप कर दें।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): पहली बार किसी मांग पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: बोलिए। बोलिए। मैं तो कह रहा हूं, थोड़ा संक्षिप्त कर दीजिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): प्रदेश में बीज उत्पादन पर बड़ी मेहनत हो रही है। जो भी अपना बीज बनता है वो पहले न्यूक्लियर सीड होता है फिर ब्रिडर सीड बनाया जाता है, फिर फाउंडेशन सीड बनता है, फिर ट्रूथफुल लेवल का सीड बनता है, फिर ऑन फॉर्म सीड तक आता है। इतनी स्टेज के

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

बाद भी आज एन.एस.सी. ने सीकर जिले में प्याज का बीज बांटा उसकी वजह से हजारों किसान बर्बाद हो गये। वो इतना सब-स्टैण्डर्ड था। उसकी शिकायत भी जगह-जगह से आ रही है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी ताजा खुली बांसवाड़ा की लैब में उसका ग्रो-आउट टैस्ट कराएं और जिसकी भी गलती रही है उसके खिलाफ एफ.आई.आर. तक आप दर्ज कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और ग्रो-आउट टैस्ट में जो भी रिपोर्ट आए कि उसका जो जर्मिनेशन था, उसको जो पौध देनी थी, जो उसकी उपज देनी थी, उसका जो प्रतिशत आए उतना प्रतिशत उन किसानों के खाते में जमा कराएं। जिनकी बर्बादी इस वजह से हुई है।

बाजरे जैसी फसल जो कि पूरे देश में आधे से ज्यादा उत्पादन ही हम राजस्थान वासी करते हैं, उसका बीज भी आज हम यहां सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उसको भी बाहर से मंगाना पड़ रहा है। फसल बीमा योजना की बातें मेरे काफी साथियों ने की हैं। 2010 से 2014 का मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब आया है कि कंपनियों के पास कुल 3538 करोड़ जमा हुआ और 2447 करोड़ किसानों को मिला। हजार करोड़ से भी ऊपर का फायदा कम्पनियों को मिला। किसान बर्बाद हो रहा हो और कम्पनियां आबाद हो रही हैं, यह चलने वाली बात नहीं है। इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना शुरू की है। बड़ी अच्छी है, लेकिन उसको भी अगर प्रीमियम आधारित बना दिया जाए और उसमें ऋण लेने वाले किसानों के लिए बाध्यता समाप्त कर दी जाए, ऐच्छिक रखी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज हम दो सौ –पांच सौ रुपए की चीज का भी कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका कवर नोट मिलता है कि ये-ये चीजें कवर हुई हैं। किसान अपनी लाखों की फसल का भी जब इंश्योरेंस कराता है तो उसको यही नहीं पता होता कि उसमें कवर क्या-क्या हुआ है। और यह जो मौसम आधारित है इसमें तो कवर ही मौसम होता, फसल तो कवर ही नहीं होती। ग्राम पंचायत स्तर पर कोई ऐसी विशेषज्ञ समिति बनाई जाए जिसमें सरपंच, जी.एस.एस. के चैयरमैन, पटवारी वगैरह हों। वो उसका आकलन करें। तभी जाकर किसान को फायदा मिल पाएगा। जंगली जानवर और आवारा पशुओं के लिए जैसा मेरे कई साथियों ने कहा, निश्चित रूप से अपने को किसान के यहां दीवार, तारबंदी या जंगली पशुओं को कैसे हम रोकें, वो व्यवस्था करनी चाहिए।

(21.00 बजे)

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

जंगली जानवरों से किसान की फसल को या किसान को नुकसान होता तो उसका वाहन दुर्घटना अधिनियम की भांति मुआवजा देना चाहिए। जोखिम की स्थिति में सरकार को किसान के साथ हर हाल में खड़े रहना चाहिए। जैसे 33 प्रतिशत नुकसान होने पर नुकसान देने के नियमों को हटाकर किसी भी कारण से उपज नहीं होने पर जितना नुकसान उतना मुआवजा वाली स्थिति अपने को लानी चाहिए।

वर्ष 2010 में चार मुख्यमंत्रियों की समिति द्वारा की गई अभिशंसा के अनुसार मुआवजा राशि कम से कम 25 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर हो तो किसान के लिए अच्छा रहेगा। आज भी आजादी के 69 साल बाद खेती का धंधा जुआ जैसा बना हुआ है, फसल काटने पर ही पता लगता है क्या होने वाला है। आपदा प्रबंधन में जो राइडर लगे हुए हैं वह भी हटकर, जितना नुकसान उतना मुआवजा मिले। सेठ साहुकारों और जमींदारों के ऋण के तले जब किसान दबा रहता था उस हालत से निकलकर आज बैंकों के तले दब गया है। 4 लाख करोड़ से ऊपर के किसान क्रेडिट कार्ड हैं, अभी सरकार ने पिछले दिनों ही 5.75 लाख करोड़ रुपये की छूट पिछले साल बिजनसमैनों को दी। उद्योगपतियों के 10 वर्षों के सवा दो लाख करोड़ रुपये बैड डेट्स में डाल दिए गये, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार घोषणाएं होती रहती है।

उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी ने सन् 1989 में घोषणा की थी, आज तक सहकारी बैंको में वह पैसा जमा नहीं हुआ है, किसानों के नाम बोल रहा है। बिजली विभाग को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अपने घाटे की भरपाई के लिए जिस तरह से आजकल सर्तकता जांच व भार वृद्धि के नाम पर किसानों से राशि वसूली जा रही है उसमें कृषि मंत्री जी, आपको भी इंटरफियर करना चाहिए और उसको रोकना चाहिए।

कृषि उपज के मूल्यों का निर्धारण बड़ा अच्छा है लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीददारी नहीं हो पा रही है इससे किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। हालांकि अपना जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसमें ना तो किसान का लाभांश जुड़ा हुआ है और ना ही उसको स्किलड लेबर माना गया है, अगर उसका लाभांश जोड़ दिया जाए और स्किलड लेबर मान लिया जाए तो आज जो गेहूं की स्थिति है 1525 की वह 2500 से भी ऊपर पहुंचेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): जैसा पिछली बार बताया 80 अरब से ऊपर का नुकसान अगर समर्थन मूल्य से जोड़ें तो किसान पहले से खा रहा है। उसके साथ ही अगर हजारों करोड़ की हमारी सब्सिड़ी है, बिजली के रूप में मुख्यमंत्री जी ने अभी दी है वह अगर और जोड दी जाए तो यह बहुत महंगा सौदा साबित हो रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): फिर भी किसी भी हाल में अपने को यह तय करना होगा कि किसान को उसके खेत से लाभ मिले। जब तक यह नहीं होगा तब तक किसान खेत में टिकेगा नहीं। अपने यहां जो फसलें बोई जा रही हैं, अपना कृषि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है वह क्या कर रहा है मुझे पता नहीं लेकिन हमारे एरिड जोन, सेमी एरिड जोन में भी गेहूं जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सभापति जी, गेहूं की एक फसल में अपने क्षेत्र में 20 एचपी का एक पम्प 40 हजार लीटर प्रति घंटा पानी देता है अगर साढे छह घंटे बिजली आए तो 2 लाख 60 हजार लीटर पानी देता है। 120 दिन की गेहूं की फसल मिनिमम मानें तो 3 करोड़ 12 लाख लीटर पानी एक खेत पर खर्च हो रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इंतजार करें, थोड़ा सा धैर्य रखें।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): 3 करोड़ 12 लाख लीटर एक खेत में खर्च हो रहा है। पैदा हो रहा है सिर्फ 16 हजार 500 किलो गेहूं। यानी एक किलो गेहूं पर 1800 लीटर के करीब पानी खर्च हो रहा है। दूसरे रूप में देखें तो एक रुपये में 126 लीटर पानी खर्च हो रहा है। अगर इसको अलग देखा जाए, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने एक-एक बूंद बचाने की बात कही है, बड़ी अच्छी योजना है। अगर उससे कम्पेयर करें तो आज जो 30 हजार लीटर के टैंक बन रहे हैं, कुंड बन रहे हैं, अगर हजार कुंड भी एक ग्राम पंचायत में बनेंगे तो तीन करोड़ लीटर पानी इकट्ठा होगा। एक खेत में 3 करोड़ 12 लाख जा रहा है। उन हजार कुंडों के लिए 15 करोड़ रुपये लगेंगे। यानी एक खेत में इतना दोहन हो रहा है जो 15 करोड़ को बराबर कर देगा।

कृषि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को यह करना चाहिए कि वहां बागवानी को बढ़ावा दें। किसान को समझाए, जाकर बताए कि आप क्या बोओ और क्या नहीं बोओ। जहां जो बोना चाहिए वह बोएंगे, पानी को बचाएंगे तभी अपना प्रदेश सुरक्षित रह पाएगा, वर्ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

केन्द्र सरकार ने पिछले बजट में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा की थी लेकिन अब तक अपन उसको धरातल पर नहीं ला पाए। हमारा फतेहपुर क्षेत्र तीन तरफ से हाईवे से जुड़ा हुआ है। तीन हाईवे उधर से गुजर रहे हैं। हजारों बीघा जमीन हमारे पास, कृषि विज्ञान केन्द्र और एआरएस के पास फालतू पड़ी है। अगर आप चाहें तो उस जमीन में कृषि विश्वविद्यालय जो केन्द्र ने पास किया उसको खोलें, प्रदेश को बड़ा फायदा होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): थैंक यू।

श्री सभापति: बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब अंतिम वक्ता, श्रीमती शंकुतला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: मधुपेन समापय भई। कालूराम जी, मधुरता के साथ समापन होने दीजिए डिबेट का। हां, आप मधुरता से बोलिए। हां, माननीय सदस्या।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, मैं अपने दो-चार पाइंट है वह ही रखना चाहूंगी।

श्री सभापति: बोलिए ना आप बोलिए, पांच बोलिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पता नहीं यह क्यों इतना कर रहे हैं। सचेतक महोदय जी कह रहे थे कि आप अच्छा बोलते हो।

श्री सभापति: कालूराम जी को आपसे प्रतियोगिता हो रही है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अगर यह पुरस्कृत करें तो बात है। अच्छा बोले, बुरा बोले, लेकिन अपनी समस्याओं को रख सकते हैं।

श्री सभापति: आप बोलिए अब।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय। सभी ने चर्चा कर ली ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिए माननीय सदस्य, यहां कोई सगा सम्बन्ध नहीं चलेगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, इन्होंने बोल-बोलकर जितना समय ले लिया उसका दुगना आप मुझे दें जिससे आगे से यह बीच में नहीं बोलें, सचेतक महोदय।

श्री सभापति: आप बोलिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, सारी चर्चा हो गयी। यह काम किया था या होगा, सारी चीजे इन्होंने पास्ट और फ्यूचर पर रख दी, प्रजेंट में किसी काम के लिए कोई दावा ही नहीं किया, जहां तक मुझे सुनने में आया। पिछले ने क्या किया, आगे क्या करेंगे, बाकी अभी क्या कर रहे हैं वह तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। अभी क्रय-विक्रय का जब मंत्री महोदय जवाब देंगे, सभापति महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे, कि जो अभी टैंडर होने जा रहे हैं उस प्रक्रिया में जोड़ दिया कि तीन वाहन होने चाहिए और बहुत बड़ी मोटी राशि का मापदण्ड रख दिया। क्या मंत्री महोदय, इस चीज की जानकारी रखते हैं। जानकारी रखते हैं तो इसका मतलब यह हो गया सरकार यही चाहती है कि जो बड़े लोग हैं, जिनके पास बड़े-बड़े साधन हैं, सिर्फ उन्हीं को टैंडर दिया जाए। सिर्फ टार्गेट यही बना लिया हर चीज के लिए कि हर चीज का बड़े लोगों को दिया जाए। गांव वालों को किसी चीज का हक नहीं है क्योंकि वह गरीब किसान तीन बड़ी गाड़ियां नहीं खरीद सकता, मोटी राशि वहन नहीं कर सकता। अगर आप गांव का भला चाहते हैं, उपखण्ड पर टैंडर होना चाहिए, तो इसको घटाया जाना चाहिए। लेकिन मुझे आपकी मंशा इस तरह की नहीं दिख रही है। मुझे नहीं लग रहा कि आप ऐसा करेंगे।

सभापति महोदय, किसानों को सब्सिड़ी, यह सब चीजें दिए जाने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं लेकिन वह दिन रात मेहनत करके सब्जी उगाकर जब मण्डी तक पहुंचता है, इन चीजों का जिक्र कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगी कि अगर किसानों का भला चाहते हैं तो जो ठेला लगाते हैं उनकी सब्जी की रेट होती है, जो किसान लाता है वह 2-3 रुपये किलो और मार्केट में जाकर 50 रुपये किलो, तो कोई मापदण्ड निर्धारित होना चाहिए। ऐसे लोगों को मण्डी से दुकान भी आबंटित होनी चाहिए।

पशुओं के लिए बड़ी-बड़ी योजनाओं का जिक्र किया गया है, बजट में भी और अभिभाषण में भी, लेकिन कहीं भी पशुओं के चिकित्सा शिविर नहीं लगाए जा रहे हैं। मेरी 5-10 पंचायत में अभी बीमारी फैली। 70-80 हजार, लाख तक की भैंसे आती है और एक-एक दिन में एक-एक किसान की दो-दो, तीन-तीन भैंसे मर जाती हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती है। गौ-शालाएं मेरे यहां रजिस्टर्ड हैं, उनके कागज ऊपर तक समय समय पर पहुंचा दिए जाते हैं और बाद में चिट्ठी जाती है, कागज जाता है कि आपके कागज समय पर नहीं

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पहुंचे। तो यह किसानों के साथ, गौ-माता के साथ कैसा अन्याय है। वैसे तो कहते हैं माता, जय गौ माता, लेकिन उस माता के साथ आप अन्याय कर रहे हैं।

अभी जो सरकारी बीज गेहूं और जौ का दिया गया था उसकी बाल आई है वह एक-एक इंच की। सभापति महोदय, यह किसान के साथ कैसा अन्याय है, समझ में नहीं आ रहा। अभी इतने बड़े-बड़े दावे गिनाये गये थे, किसानों को आप मुआवजा दे दें। जंगली सूअर या नील गाय जो फसल को नष्ट कर देते हैं, मेरे भी 5-7 पंचायतें हैं, बार-बार उनका जिक्र किया जाता है, आप उनको मुआवजा देने की बात करें।

सभापति महोदय, जो लोन किसान समय पर नहीं चुकाता है उसके ऊपर बहुत मोटी राशि और 4 परसेंट किसी का खर्चा, 2 परसेंट उसका खर्चा करके इनमें रियायत देनी चाहिए। अगर आप किसान का भला ही सोचते हैं तो उनका बिल माफ करें। उनकी किश्तों में रियायत करें। ऋण दिया हुआ है, ब्याज माफ करें। ऐसा हो तो भी बात है।

अभी माननीय नवीनजी ने जिक्र किया था, हक-त्याग वाला, कल जब हम गांव से आ रहे थे तो सही कह रहे थे, मैंने भी पूछा। उन्होंने मेरे को रोक कर कहा कि मैडम, राजस्थान की मुख्य मंत्री महिला हैं। मैंने कहा, हैं मुख्य मंत्री महिला, आप क्या कहना चाह रहे हैं। बोला, आप यह क्या करवा रहे हो, वहां बैठ करके सदन में। मैंने कहा, क्या करवा दिया। बोले, किसान के पास में अचल सम्पत्ति नहीं होती, यह चल सम्पत्ति होती है, कौनसी सम्पत्ति होती है, किसान के पास, अचल सम्पत्ति होती है। उसमें से वह इतनी डी.एल.सी. रेट जमा नहीं करा सकता, कृपा करके, हाथ जोड़ कर आप हमारी इस बात को वहां तक पहुंचाएं। सभापति महोदय, कोई भी यहां सदन में, जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, वे अंतरात्मा से सोचें कि क्या इससे किसान का भला होने वाला है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं होने वाला। झूठी हां मत करो जोगारामजी, झूठी हां मत करो। किसान से जा करके अंतरात्मा से पूछिये। यह यहां अपनी वाहवाही लूटने के लिये झूठी हां मत कीजिये। जा करके पूछिये उनसे, उनके कलेजे पर क्या गुजर रही है कि वह 20-20 लाख, 30-30 लाख

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

कहां से लाएंगे। मेन रोड पर करोड़ों की है, डी.एल.सी. रेट। आप ऐसा अन्याय नहीं करें। इस राजशाही का इतना गुमान नहीं करें। सरकार के उसमें आ करके इतना अत्याचार न करें। किसानों की बात करते हो, किसानों का गला घोंटने जा रहे हो।

श्री सभापति: थोड़ा संक्षेप में करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): थोड़ा धीरे भी बोलें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बस। साहब, एक पाइण्ट और है। यह इतने एम.ओ.यू. साइन किये पी.पी.पी. माडल के, कोई योजना किसानों की भी बना देते तो ज्यादा अच्छा होता और सच्चाई को भी जान लेते तो अच्छा होता।

सभापति महोदय, धरती मां का सीना चीर कर फसल उगाता है किसान, अपनी मेहनत का पसीना बहा कर इन्सान का पेट भरता है किसान। दुःखी और दीन, बिजली और कहना चाहिये पानी, ओले और सरकार की डी.एल.सी. का शिकार होता है किसान, होता है किसान। ऐसा अन्याय मत कीजिये। राम-राम, साहब।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह तो पुराना है, नया नहीं है।

श्री सभापति: विराजिये। शुरुआत प्रभूलालजी करेंगे, कि अजयसिंहजी करेंगे?

श्री प्रभूलालजी सैनी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, एक मिनट। एक व्यक्ति है जो बहुत परेशान है, उसका एक कागज आया है कि वह बैंक में नो-ड्यूज के लिये चक्कर लगा रहा है बारबार, दो साल से। सभापति महोदय, वह 29.11.14 से बैंक के चक्कर लगा रहा है। वह आज इतना कर्जदार हो गया, बहुत भयानक उसकी स्थिति है। तो मैं मंत्री महोदय से कहूं।

श्री सभापति: दे देना आप मंत्रीजी को।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप इसका समाधान करें। जो कह रहे हैं कि इतने दिन से हम ऐसा कर रहे हैं, दो साल से चक्कर काट रहा है यह एक किसान।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। श्रीमान प्रभूलालजी सैनी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री सभापति: बुलाते हैं उनको, बुला रहे हैं उनको।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि एवं मांग संख्या 39-पशुपालन, दोनों में, माननीय सभापति महोदय, 468 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कटमोशन के माध्यम से विभाग और सरकार का जो ध्यान आकर्षित किया है, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को एक बार मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 24 घण्टे के अन्दर दिये गये कटौती प्रस्तावों के जवाब उनके निजी आवास पर पहुंच जाएंगे। ऐसा मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति: इनको स्वीकार करेंगे कि अस्वीकार करेंगे?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): वह तो उसको देखने से पता लगेगा कि स्वीकार है कि अस्वीकार है।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, 23 माननीय सदस्यों ने ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय आपने रखा है। इस पर डिबेट होनी चाहिए कि यह जो कटौती प्रस्ताव आये हैं, एक तो कौन ला सकता है, और मेअरली जवाब भेजना ही सफिशिएंट है या उस पर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने यहां पूर्व में आसन के द्वारा एक व्यवस्था दी जा चुकी है कि जो भी कटौती प्रस्ताव देते हैं वह कटौती प्रस्ताव पेश किये हुए मान लिये जाते हैं और सारे कटौती प्रस्तावों को अस्वीकार करके उनके जवाब माननीय मंत्री महोदय दिला देते हैं। यह व्यवस्था आसन पहले दे चुका है।

माननीय प्रभूलालजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि विश्वविद्यालय, पशुपालन विश्वविद्यालय के संदर्भ में पक्ष और विपक्ष के 23 माननीय सदस्यों ने सकारात्मक सुझाव दिये हैं और विभाग की जो कमियां रही हैं उनको अपने वक्तव्य के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास किया है। मैं उन सभी सदस्यों का मेरी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इतना विश्वास दिलाता हूं, चूंकि कृषि और पशुपालन में जब एक किसान बोलता है तो दूसरा किसान सुनता है। जब सदन में यह प्रथा बन जाती है तो निश्चित रूप से, माननीय सभापति महोदय, किसानों के हित में अच्छे फैसले होने की गुंजाइश और अधिक बढ़ जाती है। आज दिन भर की चर्चा में जो देखने को मिला है, चाहे वे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, सभी का एक ही विजन रहा, एक ही सबका ध्येय रहा कि राजस्थान के किसान का किस प्रकार हम भला कर सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से उनको कैसे मजबूत कर सकते हैं और उनकी जो हालत है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्रोप्स का हम कैसे कर सकते हैं। विविधिकरण के पश्चात हम किसान की आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सारे विषयों पर सुझाव आये हैं। मैं विभाग को डाइरेक्शन दूंगा कि सभी माननीय सदस्यों के सुझावों को, वैसे मैंने अंकित भी कर लिया है, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य में कहा है, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने 4-5 ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयों को उठाया है। उनमें रसीदपुरा में प्याज की मण्डी का विषय आपने उठाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा। पिछली सरकार के वक्त में माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा वहां पर प्याज की मण्डी स्थापित करने का फैसला लिया गया था। उसके बाद चूंकि सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद उस पर 5 साल कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा, जब से हमारी सरकार आई, हम लोगों ने जमीन का चिन्हीकरण करने का प्रयास किया। अंततोगत्वा पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने अपने विभाग की जमीन से रसीदपुरा मण्डी के लिये हमें जमीन आबंटित कर दी है। उसका डी.पी.आर. हम लोगों ने बना दिया है। उस पर कंस्ट्रक्शन का काम हम कर रहे हैं और रसीदपुरा में प्याज की मण्डी शीघ्र चालू करके वहां के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। ऐसी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, प्याज के बारे में भी काफी विषय आया। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नेशनल सीड कारपोरेशन, जो भारत सरकार का उपक्रम है उसके द्वारा प्याज का जो बीज दिया गया था, वह अमानक था। निश्चित रूप से उसको गम्भीरता से मैंने

(श्री प्रभू लाल सैनी)

पहले भी कहा है कि उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। यदि इसमें किसी प्रकार की खामी पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। लेकिन विरोधाभासी तथ्य, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि प्याज का इतना उत्पादन हुआ है, जिसको दो रुपये किलो में बेचने की जरूरत पड़ी है। माननीय सभापति महोदय, सीकर जिले में 10077 हैक्टेयर में प्याज की बुआई की गयी है और वहां 2.13 लाख मीट्रिक टन प्याज उत्पादन का एस्टीमेट विभाग द्वारा किया गया है। वर्तमान में, आपके यह कहने के बाद इसका पता लगाया तो, माननीय सभापति महोदय, पांच रुपये से सात रुपये प्रति किलो के हिसाब से अभी वहां पर मण्डी के भाव चल रहे हैं। निश्चित रूप से यदि भावों में गिरावट होती है तो मुझे एक स्मरण याद आ रहा है, माननीय सभापति महोदय, 2005-06 में पहली बार राजस्थान में प्याज की खरीद के लिये इंटरवेंशन आफ द् मार्केट का काम करके, बाजार में हस्तक्षेप करके मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर राजफैड के माध्यम से प्याज को खरीदने का काम किया था। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में अभी जो रेट्स हैं वह पांच से सात रुपये किलो है। इस पर सरकार नजर रखे हुए है। यदि परिस्थितियां बनेंगी तो इस पर कुछ करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे।

इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, टोटल एरिया, अगर हम बात करें 61363 में पूरे राजस्थान में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: हस्तक्षेप के लायक कौनसी कीमत मानते हैं?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): जी?

श्री सभापति: अभी पांच से सात है तो हस्तक्षेप सरकार करे, उसके लिये कौनसी रेट जरूरी होती है?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): वह तो रेट दो रुपये आ गयी थी पहले, तब हम लोगों ने किया था। दो रुपये अस्सी पैसे की रेट तय की थी हम लोगों ने। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि इस पर समय आयेगा तो निश्चित रूप से किसानों के हक में हम लोग फैसला करेंगे।

जहां तक मिनी किट के बारे में माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट।

श्री सभापति: नहीं, बीच में नहीं। माननीय, बाद में। ...(व्यवधान) आप बाद में। नहीं, विराजिये, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, ...(व्यवधान) बैठाइये उनको।

श्री सभापति: बीच में नहीं, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बैठिये, विराजिये, विराजिये आप।

श्री सभापति: आप बिराजिये। ...(व्यवधान) देखिये, आप बाद में, अगर कोई बात हो तो आप क्लेरीफिकेशन करें। मंत्रीजी को बोल दीजिये। ...(व्यवधान) बोलिये, बोलिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक विषय यह भी उठाया था कि चारे के मिनिकिट्स सरकार नहीं दे रही है। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले विधान सभा में भी कहा था और आज मैं इनको और कहना चाहूंगा कि चार लाख मिनिकिटस के लगभग हम लोगों ने टैंडर प्रक्रिया पूरी करके आदेश दे दिया है, शीघ्र ही किसानों को चारे के मिनिकिट उपलब्ध होंगे ताकि किसान इस आपदा के वक्त में काम कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक विषय यह भी आया, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसके संदर्भ में जो मेरे पास तथ्य उपलब्ध हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय पेंशन अधिनियम, 1990 के अनुसार विश्वविद्यालय के कर्मियों को पेंशन दिये जाने का दायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय का है। इस एक्ट में यह प्रावधान किया हुआ है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.एल.पी. संख्या- 30255/ 2014 में दिनांक 19.11.2014 को निर्णय पारित हुआ है कि विश्वविद्यालय के कर्मियों को पेंशन दिये जाने का दायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय का है और इसी सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जोधपुर में दायर सिविल रिट पिटिशन संख्या 5778/ 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. संख्या- 36026/2015 में दिनांक 08 जनवरी, 2016 को एक अंतरिम आदेश जारी करके सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को आदेश दिये हैं कि तीन महीने के अन्तर्गत रिव्यू करके इसका फैसला करे। इसलिए मामला सारा सब-जुडिस है, माननीय सभापति महोदय, यह जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा यह उठाया कि खास तौर से राजस्थान में 2014-2015 में क्षेत्रफल में, फसलों का जो उत्पादन हुआ, उसमें वास्तव में गिरावट हुई है, खाद्यान्न का जो उत्पादन है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। 2014-2015 में 196.19 लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ और 2015-2016 में 181.24 लाख टन यानी, कि 14.95 लाख मैट्रिक टन की कमी हुई है। इसी प्रकार यदि, माननीय सभापति महोदय, अनाज के उत्पादन की बात करें तो 2014 में 176.67 और 2015-16 में देखें तो 158.42 लाख मैट्रिक टन का यानी, कि 18.25 लाख मैट्रिक टन कम हुआ।

लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार, इसके प्रयास तो सरकार करती है। अच्छे बीज, गुणवत्ता-युक्त बीज, उनको फर्टिलाइजर समय पर उपलब्ध हो, लेकिन माननीय सभापति महोदय, प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है। 2014-15 में आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान की रबी की जो फसल थी, पूरी की पूरी फसल चौपट हो गयी और उसका इतना बड़ा मुआवजा 2471 करोड़ रुपये का दिया गया। चूंकि, उत्पादन कम होने का कारण यदि रहा तो प्रकृति रही है। माननीय सभापति महोदय, यदि हम बात करें तो ख़रीफ़ 2015-16, इसमें भी अगस्त के बाद में अब तक बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने से यह प्राकृतिक कृत्य रहा, दैवीय प्रकोप रहा और इसमें उत्पादन कम हुआ, इसको मैं स्वीकारता हूं लेकिन इसके मुख्य कारण यह रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि फसलों का डाइवर्सीफिकेशन करने का हम लोग प्रयास करेंगे, इस ओर कदम उठाने की हम लोग कोशिश करेंगे, यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं।

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य सभापति हैं अभी तो।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): नहीं, मैं तो उनको ही कर रहा हूं अभी तो। अब कर रहा हूं उनको। माननीय सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बारानी और शुष्क खेती का कोई बीज तैयार वह नहीं कर पा रहे तो मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहूंगा कि वहां चना- एस.एस.सी.-888 प्रताप

(श्री प्रभू लाल सैनी)

चना की एक किस्म वैराइटी तैयार की गयी है। मोठ की- आर.एम.ओ-40, आर.एम.ओ.-435 तैयार की गयी है। तारामीरा की- आर.टी.एम.-314, मूंग की- आर.एम.जी.-268, अलसी की- कोटा अलसी- 3 और 4, इसी प्रकार ग्वार, तिल और बाजरे में, सभी जिंसों में, माननीय सभापति महोदय, सूखा-रोधी किस्में हैं, कम पानी कम लागत, अधिक उत्पादन, कम समय में यह कैसे पके, यह हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा कार्य किया गया है।

श्री सभापति: परीक्षण हो गया क्या इनका?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): हां, यह आ गयी फील्ड में, ट्रायल हो गया इनका, अनुमति हो गयी। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो परीक्षण होने वाली बात पूछी यह सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछी या सभापति महोदय ने पूछी? क्योंकि, यह सवाल जो किया था, जो यह ज्ञान की कमी की बात कर रहे थे, वह सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य के लिए, न कि सभापतिजी महोदय को क्योंकि, यह आपका आसन तो सर्वोच्च है इसलिए इसका उत्तर सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य वहां से पूछते तो समझ में आता। सभापति महोदय कैसे पूछ सकते हैं?

श्री सभापति: नहीं, उन्होंने नहीं पूछा। नहीं, आसन भी प्रश्न पूछ सकता है। आसन से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। इसलिए आपका गलत है। मेरा तो पूछना ठीक था। आसन तो पूछ सकता है। आसन से कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। ध्यान रखें आइंदा, माननीय सदस्य।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय विद्वान साथी ने ...(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज उनको नाराज कर दिया आपने।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): नहीं, वह नाराज नहीं हो सकते। यह फ्रेंडली गेम है, इसमें नाराजगी क्या है?

माननीय सभापति महोदय, आपने कहा कि कृषि योजनाओं का बजट खर्च नहीं हुआ और बजट खर्च नहीं होने के कारण से आप उत्पादकता और उत्पादन कैसे बढ़ाना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहूंगा,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

माननीय सभापति महोदय, 2015 की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बजट के आपने जो आंकड़े दिये हैं, वह सारे बजट के जो आंकड़े, खर्चे के जो आंकड़े थे वह दिसम्बर माह तक के थे। चूंकि, दिसम्बर माह में ही फंडिंग पैटर्न जिसका कि आपके माननीय सदस्य कह रहे थे कि फंडिंग पैटर्न 60 और 40 का भारत सरकार के द्वारा किया गया। तब तक किसी भी योजना का खर्चा आगे इसलिए नहीं बढ़ा चूंकि, भारत सरकार के द्वारा, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उसकी भली-भांति व्याख्या भी की है और फंडिंग पैटर्न चेंज होने से वह नहीं हुआ लेकिन आज की स्थिति के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य आयोजना का 563.79 करोड़ रुपये का हमारा बजट था, उसमें से 421.34 यानी, 74.7 प्रतिशत खर्च किया जा चुका है। एन.एस.एम. का जो 181.83 करोड़ का जो बजट था, उसमें 123.13 यानी, 67.7 प्रतिशत बजट खर्च किया जा चुका है। एम.एम.ओ.ओ.पी. के 68.91 करोड़ का था, उसमें से 44.73 करोड़ रुपया यानी, 54.9 प्रतिशत उसका व्यय किया जा चुका है।

(21.27 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसी प्रकार एम.एन. 80, 31.7 करोड़ का बजट था उसमें से 24.79 यानी, कि 76 परसेंट खर्च किया जा चुका है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 3.98 करोड़ रुपये का हमारा जो बजट प्रोविजन था, उसमें 3.38 यानी, कि 92.4 प्रतिशत खर्चा बजट का अब तक किया जा चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत गंभीरता से कई विषयों को छूने का भी और वास्तव में सरकार का मार्ग-दर्शन करने का प्रयास किया, यह मैं स्वीकार भी करता हूं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात उन्होंने कही है गौ-शालाओं के बारे में, निश्चित रूप से पिछली सरकार के वक्त में 83.88 करोड़ रुपये का भुगतान इनके द्वारा किया गया था, तीन महीने का और यह भी सही है कि सुराज संकल्प में इस विषय को लिया गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैसा सरकार से आए या कहीं से भी आए, हमारी सरकार ने यदि हम देखें 2014-15 में, यदि हम आंकड़े उठाकर देखें, 146.63 करोड़ रुपये और 2014-15 में 219.18 करोड़ रुपये गौ-शालाओं को यानी, 660 गौ-शालाओं को सरकार के द्वारा मुआवजा देने का काम किया है। मैं तो यह समझता हूं फिर भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने जो

(श्री प्रभू लाल सैनी)

सुझाव दिये हैं उनको निश्चित रूप से चरणबद्ध तरीके से जब-जब भी उसका विषय होगा, मैं संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने कृषि, किसान, गांव और गरीब को प्राथमिकता देते हुए अबकी बार जो बजट 2016-17 प्रस्तुत किया है, उसमें मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए हर्ष होगा राज्य सरकार की प्राथमिकता रही कि हमारी सरकार ने कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए वर्ष 2016-17 में 5606.74 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है जो गत वर्ष की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार कृषि विभाग के लिए 2016-17 में कुल 3051.33 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तुत किया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 74 प्रतिशत अधिक बजट कृषि पर दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब मेरे साथी हैं। सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकारा है, आत्मसात किया है कि सर्दी, गर्मी, बारिश अपना श्रम बेचकर कमाई की रोटी खाने वाला किसान अपने लिये और देश के लिये अन्न पैदा करके पेट पालने का काम करता है। इस अवसर पर मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, सबसे पहले बात को शुरू करने से पहले, मैं किसान को आभारपूर्वक नमन करता हूं। हमारे देश का किसान जनपोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्न का दाता है इसलिए मैं उसको सबसे पहले नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं।

मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरोप और प्रत्यारोप किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यह सदन परम्पराओं से चलता है क्योंकि पक्ष तो पक्ष की बात करेगा, विपक्ष, विपक्ष की बात करेगा। लेकिन मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, किसान-किसान होता है, उसके मन में दर्द होता है। राजस्थान का किसान न वह बीजेपी का होता है, न वह कांग्रेस का होता है, सिर्फ और सिर्फ वह किसान होता है। किसान के बारे में जो कमियां हो, उसको बताना भी चाहिये। लेकिन सकारात्मक बिन्दुओं को, अच्छा होता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी होती और है, कि माननीय सदस्य आरोप-प्रत्यारोप करने के बजाय अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में सरकार के द्वारा चलायी जा

(श्री प्रभू लाल सैनी)

रही कल्याणकारी योजनाओं को, यदि वह किसानों को उनके खेत तक लेकर जाते, जो वहां कमियां रहतीं, उनके लिये अधिकारियों से वह बात करते तो मैं समझता हूं राजस्थान के किसान को इसका काफी लाभ होता।

यह बात सत्य है, शाश्वत सत्य है कि, Rajasthan's agriculture is a gamble with the rain. इस बात को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है, हम इसको मना नहीं कर सकते जुआ है यह और जुआ इसलिए कि वर्षा पर आधारित हमारी खेती है। 342 लाख हैक्टेयर हमारा कृषि का भू-भाग है, 61 प्रतिशत पूरे देश का 40 प्रतिशत सेमी-एरिड और एरिड क्षेत्र राजस्थान में है।

इसके अलावा यदि हम सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो 71 लाख हैक्टेयर के लगभग हमारा सिंचित क्षेत्र 30 प्रतिशत है।

अब इन विषम परिस्थितियों के बाद भी मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई राज्यों का जिक्र आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी किया, मैंने उनको नोट भी किया है। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि आज भी राजस्थान उन सभी राज्यों से 12 से 13 ऐसी हमारी क्रोप्स हैं, जिनमें देश में नम्बर एक स्थान रखने का काम करता है तो राजस्थान करता है। भले ही आजादी के 68 वर्षों में अब तक 50 साल तक अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा और शीत, इनसे हमारे किसानों की फसलें तबाह हुई हैं। न यह कांग्रेस का विषय है, न भाजपा का विषय है, यह एक आम धारणा का विषय है। इसके बावजूद भी हमारा मेहनती किसान खुद की मेहनत के सहारे आज कई जिंसे, जिसमें जीरा है, मैथी है, धनिया है, बाजरा है, सरसो है, ग्वार है, ईसबगोल है, मेंहदी है, यह सारी जो क्रोप्स हैं, आज भी देश में नम्बर एक स्थान कोई रखता है, तो वह राजस्थान रखता है। इसलिए आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है। मैं किसानों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान को कृषि कर्मण अवार्ड 2015-16 अभी देश के माननीय प्रधान मंत्रीजी के द्वारा राजस्थान के दो किसानों को दो-दो लाख रुपये का इनाम और राज्य सरकार को उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता गेहूं के सुधार पर दो करोड़ रुपये का इनाम दिया गया, इसके लिये मैं बहुत-बहुत बधाई उन किसानों को देना चाहूंगा जिनके बलबूते पर यह हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कृषि का मतलब अन्न पैदा करना ही नहीं है, दलहन पैदा करना नहीं

(श्री प्रभू लाल सैनी)

है, कृषि के बारे में मुझे एक वैज्ञानिक के बारे में, जिसने अपना एक विचार व्यक्त किया, मैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा Agriculture is not crop production as popular belief holds - it's the production of food and fiber from the world's land and waters. Without agriculture it is not possible to have a city, stock market, banks, university, church or army. Agriculture is the foundation of civilization and any stable economy. यानी हमारी कृषि का मूल आधार हमारी ....(व्यवधान) नहीं, आप तो जगते रहना, बाकी सब ठीक है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप इनको हिन्दी में बताओ। इसका हिन्दी वर्जन बता दो न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय यह जगने के लिए ही बीच में बोलते हैं। बाकी कोई ज्ञान के हिसाब से आप मत लेना इनको।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह तो ले लेंगे, पर आपको तो अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए हिन्दी के लिये कह रहा हूं। यह हिन्दी सिखा देंगे।

एक माननीय सदस्य: इसका अर्थ कह दो।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका जिम्बाब्वे के वैज्ञानिक, पर्यावरणविद् किसान एवं अन्तरराष्ट्रीय सलाहकार जिनका मैंने अभी कोटेशन कोट किया है, वह एलन सोवरी हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि Agriculture is not for production. कृषि कोरा फसलों का उत्पादन नहीं है। कृषि फूड और फाइबर्स, यानी जितनी भी आपके जीवन से सम्बन्धित आवश्यकताएं की चीजे हैं, फाइबर में रेशे जैसे जूट है, धागा है, कपास है आदि आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इन सारी चीजों के पैदा करने को कृषि बोलते हैं और यदि कृषि नहीं है तो कृषि के बिना न तो कोई शहर है, न स्टॉक मार्केट है, न बैंक है, न यूनिवर्सिटी है, न चर्च है, यानी यह सब कुछ नहीं है, न सिविलाइजेशन है और न ही स्टेबल इकोनोमी है। इसकी इतने गंभीर शब्दों में इसकी व्याख्या की गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सराहनीय कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों को, कि किसान आशावादी होता है। हर वर्ष वह कल्पना करता है कि मेरी फसल होगी, मेरा उत्पादन बढ़ेगा, मेरे बच्चे की शादी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

होगी, मेरा मकान बनेगा। कई तरह की कल्पनाएं उसके मन में होती है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट देखता है वह। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है यदि किसान को स्पाइडर मैन कहा जाए, क्योंकि मकड़ी की तरह वह एक बार चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, लेकिन वह आशा को नहीं छोड़ता है। अपनी आशा के सहारे वह खेती करता है और ब्राइन ब्रेट, जो एक कनाडाई कवि और उपन्यासकार हैं, उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन आशाओं का एक व्यवसाय है, यानी कृषि उत्पादन आशाओं का एक व्यवसाय है, 'Farming is a profession of the hope' इस प्रकार के विचार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के लोगों ने व्यक्त किये हैं।

जैसाकि सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे याद दिलाया। इन्होंने मेरे वक्तव्य को याद दिलाया और मैंने वास्तव में आत्मावलोकन भी किया। अवलोकन करके आपने कहा कि एग्रीकल्चर, होर्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, सेरीकल्चर, पोलेरी कल्चर, हर्बीकल्चर, पिग्री-डिक्री, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के बहुत सारे सम्बन्धित क्षेत्र हैं। प्रयास करना बुरी बात भी नहीं है। कोई विजन रखना बुरी बात भी नहीं है और आजादी के 68 वर्षों में कोई विजन नहीं रखा तो क्या नया नहीं रखना चाहिए? हम लोगों ने विजन रखा और हमें उसका फायदा हुआ। हम लोगों ने सबसे पहले चिन्ता की थी कि हम प्रोडेक्टिविटी एन्हांस करेंगे, हमारी उत्पादकता को हम बढ़ाएंगे। आज उत्पादकता बढ़ी तो तीन-तीन कृषि कर्मण अवार्ड राजस्थान को मिल रहे हैं। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, सैल्फ लाइफ इम्प्रूवमेंट की बात भी मैंने कही थी। आज देखिए, आप कोई भी सब्जी, हमारा कोई भी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल पहले पांच दिन में खराब होता था, आज उसकी सेल्फ लाइफ इम्प्रूवमेंट होकर ऐसे सीड्स आए हैं, उनके माध्यम से अब 15 दिन, एक महीना और दो-दो महीने तक आपके सेल्फ लाइफ इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से हुआ है। इतना नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था। लेकिन इसमें कुछ सुधार हुआ है।

इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रोटीन एण्ड न्यूट्रीन्स का आज भी हम काम नहीं कर पाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जब से हाई ब्रीड सीड आए हैं, उत्पादकता उससे बढ़ी, लेकिन जो ट्रैडीशनल टैस्ट था हमारी क्रोप्स का, चाहे वह व्हिट हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे हमारे फ्रूट एण्ड वेजीटेबल्स हों। इजराइल ने यह काम शुरू किया था, उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इसके प्रोटीन एण्ड

(श्री प्रभू लाल सैनी)

न्यूट्रीन्स की मात्रा, कैसे हमारे ग्रेन्स, पल्सेज और मिल्क सबमें हो, इसके प्रयास भी हम लोग करेंगे।

सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी हम लोग काम करें ताकि टिकाऊ खेती होनी चाहिए, जोकि अभी तक यदि हम देखें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 80 हजार से ज्यादा वैरायटीज खाद्यान्न की है इस पूरे विश्व में, लेकिन अभी तक जो इंट्रोड्यूज हुई है वह 30 हजार के लगभग वैरायटीज इंट्रोड्यूज हुई है और मात्र अभी पूरे हिन्दुस्तान में तीन, जिसमें खास तौर से चावल, गेहूं और मक्का 60 प्रतिशत हमारा खाद्यान्न का काम कोई करता है तो यह तीन क्रोप्स करती हैं।

बाकी अभी बहुत कुछ कृषि में काम करने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हमने होर्टिकल्चर में उद्यानिकी काफी की है, काफी जगह बढ़ाई है। आज बाड़मेर, सिरोही और जालौर में आप देखिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोमेग्रेनेट का इतना अच्छा उत्पादन हो रहा है, जिसको थार अनार के रूप में जानते हैं। यह प्रयास हुआ है, ड्रेगन फ्रूट आया है, डेटपाम आया है, होर्टिकल्चर का क्षेत्र बढ़ा है। हम किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के साथ उनको जोड़ रहे हैं। तो मैं तो आज इस माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को इतना अपील करना चाहूंगा कृपया कर के इन योजनाओं को किसान तक लेकर जाएं। भाषण देकर जाना तो वर्षों से जाते थे, थोड़ी देर के बाद फिर हां पक्ष ना पक्ष कहेगा, मांग पूरी हो जाएगी, इससे राजस्थान का भला नहीं होने वाला है। सब को मिलकर कई ऐसे काम हैं जो हम को करने की जरूरत होगी।

माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो हम लोगों ने जल स्वावलंबन महा अभियान चलाया है। एक प्रतिशत पानी हमारा है। कई माननीय सदस्यों ने यह भी जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में नदियों को नदियों से जोड़ने वाली जो योजना थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ने फैसला किया, 5 हजार 600 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी योजना बनी, राजस्थान की कुछ नदियां, कालीसिंध, पार्वती, चम्बल आदि नदियां थीं जो भी यहां की उसमें जुड़ी थी, परिस्थितियां जो भी रहीं, मैं किसी पर आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं करता हूं लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री को, एक बार उन्होंने फिर प्रयास

(श्री प्रभू लाल सैनी)

किया है कि नदियों को नदियों से जोड़ कर हम लोग राजस्थान के उन क्षेत्रों को पानी देने का काम, खेतों में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। रिवर बेसिन हम लोगों ने बनाया है और उसके माध्यम से काम करने का प्रयास हम लोग करेंगे।

एक और निवेदन करना चाहूंगा। हमारा जो विजन है यूटिलाइज आफ द लैंड, वाटर एण्ड टैक्नोलोजी, तीन चीजों का अब आपिटमम यूज हम लोग करेंगे जिसमें जमीन का समुचित कैसे हम प्रयोग करें, टैक्नोलोजी है और पानी के क्षेत्र में हम लोग कैसे काम करें, यह सारे विषय भी हम लोगों ने हाथ में लिये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यह भी कहा था कि मार्केटिंग क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। राजस्थान पहला प्रदेश है, राजस्थान इंटिग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम हम राजस्थान में पांच मंडियों में शुरू कर रहे हैं, वो उस कासेप्ट को जो भारत में है, भारतीय कृषि बाजार का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन देखा था, कर्नाटक में इसकी शुरूआत हुई थी, ई-ट्रेडिंग, ई-ऑक्शन, ई-पेमेंट, यह सारे काम अब इन मंडियों के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ा कर किसान की मार्केटिंग की व्यवस्था सुदृढ़ कर सकें। यह भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत गम्भीर विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि प्रकृति हमारे साथ नाराज है? जियोमैटिक चेंजेज क्यों हो रहे हैं? जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? जलवायु परिवर्तन का आधार क्या है जिनकी वजह से हर वर्ष हम को ओलावृष्टि, अतिवृष्टि को झेलना पड़ रहा है? तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जियोमैटिक जो एक सर्वे होता है, वो देख कर बताते हैं इसके कारण क्या है। उन्होंने इसके तीन प्रमुख कारण बताये हैं। पर्यावरण प्रदूषण को बताया है और पर्यावरण प्रदूषण मुख्य कारण इसलिए बताया है क्योंकि पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है वो औद्योगिक क्षेत्र से होता है, वाहनों से होता है, गैसों से होता है, कोयला आधारित विद्युत ताप गृह से होता है, सघन कृषि में रासायनिक खाद्यों के प्रयोग से होता है, एयर कंडीशन एण्ड रेफ्रिजरेटर के माध्यम से होता है जो ओजोन की परत को नष्ट करने का काम यह गैसें करती हैं। यह बहुत चिंता का विषय है, पहले सौ साल में एक बार तूफान, भूकम्प आया करते थे, अब दस साल का एक रेशो इस सर्वे में आया है। इस सर्वे में बताया है कि

(श्री प्रभू लाल सैनी)

ओजोन परत में जो पैराबैंगिनी रेजेज सूर्य से आती थीं उसमें छेद हो गया है और सीधे वो धरती पर पड़ने से मनुष्य में कई प्रकार की बीमारियां व फसल का कम उत्पादन यानी हमारा चार डिग्री टैम्प्रेचर यदि बढ़ता है तो, 24 से 30 प्रतिशत इसका हमारी फसल के प्रोडक्शन पर फर्क पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जल और खनिज का उन्होंने बताया। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या-क्या होंगे, इसके बारे में उन्होंने यह बताया कि मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा और कई-कई बीमारियां, ज्वर, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, कैंसर, फ्लू जैसे भयानक रोग, इसकी प्रबल संभावनाएं हमारे बढ़ेंगी। पक्षियों पर होंगे, कीट-व्याधियों का हमारी फसलों पर प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण से 2020 तक दुग्ध उत्पादन में 1.6 प्रतिशत मिलियन टन घाटा होगा।

मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन क्रिया-कलापों से निकलने वाली जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग की हमारी धरती शिकार होती जा रही है। सीओ-2, सीएस-2, सल्फर डाईऑक्साइड, मिथेन आदि जो गैसें हैं इनकी वजह से हमारी प्रकृति का, पूरे विश्व का संतुलन बिगड़ा है। विश्व में, पेरिस में इसका चिन्तन हुआ है, देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत की तरफ से उसका रिप्रजेंटेशन किया है। हम सबको चिंता कर के इस पर विचार करने की जरूरत है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करना क्या चाहिए?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं बता रहा हूं न क्या करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हम को क्या करना चाहिए, उसमें प्रमुख हमारी जो रणनीतियां हैं वो है उन खतरों को झेलने वाली फसलों का विकास होना चाहिए। जैसे हमारे रेगिस्तान है। सुनना, लिख लो।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारबार हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर हंस रहे हैं जब हमारे मंत्री जी अंग्रेजी बोलते हैं। अधिकारियों को पता है कि कोई भी लैटर आयेगा तो मंत्री को वो धोखा नहीं दे सकते। यह आप भी जानकारी रखो, आप भी कोई सुझाव दो तो थोड़ा ढंग का ही देना। उनको अंग्रेजी की अच्छी तरह से जानकारी है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रमेश जी, मेरे को तो खुद को ही अंग्रेजी नहीं आती, मैं क्या हंसूंगा। ...(व्यवधान)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में जैसा कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं, मैं उनको बताऊंगा। इन खतरों को झेलने वाली फसलों का हमको विकास करना पड़ेगा। पूरा वैस्टर्न राजस्थान है, उसको हमको ग्रीन करना पड़ेगा। ग्रीन करने के लिए हमको डेटपाम की खेती वहां करनी पड़ेगी, ओलिव की खेती करनी पड़ेगी, बेहतर सिंचाई तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा, कृषि वानिकी फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा, स्थानीय और देशी प्रजातियों का संरक्षण करना पड़ेगा, समन्वित जल प्रबन्धन करना पड़ेगा। यह सारे काम करने के बाद निश्चित रूप से जलवायु पर जो किरणों का प्रभाव पड़ने वाला है उसको हम लोग ठीक कर पायेंगे। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने किसानों को सहायता देने की बात का जिक्र किया। खास तौर से सांगानेर, आमेर, सपोटरा सहित माननीय सदस्यों ने। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की सरकार किसान हितैषी सरकार है। जब-जब भी प्रकृति ने उपहास किया, उस उपहास को उपहार में बदलने का यदि किसी ने काम किया है तो राजस्थान की सरकार ने किया है। यह संयोग रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि 2014-15 में ओलावृष्टि हुई, खरीफ में अनावृष्टि हुई और रबी 2014-15 में भीषण ओलावृष्टि से 8322 गांवों के 29 लाख 24 हजार कृषकों को 2471 करोड़ रुपये की पहली बार सहायता सरकार के द्वारा दी गयी।

यही नहीं, कई माननीय सदस्यों ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना को, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसको उठाया है। मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में अभी दो प्रकार की बीमा योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मौसम आधारित फसल बीमा राजस्थान के बीस जिलों में की जा रही है और मोडिफाइड क्रोप इंश्योरेंस, जो संशोधित फसल बीमा योजना है वो 13 जिलों में संचालित की जा रही है। आपका यह कहना था कि आप वैदर बेस्ड को बदल कर मोडिफाइड में करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा, किसी भी क्रोप का जिले में चयन कि कौनसी बीमा योजना को अपनाना है, एडोप्ट करना है, यह काम सरकार नहीं करती है। हम लोग जिला कलक्टर, वहां से सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ कर वो लोग यह प्रस्ताव भेजते हैं कि हमको दोनों में से कौन सी बीमा योजना विकल्प रूप में चाहिए। यदि हम ध्यान देते तो जिला कलक्टर्स के यहां पर हमारे विभाग की तरफ से हम लोगों ने उनको

(श्री प्रभू लाल सैनी)

चिट्ठियां भेज कर वहां से उनकी मीटिंग होने के बाद में यह फैसला करते हैं कि कौन से जिले में कौन सी योजना। अभी इस वर्ष में दो जिलों में, जिले के कलक्टर्स और वहां के अधिकारियों ने मना किया कि हम इसको एडोप्ट नहीं करते, तो उसको हमने बदला भी है।

मुझे कहते हुए बहुत खुशी है यदि हम बात करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौसम आधारित फसल बीमा योजना में 2014-15 में 2471 करोड़ के अतिरिक्त मौसम आधारित फसल बीमा योजना में जो फसल खराबा हुआ है उसमें 754.06 करोड़ रुपये, यानी 29.57 लाख किसानों को इसका हमने लाभ दिया। इसी प्रकार दोनों को यदि हम जोड़ें खरीफ को, तो खरीफ जोड़ने के बाद में 3225.06 करोड़ रुपये आपदा प्रबन्धन और मौसम आधारित बीमाओं के माध्यम से राजस्थान में दो वर्षों में राजस्थान के किसान को देने का काम हमारी सरकार ने किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप तो इसको अलग से बताओ न।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं बता रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आपदा प्रबन्धन को मत जोड़िये। ...(व्यवधान)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस पर काफी चिंता जाहिर की है। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना में हमारी जो 2 वर्षों की प्रगति रही है, 2013 से लेकर के 2015 तक यदि हम देखते हैं तो कृषक प्रीमियम का जो पैसा, जिसके बारे में कई माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, 1 हजार 88 करोड़ 75 लाख रुपये किसान प्रीमियम का मिला। राज्य के अंश और केन्द्र अंशदान के प्रीमियम को यदि देखें तो 1632.52 लाख उनका हुआ। दोनों को मिलाकर के बात करें तो 2712 करोड़ 74 लाख रुपये प्रीमियम के रूप में हमारे 2 वर्षों में बीमा कंपनियों को दिया गया। बीमा क्लेम जो बना उसमें 3 हजार 61 करोड़ 77 लाख रुपये का बना। लाभान्वित कृषक 1 करोड़ 78 लाख और कृषकों को अधिक भुगतान जो हुआ 349 करोड़ 3 लाख रुपये का भुगतान हमारे 2 वर्षों के काल में हुआ। इन बीमाओं के माध्यम से करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): जो मुझे समझ में आया, अभी आपने यह फर्माया कि 2 साल में 3 हजार करोड़ के करीब का क्लेम पास हुआ? यह आप जो क्रोप इंश्योरेंस है, उसका बता रहे हैं या आपदा राहत के 2 हजार करोड़ को जोड़कर के बता रहे हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): नहीं, अतिरिक्त।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): उसके अतिरिक्त 2 साल में 3 हजार कितने करोड़ का?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): 3 हजार 61 करोड़।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 3 हजार 61 करोड़ के क्लेम 2 साल में?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): 3 हजार 61 करोड़ और 77 लाख।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 2 साल में?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): 2 साल में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि अभी राजस्थान में किसानों को बीमा प्रीमियम का 10 से लेकर 11 प्रतिशत तक प्रीमियम देना पड़ता था। देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी नई प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना शुरू की है। कृषि बीमा योजना जो 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू होगी। लागू होने के बाद में डेढ़ प्रतिशत रबी, 2 प्रतिशत ख़रीफ़ और हार्टिकल्चर क्रोप्स के लिए 5 प्रतिशत बीमा योजना राजस्थान में लागू की जा रही है। इसके बारे में अभी दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

अब इसमें बहुत सारे लाभ जो किसानों को मिलेंगे। एक तो प्रीमियम में कमी होगी। दूसरा, यदि बुआई नहीं होती है, मान लो जून में, जुलाई में, अगस्त में बारिश नहीं हुई तो किसानों को 25 प्रतिशत पैसा मुआवजे का इस योजना के अन्तर्गत दिया जाएगा। यदि फसल कटाई हो गयी, 14 दिन तक फसल कटाई के बाद भी यदि नुकसान होता है तो इस योजना के माध्यम से उसका भी भरण-पोषण करने की व्यवस्था की गयी है। इसमें जो सब्सिडी का टाप अप का प्रावधान था, उसको हटाकर बीमित जो फसल है, उसी के आधार पर किसानों को होगा। पहले लगभग 23 लाख किसान ही इसका लाभ ले पाते थे। अब यह बढ़कर के 50 प्रतिशत हो जाएगा।

एक और नई बीमा योजना जिसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूं,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, अभी पूरे देश में 683 जिलों में प्रायोगिक तौर पर इसको लागू किया गया है। राजस्थान के 3 जिले जिनमें धौलपुर, राजसमंद और सीकर, सम्मिलित किये गये हैं। करीब 2016 से यह लागू होगा। इस बीमा योजना, यूनिफाइड पैकेज के माध्यम से अब एक साथ में 4-5 प्रकार के उसके बीमे कवर किये जाएंगे। आवासीय भवन बीमा इसमें होगा। इसमें फायर एंड एनलाइज्ड जो भी खतरे होंगे, वह भी सम्मिलित होंगे। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी इसमें होगा, जिसमें 12 रुपये देने होंगे और 2 लाख रुपये उसको मिलेंगे। कृषि पंप सैट का बीमा भी इसमें आ जाएगा। जो मात्र 25 हजार रुपये आधार पर उसका प्रीमियम लगेगा। कृषि ट्रैक्टर का बीमा होगा। छात्र सुरक्षा बीमा भी होगा और जीवन बीमा भी होगा।

इस यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस का सीधा-सीधा मकसद यह है कि किसान को सभी तरह की योजनाओं को डवटेल करते हुए प्रायोगिक तौर पर राजस्थान के 3 जिलों में शुरूआत की गयी है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से बीमा में जिस प्रकार की खामियां आज रही थीं, चल रही थीं या जो लोगों के समझ में आ रही थीं, इसके आ जाने से मैं समझता हूं कि अब किसी प्रकार का किंतु-परंतु नहीं रहेगा। इसका लाभ सभी को मिल पायेगा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले किसान देता था 30 परसेंट हिस्सा और सरकार देती थी 35-35 परसेंट हिस्सा। अभी आपने फसल आधारित के अन्दर क्या कर दिया किसान का अंशदान कर दिया 45 परसेंट, सरकार का 27.5 और केन्द्र सरकार का 27.5 कर दिया है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अब तो हम डेढ़ परसेंट, 2 परसेंट ही ले रहे हैं प्रीमियम। अब वह नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सुनो आप।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जोगाराम जी, आपकी बुद्धि घुटने में है। तेल खाया करो, घी मत खाओ, पचेगा नहीं आपको।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन था, 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' और यह राष्ट्रव्यापी संदेश राजस्थान में 19 फरवरी, 2015 को सोइल हैल्थ कार्ड के रूप में यहां सूरतगढ़ से इसकी लांचिंग हुई। बहुत चिंता हुई, धरती मां जो बोलती नहीं है। उसके साथ अंधाधुंध फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग होने से वह

(श्री प्रभू लाल सैनी)

काफी पीड़ित रही। जमीन का स्वास्थ्य खराब हुआ। काफी जुल्म सहती रही। अगर हम धरती मां की आवाज नहीं सुनेंगे तो वह भी हमारी नहीं सुनेगी। यानी यदि हम आप्टिमम यूज फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड का नहीं करेंगे तो हमारी मृदा का जो स्वास्थ्य है, वह नहीं ठीक होगा। वह अगर ठीक नहीं होगा तो हमारा उत्पादन भी हमें नहीं मिल पायेगा।

मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि राजस्थान में 68.88 लाख हमारी कृषि जोत है। इसमें हम लोगों ने 2 ग्रिड तय किये हैं, 10 हैक्टेयर असिंचित क्षेत्र और ढाई हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र। इस क्षेत्र की परिधि में आने वाले सभी किसानों को एक सोइल हैल्थ कार्ड जारी होगा। राज्य में 23.8 लाख नमूने हम लोगों को यहां से लेने हैं और क्षेत्रफल 211.36 लाख हैक्टेयर का एरिया होगा। औसतन जोत 3.7 हैक्टेयर है। लगभग 70 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जाएंगे। 2015-16 में 8.2 लाख नमूने एकत्र किये हैं। उनमें से 3 लाख 49 हजार नमूने का रिजल्ट आ गया है। 7 लाख 67 हजार किसानों को कार्ड का वितरण भी कर दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अभी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक आजादी की 75 वीं जब सालगिरह होगी, उस वक्त किसान की आमदनी को हमको दुगना करना पड़ेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री जी 50 बार अध्यक्ष महोदय बोल गये तो क्या यह परमानेंट व्यवस्था नहीं हो सकती क्या कि माननीय अध्यक्ष महोदय ही हो जाएं आप? 50 बार अध्यक्ष महोदय कहा है तो, हमारा भी भला हो जाये कुछ।

एक माननीय सदस्य: इसकी चिंता आप मत करो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आज आपने अध्यक्ष महोदय का रूप नहीं देखा क्या? अपने अध्यक्ष तो वही ठीक हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं संक्षेप में मेरा निवेदन करूंगा। विश्लेषित परिणामों से ज्ञात हुआ कि राज्य की 38 प्रतिशत भूमि में जस्ते की कमी पायी गयी। 30 प्रतिशत में लोहा कम मिला है। 4 से 6 प्रतिशत भूमि में बोरोन, मैंगनीज की डेफिसिएंसी पायी गयी है। इनकी डेफिसिएंसी का सीधा-सीधा अर्थ मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। सोइल हैल्थ कार्ड के माध्यम से

(श्री प्रभू लाल सैनी)

हमारा यह प्रयास होगा कि सभी किसानों को इसकी जानकारी दी जाए। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े इसके बारे में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने बीज के बारे में भी प्रश्न किये हैं। यह बिलकुल सही है। कृषि का मूलाधार बीज होता है। कई माननीय सदस्यों ने बीज के प्रकार को भी बताया है। प्रजनक सीड से लेकर के फाउंडेशन सीड, सारे सीड्स का अभी आपने वर्णन किया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में प्रजनक बीज प्रथम स्टेज, आधार बीज द्वितीय स्टेज, प्रमाणिक बीज तृतीय स्टेज, इसके बाद फिर सत्यनिष्ठ बीज होते हैं।

अभी जो राजस्थान में हम लोगों ने प्रयास किये हैं, अभी भारत सरकार के द्वारा हमको 2014-15 में खरीफ में 716 क्विंटल और रबी में 2595 ब्रीडर सीड वहां से मिला। 2015-16 में 733 क्विंटल और 2870 क्विंटल बीज मिला। यानी कि हम लोगों ने जो बीज के उत्पादन का काम किया, उसके आश्चर्यजनक परिणाम आये हैं।

आजादी के 68 वर्षों में यदि आरएससीसी का देखें, तो 25 प्रतिशत से लेकर के मात्र 30 प्रतिशत सीड का उत्पादन और वितरण राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन के माध्यम से किया जाता है। बाकी निजी कंपनियों के द्वारा सीड का वितरण किया जाता है। लेकिन धीरे-धीरे राजस्थान बीज निगम अपना प्रयास कर रहा है। इन्होंने प्रमाणित करके जो बीज तैयार किया है, वह 2015 में 76772 क्विंटल और रबी में 2014-15 में 4 लाख 10 हजार 276 क्विंटल और खरीफ 2015 में 1 लाख 7 हजार 82 क्विंटल, रबी में 2015 में 7.31 यह हमारे, यानी जीओटी टैस्ट की, ग्रो आउट टैस्ट की पहली बार राजस्थान में हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। बार-बार जो शिकायत होती है, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, सीकर में जिस प्रकार एनएसई के द्वारा जो प्याज के बीज की बात कही गयी है, निश्चित रूप से जब तक उसका जीओटी टैस्ट नहीं होगा, तब तक उसकी अमानकता का पता नहीं होगा।

(22.00 बजे)

राजस्थान में जल्दी ही हम लोग जीओटी टैस्ट के माध्यम से ऐसे बीज की गुणवत्ता को परीक्षण करने का काम करेंगे और आज जहां तक आपूर्ति का प्रश्न है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस वर्ष में कोई

(श्री प्रभू लाल सैनी)

भी नहीं, हमारी जो प्लानिंग है वह 8 लाख मीट्रिक टन खरीफ में यूरिया की है, डीएपी में 4 लाख की है और मैं कहता हूं कि एडवांस स्टोरेज की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 20 हजार मीट्रिक टन डीएपी की बात कही गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह किया है और गुणवत्ता के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 2015-16 में 10746 नमूनें उर्वरक के विभाग के द्वारा लिए गये हैं, 114 नमूने अमानक पाए गये हैं, इसी प्रकार बीज के नमूने 3123 नमूने लिए गये हैं उनमें 91 अमानक मिले हैं, 3200 नमूने कीटनाशकों के लिये जिसमें 71 नमूने अमानक मिले हैं, सीड कंट्रोल एक्ट, 1983, फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट, 1985, इंसेक्टीसाइड कंट्रोल एक्ट 1968, इन तीनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है और खास तौर से सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक भी कम्पनी के साथ अमानकता मिलने पर कार्यवाही नहीं हुई, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि 14 ऐसी फर्में हैं उनके खिलाफ हम इस एक्ट में तो कार्यवाही कर ही रहे हैं, उसके अलावा उनका प्राधिकार पत्र जो था, उर्वरक निर्माण का जो प्रमाण पत्र था उसको निरस्त कर दिया गया है, उसको ब्लैक लिस्ट भी घोषित कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से दूसरे लोग मिलावट के प्रयास की कार्यवाही नहीं करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गत बजट में कहा था कि हरित क्रांति के बाद पीत क्रांति और फिर सदाबहार क्रांति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा और आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि ज्ञान प्रबंधन क्रांति होनी चाहिए, जब तक नालेज नहीं होगी, जब तक किसानों को जानकारी नहीं होगी, जब तक सभी लोगों को जानकारी नहीं होगी, तब तक प्रोडक्शन, हमारा उत्पादन अधिक आगे नहीं बढ़ेगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि राजस्थान में हम लोगों ने 6 स्थानों पर ज्ञान प्रबंधन को बढ़ाने के लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की है और उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तकनीक प्रदर्शन और कृषक प्रशिक्षण का काम हम लोग करते हैं। कोटा में नींबू प्रजाति, जयपुर में अनार प्रजाति, जैसलमेर में खजूर, टोंक में अमरूद, झालावाड़ में संतरा और धौलपुर में आम। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तभी संभव होगा, जब तक एग्रीकल्चर टैक्नोलोजी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

मैनेजमेंट एजेंसी के माध्यम से या जब तक कि जानकारी नहीं होगी हमारे कृषक भाइयों को या सभी लोगों को तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रयास कर रहे हैं। ग्रीन हाउस के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने कहा है, अब तक ग्रीन हाउस 2006-07 से लेकर आपकी सरकार का और हमारी सरकार का यदि हम देखें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 18.87 लाख स्क्वायर मीटर, ग्रीन हाउस 837 कृषकों को लाभांवित किया गया है राजस्थान में, 2006-07 से लेकर अब तक। मेरा कहने का तात्पर्य यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि निश्चित रूप से किसानों को हम लोगों ने ग्रीन हाउस तो दे दिए, ग्रीन हाउस उनके बना दिए, पाली हाउस उनके बना दिए, नैट हाउस बना दिए लेकिन उनके अन्दर की जो संरक्षित खेती होती है वह काफी महंगी होती है। उसका बीज काफी महंगा होता है, प्लांटिंग मैटेरियल होता है, उसमें फर्टिलाइजर होता है, इन सारी सुविधाओं को देते हुए मुझे आज कहते हुए बहुत खुशी है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा अब हम लोगों ने प्रयास किया है कि जिन किसानों ने अपने खेत में ग्रीन हाउस लगा रखे हैं उनको 12 लाख रुपये तक का अनुदान प्लांट मैटेरियल, खुद की मजदूरी, खाद के लिए, सबके लिए, चाहे ग्रीन हाउस पुराने हो चाहे नये हों, अब राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत 24 लाख रुपये में से फिफ्टी परसेंट यानी 12 लाख रुपये हम उन किसानों को देंगे ताकि पुराने ग्रीन हाउस जो खड़े हुए हैं उनको दुबारा एक बार रिन्यू किया जा सके, दुबारा उनको चलाया जा सके। यह निश्चित रूप से राजस्थान में एक नया क्रांतिकारी कदम माना जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा, अभी जयपुर के आसपास जहां ग्रीन हाउस लगे हुए हैं, वहां मिट्टी में Namma Metro बीमारी के रूप में आई है और Namma Metro के आने से फसल का उत्पादन और पौधे की बढ़वार में रोक लगी है तो हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं, उसके उपचार की व्यवस्था तो हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए हमारे उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय की एक कमेटी बनाकर हम रिसर्च कर रहे हैं कि व्हाइट फ्लाई और Namma Metro, दो प्रकार की जो फल-सब्जियों में बीमारी है, इसकी रोकथाम के स्थाई उपाय किए जाएं, उसके बारे में अध्ययन भी चल रहा है, पर आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हम एक और नया वर्टिकल हाइड्रोफोनिक ग्रीन हाउस जिसमें मिट्टी में एक दाना भी नहीं लगाना पड़ेगा,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

हाइड्रोफोनिक पद्धति के माध्यम से वर्टिकल यानी 25 से 30 उसके वर्टिकल करके 30 गुना से अधिक प्रोडक्शन उसमें लिया जा सकेगा और पूरे हिन्दुस्तान में यह तकनीक पहली बार, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हम लोग राजस्थान में इसी वर्ष में करने की मैं घोषणा करता हूं। यहां पर हमारे 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बने हुए हैं, उन सातों पर एक-एक हाइड्रोफोनिक ग्रीन हाउस की स्थापना करके हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नवाचार के क्षेत्र में संक्षेप में दो बात मैं कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य, सपोटरा से आने वाले, उन्होंने जैतून पर प्रश्न किया था। उन्होंने कहा कि जैतून में आप आगे नहीं बढ़ पाए, 182 हैक्टेयर नहीं कर पाए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि 2006-07 में इसका प्लांटेशन बस्सी में शुरू हुआ था, 1 लाख पौधे हम इजरायल से लेकर आए थे, गवर्नमेंट फार्म पर 182 लाख हैं और फामर्स के फील्ड पर आज 518 हैक्टेयर में इसकी खेती शुरू हो चुकी है और इसके अलावा इस साल में 2015-16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत हंडरेड परसेंट अनुदान पर किसानों को आलिव के प्लांटेशन हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो सब्सिडी का ग्रीन हाउस का और माइक्रो इर्रिगेशन का है उस पर भी उनको 70 परसेंट सब्सिडी देकर इस क्षेत्र को हम आगे बढाएंगे। आलिव के बारे में आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि पूरे देश में इंटरनेशनल कांफ्रेंस आन आलिव, जयपुर में 18 से 21 जनवरी, 2016 को हमने की थी, इसमें ब्राजील, इजरायल, अर्जेंटीना, स्पेन, अमरीका जैसे देशों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक भाग लेने के लिए आए थे। इसमें भाग लेने के बाद हमारा जो आयल था, आयल कंटेंट जो देखा गया तो उस आयल कंटेंट के बारे में कहा, एक्स्ट्रा वर्जिन उसको बताया गया, यानी विश्व में सबसे अच्छा आयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन उसको बताया गया है और आलिव रिफाइनरी लूणकरणसर में भी उसकी हम लोगों ने शुरू कर दी है। शीघ्र ही आलिव के पत्तों की भी ग्रीन टी, जो केरल में यहां से पत्ते ले जाकर वह बना रहे हैं, हमारा प्रयास होगा कि हम जयपुर में भी ग्रीन टी के रूप में आलिव के पत्तों की चाय बनाएं और इसके अलावा आलिव हनी का काम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है ताकि मधु मक्खियों के माध्यम से शहद एकत्रित करके उसका लाभ भी हम सब लोगों को मिल सकेगा, डाइबिटीज और कई बीमारियों के लिए इसका खास तौर से लाभ प्राप्त होगा।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहूंगा, केरल, गुजरात, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और भारतीय सेना को भी हम लोगों ने पौधे दिए हैं यानि राजस्थान की कृषि, कई राज्यों में जाकर भी अंतरराज्यीय स्तर पर जाकर अपनी दस्तक दे रही है और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि इंटरनेशनल क्वालिटी का अवार्ड 2015-16, गोल्डन कैटेगिरी का, स्पेन में भी राजस्थान के आलिव कल्टीवेशन को मिला है यह भी मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार खजूर की खेती हम लोगों ने शुरू की थी, उसमें भी 135 हैक्टेयर गवर्नमेंट फार्म पर, 12 जिलों में हम कर रहे हैं और 808 हैक्टेयर में किसानों के खेतों पर हमने शुरू कर दी है। प्रोडक्शन हमारा शुरू हो गया है, हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम इस खेती को किसान तक बढाएं ताकि हम जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे थे उसमें एक चीज में दो लाभ हमको मिलने वाले हैं, इस ओर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ में एक और नई खोज मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको सबसे पहले इंडिया में हम ड्रेगन फ्रूट की खेती इसी महीने में 10 तारीख को, प्लांट हमने मंगवा लिए हैं, बाहर से प्लांट भी आ गए हैं। इसको हम कृषि फार्मों पर लगाएंगे, 150 से 200 रुपए किलो इसका मिलेगा और 20 एमएम तक भी यदि बारिश होती है यानी यह सूखारोधी किस्म है, बारिश की ज्यादा जरूरत नहीं है कंकरीली-पथरीली जो लैंड है उस पर इसका काम होगा और इसके बाद राजस्थान में ही हम लोग इसका प्लांटिंग मैटेरियल तैयार करके राजस्थान के किसानों को देने का काम करेंगे। यह जानकारी मैं दे दूं। ड्रेगन फ्रूट की खेती हम लोग पहली बार श्रीलंका, अमेरिका के बाद राजस्थान में करेंगे। इंडिया में कहीं नहीं हो रही और 18 माह में इसका फल का उत्पादन हो जाएगा ताकि शुष्क खेती का भी प्रयोग करके हम इसको भी आगे बढ़ा सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विपणन के संदर्भ में कुछ छोटी-छोटी बात कहना चाहूंगा। राज्य में कृषि उपज मंडियां 135 हैं, गौण मंडियां 311 है और वित्तीय वर्ष 2015-16 में फरवरी तक 473.32 करोड़ रुपये का

(श्री प्रभू लाल सैनी)

राजस्व आया है और पिछली सरकार के वक्त में 3 साल की अवधि 2009 से लेकर 2011 तक का देखें तो 850 करोड़ रुपए मंडी शुल्क से आय प्राप्त हुई है।

वहीं इस सरकार के कार्यकाल में, 2014, 15, 16 में 1510.61 करोड़ रुपये की आय मण्डियों के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुई है। सड़कों के माध्यम से भी हम लोगों ने निर्माण के जो काम किये हैं ग्रामीण सड़कों के लिए भी 387.40 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी है। वर्तमान सरकार द्वारा माह फरवरी, 2016 तक 772.99 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है जो पिछली सरकार की 387 करोड़ के मुकाबले काफी अधिक है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि राजस्थान में हम लोगों ने जिन मण्डियों के पास राशि उपलब्ध थी वहां पर किसान पथ बनाने का काम भी राजस्थान में पहली बार मार्केटिंग विभाग के द्वारा किया गया है।

किसान कलेवा के बारे में भी मैं दो लाइन संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। 2013 में इनकी सरकार के वक्त में योजना चालू हुई थी। इस योजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए प्रयास किया। इनके वक्त में यदि हम देखें 2013 से 2016 तक 34.64 लाख किसानों को, पल्लेदारों को हम लोगों ने इसमें लाभान्वित किया है जबकि इनका 2009 से 2011 का देखें तो मात्र 3.91 लाख किसानों को दिया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह प्रयास कर रहे हैं 23 कलेवा केन्द्रों के निर्माण पर 3.50 करोड़ की स्वीकृति देकर केन्द्र बनवा दिये गये हैं और 2009 से 2011 तक मात्र 3.91 लाख किसानों को दिया था। हमने उसमें गुणवत्ता में सुधार के लिए 6 रोटी, 2 सब्जी, छाछ और गुड़ हम उन किसानों को देते हैं जो सवेरे बहुत जल्दी अपनी फसल को बेचने के लिए मण्डियों में आ जाते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक कल्याण योजना भी हम लोगों ने मण्डी श्रमिकों के लिए लागू की थी। इसका भी लाभ मण्डी श्रमिकों को, चाहे छात्रवृत्ति का विषय रहा हो, चाहे बीमारी में रहा हो, चाहे किसी दुर्घटना में रहा हो, उन किसानों को हम दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह 5 लाख वाली घोषणा का क्या हुआ, मुख्य मंत्रीजी ने की थी उसका।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अब आ रहा हूं ना। बैठ तो जाओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी कृषक साथी योजना में अब तक हम लोगों ने 2013 से लेकर 2016 तक उन किसान परिवारों की विधवाओं या

(श्री प्रभू लाल सैनी)

उनके बच्चों की मदद करने का काम किया, 52.18 करोड़ की सहायता राशि उनको दी। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य 5 लाख की जो बात कह रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। अभी एक लाख से बढ़ाकर दो लाख हमने कर दिये हैं। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह भी घोषणा की थी कि बीमा कंपनियों के माध्यम से इस राशि को हम 5 लाख तक लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार के प्रक्रियाधीन है। ज्यों ही उचित, अच्छे प्रस्ताव हमें प्राप्त होंगे उसके बाद अग्रिम कार्यवाही हम लोग करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक और निवेदन था। वर्तमान में ऐसी हमारी हर्बीकल्चर के बारे में, जिसमें महुवा है, रतनजोत है, कणजी है, फुआड़ है, आंवला, शहद आदि, हम लोगों ने पहली बार लघु वन उपज मण्डी उदयपुर में खोली और आज हमें बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है 4.44 करोड़ रुपये की लागत से हमने भवन निर्माण के दे दिये हैं और हम लोगों ने ट्रांजिट परमिट भी, उन आदिवासी भाइयों को जो प्रोब्लम होती थी, वन विभाग के द्वारा जो परेशानी आती थी उसको भी दुरुस्त करने का काम किया है। रिसर्जेंट राजस्थान में हमारे जो 13 एमओयू हुए हैं 4042 करोड़ रुपये के हुए हैं। सवाईमाधोपुर में जो बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी, एमओयू के माध्यम से वहां भी निजी फर्म के द्वारा अमरूद के, संतरे के जूस का प्रोसेसिंग प्लांट वहां पर लगेगा, इसके बारे में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और नया है कि भारत के प्रधानमंत्री (व्यवधान) मैंने आप सबको दिन भर झेला है, एक घण्टे तो झेलो। मैंने भी झेला है आपको। आप किसान हित में बैठे हो ना? आपको जल्दी क्यों हो रही है जाने की? इसलिए आप आराम से। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषि बाजार (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वैसे मंत्री महोदय, मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं यह गलतफहमी आप लोगों को कैसे हो गयी कि जाना आपके हाथ में है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): वह मुझे इसलिए हो गयी कि आज दिन भर आपके मौन को देखते हुए मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि आप कोई डाइरेक्शन नहीं दे रहे।

श्री उपाध्यक्ष: आप आराम से जितना समय लेना चाहें ले लीजिए।

(श्री उपाध्यक्ष)

यह किसान के बारे में बात हो रही है, किसान के लिए अगर सारी रात भी बीत जाए, कल की सुबह हो जाए तब भी हम लोग (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी को नींद आ जाए तो?

श्री उपाध्यक्ष: अगर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार की आदत है तो उसके लिए हम आपको दायित्ववान मानेंगे।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कृषि बाजार का कंसेप्ट देश के प्रधान मंत्रीजी ने देखा है और उनका यह विजन है कि राजस्थान या पूरे देश का किसान अपने मोबाइल के माध्यम से पूरे देश में अपनी जिंस की नीलामी में भाग ले सके। इसके लिए राजस्थान में भी हम लोगों ने ई-आक्शन, ई-ट्रेडिंग, ई-ग्रेडिंग और ई-पेमेंट की सुविधा उपलब्ध करा दी है, लगभग 25 मण्डियों में। जिनमें बिजोलिया, देवली, माण्डलगढ़, बड़ौदामेव, कामां, नदबई, पीलीबंगा, संगरिया, बांदीकुई, चौमूं, मण्डावरी, अटरू, केशोरायपाटन, गजसिंहपुर, पदमपुर, रिडमलसर, फतेहनगर, खैरथल, नगर, बूंदी, गंगापुरसिटी, हिण्डौन, कोटा, रामगंजमण्डी एवं भीलवाड़ा। प्रथम चरण में इन 25 मण्डियों को हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रोनिक के माध्यम से कृषि बाजार स्थापित करके निश्चित रूप से डिसप्ले बोर्ड वहां पर लगेंगे और किसान की मर्जी के आधार पर पहली बार एक आलपिन से लेकर हवाई जहाज तक कीमत तय करने का अधिकार उस फैक्ट्री मालिक को होता है जो उसका निर्माण करता है, लेकिन कृषि जिंसों के बारे में पहली बार जब कृषि बाजार आएगा तो अपने किसान को यह अधिकार होगा कि अपनी जिंस को बेचना है या उसको नहीं बेचना है, यह बहुत बड़ी क्रान्ति लेकर इस देश में आएगा, यह जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कृषि प्रसंस्करण एवं प्रोत्साहन नीति बनायी है उसमें छोटे-छोटे उद्यमी जो कृषि प्रसंस्करण में काम करना चाहेंगे, अपने खेत में कोई भी किसान कोई प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहेगा उस नीति के अन्तर्गत हम उनको लाभ प्रदान करेंगे। यही नहीं मुझे कहते हुए खुशी है देश में पहली बार विश्वविद्यालय, बीकानेर के अन्तर्गत, पशुपालन के अन्तर्गत ब्लड बैंक की स्थापना हम लोगों ने कर दी है। सीटी स्कैन भी वहां पर देश में पहली बार हम लोगों ने आपके बीकानेर यूनिवर्सिटी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

में लगा दी है, फैको सर्जरी के माध्यम से पशुओं की आंखों की सर्जरी का काम राजस्थान में हो रहा है और ऊंटों के अनुसंधान पर भी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी, हैदराबाद के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं।

राजस्थान का पशु ऊंट को घोषित करने के बाद यहां विधान सभा में अधिनियम, राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन) निर्यात नियम 2015 हम लोगों ने पारित किया था। मुझे आज सदन को जानकारी देते हुए बहुत खुशी है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय की असेंट प्राप्त हो गई है। अब राजस्थान में यह एक्ट प्रभावी हो गया है। अब किसी प्रकार की उनके साथ चोट या किसी प्रकार बाहर उनको कत्ल में ले जाते थे उस पर रोक लग सकेगी।

यूनिवर्सिटी की रैंक हमारे प्रथम रही है और वेटरिनरी के कालेज 20 हजार में से 171वां रैंक बीकानेर यूनिवर्सिटी का आया है। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार घोषणाएं करना चाहता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आपने 12 में तो पद स्वीकृत कर दिये हैं और लूणकरणसर 12वां है। 60 लाख की बिल्डिंग बनी है तो उसके लिए भी पदों की घोषणा तो करें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की बात कही है, निश्चित रूप से आईसीएआर को प्रस्ताव भेज रखा है वहां से ज्यों ही अनुमति प्राप्त होगी, उस केन्द्र को हम लोग चालू कर देंगे। मैं कृषि विभाग की घोषणा करता हूं वर्ष 2015-16 के दौरान कृषि विभाग में 2211 कृषि पर्यवेक्षकों एवं 339 कृषि कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति की गयी थी। वर्ष 2016 में कृषि अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक, कृषि अन्वेक्षक एवं लिपिक इत्यादि श्रेणी के 794 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

राज्य में सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग हेतु 6 हजार जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। जैविक खेती को प्रोत्साहन हेतु राज्य में 10 हजार हैक्टेयर में कृषकों को सहायता दी जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा जैविक खेती की घोषणा हुई है, लेकिन बजट की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। अभी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

परम्परागत खेती योजना, जो देश के प्रधान मंत्रीजी ने पूरे देश में लागू की है 20 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से उसमें देते हैं और उसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत भी तीन वर्षों में 17 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से उद्यानिकी फसलों का कोई भी जैविक करता है तो उसके लिए दी जाती है।

इसके अतिरिक्त 10 हजार हैक्टेयर को, चूंकि अभी वर्तमान में जैविक खेती का जो कंसेप्ट है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 66 हजार हैक्टेयर में अभी जैविक खेती की जा रही है, 35 हजार हैक्टेयर का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कर लिया है और इसके अतिरिक्त 10 हजार हैक्टेयर में कृषकों को सहायता देने की भी मैं घोषणा करता हूं।

राज्य में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के 4 लाख कृषकों को चारा मिनी किट का वितरण किया जाएगा जिस पर 8 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। 2015-16 में विभाग द्वारा कृषकों के द्वारा लाये गये उर्वरक नमूनों की निःशुल्क प्रयोगशाला में विश्लेषण की घोषणा की गयी थी और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कृषकों के द्वारा स्वयं उत्पादित अथवा क्रय किये गये बीज का राजकीय प्रयोगशालाओं में विश्लेषण करवाने हेतु देय शुल्क को माफ किये जाने की भी मैं घोषणा करता हूं। कृषकों को विश्लेषण रिपोर्ट 30 दिन की अवधि में निश्चित रूप से मिल जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले 10 प्रतिशत नमूने जो हमारे फर्टिलाइजर के लिये जाते थे अमानकता की जांच के लिए, किसान को फ्री में जांच करने की हम लोगों ने पहले घोषणा की थी और अब की बार बीज के जितने भी सैम्पल किसान अपनी इच्छा से जो भी टैस्टिंग कराना चाहेगा तो निःशुल्क सरकार करेगी और 30 दिन में उसको रिपोर्ट देगी।

राज्य के कृषकों को अपनी फसल खेत-खलिहान में सुरक्षित रखने हेतु मूविंग थ्रेसिंग फ्लोर, तिरपाल का जो अनुदान था वो 6 करोड़ रुपये की लागत की मैं घोषणा करता हूं कि किसानों को हम लोग वितरित करेंगे।

इसी के साथ में उद्यान विभाग में 2016-17 में राज्य में 12202 सोलर पम्पों की स्थापना की जाएगी जिसके लिए 469 करोड़ रुपये का अनुदान कृषकों को दिया जाएगा। वर्ष 2016-17 में तीन नवीन उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की जाएगी जिसमें सवाई माधोपुर में फ्लोरीकल्चर, बूंदी में हाईटेक वेजिटेबल प्रोडक्शन और चित्तौड़ में सीताफल, जिसके लिए अनुमानित लागत 30 करोड़ रुपये आरकेवाई से खर्च करने की भी मैं घोषणा करता हूं।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई हेतु कृषकों को 50 हजार हैक्टेयर तक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। संरक्षित खेती को बढ़ावा दिये जाने के लिए 5 लाख वर्गमीटर क्षेत्र का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में 6 हजार हैक्टेयर में नये बगीचों की स्थापना की जाएगी।

कृषि विपणन, नवीन मण्डियां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बगरू, अलवर फल-सब्जी, चौमूं फल-सब्जी, खण्डार, पहाड़ी और भगत की कोठी जोधपुर, इन छह मण्डियों को पूर्ण मण्डी का दर्जा देने की मैं घोषणा करता हूं।

नवीन गौण मण्डियों की घोषणा भी मैं इस प्रकार करता हूं – कोटड़ा-उदयपुर, खाटूश्यामजी-सीकर, आऊ-फलौदी, बीरवाना-सूरतगढ़, बाड़ौती-सवाई माधोपुर।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नवीन विशिष्ट मण्डियों की घोषणा भी करता हूं – मक्का की विशिष्ट मण्डी निम्बाहेड़ा-चित्तौड़, गाजर की विशिष्ट मण्डी साधुवाली-श्रीगंगानगर, जीरा की विशिष्ट मण्डी बाड़मेर।

मण्डी प्रांगणों में ट्रेड टावर की स्थापना की भी मैं घोषणा करता हूं। राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों की सीमित भूमि की उपलब्धता और व्यापार के बढ़ते दबाव को देखते हुए पिछले वर्ष श्रीगंगानगर, जयपुर, कोटा, खैरथल में ट्रेड टावर स्थापित कर व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य हाथ में लिया था। इस वर्ष कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के गौण मण्डी यार्ड बहरोड़, कृषि उपज मण्डी समिति निवाई, जोधपुर (अनाज), उदयपुर (अनाज), निम्बाहेड़ा एवं रामगंजमण्डी में लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से ट्रेड टावर स्थापित करने की भी मैं घोषणा करता हूं।

पीपीपी मोड पर निजी मण्डियों की स्थापना – वर्तमान में कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 5 (ए) एवं नियम 56 (ए) में निजी मण्डियों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान किया हुआ है। इस सम्बन्ध में निजी मण्डी प्रवर्तक द्वारा भूमि मण्डी समिति में उपलब्ध कराये जाने पर आधारभूत सुविधाओं का विकास मण्डी समितियों द्वारा कराया जाएगा। इसके पश्चात् उपलब्ध विक्रय योग्य भूमि का 50 प्रतिशत भाग प्रवर्तक को तथा 50 प्रतिशत भाग समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। निजी मण्डियों की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु पीपीपी मोड पर हम कराने का प्रयास करेंगे।

मण्डी क्षेत्र में स्थित किसी भी वेयर हाउस, गोदाम क्षेत्र को उप मण्डी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

प्रांगण घोषित अब किया जा सकेगा। चूंकि अभी तक यह प्रावधान नहीं था और यह प्रावधान भी हम लोगों ने कर दिया है। उप मण्डी प्रांगण घोषित करने से किसानों को उपज को बेचने के लिए वैकल्पिक बाजार उपलब्ध हो सकेगा वहीं विपणन की लागत भी कम हो सकेगी। साथ ही गोदाम, डब्ल्यूडीआरए, वेयरहाउसिंग डवलपमेंट एण्ड रेगुलेटिंग अथोरिटी से परमिशन लेना, ऐसे सब यार्डों को मण्डी प्रांगण के लिए उप मण्डी यार्ड घोषित करने की कार्यवाही हम लोग कर देंगे।

एलईडी लाइट और सौर ऊर्जा संयंत्र, सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रोनिक डिस-प्ले बोर्ड, प्रांगणों में वाई-फाई की सुविधा, सभी मण्डियों में जो ए श्रेणी, बी श्रेणी की अच्छी बड़ी मण्डियां हैं उनमें ये सुविधाएं करने की भी मैं घोषणा करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कपासन की घोषणा पूर्व में की गयी थी और उसको विशिष्ट मण्डी अजवाइन की घोषित की गयी थी। उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, जमीन का ज्यों ही निस्तारण होगा तो हम लोग उस पर कार्यवाही कर देंगे।

आधुनिक विपणन सुविधाओं में प्लेटफार्म की स्थापना – मुझे सदन को अवगत कराते हुए बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के अन्तर्गत 14 अप्रैल, 2016 को राज्य की रामगंजमण्डी से प्रधान मंत्री जी के द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है उसमें सबसे पहले इसको हम लोग शुरूआत करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मण्डियों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित किया जाएगा। राज्य में, पूर्व में राजस्थान इंटिग्रेटेड मण्डी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से मुख्य मंत्री जी द्वारा इसी बजट में की गयी ई-मण्डी स्थापित किये जाने की घोषणा के अनुसार राज्य में 5 मण्डी- चौमूं, खैरथल, भीलवाड़ा, पीलीबंगा, उदयपुर के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। इस परियोजना में किसानों को ई-आक्शन, ई-ग्रेडिंग, ई-पेमेंट आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

मण्डी समितियों में आयल टैस्टिंग लैब- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई ऐसे जिले हैं जहां पर मस्टर्ड का बहुत अधिक उत्पादन होता है लेकिन वहां पर आयल टैस्टिंग लैब नहीं होने के कारण से किसानों को काफी तकलीफ होती है। इसलिए इस साल 12 और मण्डियों को, जिनमें केकड़ी, भीलवाड़ा,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

उदयपुर, प्रतापगढ़, सुमेरगढ़, निम्बाहेड़ा, बीकानेर (अनाज), धौलपुर, मेड़ता सिटी, हनुमानगढ़, श्रीमाधोपुर, झालरापाटन में आयल टैस्टिंग मशीन स्थापित की जाएगी। इसमें होने वाला व्यय निश्चित रूप से मण्डी समितियों के द्वारा वहन किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कुछ घोषणाएं राजस्थान को-आपरेटिव फैडरेशन के बारे में भी मैं करना चाहूंगा। केन्द्र प्रवर्तित योजना में नेशनल प्रोग्राम फोर डेयरी डवलपमेंट योजना के अन्तर्गत उदयपुर दुग्ध संघ के लिए 10.73 करोड़ रुपये की कार्य योजना बनाई है जिसमें मुख्य रूप से दुग्ध संघ का निस्तारीकरण जिसमें वर्तमान में 60 हजार लीटर प्रतिदिन से 1 लाख 10 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता जिसमें दुग्ध उपकरण और तकनीकी सुविधाएं मुख्य रूप से होंगी। केन्द्र प्रवर्तित योजना में नेशनल प्रोग्राम फोर डेयरी डवलपमेंट योजना के अन्तर्गत पाली में भी 8.19 करोड़ रुपये की और राजस्थान डेयरी फैडरेशन में 2015-16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में टोंक जिला दुग्ध उत्पादक संघ के लिए 9.50 करोड़ रुपये की कार्य योजना बनाकर तैयार कर दी है। उसमें 50 प्रतिशत पैसा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से और 50 प्रतिशत पैसा स्वयं दुग्ध संघ के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अभी आरसीडीएफ के माध्यम से कई इस प्रकार की मांग आ रही है कि पूरे राजस्थान में 21 जो संघ बने हुए हैं वहां पर कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पा रही है और आउट सोर्स से वहां पर कर्मचारी लिये जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी वर्तमान में देखें तो कुल स्वीकृत पद 3399 हैं और कुल रिक्त पद 1648 हैं, प्रस्तावित नवीन पदों का सृजन 680, पशु आहार संयंत्र, कालाडेरा 50, जयपुर डेयरी विस्तारीकरण 368, पशु आहार संयंत्र भीलवाड़ा 50, पशु आहार संयंत्र पाली 50, जर्म प्लाज्मा स्टेशन नारवा जोधपुर 20 और 30 मैट्रिक टन पाउडर गोविन्दगढ़, इनमें भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसमें जो प्राब्लम आ रही है वो प्राब्लम यह थी कि 1999 का जो रेप्सर (RAPSAR) एक्ट बना हुआ था उस रेप्सर (RAPSAR) एक्ट के अन्तर्गत यह प्रावधान किया हुआ था कि जब तक फाइनेंस की अनुमति नहीं मिल जाती तब तक न कोई पद सृजित होंगे और न ही कोई भर्तियां होंगी। इस केस में एक भवानी सिंह वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान में माननीय उच्च न्यायालय में

(श्री प्रभू लाल सैनी)

एक फैसला 23.7.2002 को हुआ है और उस रेप्सर (RAPSAR) एक्ट के माध्यम से धारा 9, धारा 11, धारा 19 और क्लाज ई, सेक्शन 2 क्लाज 5 को अल्ट्रा-वायरस घोषित कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ डबल बैंच में भी फैसला हुआ, डबल बैंच में फैसला होने के बाद राज्य सरकार के द्वारा अब यह नो-अपील का निर्णय भी किया जा चुका है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी जो आर्टिकल 12 है उसमें राज्य की परिभाषा के अन्तर्गत भी यह स्वायत्तशासी संस्थाओं को उसके बाहर किया गया है। मैं समझता हूं कि रेप्स एक्ट की परिभाषा के अन्तर्गत ये नहीं आते हैं इसलिए हम लोग यह प्रयास करेंगे, कानूनी परीक्षण हम लोगों ने करा लिया है, विधिक राय आ चुकी है और अब मैं डायरेक्शन देना चाहूंगा कि विधि विभाग के साथ में एक बार कानून की व्याख्या करके भर्ती की प्रक्रिया को आरसीडीएफ के माध्यम से और डेयरी संघों के माध्यम से करने की भी हम लोग शुरू करेंगे।

पशुपालन के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश में भामाशाह पशु बीमा योजना, 1 हजार नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने, 1 हजार पशु चिकित्सा केन्द्रों में मरम्मत कराने, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग एवं बहु-उद्देश्यीय चिकित्सालय, दौसा के भवन निर्माण के लिए बजट घोषणा के वित्तीय प्रावधान किये गये हैं। इसी कड़ी में मैं वर्ष 2016-17 के लिए निम्न घोषणाएं करता हूं- पशु चिकित्सा अधिकारियों के 525 पद, पशुधन सहायकों के 1789 रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए जलधारी, सफाईकर्ता, वाहन चालक, सहायक रेडियोग्राफर के पदों सहित कुल 4190 पदों की भर्ती की जाएगी। महिला प्रगतिशील पशुपालकों के लिए पशुपालन सम्मान समारोह आयोजित कर पुरस्कृत किया जायेगा। प्रदेश में पशुपालकों को पशुपालन विभाग की योजनाओं में, पशु चिकित्सा की प्राथमिक जानकारी के लिए, समस्याओं के निराकरण किए जाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में पशु चिकित्सा परामर्श काल सेंटर हम लोग खोलेंगे और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2,000 इंटीग्रेटेड लाइवस्टाक सेंटर जे.के. ट्रस्ट के माध्यम से उन दूर-दराज क्षेत्रों में, जहां पर कोई भी हमारी संस्थाएं नहीं थीं, क्योंकि आज राजस्थान में 12,000 के लगभग पशुओं पर एक संस्था संचालित है। हम लोग प्रयास करके 2,000 आईएलडी सेन्टर्स खोल रहे हैं इनके माध्यम से।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

अभी हम लोग 320 खोल चुके हैं, बाकी जो बचे हैं, उनको भी खोलेंगे और 1,000 की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा भी की है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कमियां हैं और कई माननीय सदस्यों ने इस बात को इंगित किया है कि हमारे यहां पद रिक्त चल रहे हैं। हमारे यहां यदि अस्पताल है तो वहां पर कोई भी पदस्थापित नहीं हैं, इस भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा करेंगे। जहां पर सब-सेंटर नहीं हैं, वह भी खोलेंगे। यह भी मैं आपके माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं।

अंत में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में दलहन उत्पादन में सार्थक वृद्धि करने के उद्देश्य से श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के अन्तर्गत डिग्गी, टोंक में कार्यरत कृषि उपकेन्द्र पर बारानी दलहन अनुसंधान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के माध्यम से इसी वर्ष हम खोलने का प्रयास करेंगे। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं।

बस, खेल खतम। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री रमेश (सपोटरा): सहकारिता मंत्रीजी को भी अपनी परफोरमेंस दिखानी है, सारा समय आप ले लेंगे तो फिर उनको भी तो समय मिलना चाहिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्रीजी अपना वक्तव्य समाप्त कर रहे हैं तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय के 1,300 कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। आपने फर्माया कि 1990 में ये पेंशन लागू हुई थी। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि यह पेंशन रेगुलेशन्स फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बनाये थे और अपने स्टेट की कैबिनेट ने 6.6.1991 को वह पेंशन रेगुलेशन्स एप्रूव किये और उसके बाद में ही यूनिवर्सिटी को डाइरेक्शन दिया गया कि इन पेंशन रेगुलेशन्स को आप लागू करें। यूनिवर्सिटी के सारे एक्ट विधान सभा से बनाये जाते हैं और जो भी कुछ स्थिति बनीं, बीकानेर के बाद में उदयपुर बना, वह बीकानेर का क्षेत्र कम हुआ। फिर जोबनेर बना, फिर जोधपुर बना। जो भी स्थिति है, यदि उसमें आर्थिक स्थितियों में वह पेंशन नहीं चुका सकते, ढाई करोड़ रुपये की लाइबिलिटी पर ईयर है और 10 महीने की पेंशन रुकी हुई है 1,200 आदमियों की तो मेरा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

निवेदन है आपसे कि इस पर विचार कैबिनेट को ही करना पड़ेगा। पेंशन रेगुलेशन्स स्टेट कैबिनेट की एप्रूवल से और फाइनेंस डिपार्टमेंट की एप्रूवल से लागू हुए हैं। यूनिवर्सिटी ने अपनी मनमर्जी से लागू नहीं किये हैं और उनमें यदि अब धनाभाव है तो, पहले भी राज्य सरकार ने उनको लोन दिया है, ऋण दिया है और बाद में वह ऋण एडजस्ट होगा क्योंकि उनका 500 करोड़ रुपया जो 14.86 हैक्टेयर जमीन दुर्गापुरा में है और जो मैट्रो ने अवाप्त की है, उससे आना है इसलिए मेरा निवेदन है कि पूर्व सरकार ने यदि उनको ऋण दिया है तो वर्तमान सरकार भी उनकी कठिनाई को देखते हुए उनको ऋण प्रदान करे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, If there is a cut motion regarding this issue, then you can give the reply in writing.

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका तो मैंने पहले ही निवेदन किया है कि विश्वविद्यालय पेंशन अधिनियम, 1990 के अनुसार विश्वविद्यालय के कर्मियों को पेंशन दिये जाने का दायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय का है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभिनिर्धारित कर दिया इसी बात को और इसके आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय को डाइरेक्शन दिये कि इसमें एक बार दुबारा रिव्यू कर ले। तीन महीने का टाइम दिया गया है। मैटर सबजुडिस है और मैं समझता हूं, इस पर अभी बात करना ठीक नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्रीजी, सबको जगा रहे हैं। जगते रहो, जागते रहो का एलान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-37 और मांग संख्या-39 के सन्दर्भ में एक बार फिर से मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने मेरी बात को सुना है और अंत में मैं इनसे अपील करना चाहूंगा। आओ हम सब मिलकर एक प्रयास करें। आरोप-प्रत्यारोप को छोड़ें। आपने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, इन सारी बातों को समाप्त करते हुए, एक विषय रखो। किसान के मामले में कोई राजनीति नहीं होगी और सरकारी योजनाओं का अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में जाकर, उनसे किस प्रकार से किसानों को लाभ पहुंचाएं, ऐसी अपेक्षा और अपील के साथ मांग संख्या-37 और मांग संख्या-39 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस गरिमामय पवित्र सदन में आज सहकारिता विभाग की मांग संख्या-36 पर चर्चा हुई। पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत ही उत्साह एवं गम्भीरता के साथ बहस में भाग लिया। 119 माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये, 23 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और उन्होंने मुख्य रूप से किसानों को समय पर एवं सुगमता से सहकारी ऋण मिले, इस बात को उठाया। नई सहकारी समितियों का गठन किया जाए। सहकारी समितियों में नये गोदाम बनाये जाएं। समितियों को मजबूत किया जाए। किसानों को समय पर खाद-बीज की उपलब्धता रहे। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। जिलों में उपभोक्ता सेवाओं का विस्तार हो। व्यवस्थापक से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किया जाए। ऋण वसूली की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए। किसान सदस्यों की हिस्सा राशि को कम करने के सम्बन्ध में भी चर्चा की और बी-कम्पोनेंट की बाध्यता को हटाया जाने के सम्बन्ध में भी चर्चा की।

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पूरे सकारात्मक सोच के साथ में विभाग इस ओर अच्छी तरह से, अच्छे प्रयास निरंतर जारी रखेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि

''ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमां को पा सको,
दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको,
यूं तो लम्हें बहुत हैं जीने के लिए,
मगर जियो ऐसे कि हर लम्हें में जिंदगी पा सको''

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वाह, वाह, वाह, वाह।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग अपनी तमाम महत्वाकांक्षी अच्छी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के किसानों एवं उपभोक्ताओं की जिंदगी के हर लम्हें को खूबसूरत बनाने का भरसक प्रयास कर रहा है और आगे भी ये प्रयास जारी रखेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गत वर्ष इस सदन में सहकारिता विभाग की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते समय कुछ घोषणाएं की थीं। नई सहकार किसान कल्याण योजना प्रारम्भ करेंगे। मैंने कहा था कि व्यक्तिगत

(श्री अजय सिंह)

दुर्घटना बीमा की राशि को हम बढ़ाएंगे। इसका दायरा बढ़ाएंगे। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की नई शाखाएं हम खोलेंगे। केन्द्रीय सहकारी बैंकों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। किसानों को समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज मिलने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुपर मार्केटों के नैटवर्क को बढ़ाया जाएगा तथा उपभोक्ताओं को जैविक उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए नये केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। मुझे सदन को बताते हुए बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि उपरोक्त सभी निर्णयों की हमने समयबद्ध क्रियान्विति करते हुए उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, यह बहुत गौरव की बात है कि फसली ऋण वितरण में राजस्थान समूचे देश में सबसे आगे है और लगातार सबसे ज्यादा री-फाइनेंस नाबार्ड से राजस्थान प्राप्त कर रहा है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सभी राज्य हमारे से बाद में है।

माननीय उपाध्यक्षजी, अभी सत्ता पक्ष के और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को बार-बार उठाया कि सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा ऋण दिया जाए, नयों को भी दिया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार हमने 2.93 लाख नये सदस्यों को भी ऋण दिया है जिनको देश की आजादी के बाद में और यह जब से ऋण योजना चालू हुई है, पहली बार हमने यह ऋण उनको दिलाया है।

अभी प्रतिपक्ष के कुछ वक्ताओं ने इस बात को उठाया कि 1.50 लाख रुपया आपको दिलाना चाहिए और आपने यह भी एक सवाल किया कि कितने लोगों को आपने 1.50 लाख रुपया दिलाये हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें किसी पर आरोप नहीं लगा रहा लेकिन मैं रिकार्ड के आधार पर सत्यता प्रकट कर रहा हूं सदन के अन्दर और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय, जब यह योजना शुरू हुई थी, तो एक प्रतिशत लोगों को भी 1.50 लाख रुपये नहीं दिलाये जा सके। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उस समय नहीं दिलाया जा सका। मेरे कहने का तात्पर्य यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी ब्याजमुक्त ऋण हम हमारे सदस्यों को दिलाते हैं तो इसका हम पूरा री-फाइनेंस नाबार्ड से लेते हैं और अब यह नाबार्ड 2015 के अन्दर हमें 50 प्रतिशत री-फाइनेंस कर रहा था, उसको घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया। लेकिन फिर भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने प्रयास किया और उनके

(श्री अजय सिंह)

प्रयास के नतीजे से अब नाबार्ड इस बात पर राज़ी हो गया कि वह इस वर्ष हमको 45 प्रतिशत अधिक री-फाइनेंस करेगा...

टोटल 100 में से 45 प्रतिशत। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में अभी एक चर्चा आई, इससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी कुछ बैंक्स हैं चूरू, कोटा और टोंक इनके अन्दर सी आर ए आर (CRAR) का स्तर काफी नीचे जा रहा है, इनको आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इसके अलावा जो ब्याज मुक्त ऋण है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 370 करोड़ रुपये की हमें धन राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसी तरह से हमारे बैंकों को जो हानि हो रही है उसके लिए भी 150 करोड़ रुपये की धन राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। 520 करोड़ जो हमें किसानों और हमारे सहकारी बैंकों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने ग्राम सेवा सहकारी समिति की आय में वृद्धि के उद्देश्य से फसली ऋण राशि में 25 प्रतिशत खाद, बीज, कीटनाशक आदि के लिए बी-कम्पोनेंट के रूप में दिए जाने का प्रावधान अभी किया था। लेकिन माननीय सदस्यों के सुझाव से, कई किसान भी मुझसे मिले हैं, उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए 25 प्रतिशत बी-कम्पोनेंट की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए मैं इसे ऐच्छिक रूप से लागू करने की आज ही घोषणा करता हूं और कल से ही यह बाध्यता नहीं रहेगी अगर कोई किसान खरीदना चाहे तो उसको खरीद सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की एक ओर मांग थी कि फसली ऋण पर ली जा रही हिस्सा राशि को भी कम किया जाए। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अभी फसली ऋण पर जो हिस्सा राशि ली जा रही है। वह अगर हम देखें अन्य राज्यों में तो महाराष्ट्र हमसे ज्यादा ले रहा है 10 प्रतिशत, गुजरात हमसे ज्यादा ले रहा है 10 प्रतिशत, मध्य प्रदेश हमसे ज्यादा ले रहा है, कर्नाटक हमसे ज्यादा ले रहा है, बिहार हमसे ज्यादा ले रहा है। फिर भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और माननीय सदस्यों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए एक प्रतिशत हिस्सा राशि को कम करने की मैं घोषणा करता हूं और 9 प्रतिशत की बजाय 8 प्रतिशत की यह राशि किसानों से ली जाएगी।

(श्री अजय सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष 21 मार्च को सदन में सहकारिता विभाग की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए मैंने यह कहा था कि हम कृषि में निवेश और उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए मैंने एक नई ऋण नीति की एक टर्म लोन स्कीम की घोषणा की थी सहकार किसान कल्याण योजना की। सुराज संकल्प यात्रा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि हम किसानों की भूमि की मार्केट वैल्यू को ऋण के साथ में जोड़ेंगे और हमने इसको जोड़ लिया है। जब हम सरकार में आए थे तब मैंने गत वर्ष इस योजना की शुरूआत की थी। जब इस योजना की हमने शुरूआत की थी उस समय किसानों से साढ़े 12 प्रतिशत से अधिक ऋण, ब्याज वसूल किया जा रहा था हमारे सहकारी बैंकों के द्वारा लेकिन गत वर्ष इसको साढ़े 12 की बजाय साढ़े 11 प्रतिशत ब्याज की मैंने घोषणा की थी कि किसानों से यह लिया जाएगा। इस वर्ष भी माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैंने आग्रह किया कि कुछ इसमें अनुदान दिया जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए 2 प्रतिशत अनुदान दिया है ब्याज के अन्दर और मैं आज यह घोषणा करता हूं कि अप्रैल से जो हम साढ़े 11 प्रतिशत किसानों से कृषि कार्यों के लिए ऋण देने पर जो मध्यकालीन योजना में हम ले रहे थे उसमें अब साढ़े 9 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा साढ़े 11 प्रतिशत के बजाय और भूमि की डीएलसी की दर का 70 परसेंट ऋण हम किसान को देंगे। यदि दस लाख रुपये उसकी कीमत है तो सात लाख रुपये का ऋण उसको हम देंगे और हमने इसको बहुत सरलीकृत किया है। केवल जमाबंदी और गिरदावरी की आवश्यकता है और वह तुरंत अपना ऋण ले सकता है।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना की और उपयोगिता करने के लिए हमने इसमें यह भी प्रावधान किया है कि चाहे तो अपनी पांच लाख की साख सीमा भी बना सकता है, ताकि वर्ष भर उसके पास में धन की लिक्विडिटी रहे, वह जब चाहे उस पांच लाख को जमा करा दें, निकाल ले और अगर वह पूरे वर्ष ठीक तरीके से जमा कराता है तो उसको अगले वर्ष नवीनीकरण भी करा सकता है। इसी प्रकार से हमने हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनके मार्फत भी कोई पचास हजार से ज्यादा का ऋण लेता है तो उसके लिए भी हमने यह साख सीमा तय की कि पचास हजार रुपये की वह साख सीमा रख सकता है और समय पर अगर वर्ष में चुकारा करता है तो उसको भी वह आगे बढ़ा सकता है। इस योजना के तहत

(श्री अजय सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम किसानों को लगभग 400 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं और ये सभी कृषि कार्य के लिए किसानों को ऋण देते हैं। जब हम सरकार में आए थे तो उस समय किसानों से 14 प्रतिशत और कहीं-कहीं पर 13 प्रतिशत ब्याज लिया जा रहा था। यह एक बड़ी विडम्बना है और बार-बार किसानों के यहां चर्चा हुई है। एक व्यक्ति जब लग्जरी कार लेने जाता है तो उसको 10 या 11 प्रतिशत की दर से ऋण मिल जाता है इसके लिए मेरा यह कहना है कि न तो आपने ध्यान दिया है और हमारी सरकार बनी, उसने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार पहली बार हमने ध्यान दिया और पिछली बार हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसमें 5 प्रतिशत ब्याज का अनुदान हमें दिया और अब हम इतना घटाकर के नीचे लेकर आए हैं कि साढ़े 7 प्रतिशत ब्याज पर हम किसानों को कृषि कार्य के लिए दीर्घकालीन ऋण दे रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह 5 प्रतिशत अनुदान इस वर्ष भी देने की अपनी आज्ञा दी है और इस वर्ष भी मैं यह घोषणा करता हूं कि हम निरंतर साढ़े 7 प्रतिशत की ब्याज दर हम किसानों से लेते रहेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बार-बार यह कहा जा रहा है कि मंदी का दौर है और वाकई में मंदी का दौर है, हर क्षेत्र में मंदी को बताया जा रहा है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कहने के बावजूद दूसरी जो हमारी वाणिज्यिक बैंक हैं वो अपनी ब्याज दर को नहीं घटा पा रही हैं लेकिन प्रदेश के अन्दर सिर्फ सहकारी बैंक हैं जिन्होंने लगातार दूसरे वर्ष भी अपनी जो भी ब्याज की दरें हैं उनको घटाया है। हमारी जो सीसीबीज हैं उसके अन्दर हमने साढ़े 11 को साढ़े 9 किया है, 2013-14 में साढ़े 7 प्रतिशत की दर पर हम लेकर के आए हैं और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके ब्याज पर अनुदान देने के कारण ही किसानों के लिए यह संभव हो सका है कि हम उनको इतनी बड़ी रिलीफ दे पाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार, किसानों को हम ब्याज मुक्त फसली ऋण तो उपलब्ध करा ही रहे हैं इसके अलावा कम ब्याज दर पर भी ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। हमें इसके साथ-साथ किसानों तथा उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा की बहुत चिंता है। जब हम सरकार में आए थे

(श्री अजय सिंह)

तो उस समय मेरे विभाग में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना चल रही थी, इस योजना के तहत यदि किसी भी किसान सदस्य, जिसने कि हमारे सहकारिता विभाग से ऋण लिया है, जो भी शार्ट टर्म लोन लिया है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पचास हजार रुपये का आर्थिक लाभ देने का प्रावधान था। हमने आते ही इसको देखा कि पचास हजार रुपये बहुत कम है और मैंने पिछली बार यह घोषणा की थी कि पचास हजार की बजाय हम इसकी धन राशि को बढ़ाएंगे और हमने इसको बढ़ाकर के तीन लाख रुपये किया। इसके साथ ही मैंने यह भी निर्देशित किया कि हमारी बैंक इसके अन्दर आधी राशि प्रीमियम के रूप में जमा कराएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत खुशी की बात है कि हमारी बैंकों ने 4 करोड़ रुपये से अधिक के प्रीमियम किसानों के लिए जमा कराये हैं। यह देश की आजादी के बाद में राजस्थान में पहली बार हुआ है जबकि 4 करोड़ से अधिक की राशि हमने जमा कराई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस बीमा योजना का बहुत दायरा बढ़ाया है। पूर्ववर्ती सरकार के समय 6 से लेकर 8 लाख लोगों का ही बीमा किया गया। हमने इसके अन्दर 20 लाख से अधिक किसानों को जोड़ा है, अभी बीमा किया है और इसके लिए 2 करोड़ से अधिक के बीमा लाभ हम वितरित भी कर चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे यह महसूस हो रहा है कि परिवार का कमाऊ सदस्य जब चला जाता है तो तीन लाख रुपये की राशि भी कम पड़ती है और मैं सभी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि जब जन प्रतिनिधि के नाते हम भी अगर बारह दिनों में दुर्घटना में कहीं बैठने जाते हैं तो निश्चित रूप से उस परिवार की पहली मांग होती है कि आप मंत्री हो, आप विधायक हो, आप इसकी कुछ आर्थिक मदद करें और शायद कितने ऐसे हम सदस्य हैं जो कि उनकी मदद कर पाते हैं। मुश्किल से कुछ ही प्रकरणों में हम मदद कर पाते हैं, तो इसके लिए मैंने महसूस किया कि तीन लाख रुपये भी कम है। अतः मैं घोषणा करता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में किसान के परिवार को तीन लाख रुपये के बजाय पांच लाख रुपये का बीमा लाभ मिल जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसका दायरा और बढ़ाने का प्रयास किया है। अभी तक तो हमने यह किया है कि जो व्यक्ति हमसे ऋण ले रहा है उसका ही प्रीमियम इसमें काटा जाता है। मैं यह घोषणा करता हूं कि अगर

(श्री अजय सिंह)

कोई दूसरा किसान जिसने कि ऋण नहीं लिया है या उसको ऋण नहीं मिला है वो इस बीमा योजना से जुड़ना चाहता है, अगर वह प्रीमियम जमा कराता है तो उसको भी यही लाभ देय होगा। इसी तरह से हम हमारे कार्मिकों को भी इस दुर्घटना बीमा योजना में शामिल करने का विचार कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी हमने औपचारिकताएं भी बहुत कम रखी हैं एक तो है एफआईआर दर्ज कराये, पोस्टमार्टम कराये, मृत्यु प्रमाण पत्र लेवे और इसके लिए भी मैंने मेरे कार्यालय में यह निर्देश जारी किये हैं कि हमारी जो रजिस्ट्रार सहकारी समिति हैं वो इसकी मानिटरिंग करे। एमडी, अपैक्स बैंक है, इसकी प्रतिमाह मानिटरिंग करते हैं और जिला लेवल पर हमारे जो सीसीबीज के एमडी हैं वो इसकी मानिटरिंग कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि एक माह के अन्दर उसका चैक बन करके परिवार के पास में घर देकर के आएं।

हमने ये भी निर्देश जारी किये हैं कि जो कोई भी पीड़ित परिवार है उसको कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सीधा वो जाए और गांव में उसको देकर के आये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की स्पष्ट मंशा है कि सहकारिता आंदोलन गांवों के अन्दर मजबूत हो और जब हम सरकार में आये थे तो प्रदेश के सहकारी बैंकों एवं वाणिज्यिक बैंकों की कार्यप्रणाली में बहुत फर्क था। सहकारी बैंकों में सभी कार्य मैन्युअल तरीके से हो रहा था तो दूसरी ओर वाणिज्यिक बैंकों में सभी सीबीसी कोर बैंकिंग सोल्यूशन के प्लेटफार्म पर थे और यह 2012 के बजट में भी इसकी घोषणा की गयी थी लेकिन हमने प्रयास करके विशेष ध्यान दिया। आज हमारे सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 484 शाखाएं हम सीबीसी प्लेटफार्म पर लेकर के आ गये हैं और कोई भी किसी तरह का कार्य हमारी बैंकों में मैन्युअल नहीं हो रहा है। हमारे सभी बैंक्स ऑन लाइन हैं। सभी बैंक्स में सभी तरह की सुविधा है। आरटीजीएस, एनी व्हेयर बैंकिंग, एटीएम की सुविधा और एसएमएस अलर्ट्स के द्वारा भी इनकी जानकारी दी जाती है। जब हम सरकार में आये थे तो हमारे पास में चौबीस लाख से कम खाते थे, वर्तमान में हमने 68 लाख से अधिक खोल लिये हैं और जल्दी से जल्दी हम उनका केवाईसी करा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा हम लगातार यह प्रयास कर रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है

(श्री अजय सिंह)

कि बैंकिंग प्रणाली के साथ भामाशाह योजना से जोड़ते हुए इनके माध्यम से दूरदराज के क्षेत्र में रह रहे लोगों को उन्हीं की ग्राम पंचायत में अटल सेवा केन्द्र पर बीसी के माध्यम से माइक्रो एटीएम के द्वारा नकद भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवायी जाए। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाह रहा हूं कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अभी हाल ही में इस वर्ष चार करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हमारी बैंकों के द्वारा और अटल सेवा केन्द्रों में जो बीसी हैं उनके द्वारा हुआ है। तेजी से हम यह प्रयास कर रहे हैं कि अटल सेवा केन्द्र पर हम सभी को सभी योजनाओं का सहकारिता बैंक के माध्यम से भुगतान कर दें। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नेशनल फैडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स नेफस्कोब द्वारा इसी माह की 21 तारीख को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक को ओवरआल परफोर्मेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार दिया गया तथा प्रूडेंशियल नोर्म्स की पालना के लिए विशेष पुरस्कार भी दिया गया। इसी समारोह में जयपुर की केन्द्रीय सहकारी बैंक को भी ओवरआल परफोर्मेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला। मैं बैंक परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं और इस सम्मान को प्रदेश के किसानों को समर्पित करता हूं क्योंकि सहकारी बैंक किसानों के अपने बैंक हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की सभी 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वेबसाइट तैयार करायी जाएगी, ताकि बैंकों की विभिन्न योजनाओं की आसानी से जानकारी जन-जन तक पहुंच सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियां सहकारिता आंदोलन की रीढ़ है। वर्तमान में हमारा प्रयास है कि हर ग्राम पंचायत में एक-एक ग्राम सेवा सहकारी समिति हो और हमने अभी तीन सौ से अधिक नयी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन भी किया है। अधिकांश माननीय सदस्यों की यह मांग रही है, कि उनके क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारी सेवा समिति का गठन हो, मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि समिति के गठन के मापदंड निर्धारित हैं। आप उनकी पालना सुनिश्चित करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सकारात्मक सोच के साथ में हम पूरा प्रयास करेंगे कि राजस्थान में कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी न रहे जहां पर कि ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन न हो पाये। हम पूरा इसका प्रयास करेंगे।

(श्री अजय सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष की तरफ से कुछ सम्मानननीय व कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हम समितियों को लगातार कमजोर कर रहे हैं। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हम लगातार यह चाह रहे हैं कि समिति आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि समिति गांव में आर्थिक हब के रूप में उभरे और इसीलिए हमने 3224 समितियों को बीसी बनाया। इसके अलावा हम यह चाहते हैं कि समिति ब्याज मुक्त ऋण बांटने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समिति खाद, बीज का व्यापार करे, पीडीएस का कार्य करे। इसके अलावा हमारी सोच तो यह भी है, अब हम इसका भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी समितियां क्यों न पैट्रोल पम्प संचालित करें। क्यों न हमारी समिति सीमेंट की एजेंसी ले, क्यों न हमारी समितियां कोई वाहन की एजेंसी लें। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि शार्ट टर्म लोन अभी जो हम ये फसली ऋण देते हैं इसके अन्दर भी हमने सहकारी समिति की दो प्रतिशत की मार्जिन मनी उनकी नियत की है अर्थात् यदि कोई भी समिति दो करोड़ का अगर ऋण बांटती है तो उसके अन्दर दो प्रतिशत से अर्थात् चार लाख रुपये उसका लाभ माना जाएगा और वो लाभ के रूप में उसके पास रहेगा जिससे वो व्यवस्थापकों, सहायक व्यवस्थापक जो भी हैं, उनको वो तनख्वाह भी दे सकते हैं तो इसलिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी एमसीएल है, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, ये ऋण के लिए महत्वपूर्ण आधार है कि कितनी लिमिट होनी चाहिए काश्तकार की। उसका कार्य भी अभी समिति ही कर रही है। समिति के अध्यक्ष, व्यवस्थापक और लोन सुपरवाइजर इसको मिल कर अभी कर रहे हैं। इसी तरह से मिनी बैंक की जो व्यवस्थाएं भी यथावत चल रही हैं। हम किसी तरह से इनको बंद नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमने बीसी बनाये हैं वो दो सौ प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से हमने बीसी बनाये हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि भविष्य में हमारे सभी तरह के चाहे वो पेन्शन के खाते हों, चाहे वो नरेगा के खाते हों, चाहे वो भामाशाह के खाते हों, हम यह चाह रहे हैं कि अटल सेवा केन्द्र पर हमारे बीसी के माध्यम से, हमारे सहकारी बैंकों के माध्यम से उनका भुगतान करें। भविष्य में जो भी इस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे उनके ऊपर निश्चित रूप से कमीशन भी देय होगा समिति को और मेरा पूरा विश्वास है कि समिति निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से आगे बढेगी।

(श्री अजय सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम समिति के विकास की बात करते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि हम उसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना कर दें। अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौ गोदामों की घोषणा की है और पिछले वर्ष और इस वर्ष को देखते हुए हम चार सौ गोदाम दो वर्षों में बना करके उनको देंगे। 149 नये गोदामों की स्वीकृति हमने जारी कर दी है, 151 नये गोदामों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा नये गोदामों के साथ-साथ पहली बार हमने समितियों के गोदामों की मरम्मत के लिए भी दस करोड़ रुपये दिये हैं, पांच सौ समितियों के गोदामों की मरम्मत के कार्य हमने हाथ में लिये हैं और वो जल्दी से जल्दी पूर्ण करायें जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवगठित समितियों में गोदाम निर्माण के लिए दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके लिए भी मैं उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी कई माननीय सदस्यों ने अनाज भण्डार की बात कही थी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अनाज भण्डार हर ग्राम पंचायत पर बनाये जाने हैं। हम भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो गोदाम हमारी समिति में बने या अटल सेवा केन्द्र में बने तो मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह है कि इसमें ध्यान दें और जिला कलक्टर से सम्पर्क करके जहां पर भी गोदाम नहीं है अपने क्षेत्र में वहां पर गोदाम आप बना सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समग्र सहकारी विकास परियोजना के द्वारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए समितियों के कई कार्य चलाये जाते हैं। हमारे यहां पर सोलह जिलों में पहले से ही यह कार्य चल रहा है, लेकिन तीन नये जिलों में सीकर, जालौर और बांसवाड़ा में 152 करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्षों में नये कार्य कराये जाएंगे और इसके अन्दर में माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि आप गोदाम निर्माण करा सकते हैं, गोदाम की मरम्मत के लिए आपको धनराशि मिल सकती है। उसमें दुकानें निर्मित हो सकती है, चारदीवारी बना सकते हैं, फर्नीचर उसमें आ सकता है, कम्प्यूटर उसमें खरीद सकते हैं, तो मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा से आप काम करा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के

(श्री अजय सिंह)

व्यवस्थापक सहकारिता आंदोलन की महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं और अभी यह बात आई कि व्यवस्थापकगण असहयोग कर रहे हैं। यह बात बिलकुल ठीक है कि व्यवस्थापक कई जिलों में असहयोग भी कर रहे हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी जो भी काफी वर्षों से समस्याएं लंबित थी उस तरफ हमने ध्यान दिया और उनकी मांगों को हमने पूरा भी किया। उनकी जो मांग थी वो पिछली सरकार के समय से थी। उनकी एक बहुत महत्त्वपूर्ण मांग थी कि हमारे प्रबंधकीय खर्चे और वेतन आदि के लिए समिति की आय का साठ प्रतिशत सीमा का जो राइडर है उसको हटाया जाए और मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि गत सरकार की कैबिनेट के द्वारा यह राइडर लगाया गया था और इसको हमारी सरकार ने हटा लिया है। इसी तरह से व्यवस्थापकों की सेवानिवृत्ति की आयु में काफी असमानता चल रही थी हमने उसको भी एक कर दिया। कहीं पर 58 और कहीं पर 60 वर्ष थी उसको एक करते हुए हमने साठ वर्ष कर दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्थापकों की काफी लंबे समय से एक मांग रही है कि अनेक जिलों में सेवा नियमों के अनुसार उनकी स्क्रीनिंग और नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं घोषणा करता हूं कि आगामी तीन माह में जहां-जहां भी यह कार्यवाही पूरी नहीं है, वह कार्यवाही हम पूरी करवा लेंगे।

(23.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की तरफ से अभी एक और मांग आई थी कि वर्तमान में खरीफ का फसली ऋण चुकाने की जो दिनांक है 31 मार्च, उसको आगे किया जाए। इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से मेरा कहना है कि इसमें नाबार्ड के द्वारा भी रीफाइनेंस मिलता है और वित्त विभाग से चर्चा करके जल्दी से जल्दी इसके बारे में किसानों के हित में उचित निर्णय हम लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत जिला उपभोक्ता भंडार अपनी शाखाओं के माध्यम से सहकारी मार्केट संचालित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी सुपर मार्केट खोले जाएं जिससे ग्रामीण एवं कस्बाई उपभोक्ताओं को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण चीजें मिल सकें। अत: मैं घोषणा करता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष में हम

(श्री अजय सिंह)

प्रत्येक जिले में दो-दो ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नये सुपर मार्केट खोलेंगे जिससे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को...। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तकनीक का युग है, मोबाइल का युग है, व्यवस्था के कारण से सभी के पास में समय की कमी है। लोग वस्तुएं खरीदना तो चाहते हैं लेकिन लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्रीजी, हमारे पास भी बहुत समय है। अभी तक आप एक घंटे कम बोले हो कृषि मंत्रीजी से, एक घंटा और है आपके लिये।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): ऐसा है माननीय सदस्य बात बोलने के लिये है लेकिन जो किसानों के हित में है उन्हीं बातों को मैं बोल रहा हूं और पूरा प्रयास कर रहा हूं कि किसानों के हित में ज्यादा से ज्यादा ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज लोग घर पर बैठे-बैठे ही शापिंग करने के इच्छुक हैं। उदयपुर सहकारिता उपभोक्ता भंडार द्वारा अपने उपभोक्ताओं के लिये वहां पर आन लाइन शापिंग सुविधा की हमने शुरूआत कर दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी क्षेत्र में ई कामर्स का यह एक अपना अभिनव प्रयोग है और सहकारी क्षेत्र में आन लाइन शापिंग मुझे लग रहा है कि यह प्रथम पहल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस नवाचार को और आगे बढाते हुए मैं यह घोषणा करता हूं कि आगामी वितीय वर्ष में जयपुर, जोधपुर, कोटा तथा अजमेर में भी आन लाइन शापिंग की सुविधा हम जल्दी ही प्रारंभ करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगामी वितीय वर्ष में हमारी योजना है कि प्रत्येक जिले में जिला एवं सैटेलाइट हास्पिटल तथा हर सीएचसी पर हम सहकारी मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। इसके लिये माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि वह हमें भूमि दिलाएं और हम जिला कलक्टर्स का भी सहयोग चाहेंगे। अगर हमें भूमि उपलब्ध होती है तो हम चाहेंगे कि इन स्टोर पर उसी जिले के बेरोजगार फार्मिस्टों को लगाया जाए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो मेडिकल स्टोर हैं पूरे क्षेत्र में उन पर सरकारी पेंशनर्स कर्मचारी भी आते हैं, हमारे पेंशनर्स भी उनसे दवाई लेकर जाते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि बुजुर्ग पेंशनर्स आते हैं और बार बार उनको आना पड़ता है। इसके लिये मैं कहना चाहूंगा

(श्री अजय सिंह)

जिंदगी में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है,

मगर हर रिश्ते में जिंदगी हो, यह जरूरी है।

इसके लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि इस वर्ष हम जयपुर में कानफैड के माध्यम से पायलेट बेसिस पर पेंशनर्स को दवा की होम डिलिवरी की सुविधा प्रारंभ करेंगे। घर पर जाकर हम देंगे। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रमुख अस्पताल एसएमएस चिकित्सालय में मरीजों एवं उनके परिजनों की, हम यह देख रहे हैं कि बहुत बड़ा हास्पिटल है, लाखों आउट डोर के मरीज वहां आते हैं और सहकारिता विभाग यह चाहता है कि हम भी वहां पर लाभ के बजाय सेवा से जुड़ें। मेरा माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से आग्रह है, मैं इनके साथ में कुछ प्रोग्राम में भी वहां गया हूं, अगर वह हमें वहां पर एक स्थान उपलब्ध कराएं तो हम एक सुपर मार्केट वहां पर खोलना चाहेंगे जहां पर बाहर से जो भी लोग आते हैं उनको गुणवत्तापूर्ण और उचित मूल्य पर हम उनको दे सकें। इसके अलावा हम यह भी चाहेंगे कि आप अगर हमें स्थान दें तो हम वहां एक कैंटीन भी प्रारंभ करना चाहेंगे जिसमें सस्ती दरों पर बहुत ही स्टेंडर्ड का खाना हम उनको दे सकें। इसके अलावा वार्डों में जो मरीज हैं उनके परिजनों के लिये भी हम टिफिन प्रणाली से इस कैंटीन से जोड़ना चाहते हैं। मेरा चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह है कि इस ओर निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियां तभी लंबे समय तक अच्छा कार्य कर सकती हैं और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकती है जबकि यह वित्तीय अनुशासन में...

श्री उपाध्यक्ष: You want to react on this?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इतना अच्छा प्रस्ताव है, आज मौका भी कैसा सुंदर है इसलिए इन्होंने जो मांग की है उस पर निश्चित तौर पर विभाग विचार करेगा और इनको स्थान उपलब्ध करायेगा।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): ठीक है माननीय मंत्री महोदय, धन्यवाद। हम तो विचार कर चुके हैं, हम बिलकुल तैयार हैं, जब भी आप हमें निर्देशित करेंगे हम अपना कार्य चालू कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष

(श्री अजय सिंह)

महोदय, सहकारी समितियां तभी लंबे समय तक अच्छा कार्य कर लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकती है जबकि वह वित्तीय अनुशासन की पूर्ण पालना करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सरकार में आये थे तो उस समय केवल 27 प्रतिशत ऐसी समितियां थी जो कि समय पर आडिट करवाती थीं। हमने इस ओर ध्यान दिया, हमने समितियों को लगातार आडिट कराने हेतु प्रोत्साहित किया। आज लगभग अब तक 50 प्रतिशत समितियां अपना आडिट करवा चुकी हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से सभी समितियों का आडिट हो जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां शहर में और ग्रामीण में गृह निर्माण सहकारी समितियां भी हैं, हमने उनके ऊपर भी सख्त कार्यवाही की है और अभी तक हमने 130 गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त किया है जो कि कार्य ठीक से नहीं कर रही थी। इसके अलावा 163 पंजीकृत समितियों में से 71 समितियों ने अपना आडिट भी अभी करवा लिया है। इसके सम्बन्ध में आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में 90 गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध 55 की जांच प्रारंभ की गई है जो कि विचाराधीन है। इसमें भी मैं माननीय सदन को आश्वस्त करता हूं कि जल्दी से जल्दी तीन महीनों में इन जांचों को पूरी करा कर जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने घोषणा की थी कि हम खाद की आपूर्ति एवं वितरण के बारे में किसानों को जानकारी देंगे। इसके लिये राजफैड की वेबसाइट पर हमारी पूरी सूचना उपलब्ध है। मैं घोषणा के प्रभावी रूप में यह कर रहा हूं कि राजफैड की वेबसाइट www.rajfed.gov.in पर हमारी सारी सूचनाएं उपलब्ध है। कोई भी किसान इस सूचना को देख सकता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज आपकी परफोरमेंस को देखकर बाकी मंत्री कानाफूसी कर रहे हैं, आप चिंता मत करो हम आपके साथ हैं आप तो बोले जाओ।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): नहीं, नहीं मैं भी अपना जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं, आप चिंता मत करो। ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि राज्य के जयपुर एवं भरतपुर संभाग के सभी 9 जिलों में गेहूं की

(श्री अजय सिंह)

विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के तहत समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। यह नवाचार हमारे किसान भाइयों के लिये अपनी उपज बेचने तथा उपज के भुगतान की दृष्टि से अत्यधिक लाभप्रद साबित हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजफैड 147 केन्द्रों पर और तिलम संघ 19 केन्द्रों पर गेहूं की खरीद शुरू करेगा। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही थी कि हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से भी हम खरीद करें, मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष हमने इसको भी शुरू किया है, राजफैड अलवर और कोटा में अपनी कुछ समितियों के माध्यम से भी हम गेहूं की खरीद कर रहे हैं। गंगानगर और हनुमानगढ जिले में भी कुछ ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से हम गेहूं की खरीद कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति में मुख्य रूप से कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया और इसके लिये आर्गेनिक फार्मिंग के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बजट में घोषणा की है। मैंने पिछली बार भी घोषणा की थी कि हम जैविक उत्पाद बिक्री केन्द्र खोलेंगे। उस घोषणा को पूरा करते हुए हमने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में जैविक उत्पाद बिक्री केन्द्रों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि जैविक प्रोडेक्ट्स और जैविक कृषि के बारे में अभी भी किसानों को और अधिक जागरुक बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये मैं घोषणा करता हूं कि राजफैड में हम पूर्ण क्रियाशील प्रकोष्ठ की स्थापना करेंगे जो कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों के सदस्यों को आर्गेनिक फार्मिंग, आर्गेनिक प्रोडेक्ट्स और उनकी मार्केटिंग के बारे में जानकारी देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष मैंने यह भी घोषणा की थी कि हमारे केंद्रीय सहकारी बैंकों में जो भी पद रिक्त चल रहे हैं उनको हम भरेंगे और इसके लिए हमने 614 रिक्त पदों की भर्ती पूर्ण कर ली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आनलाइन एग्जाम लिया और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके इंटरव्यू को हटा दिया। आनलाइन एग्जाम लेने के बाद में मैरिट से ही उसको पोस्टिंग दी गयी, किसी तरह का हमने राजनीतिक दखल इसके अन्दर नहीं रखा है और इसका बहुत अच्छा परिणाम हमको देखने को मिला है। इसके अलावा 2015-16 तक हमने

(श्री अजय सिंह)

अधिकांश सभी डी.पी.सी. अपने अधिकारियों-कर्मचारियों की पूर्ण कर ली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय सहकारी बैंकों में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रोबेशनर कार्मिकों की लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि जब भी वो प्रोबेशन पीरियड में आते थे, उनको बहुत कम स्टाइपंड, बहुत कम वेतन मिलता था। इस ओर हमने पहली बार ध्यान दिया है और उनके पारिश्रमिक के तहत 2800 रूपये से लेकर 7000 हजार रूपये से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हमने उनके वेतन में की है, जिससे आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे कार्मिकों के मनोबल एवं कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राज्य में सहकारिता आंदोलन को और गति देने का प्रयास जारी रखेंगे। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि सदन में माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव, जो भी कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, उन पर मैं पूरी सकारात्मक सोच तथा तत्परता के साथ उचित कार्यवाही करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने किसानों एवं सहकारी बैंकों को मदद देने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है। साथ में, मैं सहकारिता विभाग की मेरी पूरी टीम जिसमें सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ, प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ-साथ, दूरदराज स्थित सहकारी समितियों सहकारी समितियों के कार्मिक एवं सदस्य भी शामिल हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिनके सक्रिय सहयोग से हम इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अंत में मेरे विभाग के लिए यह बात कहना चाहूंगा कि :-

'हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे
हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे
हम अपने अन्दर कई आफ़ताब जो रखते हैं'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों को पारित करने का मैं सदन से आग्रह करता हूं। जय जय सहकार। जय जय राजस्थान।

मांग संख्या 37 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37- कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,71,85,87,000/-(तीस अरब इकहत्तर करोड़ पिच्यासी लाख सत्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39- पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,97,39,92,000/-(पांच अरब सत्यानवे करोड़ उनतालीस लाख बानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 36 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36- सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,15,56,48,000/-(पांच अरब पंद्रह करोड़ छप्पन लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 23.14 बजे मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जहाजपुर में मन्दिर मदन मोहन जी के नाम दर्ज भूमि पर अतिक्रमण

355. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एम.डी.आर. 79 भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर ग्राम में स्थित चावण्डिया चौराहे पर सड़क सीमा से लगती हुई वाके ग्राम जहाजपुर की आराजी संख्या 2699, 2700, 2701 व 6616 कुल किता-4 रकबा 4.17 बीघा भूमि "मदनमोहनजी स्थान देह खातेदार" के नाम से दर्ज रिकार्ड है?

(2) क्या उक्त भूमियों की देखरेख देवस्थान विभाग द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो किस प्रकार से?

(3) क्या यह सही है कि उक्त देवस्थान भूमियों में से आराजी संख्या 2699 की भूमियों पर भू-माफियों द्वारा अनाधिकृत रूप से अवैध पक्की दुकानें बनाकर उन्हें किराये पर दे दी गई है? क्या इस सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार देवस्थान भूमि पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नियम विरुद्ध निर्मित उक्त दुकानों को हटाकर अपनी भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के राजस्व ग्राम जहाजपुर में स्थित चावण्डिया चौराहे पर सड़क सीमा से लगती हुई वाके ग्राम जहाजपुर की आराजी संख्या 2699, 2700, 2701 एवं 6616 कुल किता-4 रकबा 4.17 बीघा भूमि ''मदनमोहन जी स्थान देह खातेदार'' के नाम से दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उक्त भूमियों की देखरेख देवस्थान विभाग द्वारा नहीं की जाकर मंदिर पुजारी श्री राजेश पिता लादू लाल शर्मा निवासी जहाजपुर द्वारा की जा रही है।

(देवस्थान राज्य मंत्री)

(3) ग्राम जहाजपुर की आ.न. 2699 रकबा 3.06 बीघा में स्वयं पुजारी श्री राजेश पिता लादूलाल शर्मा ने एक पक्का कमरा 10 गुना 12 फीट का निर्माण कर कृषि यंत्र आदि रखने के काम में लिया जा रहा है। आ.न. 2700 में 30 गुणा 20 फीट का टीन शेड का हाल बना हुआ है जिसका निर्माण शैतान सिंह पिता रामस्वरूप बारेठ निवासी जहाजपुर द्वारा किया गया है। टीनशेड के हाल में अलग-अलग खण्ड बना रखा है। कुछ अस्थाई केबिने भी उक्त भूमि पर लगी हुई है। इस सम्बन्ध में एक शिकायत दिनांक 14.11.2014 का प्राप्त हुआ है। जिस पर सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर को पत्रांक 6544 दिनांक 21.04.2015 से अतिरिक्त आयुक्त, देवस्थान द्वारा कार्यवाही बाबत लिखा गया। निरीक्षक, देवस्थान विभाग, अजमेर द्वारा शिकायत की जांच की गई। उनके जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.05.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि विषयगत मंदिर व उसके खाते की भूमि देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिर की नहीं है और ना ही मंदिर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है। निरीक्षक की जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट-2)।

जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पत्रांक एफ 40-18(815)विसप्र/आरए/2016/1490 दिनांक 20 मार्च, 2016 को उपखंड अधिकारी जहाजपुर को निर्देश दिये है कि प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के आदेश क्रमांक प 6(17)प्रसु/अनु-3/2002 दिनांक 07.12.2009 के अनुसार ग्रामीन अंचलों में स्थित राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अतिरिक्त समस्त अराजकीय मंदिरों/ के अतिरिक्त समस्त अराजकीय मंदिरों/धार्मिक पूजा स्थलों की चल व अचल संपत्ति के प्रबंधन एवं उचित व्यवस्था हेतु कमेटी गठित है। जिस में उपखंड अधिकारी अध्यक्ष है। अतः आवश्यक रिपोर्ट तैयार करा देवस्थान विभाग के सहयोग से आवश्यक कार्यवाही कर प्रगति प्रतिवेदन भिजवाने के निर्देश दिये है।

(4) जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पत्रांक एफ 40-18(815)-विसप्र/आरए/2016/1490 दिनांक 20 मार्च, 2016 को उपखंड अधिकारी जहाजपुर को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये है। प्रति संलग्न है (परिशिष्ट-3)।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

चौहटन में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का क्रमोन्नयन

356. **श्री तरुण राय कागा** (चौहटन): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र चौहटन में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कब तक?

(2) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यकाल पूर्ण होने पर उन्हें पेंशन के रूप में अंशदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विभाग में महिला कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधानसभा चौहटन के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना चौहटन में 01, धोरीमन्ना में 03 तथा रामसर में 01 इस प्रकार कुल 05 नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये है, जिनकी स्वीकृति दिनांक 25.02.2016 को जारी की जा चुकी है।

(2) जी नहीं, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राज्य कर्मचारी नहीं होकर पूर्णत: अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी है।

(3) मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र में क्रमोन्नत जनसंख्या के निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर किया जा सकता है। वर्तमान में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) महिला एवं बाल विकास विभाग में मानदेय के रिक्त पदों को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में गठित चयन समिति द्वारा महिलाओं में से भरा जाता है, जो की एक सतत प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त सीधी भर्ती वाले नियमित रिक्त पदों पर सम्बन्धित सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत ही नियमानुसार भर्ती की जाती है।

खैरवाड़ा में जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना में कराये गये कार्य

357. **श्री नाना लाल अहारी** (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2013 से 2016 तक जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु किस-किस योजनान्तर्गत कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में उक्त योजनान्तर्गत किस-किस योजना के तहत क्या क्या कार्य करवाये गये और कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2013 से 2016 तक जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु योजनाओं में आवंटन एवं व्यय का वर्षवार योजनानुसार विवरण परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) विधानसभा क्षेत्र खैरवाड़ा में सम्पर्क सड़क, पुलिया निर्माण एनिकट, हैण्डपम्प, सामुदायिक भवन एवं जनजाति आश्रम छात्रावासों में पेयजल सुविधा, क्षमता वृद्धि हेतु अतिरिक्त डोरमेट्री निर्माण, छात्रावास निर्माण एवं खेल सुविधाओं का विकास आदि कार्य करवाये गये। योजनावार राशि का व्यय विवरण परिशिष्ट-ब पर सलंग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुरवाटी में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण

358. **श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में उप स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये राजकीय भवन नहीं हैं, जबकि इनको भूमि हेतु पट्टे भी जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के अन्तर्गत 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन मापदण्ड के अनुसार निर्मित नहीं है एवं 61 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित है जिनमें से 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 43 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भूमि के पट्टे प्राप्त हो गये हैं तथा उनमें से 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 25 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति जारी हो गयी है।

आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण करवाये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

झाड़ोल में संचालित पशु चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पद

359. **श्री हीरा लाल दरांगी** (झाड़ोल) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधानसभा क्षेत्र झाड़ौल के अन्तर्गत पंचायत समिति झाड़ौल, फलासियां व कोटड़ा में कितने पशु चिकित्सालय व पशु चिकित्सा उप केन्द्र संचालित हैं?

(2) पशुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए क्या सरकार उक्त विधानसभा क्षेत्र में और नवीन पशु चिकित्सालय व उप पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यो? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पशु चिकित्सालयों व पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पशु चिकित्सकों व अन्य कर्मियों के कितने पद कितने समय से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पशु चिकित्सालयों व उप पशु चिकित्सा केन्द्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कितने बजट का प्रावधान किया गया है? क्या सरकार उक्त बजट राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र झाड़ौल की पंचायत समिति झाडोल, फलासियां व कोटड़ा में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है

	पंचायत समिति			
पशु चिकित्सा संस्था	**झाडौल**	**कोटड़ा**	**फलासिया**	**कुल**
प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	1	2	1	4
पशु चिकित्सालय	3	1	1	5
पशु औषधालय	0	0	1	1
पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	5	9	3	17
पशुधन आरोग्य चल इकाई	1	1	0	2
कुल	10	13	6	29

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 1000 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पूरे राज्य में खोले जाने का प्रावधान किया है।

(3) विधानसभा क्षेत्र झाड़ौल में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां। प्रदेश मे पशु चिकित्सा अधिकारियों व पशुधन सहायकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए निम्नानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है :-

1. पशु चिकित्सा अधिकारियों के 525 पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोकसेवा आयोग के माध्यम से भर्ती हेतु वर्तमान में साक्षात्कार प्रक्रियाधीन है।
2. पशुधन सहायकों के 789 पदों को भरे जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसे राजस्थान अधीनस्थ एंव मंत्रालयिक कर्मचारी चयन बोर्ड को अर्थना भिजवाई जानी प्रक्रियाधीन है।

(4) विधानसभा एवं पशु चिकित्सा संस्थावार बजट का प्रावधान नहीं किया जाता है। बजट का प्रावधान योजनावार किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा के रीको इण्डस्ट्रीज एरिया में निरस्त किये गये भू-खण्ड

360. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(1) गत दस वर्षों में कोटा के रीको इण्डस्ट्रीज एरिया में कितने-कितने भूखण्डों को कब-कब निरस्त किया गया एवं निरस्त करते समय उन क्षेत्रों में रीको की आरक्षित दर क्या थी?

(2) क्या रीको द्वारा गत दस वर्षों में किसी उद्यमी का आबंटन निरस्त करने के बाद उसी भूखण्ड को पुन: उसी उद्यमी को आबंटित किया गया है? यदि हां, तो आबंटन राशि की दर क्या रखी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत दस वर्षों में कोटा के रीको औद्योगिक क्षेत्रों मे निरस्त किये गये भूखण्डों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलबध है।

(2) रीको द्वारा विगत 10 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र मालवीया (जयपुर) में एक भूखण्ड का आबंटन निरस्त करने के बाद उस भूखण्ड को पुन: उसी उद्यमी को आबंटित किया गया है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्यकर्मियों के दो से अधिक बच्चे होने पर दण्डीय प्रावधान हटाने की कार्यवाही

361. श्रीमती रानी सिलोटिया (बसेडी) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से राज्यकर्मियों के सेवा नियमों में प्रावधान किया हुआ है? यदि हां, तो क्या? नियमों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रावधान लागू करने के पश्चात् जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दो से अधिक संतानें होने पर राज्यकर्मियों को सुविधाओं से वंचित या दण्डित करने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार की नौकरी में दो बच्चे होने तक सीमित परिवार की अवधारण को प्रोत्साहित करने के साथ वर्तमान में लागू नियमों को हटाने का

(श्रीमती रानी सिलोटिया)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अधिसूचना/कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.06.2001, 26.06.01, 04.10.2001 एवं 06.10.2015 द्वारा क्रमशः सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने, पदोन्नति पांच भर्ती वर्ष रोके जाने, आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने, लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने एवं ए.सी.पी. पांच वर्ष रोके जाने सम्बन्धी प्रावधान किये गये है। सम्बन्धित नियमों की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात् दो से अधिक संतान के मामले, राज्यकर्मियों की पदोन्नति के संदर्भ में अपवाद स्वरूप ही प्राप्त हुए हैं जिससे इस अवधारणा को बल मिलता है कि राज्य सरकार की यह नीति प्रभावी रही है।

(3) सुविधाओं से वंचित किये जाने के कोई प्रावधान सेवा नियमों में नहीं है। शेष, बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

(4) इस सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त अभ्यावेदनों/ज्ञापनों के आधार पर, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अब तक निम्नानुसार कार्यवाही/संशोधन किए जा चुके हैं:-

1. अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 द्वारा किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जायेगी।
2. पुनर्विवाह के पश्चात् होने वाली एक संतान के आधार पर राजकीय सेवा प्रवेश/पदोन्नति हेतु निर्योग्यता नहीं माने जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 20.11.2015 जारी की चुकी है।
3. ए.सी.पी पर पूर्व में जो पूर्ण सेवावधि तक रोक का प्रावधान था, उसे परिवर्तित कर, अब पांच वर्ष तक ही रोक प्रभावी रहने के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञापन दिनांक 06.10.15 जारी किया जा चुका है।

   साथ ही राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के नियमों के तहत दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् तीसरी संतान

(कार्मिक मंत्री)

होने पर देय दण्डात्मक प्रावधान (नियम 25सी) को विलोपित किये जाने सम्बन्धी संशोधन की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालोर जिले में पैरोल कमेटी की बैठकें

362. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कारागृह के बंदियों को पैरोल पर रिहा करने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई पैरोल कमेटी के द्वारा बंदियों को पैरोल पर रिहा किया जाता है, यदि हां, तो पैरोल पर रिहा होने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का कितने दिन में पैरोल कमेटी के द्वारा निस्तारण किया जाना आवश्यक है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जालोर में गत 1 वर्ष में जिला पैरोल कमेटी की बैठक कब-कब हुई एवं कितने बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई जिला पैरोल समिति के समक्ष प्रस्तुत पैरोल प्रकरणों पर निर्णय की समय सीमा बाबत राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज आन पैरोल रूल्स, 1958 में कोई प्रावधान विहित नहीं है, परन्तु यथाशीघ्र इन प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। इस हेतु जिला पैरोल समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित करने हेतु निर्देशित किया हुआ है।

(2) जिला जालौर में पिछले 1 वर्ष (वर्ष 2015) में जिला पैरोल कमेटी की बैठक एवं पैरोल पर रिहा बंदियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पैरोल सलाहकार समिति की बैठक दिनांक	पैरोल पर रिहा किये गये बंदियों की संख्या
1.	26.02.2015	04
2.	24.04.2015	03
3.	16.05.2015	00
4.	11.06.2015	03
5.	25.08.2015	04

(गृह मंत्री)

क्र.सं.	पैरोल सलाहकार समिति की बैठक दिनांक	पैरोल पर रिहा किये गये बंदियों की संख्या
6.	24.09.2015	03
7.	17.11.2015	00
8.	23.12.2015	02

प्रश्न संख्या 363

(स्थगित)

प्रदेश में स्थापित धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र

364. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पंचायत समिति स्तर पर "धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र" योजना की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं? उक्त केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? यदि हां, तो दोनों चरणों की स्वीकृति दिनांक, पं.स. का नाम, स्वीकृत कार्य एवं स्वीकृत राशि तथा निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों चरणों में सम्मिलित प्रदेश की पंचायत समितियों में धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है? यदि नहीं, तो किन-किन पंचायत समितियों में किन-किन कारणों से उक्त केन्द्रों का निर्माण नहीं किया गया? जिलेवार, पंचायत समितिवार मय केन्द्र स्वीकृति दिनांक के सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में कुछ पंचायत समितियों में भूमि की उपलब्धता होने के पश्चात् भी केन्द्र स्वीकृति की दिनांक से तय मियाद में उक्त केन्द्र निर्माण नहीं किए जाने से केन्द्र संचालित नहीं हो पा रहे हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौनसे विभागीय अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार उक्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश मे पंचायत समिति स्तर पर "धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र" योजना की स्थापना के उद्देश्य एवं स्थापना सम्बन्धी आदेशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) हां, यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इन दोनों चरणों की स्वीकृति दिनांक, पं.सं. का नाम, स्वीकृत कार्य एवं स्वीकृत राशि सहित निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त दोनों चरणों में सम्मिलित प्रदेश की पंचायत समितियों में कुल 100 धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र स्वीकृत थे जिनके विरुद्ध 28 धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्रों का निर्माण किया जा चुका है, शेष 72 पंचायत समितियों में जिन कारणों से उक्त केन्द्रों का निर्माण नहीं किया गया है, उन कारणों का विवरण जिलेवार, पंचायत समितिवार मय केंन्द्र की स्वीकृति दिनांक सहित परिशिष्ट- स पर संलग्न है।

(4) योजनान्तर्गत धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्रों की स्थापना हेतु महिला अधिकारिता विभाग द्वारा प्रशासनिक निर्णयानुसार उक्त कार्यों की कार्यकारी एजेंसी पंचायतीराज विभाग की संस्थाऐं है। धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्रों की स्थापना हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा राशि हस्तान्तरण के उपरान्त निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही जिला परिषद स्तर से सम्पादित की जाती है।

धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्रों के निर्माण हेतु जिला परिषद द्वारा भूमि आबंटन, स्वीकृति जारी किया जाना, निविदाऐं आमंत्रित किया जाना इत्यादि कार्यों में समय लगा है। विभाग द्वारा 72 अवशेष केन्द्रों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र योजना के अन्तर्गत पंचायत समितियों में भूमि उपलब्ध होने के पश्चात भी केन्द्र स्वीकृति दिनांक के बाद केन्द्र का निर्माण नहीं हो पाने के कई कारण है जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

इसके लिए कोई विभागीय अधिकारी दोषी नहीं है, इसलिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ के चिकित्सालयों के चिकित्सा कर्मियों हेतु अतिरिक्त स्टाफ क्वाटर का निर्माण

365. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में श्री सांवलिया जी राजकीय सामान्य चिकित्सालय एवं महिला एवं बाल चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वाटर्स की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्वाटर्स वर्तमान में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार अतिरिक्त स्टाफ क्वाटर्स का निर्माण कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति भदेसर में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार भदेसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर का भवन बनाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री सांवलिया जी राजकीय सामान्य चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में निम्नलिखित आवास गृह निर्मित है:-

आवास गृहों की श्रेणी	आवास गृहों की संख्या
चिकित्सक आवास गृह	08
नर्सिंग आवास गृह	10
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवास गृह	06

महिला एवं बाल चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ को पुराने चिकित्सालय भवन से दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को नवनिर्मित श्री सांवलिया जी सामान्य चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ के भवन में हस्तान्तरित किया गया है। वर्तमान में उक्त चिकित्सालय श्री सांवलिया जी सामान्य चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ के परिसर में ही संचालित है परन्तु महिला एवं बाल चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पुराने भवन में भी स्टाफ के आवास गृह निर्मित हैं जिनमें वर्तमान में चिकित्सालय का स्टाफ निवास कर रहा है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

आवास गृहों की श्रेणी	आवास गृहों की संख्या
चिकित्सक आवास गृह	02
नर्सिंग आवास गृह	06
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवास गृह	04

(2) उक्त वर्णित आवास गृह वर्तमान में कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ हेतु पर्याप्त नहीं है इसलिये चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के निवास के लिये निम्न वर्णितानुसार आवास गृहों के निर्माण की आवश्यकता है:-

आवास गृहों की श्रेणी	आवास गृहों की संख्या
चिकित्सक आवास गृह	07
नर्सिंग आवास गृह	10
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवास गृह	06

आगामी वित्तीय वर्षों में आवास गृह निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उक्त चिकित्सालय में आवास गृहों के निर्माण करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदेसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में संचालित नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भदेसर के भवन निर्माण हेतु एनआरएचएम के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में राशि रुपये 60.00 लाख का बजट प्राप्त हुआ था। जिसके अनुसार भवन निर्माण करवाया गया।

उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में नये भवन में संचालित है परन्तु उपलब्ध स्वीकृति में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मानक नक्शे के अनुसार पूर्ण भवन निर्मित नहीं हुआ है इसलिये उक्त भवन का विस्तार किया जाना है।

आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उक्त भवन का विस्तार करवाने के प्रयास किये जायेंगे।

नागौर जिले के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की योजना

366. श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं की चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सालय स्वीकृत हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों, पशुधन सहायकों व सईसों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किन-किन पशु चिकित्सालयों में? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले में पशु चिकित्सा के लिए ग्रामीण स्तर पर स्वीकृत पशु चिकित्सालयों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। नागौर जिले के पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां। प्रदेश में पशु चिकित्सा अधिकारियों, पशुधन सहायकों व सईसों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए निम्नानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है:-

1. पशु चिकित्सा अधिकारियों के 525 पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती हेतु वर्तमान में साक्षात्कार प्रक्रियाधीन है।
2. पशुधन सहायकों के 789 पदों को भरे जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है,जिसे राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारी चयन बोर्ड को अर्थना भिजवाई जानी प्रक्रियाधीन है।
3. पशुधन परिचर (सईस) का पद पदोन्नति का है जिसे समय-समय पर पदोन्नति कर भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम को अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के स्तर का बनाने की योजना

367. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में स्थित बरकतुल्लाह खां स्टेडियम को पूर्व में हुए अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की तरह पुनः अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने योग्य बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा किस तरह व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जोधपुर का बरकतुल्लाह खां स्टेडियम अन्तरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच आयोजित करने की सुविधायुक्त स्टेडियम है।

राजस्थान क्रिकेट संघ के माध्यम से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आबंटित किये जाने का प्रावधान है।

प्रदेश के नहरी क्षेत्र के घरेलू कनेक्शन को सिंगल फेस में परिवर्तित करने की योजना

368. **श्री भंवरसिंह** (कोलायत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार बीकानेर जिले के नहरी क्षेत्र में सेम की समस्या के समाधान के लिए तथा पशुओं के लिए हरा चारा उगाने व खेती करने के लिए 'सिंगल फेस कृषि कनेक्शन' देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नहरी क्षेत्र में दिए गए घरेलू कनेक्शन को सिंगल फेस कृषि कनेक्शन में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि वर्तमान में राज्य में लागू एवं प्रचलित कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित दिनांक 31.03.2007 तक) के अनुसार कृषि कार्यों हेतु थ्री फेज विद्युत कनेक्शन देने का ही प्रावधान है। साथ ही राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के नियमानुसार कृषि श्रेणी में केवल थ्री फेज एलटी कनेक्शन ही दिये जा सकते है। नियम की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

अत: बीकानेर जिले में भी कृषि कार्यों हेतु सिंगल फेज कृषि कनेक्शन देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत यह संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में वितरण निगमों द्वारा प्रसारित आदेश की प्रति प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गौशालाओं को देय अनुदान की राशि का आनलाइन भुगतान करने की योजना

369. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितनी गौशालायें संचालित हैं एवं उनको कितना-कितना अनुदान दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कतिपय गौशालाओं के वर्ष 2015 में अनुदान हेतु जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त हुए, परन्तु समय पर सरकार को नहीं भिजवाये गये जिससे गौशालाओं को अनुदान नहीं मिल पाया? यदि हां, तो ऐसे आवेदनों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गौशालाओं को अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गौशालाओं को देय अनुदान राशि में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जिला स्तर पर समय पर कार्यवाही नहीं होने के कारण गौशालाओं को समय पर अनुदान राशि नहीं मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किस-किस जिले से एवं किस-किस गौशाला के सम्बन्ध में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार गौशालाओं की मांग एवं देय अनुदान राशि का आनलाइन भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रदेश में संचालित 1571 पंजीकृत गौशालाएं हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। वर्ष 2015-16 में अभावग्रस्त घोषित ग्रामों सम्बन्धी जिलों की 1099 पंजीकृत गौशालाओं को राहत सहायता सहित सम्बन्धित मद में जनवरी, 2016 तक राशि रु. 171.06 करोड़ की सहायता दी गई है।

(2) जी हां। 15 जुलाई, 2015 के पश्चात् कुछ जिलों से गौशालाओं के अनुदान हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए। जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त गौशालाओं के प्रस्ताव राज्य सरकार को अभाव अवधि की अवधि समाप्ति तिथि दिनांक 15.07.2015 के पश्चात् प्राप्त होने के कारण सहायता स्वीकृति देय नहीं है।

(4) जी नहीं। राहत सहायता राशि में बढ़ोतरी का सम्बन्ध भारत सरकार से सम्बन्धित है।

(5) कुछ गौशालाओं के प्रस्ताव अभाव अवधि के पश्चात् प्राप्त हुए हैं। गौशाला प्रबन्धन की ओर से प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(6) अभाव अवधि की समाप्ति तिथि 15.07.2015 के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर राहत सहायता हेतु देयता नहीं होने के कारण इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(7) गौशालाओं को दी जाने वाली राहत सहायता की प्रक्रिया में सुधार के मद्देनजर जिला कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्ति एवं इस विभाग द्वारा स्वीकृति को आनलाइन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर के राजस्व गांव

370. **श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में राजस्व गांव घोषित करने के लिए क्या-क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने राजस्व गांव बिखरी आबादी के है? राजस्व गांवों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 15 सन, 1956) की धारा 16 के अन्तर्गत नवीन राजस्व ग्राम गठन के सम्बन्ध में शक्तियां राज्य सरकार में निहित है।

नियमों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर तथा निर्धारित मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) डुंगरपूर विधान सभा क्षेत्र में 253 राजस्व गांव (तहसील डूंगरपुर के 156 एवं तहसील बिछीवाड़ा के 97 राजस्व ग्राम) बिखरी आबादी के हैं। राजस्व गांवों के नाम सहित सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर जिले में पोषाहार में दी जा रही खाद्य सामग्री

371. **श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा'** (भरतपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कितने-कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं तथा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने-कितने बालकों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है? लाभान्वितों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संचालित होने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो क्या-क्या खाद्य सामग्री किसके द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिलाओं को कोई पद देकर लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में 127 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में 107 आंगनबाड़ी केन्द्र कुल 234 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभान्वित हो रहे बालकों एवं महिलाओं की आंगनबाड़ी केन्द्रवार संख्या का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत महिला एवं बच्चों में

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

व्याप्त कुपोषण की रोकथाम हेतु समस्त इच्छुक पंजीकृत आयुवर्ग 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार स्वयं सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

लाभान्वितों को प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले पूरक पोषाहार की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	लाभान्वितों की श्रेणी	लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार का प्रकार एवं मात्रा
1	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम बेबीमिक्स
2	6 माह से 3 वर्ष तक के अति कम वज़न वाले बच्चे	200 ग्राम बेबीमिक्स
3	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे	नाश्ता, गरम पूरक पोषाहार (खिचडी/मीठा दलिया)
4	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के अति कम वज़न वाले बच्चे	नाश्ता 75 ग्राम (अति. पोषाहार) गरम पूरक पोषाहार (खिचडी/मीठा दलिया)
5	गर्भवती/धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं	155 ग्राम बेबीमिक्स

(3) आंगनबाड़ी केन्द्र पर मानदेय सेवाकर्मी के चयन के लिए बीपीएल एवं विधवा महिलाओं को चयन हेतु मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक का प्रावधान है। इस संदर्भ में मूल्यांकन (ग्रेडिंग) का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांसवाड़ा में संचालित मां-बाड़ी केन्द्र

372. **श्री धनसिंह रावत** (बांसवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा में स्वच्छ परियोजना के अन्तर्गत कितने मां-बाड़ी केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं एवं उनमें कितने कार्मिक कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री धनसिंह रावत)

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन मां-बाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में कुल 61 मां-बाडी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इनमें स्वच्छ्र के कर्मी कार्यरत नहीं है। सम्बन्धित ग्राम स्तरीय समिति ही इनका संचालन करती है।

(2) क्षेत्रीय आवश्यकता, बजट की उपलब्धता एवं निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति होने के आधार पर नवीन मां-बाड़ी केन्द्र खोलने पर समुचित निर्णय लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा जिले की शराब की दुकानों में मिलावटी शराब की शिकायतें

478. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत 2 वर्षों में मिलावटी शराब और तस्करी एवं कालाबाजरी के कुल कितने प्रकरण सामने आये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 2 वर्षों में मिलावटी शराब एवं शराब की कालाबाजारी एवं तस्करी करने पर किन-किन शराब की दुकानों एवं बार का लाईसेंस निरस्त किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार को वर्ष 2015 में कोटा जिले की किन-किन शराब की दुकानों में मिलावटी शराब एवं अन्य गड़बड़ियों की शिकायतें प्राप्त हुई है तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी। शिकायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत 2 वर्षों में मिलावटी शराब और तस्करी एवं कालाबाजारी के कुल प्रकरण 2756 दर्ज किये गये हैं। जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) गत 2 वर्षों में मिलावटी शराब कालाबाजारी एवं तस्करी करने पर 10 दुकानों के लाईसेंस निरस्त किये गये एवं एक बार का लाईसेंस निरस्त किया गया जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 2015 में आबकारी विभाग कोटा जिले में शराब की दुकानों में मिलावटी शराब एवं अन्य गड़बड़ियों की 141 शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 479

(स्थगित)

प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत मांग पत्र की राशि में छूट की योजना

480. श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नवीन पिलानिया)

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में बी. पी. एल. परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन एवं पीने के पानी के सिंगल फेस बोरिंग के विद्युत कनेक्शन देने की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त परिवारों को विद्युत मांग पत्र की राशि में कोई छूट प्रदान की जाती है? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में आमेर विधान सभा क्षेत्र के कितने बी. पी. एल. परिवारों को लाभान्वित किया गया और कितने शेष हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में बीपीएल परिवारों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत नि:शुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वां प्लान) के अन्तर्गत स्वीकृत 28 योजनाओं के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2015-16 में स्वीकृत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 33 योजनाओं के कार्यादेश जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है। इन दोनों योजनाओं में कुल 6.77 लाख बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए जाने प्रस्तावित हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन कार्यादेश की तिथि से 2 वर्ष तक की अवधि में किया जाना प्रस्तावित है। छितराऐं हुए क्षेत्रों, कृषि भूमि पर निवास करने वाले एकल परिवारों तथा दूर दराज इलाकों में रहने वाले बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देना फिलहाल संभव नहीं है।

पीने के पानी हेतु सिंगल फेज बोरिंग विद्युत कनेक्शन आबादी क्षेत्रों में जलदाय विभाग/ग्राम सरपंचों के द्वारा आवेदन किये जाने पर निगम नियमानुसार जारी किये जा रहे हैं।

(2) जी हां। जयपुर नगर वृत के क्षेत्राधिकार में आमेर विधानसभा क्षेत्र में 19 परिवारों को विगत वर्षों में लाभान्वित किया गया है। ग्रामवार व नामवार विवरण सारणी-1 पर उपलब्ध है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति आमेर के 741 बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन दिया जाना प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खैरवाड़ा के गांवों में पुरानी विद्युत लाइनों को बदलने की योजना

481. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के गांवों व ढाणियों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस योजना के अन्तर्गत व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में विद्युत की पुरानी लाइनों की मरम्मत या बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न संवर्गों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधानसभा क्षेत्र खैरवाडा में तीन गांव (1) महुवाल मगरा, (2) बुझा एवं (3) आंबा उमरिया अविद्युतिकृत है, जिनका विद्युतीकरण दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है।

उक्त विधानसभा क्षेत्र में 226 ढाणियां अविद्युतिकृत हैं जिनमें से 139 ढाणियां 100 से अधिक आबादी की हैं, जिनका विद्युतीकरण दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है तथा 87 ढाणियां 100 से कम आबादी की है जिनका विद्युतीकरण राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ऑफ ग्रिड स्कीम के तहत किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। फीडर सुधार कार्यक्रम (एफ.आई.पी.) के तहत विधानसभा क्षेत्र खैरवाडा में बिजली की पुरानी लाइनों को आवश्यकतानुसार दुरूस्त करने का कार्य किया जा रहा है। किये गये कार्यों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) विधानसभा क्षेत्र खैरवाड़ा के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम के खैरवाडा एवं ऋषभदेव उपखण्ड में वरिष्ठ लिपिक के 2, कनिष्ठ लिपिक के 8 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 6 पद रिक्त हैं। डिस्कॉम में

(ऊर्जा मंत्री)

तकनीकी कर्मचारियों के उपखण्डवार पद स्वीकृत नहीं हैं। वर्तमान में उक्त विधानसभा क्षेत्र में कुल 77 तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम से सम्बन्धित विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

उक्त रिक्त पदों को पदोन्नति व सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कानूजा ग्राम (पाली) में विद्युत बिलों में अनियमितता पर कार्यवाही

482. श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के ग्राम कानूजा, उपखण्ड बर में ग्रामवासियों को जारी विद्युत बिलों में अनियमितता के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो किन-किन के व उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में मीटर रीडर द्वारा मीटर रीडिंग उपभोक्ता के घर न जाकर सीधे ही अनुमान से दर्ज कर दी जाती है? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई? हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि मीटर रीडिंग व बिल में अंकित रीडिंग में भिन्नता के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार मीटर रीडिंग यूनिट व बिल में दर्शाये यूनिट के अन्तर को समायोजित कर उपभोक्ताओं को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त ग्राम के मीटर रीडर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला पाली के ग्राम कानूजा, उपखण्ड बर में 7 उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्रों में मीटर रीडिंग सही नहीं आने के प्रकरण प्राप्त हुए थे। उक्त

(ऊर्जा मंत्री)
मीटर रीडिंग की जांच पुन: सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा करवाई जाने पर कोई अनियमितता नहीं पाई गयी। विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उक्त ग्राम में मीटर रीडर द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता के घर जाकर ही मीटर रीडिंग ली जाती है।

(3) जी नहीं। मीटर रिडिंग एवं बिल में अंकित रिडिंग में अन्तर होने सम्बन्धी कोई भी प्रकरण उपखण्ड कार्यालय में दर्ज नहीं हुआ है।

(4) उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मीटर रीडिंग सत्यापन उपरान्त निगम नियमानुसार विद्युत बिल में सुधार करके उपभोक्ता को राहत प्रदान की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(5) जी नहीं। उक्त ग्राम में मीटर रीडर द्वारा मीटर रीडिंग के कार्य में कोई अनियमितता/लापरवाही नहीं पायी गयी। अत: कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की जेलों में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित कैदी

483. डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट) :क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की जेलों में वर्तमान में कितने कैदी/विचाराधीन बंदी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं? कारागारवार तथा बीमारीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जेलों में 1 जनवरी, 2011 से 31 अगस्त, 2015 की अवधि में कितने कैदियों व विचाराधीन बन्दियों की विभिन्न बीमारियों से मृत्यु हुई? मृतकों का कारागारवार व बिमारीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की जेलों में वर्तमान में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित दण्डित कैदी/विचाराधीन बंदियों का कारागारवार व बीमारीवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य की जेलों में 1 जनवरी, 2011 से 31 अगस्त, 2015 की अवधि में विभिन्न बीमारियों से मृत्यु प्राप्त दण्डित कैदी/विचाराधीन बंदियों का कारागारवार व बीमारीवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा

484. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत दो वर्षों में ओलावृष्टि एवं अनावृष्टि से कितनी-कितनी फसल नष्ट हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी किसानों को नष्ट हुई फसलों का मुआवजा वितरित कर दिया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सहायता पूरी प्राप्त हो गयी है? यदि नहीं, तो कितनी शेष है एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में प्रदेश में अनेक किसानों ने आत्महत्या की है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने मृतक किसानों के आश्रितों को कितना-कितना मुआवजा एवं अन्य सहायता प्रदान की गयी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में ओलावृष्टि एवं अनावृष्टि (रबी व खरीफ) से नष्ट हुई फसल का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जिलेवार भुगतान किये गये कृषि आदान अनुदान का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की घोषित आर्थिक सहायता राशि भारत सरकार से प्राप्त हो गई है।

(4) प्रदेश में अब तक चार कृषकों द्वारा आत्महत्या किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। विवरण निम्नानुसार है:-

1. महिला कृषक मंजू बाई निवासी कनवास, जिला कोटा रिपोर्ट मर्ग संख्या 03/15 धारा 174 जा. फो. के सम्बन्ध में प्रकरण एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है। मृतक के पति श्री सुरेश कुमार को रबी सम्वत 2071 में राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 26460/- रुपये कृषि आदान अनुदान के रूप में भुगतान किया गया है।
2. मृतक श्री नरेन्द्र पुत्र खेमराज जाति बागरी उम्र 30 वर्ष निवासी

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

गलाना, पुलिस स्टेशन कैथून, जिला कोटा ग्रामीण क्षेत्र में दर्ज मर्ग संख्या 6/15, धारा 174 सीआरपीसी के अन्तर्गत पेड़ से लटक कर दिनांक 29.04.2015 को आत्महत्या करना पाया गया। रबी फसल 2071 में ओलावृष्टि से खराब होने पर 3375/- रु. का कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया गया है।

3. मृतक श्री प्रतापाराम पुत्र कवाजी मेघवाल, निवासी जोड़वास, थाना रानीवाड़ा जिला जालौर में दिनांक 26.8.2015 को रात्रि में घर परिवार के सोने के बाद खेत में खड़े नीम के पेड़ से रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या करना पाया गया। आश्रित को 25,000 रु. माननीय विधायक से, 25,000 रु. कलेक्टर जालौर से, 95,000 रुपये अतिवृष्टि से मकान क्षति होने पर कुल 1,45,000 रु. सहायता प्रदान की गई।
4. मृतक प्रेमशंकर आयु 19 वर्ष पुत्र प्रताप उर्फ रामप्रताप मीणा निवासी लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बूंदी द्वारा मर्ग सं. 8/2015 में आत्महत्या करना पाया गया है। मृतक के पिता के नाम लगभग 15 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड है, कृषि आदान अनुदान के रूप में 27000 रु. खातेदार प्रताप के सहकारी बैंक खाते में जमा करा दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में हो रहे साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु कार्य योजना

485. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है? यदि हां, तो प्रदेश मे कौन-कौनसे साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं? साइबर क्राइम के लिहाज से राजस्थान प्रदेश का देश में कौनसा स्थान है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार साइबर क्राइम को रोकने का प्रयास कर रही है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मोबाईल फोन कम्प्यूटर व इण्टरनैट के बढ़ते उपयोग के कारण निम्नलिखित साइबर सम्बन्धित क्राईम की घटनाओं में वृद्धि हो रही है :-

1. फर्जी बैंक अधिकारी बनकर डेबिट व क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित गोपनीय जानकारी ग्राहकों से प्राप्त करके खातों से रुपये निकालना।

(गृह मंत्री)

2. फर्जी बीमा अधिकारी बनकर बीमा लोन के नाम पर विभिन्न संदिग्ध बैंक खातों में रुपये प्राप्त करना।
3. लॉटरी खुलने की झूठी सूचना देकर एवं नौकरी देने के फर्जी विज्ञापन देकर विभिन्न प्रकार के चार्ज वसूलने के नाम पर विभिन्न खातों में रुपये प्राप्त करना।
4. एक्सपोर्टर व्यापारियों को विदेशी ग्राहकों के फर्जी ईमेल भेजकर विदेशों मे स्थित खातों में रुपये प्राप्ति करना।
5. फेस बुक, वॉट्सएप एवं अन्य सोशल साइट्स पर झूठे भ्रामक अश्लील फोटो वीडियो आदि भेजना।

(2) साइबर क्राइम को रोकने के लिये निम्नलिखित प्रयास किये गये, जो निम्न हैं :-

1. राज्य में साइबर क्राइम के प्रभावी अनुसंधान के लिये राज्य स्तरीय एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का गठन किया गया है जिसने दिनांक 15.09.2013 से कार्य प्रारम्भ कर दिया है।
2. राज्य स्तर पर ए.टी.एस. व एस.ओ.जी. द्वारा भी महत्वपूर्ण एवं अतिसंवेदनशील साइबर अपराधों का अनुसंधान किया जाता है।
3. राज्य स्तर पर विभिन्न पुलिस अधिकारियों को राजस्थान पुलिस अकादमी एवं क्रेन्दीय प्रशिक्षण संस्थानों से साइबर अपराधों के अनुसंधान के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिलाया गया है।

प्रदेश में कानिस्टेबलों की स्थानान्तरण नीति

486. श्री मानवेन्द्र सिंह (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2015 में कानिस्टेबल से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण की कोई नीति बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नई स्थानान्तरण नीति में सरकार ने कनिष्ठतम एवं अल्पवेतन भोगी कानिस्टेबलों के हितों का ध्यान न रखते हुए पूर्व स्थानान्तरण नीति में उनके गृह जिले में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित 7 वर्ष की अवधि को बढाकर 15 वर्ष कर दिया गया है? क्या उक्त नीति जारी करने से पूर्व किसी भी जिले में कानिस्टेबल वर्ग के कर्मचारियों से सुझाव/

(श्री मानवेन्द्र सिंह)

सहमति चाही गई थी? यदि हां, तो कितने कानिस्टेबलों ने इस हेतु अपनी सहमति दी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2008 से पूर्व कानिस्टेबलों को नियुक्ति के पश्चात् बी.एड. करने की अनुमति प्रदान की जाती थी, लेकिन उसके पश्चात् बी.एड. करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में पुलिस कानिस्टेबल को अपने बीट क्षेत्र में जाने के लिए साईकिल भत्ता के रूप में 10/- रु. की राशि का भुगतान किया जा रहा है? हां, तो क्या सरकार इसमें वर्तमान मंहगाई को देखते हुए साईकिल भत्ता बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कानि. से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में महानिदेशक पुलिस ने पत्र सं.-4(1) पुलिस-ए/राज/पार्ट-1/788-937 दिनांक 28.01.2015 जारी किया है जो परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त पत्र दिनांक 28/01/2015 के अनुसार कानि. को गृह जिले में स्थानान्तरण हेतु न्यूनतम सेवा अवधि 15 वर्ष प्रावधित किया गया है। उक्त पत्र को जारी करने से पूर्व कानि. वर्ग के कर्मचारियों से सुझाव/सहमति नहीं ली गई। स्थानान्तरण नीति राज्य सरकार स्तर पर परीक्षणाधीन है।

(3) राज्य कर्मचारी को वित्त(नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ- 1 (3 वित्त) (नियम) 2002 दिनांक 20.02.2004 के द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम की अनुमति का प्रावधान है जो कि उसके वर्तमान कर्तव्य के पद से जुड़ा हो, एवं ऐसे पाठयक्रम के अध्ययन से विभागीय कार्य निष्पादन में कर्मचारी को निपुणता प्राप्त होती हो। चूंकि पुलिस महानिदेशालय विभाग की दृष्टि में बी. एड. अध्ययन से पुलिस के कार्य निस्तारण में कोई निपुणता प्राप्त नहीं होती है। अत: बी. एड. करने की अनुमति पुलिस महानिदेशालय द्वारा नहीं दी जाती है।

(4) पुलिस कानि. को अपने बीट क्षेत्र मे जाने के लिए साइकिल भत्ता

(गृह मंत्री)

के रूप में दिनांक 01/01/1995 से 50/- रु. प्रतिमाह की राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

होमगार्ड जवानों का स्थाईकरण करने की योजना

487. श्री शंकरसिंह (ब्यावर) : क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है तथा होमगार्ड जवानों द्वारा राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ ड्यूटी देकर सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जवानों को एक साल में मात्र दो तीन महिने ही नौकरी दी जाती है? क्या यह भी सही है कि ब्यावर जैसे बड़े शहर में 440 होमगार्ड जवानों में से बहुत कम जवानों को ड्यूटी दी जा रही है? यदि हां, तो वर्तमान में कितने जवानों को समय-समय पर ड्यूटी दी जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त होमगार्ड जवानों को इसी पद पर समायोजित कर स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस बलों की होती है, यद्यपि होमगार्ड स्वयं सेवक पुलिस विभाग की मांग/आवश्यकतानुसार कानून-व्यवस्था बनाये रखने में सहायक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं।

(2) होमगार्ड स्वयं सेवकों को मांग एवं रोटेशन के आधार पर नियोजित किया जाता है। नियोजन की मांग कम होने से सभी सदस्यों को निरन्तर 12 माह ड्यूटी नहीं दी जा सकती है।

वर्तमान में ब्यावर शहर में अधिकृत 440 गृह रक्षा स्वयं सेवकों में से 53 सदस्यों को रोटेशन प्रणाली के अनुसार प्रति दिवस निम्नानुसार नियोजित किया जा रहा है :-

1- रात्रि गश्त	27 सदस्य प्रति	दिवस
2- यातायात	14 सदस्य प्रति	दिवस

(गृह रक्षा एवं नागरिक मंत्री)

3- अग्निशमन सेवा	10 सदस्य	प्रति दिवस
4- कारागृह	02 सदस्य	प्रति दिवस

(3) होमगार्ड एक स्वयं सेवी संगठन है। राजस्थान होम गार्डस रूल्स, 1962 में होमगार्ड स्वयं सेवकों को स्थाई करने का प्रावधान नहीं होने से इन्हें स्थाई किया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों में कार्यरत कार्मिक

488. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए जिलेवार कितने-कितने छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं?

(2) गत तीन वर्षों में उक्त छात्रावासों में प्रवेशार्थियों संख्या व इन छात्रावासों के संचालन हेतु कितने कार्मिक कार्यरत है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में छात्रावासों के संचालन हेतु कितनी राशि व्यय की गई व कितनी राशि कार्यरत कार्मिकों को वेतन के रूप में दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए 319 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिलेवार छात्रावासों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्र/छात्राओं के लिए संचालित छात्रावासों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षो में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश संख्या एव इन छात्रावासों के संचालन हेतु कार्यरत कार्मिको की वर्षवार सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

विगत तीन वर्षों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश संख्या एवं इन छात्रावासों के संचालन हेतु कार्यरत कार्मिकों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) छात्रावास के संचालन हेतु व्यय की गयी राशि व कार्यरत कार्मिकों का वेतन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट-य पर संलग्न है तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सूचना परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अटरू (बारां) में माडा योजना के लाभार्थी

489. श्री रामपाल (बारां-अटरू) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

प्रदेश के बारां-अटरू विधान सभा क्षेत्र की अटरू तहसील में माडा योजनान्तर्गत जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी? स्वीकृत राशि से लाभान्वितों की ग्रामवार व वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश के बारां-अटरू विधान सभा क्षेत्र की अटरू तहसील में माडा योजनान्तर्गत जनवरी, 2014 से अब तक स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है -

1. मीणा बस्ती से विद्यालय की ओर ग्राम आमापुरा में सीसी रोड निर्माण ग्राम पंचायत बरला, स्वीकृत राशि 7.00 लाख, व्यय राशि 7.00 लाख रु., कार्य पूर्ण उक्त कार्य से होने वाले लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट -अ पर संलग्न है।
2. जनजाति के बीपीएल 18 काशतकारों को डीजल पम्प सैट वितरित किये गये। जिनकी सूची परिशिष्ट -ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिकों के रिक्त पद

490. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या विधि एवं विधिक कार्य मात्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अधीनस्थ न्यायिक सेवा में आशुलिपिक/ कनिष्ठ लिपिक ग्रेड-II के पदों पर भर्ती हेतु नियमों में योग्यता एवं प्रक्रिया

(श्री जगदीश नारायण)

सम्बन्धी संशोधन किए गये हैं? यदि हां, तो कब से? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में आशुलिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक ग्रेड-II के कितने-कितने पद किस-किस न्यायालय में कब से रिक्त हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त रिक्त पदों (आशुलिपिक/कनिष्ठ लिपिक ग्रेड-II) में से कितने-कितने पद अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु कब से आरक्षित हैं? क्या सरकार उक्त आरक्षित पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधीनस्थ न्यायिक सेवा में आशुलिपिक/कनिष्ठ लिपिक ग्रेड-।। के पदों पर भर्ती हेतु नियमों में दिसम्बर 2015 में संशोधन किया गया है जिसकी प्रति प्रदर्श-। पर संलग्न है।

(2) आशुलिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण प्रदर्श-।। पर संलग्न है

(3) उक्त रिक्त पदों (आशुलिपिक/कनिष्ठ लिपिक) में से अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों के सम्बन्ध में विवरण प्रदर्श-।। पर संलग्न है। रिक्त पदों पर भर्ती हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। रिक्त पदों पर भर्ती हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सकों की पदोन्नति

491. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उप निदेशक, जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद कब से रिक्त है?

(2) क्या यह सही है कि आयुर्वेद चिकित्सकों की कई वर्षों से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं हुई

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

है? यदि हां, तो अब कब तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर चिकित्सक से वरिष्ठ चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक से जिला आयुर्वेद अधिकारी व उपनिदेशक की पदोन्नति कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आयुर्वेद चिकित्सकों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है? यदि हां, तो अब कब तक प्रकाशन कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उपनिदेशक के पद वर्ष 2008-09 से तथा जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद वर्ष 2009-10 से रिक्त है।

(2) जी हां। मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा 11 मार्च, 2015 को चिकित्साधिकारियों का केडर रिव्यू कर नवीन पदों का सृजन किया गया है। तदनुसार सृजित पदों को राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 में जोडे जाने हेतु संशोधन प्रक्रियाधीन है। संशोधनोपरांत पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जायेगी।

(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(8)आयु./2012 दिनांक 14.09.2015 द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों की दिनांक 01.04.2004 की स्थिति दर्शाते हुए स्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। दिनांक 01.04.2007 की स्थिति में स्थाई वरिष्ठता सूची जारी करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्र

492. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 2 वर्षों में बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में कितने नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किये गये? स्वीकृत वर्षवार, नामवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 2 वर्षों में बारां जिले के उक्त क्षेत्र में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/उप स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत किये गये? स्वीकृत वर्षवार, नामवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में खोले गये चिकित्सा संस्थानों का संख्यावार विवरण निम्नप्रकार है:-

वर्ष	खोले गये संस्थान		
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप स्वास्थ्य केन्द्र
2013-14	0	0	10
2014-15	0	0	0

सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पोकरण (जैसलमेर) में ट्रोमा सेन्टर खोलने की कार्य योजना

493. श्री शैतानसिंह (पोकरण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र पोकरण में ट्रोमा सेन्टर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व इसकी क्या कार्य योजना है। यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र पोकरण के कस्बा पोकरण में वर्तमान में 100 शैयाओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। जिसमें वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी), कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलॉजी, दन्त, मेडिसन, सर्जरी, नैत्ररोग, निश्चेतन, ईएनटी, हड्डी रोग, गायनी, शिशु रोग), वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी-3 चिकित्सा अधिकारी-8 पद स्वीकृत है। उपलब्ध कार्मिकों/संसाधनों से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला चिकित्सालय जैसलमेर में ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत है। इसलिए कस्बा पोकरण में ट्रोमा सेन्टर खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

बहरोड़ में कृषि उपज मंडी के लिये स्वीकृत राशि

494. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बहरोड़ में कृषि उपज मण्डी कब स्वीकृत की गई एवं इसके निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कृषि उपज मण्डी का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जाना था एवं वर्तमान में कितना कार्य किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.10.1997 के द्वारा बहरोड़ को कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल का गौण मण्डी यार्ड घोषित किया गया। गौण मण्डी बहरोड़ के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(2) गौण मण्डी बहरोड़ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में उक्त मण्डी यार्ड में दुकानों के पीछे पानी की सप्लाई लाइन के कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। निर्माण कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले में आबंटित बजट का पूर्ण उपयोग नहीं होने पर कार्यवाही

495. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली में पर्याप्त संख्या में अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है?

(2) क्या यह भी सही है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि में जिला करौली को विभिन्न योजनाओं में आबंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है? यदि हो, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि पूरी राशि का उपयोग नहीं होने से सरकार की योजनाओं का लाभ भी कृषकों को नही मिल पा रहा है?

(4) आबंटित राशि के पूर्ण व्यय नहीं होने के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश)

(5) सरकार द्वारा नियमानुसार उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) सरकार अब कब तक दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिले में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग में अधिकारी/कर्मचारियों के कुल 230 पद स्वीकृत है, जिनके विरुद्ध 139 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है

(2) जी हां। करौली जिले में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक कृषि एवं उधानिकी विभाग में विभिन्न योजनाओं में आबंटित एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। आबंटित बजट के कम व्यय होने का प्रमुख कारण उक्त वर्षों में फील्ड स्टाफ के पद रिक्त रहना एवं उद्यानिकी योजनाओं में कृषकों द्वारा रूचि कम लेना रहा है।

(3) जी नहीं। जिले में जितने कृषकों ने उक्त वर्षों में विभिन्न योजनाओं में आवेदन किया है, उन सभी पात्र कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(4) आबंटित राशि के पूर्ण व्यय नहीं होने के अन्य कारणों के साथ-साथ फील्ड स्टाफ के पद रिक्त रहना ही एक प्रमुख कारण रहा है। फिर भी वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक बजट का पूर्ण उपयोग नहीं होने के लिए तत्समय कार्यरत उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, करौली श्री अमर सिंह, श्री पुखराज मीणा, श्री टी. के. जोशी, श्री वी.डी. शर्मा, को सीसीए नियम 17 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं।

(5) सम्बन्धित अधिकारियों को सीसीए नियम 17 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं।

(6) सम्बन्धित अधिकारियों को सीसीए नियम 17 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कुचामन (नागौर) के पशु चिकित्सालय का पॉली क्लीनिक में क्रमोन्नयन

496. श्री विजय सिंह (नावां) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री विजय सिंह)

(1) क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र नावां के भवन विहीन पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से भवन का व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधानसभा क्षेत्र के कुचामन शहर में चल रहे प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को पॉली क्लिनिक में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र नावां में कुल 18 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 7 उप केन्द्र राजकीय भवन में तथा 11 उप केन्द्र वैकल्पिक भवन व्यवस्था कर संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में यहां कोई भी पशु चिकित्सा उप केन्द्र भवन रहित नहीं है।

पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण की व्यवस्था पशु चिकित्सा हेतु विभाग के नाम भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार की जाती है।

(2) जी नहीं। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की सुविधा जिला मुख्यालय पर उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि जिला मुख्यालय नागौर पर उपलब्ध है।

कोटा जिले के मौसम केन्द्रों की जांच व डाटा बेस एकत्रित करने का कार्य

497. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में मौसम केन्द्र कहां-कहां पर स्थापित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मौसम केन्द्रों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है?

(3) क्या यह सही है कि बीमा कम्पनियां अपने स्तर पर ही मौसम केन्द्रों की जांच व डाटा बेस एकत्रित करने का कार्य करती है तथा इसकी जानकारी विभाग को नहीं दी जाती है?

(4) क्या यह भी सही है कि विभागीय अधिकारियों को इन मौसम केन्द्रों की मॉनिटरिंग व निरीक्षण हेतु विभाग के स्तर से किसी प्रकार के निर्देश नहीं दिये गये है? यदि हां, तो क्या सरकार विभागीय अधिकारियों को

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

मौसम केन्द्रों की मॉनिटरिंग व निरीक्षण की जिम्मेदारी देने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत प्रत्येक 10 किलोमीटर की परिधि में स्वचालित मौसम केन्द्र बीमा की इकाई के रूप में स्थापित किए जाने का प्रावधान है। राज्य में मौसम केन्द्रों की स्थापना मौसम संयंत्र निर्मात्री कम्पनी यथा स्काईमेट, इंजन, नेशनल कॉलेट्रल मैनेजमेन्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कराई गई है। उक्त के अलावा भारतीय मौसम विभाग के भी मौसम केन्द्र राज्य में स्थापित हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कोटा जिले में स्थापित स्वचालित मौसम केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है।

(2) राज्य में मौसम केन्द्रों की स्थापना, उनका रख रखाव एवं निरीक्षण मौसम संयंत्र निर्मात्री कम्पनी यथा स्काईमेट, इंजन, नेशनल कॉलेट्रल मैनेजमेन्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जाता है। विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा भी अपने जिले में स्थापित मौसम केन्द्रों की मॉनिटरिंग एवं उनका निरीक्षण सुनिश्चित किया जाता है।

(3) मौसम केन्द्रों की जांच बीमा कम्पनियों द्वारा नहीं की जाती है। मौसम संयंत्र निर्मात्री कम्पनी द्वारा ही मौसम केन्द्र में संग्रहित होने वाले मौसम आंकड़े (डाटा बेस) की सूचना विभाग को दी जाती है साथ ही मौसमी आंकड़ों (डॉटा बेस) को पारदर्शिता के लिए विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसको सभी कृषक देख सकते हैं। मौसम केन्द्रों के रॉ डेटा अभी तक विभाग को उपलब्ध नहीं कराये जाते थे, अब रॉ डेटा विभाग को उपलब्ध कराने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं।

(4) जी, नहीं। जिला अधिकारियों को मौसम केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट भिजवाने हेतु विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 (क) व (ख) पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई (टोंक) में नई सब्जी मण्डी की स्थापना

498. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हीरालाल)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में वर्तमान में निर्मित सब्जी मण्डी के स्थान पर नई सब्जी मण्डी का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में कृषि उपज मण्डी समिति निवाई के अन्तर्गत ही एक हिस्से में एक बीघा 14 बिस्वा भूमि में फल-सब्जी मण्डी यार्ड का निर्माण हो चुका है। इस फल-सब्जी मण्डी यार्ड में चिन्हित 20 भूखण्ड (16 व्यापारी व 4 महिला कृषक को) आबंटित किये जा चुके है। आबंटित भूखण्डों पर निर्माण कार्य चालू है। उक्त मण्डी यार्ड के विस्तार हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

टोंक में उद्योग लगाने की योजना

499. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार बेरोजगारी की समस्या को मद्देनजर रखते हुये विधान सभा क्षेत्र टोंक में कोई उद्योग लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा स्वयं कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है बल्कि सम्पूर्ण राज्य में (जिसमें विधानसभा क्षेत्र टोंक स्वतः ही शामिल है) उद्योग स्थापना हेतु प्रयत्नशील है। राज्य में उद्यम सहयोगी नीतियों के माध्यम से सकारात्मक वातावरण सृजित किया जाता है, ताकि राज्य में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो सके एवं राज्य के बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार के अवसर सृजित हो सके।

उद्योग स्थापना के लिए निवेशक कच्चे माल की उपलब्धता के साथ -साथ उत्पादन की कड़ियों की सहज सुलभता, उत्पादों की मांग तथा अपने उद्योग की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए ही उद्योग हेतु स्थान का चयन करता है। निवेशक द्वारा राज्य में किसी भी स्थान पर उद्योग स्थापित करने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सहायता/सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

श्रीगंगानगर के रीको औद्योगिक क्षेत्र में जन सुविधाओं पर व्यय राशि

500. **श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्रीगंगानगर में स्थित राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. (रीको) प्रबंधक द्वारा फैक्ट्रीयों एवं इंडस्ट्री से सरकार द्वारा लागू विभिन्न प्रकार के शुल्क के साथ-साथ सफाई एवं स्ट्रीट लाईट इत्यादि विभिन्न शुल्क लिये जाते हैं। यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. (रीको) प्रबंधक श्रीगंगानगर द्वारा इंडस्ट्री क्षेत्र में सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था पर वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी राशि व्यय की गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के रख-रखाव हेतु रीको भू-निपटान नियम, 1979 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 15(अ) के अन्तर्गत आबंटियों से सेवा शुल्क वसूल किया जाता है। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। औद्योगिक क्षेत्र की सफाई व स्ट्रीट लाइट के लिए अलग से शुल्क नहीं लिया जाता है एवं सेवा शुल्क में ही सम्मिलित हैं।

(2) औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार श्रीगंगानगर में विभिन्न सेवाओं के रखरखाव पर हुआ व्यय निम्नवत है –

	2014-15	2015-16
1. सड़कों, नालियों व सफाई व्यवस्था पर	रु. 5447865	रु. 5589114
2. स्ट्रीट लाईट व्यवस्था पर	रु. 1055240	रु. 508093
कुल	रु. 6503105	रु. 6097207

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिकराय में सुलभ रोजगार सृजन की योजनाएं

501. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती गीता वर्मा)

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में सुलभ रोजगार सृजन की दृष्टि से खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कौन-कौनसी योजनाएं संचालित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मार्जिन मनी योजना क्या है इसके तहत किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुसुचित उद्योगों को वर्ष 2014-15 में दौसा जिले में उद्योगवार कितनी-कितनी ऋण व अनुदान की राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में किस योजना के अन्तर्गत कौन-कौनसी संस्थाएं स्थापित है तथा सरकार द्वारा उक्त संस्थाओं को कितना अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में ग्रामोद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (PMEGP) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (नोडल एजेन्सी) के माध्यम से वर्ष 2008-09 से लागू कर रखी है। उक्त योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक विशेष अनुदान का प्रावधान है। उक्त योजना का क्रियान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग, आयुक्त, उद्योग विभाग एवं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व खादी आयोग केवल ग्रामीण क्षेत्र में उक्त योजनान्तर्गत ग्रामोद्योग स्थापित कराने हेतु योजनानुसार अधिकृत है। ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक विशेष अनुदान (मार्जिन मनी) योजना के प्रावधानों के तहत लाभान्वित उद्यमी इकाई को देय है।

2. खादी बोर्ड द्वारा खादी संस्था/समितियों को राज्य सरकार से स्वीकृत लघु खादी परियोजना, खादी विकास फण्ड तथा वर्कशैड निर्माण, मार्केटिंग डवलपमेंट असिस्टेंट योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार, खादी ग्रामोद्योग भण्डारों का नवीनीकरण, बिक्री अभिकर्त्ता एवं कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण, खादी ग्रामोद्योग उत्पादों में गुणवत्ता सुधार, एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर खादी एण्ड वी.आई. (अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तरराज्यीय प्रदर्शनी) योजनाओं में सहायता स्वीकृत की जाती है।

(2) मार्जिन मनी के नाम से कोई योजना नहीं है। अपितु सूक्ष्म, लघु

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत मार्जिन मनी (सब्सिडी) सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें ऋण बैंको द्वारा दिया जाता है तथा मार्जिन मनी (सब्सिडी) सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

(3) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में दौसा जिले में उद्योगवार ऋण व अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) विधानसभा क्षेत्र सिकराय में ग्रामीण क्षेत्र में खादी के माध्यम से कत्तिन बुनकरों को रोजगार दिलाने हेतु क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति सिकन्दरा संस्था स्थापित है। जिसको भारत सरकार द्वारा एम.डी.ए. व ब्याज सहायता अनुदान दिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर के इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कार्य

502. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर में इन्डोर स्टेडियम का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अलवर जिला स्टेडियम में वर्ष 2009 से 31 जनवरी 2016 तक कौन-कौनसे विकास कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार की उपेक्षा के कारण अलवर जिले के एकमात्र स्टेडियम में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की Urban Sports Infrastructure Scheme (USIS) के अंतर्गत अलवर में राशि रुपये 6.51 करोड़ की लागत से मल्टीपरपज इंडोर हॉल का निर्माण करवाया जा रहा है। इस योजनांतर्गत अलवर में मल्टीपरपज इंडोर हॉल निर्माण हेतु भारत सरकार से प्रथम किश्त की राशि रुपये 100.00 लाख प्राप्त हुए हैं जिसे कार्यकारी एजेन्सी

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध करवा दी गई है, जिसके तहत कार्यकारी एजेन्सी द्वारा 100.00 लाख रुपये का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रीडा परिषद को प्रेषित किया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित कर बकाया शेष राशि जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर मल्टीपरपज इंडोर हॉल का निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा।

कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राशि रुपये 100.00 लाख के अंतर्गत सुपर इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है। पश्चिमी साइट में प्रशासनिक भवन, स्टोर आदि पर छत का कार्य पूर्ण हो चुका है। उत्तर दिशा में रूफलेवल तक का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(2) अलवर जिला मुख्यालय स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम पर वर्ष 2009 से 31 जनवरी 2016 तक करवाये गये विकास कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. बैडमिंटन इंडोर हॉल
2. मल्टीजिम हॉल
3. बॉलीबाल मैदान मय आयरन केज (दो मैदान)
4. हैण्डबॉल मैदान मय आयरन केज
5. टायलेट ब्लॉक
6. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की Urban Sports Infrastructure Scheme (USIS) के अंतर्गत अलवर में राशि रुपये 6.51 करोड से मल्टीपरपज इंडोर हॉल निर्माणाधीन है।

(3) जी नहीं। जिला मुख्यालय अलवर पर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम पर निम्नलिखित खेलों की आधारभूत खेल सुविधाएं उपलब्ध है:-

बॉलीबाल मैदान, टेनिस कोर्ट, हैण्डबाल मैदान, बास्केटबाल मैदान, फुटबाल मैदान, बॉक्सिंग रिंग, कबड्डी, एथलेटिक मय थ्रोरिंग एरिया, शूटिंग रेंज, कुश्ती अखाडा, जिम हॉल, बैडमिंटन इंडोर हॉल, तरणताल एवं नवीन मल्टीपरपज इंडोर हॉल का कार्य निर्माणाधीन है। साथ ही स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण का खेल छात्रावास भी संचालित है।

प्रश्न संख्या 503

(स्थगित)

जैसलमेर जिले में आबादी भूमि का सैट-अपार्ट

504. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सैट अपार्ट से क्या तात्पर्य है? उपनिवेशन विभाग में सैट अपार्ट के लिए बनाये गये नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जैसलमेर जिले में विगत 10 वर्षो में उपनिवेशन विभाग के कितने ग्राम/कस्बों में/शहरों में आबादी भूमि का सैट अपार्ट किया गया? ग्राम का नाम भूमि का विवरण, खसरा नम्बर/मुरब्बा नम्बर, रकबा भूमि किस्म, आबंटन तिथि, सैट अपार्ट करने वाले अधिकारी का नाम मय पते के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आबादी भूमि हेतु किये गये सैट-अपार्ट भूमि का उपयोग कब एवं कैसे किया जाता है? उपयोग करने वाले अधिकारी को कौनसी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती है? क्या सैट अपार्ट की गयी भूमि में आवासीय, वाणिज्यक एवं व्यवसायिक पट्टे भी जारी किये जा सकते है? यदि हां, तो किनके द्वारा? क्या जैसलमेर जिले में विभाग में ऐसे पट्टे जारी किये गये है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सैट-अपार्ट की गयी भूमि का स्वामित्व विभाग के पास होता अथवा ग्राम पंचायत के पास? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोग, ग्राम की आवश्यकताओं हेतु गोचर, सडक, स्कूल, कालेज, बस स्टेण्ड अथवा अन्य जन उपयोगी कार्यो के लिए कृषि भूमि को पृथक रखना ही सैट-अपार्ट कहा जाता है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 10 के तहत उपनिवेशन क्षेत्र में उपायुक्त उपनिवेशन को कलक्टर की शक्तियां प्राप्त होने के कारण उपनगर नियोजक सिंचित क्षेत्र विकास इं.गा.न.प. बीकानेर की तकनीकी सहमति प्राप्त होने के पश्चात उनके स्तर से विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि सैट-अपार्ट करने की कार्यवाही की जाती है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जैसलमेर जिले में विगत 10 वर्षो में उपनिवेशन विभाग के जिन ग्राम व कस्बों में/शहरों में आबादी भूमि का सैट-अपार्ट किया गया है उक्त भूमियां उपायुक्त उपनिवेशन जैसलमेर व उपायुक्त उपनिवेशन नाचना द्वारा सैट-अपार्ट की गई है। विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(उपनिवेशन राज्य मंत्री)

(3) सैट-अपार्ट की गई भूमि का उपयोग उपनगर नियोजक सिंचित क्षेत्र विकास इं.गा.न.प. बीकानेर से प्राप्त आबादी नक्शें के अनुसार किया जाता है। आवासीय प्रयोजनार्थ सैट अपार्ट की गयी भूमि में नक्शें के अनुसार सम्बन्धित उपनिवेशन तहसीलदार द्वारा आवासी भू-खण्ड का कीमतन आबंटन किया जाता है कीमत की वसूली 3 किश्तों में की जाती है तथा आबंटित भू-खण्ड पर निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर उसका आवासीय पट्टा जारी कर दिया जाता है। आबादी हेतु सैट अपार्ट की गयी भूमि के वाणिज्यक एवं व्यावसायिक पट्टे जारी नहीं किये जा सकते हैं।

(4) आबादी हेतु सैट-अपार्ट की गयी भूमि का स्वामित्व विभाग के पास तब तक रहता है जब तक स्वीकृत चक आबादी को राजस्व ग्राम घोषित नहीं कर दिया जाता है। राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद भूमि का स्वामित्व एवं अभिलेख ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के गांवों में सामाजिक उपयोग हेतु भूमि का आबंटन

505. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के गांवों में सामाजिक उपयोग हेतु सामुदायिक केंद्र इत्यादि सुविधाओं का अभाव है?

(2) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक उपयोग हेतु बेनामी व चारागाह भूमियों में से निकायों की भांति गैर सरकारी संस्थानों अथवा पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं को भूमि आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि का आबंटन) नियम 1963 के तहत किये जाने के प्रावधान है।

गैर सरकारी संस्थानों अथवा पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं को चारागाह भूमि आबंटन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील

(राजस्व राज्य मंत्री)

संख्या 1132/2011 एसएलपी (सी) नं0 3109/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 की पालना में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 25.04.2011 के द्वारा रोक लगाई गई है।

खानपुर के बकानी कस्बे को तहसील बनाने की योजना

506. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी कस्बे में वितीय वर्ष 2016-17 में तहसील कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मा. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2014-15 में की गई बजट घोषणा संख्या 196 के अनुसार राज्य में तहसीलों को पंचायत समितियों के सह सीमान्त क्षेत्राधिकार कर समान मुख्यालय कायम किये जाने के क्रम में पुनर्गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/सुझावों का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोंपरान्त पंचायत समिति बकानी को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में जनहित एवं प्रशासनिक हित में उचित निर्णय लिया जावेगा।

प्रदेश में महिलाओं को पुरस्कार देने की योजना

507. **श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना विकसित करने के लिये प्रत्येक जिले में एक पुरस्कार महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में उक्त पुरस्कार किस महिला को कब दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य स्तर पर वर्तमान में महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को महिला शक्ति पुरस्कार दिया जाता है, जिले के लिये इस प्रकार का कोई पुरस्कार निर्धारित नहीं किया गया है।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गत वर्ष 2014-15 में जिला स्तर पर जिला महिला सम्मान दिये जाने का प्रावधान किया गया था लेकिन वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान में नारी शक्ति पुरस्कार प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो राष्ट्र स्तर पर दिया जाता है। इस पुरस्कार के शुरू होने से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पहले दिये जाने वाले सभी महिला पुरस्कार अस्तित्व में नहीं है।

(2) निदेशालय, महिला अधिकारिता विभाग की ओर से वर्ष 2015-16 में जोधपुर जिले से सुश्री सन्ता 'सारथी' पुत्री श्री पदमाराम मेघवाल को स्वयं का बाल विवाह निरस्त कराने के फलस्वरूप प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया है।

अजमेर संभाग में सामूहिक विवाह सम्मेलनों में देय अनुदान

508. **श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में सामूहिक विवाह के आयोजन पर अनुदान दिया जा रहा है एवं देय अनुदान के कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर संभाग में वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कितने सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन विभिन्न सामाजिक स्तर पर किया गया एवं उनमें से कितने सामूहिक विवाह सम्मेलन के अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त हुये? जिलेवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सम्मेलनों के आयोजकों/संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों पर अनुदान स्वीकृत कर भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो कब? जिलेवार, वर्षवार आयोजकों व संस्थाओं को देय अनुदान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम 2009 के तहत सामूहिक विवाहों के आयोजनों में अनुदान देने के प्रावधान किये गये हैं। उक्त प्रावधानों में अनुदान देने के मानदण्ड परिशिष्ट- अ पर सलंग्न है।

(2) अजमेर संभाग में वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 तक कुल 76 सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन हेतु विभिन्न सामाजिक

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 64 संस्थाओं से अनुदान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए। अनुदान की इच्छुक संस्थाए ही केवल अनुदान के लिये आवेदन करती हैं जिनका विवरण परिशिष्ट- ब पर संलग्न है।

(3) राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम 2009 के तहत अनुदान के लिये इच्छुक संस्था द्वारा अनुदान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षणोंपरान्त पात्र संस्थाओं को सामूहिक विवाह हेतु अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया जाता है। अजमेर संभाग में वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 तक जिन संस्थाओं के अनुदान आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये व भुगतान किया उनका विवरण परिशिष्ट- स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना जो पढ़ी मानी गयी

प्रदेश में संचालित निजी कम्पनीज/फैक्ट्रीज में श्रम कानूनों की पालना

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश में जो श्रम कानून लागू है उनमें आमतौर पर सभी कानून पूर्ण रूप से बहुत से उद्योग पालना नहीं कर रहे हैं। ठेका प्रबंधन अधिनियम 1970 का मुख्य उद्देश्य ठेके श्रमिकों के रोजगार को सुचारू रखने, वर्किंग कंडिशन व बैनिफिट्स को उपलब्ध करवाना है। इस श्रम अधिनियम के सैक्शन 10 के तहत किसी भी उद्योग में अगर पेरिनियम नेचर (वर्ष भर) का काम है तो उस कार्य के लिए स्थाई कम्पनी वर्कर से कार्य लिया जाना चाहिए और श्रम विभाग ऐसे किसी भी पेरिनियम नेचर आफ जॉब के लिए किसी भी उद्योंग का रजिस्ट्रेशन ना करे। लेकिन पूरे प्रदेश में सभी उद्योगों में इस श्रम अधिनियम को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। प्रदेश में संचालित उद्योग में यदि कोई क्षेत्र का मजदूर युवा काम के लिये जाते है, जिससे क्षेत्र के लोगों में कार्य क्षेत्र को लेकर काफी गम्भीर परिस्थिति बनी हुई हैं, होण्डा कम्पनी, श्रीराम पिस्टन, अशोक लिलेन्ड आदि।

जैनपुर बास में अम्बे फैक्ट्री जो खरपतवार खत्म करने का लिक्विड बनाती है उससे नीम, पीपल, के पेड़ आदि सब खत्म हो गये हैं। सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रम कानूनों की पालना न करने के लिए श्रम विभाग के अधिकारी शामिल हैं और इसका कारण हम समझ सकते हैं। यही नहीं, यदि श्रमिक ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत अपनी यूनियन कानून के दायरे में बनाना चाहते हैं तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। यदि इसी तरह का व्यवहार श्रमिकों के प्रति उद्योगों के मालिकों का रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि कोई भी अप्रिय हिंसक घटना जो कि मारूति उद्योग देखा चुका है वो राजस्थान में घटित हो जाए। इसलिए भी निजी हित के लिए श्रमिक विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाया जाना अति आवश्यक है। बानूसर विधान सभा क्षेत्र में कई मजदूरों की कंपनीयों के अन्दर मौत हो चुकी है। युवा अवस्था में 20 से 30 वर्ष की आयु के जवान लड़के की कम्पनी के अन्दर मृत्यु पर भी ना तो उसके परिजन को किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया

और ना ही काम दिया गया। और ना ही सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सहायता दी गयी।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्रदेश भर में संचालित निजी कम्पनियों एवं फैक्ट्रीयों में श्रमिक विरोधी नीतियों के लिए तत्काल एक्शन लेकर उनमें कार्य कर रहे श्रमिकों को राहत प्रदान कराएं।

श्रीमती शकुन्तला रावत

(बानसूर)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 37- कृषि पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

1. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में गत वर्ष खरीफ फसल के खराबे में बाकी बचे किसानों को मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

2. विधान सभा क्षेत्र महवा में बीज विधायन केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र महवा में स्टेट वेयर हाऊस खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र महवा में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत चामू मुख्यालय पर गौण कृषि मण्डी यार्ड एवं समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), जोधपुर द्वारा नवीन सड़कों का निर्माण एवं सड़कों का नवीनीकरण के प्रस्तावों को स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. जोधपुर जिले में बेमौसम की बारिश व ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा एवं कृषि विद्युत बिल माफ कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
8. प्रदेश में आवारा पशु एवं रोजड़ों से फसलों को बचाने के लिए किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलम्बूर):

9. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में किसानों को कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कृषि ऋण लेने वाले किसानों के बीमा योजना के अन्तर्गत फसल खराबे से प्राप्त राशि का नगद भुगतान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कृषि यंत्रों की खरीद में मिलने वाली सब्सिडी का भुगतान समय पर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में समय-समय पर पंचायत समिति मुख्यालय पर किसान मेलों का आयोजन कर, कृषि बीमा एवं कृषि कार्यों की जानकारी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

13. विधान सभा क्षेत्र वैर के किसानों को कृषि प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र वैर में फूड प्रोसेसिंग अनुसंधान केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

15. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. चुरू जिले को बूंद-बूंद सिंचाई एवं मिनी स्प्रिंक्लर योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. चुरू जिले को ग्रीन हाउस शेडनेट हेतु चयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. चुरू को मरूस्थलीय क्षेत्र में वर्षा आधारित जैविक खेती हेतु विशेष योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

19. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जीरा मंडी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. कृषि मंडी बाड़मेर में व्यापारियों एवं किसानों की सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानूसर):

21. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में नया कृषि भवन बनवाने एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में किसानों को समय पर बीज एवं खाद उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

23. विधान सभा क्षेत्र मावली में विभाग के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र मावली में मानसून पूर्व ही यथा समय किसानों को बीज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र मावली में किसान सेवा केन्द्रों से वंचित पंचायतों के भवन निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र मावली में कृषि मण्डी से नवीन सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र मावली में नीलगाय से किसानों की फसल को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

28. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में ग्राम पंचायत लीली में कृषि भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में ग्राम पंचायत भडकोक में कृषि भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम पंचायत हाजीपुर में कृषि भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

31. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कृषि मण्डी की चारदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

32. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में रिक्त कृषि पर्यवेक्षकों के पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के बड़गांव ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सब्जी मण्डी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के किसानों को आधुनिक तकनीकी कृषि प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में समय पर किसानों को बीज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैतान सिंह (पोकरण):

36. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में राजमथाई एवं पोकरण में गौण कृषि मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

37. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कृषि विभाग में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू):

38. बारां जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

39. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्रामों में कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय खोलने एवं सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय खेतड़ी में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि उपज मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि विज्ञान केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला):

44. प्रदेश के किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

45. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कृषि महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास):

46. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के किसानों को सही समय पर खाद्य एवं बीज उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

47. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सोलर पम्पों के अनुदान में की गई कटौती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के किसानों को फार्म पोण्डो के टार्गेट बढ़ाने एवं प्रक्रिया में सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

49. प्रदेश में कृषि विभाग में रिक्त समस्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. सीकर जिले में नई प्याज मंडी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर):

51. विधान सभा क्षेत्र नगर में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

52. गंगापुर सिटी में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

53. विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला जोधपुर में कृषि पर्यवेक्षकों एवं अन्य अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने व सहायक कृषि (विस्तार) कार्यालय लूणी में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) व कृषि उपज मण्डी समिति (फल-सब्जी) जोधपुर के काश्तकारों को आने-जाने के लिए सड़कों के निर्माण व रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र लूणी के परिक्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों में अनाज भण्डारण केन्द्र बनाने व काश्तकारों को उचित मूल्य दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य करते समय किसी काश्तकार की मृत्यु होने या दुर्घटना होने पर उसके द्वारा या उसके परिजनों द्वारा निर्धारित समयावधि में वाजिब कारणों से क्लेम प्रस्तुत नहीं करने पर उसे समयावधि के तकनीकी आधार पर रिजेक्ट नहीं करने व आवेदन हेतु मांगने पर वाजिब कारण होने पर, समय अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. मण्डी समिति के प्रांगण में स्थित दुकानें/भूखण्ड का आबंटन जो आरक्षण के आधार पर आरक्षित श्रेणी वाले व्यक्तियों को हुआ है, का हस्तानान्तरण या लीज, लाइसेन्सडीड सीधे ही नियमों के विपरीत व्यापारियों के पक्ष में निष्पादित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

58. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के किसानों को मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के गांव 21/23 एन.पी.(ठण्डी) में लगे खजूर के पौधों की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. राजस्थान में खजूर के पौधे किसानों को देने से पहले पी.ओ.पी. नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. बीकानेर जिले के खारा में लगाये गये खजूर के पौधों पर खर्च की गई राशि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. प्रदेश में लगाये गये खजूर के पौधों की जांच कृषि विश्वविद्यालय से कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

63. जिला मुख्यालय डूंगरपुर में राजकीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल):

64. विधान सभा क्षेत्र घाटोल (बांसवाड़ा) में मक्का, गेहूं व चने के बीज किसानों को समय पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में यूरिया व डी.ए.पी. खाद किसानों को फसल बुआई से पहले देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

66. राज्य में किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. झुंझुनूं जिले में बागवानी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (निम्बाहेड़ा):

68. कृषि उपज मण्डी निम्बाहेड़ा में किसानों की उपज को शीघ्र एवं सही तोल के लिए धर्म कांटा लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. कृषि उपज मण्डी छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में किसानों की उपज विक्रय के लिए पर्याप्त कवर्ड नीलामी चबुतरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. कृषि उपज मण्डी निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ को 'अ' श्रेणी मण्डी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. कृषि उपज मण्डी निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ को मक्का की विशिष्ट मण्डी घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):

72. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के डिग्गी-नुक्कड़ में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

73. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नई सड़कों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैतान सिंह (पोकरण):

75. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने एवं कृषि उप जिला कार्यालय पोकरण में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

76. विधान सभा क्षेत्र सोजत में विश्वस्तरीय मेहन्दी को कैमिकल्स युक्त करने पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा):

77. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. राज्य के कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. राज्य के कृषकों को उनकी उपज का मूल्य अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित कर दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं):

80. प्रदेश में किसानों को सौलर ऊर्जा का अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

81. प्रदेश में कृषि उपकरणों-ड्रीलमशीन, सोइलमशीन, पाइप लाइन एवं ड्रीप पाईप पर अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. कृषि पैदावार में कैमिकल व यूरिया खाद का उपयोग कम करके गोबर खाद का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):

83. प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को कृषि जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित करने एवं कृषि को उद्योग का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सरसों के लिए विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ व अलवर जिले में कृषि सेवा केन्द्र व उप सेवा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कालेज आफ डेयरी साइन्स एंड फूड टेक्नोलोजी कालेज अंडर एस.के.एन. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर की शाखा ग्राम भीटेड़ा में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

87. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में कृषि अनुसंधान केन्द्र नौगांवा को कृषि महाविद्यालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

88. प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहन हेतु बजट वर्ष 2016-17 में सिवाना क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. प्रदेश में कृषकों को जल होज निर्माण करवाने पर दी जाने वाली अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के किसानों का बैंक ऋण माफ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. किसानों की फसलों की बीमा प्रीमियम राशि को किसानों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर):

93. जालौर के केशवना में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

94. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में नवीन कृषि उपज मण्डी की स्थापना हेतु 200 हैक्टेयर भूमि आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में राजकीय कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. राजस्थान प्रदेश में किसानों की जिन्सों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में मिट्टी (मृदा) परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

99. जोधपुर कायलाना झील के पास झोल एवं फिल्टर हाऊस स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में फसलों के खराबे का मुआवजा शीघ्र देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद):

101. रसीदपुरा प्याज मण्डी (धोद) को फतेहपुर मण्डी से हटाकर सीकर मण्डी के अधीन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. प्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. प्रदेश में प्याज भण्डारणगृह निर्माण की प्रक्रिया सरल करने एवं अनुदान को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

104. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किसानों को सुगम एवं सुलभ कृषि कार्यों में सहायतार्थ एक नवीन मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. प्रदेश में कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत व्यापारियों एवं किसानों को कृषि प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रोत्साहन योजना 2010 आरआईपीएस में भूखंडों का आबंटन रीको द्वारा निर्धारित दर के समान ही कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. प्रदेश में किसानों को कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पम्प परियोजनाओं के अनुदान में 26 प्रतिशत कटौती किये जाने से उत्पन्न हुए रोष पर चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

107. उदयपुरवाटी में स्थित राजकीय कृषि फार्म बास बिसना (भाटीवाड़) में उपलब्ध भूमि पर किसानों को प्रशिक्षित करने हेतु अनुसंधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. प्रदेश में किसानों को जैविक खेती व वाणिज्यक फसलें उगाने एवं प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर):

109. प्रदेश में सरसों उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी अलवर जिला को सरसों उत्पादन की नवीन तकनीकी एवं उन्नत किस्म के बीज आदि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. अलवर में अधूरी पड़ी प्याज मण्डी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):

111. प्रदेश में अच्छे खाद एवं बीज का वितरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

112. प्रदेश के किसानों को सोलर पम्प लगाने हेतु अनुदान राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा):

113. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के उपखंड-कोटड़ा में गौण कृषि उपज मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

115. राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. राज्य में शुष्क खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

117. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में चिल पल्ली मोड़ के आस-पास कृषि सब्जी मण्डी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. किसानों की कृषि उपज को बढ़ाने के लिए सस्ती दर पर प्रमाणित बीज एवं खाद उचित मात्रा में उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तार फैन्सिंग हेतु 0 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

120. किसानों को कृषि कार्य हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के मार्फत आवश्यकतानुसार पर्याप्त ऋण दिलवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

121. किसानों का उत्थान करने हेतु कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक (हिण्डौली):

122. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की कृषि उपज मण्डी हिण्डौली में उपज खरीद चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में उन्नत बीज निर्माण केन्द्र की स्थापना हिण्डौली में करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

124. कृषि उपज मण्डी परिसर में सोडियम लाइट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गुल्ताना से कोलाना सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. बांदीकुई कृषि उपज मण्डी की चारदीवारी व पल्लेदार विश्रामगृह बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़):

127. कृषि यंत्रों (कृषि के लिये) की सब्सिडी बढ़ाने एवं सब्सिडी का समय पर भुगतान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. प्रदेश में कृषि फसल बीज वितरण केन्द्र सरकार द्वारा प्रमाणीकरण कर ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को उचित मूल्य पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

129. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में बाप एवं फलौदी में भूमि/जल/बीज के उपचार हेतु जांच केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. फलौदी एवं बाप पंचायत समितियों में कृषि की नवीन जानकारी देने हेतु विभाग द्वारा संगोष्ठी/सेमीनार/रात्रि चौपाल के आयोजन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. उपखण्ड मुख्यालय फलौदी में उपनिदेशक कृषि कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

132. प्रदेश में कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

133. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में आलू और टमाटर की बम्पर पैदावार को देखते हुए अनुदानित कोल्ड स्टोरेज के निर्माण एवं उचित विपणन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. कृषि क्रय-विक्रय सहकारी समिति रेवदर मुख्यालय पर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. जिला सिरोही में नील गाय व अन्य जंगली जानवरों से फसल की रक्षार्थ खेतों की तारबन्दी के लिए किसानों को अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

136. जैसलमेर जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. प्रदेश के रेगिस्तानी क्षेत्र को डार्क जोन से हटा कर जैसलमेर जिले को कृषि कनेक्शन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. जैसलमेर में वर्षाजल हेतु डिग्गी बनाकर खेतों में पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

139. जैसलमेर में बूंद-बूंद व फव्वारा पद्धति को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

140. कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से गांवों में सीसी रोड़ किसान पथ के साथ-साथ डामर रोड़ स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. गौण मण्डी यार्ड खातौली की भूमि को राजस्व रेकार्ड में कृषि उपज मण्डी समिति इटावा के नाम दर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की "अ श्रेणी" कृषि उपज मण्डी समिति में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. कृषक लाभकारी योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर):

144. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में फ्लोरिकल्चर एक्सीलैंस सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में अमरूदों के प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी):

146. प्रदेश में प्रत्येक ग्राम स्तर पर अनाज भण्डारण केन्द्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. प्रदेश में अग्नि पीड़ित परिवार को भी किसान कल्याण कोष के दायरे में लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में जनजाति क्षेत्र में छोटी जोत को ध्यान में रखते हुए ड्रिप एवं फव्वारा पद्धति से सिंचाई को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र चौरासी जनजाति क्षेत्र में ओलों एवं अतिवृष्टि के कारण किसानों के ऋण माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र चौरासी जनजाति क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु सिंगल फेज कनेक्शन की छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

151. प्रदेश में किसानों को लाभ देने वाली योजनाओं की जानकारी किसान के घर तक पहुंचाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

152. प्रदेश में किसानों को बीज समय पर वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड पर बीमा स्वैच्छिक करने एवं अनुदान किसान के खाते में जमा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

155. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में हुई ओलावृष्टि का सर्वे (जांच) करवा कर राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

156. कृषि मण्डी, बड़ी सादड़ी के लिए किसानों के द्वारा उपज लाने हेतु रोड़ स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

157. प्रदेश में डिग्गियों एवं फव्वारों बूंद-बूंद सिंचाई परियोजना पर सब्सिडी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. सूरतगढ़ में नया जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. प्रदेश में फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. सूरतगढ़ क्षेत्र में बागवानी एवं सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा):

161. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में जनजाति क्षेत्र में सरकार द्वारा बीज वितरण के मिनी किट्स प्रत्येक परिवार को उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में जनजाति क्षेत्रों में काश्तकारों को उचित अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में जनजाति क्षेत्र में जनजाति कृषकों को फसल बीमा योजना का अतिरिक्त लाभ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. जिला बांसवाड़ा में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

166. उपखण्ड मुख्यालय बायतू में कृषि मंडी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. बाड़मेर व जैसलमेर के प्रत्येक किसान को 5-5 खजूर के पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. बाड़मेर-जैसलमेर जिले के किसानों को व्यावसायिक खेती के लिए बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा की अनुदान राशि को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

170. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर कृषि मण्डी जो विधिवत संचालित नहीं हो रही है एवं सभी दुकानों का नये सिरे से आबंटन कर पुनः चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की पंचायत समिति मुख्यालय बिछीवाड़ा में कृषि मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. डूंगरपुर जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा की ग्राम पंचायत मोदर, बिलपण, मालामाथा, चुण्डावाड़ा एवं जालुकुआ में नमसा योजना लागू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़):

174. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

175. वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा कृषकों की आमदनी छः साल में दुगुना किये जाने की घोषणा के अनुसार राजस्थान के कृषि विभाग में विनियोजन में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. राजस्थान में ग्वार, मोठ, बाजरा व अन्य मोटे अनाजों के भावों की एमएसपी निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

177. टोंक जिले के कृषकों हेतु अनुदान पर कुट्टी की मशीनें आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद):

178. प्रदेश में कृषि मेडीसीन प्लांट लगाने पर अनुदान राशि बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई):

179. विधान सभा क्षेत्र निवाई में उपखण्ड मुख्यालय निवाई में सहायक निदेशक कृषि का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

180. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में नई सब्जी मण्डी यार्ड (टर्मिल सेन्टर) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

181. कृषि विभाग द्वारा ड्रिप सिंचाई, स्प्रिकलर योजना, ग्रीन शेड, कृषि संयंत्र एवं अन्य योजनाओं में देय अनुदान को पुन: बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

182. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राजस्थान में संचालित योजनाओं का लाभ बीकानेर में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. प्रदेश के किसानों को विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में विभाग के सभी कर्मचारियों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के किसानों को बीज व मिनी किट वितरण में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

186. बीकानेर जिले के किसानों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि में कटौती करने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

187. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के किसानों को एस.टी. कोटे की तर्ज पर कृषि कनेक्शन दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में किसानों के कृषि सम्बन्धी फसली ऋण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में किसानों को मौसमी बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में जंगली जानवरों से होने वाली फसल के खराबे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़):

191. कृषि मण्डी माण्डलगढ़ में संतरा के कोल्ड स्टोरेज लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में कृषि मण्डी के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

193. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के किसानों की फार्म पोण्ड लम्बित पत्रावलियों के निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई):

194. विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू उपखण्ड मुख्यालय पर कृषि गौण मण्डी खुलवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया):

195. प्रदेश में नकली बीज व कीटनाशक विक्रेताओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

196. प्रदेश में होद निर्माण पर 60000 से घटा कर 10000 अनुदान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

197. प्रदेश में होद निर्माण पर फुआरा एवं ड्रिप एरिगिशन कि अनिवार्यता समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. प्रदेश के किसानों को दी जाने वाली बैटरी चलित स्प्रे मशीन की कीमत में व बाजार दर में अत्यधिक अंतर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

199. प्रदेश में कृषि योजना में अनुदान कम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

200. प्रदेश में बी.टी. कपास के बीज की गुणवत्ता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल):

201. कृषि उपज मण्डी अनाज/फल जयपुर में पदस्थापित कर्मचारियों के

अधिक समय से एक ही स्थान पर ठहराव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा):

202. प्रदेश के किसानों को कुट्टी मशीन पर अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

203. प्रदेश में किसानों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प लगाकर विभिन्न फसलों के ब्रीडर, फाउण्डेशन, सर्टीफाइड आदि बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र भादरा के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

205. प्रदेश में किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु डिग्गियों के निर्माण में सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. प्रदेश में किसानों को अपने खेतों की आवारा पशुओं से रखवाली के लिए खेतों के चारों तरफ कांटेदार तारों की बाड़बन्दी हेतु अनुदान दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):

207. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में स्थित कृषि मण्डी को चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

208. कृषि उपज मण्डी अनाज जयपुर में पदस्थापित कर्मचारियों को बार-बार प्रतिनियुक्ति पर लगाने एवं चुनाव नहीं होने पर भी अधिक समय तक के लिए चुनाव कार्य एवं बी.एल.ओ. पर लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

209. केन्द्र सरकार द्वारा कृषि के सम्बन्ध में बनाई गई समितियों की सिफारिशों को प्रदेश में लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. श्रीमाधोपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. प्रदेश में कृषि उपज मण्डी अनाज में पदस्थापित कर्मचारियों को अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर लगाने से कृषि उपज मण्डी के कार्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

212. कृषि को उद्योग का दर्जा दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में कृषि महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

214. प्रदेश के किसानों को सस्ती दर पर बीज एवं खाद उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर):

215. श्रीगंगानगर शहर में कृषि विश्वविद्यालय प्रांरभ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

216. श्रीगंगानगर में किन्नू वैक्सिंग एवं प्रोसेसिंग प्लान्ट प्रारंभ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

217. श्रीगंगानगर के कृषकों की मृदा जांच के पश्चात् जारी सायल हेल्थ कार्ड का दायरा बढ़ाते हुए राशनिंग प्रणाली की तर्ज पर मृदा की प्रकृति के अनुसार उगाई जाने वाली फसल हेतु नि:शुल्क बीज एवं खाद उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

218. श्रीगंगानगर के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक (यूरिया व डीएपी) उपलब्ध करवाने हेतु किसान सेवा केन्द्रों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर बिक्री करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर):

219. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

220. जीएम सीड एवं परम्परागत बीजों के प्रोत्साहन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

221. प्रदेश में जैविक खेती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

222. प्रदेश में किसानों को देय सब्सिडी एवं फसल बीमा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

223. हनुमानगढ़ जिला केन्द्र पर कृषि विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

224. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पिछले दिनों हुई प्राकृतिक आपदा (ओलावृष्टि) से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र विरानगर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नाम की भूमि का कृषि उद्योगों की भूमि का किस्म परिवर्तन होकर सामान्य श्रेणी के नाम सस्ती दरों पर करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

226. राज्य के किसानों को दीर्घावधि व लघु अवधि के फसली ऋण पर वसूल की जा रही ब्याज की दर कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कृषि कनेक्शनों के डिमाण्ड नोटिस जमा करवाने के पश्चात् भी कनेक्शन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

229. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में सिंगल फेस मोटर पर लगने वाले पाइप पर सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. उदयपुर जिले में नीलगाय, सुअर एवं अन्य जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में बीपीएल परिवारों को कृषि में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

232. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में बीपीएल किसानों को सौर ऊर्जा का कनेक्शन देकर उनकी माली हालत सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पर्याप्त कर्मचारी नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

234. कृषि उपज मण्डी समिति कोटा (अनाज) से इलेक्ट्रोनिक धर्मकांटा लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. कोटा सम्भाग में लहसुन की बढ़ती पैदावार को देखते हुए फल सब्जी कोटा के साथ-साथ कृषि उपज मण्डी समिति 'अ' श्रेणी (अनाज) के किसानों को लहसुन बेचने हेतु स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के दिगोद उपखण्ड मुख्यालय में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

237. कृषि उपज मण्डी समिति कोटा (अनाज) में सीसी टीवी कैमरे और हाई मास्क लाईट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. कृषि उपज मण्डी समिति कोटा (अनाज) में दक्षिण की ओर वन विभाग की पथरीली जमीन पर अतिरिक्त मण्डी यार्ड विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

239. नागौरी पान मैथी को कृषि मण्डी के जिन्स में शामिल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

240. विधान सभा क्षेत्र खींवसर तथा नागौर में फल उत्पादन हेतु ब्याज मुक्त ऋण दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. विधान सभा क्षेत्र खींवसर तथा नागौर के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किसान भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

242. प्रदेश में उत्पादन आधारित फसल बीमा योजना प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. प्रदेश में पाली हाऊस, बूंद-बूंद सिंचाई एवं सोलर पम्पों पर अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

1. विधान सभा क्षेत्र सांचौर के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री तरूण राय कागा (चौहटन):

2. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओमप्रकाश (महुवा):

3. विधान सभा क्षेत्र महुवा में ग्राम पाखर, रौतहडिया एवं धोलखेड़ा में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र महुवा में ग्राम बालाहेड़ा एवं बालेहेड़ी में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

5. सुराज संकल्प यात्रा की घोषणानुसार गौवंश को राज्य धरोहर घोषित करने एवं प्रत्येक सम्भाग स्तर पर एक गौशाला को गौ-अभ्यारण्य के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नीवन पशु उप केन्द्र खोलने, पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पंजीकृत गौशालाओं को समय पर अनुदान व सुविधाएं देने एवं पशु चिकित्सा केन्द्रों पर दवाईयां व चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक सहायक, पशु धन सहायक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9; विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पशुपालकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

10. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सेमारी, सराड़ा झल्लारा में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में रिक्त पशु चिकित्सकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ग्रामीणों को पशु खरीद पर कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

14. विधान सभा क्षेत्र वैर में पशुपालकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम-मौलोनी एवं वरखेड़ा में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

16. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में रिक्त पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के वंचित गांवों में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर):

18. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुंजीलाल (बामनवास):

19. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के पंचायत मुख्यालय-मीणा कालेता एवं वैराडा, कुशलपुरा, बागरोली, बौंली में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

20. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम पंचायत मुदराला गाला जूना पत्थरासर, बान्दरा एवं बलाउ में पशु उप केन्द्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

21. विधान सभा क्षेत्र भीम में प्रत्येक वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने तथा पशु धन सहायकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

22. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पशु चिकित्सक के खाली पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमा भाई (कुलशगढ़):

23. कुशलगढ़ क्षेत्र के वंचित क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानूसर):

24. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पशु चिकित्सा शिविर लगाने एवं पशु उप केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

25. ब्यावर ग्रामीण क्षेत्र में बरावन, किशनपुरा, बन्जारी, बाघमाल एवं सुरडिया में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

26. विधान सभा क्षेत्र मावली में पशु चिकित्सालय भवनों की मरम्मत कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र मावली में संचालित पशु उप केन्द्र/पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र मावली में पशु चिकित्सकों के लम्बे समय से रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

29. ग्राम पंचायत भजीट पंचायत समिति रामगढ़ जिला अलवर में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

30. ग्राम पंचायत ढ़ाकपुरी पंचायत समिति उमरैण में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

31. ग्राम बडेर पंचायत समिति उमरैण में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

32. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के पशु चिकित्सालयों व उप केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारी, कम्पाउण्डर आदि के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा में पशु चिकित्सा एम्बुलेन्स उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा में भवन रहित पशु चिकित्सा केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला):

35. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में पशुओं की चिकित्सा के लिये चल पशु चिकित्सा इकाई की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली):

36. विधान सभा क्षेत्र करौली की ग्राम पंचायत-गुडला में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास):

37. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में पशु चिकित्सा उप केन्द्र मुसाखेड़ा, रातां खुर्द, नांगल सालिया व लगड़बास को राजकीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम मीरका, खानपुर मेवान, अहीर बासना, सिवाना, तिगांवा, जिलौती, पाटन अहीर, तरवाला, जटियाना, मतलवास, आकोली खानपुर अहीर, कोलगांव, मोठूका, बृसगपुर व माछरौली में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

39. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम-ल्हावद, केमरी, नांगल, लपावली, निसूरा में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

40. सीकर जिले में नये पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने एवं रिक्त समस्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर):

41. विधान सभा क्षेत्र नगर में ग्राम पंचायतों में नये पशु चिकित्सालय/ पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

42. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के पशु औषधालय के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

43. ग्राम पंचायत पारडा सरोध सणवाडा एवं सामिलया सागवाड़ा में नवीन पशु उप केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

44. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में डेयरी प्लांट की खाली पड़ी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. गंगापुर स्थित बंद पड़ी डेयरी को देवनारायण योजना से जोड़कर चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

46. विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्राम जानादेसर, कांकाणी, नन्दवान, रोहिचा खुर्द, तनावड़ा, शिकारपुरा, खाराबेरा पुरोहितान, लूणावास कलां, शुभदण्ड, कालीजाल, चिचड़ली, बड़लिया, रोहिला कलां में नवीन पशु उप केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र लूणी के पशु उप केन्द्र गुड़ा विश्नोईयान व सालावास, लूणावास खारा, बोरानाडा को पशु चिकित्सालय में एवं पशु चिकित्सालय पाल व दुन्दाड़ा को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. पशु चिकित्सालय चौखा, जिला जोधपुर को क्रमोन्नत करने व आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र लूणी में विभिन्न पशु उप केन्द्रों, पशु चिकित्सालय व पशु औषधालयों में रिक्त पदों पर डाक्टरों व अन्य नर्सिगं स्टाफ की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र लूणी में कार्यरत भवन विहीन पशु उप केन्द्रों, पशु चिकित्सालयों के लिये भूमि आबंटित करवा कर भवन निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा):

51. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में मौनी बाबा गौशाला में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

52. रायसिंहनगर क्षेत्र में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल):

53. विधान सभा क्षेत्र घाटोल व जिला बांसवाड़ा में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

54. विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनू में स्थित पशु चिकित्सालय एवं पशु उप केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (निम्बाहेड़ा):

55. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. पंचायत समिति छोटी सादड़ी जिला-प्रतापगढ़ में पशु चिकित्सा विभाग की मोबाइल यूनिट के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. राजकीय पशु चिकित्सालय-कनेरा, बाड़ी एवं विनोता, पंचायत समिति-निम्बाहेड़ा को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय निम्बाहेड़ा को पॉली क्लिनीक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):

59. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में नया पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

60. विधान सभा क्षेत्र दौसा में धर्मपुरा, भाकरी एवं बड़ागांव, चावन्डेडा ग्राम पंचायत में नये पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

61. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की ग्राम पंचायत कादेड़ा, पीपला, तामड़िया, आकोडिया एवं तीतरिया में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के पशु चिकित्सालय उप केन्द्र कौथून को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

63. कोटपूतली के ग्राम जगदीशपुरा टोडी के पास बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

64. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम खारीया नीव, राजोला, धुरासवी, हाजिवास, मण्डला में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा):

65. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में पशु नस्ल सुधार हेतु विशेष कार्यक्रम का संचालन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में नवीन पशु उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

67. विधान सभा क्षेत्र कपासन में बेसहारा गायों के लिये गौशालाओं का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र कपासन में पशु चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों पर पदस्थापन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):

69. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में बहरोड़ पशु चिकित्सालय में प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के सभी पशु चिकित्सालयों में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पशुओं के बीमारी की रोकथाम के लिए मोबाइल यूनिट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उप पशु चिकित्सालय कारोड़ा व हमिदपुर को क्रमोन्नत एवं नगंली बलाहीर, हूडिया खुर्द, मांचल, रायसिंहपुरा, दहमी, महलावास, कांकर दोपा, खोहर, रोड़वाल, भीटेड़ा एवं काठूवास में उप पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में दहमी एवं रेवाड़ा गौशाला में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

74. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में सभी ग्राम पंचायत केन्द्रों पर पशु उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

75. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पशु चल इकाई हेतु वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नये पशु उप केन्द्र खोलने, संचालित उप केन्द्रों को क्रमोन्नत करने एवं रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में संचालित पशु उप केन्द्रों के भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की गुलाब एवं गुरू मंछ गौशाला में कांकरेज नस्ल की गायों के संवर्धन एवं संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. बाड़मेर डेयरी दुग्ध संकलन क्षेत्र को सिवाना के सभी गांवों तक किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर):

80. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्राम पंचायत जाटोली रथवान में पशु चिकित्सालय एवं सुनारी, बहनेरा अन्य ग्रामों में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

81. जिला मुख्यालय भरतपुर पर पशु चिकित्सा केन्द्र में रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

82. भरतपुर जिले में पशु चिकित्सा केन्द्र के लिए पशु एम्बूलेंस उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर):

83. विधान सभा क्षेत्र जालौर के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमंडी):

84. प्रदेश में स्थित गौशालाओं को पर्याप्त अनुदान देकर गौ संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्वीकृत प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं मुख्य मंत्री चल आरोग्य इकाई रामगंजमण्डी के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित पशु चिकित्सालय एवं उप पशु चिकित्सालय केन्द्रों पर भवन सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में मोबाइल पशु चिकित्सालय में कर्मचारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. प्रदेश में पशुओं के क्रय-विक्रय स्थल पर लाने-ले जाने हेतु एवं उनके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

89. जोधपुर के मधुबन में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (धोद):

90. ग्रा.पं. मोरड़ूंगा (धोद) में उप पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र धोद में पशु उप चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. मंजू बाघमार (जायल):

92. विधान सभा क्षेत्र जायल में स्थित पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखाराम (मेड़ता):

93. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में मोरेरा ग्राम में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में स्थित पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद की पूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

95. किशनगढ़ उप खण्ड मुख्यालय के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित बजरंग कॉलोनी में नवीन पशु उप केन्द्र चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) की 40 ग्राम पंचायतों में 'प्रथम' श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. प्रदेश में प्रचलित गौवंशीय अधिनियमों में राज्य के बाहर ले जाने वाले बछड़ों एवं साण्डों की उम्र 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. प्रदेश में पशु चिकित्सा संसाधनों में सभी संवर्गों के लम्बे समय से चल रहे रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय खातौली, पाटन, नलू, काढ़ा, गोठियाना, सान्दोलिया, देवपुरी डबरेला में नवीन पशु उप केन्द्र खोलने एवं झिरोता, ढ़सूक, टिकावडा स्थित उप केन्द्रों/औषधालयों को पशु चिकित्सालय में तथा सलेमाबाद छोटालांबा स्थित पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखाराम (मेड़ता):

100. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के रेण में पशु चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

101. ग्राम पंचायत किशनपुरा तहसील रानी में उप पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. ग्राम पंचायत पनोता तहसील देसूरी में उप पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. ग्राम मुसालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन पंचायत मुख्यालय पर पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

104. ग्राम पपाड़ा व सीथल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित उप केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. ग्राम पंचायत मुख्यालय गुढा बावनी, ढ़ाणियां भोड़की एवं केरोट में नये पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर):

106. प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं को प्रति गौवंश अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):

107. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पशु चिकित्सालय विहीन ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोलने एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

108. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में पशु चिकित्सालय में एक्सरे मशीन एवं अन्य शल्य चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा):

110. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति मुख्यालय सायरा स्थित पशु चिकित्सालय के नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पशु सहायक एवं पशु चिकित्सक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

112. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित उप स्वास्थ्य पशु केन्द्रों को प्राथमिक पशु स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पशु पालकों को उन्नत नस्ल के पशु खरीदने हेतु सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पशु चिकित्सा योजना के अन्तर्गत पर्याप्त मात्र में नि:शुल्क पशु दवाईयां उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में प्राकृतिक आपदा/आगजनी/बिजली के करंट से पशुओं की मृत्यु होने पर पशु पालकों को पशुओं की पूरी कीमत का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

116. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की ग्राम पंचायत गादरवाड़ा गुजरान में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

117. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई नवी ग्राम पंचायत खेड़ी व सोडाला में पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

118. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के ग्राम करमीसर में पशु चिकित्सालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

119. बीकानेर के गोगागेट एवं अन्य पशु चिकित्सालय में पशु एम्बुलेंस ड्राइवर सहित उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़):

120. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के गांवों में पशु चिकित्सक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

121. विधान सभा क्षेत्र फलौदी की नवगठित ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

122. फलौदी में उप निदेशक पशु पालन कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

123. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सभी पशु उप केन्द्रों को क्रमोन्नत कर पशु चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

124. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की राजकीय पशु चिकित्सा इकाईयों में वरिष्ठ चिकित्सकों, चिकित्सकों, पशुधन सहायकों, पशुधन परिचरों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. जिला सिरोही के लघु सीमान्त काश्तकारों को पालतू दुधारू पशुओं के लिए अनुदानित चारा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

126. जैसलमेर जिले में पशु दुग्ध डेयरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

127. जैसलमेर जिले के पंचायत मुख्यालय में पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. जैसलमेर जिले में नर पशु (बैलों) के चारागाह शिविर खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. जैसलमेर क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

130. जैसलमेर जिले में गायों के लिए आधा बीघा गोचर की जगह 2 बीघा गोचर भूमि घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाईमाधोपुर):

131. विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में पशु उप केन्द्र मलारना चौड़ और पशु उप केन्द्र चकेरी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी):

132. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. राज्य सरकार द्वारा पशु बीमा योजना को लागू करने में कोताही बरतने एवं योजना हेतु बजट आबंटन में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पशुओं की गणना कर पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

135. राज्य की पंजीकृत गौशालाओं को प्रतिवर्ष 6 माह का अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. जनजाति क्षेत्र में विभिन्न पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल):

137. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में वार्ड 90 जयसिंहपुरा खोर में पशु पालकों की अधिकता को मध्य नजर रखते हुये पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

138. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में हो रही गौ तस्करी एवं गौ कशी की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. प्रदेश की सभी गौशालाओं में अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. प्रदेश में नीलगाय की हत्या को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गौतम कुमार (बडी सादड़ी):

141. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पशु चिकित्सा विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

142. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में पशु स्वास्थ्य केन्द्रों एवं पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टर्स मय स्टाफ की नियुक्तियां करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

143. कोटा जिले में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरने एवं भवन विहीन पशु चिकित्सा केन्द्रों के भवन निर्माण तथा विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा

में नये पशु चिकित्सालय एवं पशु उप केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. कोटा जिले में मुख्य मंत्री पशु नि:शुल्क दवा योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

145. पी.सी.पी.एण्ड टी. एक्ट के तहत कोटा जिले में पशुओं की सोनोग्राफी के लिये लगाई गई मशीन को रिलीज कराने एवं इसके उपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

146. पशुओं की नस्ल सुधार हेतु चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं इसके लिये कोटा जिले में वर्ष 2015-16 में लगाये गये शिविरों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

147. कोटा जिले में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

148. विधान सभा क्षेत्र बायतू के प्राथमिक पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र बायतू में 10 नये पशु उप केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. प्रदेश में पशु पालकों को प्रति पशु अनुदान राशि सीधे बैंक खातों में जमा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. पंचायत समिति मुख्यालय पाटोदी में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

152. प्रदेश में गौ पशु पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान राशि प्रदान करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

153. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित दूध डेयरी को पुन: प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. जनजाति उप योजना क्षेत्र के आदिवासियों को दुधारू पशु खरीदने हेतु अनुदान उपलब्ध कराने तथा पशुओं का बीमा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की ग्राम पंचायत मुख्यालय माथुगामडा खास माला माथा, बिलपन, जैलाणा, ओडाबडा में पशु उप चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित पशु चिकित्सालय को शहर के बाहर स्थानान्तरित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में स्थित पशु चिकित्सा उप केन्द्र मेवाड़ा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमा भाई (कुलशगढ़):

158. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में समस्त ग्राम पंचायतों में पशु उप केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

159. वेटेनरी यूनिवर्सिटी, बीकानेर द्वारा जो "12 वेटेनरी यूनिवर्सिटी एण्ड रिसर्च सेन्टर" 12 जिलों में खोले गये है। उसके बाकी शेष 15 जिलों में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. लूणकरणसर में "वेटेनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर" जो वेटेनरी विश्वविद्यालय द्वारा खोला गया है। उसके संचालन हेतु 11 पद सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

161. विधान सभा क्षेत्र टोंक में कॉल सेन्टर आधारित पशु चिकित्सा सेवाऐं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद):

162. प्रदेश में पशु पालन हेतु देशी गाय पर अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र आसींद में पशु पालन को बढ़ावा देने हेतु विशेष चल चिकित्सा दल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र आसींद में प्रत्येक पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई):

165. विधान सभा क्षेत्र निवाई में तहसील पीपलू के नानेर पशु उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम बहड़, पहाड़ी, अरनिया, सुनारी में पशु उप केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

167. ग्राम पंचायत बरोदा में पंचायत मुख्यायल के स्थान पर पशु सब सेन्टर ग्राम में कर दिया है को पुन: पंचायत मुख्यालय बरोदा में स्थानान्तरित करने अथवा बरोदा में नवीन पशु सब सेन्टर स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

168. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में भवन विहीन पशु उप केन्द्र व चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. पशु चिकित्सालय पटेल नगर बीकानेर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के ग़डियाला, नगरासर, सियाणा, माण्कासर, दासूडी, खारी चारणान, मिठड़िया, नोखड़ा व गौडू में नवीन पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. बीकानेर जिले के पशु उप केन्द्र पशु चिकित्सालयों में नर्सिंग स्टाफ व चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. बीकानेर जिले की गौशालाओं को वर्ष 2014-15 व 2015-16 का अनुदान नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

173. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की ग्राम पंचायत टिमावा, तेसगांव, टालचारा एवं नांगलाट में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

174. चूरू जिले को सूखा घोषित कर पशुओं के चारे-पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. प्रदेश के पशुओं का नि:शुल्क बीमा किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के सभी पंचायत मुख्यालयों पर पशु उप केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया):

178. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में पशु उप केन्द्र चाहुवाली तहसील टिब्बी में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में पशु उप केन्द्र अमरपुरा जालु तहसील संगरिया को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

180. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में पशु उप केन्द्र सिलवाना खुर्द में स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में पशु उप केन्द्र पीरकामड़िया में पशु उप केन्द्र भवन की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में पशु उप केन्द्र मेहरवाला को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा):

183. प्रदेश में गौशालाओं में गायों को दिए जाने वाला अनुदान बढ़ाए जाने एवं समय पर उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र भादरा के पशु चिकित्सालय भादरा में पशुओं के लिए ऑपरेशन (शल्य चिकित्सा) की समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भवन रहित पशु चिकित्सा उप केन्द्रों में भवन निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र भादरा के विभिन्न पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र भादरा के विभिन्न पशु चिकित्सालयों में (पशु सहायक) V.A. का पद सृजित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

188. विधान सभा क्षेत्र दौसा के ग्राम धर्मपुरा, भांकरी, चावन्डेडा, बड़ागांव में नये पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र दौसा में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र कालोता एवं खानपुरा में नवीन भवन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र दौसा के पशु चिकित्सालय भण्डाना को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

191. पशु औषधालयों बापी एवं बनियाना को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):

192. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में पशु पालकों को सभी प्रकार के पशुओं के लिए ''बीमा योजना'' लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

193. प्रदेश में बढ़ रहे पशु चारा घोटाले की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालय कंचनपुर में पशु चिकित्सालय केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में पशु जनसंख्या के आधार पर पशु चिकित्सा सुवधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. प्रदेश में किसानों की फसल को गायों से बचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गौशाला स्थापित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197. प्रदेश में गौवंशों की हो रही दुर्दशा को रोकने, गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने व उनकी नस्ल सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर):

198. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के गणेशगढ़ में पशु चिकित्सालय की चार दीवारी एवं भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

199. श्रीगंगानगर तहसील में पशु चिकित्सा की सुगमता हेतु पूर्व बजट घोषणा के अनुरूप पशु धन चल आरोग्य इकाई स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

200. श्रीगंगानगर में पशु स्नातकोत्तर महाविद्यायल की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

201. श्रीगंगानगर में उन्नत नस्ल सुधार हेतु कैटल ब्रीडिंग फार्म खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

202. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

203. प्रदेश में गौवंश की सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

204. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के ग्राम पंचायत खोडा, हरडासवाली एवं लखासर में पशु चिकित्सालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पशु चिकित्सालय रखतासर/हनुमानगढ़ के भवन की चार दीवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

206. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं पशु चिकित्सालयों के नवीन भवन बनाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पशु टीकाकरण को महज एक खानापूर्ति करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वेटेनरी कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पशु चिकित्सालय भवनों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु स्वास्थ्य केन्द्र न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

211. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में BPL परिवार को पशु खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पशु पालन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पशु मोबाइल यूनिट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214. प्रदेश में दूध देने वाली गाय, भैंस, बकरी अच्छी नस्ल के बैल एवं ऊट का विभाग द्वारा बीमा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा की पंचायत समिति व ऋषभदेव पंचायत समिति सेमारी में रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

216. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्राम पंचायत खड़िया लोटाहेड़ा, मण्डाप चौमा में नये पशु उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. कोटा सम्भाग के अभावग्रस्त जिलों स्थित अनुदानित गौशालाओं के संचालन हेतु बकाया अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के पशु उप केन्द्र एवं पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. राजकीय पशु धन उप केन्द्र कमोलर, सांगोद को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

220. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के पशु चिकित्सालय सीमल्या की क्षतिग्रस्त चार दीवारी की मरम्मत एवं क्षेत्र के सभी पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

221. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के पाबूसर जनाणा, देशवाल व ग्वालु में पशु उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

222. बलाया, पांचला सिद्धा जिला नागौर में पशु उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

223. पशुओं की वैक्सीन सुरक्षित रखने हेतु नागौर जिले के पशु अस्पतालों में कोल्ड चेन की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

224. नागौर जिले में स्वीकृत पशु उप केन्द्रों एवं पशु चिकित्सालयों का भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

225. नागौर जिले में सभी रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 36-सहकारिता पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री अमृत लाल (सलूम्बर):

1. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सलूम्बर, सराड़ा एवं सेभारी में नये लेम्पस खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सराड़ा, सलूम्बर एवं सेभारी में विभाग के खाद-बीज भण्डार खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. क्रय-विक्रय केन्द्र सराड़ा एवं सलूम्बर में भवन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सराड़ा एवं सलूम्बर में लेम्पस भवनों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सराड़ा एवं सेभारी में बन्द पड़े लेम्पस द्वारा किसानों को ऋण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

6. विधान सभा क्षेत्र वैर में उपभोक्ता संघ की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर):

7. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

8. प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

9. विधान सभा क्षेत्र मावली के प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. विधान सभा क्षेत्र मावली में सहकारी समितियों द्वारा खाद, बीज व ऋण वितरण में की गई अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र मावली में सहकारी समितियों द्वारा किसानों/नये सदस्यों को ऋण न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

12. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में किसानों को फसली ऋण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सहकारी समितियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

14. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के तहसील ब्यावर एवं टाटगढ़ में काश्तकारों को फसल बीमा का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

15. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को पर्याप्त उन्नत बीज, खाद, उर्वरक, दवाईयों के साथ घरेलू सामग्री उचित दाम पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायत पुर की मृत सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

18. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा बबाई ग्राम में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम भवन व मिनी बैंकों को बिजली पानी व टेलीफोन सुविधा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी बबाई के ग्राम में केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला):

22. प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने एवं किसानों को देय ऋण की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

23. विधान सभा क्षेत्र भीम में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में सहकारी बैंक खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

24. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के ग्रामों में सहकारिता विभाग की उचित मूल्य की दुकानें खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. करौली जिले के किसानों को ऋण उपलब्ध कराये जाने में सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. भूमि विकास बैंक हिण्डौन सिटी में कर्मचारियों द्वारा किये गये घोटाले एवं धोखाधड़ी की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

28. विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्राम पंचायत शुभदण्ड में नई ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा पूर्व ऋणी सदस्यों के अतिरिक्त नये सदस्यों को ऋण स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. कस्बा लूणी, जिला जोधपुर में सहकारी बैंक के भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र लूणी में सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने एवं सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

33. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति शेरगढ़ (तहसील मुख्यालय) एवं सेखाला में नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित ग्राम पंचायतों में नवीन सहकारी समितियां सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने के लिए मरूस्थलीय क्षेत्रों में मापदण्डों में शिथिलता प्रदान करते हुए हिस्सा पूंजी राशि 5 लाख के स्थान पर 2.50 लाख एवं सदस्यों की संख्या 500 के स्थान पर 250 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भवन विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत नाथडाऊ में जोधपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की शाखा खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):

38. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के बीज गोदामों की मरम्मत करने एवं भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी):

39. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में जनजाति क्षेत्र में अकाल की भीषण स्थिति को देखते हुए सहकारी समिति के काश्तकारों के ऋण की राशि माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सहकारी समिति के भवनों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में नई सहकारी समिति पोहरी खातुरात, सेण्डोला, झानी, सादडिया, गन्धवा पाल, माण्डेला उपली, वेजा, बेडसा,

बोडामली, गुन्दलारा, रामसौरजूला एवं वारडा का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पंचायत समिति चिखली एवं झौथरी में क्रय-विक्रय सहकारी समिति खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सहकारी लैम्पस को ऑन लाईन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़):

44. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सहकारी बैंकों द्वारा समय पर ऋण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सरकारी खरीद के केन्द्र खोलने की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की नीमराना तहसील में क्रय-विक्रय सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियां प्रत्येक पंचायत पर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में खाद-बीज एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

49. प्रदेश में सहकारी समितियों से बिना ब्याज मिलने वाले ऋण को चुकाने की अवधि 30 मई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. भूमि विकास बैंक बालोतरा द्वारा गत दो वर्षों में किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों को दिये गये ऋण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ओलावृष्टि प्रभावित गांवों में ऋण वसूली स्थगित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. नवगठित सिवाना मार्केटिंग सोसायटी को भूमि आबंटन एवं भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सहकारी समितियों द्वारा संचालित राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भण्डारों को खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

54. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में ग्राम सहकारी समितियों को घाटे से उबारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

55. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सदस्य नहीं बनाने एवं उनको ऋण उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में किसानों की मांग के अनुरूप खाद व बीज समय पूर्व उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के रामगंजमण्डी नगर में स्थित क्रय-विक्रय सहकारी समिति में सुपर मार्केट की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

60. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के मधुबन व झालामण्ड क्षेत्र में सहकारी भंडार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

61. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में भूमि विकास बैंकों को लघु सीमा (फसली ऋण) पर अनुदान दिये जाने का अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. भूमि विकास बैंक झुंझुनूं की सभी शाखाओं को अनवरत चालू रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

63. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मृत/बन्द/अवशायन पड़ी सहकारी समितियों को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सहकारी समिति विहीन ग्राम पंचायतों में नई सहकारी समितियां खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कार्यरत सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की साख सीमा/ऋण सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कृषि कार्यों के साथ-साथ किसानों को पशु पालन हेतु सस्ती दर पर सहकारी समितियों से ऋण उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

67. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नवगठित ग्राम पंचायत सजनाणियों की ढाणी में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

68. जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय में सहकारिता बैंक खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. जैसलमेर में किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

70. ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों को नियमित वेतन श्रृंखला देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में खाद्यान्न भवनों की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में नई सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

73. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा कम से कम 1.50 लाख रुपये का कर्ज देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

74. प्रदेश में सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक एवं अन्य कर्मचारियों के लिये स्थानान्तरण नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. प्रदेश में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की लेवी चीनी समानीकरण

कोष की बकाया राशि के भुगतान एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अंकेक्षण हेतु दी गई स्वायत्ता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

76. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अरांई पर नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समिति स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. अजमेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. अजमेर के कर्मचारियों को 14वें वेतनमान का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित किशनगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति के लिये 2000 टन क्षमता का गोदाम बनाने की स्वीकृति की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. प्रदेश में किसानों को वितरित किये जा रहे ऋण राशि को 2 लाख तक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन पंचायतवार कराने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

:81. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में लेम्पस के लेन-देन का समय निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में लेम्पस द्वारा वसूली नोटिस को अकाल की वजह से ब्याज माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की ग्राम पंचायत बोखला, मालमाथा, खजूरी, भटवाड़ा, रोहनवाड़ा, गलन्दर, जालुकुआ में लेम्पस खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. प्रदेश में लेम्पस के जिन सदस्यों एवं अध्यक्षों पर सरकारी धन का दुरूपयोग एवं गबन के आरोप हैं, उन्हें पद से हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

85. प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को "मिनिमम सपोर्ट प्राइस" निर्धारित अनाजों के लिए खरीद केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद):

86. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की सहकारी समिति में काश्तकारों को ऋण देने में पक्षपात करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

87. प्रदेश में कृषि अल्पकालीन ऋण में 17500 करोड़ के लक्ष्य को घटाकर 14 हजार करोड़ करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. तहसील जहाजपुर एवं कोटड़ी में भवन विहीन ग्राम सहकारी समितियों के गोदामों के निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. प्रदेश में किसानों को बी-कम्पोण्डेड ऋण की अनिवार्यता समाप्त करने एवं ग्राम सेवा सहायकों को बी.सी. बनाने के स्थान पर विभाग में ही रखते हुए स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. प्रदेश में पहले से खुले 1.75 करोड़ खातों के विरुद्ध किसानों को 486 सहकारिता की शाखाओं में नवीन खातों को खुलवाने के कारण होने वाले 26 करोड़ के अपव्यय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़):

91. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में गोदामों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

92. राज्य के किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. कोलायत-बीकानेर क्रय-विक्रय सहकारी समिति में से कोलायत की अलग क्रय-विक्रय सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र कोलायत की सहकारी समितियों के भवन, गोदाम व चार दीवारी निर्माण तथा मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के किसानों को उनकी निर्धारित व स्वीकृत साख सीमा 1.50 लाख तक का पूर्ण ऋण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

97. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

98. विधान सभा क्षेत्र भादरा की भवन रहित ग्राम सहकारी समिति के कार्यालय भवन एवं गोदाम निर्मित करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र भादरा की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

100. प्रदेश में सहकारी समितियों की चुनाव प्रक्रिया में सुधार करते हुए अऋणी सदस्यों को ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का अधिकार दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों एवं सहायक व्यवस्थापकों को राज्य कर्मचारी अथवा बैंक कर्मचारी घोषित करते हुए इनके लिए स्थायी सेवा नियम बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र भादरा में ग्राम पंचायत मुख्यालय गान्धी बड़ी में सहकारी बैंक खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

103. प्रदेश में आर.बी.आई. के निर्देशानुसार केन्द्रीय सहकारी बैंक सी.आर./ए.आर. का स्तर बनाये रखने हेतु आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र दौसा की नवसृजित पंचायत समिति लवाण में क्रय-विक्रय सहकारी समिति खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र दौसा के चान्दराना, रिगरिया, बोरोदा में नवगठित ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए गोदाम निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. प्रदेश में अल्पकालीन फसली ऋण के केन्द्रीय सहकारी बैंक डिपोजिट करने की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार की सहायता राशि को एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंक में राजकीय हिस्सा राशि के रूप में नियमानुसार 25 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

108. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नई सहकारी समितियां खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. प्रदेश में व्यवस्थापकों की हड़ताल के कारण किसानों को अल्पकालीन ऋण जमा कराने में आ रही दिक्कतों के कारण अंतिम तिथि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

110. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम सहकारी समिति लिखमीसर-खरलिया को अलग-अलग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

111. विराटनगर तहसील में क्रय-विक्रय सहकारी संघ की स्थापना न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पावटा विकास खण्ड में क्रय-विक्रय सहकारी संघ की स्थापना न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. प्रदेश में प्रत्येक पंचायत पर सहकारी बैंक की शाखा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के किसानों को निर्धारित मात्रा में सहकारी ऋण न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

115. विराटनगर की प्रत्येक पंचायत में सहकारी समितियों का गठन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

116. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की ग्राम सेवा सहकारिता समिति एवं दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के भवन एवं गोदाम, निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऑन लाईन कम्प्यूट्राइजेशन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. कोटा जिले में भूमि विकास बैंकों के लिये कृषि एवं अकृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के नगर पालिका सांगोद में उपभोक्ताओं के लिये उपहार सुपर मार्केट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।